RNI No. MAHBIL /2009/31746

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग सात

वर्ष ११, अंक ८] गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २०-२६, २०२५/फाल्गुन १-७, शके १९४६ [पृष्ठे ५४२

किंमत : रुपये ३७.००

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

अनुक्रमणिका

		पृष्ठे
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १, सन् २०२३.—	मुंबई नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम क्र. १, सन् २०२३ ।	५-६
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २, सन् २०२३.—	महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम क्र. २, सन् २०२३ ।	७-८
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३, सन् २०२३.—	युनिव्हर्सल एआई विश्वविद्यालय कर्जत अधिनियम क्र. ३, सन् २०२३ ।	९-२८
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४, सन् २०२३.—	जे.एस.पी.एम. विश्वविद्यालय पुणे अधिनियम क्र. ४, सन् २०२३ ।	२९-४८
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५, सन् २०२३.—	पिंपरी-चिंचवड विश्वविद्यालय, पुणे अधिनियम क्र. ५, सन् २०२३ ।	४९-६८
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६, सन् २०२३.—	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र खुला विश्वविद्यालय, कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) और महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय, (संशोधन) अधिनियम क्र. ६, सन् २०२३ ।	६९-७५
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ७, सन् २०२३.—	महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (तृतीय संशोधन) अधिनियम क्र. ७, सन् २०२३।	७६-७७
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ८, सन् २०२३.—	महाराष्ट्र अधिसंख्य पदों का निर्माण और चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ती (संशोधन) अधिनियम क्र. ८, सन् २०२३ ।	७८-८२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९, सन् २०२३.—	उल्हासनगर शहर में अनधिकृत विकासों का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम क्र. ९, सन् २०२३ ।	८४
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १०, सन् २०२३.—	महाराष्ट्र आई.टी.एम कौशल्य विश्वविद्यालय, नवी मुंबई अधिनियम, क्र. १०, सन् २०२३ ।	८५-१०८

	पृष्ठे
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ११, सन् २०२३.—महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम क्र. ११, सन् २०२३ ।	१०९-११०
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १२, सन् २०२३.—महाराष्ट्र (अनुपूरक) विनियोग अधिनियम क्र. १२, सन् २०२३ ।	१११-१२५
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १३, सन् २०२३.—महाराष्ट्र चिकित्सा माल प्रापण प्राधिकरण अधिनियम क्र. १३, सन् २०२३ ।	१२६-१३५
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १४, सन् २०२३.—मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अधिनियम क्र. १४, सन् २०२३ ।	१३६-१३७
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५, सन् २०२३.—महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (संशोधन) अधिनियम क्र. १५, सन् २०२३ ।	१३८-१३९
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६, सन् २०२३.—डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय और महाराष्ट्र सी.ओ.ई.पी. प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, (संशोधन) अधिनियम क्र. १६, सन् २०२३ ।	१४०-१४२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १७, सन् २०२३.—महाराष्ट्र विनियोग अधिनियम क्र. १७, सन् २०२३ ।	१४३-२२९
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १८, सन् २०२३.—महाराष्ट्र कर, ब्याज, शास्ती या विलंबित फीस के बकायों का निपटान अधिनियम क्र. १८, सन् २०२३ ।	२३०-२४१
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १९, सन् २०२३.—महाराष्ट्र राज्य वृत्ती, व्यापार, आजिविका तथा नियोजन पर कर (संशोधन) अधिनियम क्र. १९, सन् २०२३ ।	२४२-२४३
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २०, सन् २०२३.—महाराष्ट्र श्रमिक विधि (संशोधन) अधिनियम क्र. २०, सन् २०२३ ।	२४४-२४९
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१, सन् २०२३.—महाराष्ट्र असहायता प्राप्त निजी वृत्तिक शिक्षा संस्था (प्रवेश तथा फीस का विनियमन) संशोधन) अधिनियम क्र. २१, सन् २०२३ ।	२५०-२५१
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २२, सन् २०२३.—महाराष्ट्र राज्य तकनिकी शिक्षा बोर्ड (संशोधन) अधिनियम क्र. २२, सन् २०२३ ।	२५२-२६१
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३, सन् २०२३.—महाराष्ट्र गोसेवा आयोग अधिनियम क्र. २३, सन् २०२३ ।	२६२-२६९
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४, सन् २०२३.—महाराष्ट्र अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपाय (संशोधन) अधिनियम क्र. २४, सन् २०२३ ।	२७०-२९५
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २५, सन् २०२३.—पंढरपूर मंदिर (संशोधन) अधिनियम क्र. २५, सन् २०२३ ।	२९६-२९७
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २६, सन् २०२३.—महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम क्र. २६, सन् २०२३ ।	२९८-२९९
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७, सन् २०१३.—महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन) अधिनियम क्र. २७, सन् २०२३ ।	३००-३०१
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २८, सन् २०२३.—महाराष्ट्र कृषि भूमि पट्टे पर देने संबंधी अधिनियम क्र. २८, सन् २०२३ ।	३०२-३१०
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २९, सन् २०२३.—महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवाएँ बनाए रखना अधिनियम क्र. २९, सन् २०२३ ।	३११-३१५
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३०, सन् २०२३.—महाराष्ट्र ग्राम पंचायत और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति (संशोधन) अधिनियम क्र. ३०, सन् २०२३ ।	३१६-३१९

पृष्ठे

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१, सन् २०२३.—महाराष्ट्र (द्वितीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम क्र. ३१, सन् २०२३। ३२०-३३८

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३२, सन् २०२३.—महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (संशोधन) अधिनियम क्र. ३२, सन् २०२३ । ३२९-३४४

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३३, सन् २०२३.—महाराष्ट्र मलिन-बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन तथा विकास) (संशोधन, शीर्ष और अन्य शिकायत प्रतितोष समिति का पुन: अधिनियमिनिकरण और विधिमान्यकरण) अधिनियम क्र. ३३, सन् २०२३ । ३४५-३४८

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३४, सन् २०२३.—महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार और निवेशन सुविधा अधिनियम क्र. ३४, सन् २०२३ । ३४९-३५५

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३५, सन् २०२३.—महाराष्ट्र (ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों और पंचायत समितियों के कतिपय निर्वाचनों के लिये) वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अवधि को अस्थायी बढावा अधिनियम क्र. ३५, सन् २०२३ । ३५६-३५८

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३६, सन् २०२३.—महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना संशोधन) अधिनियम क्र. ३६, सन् २०२३ । ३५९-३६०

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७, सन् २०२३.—महाराष्ट्र वन्य पशुओं द्वारा हुई हानि चोट या नुकसान के लिये क्षतिपूर्ति की अदायगी अधिनियम क्र. ३७, सन् २०२३ । ३६१-३६३

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८, सन् २०२३.—एम.आय.टी. विश्वविद्यालय सोलापूर अधिनियम क्र. ३८, सन् २०२३ । ३६४-३८३

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३९, सन् २०२३.—डी.ई.एस. पुणे विश्वविद्यालय पुणे अधिनियम क्र. ३९, सन् २०२३ । ३८४-४०३

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४०, सन् २०२३.—महाराष्ट्र पशुपालन और मत्स्य उद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम क्र. ४०, सन् २०२३ । ४०४-४०८

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१, सन् २०२३.—लक्ष्मीनारायण अभिनव औद्योगिकी (एल.आय.टी.) विश्वविद्यालय, नागपूर अधिनियम क्र. ४१, सन् २०२३। ४०९-४७३

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४२, सन् २०२३.—महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तृतीय संशोधन) अधिनियम क्र. ४२, सन् २०२३ । ४७४-४७५

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३, सन् २०२३.—महाराष्ट्र (नगरी क्षेत्र) वृक्षों का संरक्षण और परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम क्र. ४३, सन् २०२३ । ४७६-४७७

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४४, सन् २०२३.—महाराष्ट्र पुणे शहर नगर निगम कराधन (भूतलक्ष्मी प्रभाव से नियमों का अधिनियमितिकरण और संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम क्र. ४४, सन् २०२३ । ४७८-४८०

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४५, सन् २०२३.—महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम क्र. ४५, सन् २०२३ । ४८१-४८२

पृष्ठे

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४६, सन् २०२३.—मुंबई शहर सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम क्र. ४६, सन् २०२३ । ४८३-४८४

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४७, सन् २०२३.—महाराष्ट्र (तृतीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम क्र. ४७, सन् २०२३ । ४८५-५४२

MAHARASHTRA ACT No. I OF 2023.

THE MUMBAI MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATION (SECOND AMENDMENT) ACT, 2022.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २९ दिसम्बर २०२२ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
प्रभारी सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. I OF 2023.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १ सन् २०२३।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ३ जनवरी २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

मुंबई नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, मुंबई नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, और इसलिए, मुंबई नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२२, २४ नवम्बर २०२२ को प्रख्यापित किया गया था ;

सन् १८८८ का ३।

सन् २०२२ का महा. अध्या. क्र. १२ ।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर हैं ; अतः भारत गणराज्य के तिहत्तरवे वर्ष में एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम, अधिनियमित किया जाता हैं :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण। **१.** (१) यह अधिनियम मुंबई नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२२ कहलाए।

(२) यह २४ नवम्बर २०२२ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १८८८ का ३ की धारा १५४ में संशोधन। **२.** मुंबई नगर निगम अधिनियम (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा १५४, के उप-धारा (१घ) के खण्ड (क) में,— सन् १८८८ का ३ ।

(एक) उप-खण्ड (एक) में, " और वर्ष २०२१-२२ " शब्दों तथा अंकों के स्थान में, " वर्ष २०२१-२०२२ और वर्ष २०२२-२३ " शब्द और अंक रखे जायेंगे ;

(दो) उप-खण्ड (दो) में, " और वर्ष २०२१-२२ " शब्दों तथा अंको के स्थान में, " वर्ष २०२१-२०२२ और वर्ष २०२२-२३ " शब्द और अंक रखे जायेंगे ;

(तीन) उप-खण्ड (तीन) में,—

(क) " वर्ष २०२२-२३ में," शब्दों तथा अंकों के स्थान में, " वर्ष २०२३-२४ में ", शब्द और अंक रखे जायेंगे ;

(ख) " और वर्ष २०२१-२०२२ " शब्दों तथा अंकों के स्थान में, " वर्ष २०२१-२२ और वर्ष २०२२-२३ " शब्द तथा अंक रखे जायेंगें।

कठिनाई के निराकरण की शक्ति। **३.** (१) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो राज्य सरकार **राजपत्र** में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा जैसा अवसर उद्‌भूत हो, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत ना हो, ऐसे निदेश दे सकेगी जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परंतु, ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण की दिनांक से दो वर्षो की अवधि अवसित होने के पश्चात् नहीं बनाया जायेगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

सन् २०२२ का महा. अध्या. क्र. १२। **४.** (१) मुंबई नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२२, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०२२ का महा. अध्या. क्र. १२ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी ।

(यथार्थ अनुवाद)

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. II OF 2023.

THE MAHARASHTRA AGRICULTURE PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) (AMENDMENT) ACT, 2022.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २९ दिसम्बर, २०२२ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
प्रभारी सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. II OF 2023.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURE PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) (AMENDMENT) ACT 1963.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ३ जनवरी २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

सन् १९६४ का महा.२०। सन् २०२२ का महा. अध्या. क्र.११।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; **और, इसलिए,** महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०२२, २२ नवम्बर २०२२ को प्रख्यापित किया गया था ;

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के तिहत्तरवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, २०२२ कहलाए।

(२) यह २२ नवम्बर २०२२ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९६४ का महा. २० की धारा १३ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया हैं।) की धारा १३ की, उप-धारा (१) के, खण्ड (क) में, "जिनके नाम संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र की मतदाता सूची मे होते है ऐसे और " शब्द अपमार्जित किए जायेंगे। सन् १९६४ का महा.२०।

सन् २०२२ का महा. अध्या. क्र. ११ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

३. (१) महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश, २०२२ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है । सन् २०२२ का महा. अध्या क्र.११।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. III OF 2023.

THE UNIVERSAL AT UNIVERSITY, KARJAT ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ४ जनवरी, २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
प्रभारी सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. III OF 2023.

AN ACT TO PROVIDE FOR ESTABLISHMENT, INCORPORATION AND REGULATION OF THE UNIVERSAL AT UNIVERSITY, KARJAT, FOR THE DEVELOPMENT AND ADVANCEMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE STATE OF MAHARASHTRA AND FOR MATTERS CONNECTED THERE WITH OF INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३ सन् २०२३।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ५ जनवरी २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए युनिव्हर्सल ए आय विश्वविद्यालय, कर्जत की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए उपबंध करने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए एआय विश्वविद्यालय, कर्जत युनिव्हर्सल की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए उपबंध करने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण। **१.** (१) यह अधिनियम युनिव्हर्सल ए आई विश्वविद्यालय, कर्जत अधिनियम, २०२२ कहलाए।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषाएँ। **२.** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) " अनुबद्ध प्राध्यापक ", " अनुबद्ध सहयुक्त प्राध्यापक " या "अनुबद्ध सहायक प्राध्यापक " का तात्पर्य, कोई व्यक्ति उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, सामाजिक, सांस्कृतिक, अकादमिक या किसी अन्य सहबद्ध क्षेत्र से है, जो विश्वविद्यालय के सहयोगी या सहयुक्त की अवधि के दौरान इस प्रकार पदाभिहित किया है, से है ;

(ख) " प्राधिकरण " का तात्पर्य, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन यथा विनिर्दिष्ट किये गये विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों से है ;

(ग) " प्रबंध मंडल बोर्ड " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा २२ के अधीन गठित किये गये प्रबंध मंडल बोर्ड से है ;

(घ) " परिसर " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र, जिसके अधीन वह स्थापित किया गया है ;

(ङ) " उत्कर्षता केंद्र " का तात्पर्य, छात्रों, सेवांतर्गत कर्मचारियों, कार्यरत व्यावसायिकों की सुसंगत कौशल के सभी प्रकार मुहैय्या करने के लिये, उद्योग से सहयोग में स्थापित अद्यावत प्रशिक्षण या अनुसंधान केंद्र या उद्योग या समाज के लाभ के लिये और संयुक्त परियोजना हाथ लेने के लिये स्थापित से है;

(च) " दूरस्थ और ऑनलाईन शिक्षा " का तात्पर्य, संसूचना के किन्ही दो या अधिक साधनों के समुच्चय द्वारा, जैसे, प्रसारण, दूरदर्शन प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम तथा किन्हीं अन्य ऐसी प्रणाली विज्ञान द्वारा प्रदान की गई शिक्षा से है ;

(छ) " कर्मचारी " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी शामिल होंगे ;

(ज) " फीस " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थांओं या, यथास्थिति, अध्ययन केंद्रों, द्वारा किया गया धनीय संग्रहण, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, छात्रों से किया गया से है, जो प्रत्यर्पणीय नहीं है ;

(झ) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(ञ) " शासी निकाय " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा २१ के अधीन गठित किये गये शासी निकाय से है ;

(ट) " उच्चतर शिक्षा " का तात्पर्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के स्तर पर अध्ययन से परे ज्ञान का अनुसरण करने से है ;

(ठ) " छात्रावास " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आवास का स्थान, या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये गये या मान्यताप्राप्त ऐसी उसकी संस्थाएँ तथा अध्ययन केंद्रों से है ;

(ड) " अधिसूचना " का तात्पर्य, **राजपत्र** में प्रकाशित की गई अधिसूचना से है ;

(ढ) " **राजपत्र** " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार के **राजपत्र** से है ;

(ण) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम द्वारा बनाये गए या के अधीन परिनियमों या आर्डिनेन्सों, या, यथास्थिति, विनियमों नियमों द्वारा विहित किये गये से है ;

(त) " अध्यक्ष या कुलाधिपति " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष से है जो विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी होगा ;

(थ) " विनियमित निकाय " का तात्पर्य, उच्चतर शिक्षा के अकादमिक मानक सुनिश्चित करने के लिए मानक और शर्ते अधिकथित करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निकाय से है, जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद, भारतीय कृषक अनुसंधान परिषद, दूरस्थ शिक्षा परिषद, भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद, आदि और इसमें सरकार भी सम्मिलित है ;

(द) " नियम " का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से है ;

(ध) " धारा " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा से है ;

सन् १९५० का २९ । सन् १८६० का २१ ।

(न) इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय के संबंध में " प्रायोजक निकाय " का तात्पर्य, कंपनी अधिनियम, २०१३ के अधीन रजिष्ट्रीकृत स्ट्राइव इंडिया एज्युकेशन फाऊंडेशन से है और १०५, रूणवाल और ओमकार स्क्वेअर, १ली मंझिल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, सायन (पूर्व), मुंबई ४०० ०२२ में इसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय होगा।

(प) " राज्य " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य से है ;

(फ) " परिनियम ", " आर्डिनन्सो " या " विनियमों " का तात्पर्य, क्रमशः इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के परिनियमों, आर्डिनन्सों या विनियमों से है ;

(ब) " छात्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय में नामांकन किए गए व्यक्ति से है, जिसने विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशेषताओं के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो, इसमें अनुसंधान उपाधि भी सम्मिलित होगी ;

(भ) " अध्ययन केन्द्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा सलाह, परामर्श के प्रयोजन के लिये या दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में छात्रों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य किसी सहायता देने के लिये स्थापित और पोषित या मान्यताप्राप्त केन्द्र से है ;

(म) " अध्यापक " का तात्पर्य, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक या सहयुक्त प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति जिससे विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रदान करना या अनुसंधान में मार्गदर्शन करना या पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को किसी भी प्ररूप में मार्गदर्शन देना अपेक्षित है ;

(य) " विश्वविद्यालय " का तात्पर्य, युनिव्हर्सल एआय विश्वविद्यालय, कर्जत से है।

३. (१) युनिव्हर्सल ए आय विश्वविद्यालय, कर्जत के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। निगमन।

(२) अध्यक्ष, कुलपति, शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद और अन्य समस्त व्यक्ति जो इसके बाद ऐसे अधिकारी बनेंगे या ऐसे पद पर रहेंगे या सदस्यत्व निरंतर धारण करेंगे, वे सभी, एतद्द्वारा, " युनिव्हर्सल ए आय विश्वविद्यालय, कर्जत " के नाम द्वारा निगमित निकाय गठित और घोषित होंगे " ।

(३) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम द्वारा वाद चलाएगी और उस पर वाद चलाया जाएगा।

(४) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम के अधीन स्थापित किये गये असहबद्ध विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा और यह किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को उसमें प्रवेशित छात्रों को उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सहबद्ध नहीं होगा।

(५) विश्वविद्यालय और उसका मुख्यालय युनिव्हर्सल ए आय विश्वविद्यालय, कर्जत गट क्र. ५४/१ से ५४/२७, ५५/०, ५७/०, ५८/० ७/३, कुशीवल ग्राम, कुशीवल, तहसील कर्जत, जिला रायगढ, महाराष्ट्र ४१० ०२१ में स्थित होगा ।

४. विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्न अनुसार होंगे,– विश्वविद्यालय का उद्देश्य।

(क) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में अध्ययन, अध्यापन, क्षमता, सामर्थ्य तथा कुशलता विकास और अनुसंधान तथा विकास जिसमें मुक्त कला मानविकी सामाजिक विज्ञानों, जीव विज्ञानों तथा जैवप्रौद्योगिकी, नॅनो–विज्ञानों और प्रौद्योगिकी, वृत्तिक शाखाओं, जैसे कि इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, कारोबार तथा वाणिज्य, अनुप्रयुक्त तथा रचनात्मक कलाएँ, व्यावसायिक शिक्षा, मिडिया, सूचना एवं संसूचना, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा और उनकी आंतर-शाखीय पाठ्यक्रम और सन्निर्माण, परिसम्पति और आधारभूत संरचना और परियोजना (सीआरआयपी) पर बल देने के साथ विकास का भी समावेश है, के उपबंध करना ;

(ख) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में कला, क्रीड़ा, संस्कृति, फिल्म, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, समुद्री अनुसंधान अनुदेश, अध्यापन तथा प्रशिक्षण का उपबंध करना तथा अनुसंधान के लिए उपबंध करना ;

(ग) ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक (दिमाग, दिल और हाथ) क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(घ) बौद्धिक क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(ङ) विकास के नए मार्गों के अविष्कार तथा सामाजिक पुनर्निर्माण तथा परिवर्तन के लिए सर्जनात्मकता, नविनता और उद्योग उपक्रम को बढावा देने के लिए नए शैक्षिक कार्यक्रमों की निर्मिति तथा अभिनियोजित करना ;

(च) शिक्षा तथा विकास के लिए अद्यतन सुविधाएँ संस्थित करना ;

(छ) अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यान्वित करना तथा निरंतर गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तावित करना ;

(ज) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और सामाजिक-आर्थिक विकास में अनुसंधान और विकास के लिए तथा ज्ञान बाँटने और उसके उपयोजन के लिए उत्कर्ष केंद्रों की निर्मिति करना ;

(झ) २१ वी सदी में व्यक्ति तथा समाज के लिये अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, मूल्यांकन, विकास, संगठन और सामाजिक-आर्थिक सम्पत्ति की निर्मिति करने के शासन और प्रबंधन करने के लिए आधुनिक और आधुनिकोत्तर प्रक्रियाएँ, यंत्र-क्रिया तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना ;

(ञ) उद्योग तथा सार्वजनिक संगठन तथा समाज को वृत्तिक तथा विकासात्मक सेवाओं का उपबंध कराना ;

(ट) नव अभिनव दृष्टिकोण के साथ नए तथा प्रकट क्षेत्रो में उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम, पाठ्यक्रम शुरू करना ;

(ठ) भारत और विदेश में के अन्य उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थाओं के साथ संबंध, सहयोग तथा भागीदारी संस्थित करना ;

(ड) परीक्षाएँ या अन्य किसी मूल्यांकन पद्धतियों के आधार पर उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताएँ गठित करना ;

(ढ) सर्जनात्मक तथा उद्यमीता के विकास और परिष्कार के लिए अकादमिक संरचनाएँ, अध्ययन पद्धतियों का ढाँचा, और कामकाज तथा निरंतन मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सीवनहीनता की निर्मिति के लिए नवअभिनव दृष्टिकोण को संस्थित करना ;

(ण) सरकार द्वारा सुझाए गए कोई अन्य उद्देश्य जारी रखना ;

(त) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किए गए उपाधि, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताओं का स्तर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद अधिनियम, १९९३ के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ के अधीन गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या आयुर्विज्ञान अधिनियम, १९४८ के अधिन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ के अधीन गठित भारतीय बार परिषद, या, यथास्थिति, किसी अन्य कानूनी निकाय द्वारा अधिकथित से कम नहीं है, सुनिश्चित करना।

सन् १९९३ का ७३। सन् १९५६ का ३। सन् १९४८ का ८। सन् १९६१ का २५।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य।

५. विश्वविद्यालय की, निम्न शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :–

(एक) ऑनलाईन शिक्षा पद्धति समेत परम्परागत साथ ही साथ नवअभिनव परिवर्तन पद्धतियों, के माध्यम से दिए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान संबंधी, उपबंध करना तथा सभी उपायों (जिसमें पाठ्यक्रम को अपनाना तथा अद्यतन करना सम्मिलित है) को अपनाना ;

(दो) उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ प्रमाणपत्र, बक्षिस, श्रेणियाँ, श्रेयांक तथा अकादमिक विशेषताओं को संस्थित और प्रदान करना ;

(तीन) परीक्षाएँ संचालित करना तथा लेना ;

(चार) अन्य मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों, बोर्डो या परिषदों की उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्रों के समतुल्य तथा समरूप उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों के लिए उपबंध करना ;

(पाँच) परिसरों की स्थापना के लिए सभी आवश्यक उपाय करना ;

(छह) केंद्रीय पुस्तकालय, विभागीय पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा सहबद्ध विषयों की स्थापना करना ;

(सात) मानद उपाधियाँ, जैसा कि विहित किया गया है, को संस्थित करना और प्रदान करना ;

(आठ) विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार फेलोशिप, छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति संस्थित तथा अधिनिर्णित करना ;

(नौ) समाज के शैक्षणिक रूप से पिछड़े स्तर में, शैक्षणिक सुविधाओं को प्रचारित करने के लिए विशेष उपाय करना ;

(दस) क्रीड़ा तथा अन्य पाठ्येतर क्रियाकलापों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन करना ;

(ग्यारह) तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उसमें नियुक्तियाँ करना ;

(बारह) पारस्पारिक प्रतिग्राह्य शर्तों और निबंधनों पर अनुसंधान परियोजनाओं को हाथ में लेना ;

(तेरह) परामर्शी सेवाओं को देना ;

(चौदह) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियमों, आर्डिनन्सों, नियमों तथा विनियमों को विरचित करना ;

(पंद्रह) विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र तथा कर्मचारी के व्यक्तित्व विकास के लिए पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन करना ;

(सोलह) राज्य सरकार, भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेशों के अनुसार, देश के भीतर या बाहर अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले में पारस्पारिक के आधार पर दोहरी उपाधियाँ, डिप्लोमाओं या प्रमाणपत्रों का उपबंध करना ;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों में विभिन्न शाखाओं में एकात्मिक पाठ्यक्रमों के लिए ऐसे उपबंधों की निर्मिति करना ;

(अठारह) राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार केवल राज्य के भीतर महाविद्यालयों, संस्थाओं और परिसर मुक्त केंद्रों को स्थापित करना ;

(उन्नीस) दान, बक्षिस और अनुदान, प्राप्त करना तथा किसी सम्पत्ति को जंगम या स्थावर, जिसमें राज्य के भीतर या बाहर के न्यास या विन्यास सम्पत्ति सम्मिलित है, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों के लिए अर्जित, धारण, प्रबंध तथा निपटान करना तथा निधि निवेशित करना ;

(बीस) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, समय-समय पर फीस संरचना विहित करना ;

(इक्कीस) ऐसे फीसों तथा अन्य प्रभार जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया गया हों, के भुगतान की माँग तथा प्राप्त करना ;

(बाईस) पारस्परिक ग्राह्य शर्तों और निबंधनों पर अन्य संस्थाओं से सहयोग लेना ;

(तेईस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विनियमित निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मचारियों का वेतन, पारिश्रमिक, मानदेय का अवधारण करना ;

(चौबीस) अतिरिक्त बाह्य अध्यापन तथा विस्तार सेवाओं का आयोजन करना और उपक्रमित करना ;

(पच्चीस) हॉल तथा छात्रावासों को स्थापित तथा पोषित करना ;

(छब्बीस) विश्वविद्यालय द्वारा रखरखाव न किये गये, हॉल और छात्रावासों और अन्य वास-सुविधाओं को छात्रों के आवास के लिए मान्यता देना, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और किसी ऐसी मान्यता वापस लेना ;

(सत्ताईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित तथा प्रवर्तित कराना और जैसा वह आवश्यक समझे ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना ;

(अट्ठाईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा साधारण कल्याण को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था करना ;

(उनतीस) समय-समय से विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर सहमत किया जाए ऐसे प्रयोजनों के लिये उस विश्वविद्यालय के उसी प्रकार के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों को बढ़ावा देने की दृष्टि से, ऐसे प्रयोजनों के लिए, देश के भीतर के या बाहर के अन्य किसी विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगठन या किसी सार्वजनिक या निजी निकाय को सहयोग करना ;

(तीस) विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये अनुसंधान तथा अन्य कार्य, जिसमें पाठ्य-पुस्तकें सम्मिलित है, के मुद्रण, पुनर्मुद्रण तथा प्रकाशन के लिए उपबंध करना ;

(इकतीस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय में मानकों की स्थापना तथा रखरखाव) विनियमों, २००३ या अन्य किन्ही विनियमों के उपबंधों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किये गए निर्देशनों का समय-समय से अनुपालन तथा अनुसरण करना ;

(बत्तीस) राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी किये गए निदेशों का, विश्वविद्यालय की उपर्युक्त शक्तियाँ, कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के संदर्भ में, अनुपालन करना तथा कार्यान्वित करना ;

(तेंतिस) ऐसे सभी कृत्य करना जिसे विश्वविद्यालय के सभी या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आनुषंगिक या सहायक हो ;

विश्वविद्यालय सब के लिए खुला रहेगा।

६. (१) भारत का कोई भी नागरिक सिर्फ लिंग, धर्म, पन्थ, वर्ग, जाति, जन्मस्थान, धार्मिक मान्यता या व्यवसाय या राजनीतिक या अन्य मत के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी पद या उसके किसी प्राधिकरणों, निकायों या समितियों के सदस्यत्व या किसी पद पर की नियुक्ति, या किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अन्य अकादमिक विशेष योग्यता या अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अपवर्जित नहीं किया जाएगा।

(२) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभागों, और संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के प्रयोजनार्थ, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, निरधिसूचित जनजातियों (विमुक्त जातियों), खानाबदोष जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े प्रवर्गों और आर्थिक कमजोर वर्गों (इडब्लूएस) के आरक्षण के संबंध में सरकारी नीति तथा समय-समय पर जारी आदेशों को अंगीकृत करेगा।

(३) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित, समाज के गरीब वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के विभिन्न संवर्गों के कल्याण के संदर्भ में, राज्य सरकार की साधारण नीति को अंगीकृत करेगा।

विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित होगा।

७. विश्वविद्यालय, स्ववित्तपोषित होगा तथा सरकार से कोई अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता पाने का हकदार नहीं होगा।

विन्यास निधि।

८. (१) प्रायोजित निकाय, " विश्वविद्यालय के लिए, विन्यास निधि " नामक एक स्थायी कानूनी निधि स्थापित करेगी, जिसमें कम से कम दस करोड़ रुपये समाविष्ट होंगे जिसे **स्व-प्रेरणा** से बढ़ाया जा सकेगा, परन्तु कम नहीं किया जायेगा।

(२) विन्यास निधि, इस अधिनियम या नियमों, विनियमों, परिनियमों या तद्धीन बनाये गये ऑर्डिनेन्स के उपबंधों के कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा निक्षेप के रूप में रखी जायेगी।

(३) सरकार को, विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों, परिनियमों, ऑर्डिनेन्सों या तद्धीन बनाये गये विनियमों का उल्लंघन करने के मामले में, विन्यास निधि का अंशतः या संपूर्ण भाग विहित रीत्या समपहृत करने की शक्तियाँ होगी।

(४) विन्यास निधि से आय, विश्वविद्यालय की मुलभूत सुविधा के विकास के लिए उपयोग में लाया जाएगा किंतु, विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

(५) विन्यास निधि की राशि, विनिहित रखी जाएगी, जब तक विश्वविद्यालय का विघटन नहीं होता है तब तक, सरकार द्वारा प्राप्त या प्रत्याभूत दीर्घकालिक सुरक्षा के रूप में शर्त के अध्यधीन यह निधि सरकार की अनुमति के बिना, नहीं निकाली जाएगी।

(६) दीर्घकालिक सुरक्षा के प्रमाणपत्र, सरकार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएँगे ; तथा सरकार को, उप-धारा (३) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए, जमा राशि भुनाने का अधिकार होगा।

९. विश्वविद्यालय, साधारण निधि के नाम से एक निधि स्थापित करेगा, जिसमें निम्न, जमा किया जाएगा, अर्थात् :— साधारण निधि।

(एक) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभारों ;

(दो) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अंशदान ;

(तीन) विश्वविद्यालय द्वारा परामर्श से तथा हाथ में लिए गए, अन्य कार्य से प्राप्त कोई आय ;

(चार) वसीयतों, दान, विन्यासों, तथा कोई अन्य अनुदान, तथा ;

(पाँच) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सभी अन्य राशियाँ।

१०. (१) सामान्य निधि का उपयोग, विश्वविद्यालय के कामकाज के संबंध में सभी व्यय जिसमें आवर्ती या अनावर्ती व्यय पूरा करने के लिए किया जायेगा : सामान्य निधि का उपयोग।

परन्तु, इस वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिये सीमाओं के अधिक में व्यय विश्वविद्यालय द्वारा उपगत नहीं किया जायेगा, जिसे प्रबंधमंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के बिना, प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा नियत किया जा सकेगा।

११. विश्वविद्यालय के, निम्न अधिकारी होंगे, अर्थात् :— विश्वविद्यालय के अधिकारी।

(एक) अध्यक्ष जो कुलाधिपति भी होगा ;

(दो) कुलपति ;

(तीन) संकायाध्यक्ष ;

(चार) रजिस्ट्रार ;

(पाँच) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी ;

(छह) परीक्षा नियंत्रक ; और

(सात) विश्वविद्यालय सेवा में ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में घोषित किया जाए।

१२. (१) अध्यक्ष, नियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसी रीत्या सरकार के अनुमोदन से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रायोजित निकाय द्वारा नियुक्त किया जायेगा। अध्यक्ष।

(२) अध्यक्ष के पद के लिए पात्रता मापदण्ड जैसा कि, राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(३) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा।

(४) अध्यक्ष, शासी निकाय की बैठकों और उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान करने के लिए होनेवाले विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(५) अध्यक्ष को, निम्न शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के कामकाज से संबंधित विश्वविद्यालय किसी अधिकारी या प्राधिकारी से कोई जानकारी या अभिलेख मांगना ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति करना ;

(ग) धारा १४ की, उप-धारा (७) के उपबंधों के अनुसरण में, कुलपति को हटाना;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

अध्यक्ष को हटाना। **१३.** अध्यक्ष को, प्रायोजक निकाय द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पदधारी,—

(क) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, उसे इस प्रकार घोषित ठहराया गया है ; या

(ख) नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है ; या

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(घ) शारीरिक रूप से अनुपयुक्त है और दीर्घकालिन बीमारी या शारीरिक विकलांगता के कारण कार्य या पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ है ; या

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में जानबूझकर छोड देता है या अस्वीकार करता है और सेवा संविदा के किन्ही निबन्धनों और शर्तों का या परिनियमों द्वारा अधिकथित किन्ही अन्य शर्तों का उल्लंघन करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या अध्यक्ष को पद पर बनाए रखने से विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है :

परन्तु, अध्यक्ष को, उक्त पद से हटाने के लिए, खंड (घ) और (ङ) के अधीन कार्यवाही का सहारा लेने के पूर्व प्रायोजक निकाय द्वारा कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

कुलपति। **१४.** (१) कुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विरचित नियमों के अनुसार गठित खोजबीन-नि-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसे पात्रता मानदण्ड़ पूरी करनेवालि तथा ऐसे निबंधन तथा शर्तों पर, तीन व्यक्तियों के एक पॅनल से, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा । और उप-धारा (७) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु, तीन वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, कुलपति, अगली तीन वर्षों की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु आगे यह कि, कुलपति, अपने पद के अवसान के बाद भी, नवीन कुलपति के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा, तथापि, किसी मामले में, यह अवधि, एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(२) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और अकादमिक अधिकारी होगा और उसकी विश्वविद्यालय के कामकाज पर संपूर्ण अधीक्षण की शक्तियाँ होगी और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों को निष्पादित करेगा।

(३) कुलपति, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(४) यदि, कुलपति की राय में, ऐसे किसी मामले में जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन किसी अन्य प्राधिकरणों को शक्तियाँ प्रदान की गई है, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक है तो, वह ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात्, शीघ्रतम अवसर पर अपनी कार्यवाही रिपोर्ट ऐसे अधिकारी या प्राधिकरणों को देगा जो सामान्यतया उस मामले का निपटान करता है :

परन्तु, यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में ऐसी कार्यवाही कुलपति द्वारा नहीं की गई थी तब ऐसे मामले में अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसपर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(५) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरणों का निर्णय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, ऑर्डिनेन्स, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन करता है या विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो वह अपने निर्णय का पुनरीक्षण करने के लिए संबंधित

प्राधिकरण से अनुरोध करेगा और प्राधिकरण, निर्णय का पूर्णतः या अंशतः पुनरीक्षण करने के लिए इनकार करता है या पंद्रह दिनों के भीतर कोई निर्णय लेने में असफल रहता है तब ऐसा मामला, अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा और जिसपर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(६) कुलपति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(७) यदि किसी समय प्राप्त अभ्यावेदन पर या से अन्यथा और ऐसी जाँच करने के बाद, जैसा आवश्यक समझा जाए, स्थिति इस प्रकार समर्थित करे और यदि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो अध्यक्ष, शासी निकाय के अनुमोदन से, उसके लिए कारण दर्शाते हुए लिखित आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे दिनांक से उस पद को त्यागने के लिए कुलपति को कहेगा :

परन्तु, इस उप-धारा के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व, कुलपति को सुनवाई करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

१५. (१) संकायाध्यक्ष, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा। संकायाध्यक्ष।

(२) संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के अकादमिक और अन्य कार्यकलापों के प्रबंध में कुलपति को सहायता करेगा और विनियमों द्वारा विहित की जाए या अध्यक्ष और कुलपति द्वारा सोंपे जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

१६. (१) रजिस्ट्रार, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा। रजिस्ट्रार।

(२) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के निर्णय के अध्यधीन वह करार करने, संविदा करने, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी । वह परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

(३) रजिस्ट्रार, शासी निकाय, प्रबंध मंडल बोर्ड और अकादमिक परिषद का सदस्य सचिव होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(४) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जैसा शासी निकाय उसके प्रभार में सुपुर्द करें।

(५) रजिस्ट्रार, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विहित किया जाए या परिनियमों द्वारा उसे प्रदान किया जाए या कुलपति द्वारा समय-समय से उसे समनुदेशित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का अनुपालन करेगा।

१७. (१) परीक्षा नियंत्रक, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक।

(२) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय की परीक्षा और परीक्षण के संचालन और उनके परिणामों की घोषणा करनेवाला प्रभारी प्रधान अधिकारी होगा। वह कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और मार्गदर्शन के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(३) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्ण समय वैतनिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कुलपति के निदेशन और नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा। उसकी नियुक्ति, तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी और वह तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। परीक्षा नियंत्रक के चयन के प्रयोजन के लिए अर्हता और अनुभव जैसा कि विहित किया जाए ऐसा होगा।

(४) परीक्षा नियंत्रक,—

(क) परीक्षाओं के कलेंडर तैयार करना और अग्रिम में घोषित करना ;

(ख) प्रश्नपत्रों के मुद्रण के लिए व्यवस्था करना ;

(ग) परीक्षाओं और अन्य परीक्षणों के परिणामों की समय पर प्रकाशन की व्यवस्था करना ;

(घ) परीक्षा संबंधित उम्मीदवारों, पेपर-सेटर्स, परीक्षकों, अनुसीमकों या किसी अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध और परीक्षाओं के संबंध में कदाचार का दोषी पाये जाने पर जहाँ आवश्यक हो अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा ;

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर, पुनर्विलोकन करेगा और अकादमिक परिषद को उसपर रिपोर्ट अग्रेषित करेगा ;

(च) परीक्षाओं का नियंत्रक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसा कि विहित किया जाए या उसे समनुदेशित किया जाए।

मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी।

१८. (१) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, विश्वविद्यालय का प्रधान वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा अधिकारी होगा।

(२) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(३) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

अन्य अधिकारी।

१९. (१) विश्वविद्यालय, उसके कर्तव्यों के लिए आवश्यक समझे जाये ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।

(२) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, ऐसे अधिकारियों के सेवा के निबंधन और शर्तें, उनकी शक्तियाँ और कृत्य परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाए ऐसे होंगे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।

२०. विश्वविद्यालय के निम्न, प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :—

(क) शासी निकाय ;

(ख) प्रबंध मंडल बोर्ड ;

(ग) अकादमिक परिषद ;

(घ) परीक्षा बोर्ड ; और

(ङ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में परिनियमों द्वारा घोषित किया जाए ऐसे अन्य प्राधिकरण।

शासी निकाय।

२१. (१) विश्वविद्यालय का शासी निकाय, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष ;

(ख) कुलपति ;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये पाँच व्यक्ति, जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद् होंगे ;

(घ) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के बाहर से प्रबंधमंडल या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ होगा ;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये दो व्यक्ति ;

(च) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले उद्योगों के दो प्रतिनिधि ; और

(छ) विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार, शासी निकाय का स्थायी आमंत्रित होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(२) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा।

(३) शासी निकाय को, निम्न शक्तियाँ होगी, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम या परिनियमों, आर्डिनेन्स, तद्धीन बनाए गए विनियमों या नियमों द्वारा यथा उपबंधित ऐसी सभी शक्तियों के उपयोग द्वारा, विश्वविद्यालय के कार्यो का सामान्य अधीक्षण और निदेशन और नियंत्रण का उपबंध करना ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, आर्डिनेन्स, विनियमों या नियमों की पुष्टि नहीं हैं के मामले में, विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के निर्णयों का पुनर्विलोकन करना ;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना ;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनायी जानेवाली नीतियाँ अधिकथित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिनिर्धारण के बारे में सभी प्रयासों के बावजूद जब विश्वविद्यालय के सुचारू कार्यान्वयन करने की उद्‌भूत स्थिति शेष संभव नहीं होती हैं तब प्रायोजक निकाय को सिफारिशें करना ; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) शासी निकाय की, कलैन्डर वर्ष में कम से कम तीन बैठकें होंगी।

(५) शासी निकाय के बैठकों की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी।

२२. (१) प्रबंधमंडल बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :— प्रबंधमंडल बोर्ड।

(क) कुलपति ;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट शासी निकाय के दो सदस्य ;

(ग) कुलपति द्वारा, चक्रानुक्रम द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले विश्वविद्यालय के दो संकायाध्यक्ष ;

(घ) तीन व्यक्ति, प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट जो शासी निकाय के सदस्य नहीं है ; और

(ङ) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट अध्यापकों में से तीन व्यक्तियाँ।

(२) कुलपति, प्रबंधमंडल बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(३) प्रबंधमंडल बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य, ऐसे होंगे जिसे परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) प्रबंधमंडल बोर्ड, प्रत्येक दो महीनें में कम से कम एक बार बैठक लेगा।

(५) प्रबंधमंडल बोर्ड के बैठक की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी।

२३. (१) अकादमिक परिषद, कुलपति और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। अकादमिक परिषद।

(२) कुलपति, अकादमिक परिषद का **पदेन** अध्यक्ष होगा।

(३) अकादमिक परिषद, विश्वविद्यालय की प्रधान अकादमिक निकाय होगी, और इस अधिनियम के उपबंधों और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और ऑर्डिनेन्स के अध्यधीन विश्वविद्यालय के अकादमिक नीतियों का समन्वयन और सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(४) अकादमिक परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति, ऐसी होगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

२४. (१) परीक्षा बोर्ड, परीक्षाओं के संचालन और परीक्षाओं का आयोजन और परीक्षा लेने के बारे में नीति संबंधी निर्णय लेने, परीक्षा पद्धति में सुधार लाने, पेपर-सेटरों, परीक्षकों, अनुसीमकों की नियुक्ति के लिए और परीक्षाओं और परिणामों की घोषणा करने के दिनांकों की अनुसूची भी तैयार करनेवाला विश्वविद्यालय का प्रधान प्राधिकरण होगा । परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी केंद्र में परीक्षाओं के संचालन का निरीक्षण और विनियमन भी करेगा । परीक्षा बोर्ड।

स्पष्टीकरण.—इस धारा और धारा ३८ के प्रयोजनों के लिए, ‘‘परीक्षाओं की अनुसूची’’ की अभिव्यक्ति का तात्पर्य, प्रत्येक पेपर का समय, दिन और दिनांक के प्रारभ्मण के बारे में दी गई ब्योरेवार तालिका से है, जो परीक्षा प्रणाली का हिस्सा है और जिनमें प्रात्यक्षिक परीक्षा के बारे में भी ब्यौरे सम्मिलित होंगे।

(२) परीक्षा बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति . . अध्यक्ष ;

(ख) प्रत्येक विषय के प्राध्यापक . . सदस्य ;

(ग) परीक्षा बोर्ड द्वारा सहयोजित एक मूल्यांकन विशेषज्ञ . . सदस्य ;

(घ) परीक्षा नियंत्रक . . सदस्य-सचिव।

(३) परीक्षा बोर्ड की शक्तियाँ, और कृत्य ऐसे होंगे, जैसा कि परिनियमों द्वारा अधिकथित किया जाए।

अन्य प्राधिकरण। **२५.** विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएँ।

निरर्हता। **२६.** कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किन्ही प्राधिकरणों या निकायों का सदस्य होने से निरर्ह होगा, यदि वह,—

(एक) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(दो) नैतिक अधमता से अर्न्तग्रस्त किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है ; या

(तीन) निजी कोचिंग वर्गों को स्वयं चलाता है या जुड़ा हुआ है ; या

(चार) कहीं भी, किसी भी रूप में किसी परीक्षा के संचालन में अनुचित व्यवहार करने में जुड़े होने या बढ़ावा देने के लिए दंडित किया गया है।

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय की रिक्तियों संबंधी कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होगी। **२७.** विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के कार्य या कार्यवाहियाँ केवल किसी रिक्ति के या उसके गठन में त्रुटि के कारण द्वारा अविधिमान्य नहीं होगी।

अस्थायी रिक्तियों को भरना। **२८.** किसी मामले में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में सदस्य की मृत्यु, इस्तीफा या हटाये जाने के कारण कोई अस्थायी रिक्ति पायी जाती है तो, जिस सदस्य का पद रिक्त हुआ है उस सदस्य के स्थान में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या नामनिर्देशित करके यथासंभव शीघ्र ऐसी रिक्ति भरी जायेगी ; और अस्थायी रिक्ति भरने के लिये इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किये गये व्यक्ति या निकाय को जिस सदस्य के स्थान में इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्देशित किया गया है ऐसे सदस्य की शेष पदावधि के लिए वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होगा ।

समितियाँ। **२९.** (१) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारी ऐसे संदर्भो के निबंधनों के साथ ऐसी समितियों द्वारा किये जानेवाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए जैसा आवश्यक समझें समितियाँ गठित करेंगे।

(२) ऐसी समितियों का गठन, ऐसा होगा जिसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

प्रथम परिनियम। **३०.** (१) विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम, शासी निकाय द्वारा बनाये जायेंगे और उसके अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत कियें जायेंगे।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कराएगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों के गठन, शक्तियाँ और कृत्य समय-समय पर गठित किये जायेंगे ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों तथा उसकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ग) संकायाध्यक्ष, रजिस्ट्रार तथा मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(घ) कर्मचारियों के नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ङ) कर्मचारियों, छात्रों तथा विश्वविद्यालय के बीच विवादों के मामले में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया ;

(च) सम्मानिक उपाधियों को प्रदान करना ;

(छ) छात्रों को अध्यापन फीस अदायगी से छूट देने तथा उन्हें छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति प्रदान करने के संबंध में उपबंध ;

(ज) आरक्षित सीटों के विनियमन समेत विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेशों की नीति, सीटों की संख्या के संबंध में उपबंध ; और

(झ) छात्रों से प्रभारित किए जानेवाली फीस के संबंध में उपबंध।

(३) सरकार, शासी निकाय द्वारा प्रस्तुत प्रथम परिनियम का विचार करेगी और यदि कोई हो, ऐसे उपांतरणों के साथ जैसा वह आवश्यक समझे, उसकी प्राप्ति के दिनांक से चार महिने के भीतर, उस पर उसका अनुमोदन देगी।

(४) सरकार, **राजपत्र** में अपने अनुमोदन द्वारा प्रथम परिनियम प्रकाशित करेगी, और उसके बाद, ऐसे प्रकाशन के दिनांक से प्रथम परिनियम प्रवृत्त होगा।

३१. (१) इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्वर्ती परिनियम, निम्न सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध करेंगें, अर्थात् :— पश्चात्वर्ती परिनियम।

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन करना ;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया ;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करना ;

(घ) नए विभागों का निर्माण और विद्यमान विभाग को बंद करना या पुनःसंरचना करना ;

(ङ) पदकों तथा पुरस्कारों को शुरू करना ;

(च) पदों का सृजन और पदों के समापन की प्रक्रिया करना ;

(छ) फीस का पुनरीक्षण ;

(ज) विभिन्न पाठ्यविवरण में सीटों की संख्या का परिवर्तन ; और

(झ) परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो सभी अन्य मामलें है।

(२) विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रथम परिनियम से अन्य शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध मंडल बोर्ड द्वारा बनाया जायेंगे।

(३) प्रबंधमंडल बोर्ड, समय-समय से नये या अतिरिक्त परिनियम बनाएगा या इस धारा में उपबंधित जिसे इसमें आगे ऐसी रीत्या बनाए गए परिनियमों में संशोधन या निरसन करेगा :

परंतु, प्रबंधमंडल बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण के किसी प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियमों या परिनियम में किसी संशोधन नहीं बनाएगा जब तक ऐसा प्राधिकरण प्रस्ताव पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं देता है और इस प्रकार कोई राय लिखित में अभिव्यक्त नहीं करता है तब तक होगा तथा उसका शासी निकाय द्वारा विचार किया जाएगा।

(४) प्रत्येक ऐसे परिनियम या परिनियम में परिवर्धन या किसी संशोधन या परिनियम के निरसन, सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे :

परंतु, अकादमिक परिषद से परामर्श के बिना, छात्रों के अनुशासन और अध्यापन, शिक्षा तथा परीक्षा के मानक पर प्रभाव ड़ालने वाले कोई परिनियम, प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा नहीं बनाए जाएंगे।

३२. (१) विश्वविद्यालय के प्रथम ऑर्डिनेन्स, शासी निकाय और उसके अनुमोदन के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रथम ऑर्डिनेन्स।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए जैसे उसे उचित समझे शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध मंडल बोर्ड ऐसे प्रथम ऑर्डिनेन्सेस बनाएगा और ऐसे ऑर्डिनेन्सेस निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए मुहैया कराएगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश तथा उनके ऐसे नामांकन ;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम ;

(ग) उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों तथा अन्य अकादमिक विशिष्टताओं को प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएँ वही होंगी तथा मंजूर करने और प्राप्त करने से संबंधित वही अर्थ होगा ;

(घ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, पदक और पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए शर्तें ;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों के पदों की शर्तों और नियुक्तियों की रीति तथा कर्तव्यों समेत परीक्षाओं का संचालन ;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यचर्याओं, परीक्षाओं, उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए प्रभारित की जानेवाली फीस ;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रावास में छात्रों के आवास की शर्तें ;

(ज) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई करने संबंधी उपबंध ;

(झ) विश्वविद्यालय के अकादमिक जीवन में सुधार करने के लिए किसी अन्य निकाय के सृजन, संरचना और कृत्य जो कि आवश्यक माने गए हैं ;

(ञ) उच्च शिक्षा के अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं से सहकारिता और सहयोग की रीति ; और

(ट) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए परिनियमों के अधीन जो अन्य सभी मामलें ऑर्डिनेन्सों द्वारा मुहैया करना अपेक्षित है।

(३) सरकार, उप-धारा (१) के अधीन कुलपति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रथम ऑर्डिनेन्सों का विचार करेगी और ऐसे उपांतरण के साथ यदि कोई आवश्यक समझे तो, उसकी प्राप्ति के दिनांक से, चार महीनों के भीतर अनुमोदन देगी।

पश्चात्वर्ती ऑर्डिनेन्स। **३३.** (१) अकादमिक परिषद द्वारा बनाए गए प्रथम ऑर्डिनेन्स से, अन्य सभी ऑर्डिनेन्स, प्रबंध मंडल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद उसके अनुमोदन के लिए शासी निकाय को प्रस्तुत किए जाएँगे।

(२) अकादमिक परिषद, या तो प्रबंधमंडल बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करके ऑर्डिनेन्सेस उपांतरित करेगी या सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी, यदि कोई हो, ऐसे कारणों के साथ ऑर्डिनेन्सेस लौटाएगी। प्रबंधमंडल बोर्ड और शासी निकाय अकादमिक परिषद के सुझावों का विचार करेंगे और विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्सेस ऐसे उपांतरणों के साथ या के बिना अनुमोदित किए जायेंगे और तत्पश्चात्, शासी निकाय द्वारा अनुमोदित रूप में ऑर्डिनेन्सेस प्रवृत्त होंगे।

विनियम। **३४.** विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंधमंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन, उसके स्वयं के कारोबार और उसके द्वारा नियुक्त समितियों को संचालित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों और नियमों, तद्धीन बनाए गए ऑर्डिनेन्स और परिनियमों से संगत विनियम बनाएँगे।

प्रवेश। **३५.** (१) विश्वविद्यालय में प्रवेश, गुणागुण के आधार पर कड़ाई से किये जायेंगे।

(२) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए गुणागुण के आधार पर या प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त किए गए श्रेणी के आधार पर और पाठ्यक्रमेतर तथा पाठ्येतर गतिविधियों में प्राप्त उपलब्धि या राज्य स्तर पर संचालित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त गुण या श्रेणी के आधार पर या विश्वविद्यालय के सहयोजन द्वारा या राज्य के किसी एजेंसी द्वारा होंगे :

परंतु, वृत्तिक तथा तकनीकी पाठ्यचर्याओं में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के ज़रिए होंगे।

(३) अनुसूचित-जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े प्रवर्गों, तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (इडब्लूएस) से संबंध रखनेवाले और विकलांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित रखी जाएँगी ।

(४) महाराष्ट्र राज्य का अधिवास रखनेवाले छात्रों के लिए चालीस प्रतिशत सीटें अनुमोदित कुल ग्रहण क्षमता में से आरक्षित रखीं जायेगी।

फीस संरचना पुनर्विलोकन समिति।

३६. (१) विश्वविद्यालय, समय-समय पर विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के लिए उनकी फीस संरचना तैयार करेगा और उसे सभी स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के लिए फीस संरचना का पूर्नविलोकन करने के लिए, समय-समय से, जारी सरकारी संकल्प द्वारा, राज्य सरकार द्वारा गठित फीस संरचना पुनर्विलोकन समिति के अनुमोदन के लिए उसे अग्रेषित कर सकेगा।

सन् २०१५ का महा. २८।

(२) महाराष्ट्र असहायताप्राप्त निजी वृत्तिक शैक्षिक संस्थाएँ (प्रवेश तथा फीस का विनियमन) अधिनियम, २०१५ की धारा १४ और १५ में उपबंधित फीस संरचना के निर्धारण के लिए फीस विनियमिति प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत की जानेवाली प्रक्रिया और घटक, विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए फीस संरचना प्रस्ताव का विचार करते समय फीस संरचना पुनर्विलोकन समिति द्वारा **यथावश्यक परिवर्तन समेत** अपनायी जायेगी।

(३) समिति, विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गयी फीस संरचना पर विचार करेगी, उसका पुनर्विलोकन करेगी और, चाहे प्रस्तावित फीस,—

(क) (एक) विश्वविद्यालय का आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए स्त्रोत निर्माण करने; और

(दो) विश्वविद्यालय के अधिकतर विकास के लिए आवश्यक व्यावृतियाँ के लिए पर्याप्त है; और

(ख) अनुचित ढ़ंग से अत्यधिक नहीं है, का विचार करने के पश्चात्, उसकी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

(४) उप-धारा (३) के अधीन सिफारिशों की प्राप्ति के पश्चात्, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि, प्रस्तावित फीस संरचना पर्याप्त और युक्तीयुक्त है, तो वह फीस संरचना का अनुमोदन कर सकेगी। यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि, प्रस्तावित फीस संरचना पर्याप्त नहीं है और अनुचित है तो वह उसे अस्वीकृत करेगी और उसके पुनर्विचार के लिए उसे समिति को वापस भेज देगी । सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना अगले पुनर्विलोकन तक शेष वैध रहेगी।

(५) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय में प्रवेशित पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों के लिए किसी फीस की प्रतिपुर्ति नहीं करेगी या कोई वित्तीय दायित्व नहीं लेगी।

(६) विश्वविद्यालय उप-धारा (४) के अधीन जिसके लिए वह हकदार है से अन्यथा चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए कोई फीस प्रभारित नहीं करेगी।"।

प्रतिव्यक्ति फीस का प्रतिषेध ।

३७. (१) कोई प्रतिव्यक्ति फीस, विश्वविद्यालय द्वारा या कि और से या कोई व्यक्ति जो ऐसी, संस्था के प्रबंधन के लिए प्रभारी है या जिम्मेवार है, के द्वारा, किसी छात्र से या उसके प्रवेश के प्रतिफलेन और ऐसी संस्था में किसी अध्ययन के पाठ्यक्रम या उच्चतर कक्षा या वर्ग में उसकी प्रोन्नति के लिए, संग्रहीत नहीं की जाएगी।

(२) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रबंधनमंडल नगद या उसी प्रकार में विहित रीत्या विन्यास निधि, परोपकारी व्यक्तियों या संगठन या लोकन्यासों या किसी अन्य लोगों के संगठन से छात्रवृत्ति या पुरस्कार या जैसे प्रदान करने के लिए विन्यास निधि सृजन करने के लिए नए शिक्षण संस्थाओं को खोलने के लिए सद्भाव में दान संग्रह या प्राप्त करेगी लेकिन, ऐसे दान संग्रहित या स्वीकारते समय प्रबंधनमंडल ऐसे दान के विचार में उसके द्वारा चलित किसी शैक्षणिक संस्था में कोई सीटें आरक्षित नहीं

रखेगी। जहाँ ऐसे संदान की स्वीकृति के विचार में ऐसी संस्था में किसी छात्र के प्रवेश के लिए कोई जगह आरक्षित है तो दान के ऐसे प्रतिग्रहण, प्रतिव्यक्ति फ़ीस, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान (प्रतिव्यक्ति फ़ीस का प्रतिषेध) अधिनियम, १९८७ की धारा २ के खण्ड (क) के अर्थान्तर्गत समझे जाएँगे। १९८८ का महा. ६।

परीक्षाओं की समय-सारणी।

३८. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के शुरुआत में और किसी मामले में, प्रत्येक कलेंडर वर्ष के ३० जून से पहले विश्वविद्यालय उसके द्वारा संचालित हर और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए सत्रवार या, यथास्थिति, वार्षिक परीक्षाओं की समय-सारणी तैयार तथा प्रकाशित करेगी और ऐसे समय-सारणी का कड़ाई से पालन होगा :

परंतु, यदि चाहे जिस किसी भी कारण के लिए, विश्वविद्यालय यह समय-सारणी अनुसरण करने में असमर्थ है तो वह यथासंभव शीघ्र सरकार को प्रकाशित समय-सारणी से प्रस्थान तैयार करने के लिए विस्तृत कारणों को देने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार, उस पर भविष्य में अनुपालन के लिए जैसा कि उचित समझे, ऐसे निदेश जारी करेगी।

परिणामों की घोषणा ।

३९. (१) विश्वविद्यालय, विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए उसके द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा परीक्षा की अंतिम दिनांक से लेकर तीस दिनों के भीतर करने का प्रयास करेगी और किसी मामले में नवीनतम परिणाम ऐसे दिनांक से पैंतालीस दिनों के भीतर घोषित करेगा :

परंतु यदि, जो कोई भी कारण हो, विश्वविद्यालय किसी भी परीक्षा के परिणाम पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर, अंतिमतः घोषित करने में असमर्थ है, वह सरकार को ऐसे विलंब के विस्तृत कारणों में समाविष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सरकार, उस पर, भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए, जैसा कि वह उचित समझे, ऐसे निर्देश जारी करेगा।

(२) कोई परीक्षा या परीक्षा के परिणाम, विश्वविद्यालय ने धारा ३८ में अनुबद्ध परीक्षा की अनुसूची का अनुसरण नहीं किया है या उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, विश्वविद्यालय परिणाम घोषित करने में असफल हुआ है सिर्फ इसी कारण के लिए अविधिमान्य नहीं होगी।

दीक्षांत समारोह ।

४०. उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ प्रदान करने के लिए या किसी अन्य प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह परिनियमों द्वारा विहित रीत्या में, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष, में किया जाएगा।

विश्वविद्यालय का प्रत्यायन ।

४१. विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद **(नॅक)**, बैंगलोर से उसके संस्थित होने से तीन वर्ष के भीतर, प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा तथा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद (नॅक) द्वारा उपबंधित श्रेणी के बारे में सरकार तथा अन्य ऐसी विनियमित निकायों को जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित है, को जानकारी देगा । विश्वविद्यालय, तत्पश्चात्, ऐसे प्रत्यायन प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर नवीकृत कर सकती है।

विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि का अनुसरण करेगा ।

४२. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि के पालन के लिये और ऐसे निकायों को उनके द्वारा उनके कर्तव्यों का निर्वहन तथा उनके कार्यों को कार्यान्विन करने के लिए आवश्यक है, ऐसी सभी सुविधाओं और सहायता मुहैया करने के लिये बाध्यकारी होगी।

वार्षिक रिपोर्ट ।

४३. (१) विश्वविद्यालय का वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंधनमंडल बोर्ड तैयार करेगा, जिसमें अन्य मामलों में, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों को पूरा करने हेतु उठाए गए कदमों का समावेश होगा तथा शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा उसकी प्रति प्रायोजक निकाय को भेजी जाएगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ, सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी।

(३) राज्य सरकार, ऐसी रिपोर्ट राज्य विधान मंडल के हर एक सदन के समक्ष रखेगी।

वार्षिक लेखा और लेखा संपरीक्षा ।

४४. (१) प्रबंधनमंडल बोर्ड के निर्देशों के अधीन तुलनपत्र समेत विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा तैयार किए जाएँगे और इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार लेखापरीक्षा की जाएगी।

(२) लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखा की प्रति, शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(३) वार्षिक लेखाओं तथा शासी निकाय के संप्रेक्षणों के साथ जोड़ी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(४) उप-धारा (१) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखाओं और तुलनपत्र की प्रतियाँ सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी।

(५) सरकार की सलाह, यदि कोई हो, विश्वविद्यालय के लेखा और लेखापरीक्षा की रिपोर्ट से उद्भूत होती है तो, शासी निकाय के सामने रखी जाएगी और शासी निकाय, जैसा उचित समझे ऐसे निदेश जारी करेगी और उसके अनुपालन के लिए सरकार को प्रस्तुत करेगी।

विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की सरकार की शक्तियाँ ।

४५. (१) विश्वविद्यालय से संबंधित अध्यापन, परीक्षा और संशोधन या किसी अन्य मामले की श्रेणियाँ अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, सरकार, कुलपति से परामर्श के बाद, जैसा वह उचित समझे ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीति में मामला निर्धारण करेगी।

(२) सरकार, सुधारक कार्यवाही के लिए ऐसे निर्धारण के परिणामस्वरूप, संबंध में उसकी सिफारिशें विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय सिफारिशों के अनुपालन की सुनिश्चिति के लिए आवश्यकता के रूप में ऐसे सुधारक उपाय करेगी।

(३) यदि विश्वविद्यालय, उचित समय के भीतर, उप-धारा (२) के अधीन की गई सिफारिशों का अनुपालन करने में असफल रहती है तो सरकार, जैसा वह उचित समझे ऐसे निर्देश देगी जो विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन ।

४६. (१) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को अग्रिम रूप में कम से कम एक वर्ष की इस प्रभाव की सूचना सरकार को देकर, विश्वविद्यालय विघटित करेगी :

परंतु, विश्वविद्यालय का विघटन, केवल उसके नियमित पाठ्यक्रम पूरे करनेवाले छात्रों की अंतिम बॅच का होगा और उन्हें उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कारों से पुरस्कृत किये जाने पर ही प्रभावी होगा।

(२) विश्वविद्यालय के विघटन पर विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व, प्रायोजक निकाय में निहित होंगे :

परंतु, विश्वविद्यालय उसकी स्थापना से पंद्रह वर्ष पूरे होने के पूर्व प्रायोजक निकाय द्वारा विघटन किये जाने के मामले में विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ, सभी ऋणभारों से मुक्त होकर सरकार में निहित होंगी।

कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियाँ ।

४७. (१) यदि, सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्ही निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या धारा ५ के अधीन दिये गये किन्हीं उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत होता है या विश्वविद्यालय में वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन की स्थिति उद्भूत होती है तो वह अपेक्षित विश्वविद्यालय को पैंतालिस दिनों के भीतर कारण बताओ नोटीस जारी करेगा कि क्यों न उसके समापन का आदेश बनाया जाये।

(२) यदि, सरकार का, उप-धारा (१) के अधीन जारी की गई सूचना पर विश्वविद्यालय के जबाब की प्राप्ति पर, समाधान हो जाता है कि **प्रथमदृष्ट्या** इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या धारा ५ के अधीन दिये गये किन्ही उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत हुआ है या वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन हुआ है तो वह आवश्यक समझे ऐसी जाँच के आदेश बना सकेगी।

(३) सरकार, उप-धारा (२) के अधीन किसी जाँच के प्रयोजन के लिए, किन्हीं भी अभिकथनों में जाँच करने के लिए किसी जाँच अधिकारी या अधिकारियों को नियत करेगी और उसपर रिपोर्ट बनायेगी।

सन् १९०८ का ५।

(४) उप-धारा (३) के अधीन नियत किये गये जाँच अधिकारी या अधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल न्यायालय में जो शक्तियाँ निहित होती है वह निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद का विचारण करते समय होगी, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिए, समन जारी करना और प्रवृत्त करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) साक्ष्य में प्रतिपादित किये गये अपेक्षित किसी ऐसे दस्तावेज या किसी अन्य सामग्री की खोज या निर्माण करना ;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की अपेक्षा करना; और

(घ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाये।

(५) इस अधिनियम के अधीन जाँच करनेवाली जाँच अधिकारी या अधिकारियों की दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १९५ और अध्याय २६ के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जायेगा। सन् १९७४ का २।

(६) उप-धारा (३) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी या अधिकारियों से जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के सभी या किन्ही उपबंधों या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, या ऑर्डिनेन्स का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्ही निर्देशों का उल्लंघन किया है, धारा ५ के अधीन उसके द्वारा किये गये उपक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये परिविरत है या विश्वविद्यालय के अकादमिक मानकों के आशंकाओं से वित्तीय कु-प्रबंध या कु-प्रशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में उद्‌भूत हुई है तो विश्वविद्यालय के समापन या प्रशासक की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक आदेश जारी किये जायेंगे।

(७) उप-धारा (६) के अधीन नियुक्त किये गये प्रशासक को इस अधिनियम के अधीन शासी निकाय और प्रबंधन बोर्ड के सभी शक्तियाँ होंगी और सभी कर्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कामकाज का प्रबंधन तब तक करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच उनके पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करती हैं और उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है।

(८) नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच के लिये उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान करने के पश्चात्, प्रशासक, सरकार को इस प्रभाव की रिपोर्ट करेगा।

(९) उप-धारा (८) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय के विघटन के अंतिम आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से विश्वविद्यालय विघटित होगा और विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व ऐसे दिनांक से प्रायोजक निकाय में निहित होगी।

सचिव स्तरीय समिति। **४८.** (१) इस अधिनियम के प्रारंभण के तुरंत पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर विरचित स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांतो की आवश्यकताओं के अनुपालन के सत्यापन और सुनिश्चित करने के क्रम में, सचिव स्तरीय समिति स्थापित की जायेगी और प्रायोजक निकाय को परिवचन प्रस्तुत करेगी। समिति, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और नियोजन विभाग के सचिवों से मिलकर बनेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन गठित समिति, उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(३) उप-धारा (२) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के परिचालन को अनुमति देते हुये **राजपत्र** में, अधिसूचना प्रकाशित करेगी।

(४) विश्वविद्यालय, उप-धारा (३) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के पश्चात् ही केवल छात्रों को प्रवेश देगा।

सचिव स्तर समिति द्वारा निरीक्षण । **४९.** धारा ४८ की उप-धारा (१) के अधीन स्थापित सचिव स्तर समिति, जब-जब सरकार द्वारा निर्देशित किया गया हो, विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर सकेगी और स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा, समय समय पर, जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतो की आवश्यकताओं के अनुपालन और तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधियों के उपबंधों के अनुपालन की जाँच और सुनिश्चित किया जा सके।

५०. इस अधिनियम के किन्ही उपबधों का उल्लंघन, यह अपराध होगा और धारा ११ के अधीन विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के साथ-साथ विश्वविद्यालय के अधिकारी तीन महिने से अनधिक परंतु एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकनेवाले अवधि के लिए कारावास और पचास हजार रुपयों से अनधिक परंतु जो पाँच लाख रुपयों तक बढाए जा सकनेवाले जुर्माने से दण्डित होंगे : दंड ।

परंतु, इस धारा में की कोई बात, इस अधिनियम के उपबंधों के अननुपालन के लिए विश्वविद्यालय के परिसमापन की प्रक्रिया समेत, कोई कार्यवाही चाहे वह सिविल या दाण्डिक हो प्रारंभ करने से सरकार को नहीं रोकेगी ।

५१. (१) जहाँ कंपनी द्वारा, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गये नियमों के अधीन अपराध किया जाता है तब अपराध किये जाने के समय, कंपनी के कार्य संचालन साथ ही साथ कंपनी के प्रभारी या के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति अपराध के लिए दोषी समझा जायेगा तथा उसके विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए, दायी होगा और तद्नुसार दण्डित किया जायेगा : कंपनीयों द्वारा अपराध ।

परन्तु, इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किया व्यक्ति को किसी दण्ड के लिए दायी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित करता है कि, अपराध उसकी जानकारी के बगैर किया गया था या ऐसा अपराध न हो इसलिए उसने सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(२) उप-धारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन, कंपनी द्वारा अपराध किया जाता है और यह साबित होता है की अपराध, कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से हुआ है या की और से किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है तब ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी या उस अपराध के लिए दोषी होगा तथा उसके विरुद्ध भी अभियोजन के लिए, वह दायी होगा और उसे तद्नुसार दण्डित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनार्थ,—

(क) " कंपनी " का तात्पर्य निगमित निकाय से है तथा इसमे एक न्यास, एक फर्म, समाज, एक संस्था या व्यक्तियों का अन्य संघ भी शामिल है ; और

(ख) फर्म के संबंध में " निदेशक " का तात्पर्य.-

(एक) फर्म का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है ;

(दो) एक समाज, एक न्यास, एक संस्था या व्यक्तियों का अन्य संघ, या व्यक्तियों का निकाय का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो समाज, न्यास, संस्था या अन्य संघ, या यथास्थिति निकाय के कार्य के प्रबंधन के साथ समाज, न्यास, संस्था या अन्य संघ या निकाय के नियमों या उप-विधियों के अधीन हित रखता है ऐसे व्यक्ति से है ।

५२. (१) सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति ।

(२) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्न समस्त या किन्ही मामलों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा १२ की, उप-धारा (१) के अधीन अध्यक्ष के नियुक्ति का रीति ;

(ख) धारा १२ की, उप-धारा (२) के अधीन अध्यक्ष के पद के लिये पात्रता निकष ;

(ग) धारा ४५ की, उप-धारा (१) के अधीन विश्वविद्यालय के अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान के मानक सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए किसी निर्धारण करने की रीति ;

(घ) धारा ४७ की, उप-धारा (४) के खंड (घ) के अधीन विहित किये जानेवाले मामले ;

(ङ) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा विहित करना आवश्यक है या किया जा सके।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा जो कि चाहे वह एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि, उस सत्र में जिसमें उसे रखा गया है, उसके ठीक बाद के सत्र या सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाए तो नियम, अधिसूचना के प्रकाश के दिनांक से, केवल ऐसे परिवर्तित रुप में हों प्रभावी होगा, या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलिकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात या विलुप्ति की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति ।

५३. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों :

परंतु, ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. IV OF 2023.

THE JSPM UNIVERSITY, PUNE, ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ५ जनवरी, २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
प्रभारी सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. IV OF 2023.

AN ACT TO PROVIDE FOR ESTABLISHMENT, INCORPORATION AND REGULATION OF THE JSPM UNIVERSITY, PUNE FOR THE DEVELOPMENT AND ADVANCEMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE STATE OF MAHARASHTRA AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OF INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ६ जनवरी, २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए जेएसपीएम विश्वविद्यालय, पुणे की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए उपबंध करने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए जेएसपीएम विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए उपबंध करने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में एतदद्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण। **१.** (१) यह अधिनियम जेएसपीएम विश्वविद्यालय, पुणे अधिनियम, २०२२ कहलाए ।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषाएँ। **२.** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) " अनुबद्ध प्राध्यापक ", " अनुबद्ध सहयुक्त प्राध्यापक " या " अनुबद्ध सहायक प्राध्यापक " का तात्पर्य, कोई व्यक्ति उद्योग, व्यापार, कृषि, वाणिज्य, सामाजिक, सांस्कृतिक, अकादमिक या किसी अन्य सहबद्ध क्षेत्र से है, जो विश्वविद्यालय के सहयोगी या सहयुक्त की अवधि के दौरान इस प्रकार पदाभिहित किया है, से है ;

(ख) " प्राधिकरण " का तात्पर्य, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन यथा विनिर्दिष्ट किये गये विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों से है ;

(ग) " प्रबंध मंडल बोर्ड " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा २२ के अधीन गठित किये गये प्रबंध मंडल बोर्ड से है ;

(घ) " परिसर " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र जिसके अधीन वह स्थापित किया गया है ;

(ङ) " उत्कर्षता केंद्र " का तात्पर्य, छात्रों, सेवांतर्गत कर्मचारियों, कार्यरत व्यावसायिकों की सुसंगत कौशल के सभी प्रकार मुहैय्या करने के लिये, संयुक्त परियोजना हाथ लेने के लिये उद्योग से सहयोग या उद्योग या समाज के लाभ के लिये में स्थापित अद्यावत प्रशिक्षण या अनुसंधान केंद्र और से है ;

(च) "दूरस्थ और ऑनलाईन शिक्षा " का तात्पर्य, समुच्चय द्वारा, जैसे, प्रसारण, दूरदर्शन प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम तथा किन्हीं अन्य ऐसी प्रणाली विज्ञान द्वारा संसूचना के किन्ही दो या अधिक संयुक्त माध्यम द्वारा प्रदान की गई शिक्षा से है ;

(छ) "कर्मचारी " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी शामिल होंगे ;

(ज) " फीस " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थांओं या, यथास्थिति, अध्ययन केंद्रों, द्वारा किया गया धनीय संग्रहण, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, छात्रों से किया गया से है, जो प्रत्यर्पणीय नहीं है ;

(झ) " सरकार " या "राज्य सरकार" का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(ञ) " शासी निकाय " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा २१ के अधीन गठित किये गये शासी निकाय से है ;

(ट) " उच्चतर शिक्षा " का तात्पर्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के स्तर पर अध्ययन से परे ज्ञान का अनुसरण करने से है ;

(ठ) " छात्रावास " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आवास का स्थान, या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये गये या मान्यताप्राप्त ऐसी उसकी संस्थाएँ तथा अध्ययन केंद्रों से है ;

(ड) " अधिसूचना " का तात्पर्य, **राजपत्र** में प्रकाशित की गई अधिसूचना से है ;

(ढ) " **राजपत्र** " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार के **राजपत्र** से है ;

(ण) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम द्वारा बनाये गए या के अधीन परिनियमों या आर्डिनेन्सों, विनियमों या, यथास्थिति, नियमों द्वारा विहित किये गये से है ;

(त) " अध्यक्ष " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष से है जो विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी होगा ;

(थ) " विनियमित निकाय " का तात्पर्य, उच्चतर शिक्षा के अकादमिक मानक सुनिश्चित करने के लिए मानक और शर्ते अधिकथित करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निकाय से है, जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद, भारतीय कृषक अनुसंधान परिषद, दूरस्थ शिक्षा परिषद, भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद, आदि और इसमें सरकार भी सम्मिलित है ;

(द) " नियम " का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से है ;

(ध) " धारा " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा से है ;

सन् १९५० का २९। सन् १८६० का २१। (न) इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय के संबंध में "प्रायोजक निकाय " का तात्पर्य, संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० और महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम के अधीन रजिष्ट्रीकृत लोक न्यास के अधीन संस्था के रूप में रजिस्ट्रीकृत जयवंत शिक्षण प्रसारक मंडल, पुणे दुकान क्रमांक ८०, पुणे-मुंबई बाह्यपथ राजमार्ग, ताथवडे, पुणे में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय होगा।

(प) " राज्य " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य से है ;

(फ) " परिनियम ", " आर्डिनन्सो " या " विनियमों " का तात्पर्य, क्रमशः इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के परिनियमों, आर्डिनन्सों या विनियमों से है ;

(ब) "छात्र" का तात्पर्य, विश्वविद्यालय में नामांकन किए गए व्यक्ति से है, जिसने विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशेषताओं के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो, इसमें अनुसंधान उपाधि भी सम्मिलित होगी ;

(भ) " अध्ययन केन्द्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा सलाह, परामर्श के प्रयोजन के लिये या दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में छात्रों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य किसी सहायता देने के लिये स्थापित और पोषित या मान्यताप्राप्त केन्द्र से है ;

(म) " अध्यापक " का तात्पर्य, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक या सहयुक्त प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति जिससे विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रदान करना या अनुसंधान में मार्गदर्शन करना या पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को किसी भी प्ररूप में मार्गदर्शन देना अपेक्षित है ;

(य) " विश्वविद्यालय " का तात्पर्य, **जे एस पी एम** विश्वविद्यालय, पुणे से है।

३. (१) **जे एस पी एम** विश्वविद्यालय, पुणे के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। निगमन ।

(२) अध्यक्ष, कुलपति, शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद और अन्य समस्त व्यक्ति जो इसके बाद ऐसे अधिकारी बनेंगे या ऐसे पद पर या सदस्यत्व निरंतर धारण करेंगे, वे सभी, एतद्द्वारा, " **जे एस पी एम** विश्वविद्यालय, पुणे " के नाम द्वारा निगमित निकाय गठित और घोषित होंगे ।

(३) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम द्वारा वाद चलाएगी और उस पर वाद चलाया जाएगा।

(४) विश्वविद्यालय इस अधिनियम के अधीन स्थापित किये गये असहबद्ध विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा और यह किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को उसमें प्रवेशित छात्रों को उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सहबद्ध नहीं होगा।

(५) विश्वविद्यालय और उसका मुख्यालय जे एस पी एम विश्वविद्यालय, पुणे, गट क्रमांक ७१९/१ और ७१९/२, वाघोली, तहसील हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र ४१२ २०७ में स्थित होगा।

४. विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्न अनुसार होंगे,– विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।

(क) इंजिनियरिंग, प्रौद्योगिक, प्रबंधन, कारोबार, तथा वाणिज्यिक, प्रयुक्त तथा संरचनात्मक कलाएँ, व्यावसायिक शिक्षा, प्रसार माध्यम, सूचना एव संसूचना प्रौद्योगिकी तथा मूलभूत शिक्षा और उनके आंतर-राखीय पाठयक्रम और विकास जिसमें मुक्त कला, मानविकी विद्या, सामाजिक विज्ञानों, जीव विज्ञानों तथा जैवप्रौद्योगिकी, अतिसुक्ष्म, नॅनो- विज्ञानों और प्रौद्योगिकी, वृत्तिक शाखाओं में सम्मिलित उच्चतर तथा तकनिकी शिक्षा में अध्ययन, अध्यापन, क्षमता, सामर्थ तथा कौशल्य विकास करना और अनुसंधान तथा विकार करना ;

(ख) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में कला, क्रीड़ा, संस्कृति, फिल्म, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, समुद्री अनुसंधान, अनुदेश, अध्यापन तथा प्रशिक्षण का उपबंध करना तथा अनुसंधान के लिए उपबंध करना;

(ग) ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक (दिमाग, दिल और हाथ) क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(घ) बौद्धिक क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(ङ) विकास के नए मार्गों के अविष्कार तथा सामाजिक पुनर्निर्माण तथा परिवर्तन के लिए सर्जनात्मकता, नविनता और उद्योग उपक्रम को बढावा देने के लिए नए शैक्षिक कार्यक्रमों की निर्मिति तथा अभिनियोजित करना ;

(च) शिक्षा तथा विकास के लिए अद्यतन सुविधाएँ संस्थित करना ;

(छ) अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यान्वित करना तथा निरंतर गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तावित करना ;

(ज) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और सामाजिक-आर्थिक विकास में अनुसंधान और विकास के लिए तथा ज्ञान बाँटने और उसके उपयोजन के लिए उत्कर्ष केंद्रों की निर्मिति करना ;

(झ) २१ वी सदी में व्यक्ति तथा समाज के लिये अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, मूल्यांकन, विकास, संगठन और सामाजिक-आर्थिक सम्पत्ति की निर्मिति का प्रशासन और प्रबंधन करने के लिए आधुनिक और आधुनिकोत्तर प्रक्रियाएँ, यंत्र क्रिया तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना ;

(ञ) उद्योग तथा सार्वजनिक संगठन तथा समाज को वृत्तिक तथा विकासात्मक सेवाओं का उपबंध कराना ;

(ट) नव अभिनव दृष्टिकोण के साथ नए तथा प्रकट क्षेत्रो में उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम, पाठ्यक्रम शुरू करना ;

(ठ) भारत और विदेश में के अन्य उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थाओं के साथ संबंध, सहयोग तथा भागीदारी संस्थित करना ;

(ड) परीक्षाएँ या अन्य किसी मूल्यांकन पद्धतियों के आधार पर उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताएँ संस्थित करना ;

(ढ) सर्जनात्मक तथा उद्यमीता के विकास और परिष्कार के लिए अकादमिक संरचनाएँ, अध्ययन पद्धतियों का ढाँचा, और कामकाज तथा निरंतन मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सीवनहीनता की निर्मिति के लिए नवअभिनव दृष्टिकोण को संस्थित करना ;

(ण) सरकार द्वारा सुझाए गए कोई अन्य उद्देश्य जारी रखना ;

(त) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किए गए उपाधि, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताओं का स्तर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद अधिनियम, १९९३ के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, सन् १९५६ के अधीन गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या आयुर्विज्ञान अधिनियम, १९४८ के अधिन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ के अधीन गठित भारतीय बार परिषद, या, यथास्थिति, किसी अन्य कानूनी निकाय द्वारा अधिकथित से कम नहीं है, सुनिश्चित करना ।

सन् १९९३ का ७३। सन् १९५६ का ३। सन् १९४८ का ८। सन् १९६१ का २५।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य ।

५. विश्वविद्यालय की, निम्न शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :-

(एक) ऑनलाईन शिक्षा पद्धति समेत परम्परागत साथ ही साथ नवअभिनव परिवर्तन पद्धतियों, के माध्यम से दिए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान संबंधी, उपबंध करना तथा सभी उपायों (जिसमें पाठ्यक्रम को अपनाना तथा अद्यतन करना सम्मिलित है) को अपनाना ;

(दो) उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ प्रमाणपत्र, बक्षिस, श्रेणियाँ, श्रेयांक तथा अकादमिक विशेषताओं को संस्थित और प्रदान करना ;

(तीन) परीक्षाएँ संचालित करना तथा लेना ;

(चार) अन्य मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों, बोर्डो या परिषदों की उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्रों के समतुल्य तथा समरूप उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों के लिए उपबंध करना ;

(पाँच) परिसरों की स्थापना के लिए सभी आवश्यक उपाय करना ;

(छह) केंद्रीय पुस्तकालय, विभागीय पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा सहबद्ध विषयों की स्थापना करना ;

(सात) मानद उपाधियाँ, जैसा कि विहित किया गया है, को संस्थित करना और प्रदान करना ;

(आठ) विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार फेलोशिप, छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति संस्थित तथा अधिनिर्णित करना ;

(नौ) समाज के शैक्षणिक रूप से पिछड़े स्तर में, शैक्षणिक सुविधाओं को प्रचारित करने के लिए विशेष उपाय करना ;

(दस) क्रीड़ा तथा अन्य पाठ्येतर क्रियाकलापों को बढावा देना तथा प्रवर्तन करना ;

(ग्यारह) तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उसमें नियुक्तियाँ करना ;

(बारह) पारस्पारिक प्रतिग्राह्य शर्तों और निबंधनों पर अनुसंधान परियोजनाओं को हाथ में लेना ;

(तेरह) परामर्शी सेवाओं को देना ;

(चौदह) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियमों, आर्डिनन्सों, नियमों तथा विनियमों को विरचित करना ;

(पंद्रह) विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र तथा कर्मचारी के व्यक्तित्व विकास के लिए पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन करना ;

(सोलह) राज्य सरकार, भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेशों के अनुसार, देश के भीतर या बाहर अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले में पारस्पारिक के आधार पर दोहरी उपाधियाँ, डिप्लोमाओं या प्रमाणपत्रों का उपबंध करना ;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों में विभिन्न शाखाओं में एकात्मिक पाठ्यक्रमों के लिए ऐसे उपबंधों की निर्मिति करना ;

(अठारह) राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार केवल राज्य के भीतर महाविद्यालयों, संस्थाओं और परिसर मुक्त केंद्रों को स्थापित करना ;

(उन्नीस) दान, बक्षिस और अनुदान, प्राप्त करना तथा किसी सम्पत्ति को जंगम या स्थावर, जिसमें राज्य के भीतर या बाहर के न्यास या विन्यास सम्पत्ति सम्मिलित है, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों के लिए अर्जित, धारण, प्रबंध तथा निपटान करना तथा निधि निवेशित करना ;

(बीस) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, समय-समय पर फीस संरचना विहित करना ;

(इक्कीस) ऐसे फीसों तथा अन्य प्रभार जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया गया हों, के भुगतान की माँग तथा प्राप्त करना ;

(बाईस) पारस्परिक ग्राह्य शर्तों और निबंधनों पर अन्य संस्थाओं से सहयोग लेना ;

(तेईस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विनियमित निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मचारियों का वेतन, पारिश्रमिक, मानदेय का अवधारण करना;

(चौबीस) अतिरिक्त बाह्य अध्यापन तथा विस्तार सेवाओं का आयोजन करना और उपक्रमित करना;

(पच्चीस) हॉल तथा छात्रावासों को स्थापित तथा पोषित करना ;

(छब्बीस) विश्वविद्यालय द्वारा रखरखाव न किये गये, हॉल और छात्रावासों और अन्य वास सुविधाओं को छात्रों के आवास के लिए मान्यता देना, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और किसी ऐसी मान्यता वापस लेना ;

(सत्ताईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित तथा प्रवर्तित कराना और जैसा वह आवश्यक समझे ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना ;

(अठ्ठाईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा साधारण कल्याण को बढावा देने के लिए व्यवस्था करना ;

(उनतीस) समय-समय से विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर सहमत किया जाए ऐसे प्रयोजनों के लिये उस विश्वविद्यालय के उसी प्रकार के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों को बढ़ावा देने की दृष्टि से, ऐसे प्रयोजनों के लिए, देश के भीतर के या बाहर के अन्य किसी विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगठन या किसी सार्वजनिक या निजी निकाय को सहयोग करना ;

(तीस) विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये अनुसंधान तथा अन्य कार्य, जिसमें पाठ्य-पुस्तकें सम्मिलित है, के मुद्रण, पुनर्मुद्रण तथा प्रकाशन के लिए उपबंध करना ;

(इकतीस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय में मानकों की स्थापना तथा रखरखाव) विनियमों, २००३ या अन्य किन्ही विनियमों के उपबंधों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किये गए निर्देशनों का समय-समय से अनुपालन तथा अनुसरण करना ;

(बत्तीस) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निदेशों का, विश्वविद्यालय की उपर्युक्त शक्तियाँ, कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के संदर्भ में, अनुपालन करना तथा कार्यान्वित करना ;

(तेंतिस) ऐसे सभी कृत्य करना जिसे विश्वविद्यालय के सभी या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आनुषंगिक या सहायक हो ।

विश्वविद्यालय सब के लिए खुला रहेगा ।

६. (१) भारत का कोई भी नागरिक, सिर्फ लिंग, धर्म, पन्थ, वर्ग, जाति, जन्मस्थान, धार्मिक मान्यता सब के लिए या व्यवसाय या राजनीतिक या अन्य मत के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी पद या उसके किसी प्राधिकरणों, निकायों या समितियों के सदस्यत्व या किसी पद पर की नियुक्ति, या किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अन्य अकादमिक विशेष योग्यता या अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अपवर्जित नहीं किया जाएगा।

(२) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभागों, और संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के प्रयोजनार्थ, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, निरधिसूचित जनजातियों (विमुक्त जातियों), खानाबदोष जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों और विशेष पिछडे प्रवर्गों और आर्थिक कमजोर वर्गों (इडब्लूएस) के आरक्षण के संबंध में सरकारी नीति तथा समय-समय पर जारी आदेशों को अंगीकृत करेगा ।

(३) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित, समाज के गरीब वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के विभिन्न संवर्गों के कल्याण के संदर्भ में, राज्य सरकार की साधारण नीति को अंगीकृत करेगा ।

विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित होगा ।

७. विश्वविद्यालय, स्ववित्तपोषित होगा तथा सरकार से कोई अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता पाने का हकदार नहीं होगा।

विन्यास निधि ।

८. (१) प्रायोजित निकाय, ''विश्वविद्यालय के लिए, विन्यास निधि'' नामक एक स्थायी कानूनी निधि स्थापित करेगी, जिसमें कम से कम दस करोड़ रुपये समाविष्ट होंगे जिसे **स्व-प्रेरणा** से बढ़ाया जा सकेगा, परन्तु कम नहीं किया जायेगा।

(२) विन्यास निधि, इस अधिनियम या नियमों, विनियमों, परिनियमों या तद्धीन बनाये गये ऑर्डिनेन्स के उपबंधों के कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा निक्षेप के रूप में रखी जायेगी।

(३) विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों, परिनियमों, ऑर्डिनेन्सों या तद्धीन बनाये गये विनियमों का उल्लंघन करने के मामले में, सरकार को विन्यास निधि का अंशतः या संपूर्ण भाग विहित रीत्या समपहृत करने की शक्तियाँ होगी।

(४) विन्यास निधि से आय, विश्वविद्यालय की मुलभूत सुविधा के विकास के लिए उपयोग में लाया जाएगा किंतु, विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

(५) विन्यास निधि की राशि, विनिहित रखी जाएगी, जब तक विश्वविद्यालय का विघटन नहीं होता है तब तक, सरकार द्वारा प्राप्त या प्रत्याभूत दीर्घकालिक सुरक्षा के रूप में शर्त के अध्यधीन यह निधि सरकार की अनुमति के बिना, नहीं निकाली जाएगी।

(६) दीर्घकालिक सुरक्षा के प्रमाणपत्र, सरकार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएँगे; तथा सरकार को, उप-धारा (३) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए, जमा राशि भुनाने का अधिकार होगा।

९. विश्वविद्यालय, साधारण निधि के नाम से एक निधि स्थापित करेगा, जिसमें निम्न जमा किया जाएगा, अर्थात् :- साधारण निधि ।

(एक) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभारों ;

(दो) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अंशदान ;

(तीन) विश्वविद्यालय द्वारा परामर्श से तथा हाथ में लिए गए, अन्य कार्य से प्राप्त कोई आय ;

(चार) वसीयतों, दान, विन्यासों, तथा कोई अन्य अनुदान ; तथा

(पाँच) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सभी अन्य राशियाँ।

१०. (१) सामान्य निधि का उपयोग, विश्वविद्यालय के कामकाज के संबंध में सभी व्यय जिसमें आवर्ती या अनावर्ती व्यय पूरा करने के लिए किया जायेगा : सामान्य निधि का उपयोग ।

परन्तु, प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा नियत किया जा सके ऐसा उस वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिये सीमाओं के अधिक में व्यय प्रबंधमंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के बिना, विश्वविद्यालय द्वारा उपगत नहीं किया जायेगा ।

११. विश्वविद्यालय के निम्न अधिकारी होंगे, अर्थात् :- विश्वविद्यालय के अधिकारी ।

(एक) अध्यक्ष जो कुलाधिपति भी होगा ;

(दो) कुलपति ;

(तीन) संकायाध्यक्ष ;

(चार) रजिस्ट्रार ;

(पाँच) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी ;

(छह) परीक्षा नियंत्रक ; और

(सात) विश्वविद्यालय सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में घोषित किया जाए ।

१२. (१) अध्यक्ष, नियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसी रीत्या सरकार के अनुमोदन से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रायोजित निकाय द्वारा नियुक्त किया जायेगा । अध्यक्ष ।

(२) अध्यक्ष के पद के लिए पात्रता मापदण्ड जैसा कि राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(३) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा ।

(४) अध्यक्ष, शासी निकाय की बैठकों और उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान करने के लिए होनेवाले विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(५) अध्यक्ष को, निम्न शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय के कामकाज से संबंधित विश्वविद्यालय किसी अधिकारी या प्राधिकारी से कोई जानकारी या अभिलेख मांगना ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति करना ;

(ग) धारा १४ की, उप-धारा (७) के उपबंधों के अनुसरण में, कुलपति को हटाना ;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

अध्यक्ष को हटाना । **१३.** अध्यक्ष को, प्रायोजक निकाय द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पदधारी,—

(क) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, उसे इस प्रकार घोषित ठहराया गया है; या

(ख) नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है; या

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है; या

(घ) शारीरिक रूप से अनुपयुक्त है और दीर्घकालिन बीमारी या शारीरिक विकलांगता के कारण कार्य या पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ है ; या

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में जानबूझकर छोड देता है या अस्वीकार करता है और सेवा संविदा के किन्ही निबन्धनों और शर्तों का या परिनियमों द्वारा अधिकथित किन्ही अन्य शर्तों का उल्लंघन करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या अध्यक्ष को पद पर बनाए रखने से विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है :

परन्तु, अध्यक्ष को, उक्त पद से हटाने के लिए, खंड (घ) और (ङ) के अधीन कार्यवाही का सहारा लेने के पूर्व प्रायोजक निकाय द्वारा कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा ।

कुलपति । **१४.** (१) कुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विरचित नियमों या विनियोमों के अनुसार गठित खोजबीन-नि-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसे पात्रता मानदण्ड़ पूरी करनेवाले तथा ऐसे निबंधन तथा शर्तों पर, तीन व्यक्तियों के एक पॅनल से, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उप-धारा (७) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु, तीन वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, कुलपति, अगली तीन वर्षों की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु आगे यह कि, कुलपति, अपने पद के अवसान के बाद भी, नवीन कुलपति के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा, तथापि, किसी मामले में, यह अवधि, एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(२) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और अकादमिक अधिकारी होगा और उसकी विश्वविद्यालय के कामकाज पर संपूर्ण अधीक्षण की शक्तियाँ होगी और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों को निष्पादित करेगा।

(३) कुलपति, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(४) यदि कुलपति की राय में, ऐसे किसी मामले में जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन किसी अन्य प्राधिकरणों को शक्तियाँ प्रदान की गई है, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक है तो, वह ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात्, शीघ्रतम अवसर पर अपनी कार्यवाही रिपोर्ट ऐसे अधिकारी या प्राधिकरणों को देगा जो सामान्यतया उस मामले का निपटान करता है :

परन्तु, यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में ऐसी कार्यवाही कुलपति द्वारा नहीं करनी चाहिए थी तब ऐसे मामले में अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसपर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(५) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरणों का निर्णय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, ऑर्डिनेन्स, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन करता है या विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो वह अपने निर्णय का पुनरीक्षण करने के लिए संबंधित

प्राधिकरण से अनुरोध करेगा और प्राधिकरण, निर्णय का पूर्णतः या अंशतः पुनरीक्षण करने के लिए इनकार करता है या पंद्रह दिनों के भीतर कोई निर्णय लेने में असफल रहता है तब ऐसा मामला, अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा और जिसपर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(६) कुलपति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(७) यदि किसी समय प्राप्त अभ्यावेदन पर या से अन्यथा और ऐसी जाँच करने के बाद, जैसा आवश्यक समझा जाए, स्थिति इस प्रकार समर्थित करे और यदि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो अध्यक्ष, शासी निकाय के अनुमोदन से, उसके लिए कारण दर्शाते हुए लिखित आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे दिनांक से उस पद को त्यागने के लिए कुलपति को कहेगा :

परन्तु, इस उप-धारा के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व कुलपति को सुनवाई करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

१५. (१) संकायाध्यक्ष, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा। संकायाध्यक्ष ।

(२) संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के अकादमिक और अन्य कार्यकलापों के प्रबंध में कुलपति को सहायता करेगा और विनियमों द्वारा विहित की जाए या अध्यक्ष और कुलपति द्वारा सोंपे जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

१६. (१) रजिस्ट्रार, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा। रजिस्ट्रार ।

(२) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के निर्णय के अध्यधीन वह करार करने, संविदा करने, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी । वह परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

(३) रजिस्ट्रार, शासी निकाय, प्रबंध मंडल बोर्ड और अकादमिक परिषद का सदस्य सचिव होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(४) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जैसा शासी निकाय उसके प्रभार में सुपुर्द करें।

(५) रजिस्ट्रार, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विहित किया जाए या परिनियमों द्वारा उसे प्रदान किया जाए या कुलपति द्वारा समय-समय से उसे समनुदेशित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का अनुपालन करेगा।

१७. (१) परीक्षा नियंत्रक, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक ।

(२) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय की परीक्षा और परीक्षण के संचालन और उनके परिणामों की घोषणा करनेवाला प्रभारी प्रधान अधिकारी होगा। वह कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और मार्गदर्शन के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(३) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्ण समय वैतनिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कुलपति के निदेशन और नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा। उसकी नियुक्ति, तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी और वह तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा । परीक्षा नियंत्रक के चयन के प्रयोजन के लिए अर्हता और अनुभव जैसा कि विहित किया जाए ऐसा होगा।

(४) परीक्षा नियंत्रक,—

(क) परीक्षाओं के कलैंडर तैयार करना और अग्रिम में घोषित करना ;

(ख) प्रश्नपत्रों के मुद्रण के लिए व्यवस्था करना ;

(ग) परीक्षाओं और अन्य परीक्षणों के परिणामों की समय पर प्रकाशन की व्यवस्था करना ;

(घ) परीक्षा संबंधित उम्मीदवारों, पेपर सेटर्स, परीक्षकों, अनुसीमकों या किसी अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध और परीक्षाओं के संबंध में कदाचार का दोषी पाये जाने पर जहाँ आवश्यक हो अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा ;

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर, पुनर्विलोकन करेगा और अकादमिक परिषद को उसपर रिपोर्ट अग्रेषित करेगा ;

(च) परीक्षाओं का नियंत्रक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसा कि विहित किया जाए या उसे समनुदेशित किया जाए।

मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी ।

१८. (१) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, विश्वविद्यालय का प्रधान वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा अधिकारी होगा।

(२) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(३) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

अन्य अधिकारी ।

१९. (१) विश्वविद्यालय, उसके कर्तव्यों के लिए आवश्यक समझे जाये ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।

(२) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, ऐसे अधिकारियों के सेवा के निबंधन और शर्तें, उनकी शक्तियाँ और कृत्य परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाए ऐसे होंगे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण ।

२०. विश्वविद्यालय के निम्न, प्राधिकरण होंगे, अर्थात्

(क) शासी निकाय ;

(ख) प्रबंध मंडल बोर्ड ;

(ग) अकादमिक परिषद ;

(घ) परीक्षा बोर्ड ; और

(ङ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में परिनियमों द्वारा घोषित किया जाए ऐसे अन्य प्राधिकरण।

शासी निकाय ।

२१. (१) विश्वविद्यालय का शासी निकाय, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) अध्यक्ष ;

(ख) कुलपति ;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये पाँच व्यक्ति, जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद् होंगे ;

(घ) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के बाहर से प्रबंधमंडल या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ होगा ;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये दो व्यक्ति ;

(च) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले उद्योगों के दो प्रतिनिधि; और

(छ) विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार, शासी निकाय का स्थायी आमंत्रित होगा किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(२) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा।

(३) शासी निकाय को, निम्न शक्तियाँ होगी, अर्थात् :–

(क) इस अधिनियम या परिनियमों, आर्डिनेन्स, तद्धीन बनाए गए विनियमों या नियमों द्वारा यथा उपबंधित ऐसी सभी शक्तियों के उपयोग द्वारा, विश्वविद्यालय के कार्यो का सामान्य अधीक्षण और निदेशन और नियंत्रण का उपबंध करना ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, आर्डिनेन्स, विनियमों या नियमों की पुष्टि नहीं हैं के मामले में, विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के निर्णयों का पुनर्विलोकन करना ;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना ;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनायी जानेवाली नीतियाँ अधिकथित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिनिर्धारण के बारे में सभी प्रयासों के बावजूद जब विश्वविद्यालय के सुचारू कार्यान्वयन करने की उद्भूत स्थिति शेष संभव नहीं होती हैं तब प्रायोजक निकाय को सिफारिशें करना ; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) शासी निकाय की, कलैन्डर वर्ष में कम से कम तीन बैठकें होंगी।

(५) शासी निकाय के बैठकों की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी ।।

२२. (१) प्रबंधमंडल बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :— प्रबंधमंडल बोर्ड ।

(क) कुलपति ;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट शासी निकाय के दो सदस्य ;

(ग) कुलपति द्वारा, चक्रानुक्रम द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले विश्वविद्यालय के दो संकायाध्यक्ष ;

(घ) तीन व्यक्ति, प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट जो शासी निकाय के सदस्य नहीं है; और

(ङ) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट अध्यापकों में से तीन व्यक्तियाँ।

(२) कुलपति, प्रबंधमंडल बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(३) प्रबंधमंडल बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य, ऐसे होंगे जिसे परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) प्रबंधमंडल बोर्ड, प्रत्येक दो महीनें में कम से कम एक बार बैठक लेगा।

(५) प्रबंधमंडल बोर्ड के बैठक की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी।

२३. (१) अकादमिक परिषद, कुलपति और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। अकादमिक परिषद ।

(२) कुलपति, अकादमिक परिषद का **पदेन** अध्यक्ष होगा।

(३) अकादमिक परिषद, विश्वविद्यालय की प्रधान अकादमिक निकाय होगी, और इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और ऑर्डिनेन्स के अध्यधीन विश्वविद्यालय के अकादमिक नीतियों का समन्वयन और सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(४) अकादमिक परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति, ऐसी होगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

२४. (१) परीक्षा बोर्ड, परीक्षाओं के संचालन और परीक्षाओं का आयोजन और परीक्षा लेने के बारे में नीति संबंधी निर्णय लेने, परीक्षा पद्धति में सुधार लाने, पेपर-सेटरों, परीक्षकों, अनुसीमकों की नियुक्ति के लिए और परीक्षाओं और परिणामों की घोषणा करने के दिनांकों की अनुसूची भी तैयार करनेवाला विश्वविद्यालय का प्रधान प्राधिकरण होगा । परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी केंद्र में परीक्षाओं के संचालन का निरीक्षण और विनियमन भी करेगा। परीक्षा बोर्ड ।

स्पष्टीकरण.– इस धारा और धारा ३८ के प्रयोजनों के लिए, ''परीक्षाओं की अनुसूची'' की अभिव्यक्ति का तात्पर्य, प्रत्येक पेपर का समय, दिन और दिनांक के प्रारम्भण के बारे में दी गई ब्योरेवार तालिका से है, जो परीक्षा प्रणाली का हिस्सा है और जिनमें प्रात्यक्षिक परीक्षा के बारे में भी ब्यौरे सम्मिलित होंगे।

(२) परीक्षा बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति .. अध्यक्ष ;

(ख) प्रत्येक विषय के प्राध्यापक .. सदस्य ;

(ग) परीक्षा बोर्ड द्वारा सहयोजित एक मूल्यांकन विशेषज्ञ .. सदस्य ;

(घ) परीक्षा नियंत्रक .. सदस्य-सचिव।

(३) परीक्षा बोर्ड की शक्तियाँ, और कृत्य ऐसे होंगे, जैसा कि परिनियमों द्वारा अधिकथित किया जाए।

अन्य प्राधिकरण ।

२५. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएँ।

निरर्हता ।

२६. कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किन्ही प्राधिकरणों या निकायों का सदस्य होने से निरर्ह होगा, यदि वह,—

(एक) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, इस प्रकार घोषित किया गया है; या

(दो) नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है; या

(तीन) निजी कोचिंग वर्गों को स्वयं चलाता है या जुड़ा हुआ है; या

(चार) कहीं भी, किसी भी रूप में किसी परीक्षा के संचालन में अनुचित व्यवहार करने में जुड़े होने या बढ़ावा देने के लिए दंडित किया गया है।

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय की रिक्तियों संबंधी कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होगी ।

२७. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के कार्य या कार्यवाहियाँ केवल किसी रिक्ति के या उसके गठन में त्रुटि के कारण द्वारा अविधिमान्य नहीं होगी।

अस्थायी रिक्तियों को भरना।

२८. किसी मामले में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में सदस्य की मृत्यु, इस्तीफा या हटाये जाने के कारण कोई अस्थायी रिक्ति पायी जाती है तो, जिस सदस्य का पद रिक्त हुआ है उस सदस्य के स्थान में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या नामनिर्देशित करके यथासंभव शीघ्र ऐसी रिक्ति भरी जायेगी ; और अस्थायी रिक्ति भरने के लिये इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किये गये व्यक्ति या निकाय को जिस सदस्य के स्थान में इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्देशित किया गया है ऐसे सदस्य की शेष पदावधि के लिए वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होगा।

समितियाँ ।

२९. (१) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारी ऐसे संदर्भों के निबंधनों के साथ ऐसी समितियों द्वारा किये जानेवाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए जैसा आवश्यक समझें समितियाँ गठित करेंगे।

(२) ऐसी समितियों का गठन, ऐसा होगा जिसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

प्रथम परिनियम ।

३०. (१) विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम, शासी निकाय द्वारा बनाये जायेंगे और उसके अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे ।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कराएगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों के गठन, शक्तियाँ और कृत्य समय-समय पर गठित किये जायेंगे ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों तथा उसकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ग) संकायाध्यक्ष, रजिस्ट्रार तथा मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(घ) कर्मचारियों के नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ङ) कर्मचारियों, छात्रों तथा विश्वविद्यालय के बीच विवादों के मामले में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया ;

(च) सम्मानिक उपाधियों को प्रदान करना ;

(छ) छात्रों को अध्यापन फीस अदायगी से छूट देने तथा उन्हें छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति प्रदान करने के संबंध में उपबंध ;

(ज) आरक्षित सीटों के विनियमन समेत विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेशों की नीति, सीटों की संख्या के संबंध में उपबंध ; और

(झ) छात्रों से प्रभारित किए जानेवाली फीस के संबंध में उपबंध।

(३) सरकार, शासी निकाय द्वारा प्रस्तुत प्रथम परिनियम का विचार करेगी और यदि कोई हो, ऐसे उपांतरणों के साथ जैसा वह आवश्यक समझे, उसकी प्राप्ति के दिनांक से चार महिने के भीतर, उस पर उसका अनुमोदन देगी।

(४) सरकार, **राजपत्र** में अपने अनुमोदन द्वारा प्रथम परिनियम प्रकाशित करेगी, और उसके बाद, ऐसे प्रकाशन के दिनांक से प्रथम परिनियम प्रवृत्त होगा।

३१. (१) इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्वर्ती परिनियम, निम्न सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध करेंगें, अर्थात् :— पश्चात्वर्ती परिनियम ।

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन करना ;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया ;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करना ;

(घ) नए विभागों का निर्माण और विद्यमान विभाग को बंद करना या पुनःसंरचना करना ;

(ङ) पदकों तथा पुरस्कारों को शुरू करना ;

(च) पदों का सृजन और पदों के समापन की प्रक्रिया करना ;

(छ) फीस का पुनरीक्षण ;

(ज) विभिन्न पाठ्यविवरण में सीटों की संख्या का परिवर्तन; और

(झ) परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो सभी अन्य मामले है।

(२) विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रथम परिनियम से अन्य शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध मंडल बोर्ड द्वारा बनाया जायेंगे ।

(३) प्रबंधमंडल बोर्ड, समय-समय से नये या अतिरिक्त परिनियम बनाएगा या इस धारा में उपबंधित जिसे इसमें आगे ऐसी रीत्या बनाए गए परिनियमों में संशोधन या निरसन करेगा :

परंतु, प्रबंधमंडल बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण के किसी प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियमों या परिनियम में किसी संशोधन नहीं बनाएगा जब तक ऐसा प्राधिकरण प्रस्ताव पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं देता है और इस प्रकार कोई राय लिखित में अभिव्यक्त नहीं करता है तब तक होगा तथा उसका शासी निकाय द्वारा विचार किया जाएगा।

(४) प्रत्येक ऐसे परिनियम या परिनियम में परिवर्धन या किसी संशोधन या परिनियम के निरसन, सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे :

परंतु, अकादमिक परिषद से परामर्श के बिना, छात्रों के अनुशासन और अध्यापन, शिक्षा तथा परीक्षा के मानक पर प्रभाव ड़ालने वाले कोई परिनियम, प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा नहीं बनाए जाएंगे।

३२. (१) विश्वविद्यालय के प्रथम ऑर्डिनेन्स, शासी निकाय और उसके अनुमोदन के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रथम ऑर्डिनेन्स ।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए जैसे उसे उचित समझे शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध मंडल बोर्ड ऐसे प्रथम ऑर्डिनेन्सेस बनाएगा और ऐसे ऑर्डिनेन्सेस निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए मुहैया कराएगा, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश तथा उनके ऐसे नामांकन ;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम ;

(ग) उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों तथा अन्य अकादमिक विशिष्टताओं को प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएँ वही होंगी तथा मंजूर करने और प्राप्त करने से संबंधित वही अर्थ होगा ;

(घ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, पदक और पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए शर्तें;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों के पदों की शर्तों और नियुक्तियों की रीति तथा कर्तव्यों समेत परीक्षाओं का संचालन ;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यचर्याओं, परीक्षाओं, उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए प्रभारित की जानेवाली फीस ;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रावास में छात्रों के आवास की शर्तें ;

(ज) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई करने संबंधी उपबंध ;

(झ) विश्वविद्यालय के अकादमिक जीवन में सुधार करने के लिए किसी अन्य निकाय के सृजन, संरचना और कृत्य जो कि आवश्यक माने गए हैं;

(ञ) उच्च शिक्षा के अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं से सहकारिता और सहयोग की रीति ; और

(ट) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए परिनियमों के अधीन जो अन्य सभी मामलें ऑर्डिनेन्सों द्वारा मुहैया करना अपेक्षित है।

(३) सरकार, उप-धारा (१) के अधीन कुलपति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रथम ऑर्डिनेन्सों का विचार करेगी और ऐसे उपांतरण के साथ यदि कोई आवश्यक समझे तो, उसकी प्राप्ति के दिनांक से चार महीनों के भीतर अनुमोदन देगी।

पश्चात्वर्ती ऑर्डिनेन्स।

३३. (१) अकादमिक परिषद द्वारा बनाए गए प्रथम ऑर्डिनेन्स से अन्य सभी ऑर्डिनेन्स प्रबंध मंडल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद उसके अनुमोदन के लिए शासी निकाय को प्रस्तुत किए जाएँगे।

(२) अकादमिक परिषद, या तो प्रबंधमंडल बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करके ऑर्डिनेन्सेस उपांतरित करेगी या सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी, यदि कोई हो, ऐसे कारणों के साथ ऑर्डिनेन्सेस लौटाएगी। प्रबंधमंडल बोर्ड और शासी निकाय अकादमिक परिषद के सुझावों का विचार करेंगी और विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्सेस ऐसे उपांतरणों के साथ या के बिना अनुमोदित किए जायेंगे और तत्पश्चात्, शासी निकाय द्वारा अनुमोदित रूप में ऑर्डिनेन्सेस प्रवृत्त होगा।

विनियम।

३४. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंधमंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन, उसके स्वयं के कारोबार और उसके द्वारा नियुक्त समितियों को संचालित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों और नियमों, तद्धीन बनाए गए ऑर्डिनेन्स और परिनियमों से संगत विनियम बनाएँगे।

प्रवेश।

३५. (१) विश्वविद्यालय में प्रवेश, गुणागुण के आधार पर कड़ाई से किये जायेंगे।

(२) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए गुणागुण के आधार पर या प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त किए गए श्रेणी के आधार पर और पाठ्यक्रमेतर तथा पाठ्येतर गतिविधियों में प्राप्त उपलब्धि या राज्य स्तर पर संचालित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त गुण या श्रेणी के आधार पर या विश्वविद्यालय के सहयोजन द्वारा या राज्य के किसी एजेंसी द्वारा होंगे :

परंतु, वृत्तिक तथा तकनीकी पाठ्यचर्याओं में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के ज़रिए होंगे।

(३) अनुसूचित-जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, विशेष पिछडे प्रवर्गों, तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (इडब्लूएस) से संबंध रखनेवाले और विकलांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित रखी जाएँगी।

(४) महाराष्ट्र राज्य का अधिवास रखनेवाले छात्रों के लिए चालीस प्रतिशत सीटें अनुमोदित कुल ग्रहण क्षमता में से आरक्षित रखी जायेगी।

३६. (१) विश्वविद्यालय, समय-समय पर विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के लिए उनकी फीस संरचना तैयार करेगा और उसे सभी स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के लिए फीस संरचना का पूर्नविलोकन करने के लिए, समय-समय से, जारी सरकारी संकल्प द्वारा, राज्य सरकार द्वारा गठित फीस संरचना पुर्नविलोकन समिति के अनुमोदन के लिए उसे अग्रेषित कर सकेगा। फीस संरचना पुर्नविलोकन समिति।

सन् २०१५ का महा. २८। (२) महाराष्ट्र असहायताप्राप्त निजी वृत्तिक शैक्षिक संस्थाएँ (प्रवेश तथा फीस का विनियमन) अधिनियम, २०१५ की धारा १४ और १५ में उपबंधित फीस संरचना के निर्धारण के लिए फीस विनियमिति प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत की जानेवाली प्रक्रिया और घटक, विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए फीस संरचना प्रस्ताव का विचार करते समय फीस संरचना पुर्नविलोकन समिति द्वारा **यथावश्यक परिवर्तन समेत** अपनायी जायेगी।

(३) समिति, विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गयी फीस संरचना पर विचार करेगी, उसका पुर्नविलोकन करेगी और, चाहे प्रस्तावित फीस,—

(क) (एक) विश्वविद्यालय का आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए स्त्रोत निर्माण करने; और

(दो) विश्वविद्यालय के अधिकतर विकास के लिए आवश्यक व्यावृतियाँ के लिए पर्याप्त है; और

(ख) अनुचित ढ़ंग से अत्यधिक नहीं है, का विचार करने के पश्चात्, उसकी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(४) उप-धारा (३) के अधीन सिफारिशों की प्राप्ति के पश्चात्, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि, प्रस्तावित फीस संरचना पर्याप्त और युक्तीयुक्त है, तो वह फीस संरचना का अनुमोदन कर सकेगी। यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि, प्रस्तावित फीस संरचना पर्याप्त नहीं है और अनुचित है तो वह उसे अस्वीकृत कर सकेगी और उसके पुर्नविचार के लिए उसे समिति को वापस भेज देगी। सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना अगले पुर्नविलोकन तक शेष वैध रहेगी।

(५) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय में प्रवेशित पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों के लिए किसी फीस की प्रतिपुर्ति नहीं करेगी या कोई वित्तीय दायित्व नहीं लेगी।

(६) विश्वविद्यालय उप-धारा (४) के अधीन जिसके लिए वह हकदार है से अन्यथा चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए कोई फीस प्रभारित नहीं करेगी। ”।

३७. (१) कोई प्रतिव्यक्ति फीस, विश्वविद्यालय द्वारा या कि और से या कोई व्यक्तित जो ऐसी संस्था के प्रबंधन के लिए प्रभारी है या जिम्मेवार है, के द्वारा, किसी छात्र से या उसके प्रवेश के प्रतिफलेन और ऐसी संस्था में किसी अध्ययन के पाठ्यक्रम या उच्चतर कक्षा या वर्ग में उसकी प्रोन्नति के लिए, संग्रहीत नहीं की जाएगी। प्रतिव्यक्ति फीस का प्रतिषेध।

(२) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुऐ भी, प्रबंधनमंडल नगद या उसी प्रकार में विहित रीत्या विन्यास निधि, परोयकारी व्यक्तियों या संगठन या लोकन्यासों या किसी अन्य लोगों के संगठन से छात्रवृत्ति या पुरस्कार या जैसे प्रदान करने के लिए विन्यास निधि सृजन करने के लिए नए शिक्षण संस्थाओं को खोलने के लिए सद्‌भाव में दान संग्रह या प्राप्त करेगी लेकिन, ऐसे दान संग्रहित या स्वीकारते समय प्रबंधनमंडल ऐसे दान के विचार में उसके द्वारा चलित किसी शैक्षणिक संस्था में कोई सीटें आरक्षित नहीं रखेगी।

जहाँ ऐसे संदान की स्वीकृति के विचार में ऐसी संस्था में किसी छात्र के प्रवेश के लिए कोई जगह आरक्षित है तो दान के ऐसे प्रतिग्रहण, प्रतिव्यक्ति फीस, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान (प्रतिव्यक्ति फ़ीस का प्रतिषेध) अधिनियम, १९८७ की धारा २ के खण्ड (क) के अर्थान्तर्गत समझे जाएँगे। सन् १९८८ का महा ६।

परीक्षाओं की समय-सारणी।

३८. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के शुरुआत में और किसी मामले में, प्रत्येक कलैंडर वर्ष के ३० जून से पहले विश्वविद्यालय उसके द्वारा संचालित हर और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए सत्रवार या, यथास्थिति, वार्षिक परीक्षाओं की समय-सारणी तैयार तथा प्रकाशित करेगी और ऐसे समय-सारणी का कड़ाई से पालन होगा :

परंतु, यदि चाहे जिस किसी भी कारण के लिए, विश्वविद्यालय यह समय-सारणी अनुसरण करने में असमर्थ है तो वह यथासंभव शीघ्र सरकार को प्रकाशित समय-सारणी से प्रस्थान तैयार करने के लिए विस्तृत कारणों को देने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार, उस पर भविष्य में अनुपालन के लिए जैसा कि उचित समझे, ऐसे निदेश जारी करेगी।

परिणामों की घोषणा।

३९. (१) विश्वविद्यालय, विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए उसके द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा परीक्षा की अंतिम दिनांक से लेकर तीस दिनों के भीतर करने का प्रयास करेगी और किसी मामले में नवीनतम परिणाम ऐसे दिनांक से पैंतालीस दिनों के भीतर घोषित करेगा :

परंतु यदि, जो कोई भी कारण हो, विश्वविद्यालय किसी भी परीक्षा के परिणाम पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर, अंतिमतः घोषित करने में असमर्थ है, वह सरकार को ऐसे विलंब के विस्तृत कारणों में समाविष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सरकार, उस पर, भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए, जैसा कि वह उचित समझे ऐसे निर्देश जारी करेगा।

(२) कोई परीक्षा या परीक्षा के परिणाम, विश्वविद्यालय ने धारा ३८ में अनुबद्ध परीक्षा की अनुसूची का अनुसरण नहीं किया है या उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, विश्वविद्यालय परिणाम घोषित करने में असफल हुआ है सिर्फ इसी कारण के लिए अविधि मान्य नहीं होगी।

दीक्षांत समारोह।

४०. उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ प्रदान करने के लिए या किसी अन्य प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह परिनियमों द्वारा विहित रीत्या में, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में किया जाएगा।

विश्वविद्यालय का प्रत्यायन।

४१. विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद **(नॅक)**, बैंगलोर से उसके संस्थित होने से तीन वर्ष के भीतर, प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा तथा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद (नॅक) द्वारा उपबंधित श्रेणी के बारे में सरकार तथा अन्य ऐसी विनियमित निकायों को जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित है, को जानकारी देगा। विश्वविद्यालय, तत्पश्चात्, ऐसे प्रत्यायन प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर नवीकृत कर सकती है।

विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि का अनुसरण करेगा।

४२. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि के पालन के लिये और ऐसे निकायों को उनके द्वारा उनके कर्तव्यों का निर्वहन तथा उनके कार्यों को कार्यान्विन करने के लिए आवश्यक है, ऐसी सभी सुविधाओं और सहायता मुहैया करने के लिये बाध्यकारी होगी।

वार्षिक रिपोर्ट।

४३. (१) विश्वविद्यालय का वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंधनमंडल बोर्ड तैयार करेगा, जिसमें अन्य मामलों विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों को पूरा करने हेतु उठाए गए कदमों का समावेश होगा तथा शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा उसकी प्रति प्रायोजक निकाय को भेजी जाएगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ, सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी।

(३) राज्य सरकार, ऐसी रिपोर्ट राज्य विधान मंडल के हर एक सदन के समक्ष रखेगी।

वार्षिक लेखा और लेखा संपरीक्षा।

४४. (१) प्रबंधनमंडल बोर्ड के निर्देशों के अधीन तुलनपत्र समेत विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा तैयार किए जाएँगे और इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार लेखापरीक्षा की जाएगी।

(२) लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखा की प्रति, शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(३) वार्षिक लेखाओं तथा शासी निकाय के संप्रेक्षणों के साथ जोड़ी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(४) उप-धारा (१) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखाओं और तुलनपत्र की प्रतियाँ सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी।

(५) सरकार की सलाह, यदि कोई हो, विश्वविद्यालय के लेखा और लेखापरीक्षा की रिपोर्ट से उद्‌भूत होती है तो, शासी निकाय के सामने रखी जाएगी और शासी निकाय, जैसा उचित समझे ऐसे निदेश जारी करेगी और उसके अनुपालन के लिए सरकार को प्रस्तुत करेगी।

विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की सरकार की शक्तियाँ।

४५. (१) विश्वविद्यालय से संबंधित अध्यापन, परीक्षा और संशोधन या किसी अन्य मामले की श्रेणियाँ अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, सरकार, कुलपति से परामर्श के बाद, जैसा वह उचित समझे ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीती में मामला निर्धारण करेगी।

(२) सरकार, सुधारक कार्यवाही के लिए ऐसे निर्धारण के परिणामस्वरूप, संबंध में उसकी सिफारिशें विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय सिफारिशों के अनुपालन की सुनिश्चिति के लिए आवश्यकता के रूप में ऐसे सुधारक उपाय करेगी।

(३) यदि विश्वविद्यालय, उचित समय के भीतर, उप-धारा (२) के अधीन की गई सिफारिशों का अनुपालन करने में असफल रहती है तो सरकार, जैसा वह उचित समझे ऐसे निर्देश देगी जो विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन।

४६. (१) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को अग्रिम रूप में कम से कम एक वर्ष की इस प्रभाव की सूचना सरकार को देकर, विश्वविद्यालय विघटित करेगी :

परंतु, विश्वविद्यालय का विघटन, केवल उसके नियमित पाठ्यक्रम पूरे करनेवाले छात्रों की अंतिम बॅच का होगा और उन्हें उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कारों से पुरस्कृत किये जाने पर ही प्रभावी होगा।

(२) विश्वविद्यालय के विघटन पर, विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व, प्रायोजक निकाय में निहित होंगे :

परंतु, विश्वविद्यालय उसकी स्थापना से पंद्रह वर्ष पूरे होने के पूर्व प्रायोजक निकाय द्वारा विघटन किये जाने के मामले में विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ, सभी ऋणभारों से मुक्त होकर सरकार में निहित होंगी।

कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियाँ।

४७. (१) यदि, सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्ही निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या धारा ५ के अधीन दिये गये किन्हीं उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत होता है या विश्वविद्यालय में वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन की स्थिति उद्‌भूत होती है तो वह अपेक्षित विश्वविद्यालय को पैंतालिस दिनों के भीतर कारण बताओ नोटीस जारी करेगा कि क्यों न उसके समापन का आदेश बनाया जाये।

(२) यदि, सरकार का, उप-धारा (१) के अधीन जारी की गई सूचना पर विश्वविद्यालय के जबाब की प्राप्ति पर, समाधान हो जाता है कि **प्रथमदृष्ट्या** इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या धारा ५ के अधीन दिये गये किन्ही उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत हुआ है या वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन हुआ है तो वह आवश्यक समझे ऐसी जाँच के आदेश बना सकेगी।

(३) सरकार, उप-धारा (२) के अधीन किसी जाँच के प्रयोजन के लिए, किन्हीं भी अभिकथनों में जाँच करने के लिए किसी जाँच अधिकारी या अधिकारियों को नियत करेगी और उसपर रिपोर्ट बनायेगी।

सन् १९०८ का ५।

(४) उप-धारा (३) के अधीन नियत किये गये जाँच अधिकारी या अधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल न्यायालय में जो शक्तियाँ निहित होती है वह निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद का विचारण करते समय होगी, अर्थात् :–

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिए, समन जारी करना और प्रवृत्त करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) साक्ष्य में प्रतिपादित किये गये अपेक्षित किसी ऐसे दस्तावेज या किसी अन्य सामग्री की खोज या निर्माण करना ;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की अपेक्षा करना; और

(घ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाये।

(५) जाँच अधिकारी या अधिकारियों की इस अधिनियम के अधीन जाँच, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १९५ और अध्याय २६ के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जायेगा। सन् १९७४ का २।

(६) उप-धारा (३) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी या अधिकारियों से जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के सभी या किन्ही उपबंधों या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, या ऑर्डिनेन्स का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्ही निर्देशों का उल्लंघन किया है, धारा ५ के अधीन उसके द्वारा किये गये उपक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये परिविरत है या विश्वविद्यालय के अकादमिक मानकों के आशंकाओं से वित्तीय अव्यवस्था या कु-प्रशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में उद्‌भूत हुई है तो विश्वविद्यालय के समापन के तथा किसी प्रशासक की नियुक्ति लिए के लिए प्रारंभिक आदेश जारी किये जायेंगे।

(७) उप-धारा (६) के अधीन नियुक्त किये गये प्रशासक को इस अधिनियम के अधीन शासी निकाय और प्रबंधन बोर्ड के सभी शक्तियाँ होंगी और सभी कर्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कामकाज का प्रबंधन तब तक करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच उनके पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करती हैं और उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है।

(८) नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच के लिये उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान करने के पश्चात्, प्रशासक, सरकार को इस प्रभाव की रिपोर्ट करेगा।

(९) उप-धारा (८) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय के विघटन के अंतिम आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से विश्वविद्यालय विघटित होगा और विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व ऐसे दिनांक से प्रायोजक निकाय में निहित होगी।

सचिव स्तरीय समिति।

४८. (१) इस अधिनियम के प्रारंभण के तुरंत पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर विरचित स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांतो की आवश्यकताओं के अनुपालन के सत्यापन और सुनिश्चित करने के क्रम में, सचिव स्तरीय समिति स्थापित की जायेगी और प्रायोजक निकाय को परिवचन प्रस्तुत करेगी। समिति, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और नियोजन विभाग के सचिवों से मिलकर बनेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन गठित समिति, उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(३) उप-धारा (२) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के परिचालन को अनुमति देते हुये **राजपत्र** में, अधिसूचना प्रकाशित करेगी।

(४) विश्वविद्यालय, उप-धारा (३) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के पश्चात् ही केवल छात्रों को प्रवेश देगा।

सचिव स्तर समिति द्वारा निरीक्षण।

४९. धारा ४८ की उप-धारा (१) के अधीन स्थापित सचिव स्तर समिति, जब-जब सरकार द्वारा निर्देशित किया गया हो, विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर सकेगी और स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा, समय समय पर जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतो की आवश्यकताओं के अनुपालन और तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधियों के उपबंधों के अनुपालन की जाँच और सुनिश्चित किया जा सकेगा।

५०. इस अधिनियम के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन, यह अपराध होगा और धारा ११ के अधीन विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के साथ-साथ विश्वविद्यालय के अधिकारी तीन महीने से अनधिक परंतु एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकनेवाले अवधि के लिए कारावास और पचास हजार रुपयों से अनधिक परंतु जो पाँच लाख रुपयों तक बढाए जा सकनेवाले जुर्माने से दण्डित होंगे : दंड।

परंतु, इस धारा में की कोई बात इस अधिनियम के उपबंधों के अननुपालन के लिए विश्वविद्यालय के परिसमापन की प्रक्रिया समेत, कोई कार्यवाही चाहे वह सिविल या दाण्डिक हो प्रारंभ करने से सरकार को नहीं रोकेगी।

५१. (१) जहाँ कंपनी द्वारा, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गये नियमों के अधीन अपराध किया जाता है तब अपराध किये जाने के समय, कंपनी के कार्य संचालन साथ ही साथ कंपनी के प्रभारी या के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति अपराध के लिए दोषी समझा जायेगा तथा उसके विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए, दायी होगा और तद्नुसार दण्डित किया जायेगा : कंपनीयों द्वारा अपराध।

परंतु, इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी व्यक्ति को किसी दण्ड के लिए दायी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित करता है कि, अपराध उसकी जानकारी के बगैर किया गया था या ऐसा अपराध न हो इसलिए उसने सम्यक् तत्परता बरती थी।

(२) उप-धारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन, कंपनी द्वारा अपराध किया जाता है और यह साबित होता है की अपराध, कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से हुआ है या की और से किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है तब ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी या उस अपराध के लिए दोषी होगा तथा उसके विरुद्ध भी अभियोजन के लिए, वह दायी होगा और उसे तद्नुसार दण्डित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण. - इस धारा के प्रयोजनार्थ, -

(क) "कंपनी " का तात्पर्य निगमित निकाय से है तथा इसमें न्यास, फर्म, समाज, संस्था या व्यक्तियों का अन्य संघ भी शामिल है; और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य.-

(एक) फर्म का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है ;

(दो) समाज, न्यास, संस्था या व्यक्तियों का अन्य संघ, या व्यक्तियों का निकाय का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो समाज, न्यास, संस्था या अन्य संघ, या, यथास्थिति, निकाय के कार्य के प्रबंधन के साथ समाज, न्यास, संस्था या अन्य संघ या निकाय के नियमों या उप-विधियों के अधीन हित रखता है ऐसे व्यक्ति से है।

५२. (१) सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(२) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्न समस्त या किन्ही मामलों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा १२ की, उप-धारा (१) के अधीन अध्यक्ष के नियुक्ति का रीति ;

(ख) धारा १२ की, उप-धारा (२) के अधीन अध्यक्ष के पद के लिये पात्रता निकष ;

(ग) धारा ४५ की, उप-धारा (१) के अधीन विश्वविद्यालय के अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान के मानक सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए किसी निर्धारण करने की रीति ;

(घ) धारा ४७ की, उप-धारा (४) के खंड (घ) के अधीन विहित किये जानेवाले मामले ;

(ङ) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा विहित करना आवश्यक है या किया जा सके।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा जो कि चाहे वह एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि, उस सत्र में जिसमें उसे रखा गया है, उसके ठीक बाद के सत्र या सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाए तो नियम, अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से, केवल ऐसे परिवर्तित रुप में हों प्रभावी होगा, या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलिकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात या विलुप्ति की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति ।

५३. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों :

परंतु, ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. V OF 2023.

THE PIMPRI CHINCHWAD UNIVERSITY, PUNE, ACT, 2022.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ४ जनवरी, २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
प्रभारी सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. V OF 2023.

AN ACT TO PROVIDE FOR ESTABLISHMENT, INCORPORATION AND REGULATION OF THE PIMPRI CHINCHWAD UNIVERSITY, PUNE, FOR THE DEVELOPMENT AND ADVANCEMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE STATE OF MAHARASHTRA AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५ सन् २०२३।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ६ जनवरी, २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए पिंपरी चिंचवड विश्वविद्यालय, पुणे की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए उपबंध करने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए पिंपरी चिंचवड विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए उपबंध करने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम पिंपरी चिंचवड विश्वविद्यालय, पूणे अधिनियम, २०२२ कहलाए।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) " अनुबद्ध प्राध्यापक ", " अनुबद्ध सहयुक्त प्राध्यापक " या "अनुबद्ध सहायक प्राध्यापक " का तात्पर्य, कोई व्यक्ति उद्योग, व्यापार, कृषि, वाणिज्य, सामाजिक, सांस्कृतिक, अकादमिक या किसी अन्य सहबद्ध क्षेत्र से है, जो विश्वविद्यालय के सहयोगी या सहयुक्त की अवधि के दौरान इस प्रकार पदाभिहित किया है, से है ;

(ख) " प्राधिकरण " का तात्पर्य, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन यथा विनिर्दिष्ट किये गये विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों से है ;

(ग) " प्रबंध मंडल बोर्ड " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा २२ के अधीन गठित किये गये प्रबंध मंडल बोर्ड से है ;

(घ) " परिसर " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र जिसके अधीन वह स्थापित किया गया है ;

(ङ) " उत्कर्षता केंद्र " का तात्पर्य, छात्रों, सेवांतर्गत कर्मचारियों, कार्यरत व्यावसायिकों की सुसंगत कौशल के सभी प्रकार मुहैय्या करने के लिये, उद्योग से सहयोग में स्थापित अद्यावत प्रशिक्षण या अनुसंधान केंद्र या उद्योग या समाज के लाभ के लिये और संयुक्त परियोजना हाथ लेने के लिये स्थापित से है;

(च) " दूरस्थ और ऑनलाईन शिक्षा " का तात्पर्य, संसूचना के किन्ही दो या अधिक साधनों के समुच्चय द्वारा, जैसे, प्रसारण, दूरदर्शन प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम तथा किन्हीं अन्य ऐसी प्रणाली विज्ञान द्वारा प्रदान की गई शिक्षा से है ;

(छ) " कर्मचारी " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी शामिल होंगे ;

(ज) " फीस " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थांओं या, यथास्थिति, अध्ययन केंद्रों, द्वारा किया गया धनीय संग्रहण, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, छात्रों से किया गया से है, जो प्रत्यर्पणीय नहीं है ;

(झ) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(ञ) " शासी निकाय " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा २१ के अधीन गठित किये गये शासी निकाय से है ;

(ट) " उच्चतर शिक्षा " का तात्पर्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के स्तर पर अध्ययन से परे ज्ञान का अनुसरण करने से है ;

(ठ) " छात्रावास " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आवास का स्थान, या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये गये या मान्यताप्राप्त ऐसी उसकी संस्थाएँ तथा अध्ययन केंद्रों से है ;

(ड) " अधिसूचना " का तात्पर्य, **राजपत्र** में प्रकाशित की गई अधिसूचना से है ;

(ढ) " **राजपत्र** " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार के **राजपत्र** से है ;

(ण) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम द्वारा बनाये गए या के अधीन परिनियमों या आर्डिनेन्सों, विनियमों या, यथास्थिति, नियमों द्वारा विहित किये गये से है ;

(त) " अध्यक्ष " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष से है जो विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी होगा ;

(थ) " विनियमित निकाय " का तात्पर्य, उच्चतर शिक्षा के अकादमिक मानक सुनिश्चित करने के लिए मानक और शर्ते अधिकथित करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निकाय से है, जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद, भारतीय कृषक अनुसंधान परिषद, दूरस्थ शिक्षा परिषद, भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद, आदि और इसमें सरकार भी सम्मिलित है ;

(द) " नियम " का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से है ;

(ध) " धारा " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा से है ;

सन् १९५० का २९ । (न) इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय के संबंध में " प्रायोजक निकाय " का तात्पर्य, महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम के अधीन रजिष्ट्रीकृत लोक न्यास के अधीन संस्था के रूप में रजिस्ट्रीकृत पिंपरी चिंचवड शिक्षा न्यास, पूणे सेक्टर क्रमांक २६, प्राधिकरण, निगडी, पूणे ४११ ०४४ में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय होगा।

(प) " राज्य " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य से है ;

(फ) " परिनियम ", " आर्डिनन्सो " तथा " विनियमों " का तात्पर्य, क्रमशः इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के परिनियमों, आर्डिनन्सों तथा विनियमों से है ;

(ब) " छात्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय में नामांकन किए गए व्यक्ति से है, जिसने विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशेषताओं के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो, इसमें अनुसंधान उपाधि भी सम्मिलित होगी ;

(भ) " अध्ययन केन्द्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा सलाह, परामर्श के प्रयोजन के लिये या दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में छात्रों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य किसी सहायता देने के लिये स्थापित और पोषित या मान्यताप्राप्त केन्द्र से है ;

(म) " अध्यापक " का तात्पर्य, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक या सहयुक्त प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति जिससे विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रदान करना या अनुसंधान में मार्गदर्शन करना या पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को किसी भी प्ररूप में मार्गदर्शन देना अपेक्षित है ;

(य) " विश्वविद्यालय " का तात्पर्य, पिंपरी चिंचवड विश्वविद्यालय, पुणे से है।

३. (१) पिंपरी चिंचवड विश्वविद्यालय, पुणे के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। निगमन।

(२) अध्यक्ष, कुलपति, शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद और अन्य समस्त व्यक्ति जो इसके बाद ऐसे अधिकारी बनेंगे या ऐसे पद पर रहेंगे या सदस्यत्व निरंतर धारण करेंगे, वे सभी, एतद्द्वारा, " जे एस पी एम विश्वविद्यालय, पुणे " के नाम द्वारा निगमित निकाय गठित और घोषित होंगे " ।

(३) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम द्वारा वाद चलाएगी और उस पर वाद चलाया जाएगा।

(४) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम के अधीन स्थापित किये गये असहबद्ध विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा और यह किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को उसमें प्रवेशित छात्रों को उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सहबद्ध नहीं होगा।

(५) विश्वविद्यालय और उसका मुख्यालय पिंपरी चिंचवड विश्वविद्यालय, गट क्रमांक ४४, ४६,४८,४९ और ५०, राज्य तहसील मावल, जिला पुणे, महाराष्ट्र ४१२ २०७ में स्थित होगा ।

४. विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्न अनुसार होंगे,– विश्वविद्यालय का उद्देश्य।

(क) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में अध्ययन, अध्यापन, क्षमता, सामर्थ्य तथा कुशलता विकास और अनुसंधान और विकास जिसमें मुक्त कला मानविकी सामाजिक विज्ञानों, जीव विज्ञानों तथा जैवप्रौद्योगिकी, नॅनो-विज्ञानों और प्रौद्योगिकी, वृत्तिक शाखाओं, जैसे कि इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, कारोबार तथा वाणिज्य, अनुप्रयुक्त तथा रचनात्मक कलाएँ, व्यावसायिक शिक्षा, मिडिया, सूचना एवं संसूचना, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा और उनकी आंतर-शाखीय पाठ्यक्रम और सन्निर्माण, परिसम्पत्ति, आधारभूत संरचना और परियोजना (सीआरआयपी) पर बल देने के साथ विकास का भी समावेश है, के उपबंध करना ;

(ख) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में कला, क्रीड़ा, संस्कृति, फिल्म, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, समुद्री अनुसंधान अनुदेश, अध्यापन तथा प्रशिक्षण का उपबंध करना तथा अनुसंधान के लिए उपबंध करना ;

(ग) ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक (दिमाग, दिल और हाथ) क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(घ) बौद्धिक क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(ङ) विकास के नए मार्गों के अविष्कार तथा सामाजिक पुनर्निर्माण तथा परिवर्तन के लिए सर्जनात्मकता, नविनता और उद्योग उपक्रम को बढावा देने के लिए नए शैक्षिक कार्यक्रमों की निर्मिति तथा अभिनियोजित करना ;

(च) शिक्षा तथा विकास के लिए अद्यतन सुविधाएँ संस्थित करना ;

(छ) अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यान्वित करना तथा निरंतर गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तावित करना ;

(ज) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और सामाजिक-आर्थिक विकास में अनुसंधान और विकास के लिए तथा ज्ञान बाँटने और उसके उपयोजन के लिए उत्कर्ष केंद्रों की निर्मिति करना ;

(झ) २१ वी सदी में व्यक्ति तथा समाज के लिये अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, मूल्यांकन, विकास, संगठन और सामाजिक-आर्थिक सम्पत्ति की निर्मिति करने के शासन और प्रबंधन करने के लिए आधुनिक और आधुनिकोत्तर प्रक्रियाएँ, यंत्र-क्रिया तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना ;

(ञ) उद्योग तथा सार्वजनिक संगठन तथा समाज को वृत्तिक तथा विकासात्मक सेवाओं का उपबंध कराना ;

(ट) नव अभिनव दृष्टिकोण के साथ नए तथा प्रकट क्षेत्रो में उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम, पाठ्यक्रम शुरू करना ;

(ठ) भारत और विदेश में के अन्य उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थाओं के साथ संबंध, सहयोग तथा भागीदारी संस्थित करना ;

(ड) परीक्षाएँ या अन्य किसी मूल्यांकन पद्धतियों के आधार पर उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताएँ गठित करना ;

(ढ) सर्जनात्मक तथा उद्यमीता के विकास और परिष्कार के लिए अकादमिक संरचनाएँ, अध्ययन पद्धतियों का ढाँचा, और कामकाज तथा निरंतन मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सीवनहीनता की निर्मिति के लिए नवअभिनव दृष्टिकोण को संस्थित करना ;

(ण) सरकार द्वारा सुझाए गए कोई अन्य उद्देश्य जारी रखना ;

(त) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किए गए उपाधि, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताओं का स्तर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद अधिनियम, १९९३ के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ के अधीन गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या आयुर्विज्ञान अधिनियम, १९४८ के अधिन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ के अधीन गठित भारतीय बार परिषद, या, यथास्थिति, किसी अन्य कानूनी निकाय द्वारा अधिकथित से कम नहीं है, सुनिश्चित करना।

सन् १९९३ का ७३। सन् १९५६ का ३। सन् १९४८ का ८। सन् १९६१ का २५।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य।

५. विश्वविद्यालय की, निम्न शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :—

(एक) ऑनलाईन शिक्षा पद्धति समेत परम्परागत साथ ही साथ नवअभिनव परिवर्तन पद्धतियों, के माध्यम से दिए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान संबंधी, उपबंध करना तथा सभी उपायों (जिसमें पाठ्यक्रम को अपनाना तथा अद्यतन करना सम्मिलित है) को अपनाना ;

(दो) उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ प्रमाणपत्र, बक्षिस, श्रेणियाँ, श्रेयांक तथा अकादमिक विशेषताओं को संस्थित और प्रदान करना ;

(तीन) परीक्षाएँ संचालित करना तथा लेना ;

(चार) अन्य मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों, बोर्डों या परिषदों की उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्रों के समतुल्य तथा समरूप उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों के लिए उपबंध करना ;

(पाँच) परिसरों की स्थापना के लिए सभी आवश्यक उपाय करना ;

(छह) केंद्रीय पुस्तकालय, विभागीय पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा सहबद्ध विषयों की स्थापना करना ;

(सात) मानद उपाधियाँ, जैसा कि विहित किया गया है, को संस्थित करना और प्रदान करना ;

(आठ) विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार फेलोशिप, छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति संस्थित तथा अधिनिर्णित करना ;

(नौ) समाज के शैक्षणिक रूप से पिछड़े स्तर में, शैक्षणिक सुविधाओं को प्रचारित करने के लिए विशेष उपाय करना ;

(दस) क्रीड़ा तथा अन्य पाठ्येतर क्रियाकलापों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन करना ;

(ग्यारह) तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उसमें नियुक्तियाँ करना ;

(बारह) पारस्पारिक प्रतिग्राह्य शर्तों और निबंधनों पर अनुसंधान परियोजनाओं को हाथ में लेना ;

(तेरह) परामर्शी सेवाओं को देना ;

(चौदह) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियमों, आर्डिनन्सों, नियमों तथा विनियमों को विरचित करना ;

(पंद्रह) विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र तथा कर्मचारी के व्यक्तित्व विकास के लिए पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन करना ;

(सोलह) राज्य सरकार, भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेशों के अनुसार, देश के भीतर या बाहर अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले में पारस्पारिक के आधार पर दोहरी उपाधियाँ, डिप्लोमाओं या प्रमाणपत्रों का उपबंध करना ;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों में विभिन्न शाखाओं में एकात्मिक पाठ्यक्रमों के लिए ऐसे उपबंधों की निर्मिति करना ;

(अठारह) राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार केवल राज्य के भीतर महाविद्यालयों, संस्थाओं और परिसर मुक्त केंद्रों को स्थापित करना ;

(उन्नीस) दान, बक्षिस और अनुदान, प्राप्त करना तथा किसी सम्पत्ति को जंगम या स्थावर, जिसमें राज्य के भीतर या बाहर के न्यास या विन्यास सम्पत्ति सम्मिलित है, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों के लिए अर्जित, धारण, प्रबंध तथा निपटान करना तथा निधि निवेशित करना ;

(बीस) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, समय-समय पर फीस संरचना विहित करना ;

(इक्कीस) ऐसे फीसों तथा अन्य प्रभार जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया गया हों, के भुगतान की माँग तथा प्राप्त करना ;

(बाईस) पारस्परिक ग्राह्य शर्तों और निबंधनों पर अन्य संस्थाओं से सहयोग लेना ;

(तेईस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विनियमित निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मचारियों का वेतन, पारिश्रमिक, मानदेय का अवधारण करना ;

(चौबीस) अतिरिक्त बाह्य अध्यापन तथा विस्तार सेवाओं का आयोजन करना और उपक्रमित करना ;

(पच्चीस) हॉल तथा छात्रावासों को स्थापित तथा पोषित करना ;

(छब्बीस) विश्वविद्यालय द्वारा रखरखाव न किये गये, हॉल और छात्रावासों और अन्य वास-सुविधाओं को छात्रों के आवास के लिए मान्यता देना, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और किसी ऐसी मान्यता वापस लेना ;

(सत्ताईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित तथा प्रवर्तित कराना और जैसा वह आवश्यक समझे ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना ;

(अठ्ठाईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा साधारण कल्याण को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था करना ;

(उनतीस) समय-समय से विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर सहमत किया जाए ऐसे प्रयोजनों के लिये उस विश्वविद्यालय के उसी प्रकार के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों को बढ़ावा देने की दृष्टि से, ऐसे प्रयोजनों के लिए, देश के भीतर के या बाहर के अन्य किसी विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगठन या किसी सार्वजनिक या निजी निकाय को सहयोग करना ;

(तीस) विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये अनुसंधान तथा अन्य कार्य, जिसमें पाठ्य-पुस्तकें सम्मिलित है, के मुद्रण, पुनर्मुद्रण तथा प्रकाशन के लिए उपबंध करना ;

(इकतीस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय में मानकों की स्थापना तथा रखरखाव) विनियमों, २००३ या अन्य किन्ही विनियमों के उपबंधों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किये गए निर्देशनों का समय-समय से अनुपालन तथा अनुसरण करना ;

(बत्तीस) राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी किये गए निदेशों का, विश्वविद्यालय की उपर्युक्त शक्तियाँ, कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के संदर्भ में, अनुपालन करना तथा कार्यान्वित करना ;

(तैंतिस) ऐसे सभी कृत्य करना जिसे विश्वविद्यालय के सभी या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आनुषंगिक या सहायक हो ;

विश्वविद्यालय सब के लिए खुला रहेगा।

६. (१) भारत का कोई भी नागरिक, सिर्फ लिंग, धर्म, पन्थ, वर्ग, जाति, जन्मस्थान, धार्मिक मान्यता या व्यवसाय या राजनीतिक या अन्य मत के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी पद या उसके किसी प्राधिकरणों, निकायों या समितियों के सदस्यत्व या किसी पद पर की नियुक्ति, या किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अन्य अकादमिक विशेष योग्यता या अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अपवर्जित नहीं किया जाएगा।

(२) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभागों, और संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के प्रयोजनार्थ, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, निरधिसूचित जनजातियों (विमुक्त जातियों), खानाबदोष जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े प्रवर्गों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछडे नागरिकों के वर्गों (एसइबीसी) और आर्थिक कमजोर वर्गों (इडब्लूएस) के आरक्षण के संबंध में सरकारी नीति तथा समय-समय पर जारी आदेशों को अंगीकृत करेगा।

(३) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित, समाज के गरीब वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के विभिन्न संवर्गों के कल्याण के संदर्भ में, राज्य सरकार की साधारण नीति को अंगीकृत करेगा।

विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित होगा।

७. विश्वविद्यालय, स्ववित्तपोषित होगा तथा सरकार से कोई अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता पाने का हकदार नहीं होगा।

विन्यास निधि।

८. (१) प्रायोजित निकाय, " विश्वविद्यालय के लिए, विन्यास निधि " नामक एक स्थायी कानूनी निधि स्थापित करेगी, जिसमें कम से कम दस करोड़ रुपये समाविष्ट होंगे जिसे **स्व-प्रेरणा** से बढ़ाया जा सकेगा, परन्तु कम नहीं किया जायेगा।

(२) विन्यास निधि, इस अधिनियम या नियमों, विनियमों, परिनियमों या तद्धीन बनाये गये ऑर्डिनेन्स के उपबंधों के कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा निक्षेप के रूप में रखी जायेगी।

(३) सरकार को, इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों, परिनियमों, ऑर्डिनेन्सों या तद्धीन बनाये गये विनियमों का उल्लंघन विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय के मामले में, विन्यास निधि का अंशतः या संपूर्ण भाग विहित रीत्या समपहृत करने की शक्तियाँ होगी।

(४) विन्यास निधि से आय, विश्वविद्यालय की मुलभूत सुविधा के विकास के लिए उपयोग में लाया जाएगा किंतु, विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

(५) विन्यास निधि की राशि, विनिहित रखी जाएगी, जब तक विश्वविद्यालय का विघटन नहीं होता है तब तक, सरकार द्वारा प्राप्त या प्रत्याभूत दीर्घकालिक सुरक्षा के रूप में शर्त के अध्यधीन यह निधि सरकार की अनुमति के बिना, नहीं निकाली जाएगी।

(६) दीर्घकालिक सुरक्षा के प्रमाणपत्र, सरकार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएँगे ; तथा सरकार को, उप-धारा (३) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए, जमा राशि भुनाने का अधिकार होगा।

९. विश्वविद्यालय, साधारण निधि के नाम से एक निधि स्थापित करेगा, जिसमें निम्न, जमा किया जाएगा, अर्थात् :— साधारण निधि।

(एक) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभारों ;

(दो) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अंशदान ;

(तीन) विश्वविद्यालय द्वारा परामर्श से तथा हाथ में लिए गए, अन्य कार्य से प्राप्त कोई आय ;

(चार) वसीयतों, दान, विन्यासों, तथा कोई अन्य अनुदान, तथा ;

(पाँच) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सभी अन्य राशियाँ।

१०. (१) सामान्य निधि का उपयोग, विश्वविद्यालय के कामकाज के संबंध में सभी व्यय जिसमें आवर्ती या अनावर्ती व्यय पूरा करने के लिए किया जायेगा : सामान्य निधि का उपयोग।

परन्तु, इस वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिये सीमाओं के अधिक में व्यय विश्वविद्यालय द्वारा उपगत नहीं किया जायेगा, जिसे प्रबंधमंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के बिना, प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा नियत किया जा सकेगा।

११. विश्वविद्यालय के, निम्न अधिकारी होंगे, अर्थात् :— विश्वविद्यालय के अधिकारी।

(एक) अध्यक्ष जो कुलाधिपति भी होगा ;

(दो) कुलपति ;

(तीन) संकायाध्यक्ष ;

(चार) रजिस्ट्रार ;

(पाँच) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी ;

(छह) परीक्षा नियंत्रक ; और

(सात) विश्वविद्यालय सेवा में ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में घोषित किया जाए।

१२. (१) अध्यक्ष, नियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसी रीत्या सरकार के अनुमोदन से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रायोजित निकाय द्वारा नियुक्त किया जायेगा। अध्यक्ष।

(२) अध्यक्ष के पद के लिए पात्रता मापदण्ड जैसा कि, राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(३) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा।

(४) अध्यक्ष, शासी निकाय की बैठकों और उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान करने के लिए होनेवाले विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(५) अध्यक्ष को, निम्न शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के कामकाज से संबंधित विश्वविद्यालय किसी अधिकारी या प्राधिकारी से कोई जानकारी या अभिलेख मांगना ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति करना ;

(ग) धारा १४ की, उप-धारा (७) के उपबंधों के अनुसरण में, कुलपति को हटाना;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

अध्यक्ष को हटाना। **१३.** अध्यक्ष को, प्रायोजक निकाय द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पदधारी,—

(क) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, उसे इस प्रकार घोषित ठहराया गया है ; या

(ख) नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है ; या

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(घ) शारीरिक रूप से अनुपयुक्त है और दीर्घकालिन बीमारी या शारीरिक विकलांगता के कारण कार्य या पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ है ; या

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में जानबूझकर छोड देता है या अस्वीकार करता है और सेवा संविदा के किन्ही निबन्धनों और शर्तों का या परिनियमों द्वारा अधिकथित किन्ही अन्य शर्तों का उल्लंघन करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या अध्यक्ष को पद पर बनाए रखने से विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है :

परन्तु, अध्यक्ष को, उक्त पद से हटाने के लिए, खंड (घ) और (ङ) के अधीन कार्यवाही का सहारा लेने के पूर्व प्रायोजक निकाय द्वारा कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

कुलपति। **१४.** (१) कुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विरचित नियमों के अनुसार गठित खोजबीन-नि-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसे पात्रता मानदण्ड़ पूरी करनेवालि तथा ऐसे निबंधन तथा शर्तों के पर, तीन व्यक्तियों के एक पॅनल से, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उप-धारा (७) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु, तीन वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, कुलपति, अगली तीन वर्षों की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु आगे यह कि, कुलपति, अपने पद के अवसान के बाद भी, नवीन कुलपति के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा, तथापि, किसी मामले में, यह अवधि, एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(२) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और अकादमिक अधिकारी होगा और उसकी विश्वविद्यालय के कामकाज पर संपूर्ण अधीक्षण की शक्तियाँ होगी और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों को निष्पादित करेगा।

(३) कुलपति, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(४) यदि, कुलपति की राय में, ऐसे किसी मामले में जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन किसी अन्य प्राधिकरणों को शक्तियाँ प्रदान की गई है, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक है तो, वह ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात्, शीघ्रतम अवसर पर अपनी कार्यवाही रिपोर्ट ऐसे अधिकारी या प्राधिकरणों को देगा जो सामान्यतया उस मामले का निपटान करता है :

परन्तु, यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में ऐसी कार्यवाही कुलपति द्वारा नहीं की गई थी तब ऐसे मामले में अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसपर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(५) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरणों का निर्णय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, ऑर्डिनेन्स, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन करता है या विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो वह अपने निर्णय का पुनरीक्षण करने के लिए संबंधित

प्राधिकरण से अनुरोध करेगा और प्राधिकरण, निर्णय का पूर्णतः या अंशतः पुनरीक्षण करने के लिए इनकार करता है या पंद्रह दिनों के भीतर कोई निर्णय लेने में असफल रहता है तब ऐसा मामला, अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा और जिसपर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(६) कुलपति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(७) यदि किसी समय प्राप्त अभ्यावेदन पर या से अन्यथा और ऐसी जाँच करने के बाद, जैसा आवश्यक समझा जाए, स्थिति इस प्रकार समर्थित करे और यदि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो अध्यक्ष, शासी निकाय के अनुमोदन से, उसके लिए कारण दर्शाते हुए लिखित आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे दिनांक से उस पद को त्यागने के लिए कुलपति को कहेगा :

परन्तु, इस उप-धारा के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व, कुलपति को सुनवाई करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

१५. (१) संकायाध्यक्ष, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा। संकायाध्यक्ष।

(२) संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के अकादमिक और अन्य कार्यकलापों के प्रबंध में कुलपति को सहायता करेगा और विनियमों द्वारा विहित की जाए या अध्यक्ष और कुलपति द्वारा सोंपे जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

१६. (१) रजिस्ट्रार, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा। रजिस्ट्रार।

(२) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के निर्णय के अध्यधीन वह करार करने, संविदा करने, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी, वह परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

(३) रजिस्ट्रार, शासी निकाय, प्रबंध मंडल बोर्ड और अकादमिक परिषद का सदस्य सचिव होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(४) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जैसा शासी निकाय उसके प्रभार में सुपुर्द करें।

(५) रजिस्ट्रार, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विहित किया जाए या परिनियमों द्वारा उसे प्रदान किया जाए या कुलपति द्वारा समय-समय से उसे समनुदेशित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का अनुपालन करेगा।

१७. (१) परीक्षा नियंत्रक, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक।

(२) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय की परीक्षा और परीक्षण के संचालन और उनके परिणामों की घोषणा करनेवाला प्रभारी प्रधान अधिकारी होगा। वह कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और मार्गदर्शन के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(३) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्ण समय वैतनिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कुलपति के निदेशन और नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा। उसकी नियुक्ति, तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी और वह तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। परीक्षा नियंत्रक के चयन के प्रयोजन के लिए अर्हता और अनुभव जैसा कि विहित किया जाए ऐसा होगा।

(४) परीक्षा नियंत्रक,—

(क) परीक्षाओं के कलेंडर तैयार करना और अग्रिम में घोषित करना ;

(ख) प्रश्नपत्रों के मुद्रण के लिए व्यवस्था करना ;

(ग) परीक्षाओं और अन्य परीक्षणों के परिणामों की समय पर प्रकाशन की व्यवस्था करना ;

(घ) परीक्षा संबंधित उम्मीदवारों, पेपर-सेटर्स, परीक्षकों, अनुसीमकों या किसी अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध और परीक्षाओं के संबंध में कदाचार का दोषी पाये जाने पर जहाँ आवश्यक हो अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा ;

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर, पुनर्विलोकन करेगा और अकादमिक परिषद को उसपर रिपोर्ट अग्रेषित करेगा ;

(च) परीक्षाओं का नियंत्रक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसा कि विहित किया जाए या उसे समनुदेशित किया जाए।

मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी।

१८. (१) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, विश्वविद्यालय का प्रधान वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा अधिकारी होगा।

(२) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(३) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

अन्य अधिकारी।

१९. (१) विश्वविद्यालय, उसके कर्तव्यों के लिए आवश्यक समझे जाये ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।

(२) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, ऐसे अधिकारियों के सेवा के निबंधन और शर्तें, उनकी शक्तियाँ और कृत्य परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाए ऐसे होंगे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।

२०. विश्वविद्यालय के निम्न, प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :—

(क) शासी निकाय ;

(ख) प्रबंध मंडल बोर्ड ;

(ग) अकादमिक परिषद ;

(घ) परीक्षा बोर्ड ; और

(ङ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में परिनियमों द्वारा घोषित किया जाए ऐसे अन्य प्राधिकरण।

शासी निकाय।

२१. (१) विश्वविद्यालय का शासी निकाय, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष ;

(ख) कुलपति ;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये पाँच व्यक्ति, जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद् होंगे ;

(घ) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के बाहर से प्रबंधमंडल या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ होगा ;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये दो व्यक्ति ;

(च) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले उद्योगों के दो प्रतिनिधि ; और

(छ) विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार, शासी निकाय का स्थायी आमंत्रिति होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(२) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा।

(३) शासी निकाय को, निम्न शक्तियाँ होगी, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम या परिनियमों, आर्डिनेन्स, तद्धीन बनाए गए विनियमों या नियमों द्वारा यथा उपबंधित ऐसी सभी शक्तियों के उपयोग द्वारा, विश्वविद्यालय के कार्यो का सामान्य अधीक्षण और निदेशन और नियंत्रण का उपबंध करना ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, आर्डिनेन्स, विनियमों या नियमों की पुष्टि नहीं हैं के मामले में, विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के निर्णयों का पुनर्विलोकन करना ;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना ;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनायी जानेवाली नीतियाँ अधिकथित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिनिर्धारण के बारे में सभी प्रयासों के बावजूद जब विश्वविद्यालय के सुचारू कार्यान्वयन करने की उद्भूत स्थिति शेष संभव नहीं होती हैं तब प्रायोजक निकाय को सिफारिशें करना ; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) शासी निकाय की, कलैन्डर वर्ष में कम से कम तीन बैठकें होंगी।

(५) शासी निकाय के बैठकों की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी।

२२. (१) प्रबंधमंडल बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :— प्रबंधमंडल बोर्ड।

(क) कुलपति ;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट शासी निकाय के दो सदस्य ;

(ग) कुलपति द्वारा, चक्रानुक्रम द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले विश्वविद्यालय के दो संकायाध्यक्ष ;

(घ) तीन व्यक्ति, प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट जो शासी निकाय के सदस्य नहीं है ; और

(ङ) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट अध्यापकों में से तीन व्यक्तियाँ।

(२) कुलपति, प्रबंधमंडल बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(३) प्रबंधमंडल बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य, ऐसे होंगे जिसे परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) प्रबंधमंडल बोर्ड, प्रत्येक दो महीनें में कम से कम एक बार बैठक लेगा।

(५) प्रबंधमंडल बोर्ड के बैठक की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी।

२३. (१) अकादमिक परिषद, कुलपति और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। अकादमिक परिषद।

(२) कुलपति, अकादमिक परिषद का **पदेन** अध्यक्ष होगा।

(३) अकादमिक परिषद, विश्वविद्यालय की प्रधान अकादमिक निकाय होगी, और इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और ऑर्डिनेन्स के अध्यधीन विश्वविद्यालय के अकादमिक नीतियों का समन्वयन और सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(४) अकादमिक परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति, ऐसी होगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

२४. (१) परीक्षा बोर्ड, परीक्षाओं के संचालन और परीक्षाओं का आयोजन और परीक्षा लेने के बारे में नीति संबंधी निर्णय लेने, परीक्षा पद्धति में सुधार लाने, पेपर-सेटरों, परीक्षकों, अनुसीमकों की नियुक्ति के लिए और परीक्षाओं और परिणामों की घोषणा करने के दिनांकों की अनुसूची भी तैयार करनेवाला विश्वविद्यालय का प्रधान प्राधिकरण होगा । परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी केंद्र में परीक्षाओं के संचालन का निरीक्षण और विनियमन भी करेगा । परीक्षा बोर्ड।

स्पष्टीकरण.—इस धारा और धारा ३८ के प्रयोजनों के लिए, "परीक्षाओं की अनुसूची" की अभिव्यक्ति का तात्पर्य, प्रत्येक पेपर का समय, दिन और दिनांक के प्रारभ्मण के बारे में दी गई ब्योरेवार तालिका से है, जो परीक्षा प्रणाली का हिस्सा है और जिनमें प्रात्यक्षिक परीक्षा के बारे में भी ब्यौरे सम्मिलित होंगे।

(२) परीक्षा बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति . . अध्यक्ष ;

(ख) प्रत्येक विषय के प्राध्यापक . . सदस्य ;

(ग) परीक्षा बोर्ड द्वारा सहयोजित एक मूल्यांकन विशेषज्ञ . . सदस्य ;

(घ) परीक्षा नियंत्रक . . सदस्य-सचिव।

(३) परीक्षा बोर्ड की शक्तियाँ, और कृत्य ऐसे होंगे, जैसा कि परिनियमों द्वारा अधिकथित किया जाए।

अन्य प्राधिकरण। **२५.** विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएँ।

निरर्हता। **२६.** कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किन्ही प्राधिकरणों या निकायों का सदस्य होने से निरर्ह होगा, यदि वह,—

(एक) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(दो) नैतिक अधमता से अर्न्तग्रस्त किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है ; या

(तीन) निजी कोचिंग वर्गों को स्वयं चलाता है या जुड़ा हुआ है ; या

(चार) कहीं भी, किसी भी रूप में किसी परीक्षा के संचालन में अनुचित व्यवहार करने में जुड़े होने या बढ़ावा देने के लिए दंडित किया गया है।

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय की रिक्तियों संबंधी कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होगी। **२७.** विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के कार्य या कार्यवाहियाँ केवल किसी रिक्ति के या उसके गठन में त्रुटि के कारण द्वारा अविधिमान्य नहीं होगी।

अस्थायी रिक्तियों को भरना। **२८.** किसी मामले में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में सदस्य की मृत्यु, इस्तीफा या हटाये जाने के कारण कोई अस्थायी रिक्ति पायी जाती है तो, जिस सदस्य का पद रिक्त हुआ है उस सदस्य के स्थान में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या नामनिर्देशित करके यथासंभव शीघ्र ऐसी रिक्ति भरी जायेगी ; और अस्थायी रिक्ति भरने के लिये इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किये गये व्यक्ति या निकाय को जिस सदस्य के स्थान में इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्देशित किया गया है ऐसे सदस्य की शेष पदावधि के लिए वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होगा ।

समितियाँ। **२९.** (१) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारी ऐसे संदर्भों के निबंधनों के साथ ऐसी समितियों द्वारा किये जानेवाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए जैसा आवश्यक समझें समितियाँ गठित करेंगे।

(२) ऐसी समितियों का गठन, ऐसा होगा जिसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

प्रथम परिनियम। **३०.** (१) विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम, शासी निकाय द्वारा बनाये जायेंगे और उसके अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत कियें जायेंगे।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कराएगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों के गठन, शक्तियाँ और कृत्य समय-समय पर गठित किये जायेंगे ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों तथा उसकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ग) संकायाध्यक्ष, रजिस्ट्रार तथा मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(घ) कर्मचारियों के नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ङ) कर्मचारियों, छात्रों तथा विश्वविद्यालय के बीच विवादों के मामले में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया ;

(च) सम्मानिक उपाधियों को प्रदान करना ;

(छ) छात्रों को अध्यापन फीस अदायगी से छूट देने तथा उन्हें छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति प्रदान करने के संबंध में उपबंध ;

(ज) आरक्षित सीटों के विनियमन समेत विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेशों की नीति, सीटों की संख्या के संबंध में उपबंध ; और

(झ) छात्रों से प्रभारित किए जानेवाली फीस के संबंध में उपबंध।

(३) सरकार, शासी निकाय द्वारा प्रस्तुत प्रथम परिनियम का विचार करेगी और यदि कोई हो, ऐसे उपांतरणों के साथ जैसा वह आवश्यक समझे, उसकी प्राप्ति के दिनांक से चार महिने के भीतर, उस पर उसका अनुमोदन देगी।

(४) सरकार, **राजपत्र** में अपने अनुमोदन द्वारा प्रथम परिनियम प्रकाशित करेगी, और उसके बाद, ऐसे प्रकाशन के दिनांक से प्रथम परिनियम प्रवृत्त होगा।

३१. (१) इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्‌वर्ती परिनियम, निम्न सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध करेंगें, अर्थात् :— पश्चात्‌वर्ती परिनियम।

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन करना ;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया ;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करना ;

(घ) नए विभागों का निर्माण और विद्यमान विभाग को बंद करना या पुनःसंरचना करना ;

(ङ) पदकों तथा पुरस्कारों को शुरू करना ;

(च) पदों का सृजन और पदों के समापन की प्रक्रिया करना ;

(छ) फीस का पुनरीक्षण ;

(ज) विभिन्न पाठ्यविवरण में सीटों की संख्या का परिवर्तन ; और

(झ) परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो सभी अन्य मामलें है।

(२) विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रथम परिनियम से अन्य शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध मंडल बोर्ड द्वारा बनाया जायेंगे।

(३) प्रबंधमंडल बोर्ड, समय-समय से नये या अतिरिक्त परिनियम बनाएगा या इस धारा में उपबंधित जिसे इसमें आगे ऐसी रीत्या बनाए गए परिनियमों में संशोधन या निरसन करेगा :

परंतु, प्रबंधमंडल बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण के किसी प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियमों या परिनियम में किसी संशोधन नहीं बनाएगा जब तक ऐसा प्राधिकरण प्रस्ताव पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं देता है और इस प्रकार कोई राय लिखित में अभिव्यक्त नहीं करता है तब तक होगा तथा उसका शासी निकाय द्वारा विचार किया जाएगा।

(४) प्रत्येक ऐसे परिनियम या परिनियम में परिवर्धन या किसी संशोधन या परिनियम के निरसन, सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे :

परंतु, अकादमिक परिषद से परामर्श के बिना, छात्रों के अनुशासन और अध्यापन, शिक्षा तथा परीक्षा के मानक पर प्रभाव ड़ालने वाले कोई परिनियम, प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा नहीं बनाए जाएंगे।

३२. (१) विश्वविद्यालय के प्रथम ऑर्डिनेन्स, शासी निकाय और उसके अनुमोदन के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रथम ऑर्डिनेन्स।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए जैसे उसे उचित समझे शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध मंडल बोर्ड ऐसे प्रथम ऑर्डिनेन्सेस बनाएगा और ऐसे ऑर्डिनेन्सेस निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए मुहैया कराएगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश तथा उनके ऐसे नामांकन ;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम ;

(ग) उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों तथा अन्य अकादमिक विशिष्टताओं को प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएँ वही होंगी तथा मंजूर करने और प्राप्त करने से संबंधित वही अर्थ होगा ;

(घ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, पदक और पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए शर्तें ;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों के पदों की शर्तों और नियुक्तियों की रीति तथा कर्तव्यों समेत परीक्षाओं का संचालन ;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यचर्याओं, परीक्षाओं, उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए प्रभारित की जानेवाली फीस ;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रावास में छात्रों के आवास की शर्तें ;

(ज) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई करने संबंधी उपबंध ;

(झ) विश्वविद्यालय के अकादमिक जीवन में सुधार करने के लिए किसी अन्य निकाय के सृजन, संरचना और कृत्य जो कि आवश्यक माने गए हैं ;

(ञ) उच्च शिक्षा के अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं से सहकारिता और सहयोग की रीति ; और

(ट) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए परिनियमों के अधीन जो अन्य सभी मामलें ऑर्डिनेन्सों द्वारा मुहैया करना अपेक्षित है।

(३) सरकार, उप-धारा (१) के अधीन कुलपति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रथम ऑर्डिनेन्सों का विचार करेगी और ऐसे उपांतरण के साथ यदि कोई आवश्यक समझे तो, उसकी प्राप्ति के दिनांक से, चार महीनों के भीतर अनुमोदन देगी।

पश्चात्वर्ती ऑर्डिनेन्स। **३३.** (१) अकादमिक परिषद द्वारा बनाए गए प्रथम ऑर्डिनेन्स से, अन्य सभी ऑर्डिनेन्स, प्रबंध मंडल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद उसके अनुमोदन के लिए शासी निकाय को प्रस्तुत किए जाएँगे।

(२) अकादमिक परिषद, या तो प्रबंधमंडल बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करके ऑर्डिनेन्सेस उपांतरित करेगी या सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी, यदि कोई हो, ऐसे कारणों के साथ ऑर्डिनेन्सेस लौटाएगी। प्रबंधमंडल बोर्ड और शासी निकाय अकादमिक परिषद के सुझावों का विचार करेंगे और विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्सेस ऐसे उपांतरणों के साथ या के बिना अनुमोदित किए जायेंगे और तत्पश्चात्, शासी निकाय द्वारा अनुमोदित रूप में ऑर्डिनेन्सेस प्रवृत्त होंगे।

विनियम। **३४.** विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंधमंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन, उसके स्वयं के कारोबार और उसके द्वारा नियुक्त समितियों को संचालित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों और नियमों, तद्धीन बनाए गए ऑर्डिनेन्स और परिनियमों से संगत विनियम बनाएँगे।

प्रवेश। **३५.** (१) विश्वविद्यालय में प्रवेश, गुणागुण के आधार पर कड़ाई से किये जायेंगे।

(२) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए गुणागुण के आधार पर या प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त किए गए श्रेणी के आधार पर और पाठ्यक्रमेतर तथा पाठ्येतर गतिविधियों में प्राप्त उपलब्धि या राज्य स्तर पर संचालित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त गुण या श्रेणी के आधार पर या विश्वविद्यालय के सहयोजन द्वारा या राज्य के किसी एजेंसी द्वारा होंगे :

परंतु, वृत्तिक तथा तकनीकी पाठ्यचर्याओं में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के ज़रिए होंगे।

(३) अनुसूचित-जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े प्रवर्गों, तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (इडब्लूएस) से संबंध रखनेवाले और विकलांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित रखी जाएँगी ।

(४) महाराष्ट्र राज्य का अधिवास रखनेवाले छात्रों के लिए चालीस प्रतिशत सीटें अनुमोदित कुल ग्रहण क्षमता में से आरक्षित रखीं जायेगी।

फीस संरचना पुनर्विलोकन समिति।

३६. (१) विश्वविद्यालय, समय-समय पर विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के लिए उनकी फीस संरचना तैयार करेगा और उसे सभी स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के लिए फीस संरचना का पूर्नविलोकन करने के लिए, समय-समय से, जारी सरकारी संकल्प द्वारा, राज्य सरकार द्वारा गठित फीस संरचना पुनर्विलोकन समिति के अनुमोदन के लिए उसे अग्रेषित कर सकेगा।

सन् २०१५ का महा. २८।

(२) महाराष्ट्र असहायताप्राप्त निजी वृत्तिक शैक्षिक संस्थाएँ (प्रवेश तथा फीस का विनियमन) अधिनियम, २०१५ की धारा १४ और १५ में उपबंधित फीस संरचना के निर्धारण के लिए फीस विनियमिति प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत की जानेवाली प्रक्रिया और घटक, विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए फीस संरचना प्रस्ताव का विचार करते समय फीस संरचना पुनर्विलोकन समिति द्वारा **यथावश्यक परिवर्तन समेत** अपनायी जायेगी।

(३) समिति, विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गयी फीस संरचना पर विचार करेगी, उसका पुनर्विलोकन करेगी और, चाहे प्रस्तावित फीस,—

(क) (एक) विश्वविद्यालय का आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए स्त्रोत निर्माण करने; और

(दो) विश्वविद्यालय के अधिकतर विकास के लिए आवश्यक व्यावृतियाँ के लिए पर्याप्त है; और

(ख) अनुचित ढ़ंग से अत्यधिक नहीं है, का विचार करने के पश्चात्, उसकी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

(४) उप-धारा (३) के अधीन सिफारिशों की प्राप्ति के पश्चात्, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि, प्रस्तावित फीस संरचना पर्याप्त और युक्तीयुक्त है, तो वह फीस संरचना का अनुमोदन कर सकेगी। यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि, प्रस्तावित फीस संरचना पर्याप्त नहीं है और अनुचित है तो वह उसे अस्वीकृत करेगी और उसके पुनर्विचार के लिए उसे समिति को वापस भेज देगी । सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना अगले पुनर्विलोकन तक शेष वैध रहेगी।

(५) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय में प्रवेशित पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों के लिए किसी फीस की प्रतिरूर्ति नहीं करेगी या कोई वित्तीय दायित्व नहीं लेगी।

(६) विश्वविद्यालय उप-धारा (४) के अधीन जिसके लिए वह हकदार है से अन्यथा चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए कोई फीस प्रभारित नहीं करेगी।"।

प्रतिव्यक्ति फीस का प्रतिषेध ।

३७. (१) कोई प्रतिव्यक्ति फीस, विश्वविद्यालय द्वारा या कि और से या कोई व्यक्ति जो ऐसी, संस्था के प्रबंधन के लिए प्रभारी है या जिम्मेवार है, के द्वारा, किसी छात्र से या उसके प्रवेश के प्रतिफलेन और ऐसी संस्था में किसी अध्ययन के पाठ्यक्रम या उच्चतर कक्षा या वर्ग में उसकी प्रोन्नति के लिए, संग्रहीत नहीं की जाएगी।

(२) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रबंधनमंडल नगद या उसी प्रकार में विहित रीत्या विन्यास निधि, परोपकारी व्यक्तियों या संगठन या लोकन्यासों या किसी अन्य लोगों के संगठन से छात्रवृत्ति या पुरस्कार या जैसे प्रदान करने के लिए विन्यास निधि सृजन करने के लिए नए शिक्षण संस्थाओं को खोलने के लिए सद्भाव में दान संग्रह या प्राप्त करेगी लेकिन, ऐसे दान संग्रहित या स्वीकारते समय प्रबंधनमंडल ऐसे दान के विचार में उसके द्वारा चलित किसी शैक्षणिक संस्था में कोई सीटें आरक्षित नहीं रखेगी।

जहाँ ऐसे संदान की स्वीकृति के विचार में ऐसी संस्था में किसी छात्र के प्रवेश के लिए कोई जगह आरक्षित है तो दान के ऐसे प्रतिग्रहण, प्रतिव्यक्ति फ़ीस, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान (प्रतिव्यक्ति फ़ीस का प्रतिषेध) अधिनियम, १९८७ की धारा २ के खण्ड (क) के अर्थान्तर्गत समझे जाएँगे। १९८८ का महा. ६।

परीक्षाओं की समय-सारणी।

३८. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के शुरुआत में और किसी मामले में, प्रत्येक कलेंडर वर्ष के ३० जून से पहले विश्वविद्यालय उसके द्वारा संचालित हर और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए सत्रवार या, यथास्थिति, वार्षिक परीक्षाओं की समय-सारणी तैयार तथा प्रकाशित करेगी और ऐसे समय-सारणी का कड़ाई से पालन होगा :

परंतु, यदि चाहे जिस किसी भी कारण के लिए, विश्वविद्यालय यह समय-सारणी अनुसरण करने में असमर्थ है तो वह यथासंभव शीघ्र सरकार को प्रकाशित समय-सारणी से प्रस्थान तैयार करने के लिए विस्तृत कारणों को देने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार, उस पर भविष्य में अनुपालन के लिए जैसा कि उचित समझे, ऐसे निदेश जारी करेगी।

परिणामों की घोषणा ।

३९. (१) विश्वविद्यालय, विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए उसके द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा परीक्षा की अंतिम दिनांक से लेकर तीस दिनों के भीतर करने का प्रयास करेगी और किसी मामले में नवीनतम परिणाम ऐसे दिनांक से पैंतालीस दिनों के भीतर घोषित करेगा :

परंतु यदि, जो कोई भी कारण हो, विश्वविद्यालय किसी भी परीक्षा के परिणाम पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर, अंतिमतः घोषित करने में असमर्थ है, वह सरकार को ऐसे विलंब के विस्तृत कारणों में समाविष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सरकार, उस पर, भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए, जैसा कि वह उचित समझे, ऐसे निर्देश जारी करेगा।

(२) कोई परीक्षा या परीक्षा के परिणाम, विश्वविद्यालय ने धारा ३८ में अनुबद्ध परीक्षा की अनुसूची का अनुसरण नहीं किया है या उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, विश्वविद्यालय परिणाम घोषित करने में असफल हुआ है सिर्फ इसी कारण के लिए अविधिमान्य नहीं होगी।

दीक्षांत समारोह ।

४०. उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ प्रदान करने के लिए या किसी अन्य प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह परिनियमों द्वारा विहित रित्या में, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष, में किया जाएगा।

विश्वविद्यालय का प्रत्यायन ।

४१. विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद **(नॅक)**, बैंगलोर से उसके संस्थित होने से तीन वर्ष के भीतर, प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा तथा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद (नॅक) द्वारा उपबंधित श्रेणी के बारे में सरकार तथा अन्य ऐसी विनियमित निकायों को जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित है, को जानकारी देगा । विश्वविद्यालय, तत्पश्चात्, ऐसे प्रत्यायन प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर नवीकृत कर सकती है।

विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि का अनुसरण करेगा ।

४२. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि के पालन के लिये और ऐसे निकायों को उनके द्वारा उनके कर्तव्यों का निर्वहन तथा उनके कार्यों को कार्यान्विन करने के लिए आवश्यक है, ऐसी सभी सुविधाओं और सहायता मुहैया करने के लिये बाध्यकारी होगी।

वार्षिक रिपोर्ट ।

४३. (१) विश्वविद्यालय का वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंधनमंडल बोर्ड तैयार करेगा, जिसमें अन्य मामलों में, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों को पूरा करने हेतु उठाए गए कदमों का समावेश होगा तथा शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा उसकी प्रति प्रायोजक निकाय को भेजी जाएगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ, सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी।

(३) राज्य सरकार, ऐसी रिपोर्ट राज्य विधान मंडल के हर एक सदन के समक्ष रखेगी।

वार्षिक लेखा और लेखा संपरीक्षा ।

४४. (१) प्रबंधनमंडल बोर्ड के निर्देशों के अधीन तुलनपत्र समेत विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा तैयार किए जाएँगे और इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार लेखापरीक्षा की जाएगी।

(२) लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखा की प्रति, शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(३) वार्षिक लेखाओं तथा शासी निकाय के संप्रेक्षणों के साथ जोड़ी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(४) उप-धारा (१) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखाओं और तुलनपत्र की प्रतियाँ सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी।

(५) सरकार की सलाह, यदि कोई हो, विश्वविद्यालय के लेखा और लेखापरीक्षा की रिपोर्ट से उद्भूत होती है तो, शासी निकाय के सामने रखी जाएगी और शासी निकाय, जैसा उचित समझे ऐसे निदेश जारी करेगी और उसके अनुपालन के लिए सरकार को प्रस्तुत करेगी।

विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की सरकार की शक्तियाँ ।

४५. (१) विश्वविद्यालय से संबंधित अध्यापन, परीक्षा और संशोधन या किसी अन्य मामले की श्रेणियाँ अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, सरकार, कुलपति से परामर्श के बाद, जैसा वह उचित समझे ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीति में मामला निर्धारण करेगी।

(२) सरकार, सुधारक कार्यवाही के लिए ऐसे निर्धारण के परिणामस्वरूप, संबंध में उसकी सिफारिशें विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय सिफारिशों के अनुपालन की सुनिश्चिति के लिए आवश्यकता के रूप में ऐसे सुधारक उपाय करेगी।

(३) यदि विश्वविद्यालय, उचित समय के भीतर, उप-धारा (२) के अधीन की गई सिफारिशों का अनुपालन करने में असफल रहती है तो सरकार, जैसा वह उचित समझे ऐसे निर्देश देगी जो विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन ।

४६. (१) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को अग्रिम रूप में कम से कम एक वर्ष की इस प्रभाव की सूचना सरकार को देकर, विश्वविद्यालय विघटित करेगी :

परंतु, विश्वविद्यालय का विघटन, केवल उसके नियमित पाठ्यक्रम पूरे करनेवाले छात्रों की अंतिम बॅच का होगा और उन्हें उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कारों से पुरस्कृत किये जाने पर ही प्रभावी होगा।

(२) विश्वविद्यालय के विघटन पर विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व, प्रायोजक निकाय में निहित होंगे :

परंतु, विश्वविद्यालय उसकी स्थापना से पंद्रह वर्ष पूरे होने के पूर्व प्रायोजक निकाय द्वारा विघटन किये जाने के मामले में विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ, सभी ऋणभारों से मुक्त होकर सरकार में निहित होंगी।

कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियाँ ।

४७. (१) यदि, सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्ही निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या धारा ५ के अधीन दिये गये किन्हीं उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत होता है या विश्वविद्यालय में वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन की स्थिति उद्भूत होती है तो वह अपेक्षित विश्वविद्यालय को पैंतालिस दिनों के भीतर कारण बताओ नोटीस जारी करेगा कि क्यों न उसके समापन का आदेश बनाया जाये।

(२) यदि, सरकार का, उप-धारा (१) के अधीन जारी की गई सूचना पर विश्वविद्यालय के जबाब की प्राप्ति पर, समाधान हो जाता है कि **प्रथमदृष्ट्या** इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या धारा ५ के अधीन दिये गये किन्ही उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत हुआ है या वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन हुआ है तो वह आवश्यक समझे ऐसी जाँच के आदेश बना सकेगी।

(३) सरकार, उप-धारा (२) के अधीन किसी जाँच के प्रयोजन के लिए, किन्हीं भी अभिकथनों में जाँच करने के लिए किसी जाँच अधिकारी या अधिकारियों को नियत करेगी और उसपर रिपोर्ट बनायेगी।

सन् १९०८ का ५।

(४) उप-धारा (३) के अधीन नियत किये गये जाँच अधिकारी या अधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल न्यायालय में जो शक्तियाँ निहित होती है वह निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद का विचारण करते समय होगी, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिए, समन जारी करना और प्रवृत्त करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) साक्ष्य में प्रतिपादित किये गये अपेक्षित किसी ऐसे दस्तावेज या किसी अन्य सामग्री की खोज या निर्माण करना ;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की अपेक्षा करना; और

(घ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाये।

(५) जाँच अधिकारी या अधिकारियों की इस अधिनियम के अधीन जाँच, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १९५ और अध्याय २६ के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जायेगा। सन् १९७४ का २।

(६) उप-धारा (३) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी या अधिकारियों से जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के सभी या किन्ही उपबंधों या तद्‌धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, या ऑर्डिनेन्स का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्ही निर्देशों का उल्लंघन किया है, धारा ५ के अधीन उसके द्वारा किये गये उपक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये परिविरत है या विश्वविद्यालय के अकादमिक मानकों के आशंकाओं से वित्तीय कु-प्रबंध या कु-प्रशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में उद्‌भूत हुई है तो विश्वविद्यालय के समापन या प्रशासक की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक आदेश जारी किये जायेंगे।

(७) उप-धारा (६) के अधीन नियुक्त किये गये प्रशासक को इस अधिनियम के अधीन शासी निकाय और प्रबंधन बोर्ड के सभी शक्तियाँ होंगी और सभी कर्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कामकाज का प्रबंधन तब तक करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच उनके पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करती हैं और उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है।

(८) नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच के लिये उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान करने के पश्चात्, प्रशासक, सरकार को इस प्रभाव की रिपोर्ट करेगा।

(९) उप-धारा (८) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय के विघटन के अंतिम आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से विश्वविद्यालय विघटित होगा और विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व ऐसे दिनांक से प्रायोजक निकाय में निहित होगी।

सचिव स्तरीय समिति। **४८.** (१) इस अधिनियम के प्रारंभण के तुरंत पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर विरचित स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांतो की आवश्यकताओं के अनुपालन के सत्यापन और सुनिश्चित करने के क्रम में, सचिव स्तरीय समिति स्थापित की जायेगी और प्रायोजक निकाय को परिवचन प्रस्तुत करेगी। समिति, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और नियोजन विभाग के सचिवों से मिलकर बनेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन गठित समिति, उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(३) उप-धारा (२) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के परिचालन को अनुमति देते हुये **राजपत्र** में, अधिसूचना प्रकाशित करेगी।

(४) विश्वविद्यालय, उप-धारा (३) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के पश्चात् ही केवल छात्रों को प्रवेश देगा।

सचिव स्तर समिति द्वारा निरीक्षण । **४९.** धारा ४८ की उप-धारा (१) के अधीन स्थापित सचिव स्तर समिति, जब-जब सरकार द्वारा निर्देशित किया गया हो, विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर सकेगी और स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा, समय समय पर, जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतो की आवश्यकताओं के अनुपालन और तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधियों के उपबंधों के अनुपालन की जाँच और सुनिश्चित किया जा सके।

५०. इस अधिनियम के किन्ही उपबधों का उल्लंघन, यह अपराध होगा और धारा ११ के अधीन विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के साथ-साथ विश्वविद्यालय के अधिकारी तीन महिने से अनधिक परंतु एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकनेवाले अवधि के लिए कारावास और पचास हजार रुपयों से अनधिक परंतु जो पाँच लाख रुपयों तक बढाए जा सकनेवाले जुर्माने से दण्डित होंगे : दंड ।

परंतु, इस धारा में की कोई बात, इस अधिनियम के उपबंधों के अननुपालन के लिए विश्वविद्यालय के परिसमापन की प्रक्रिया समेत, कोई कार्यवाही चाहे वह सिविल या दाण्डिक हो प्रारंभ करने से सरकार को नहीं रोकेगी ।

५१. (१) जहाँ कंपनी द्वारा, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गये नियमों के अधीन अपराध किया जाता है तब अपराध किये जाने के समय, कंपनी के कार्य संचालन साथ ही साथ कंपनी के प्रभारी या के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति अपराध के लिए दोषी समझा जायेगा तथा उसके विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए, दायी होगा और तद्नुसार दण्डित किया जायेगा : कंपनीयों द्वारा अपराध ।

परन्तु, इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किया व्यक्ति को किसी दण्ड के लिए दायी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित करता है कि, अपराध उसकी जानकारी के बगैर किया गया था या ऐसा अपराध न हो इसलिए उसने सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(२) उप-धारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन, कंपनी द्वारा अपराध काय जाता है और यह साबित होता है की अपराध, कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से हुआ है या की और से किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है तब ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी या उस अपराध के लिए दोषी होगा तथा उसके विरुद्ध भी अभियोजन के लिए, वह दायी होगा और उसे तद्नुसार दण्डित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनार्थ,—

(क) " कंपनी " का तात्पर्य निगमित निकाय से है तथा इसमे एक न्यास, एक फर्म, समाज, एक संस्था या व्यक्तियों का अन्य संघ भी शामिल है ; और

(ख) फर्म के संबंध में " निदेशक " का तात्पर्य.-

(एक) फर्म का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है ;

(दो) एक समाज, एक न्यास, एक संस्था या व्यक्तियों का अन्य संघ, या व्यक्तियों का निकाय का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो समाज, न्यास, संस्था या अन्य संघ, या, यथास्थिति, निकाय के कार्य के प्रबंधन के साथ समाज, न्यास, संस्था या अन्य संघ या निकाय के नियमों या उप-विधियों के अधीन हित रखता है ऐसे व्यक्ति से है ।

५२. (१) सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति ।

(२) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्न समस्त या किन्ही मामलों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा १२ की, उप-धारा (१) के अधीन अध्यक्ष के नियुक्ति का रीति ;

(ख) धारा १२ की, उप-धारा (२) के अधीन अध्यक्ष के पद के लिये पात्रता निकष ;

(ग) धारा ४५ की, उप-धारा (१) के अधीन विश्वविद्यालय के अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान के मानक सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए किसी निर्धारण करने की रीति ;

(घ) धारा ४७ की, उप-धारा (४) के खंड (घ) के अधीन विहित किये जानेवाले मामले ;

(ङ) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा विहित करना आवश्यक है या किया जा सके।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा जो कि चाहे वह एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि, उस सत्र में जिसमें उसे रखा गया है, उसके ठीक बाद के सत्र या सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाए तो नियम, अधिसूचना के प्रकाश के दिनांक से, केवल ऐसे परिवर्तित रुप में हों प्रभावी होगा, या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलिकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात या विलुप्ति की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति ।

५३. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों :

परंतु, ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. VI OF 2023.

THE YASHWANTRAO CHAVAN, MAHARASHTRA OPEN UNIVERSITY KAVI KULAGURU KALIDAS SANSKRIT VISHVAVIDYALAYA (UNIVERSITY) AND MAHARASHTRA PUBLIC UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2022.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १० जनवरी, २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
प्रभारी सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. VI OF 2023.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE YASHWANTRAO CHAVAN MAHARASHTRA OPEN UNIVERSITY ACT, 1989, THE KAVI KULAGURU KALIDAS SANSKRIT VISHVAVIDYALAYA (UNIVERSITY) ACT, 1997 AND MAHARASHTRA PUBLIC UNIVERSITIES ACT, 2016.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ११ जनवरी, २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, १९८९, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) अधिनियम, १९९७ और महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, १९८९, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) अधिनियम, १९९७ और महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिये, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र खुला विश्वविद्यालय, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) और महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०२२ (सन् २०२२ का महा. अध्या. क्र. १३) २४ नवम्बर २०२२ को प्रख्यापित हुआ था ; सन् १९८९ का महा. २०। सन् १९९७ का महा. ३३। सन् २०१७ का महा. ६। सन् २०२२ का महा. अध्या. क्र.१३।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष मे, एतद्द्वारा निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र खुला विश्वविद्यालय, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) और महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२२ कहलाए।

(२) यह २४ नवम्बर २०२२ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

अध्याय दो

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, १९८९ में संशोधन।

सन् १९८९ का महा. २० की धारा १० में संशोधन।

२. (१) यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, १९८९ (जिसे इसमें आगे, " खुला विश्वविद्यालय अधिनियम " कहा गया है) की धारा १० की,— सन् १९८९ का महा. २०।

(१) उप-धारा (१) के,—

(क) खण्ड (क) में,—

(एक) " समिति " शब्दों के स्थान में, " खोजबीन-नि-चयन समिति " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) उप-खण्ड (एक) के स्थान में, निम्न उप-खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (एक) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य, जो उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में का एक विख्यात व्यक्ति होगा और या तो शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कोई विख्यात विद्वान होगा या शिक्षा के क्षेत्र में पद्‌म पुरस्कार प्राप्तकर्ता होगा ; " ;

(तीन) उप-खण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्न उप-खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (चार) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जानेवाला एक सदस्य ;" ;

(ख) खण्ड (ग) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (ग) समिति पर नामनिर्देशित होनेवाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो विश्वविद्यालय के साथ किसी रीत्या में संबंधित नहीं है या विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय या किसी मान्यताप्राप्त संस्था से संबंधित नहीं है ; " ;

(ग) खण्ड (घ) में " तीन " शब्द अपमार्जित किया जायेगा ;

(२) उप-धारा (१घ) के,—

(क) खण्ड (क) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(क) वह सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक और संस्थागत प्रतिबद्धता का उच्चतम स्तर हासिल करनेवाला व्यक्ति होगा ;

(क-१) किसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कम से कम दस वर्षों के अनुभव या एक विख्यात अनुसंधान में प्रदर्शित अकादमिक नेतृत्व होनेवाले सबूत के साथ अकादमिक प्रशासकीय संगठन में दस वर्षों का अनुभव होनेवाला प्रख्यात परिषत्सदस्य होगा ; " ;

(ख) खण्ड (घ) में, " शैक्षिक अर्हताएँ " शब्दों के स्थान में, " अतिरिक्त शैक्षिक अर्हताएँ " शब्द रखे जायेंगे ;

(३) उप-धारा (१च) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (१छ) यदि, कुलाधिपति द्वारा चयनित व्यक्ति, कुलपति के पद का प्रभार ग्रहण नहीं करता है तो, कुलाधिपति, एक नामिका से, शेष व्यक्तियों में से एक अन्य यथोचित व्यक्ति का चयन कर सकेगा या वह उसी समिति से या तो एक नए नामिका को बुला सकेगा या ऐसी नई समिति से इसी प्रयोजन के एक नई समिति के गठन के पश्चात्, नए नामिका की मांग कर सकेगा । " ।

३. खुला विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा १०क के स्थान में, निम्न धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् १९८९ का महा. २० की धारा १०क की प्रतिस्थापना।

" **१०क.** प्रति कुलपति होने के लिए प्रबंध बोर्ड को एक व्यक्ति की सिफारिश करना यह कुलपति का परमाधिकार होगा । प्रबन्ध बोर्ड, कुलपति की सिफारिश पर विश्वविद्यालय के लिए एक प्रति-कुलपति की नियुक्ति करेगा। प्रति-कुलपति ऐसे अवधि के लिए तथा ऐसे उपलब्धियों पर और सेवा की अन्य शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा तथा परिनियमों द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा । "। प्रति-कुलपति।

अध्याय तीन

कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) अधिनियम, १९९७ में संशोधन।

सन् १९९७ का महा. ३३। **४.** कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) अधिनियम, १९९७ (जिसे इसमें आगे, " संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम " कहा गया है) की धारा १२ की,— सन् १९९७ का महा. ३३ की धारा १२ में संशोधन।

(१) उप-धारा (१) के,—

(क) खण्ड (क) में,—

(एक) " समिति " शब्दों के स्थान में, " खोजबीन-नि-चयन समिति " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) उप-खण्ड (एक) के स्थान में, निम्न उप-खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (एक) **कुलाधिपति** द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य जो, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में का विख्यात व्यक्ति होगा और या तो राष्ट्रीय ख्याति का विख्यात विद्वान होगा या शिक्षा के क्षेत्र में **पद्म** पुरस्कार प्राप्तकर्ता होगा ; " ;

(तीन) उप-खण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्न उप-खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (चार) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य ; " ;

(ख) खण्ड (ग) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (ग) समिति पर नामनिर्देशित किया गया सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो विश्वविद्यालय के साथ किसी रीत्या में संबंधित नहीं है या उस विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय या किसी मान्यताप्राप्त संस्था से संबंधित नहीं है ; " ;

(ग) खण्ड (घ) में, " तीन " शब्द अपमार्जित किया जायेगा ;

(२) उप-धारा (३क) के,—

(क) खण्ड (क) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (क) वह सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक और संस्थागत प्रतिबद्धता का उच्चतम स्तर हासिल करनेवाला व्यक्ति होगा ;

(क-१) किसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कम से कम दस वर्षों के अनुभव या एक विख्यात अनुसंधान में या प्रदर्शित अकादमिक नेतृत्व होनेवाले सबूत के साथ अकादमिक प्रशासकीय संगठन में दस वर्षों का अनुभव होनेवाला प्रख्यात परिषत्सदस्य होगा ; " ;

(ख) खण्ड (घ) में, " शैक्षिक अर्हताएँ " शब्दों के स्थान में, " अतिरिक्त शैक्षिक अर्हताएँ " शब्द रखे जायेंगे ;

(३) उप-धारा (४) के,—

(क) विद्यमान परंतुक, के पूर्व, निम्न परंतुक, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु यदि, **कुलाधिपति** द्वारा चयनित व्यक्ति, **कुलगुरु** के पद का प्रभार ग्रहण नहीं करता है तो, **कुलाधिपति,** एक पॅनल से, शेष व्यक्तियों में से एक अन्य यथोचित व्यक्ति का चयन कर सकेगा या वह उसी समिति से या तो एक नए पॅनल को बुला सकेगा या ऐसी नई समिति से इसी प्रयोजन के एक नई समिति के गठन के पश्चात्, नए पॅनल को बुला सकेगा : " ।

(ख) विद्यमान परंतुक में, " परंतु, तथापि यह " शब्दों के स्थान में, " परंतु आगे यह कि " शब्द रखे जायेंगे ।

सन् १९९७ का महा. ३३ की धारा १३ में संशोधन।

५. संस्कृत विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) अधिनियम की धारा १३ की उप-धारा (१) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

" (१) **सम-कुलगुरु** के लिए **व्यवस्थापन परिषद** को एक व्यक्ति की सिफारिश करना यह कुलगुरु का परमाधिकार होगा । **कुलगुरु** की सिफारिश पर **व्यवस्थापन परिषद**, विश्वविद्यालय के लिए एक सम-कुलगुरु की नियुक्ति करेगी । "।

अध्याय चार

महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ में संशोधन।

सन् २०१७ का महा. ६ की धारा ११ में संशोधन।

६. महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (जिसे इसमें आगे, " लोक विश्वविद्यालय अधिनियम " कहा गया है) की धारा ११ की,— सन् २०१७ का महा. ६।

(१) उप-धारा (३) के,—

(क) खण्ड (क) में,—

(एक) " समिति " शब्दों के स्थान में, " खोजबीन-नि-चयन समिति " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) उप-खण्ड (एक) के स्थान में, निम्न उप-खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (एक) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित सदस्य, जो उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में का एक विख्यात व्यक्ति होगा और या तो शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कोई विख्यात विद्वान होगा या शिक्षा के क्षेत्र में **पद्‌म** पुरस्कार प्राप्तकर्ता होगा ; " ;

(तीन) उप-खण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्न उप-खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(चार) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जानेवाला एक सदस्य ;";

(ख) खण्ड (ग) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(ग) समिति पर नामनिर्देशित होनेवाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो विश्वविद्यालय के साथ किसी रीत्या में संबंधित नहीं है या उस विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय या किसी मान्यताप्राप्त संस्था से संबंधित नहीं है ;";

(ग) खण्ड (घ) में " तीन " शब्द अपमार्जित किया जायेगा ;

(घ) खण्ड (च) के,—

(एक) उप-खण्ड (१) के स्थान में, निम्न उप-खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(एक) वह सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक और संस्थागत प्रतिबद्धता का उच्चतम स्तर हासिल करनेवाला एक व्यक्ति होगा ;

(१-क) किसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कम से कम दस वर्षों के अनुभव या एक विख्यात अनुसंधान में या प्रदर्शित अकादमिक नेतृत्व होनेवाले सबूत के अकादमिक प्रशासकीय संगठन में दस वर्षों का अनुभव होनेवाला प्रख्यात परिषत्सदस्य होगा ;";

(दो) उप-खण्ड (चार) में " शैक्षिक अर्हताएँ " शब्दों के स्थान में, " अतिरिक्त शैक्षिक अर्हताएँ " शब्द रखे जायेंगे ;

(२) उप-धारा (४) में,—

(क) विद्यमान परंतुक के पूर्व, निम्न परंतुक, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात्,—

" परंतु, यदि कुलाधिपति द्वारा चयनित व्यक्ति, कुलपति के पद का प्रभार ग्रहण नहीं करता है तो, कुलाधिपति, एक पॅनल से शेष व्यक्तियों में से एक अन्य यथोचित व्यक्ति का चयन कर सकेगा या वह उसी समिति से या तो एक नए पॅनल को बुला सकेगा या ऐसी नई समिति से इसी प्रयोजन के एक नई समिति के गठन के पश्चात् नए पॅनल को बुला सकेगा : ";

(ख) विद्यमान परंतुक में, " परंतु यह कि " शब्दों के स्थान में, " परंतु आगे यह कि " शब्द रखे जायेंगे।

७. लोक विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा १३ की उप-धारा (६) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् २०१७ का महा. ६ की धारा १३ में संशोधन।

" (६) प्रति कुलपति होने के लिए प्रबंधक परिषद को एक व्यक्ति की सिफारिश करना यह कुलपति का परमाधिकार होगा। प्रबन्ध परिषद कुलपति की सिफारिश पर विश्वविद्यालय के लिए एक प्रति-कुलपति की नियुक्ति करेगा ।"।

सन् २०१७ का महा. ६ की धारा १०९ में संशोधन।

८. लोक विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा १०९ की,—

(१) उप-धारा (३) के खण्ड (छ) के पश्चात् द्वितीय परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक, रखा जायेगा, अर्थात् :—

"परंतु आगे यह कि, सन् २०२३-२०२४ के अकादमिक वर्ष के लिए उच्चतर अध्ययन के नए महाविद्यालय या संस्था शुरू करने के लिए आशयपत्र की माँग करने के लिए आवेदन करने का दिनांक बढाने के लिए संकाय बोर्ड द्वारा आवेदन की संवीक्षा करने और उसे राज्य सरकार को अग्रेषित करने और राज्य सरकार द्वारा आशय पत्र देने के लिए नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (२) में यथा विनिर्दिष्ट उप-धारा (३) के खण्ड (क)(ग) और (घ) में निर्देशित दिन या दिनांक उक्त तालिका के स्तंभ (३) में यथा उपबंधित उक्त दिन या दिनांक के रूप में पढ़ा जायेगा,—

तालिका

खण्ड	विद्यमान उपबंध में उपबंधित दिन और दिनांक	अकादमिक वर्ष २०२३-२४ के लिए उपबंधित दिन और दिनांक
(१)	(२)	(३)
(क)	जिस वर्ष में आशय पत्र चाहा गया है उस वर्ष के पूर्ववर्ति वर्ष के सितम्बर के अंतिम दिनांक के पूर्व।	१५ जनवरी २०२३ को या के पूर्व।
(ग)	जिस वर्ष में ऐसा आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त हुआ है उस वर्ष के ३० नवम्बर को या के पूर्व।	२८ फरवरी २०२३ को या के पूर्व।
(घ)	विश्वविद्यालय के सिफारिशों के पश्चात् ठीक पश्चात्वर्ति वर्ष के ३१ जनवरी को या के पूर्व।	१ अप्रैल २०२३ को या के पूर्व।";

(२) उप-धारा (४) में, खण्ड (घ) के पश्चात्, द्वितीय परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक, रखा जायेगा, अर्थात् :—

परंतु आगे यह कि, अकादमिक वर्ष २०२३-२४ के लिए अध्ययन के नए पाठ्यक्रम, विषय, संकाय अतिरिक्त विभाग या उपग्रह केंद्र शुरू करने की अनुमति माँगने के लिए आवेदन करने का दिनांक बढाने की दृष्टि से नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (२) में यथा विनिर्दिष्ट उप-धारा (४) के खण्ड (क) में निर्देशित दिन या दिनांक उक्त तालिका के स्तंभ (३) में यथा उपबंधित उक्त दिन या दिनांक के रूप में पढ़ी जायेगी :—

तालिका

खण्ड	विद्यमान उपबंध में उपबंधित दिन और दिनांक	अकादमिक वर्ष २०२३-२४ के लिए उपबंधित दिन या दिनांक
(१)	(२)	(३)
(क)	जिस वर्ष में अनुमती चाही गई है उस वर्ष के पूर्ववर्ति वर्ष के सितम्बर के अंतिम दिनांक के पूर्व।	१५ जनवरी २०२३ को या के पूर्व।"।

अध्याय पाँच

विविध

सन् २०२२ का महा. अध्या. क्र. १३। **९.** (१) यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र खुला विश्वविद्यालय, कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) और महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०२२ एतद्‌द्वारा, निरसित किया जाता है । सन् २०२२ का महाराष्ट्र अध्या. क्र. १३ का निरसन और व्यावृत्ति।

सन् १९८९ का महा. २०। सन् १९९७ का महा. ३३। सन् २०१७ का महा. ६। (२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, १९८९, कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) अधिनियम, १९९७ और महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गयी या, यथास्थिति, जारी की गयी समझी जायेगी ।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. VII OF 2023.

THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS (THIRD AMENDMENT) ACT, 2022.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १० जनवरी, २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
प्रभारी सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. VII OF 2023.

AN ACT FURTHER TO AMEND MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ७ सन् २०२३।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ११ जनवरी, २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करना आवश्यक हुआ था ; और इसलिए, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, २०२२, १२ सितम्बर २०२२ को प्रख्यापित किया गया था ; सन् १९६२ का महा. ५। सन् २०२२ का महा. अध्यादेश क्र. ९ ।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है; अतः भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०२२ कहलाए। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण ।

(२) यह १२ सितम्बर २०२२ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

सन् १९६२ का महा.५। **२.** महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा ७५ख में, विद्यमान परंतुक, अपमार्जित किया जायेगा। सन् १९६२ का महा. ५ की धारा ७५ख में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ९१ख में, विद्यमान परंतुक, अपमार्जित किया जायेगा। सन् १९६२ का महा. ५ की धारा ९१ख में संशोधन।

सन् २०२२ का महा. अध्या. क्र. ९। **४.** (१) महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, २०२२, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०२२ का महा. अध्या. क्र. ९ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. VIII OF 2023.

THE MAHARASHTRA CREATION OF SUPERNUMERARY POSTS AND APPOINTMENT OF SELECTED CANDIDATES (AMENDMENT) ACT, 2022.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १२ जनवरी, २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
प्रभारी सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. VIII OF 2023.

AN ACT TO AMEND THE MAHARASHTRA CREATION OF SUPER-NUMERARY POSTS AND APPOINTMENT OF SELECTED CANDIDATES ACT, 2022.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ८ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक १३ जनवरी, २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र अधिसंख्य पदों का निर्माण और चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति अधिनियम, २०२२ में संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र अधिसंख्य पदों का निर्माण और चयनित उम्मीदवारों की, नियुक्त अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है, अतः भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम। **१.** यह अधिनियम महाराष्ट्र अधिसंख्य पदों का निर्माण और चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति (संशोधन) अधिनियम, २०२२ कहलाए। सन् २०२२ का महा. ४५ ।

सन् २०२२ का महा. ४५ में अनुसूची का प्रतिस्थापन करना। **२.** महाराष्ट्र अधिसंख्य पदों का निर्माण और चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति अधिनियम, २०२२ में संलग्न अनुसूची के लिए, निम्न अनुसूची रखी जायेगी, अर्थात्,— सन् २०२२ का महा. ४५ ।

अनुसूची

(देखिए धारा ३ और ४)

अनु-क्रमांक	विभाग का नाम		संवर्ग	समूह	पदों की संख्या
१	सामान्य प्रशासन विभाग	(एक)	अनुभाग अधिकारी	बी	६
		(दो)	लिपिक सहित टंकलेखक	सी	१२
२	राजस्व और वन विभाग	(एक)	उप-जिलाधिकारी	ए	३
		(दो)	तहसिलदार	ए	१८
		(तीन)	उप अधीक्षक	बी	३
		(चार)	नायब तहसिलदार	बी	२५
		(पाँच)	वन रक्षक	सी	१५
		(छह)	लिपिक	सी	६
		(सात)	तलाठी	सी	३५
		(आठ)	पद समूह ग श्रेणी-४	सी	१२
		(नऊ)	चपरासी	डी	१३
		(दस)	सुरक्षा रक्षक	डी	१
३	कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास और मत्स्यउद्योग विभाग	(एक)	कृषि सहायक	सी	७१
४	वित्त विभाग	(एक)	राज्य कर सहायक आयुक्त	ए	७
		(दो)	राज्य कर निरीक्षक	बी	१३
		(तीन)	लेखा लिपिक	सी	२
		(चार)	कनिष्ठ लेखापाल	सी	१
		(पाँच)	कर सहायक	सी	२०
५	ग्रामविकास विभाग	(एक)	उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ ब्लॉक विकास अधिकारी	ए	७
		(दो)	सहायक ब्लॉक विकास अधिकारी	बी	५
		(तीन)	वरिष्ठ सहायक (लेखा)	सी	१
		(चार)	स्वास्थ्य कर्मचारी (पुरुष)	सी	४
		(पाँच)	ग्राम सेवक	सी	२
		(छह)	ठेकेपर के ग्रामसेवक	सी	५
		(सात)	स्वास्थ्य कर्मचारी (महिला)	सी	२०
		(आठ)	सूक्ष्म सिंचन कनिष्ठ अभियंता	सी	१
		(नौ)	सहायक सिविल अभियंता	सी	१५
		(दस)	कनिष्ठ सिविल अभियंता (सिंचाई)	सी	१
		(ग्यारह)	कनिष्ठ अभियंता (ग्रामीण जल आपूर्ति)	सी	१
		(बारह)	पशुधन पर्यवेक्षक	सी	४
		(तेरह)	कनिष्ठ सहायक (लेखा)	सी	१
		(चौदह)	औषधकार	सी	४
		(पंद्रह)	कनिष्ठ सहायक (मंत्रा)	सी	१
		(सोलह)	विस्तार अधिकारी (कृषि)	सी	१

अनुसूची—चालू

(देखिए धारा ३ और ४)

अनु-क्रमांक	विभाग का नाम	संवर्ग		समूह	पदों की संख्या
		(सत्रह)	महिला पर्यवेक्षक	सी	१
		(अठारह)	चपराशी	डी	२५
६	नगरविकास विभाग	(एक)	पशु चिकित्सा अधिकारी	ए	२
		(दो)	सहायक प्राध्यापक (प्रसुती और स्त्रीरोग विभाग)	ए	१
		(तीन)	सहायक प्राध्यापक (भूलतज्ञ)	ए	१
		(चार)	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	बी	२
		(पाँच)	उप अभियंता (सिविल)	बी	२
		(छह)	उप अभियंता (मैकेनिक और इलेक्ट्रिक)	बी	१
		(सात)	जन्म रजिस्ट्रीकरण लिपिक/ मृत्यु रजिस्ट्रीकरण लिपिक/ सूचना लिपिक.	सी	९
		(आठ)	अनुभाग अभियंता	बी	१
		(नौ)	कनिष्ठ अभियंता	सी	१
		(दस)	कनिष्ठ अभियंता (संकेतन और दूरसंचार) II	सी	१
		(ग्यारह)	भण्डार कनिष्ठ अभियंता	सी	१
		(बारह)	स्टेशन नियंत्रक	सी	३
		(तेरह)	सुरक्षा पर्यवेक्षक II	सी	१
		(चौदह)	सिविल तकनीकी II	सी	१
		(पंद्रह)	तकनीकी (आपातकालीन रखरखाव)	सी	१
		(सोलह)	तकनीकी II (आपातकालीन रखरखाव)	सी	२
		(सत्रह)	तकनीकी I	सी	१
		(अठारह)	तकनीकी II (संकेतन और दूरसंचार)	सी	९
		(उन्नीस)	तकनीकी II	सी	१६
		(बीस)	सहायक	डी	२
७	उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग (उद्योग निदेशालय)	(एक)	उद्योग उप-निदेशक (तकनीकी)	ए	२
		(दो)	उद्योग अधिकारी	बी	१२
		(तीन)	कार्यकारी अभियंता	ए	१
		(चार)	उप अभियंता	—	४

अनुसूची—चालू

(देखिए धारा ३ और ४)

अनु-क्रमांक	विभाग का नाम		संवर्ग	समूह	पदों की संख्या
	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एम.आय.डी.सी.)	(पाँच)	कार्यकारी अभियंता (सिविल)	बी	१
		(छह)	उप अभियंता (मेकैनिक और इलेक्ट्रिक)	बी	१
		(सात)	सहायक	बी	३
	महाजेनको	(आठ)	तकनीकी III	सी	८५
	महाडिस्कॉम	(नौ)	अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता (सिविल)	वेतन समूह १	२
		(दस)	अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता (वितरण)	वेतन समूह १	६
		(ग्यारह)	उप कार्यकारी अभियंता (वितरण)	वेतन समूह २	७
		(बारह)	उप कार्यकारी अभियंता (सिविल)	वेतन समूह २	१
		(तेरह)	कार्यकारी अभियंता (सिविल)	वेतन समूह २	६
		(चौदह)	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	वेतन समूह ३	३
		(पंद्रह)	सहायक (विद्युत)	वेतन समूह ४	५८२
		(सोलह)	स्नातक अभियंता प्रशिक्षणार्थी (सिविल)	बी	४
		(सत्रह)	डिप्लोमा अभियंता प्रशिक्षणार्थी (वितरण)	सी	४६
		(अठारह)	डिप्लोमा अभियंता प्रशिक्षणार्थी (सिविल) (आंतरिक अधिसूचना)	सी	३
		(उन्नीस)	डिप्लोमा अभियंता प्रशिक्षणार्थी (वितरण) (आंतरिक अधिसूचना)	सी	५
		(बीस)	उप केंद्र सहायक	सी	३०१
८	जनजाति विकास विभाग	(एक)	अधीक्षक (महिला)	सी	१
		(दो)	सहायक परियोजना अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/तलाश अधिकारी/ गृह/रजिस्ट्रार	बी	४

अनुसूची—समाप्त

(देखिए धारा ३ और ४)

अनु-क्रमांक	विभाग का नाम	संवर्ग	समूह	पदों की संख्या
९	लोक निर्माण विभाग	(एक) सिविल अभियांत्रिकी सहायक	बी	३
		(दो) कनिष्ठ सिविल अभियंता	बी	२
		(तीन) कनिष्ठ लिपिक	सी	३
		(चार) कनिष्ठ लिपिक-टंकलेखक	सी	३
		(पाँच) वाहन चालक	सी	१
		(छह) खानसामा	डी	२
		(सात) मील मजूर	डी	६
		(आठ) चौकीदार	डी	२
		(नौ) चपराशी	डी	३
१०	गृह विभाग	(एक) पुलिस उप अधीक्षक/ सहायक पुलिस आयुक्त	ए	१२
		(दो) सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	बी	२
	राज्य उत्पाद शुल्क	(तीन) सहायक आयुक्त	बी	१
		(चार) उप अधिक्षक	बी	५
		(पाँच) उप निरीक्षक	सी	३
११	विद्यालय शिक्षा विभाग	उप शिक्षा अधिकारी	ए	४
१२	चिकित्सा शिक्षा तथा औषधी विभाग	वरिष्ठ लिपिक	सी	१
		कुल	—	**१५५३।"।**

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. IX OF 2023.

THE REGULARISATION OF UNAUTHORISED DEVELOPMENT IN THE CITY OF ULHASNAGAR (AMENDMENT), ACT, 2022.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १२ जनवरी, २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
प्रभारी सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. IX OF 2023.

AN ACT TO AMEND THE REGULARISATION OF UNAUTHORISED DEVELOPMENT IN THE CITY OF ULHASNAGAR (AMENDMENT), ACT, 2006.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **“ महाराष्ट्र राजपत्र ”** में दिनांक १३ जनवरी, २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

उल्हासनगर शहर में अनधिकृत विकास का नियमितिकरण करना अधिनियम, २००६ में संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, उल्हासनगर शहर में अनधिकृत विकास का नियमितिकरण
सन् २००६ का ९। अधिनियम, २००६ में संशोधन करना इष्टकार है ; अंतः भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता हैं :—

१. (१) यह अधिनियम उल्हासनगर शहर में अनधिकृत विकासों का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, २०२२ कहलाए। संक्षिप्त नाम ।

सन् २००६ का महा. ९ की धारा ३ में संशोधन ।

२. उल्हासनगर शहर अनधिकृत विकासों का नियमितिकरण अधिनियम, २००६ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा ३ की, उप-धारा (३) के खण्ड (क) में,— सन् २००६ का ९।

"(१) "निचे दी गई तालिका के अनुसरण में, निर्धारित" शब्दों के स्थान में "जैसा कि विहित किया जाए" शब्द रखे जायेंगे ।

(२) फीस की तालिका अपमार्जित की जायेगी ।

सन् २००६ का महा. ९ की धारा ४ में संशोधन ।

३. मूल अधिनियम की धारा ४ की, उप-धारा (३) के खण्ड (क) के परंतुक में, "४.०० से अधिक फर्श क्षेत्र सूचकांक (एफ.एस.आय.)" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान, में, "उल्हासनगर शहर के नगर निगम को यथा प्रयुक्त महाराष्ट्र एकीकृत विकास नियंत्रण और उन्नयन विनियमन में यथा विनिर्दिष्ट फर्श क्षेत्र सूचकांक (एफ.एस.आय)" शब्द रखे जायेंगे ।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. X OF 2023.

THE ITM SKILLS UNIVERSITY, NAVI MUMBAI ACT, 2022.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १८ जनवरी, २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. X OF 2023.

AN ACT TO PROVIDE TO ESTABLISH AND INCORPORATE AND TO REGULATE THE ITM SKILLS UNIVERSITY, NAVI MUMBAI IN THE STATE, A SELF-FINANCED SKILLS UNIVERSITY, TO CREATE SKILLED AND EMPLOYABLE YOUTH, TO ENCOURAGE JOB CREATION AND TO PROMOTE DELIVERY OF QUALITY SKILLS EDUCATION, STARTUPS, INCUBATION, EMPLOYABILITY, TRAINING, COUNSELLING, APPRENTICESHIP TRAINING, ON-JOB TRAINING AND PLACEMENTS IN AN INTEGRATED MANNER WITH INDUSTRY PARTNERSHIPS, TO PROMOTE INCLUSIVE GROWTH BY FACILITATING EMPLOYMENT AND PROVIDING SELF-EMPLOYMENT GUIDANCE FOR THE YOUTH TO ENHANCE THEIR INCOMES AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १० सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **"महाराष्ट्र राजपत्र"** में दिनांक २० जनवरी, २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

कौशलता और रोजगारक्षम युवाओं का निर्माण करने, रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने और दरजा कौशल शिक्षा देने को बढ़ाव देने, नवीन व्यवसाय करना (स्टार्टअप), उद्भवन, रोजगार निर्मिति, प्रशिक्षण, समनुदेशन, शिक्षुता सेवारत प्रशिक्षण और उद्योग सहभागिता से एकात्मिक रीत्या में नियोजन करने, रोजगार सुकर बनाने द्वारा, व्यापक वृद्धि को बढ़ाव देने और युवाओं को उनकी आय को बढ़ाने के लिए स्व-रोजगार मार्गदर्शन का उपबंध करने के लिये स्व-वित्तपोषित कौशल विश्वविद्यालय के रूप में महाराष्ट्र राज्य में आयटीएम कौशल विश्वविद्यालय, नवी मुंबई स्थापित और निगमित करने और विनियमित करने तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि कौशलता और रोजगार क्षम युवाओं का निर्माण करने, रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने और दरजा कौशल शिक्षा देने को बढ़ावा देने, नवीन व्यवसाय करना (स्टार्ट अप), उद्भवन, रोजगार निर्मिती, प्रशिक्षण, समनुदेशन, शिक्षुता, सेवारत प्रशिक्षण और उद्योग सहभागिता से एकात्मिक रीत्या में नियोजन करने, रोजगार सुकर बनाने द्वारा व्यापक वृद्धि को बढ़ावा देने और युवाओं को उनकी आय को बढ़ाने के लिए स्व-रोजगार मार्गदर्शन का उपबंध करने के लिये स्व-वित्तपोषित कौशल विश्वविद्यालय के रूप में आयटीएस कौशल विश्वविद्यालय, नवी मुंबई स्थापित और निगमित करने और विनियमित करने तथा उससे संबंधित या उससे अनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करना इष्टकर है, अतः भारत गणराज्य के तिहत्तरवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारंम्भिक

संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र आयटीएम कौशल विश्वविद्यालय, नवी मुंबई अधिनियम, २०२२ कहलाए ।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत कर सकें ।

परिभाषाएँ ।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) " सहयोगी प्राध्यापक, " " सहयोगी सहयुक्त प्राध्यापक ", " सहयोगी सहायक प्राध्यापक, " या " प्राध्यापक, " व्यवसाय के प्राध्यापक, " का तात्पर्य, कोई व्यक्ति उद्योग विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, औद्योगिक संघ, व्यापार, कृषि, वाणिज्य, सामाजिक, सांस्कृतिक, अकादमिक या किसी अन्य सहबद्ध क्षेत्र से है, जो इस प्रकार पदाभिहित किये जाने के दौरान विश्वविद्यालय के सहयोगी या सहयुक्त से है;

(ख) " शिक्षुता प्रशिक्षण " का तात्पर्य, शिक्षुता की संविदा के अनुसरण में की गई और शिक्षुता के विभिन्न प्रवर्गों के लिए जिसे अलग-अलग किया जाए ऐसे शर्तों तथा निबंधनों के अधीन विहित किसी उद्योग या संस्थापना में प्रशिक्षण के क्रम, से है ;

(ग) " प्राधिकरण " का तात्पर्य, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन यथा विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों से है ;

(घ) " प्रबंध मंडल बोर्ड " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा २२ के अधीन गठित किये गये प्रबंधमंडल बोर्ड से है ;

(ङ) " परिसर " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र जिसके अधीन यह स्थापित किया गया है ;

(च) " उत्कर्षता केंद्र " का तात्पर्य, छात्रों, सेवांतर्गत कर्मचारियों, कार्यरत व्यावसायिकों के सुसंगत कौशल के सभी प्रकार मुहैय्या करने के लिये, उद्योग से सहयोग में स्थापित अद्यावत प्रशिक्षण या अनुसंधान केंद्र या उद्योग या समाज के लाभ के लिये और संयुक्त परियोजना हाथ लेने के लिये स्थापित किये गये से है;

(छ) " संघटक संस्था " का तात्पर्य, प्रायोजक निकाय द्वारा, स्थापित किये गये महाविद्यालय, विभाग या विद्यालय या केंद्र या संस्था से है, जो विश्वविद्यालय के विस्तार क्षेत्र के अधीन आता है ;

(ज) " कर्मचारी " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारी शामिल होंगे ;

(झ) " फीस " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थांओं या, यथास्थिति, कौशल केंद्रों, अध्ययन केंद्रों द्वारा किया गया संग्रहण, चाहे जिस किसी भी नाम से पुकारा जाए, छात्रों से किया गया शिक्षा शुल्क, अन्य शुल्क और प्रभार समेत विकास प्रभार से है ;

(ञ) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(ट) " शासी निकाय " का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा २१ के अधीन गठित किये गये शासी निकाय से है ;

(ठ) " ऑनलाईन तथा दूरस्थ शिक्षा " का तात्पर्य, संसूचना के किन्ही दो या अधिक साधनों के समुच्चय द्वारा, जैसे, प्रसारण, दूरदर्शन प्रसारण, सूचना संसूचना प्राद्योगिकी, पत्राचार पाठ्यक्रम, ऑनलाईन सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम तथा किन्हीं अन्य ऐसी प्रणाली - विज्ञान द्वारा प्रदान की गई शिक्षा से है ;

(ड) " अधिसूचना " का तात्पर्य, **राजपत्र** में प्रकाशित की गई अधिसूचना से है ;

(ढ) " **राजपत्र** " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार के **राजपत्र** से है ;

(न) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन बनाए गए नियमों, या परिनियमों या अध्यादेशों या, यथास्थिति, विनियमों से विहित, से है ;

(त) " सेवारत प्रशिक्षण " का तात्पर्य, ऐसा तकनीक जिसमें, छात्रों और कर्मचारियों को उनके वास्तविक कार्यस्थल पर कार्य का निर्वहन करने के लिए सीधे अनुदेश दिए है, से है ;

(थ) " अध्यक्ष " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष से है, जो विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी होगा ;

(द) " विनियामक निकाय " का तात्पर्य, कौशल शिक्षा के अकादमिक मानक सुनिश्चित करने के लिये मानक और शर्तें अधिकथित करने के लिये केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किये गये निकाय से है ;

(ध) " नियम " का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से है ;

(न) " धारा " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा से है ;

(प) " कौशल विभाग " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार के कौशल, रोजगार, उद्यमिता तथा नवपरिवर्तन विभाग, से है ;

सन् २०१३ का १८ ।

(फ) इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय के संबंध में " प्रायोजक निकाय " का तात्पर्य, कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा ८ के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी CIN No. U80301 एमएच २०२१ एनपीएल ३५४९७८, जिसका रजिस्कृत कार्यालय प्लॉप्ट क्र. २५ और २६, संस्थात्मक क्षेत्र, सेक्टर ४, खारघर, नवी मुंबई ४१० २१० में होगा ;

(ब) " राज्य " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य से है ;

(भ) " परिनियम ", " आर्डिनन्सो " तथा " विनियमों " का तात्पर्य, क्रमशः इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के परिनियमों, आर्डिनन्सों तथा विनियमों से है ;

(म) " छात्र " का तात्पर्य, स्नातकोत्तर और पीएच डी उपाधि और अनुसंधान की उपाधि समेत विश्वविद्यालय में नामांकन किए गए व्यक्ति से है, जिसने विश्वविद्यालय द्वारा गठित उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशेषताओं के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो ;

(य) " अध्ययन केंद्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जानेवाले ऑनलाईन तथा दूरस्थ शिक्षा समेत छात्रों द्वारा अपेक्षित सलाह, व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श के प्रयोजन के संदर्भ में या कोई अन्य किसी सहायता देने के लिए स्थापित तथा पोषित किये गये केंद्र से है ;

(यक) " कौशल केंद्र " का तात्पर्य, उद्योग, छात्रों, स्थानीय जनसंख्या तथा सभी पणधारियों के लाभ के लिये, कौशल प्रशिक्षण का उपबंध करने के लिये, विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किऐ गये या उद्योग, औद्योगिक संघ, कार्पोरेट, कंपनीयाँ और व्यावसायिकों ने विश्वविद्यालय के पास विस्तारित किये गये केंद्र से है ;

(यख) " अध्यापक " का तात्पर्य, आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य, अनुबंध प्राचार्य, व्यवसाय प्राचार्य उद्योग विशेषज्ञ या स्रोत व्यक्ति या अन्य व्यक्ति कोई जिससे विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रदान करना या अनुसंधान में मार्गदर्शन करना या पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को किसी भी प्रारूप में मार्गदर्शन देना अपेक्षित है ;

(यग) " विश्वविद्यालय " का तात्पर्य, आयटीएम कौशल विश्वविद्यालय, नवी मुंबई से है ।

विश्वविद्यालय का निगमन ।

३. (१) यह विश्वविद्यालय आयटीएम कौशल विश्वविद्यालय, नवी मुंबई नाम द्वारा स्थापित होगा ।

(२) अध्यक्ष, कुलपति, शासी निकाय, प्रबंध मंडल, बोर्ड, अकादमिक परिषद और सभी अन्य व्यक्तियाँ, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्यों जब तक कि वे ऐसे पद या सदस्यत्व निरंतर धारण करेंगे, इसके द्वारा आयटीएम कौशल विश्वविद्यालय, नवी मुंबई नाम द्वारा गठित और निगमित निकाय घोषित किया जायेगा ।

(३) विश्वविद्यालय का, शाश्वत उत्तराधिकारी तथा सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम पर या नाम द्वारा वाद चलाया जाएगा ।

(४) विश्वविद्यालय इस अधिनियम के अधीन स्थापित असहबद्ध विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा और वह इसमें प्रवेशित छात्रों को उनके उपाधि, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र की प्रदानगी करने के लिए किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था से सहबद्ध नहीं होगा ।

(५) विश्वविद्यालय, आयटीएम कौशल विश्वविद्यालय, नवी मुंबई प्लॉट क्रम. २४ और २५ संस्थात्मक क्षेत्र, खारघर, नवी मुंबई ४१० २१० में स्थित होगा तथा उसका मुख्यालय होगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।

४. विश्वविद्यालय के उद्देश्य यथा निम्न होंगे :—

(क) विभिन्न स्तरों पर कौशल प्रविणता और सक्षमता के साथ अर्हताप्राप्त युवा विकसित करना ;

(ख) कार्यक्षेत्र में, अध्ययन, अध्यापन, क्षमता, योग्यता और कौशल विकास और उद्यमी प्रशिक्षण, कार्यक्षेत्र में विस्तृत श्रेणी में विशेषज्ञता जैसे कि क्षेत्र में समय समय पर जैसा कि विशेषज्ञता जिसमें अधिकतर नौकरी सृजित होने वाली है जैसे कि स्वचालित कपडा और साज सामान, विमानन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, माध्यम और मनोरंजन, फिल्म, पूँजीगत माल, संसूचना डिझाईन, तकनीकी, प्रबंधन और उद्यमशीलता, कारोबार, बैंकिंग तथा बीमा, स्वास्थ्यसेवा, अतिथ्य, संभार तंत्र, क्रीडा, यात्रा तथा पर्यटन, जीवन विज्ञान अनुप्रयुक्त और सृजित कला, मानविकी, विदा विज्ञान और कृत्रिम सूचना, ई-कारोबार, फुटकर चीजे बेचना, विश्लेषणात्मक, कृषि कारोबार, उद्योग ४.० से संबंधित उद्योग और रोजगार की संभाव्यता होनेवाले कौशल की प्रदानगी समेत अध्ययन के किसी अन्य क्षेत्रों से है ;

(ग) विकास के नए मार्गों के अविष्कार तथा सामाजिक पुनर्निर्माण तथा स्थानांतरण के लिए नए शैक्षिक कार्यक्रमों की निर्मिति तथा अभिनियोजित करना;

(घ) आवश्यक कौशल और आधार का उपबंध करके उद्यमीकर्ता तथा उद्यमशीलता सृजित करना ;

(ङ) कौशल शिक्षा के आधारित सक्षमता के लिए श्रेयांक संरचना विरचित करना ;

(च) शिक्षा, शिक्षा कौशल विकास तथा विकास के लिए अद्यतन सुविधाएँ संस्थित करना ;

(छ) अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यान्वित करना तथा निरंतर गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तावित करना ;

(ज) विज्ञान तथा प्रौद्योगिक और सामाजिक आर्थिक विकास में अनुसंधान और विकास के लिए तथा ज्ञान बाँटने और उसके उपयोजन के लिए उत्कर्ष केंद्रों की निर्मिति करना ;

(झ) परीक्षाएँ या अन्य किसी मूल्यांकन पद्धतियों के आधार पर स्नातकोत्तर उपाधि, पीएचडी उपाधि, अनुसंधान उपाधि, उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताएँ गठित करना ;

(ञ) ऑनलाईन श्रेयांक पाठ्यक्रमों समेत चयन आधारित श्रेयांक प्रणाली पाठ्यक्रम का उपबंध करना ;

(ट) लाभप्रद रोजगार, उद्यमशिलता को महत्त्वपूर्ण विविध कार्यक्रमों के जरिए उच्चतर व्यावसायिक कौशल विकास और सेवारत प्रशिक्षण और उद्यमशीलता प्रशिक्षण का उपबंध करना ;

(ठ) भारत और विदेश में के अन्य उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थाओं के साथ संबंध, सहयोग तथा भागीदारी संस्थित करना ;

(ड) रचनात्मक तथा ठेकेदारी के पालन पोषण और परिष्कार के लिए अकादमिक संरचनाएँ, अध्ययन पद्धतियों का ढाँचा और कामकाज तथा निरंतन मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सीवनहीनता की निर्मिती के लिए नवप्रवर्तक दृष्टिकोण स्थापित करना ;

(ढ) अध्ययनकर्ताओं को शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अध्यापन स्रोतों की सुपुर्दगी के लिये नवीनतम सूचना, संसूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा दुर्गम छात्रों तक पहुँचने का लक्ष्य रखना ;

(ण) अध्यापन-अध्ययन शिक्षा-शास्त्र जो शैक्षिक तथा अध्ययन शिक्षाशास्त्र के बहुविध प्ररूपों का मेल है, (संमिश्र या दूरस्थ या ऑनलाईन या कौशल या अन्य) और सुपुर्दगी के लिये उपबंध करना और इसलिये, 'आभासी परिसर' का उपबंध करना, जहाँ छात्र अनुभवी संकायों और उद्योग सदस्यों के साथ विकसित और तैयार होने के लिये इकठ्ठा होंगे ;

(त) स्वयं-गति, स्वयं-शैली अध्ययन वातावरण के ज़रिए, भिन्न पार्श्वभूमि, आयु वर्ग और सामाजिक-आर्थिक स्थिति तथा भौगोलिक स्थान का प्रतिनिधित्व करनेवाले व्यापक क्षेत्र के अध्ययनकर्ताओं को अध्ययन अवसर मुहैय्या करना ;

(थ) सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से कौशल शिक्षा में संमिश्र, या दूरस्थ या ऑनलाईन उपाधि परिदान करना ;

(द) छात्रों, संकाय सदस्यों तथा अन्यों के लिये विशिष्ट शिक्षा और अनुसंधान कार्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कुशलता तथा विनिमय कार्यक्रमों का संकल्पित, आरेखन, विकास तथा प्रदान करने के लिये भारत या विदेश के अन्य महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं, लाभकारी और गैर-लाभकारी संगठनों, निगमों उद्योग, वृत्तिक सहयोजनों या अन्य संगठनों के साथ सहयोग करना ;

(ध) बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप क्रियाशील प्रशिक्षण, वृत्तिक तथा कौशल आधारित प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करनेवाला अध्यापन अध्ययन शिक्षा-शास्त्र का उपबंध करना ;

(न) उभरते रुझानों को समझने के उद्देश्य से, श्रमिक बाजार आवश्यकताओं में अनुसंधान संचालित करना और यथोचित अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करना ;

(प) रोजगार और उद्यमशीलता के उद्देश्य में शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के नविनतम नमुना को बढ़ावा देने के लिये, भारत या विदेश के सहयोग अनुसंधान और समर्थन हाथ में लेना ;

(फ) अध्यापकों, प्रशासकों और कार्यरत वृत्तिकों के लिये उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण, क्षमता निर्मिति और विकास प्रणाली की डिझाईन करना और सुपुर्दगी करना ;

(ब) संयुक्त कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों या अनुसंधान या विनिमय संकाय या सूचना या कार्यप्रणाली बाँटना कि प्रस्तुति करने के लिये भारत के अन्य राज्यों या विदेशों से अन्य संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या प्रयोगशालाओं या अभिकरणों या विख्यात संगठनों के साथ सहयोग करना और छात्रों के लाभ के लिये, उपकर या स्रोत या अनुदान या परामर्श देना या प्राप्त करना ;

(भ) पूर्व अध्ययन, कौशल उन्नति और पुनःकौशल की पहचान कराने के लिये सुविधा देना ;

(म) बहुविध प्रविष्टि तथा प्रस्थान के विकल्पों के लिये और विश्वविद्यालयों, अधिकार क्षेत्रों या विभागों के संपर्क में, चलन के लिये, क्रेडिट बैंकिंग और अंतरण प्रणाली सुविधा देना ;

(य) छात्रों को विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों से पारंपारिक, या संमिश्र, या दूरस्थ या ऑनलाईन शिक्षा और विभिन्न शिक्षा शास्त्र उपागम तथा प्रणाली के लिए यथोचित अन्य शिक्षा परिदान नमुना के जरिए प्रस्तुत विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के ज़रिए छात्रों को आजीवन तथा निरंतर प्रशिक्षण का अवसर मुहैया करना ;

(यक) उत्पादकता निर्माण करने के उद्देश में, अनौपचारिक क्षेत्र तथा असंगठित कार्यबल को शिक्षा, प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के अवसरों को मुहैया करना ;

(यख) लचिला तथा वैकल्पिक अध्ययन मार्ग मुहैया करना, जिससे बहुविध प्रवेश तथा बहुविध विकल्प को समर्थ बनाना ;

(यग) तकनीकी, व्यावसायिक और कौशल्य आधारित शिक्षा ले रहें छात्रों और डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर तथा उच्चतर वृद्धि क्षेत्रों में डाक्टर कार्यक्रमों और लाभप्रद रोजगार के ज़रिए अपने युवाओं को तैयार करने के लिये विभिन्न विशेषज्ञता देने के लिए छात्रों को सीधी गतिशीलता मुहैया करना ;

(यघ) अध्ययन की लचिली तथा खुली प्रणाली मुहैया करना ;

(यङ) संकाय तथा प्रशिक्षकों, जो व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल्य प्रशिक्षण प्रदान करने में शामिल है के लिये शिक्षा शास्त्र तथा कौशल्य वृद्धि प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रमों का संचालन करना ;

(यच) व्यापक रूप से उद्योग, संगठनों, अभिकरणों तथा संस्था को वृत्तिक तथा विकास सेवा मुहैया करना ;

(यछ) विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों साथ ही साथ अन्य छात्रों अभिकरणों, प्रशिक्षण, प्रदाताओं, संस्थाओं, उद्योग तथा संगठनाओं के लिए कौशल्य निर्धारण का उपक्रम हाथ में लेना । संकायों, प्रशिक्षकों, अभिकरणों, संस्थाओं तथा संगठनाओं के लिए कौशल्य निर्धारण के संचालन पर प्रशिक्षण आयोजित करना । कौशल्य निर्धारण, ऑनलाईन निर्धारण, संगणकीय निर्धारण या परीक्षणों और निर्धारण या परिक्षणों के कार्यान्वयन के लिये विकसित आवश्यक सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर उपाय या अन्य प्रणाली या प्रक्रिया के शिक्षा शास्त्र में अनुसंधान करना ;

(यज) २१ वी सदी के लिये व्यक्तिगत और समाज के लिये अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, मूल्यांकन, विकास, संगठन और सामाजिक आर्थिक सृजनता के लिये शासन और प्रबंधन के लिये आधुनिक और आधुनिकोत्तर प्रक्रिया, यंत्रणा और तकनीकी का उपयोग करना ;

(यझ) शासन, पाठ्यक्रम डिझाईन, कौशल प्रशिक्षण, नियोजन, प्रशिक्षण, सलाह, संयुक्त परियोजना आदि के सभी पहलूओं में नवाचार प्रयोगशालाएँ, सेवारत प्रशिक्षण केंद्र, कार्यशालाएँ और सक्रिय सहभागिता ही स्थापना के ज़रिए उद्योग और उद्योग संघटनों को भागिदारी के लिए प्रोत्साहित करना ;

(यञ) राज्य में तथा राज्य के बाहर विभिन्न स्थानों पर परिसर, कौशल केंद्रों, समुदाय महाविद्यालयों, अध्ययन केंद्रों, संसूचना केंद्रों, परिक्षण या परीक्षा केंद्रों, उत्कर्षता केंद्रों, विशिष्ट परिसर, विशिष्ट परिसरों आदि तथा देश में परिदान, छात्र सेवाओं और शिक्षा प्रसार, परामर्श, संसूचना और कौशल प्रशिक्षण सुकर करना ;

(यट) शिक्षा तथा कौशल आवश्यकताओं को समझने के उद्देश से, राज्य, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विभिन्न मंत्रालयों, राज्य निकायों, विभागों, अभिकरणों या कानूनी निकायों से सम्पर्क तथा सहयोग बनाना ;

(यठ) पाठ्यक्रम विकास, अध्यापक प्रशिक्षण, क्रियात्मक, अनुसंधान, कार्य पर प्रशिक्षण, कौशल मूल्यांकन आदि में सहभागी होने के लिये, उद्योगों के साथ आंतरक्रिया करना ;

(यड़) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों का अनुकरण करने तथा बढ़ावा देने के लिए आवश्यक या इष्टकर कार्यवाही हाथ में लेना ;

(यढ़) यह सुनिश्चित करना कि, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य अकादमिक विशिष्टताएँ के मानदण्ड उससे अनिम्न नहीं है जिसे सक्षम विनियामक निकाय द्वारा अधिकथित किया गया है।

५. विश्वविद्यालय की, निम्न शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :— शक्तियाँ और कृत्य।

(एक) अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान संबंधी, परम्परागत के साथ नए नवप्रवर्तक पद्धतियों, जिनमें ऑनलाईन शिक्षा पद्धति सम्मिलित है, के माध्यम से दिए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित उपबंध करना तथा सभी उपायों (जिसमें पाठ्यक्रम को अपनाना तथा अद्यावत करना सम्मिलित है) को अपनाना ;

(दो) राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट या विश्वविद्यालय द्वारा जैसा कि परिभाषित किया जाए ऐसे राष्ट्रीय व्यावसायिक मानदण्ड के अनुसरण में विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यक्रम पॅकेज और श्रृंखला संरचना का विकास करना ;

(तीन) श्रृंखला संरचना और पाठ्यक्रम पॅकेज के समनुरुप जैसा कि कौशल विश्वविद्यालय ठिक समझे ऐसी कौशल शिक्षा, अध्यापन और अनुदेश के मानक और मापदंड परिभाषित करना ;

(चार) उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, बक्षिस, प्रमाणपत्र, पुरस्कार श्रेणियाँ, प्रत्यय तथा अकादमिक विशेषताओं को संस्थित और प्रदान करना ;

(पाँच) परीक्षाएँ संचालित तथा धारण करना ;

(छह) प्रशिक्षु प्रशिक्षण और सेवारत प्रशिक्षण समेत उनके कार्यक्रम और ध्येय प्राप्त करने के कार्यक्रम में छात्रों का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना ;

(सात) अन्य मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों, बोर्डों या परिषदों की उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्रों के समतुल्य तथा समरूप उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों के लिए उपबंध करना ;

(आठ) ऑनलाईन श्रेयांक पाठ्यक्रमों समेत चयन आधारित श्रेयांक प्रणाली की सुपुर्दगी करना ;

(नौ) लाभप्रद रोजगार, उद्यमशीलता, सेवारत प्रशिक्षण और प्रशिक्षु प्रशिक्षण के में प्रमुखता में कार्यक्रम की विभिन्नता के जरिए उच्चतर व्यावसायिक कौशल्य और प्रशिक्षण की सुपुर्दगी करना ;

(दस) उसकी कानूनी निकाय द्वारा यथा अनुमोदित कोई अकादमिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना ;

(ग्यारह) परिसरों की स्थापना के लिए सभी आवश्यक उपाय करना ;

(बारह) मानद उपाधियाँ, जैसा कि विहित किया गया है, को संस्थित करना और प्रदान करना ;

(तेरह) विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार फेलोशिप, छात्रावृत्ति, अध्येतावृत्ति संस्थित तथा अधिनिर्णित करना ;

(चौदह) समाज के शैक्षणिक रूप से पिछड़े स्तर में, शैक्षणिक सुविधाओं को फैलाने के लिए विशेष उपाय करना ;

(पंद्रह) तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उसमें नियुक्तियाँ करना ;

(सोलह) पारस्पारिक प्रतिग्राह्य शर्ते और निबंधनों पर अनुसंधान परियोजनाओं का जिम्मा लेना ;

(सत्रह) परामर्शी सेवाओं का उपबंध करना ;

(अठारह) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को सम्पादित करने के लिए परिनियमों, आर्डिनन्सों, नियमों तथा विनियमों को विरचित करना ;

(उन्नीस) विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र तथा कर्मचारी के व्यक्तित्व विकास के लिए पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन करना ;

(बीस) सक्षम विनियामक निकाय के अनुदेशों के अनुसार व्यतिकारी के आधार पर देश के भीतर या बाहर अन्य विश्वाविद्यालयों के मुकाबले में दोहरी उपाधियाँ, डिप्लोमाओं या प्रमाणपत्रों का उपबंध करना ;

(इक्कीस) विश्वविद्यालय विभिन्न शाखाओं में एकात्मिक पाठ्यक्रमों के लिए ऐसे उपबंधों को करना ;

(बाईस) राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा सक्षम विनियामक निकाय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार केन्द्रो, महाविद्यालयों, संस्थाओं, परिसर मुक्त केन्द्रों, तट मुक्त परिसर, अध्ययन केन्द्रों, कौशल केन्द्रों, परीक्षा केन्द्रों, उत्कर्षता केन्द्रों, सॅटेलाईट केन्द्रों की स्थापना करना ;

(तेईस) दान, बक्षिस, अनुदान, प्राप्त करना तथा किसी सम्पत्ति को जंगम या स्थावर, जिसमें राज्य के भीतर या बाहर के न्यास या विन्यास सम्पत्ति सम्मिलित है, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों के लिए अर्जित, धारण, प्रबंध तथा निपटान करना तथा जैसा कि विहित किया जाए निधि निवेशित करना ;

(चौबीस) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों के लिए, समय-समय से फीस संरचना विहित करना ;

(पच्चीस) ऐसे फीसों तथा अन्य प्रभार जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया गया हों, के भुगतान की माँग तथा प्राप्त करना ;

(छब्बीस) पारस्परिक ग्राह्य शर्तों और निबंधनों पर अन्य संस्थाओं, उद्योग, उद्योग संघ से सहयोग लेना ;

(सत्ताईस) सक्षम विनियामक निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मचारियों का वेतन, पारिश्रामिक, मानदेय का अवधारण करना ;

(अठ्ठाईस) अतिरिक्त बाह्य अध्यापन तथा विस्तार सेवाओं का आयोजन करना और उपक्रमित करना ;

(उनतिस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित तथा प्रवर्तित कराना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जैसा वह आवश्यक समझे ;

(तीस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा साधारण कल्याण को बढावा देने के लिए व्यवस्था करना ;

(इकतिस) देश के भीतर के या बाहर के अन्य किसी विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगठन या किसी सार्वजनिक या निजी निकाय से उस विश्वविद्यालय के उसी प्रकार के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों को बढ़ावा देने की दृष्टि से, ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसी करार पायी जाए, तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो विनिर्दिष्ट की जाए, सहयोग करना ;

(बत्तीस) विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये अनुसंधान तथा अन्य कार्य, जिसमें पाठ्य-पुस्तकें सम्मिलित है, के मुद्रण, पुनर्मुद्रण तथा प्रकाशन के लिए उपबंध करना ;

(तैंतिस) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निदेशों का, विश्वविद्यालय की उपर्युक्त शक्तियाँ, कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के संदर्भ में, अनुपालन करना तथा कार्यान्वित करना ;

(चौंतिस) संबंधित उपाधि कार्यक्रम की सफल संपूर्णता के आधार पर, उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक प्रविणता संस्थित करना और निर्धारण की बहुविध पद्धतियों के जरिए मूल्यांकित अकादमिक कार्य के लिये श्रेणी प्रदान करना ;

(पैंतीस) कार्यक्रम संरचना, पाठ्यक्रम, श्रेणी प्रणाली, अध्यापन-अध्ययन पद्धति, मूल्यांकन शिक्षा शास्त्र की रचना के लिये उपबंध बनाना और उद्योग आवश्यकता के अनुरूप अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान, विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यक्रमों के संबंध में, सभी उपाय अंगीकृत करना ;

(छत्तीस) अध्यापन संवर्ग में तथा प्रशिक्षण के लिये नियुक्त किये जाने वाले अध्यापकों, कर्मचारीवृंद तथा उद्योग विशेषज्ञ या स्रोत व्यक्तियों के लिये, न्यूनतम अर्हताओं के मापदण्ड विहित करना ;

(सैंतीस) उद्योग आधारित कौशल निर्धारण की रूपात्मकता, उद्योग आधारित परियोजना, आंतश्वासिता, कार्य पर प्रशिक्षण, तथा संबंधित किसी क्रियाकलाप के समेत मूल्यांकन प्रणाली-विज्ञान विहित करना ;

(अड़तीस) कौशल विकास शिक्षा - शास्त्र के अनुरूप विकल्पाधारित श्रेयांक प्रणाली संस्थित करना जो छात्रों को बहुविध - प्रविष्टि-प्रस्थान तथा क्रेडिट बैंकिंग तथा सभी स्तरों पर अंतरित होने की सुविधा मुहैया करना ;

(उनतालिस) छात्रों तथा काम करने वाले व्यवसायिकों के लिये प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और उपाधि कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिये, खुले, दूरस्थ शिक्षा तथा निरंतर शिक्षा के विभाग स्थापित करना ;

(चालीस) सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से कौशल शिक्षा में समिश्रण या ऑनलाईन उपाधि प्रदान करना ;

(इकतालिस) छात्रों और उद्योग की जरूरतों के अनुसार खुले तथा दूरस्थ अध्ययन कार्यक्रम शुरू करना ;

(बयालीस) कोई भूमि या भवन, परिसर या आधारभूत संरचना जिसे विश्वविद्यालय उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये उचित समझे ऐसे आवश्यक या सुविधापूर्ण हो सके खरीदने, पट्टेपर लेने या अनुमति और अनुज्ञप्ति से ले सकेगा ;

(तैंतालिस) विश्वविद्यालय द्वारा पैश किये जानेवाले खुले तथा दूरस्थ अध्ययन कार्यक्रमों के लिये बहुविध प्रवेश चक्र संचालित करना ;

(चौवालीस) बहुविध-प्रविष्टि और बहुविध निकास, पूर्व अध्ययन की पहचान, क्रेडिट बैंकींग और अंतरण, क्रेडिट माफी तथा पार्श्वीक गतिशीतला के लिये योजना तथा अन्य ऐसी योजना गठित करना, जो बडे पैमाने पर कौशल विकास को बढ़ावा दे ;

(पैंतालीस) छात्रों को, समतुल्यता प्रमाणपत्र, पाठ्यक्रम छूट, सेतू पाठ्यक्रम, कौशल प्रतिचित्रण प्रमाणपत्र, लचिला अध्ययन मार्ग आदि का उपबंध करने के लिये पूर्व अध्ययन पहचान विभाग स्थापित करना ;

(छियालीस) विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों के साथ-साथ तृतीय पक्ष निर्धारण के इच्छुक अन्य छात्रों, अभिकरणों, प्रशिक्षण प्रदाता, संस्थाओं, उद्योगों तथा संगठनों का कौशल निर्धारण करना ;

(सैंतालीस) रोजगार के अवसर और आकस्मिक काम की आवश्यकता जानने के लिये स्थानीय उद्योगों से आंतरक्रिया करने और व्यवसाय परामर्श, के ज़रिए छात्रों को अपने या उनके पसंद का रोजगार चुनने में सहायता करने के लिये, व्यवसाय तथा नियोजन मार्गदर्शन कक्ष स्थापित करना ;

(अड़तालिस) युवाओं को करियर मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करना ;

(उनचास) विश्वविद्यालय के सभी या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आनुषंगिक या सहायक हो, जैसा आवश्यक समझे सभी ऐसी बाते करने ।

विश्वविद्यालय सब के लिए खुला रहेगा।

६. (१) भारत का कोई भी नागरिक, सिर्फ लिंग, धर्म, पन्थ, वर्ग, जाति, जन्मस्थान, राष्ट्रीयता, धार्मिक मान्यता या व्यवसाय या राजनीतिक या अन्य मत के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी पद या उसके किसी प्राधिकरणों, निकायों या समितियों के सदस्यत्व या किसी पद पर की नियुक्ति, या किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अन्य अकादमिक विशेष योग्यता या अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अपवर्जित नहीं किया जाएगा।

(२) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभागों और संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के प्रयोजनार्थ, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, निरधिसूचित जनजातियों, (**विमुक्त जातियों**)। खानाबदोष जनजातियों, विशेष पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े प्रवर्गों, विकलांग व्यक्तियों आर्थिक और कमजोर वर्गों (इ डब्ल्यू एस) आदि के आरक्षण के संबंध में सरकारी नीति तथा समय-समय पर जारी आदेशों को अंगीकृत करेगा।

(३) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित, समाज के गरीब वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के विभिन्न संवर्गों के कल्याण के संदर्भ में, राज्य सरकार की साधारण नीति को अंगीकृत करेगा।

विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित होगा।

७. विश्वविद्यालय, स्ववित्तपोषित होगा तथा वह राज्य सरकार से कोई अनुदान या अन्य वित्तिय सहायता पाने का हकदार नहीं होगा।

विन्यास निधि।

८. (१) प्रायोजित निकाय, विश्वविद्यालय के लिए, " विन्यास निधि " नामक एक स्थायी कानूनी निधि स्थापित करेगी, जिसमें कम से कम दस करोड़ रुपये समाविष्ट होंगे जिसे **स्व-प्रेरणा** से बढ़ाया जा सकेगा, परन्तु कम नहीं किया जायेगा।

(२) विन्यास निधि, इस अधिनियम, नियमों, विनियमों, परिनियमों या तद्धीन बनाये गये ऑर्डिनेन्स के उपबंधों के कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा निक्षेप के रूप में रखी जायेगी।

(३) सरकार को, इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों, परिनियमों, ऑर्डिनेन्सों या तद्धीन बनाये गये विनियमों का उल्लंघन विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय के मामले में, विन्यास निधि का अंशतः या संपूर्ण भाग विहितरीत्या में समपहृत करने की शक्ति होगी।

(४) विन्यास निधि से आय, विश्वविद्यालय की मुलभूत सुविधा के विकास के लिए उपयोग में लाया जाएगा किंतु, विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

(५) विन्यास निधि की राशि, विनिहित रखी जाएगी, जब तक विश्वविद्यालय का विघटन हो, सरकार द्वारा प्राप्त या प्रत्याभूत दीर्घकालिक सुरक्षा के रूप में शर्त के अध्यधीन की, यह निधि सरकार की अनुमति के बिना, नहीं निकाली जाएगी।

(६) दीर्घकालिक सुरक्षा के प्रमाणपत्र, सरकार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएँगे ; तथा सरकार को, उप-धारा (३) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए, जमा राशि भुनाने का अधिकार होगा।

साधारण निधि।

९. विश्वविद्यालय, साधारण निधि के नाम से एक निधि स्थापित करेगा, जिसमें निम्न जमा किया जाएगा, अर्थात् :-

(एक) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभार ;

(दो) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अंशदान ;

(तीन) विश्वविद्यालय द्वारा परामर्श तथा अन्य कार्य से प्राप्त कोई राशि ;

(चार) वसीयतों, दान, विन्यासों, तथा कोई अन्य अनुदान ; तथा

(पाँच) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सभी अन्य राशियाँ।

सामान्य निधि का उपयोग।

१०. (१) सामान्य निधि का उपयोग, विश्वविद्यालय के कामकाज के संबंध में सभी व्यय जिसमें आवर्ती या अनावर्ती व्यय पूरा करने के लिए किया जायेगा :

परन्तु, इस वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिये सीमाओं के अधिक में व्यय विश्वविद्यालय द्वारा उपगत नहीं किया जायेगा, जिसे प्रबंधमंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के बिना, प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा नियत किया जा सकेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

११. विश्वविद्यालय के निम्न अधिकारी होंगे, अर्थात् :-

(एक) अध्यक्ष जो कुलाधिपति भी होगा ;

(दो) कुलपति ;

(तीन) संकायाध्यक्ष ;

(चार) रजिस्ट्रार ;

(पाँच) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी ;

(छह) निर्धारण और मूल्यांकन निदेशक ; और

(सात) विश्वविद्यालय सेवा में ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में घोषित किया जाए।

१२. (१) अध्यक्ष, पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रायोजित निकाय द्वारा नियुक्त किया जायेगा और एक अधिक अवधि के लिये पात्र होगा। अध्यक्ष।

(२) अध्यक्ष के पद के लिए पात्रता मानदंड कौशल्य विकास या उद्योग अनुभव के दस वर्षों से मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम स्नातक होगा।

(३) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा।

(४) अध्यक्ष, शासी निकाय की बैठकों और उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान करने के लिए होनेवाले विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(५) अध्यक्ष को, निम्न शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात् :

(क) विश्वविद्यालय के कामकाज से संबंधित विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी से कोई जानकारी या अभिलेख मांगना ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति करना ;

(ग) इस अधिनियम की धारा १४ की उप-धारा (७) के उपबंधों के अनुसरण में, कुलपति को हटाना ;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

१३. अध्यक्ष को, प्रायोजक निकाय द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पदधारी, - अध्यक्ष को हटाना।

(क) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, उसे इस प्रकार घोषित ठहराया गया है ;

(ख) नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है ;

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ;

(घ) शारीरिक रूप से अनुपयुक्त है और दीर्घकालिन बीमारी या शारीरिक विकलांगता के कारण कार्य या पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ है ; या

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में जानबूझकर लोप या अस्वीकार करता है और सेवा संविदा के किन्ही निबन्धनों और शर्तों का या परिनियमों द्वारा अधिकथित किन्ही अन्य शर्तों का उल्लंघन करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या अध्यक्ष को पद पर बनाए रखने से विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है :

परन्तु, अध्यक्ष को, उक्त पद से हटाने के लिए, खंड (घ) और (ङ) के अधीन पुनर्पाठ्यक्रम लेने के पूर्व प्रायोजक निकाय द्वारा कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

१४. (१) विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग द्वारा विरचित नियमों या विनियमों के अनुसार गठित अनुसंधान-नि-चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये ऐसे पात्रता मानदण्ड की पूर्ति करनेवाले और परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर तीन व्यक्तियों के पैनल से अध्यक्ष द्वारा कुलपति की नियुक्ती की जायेगी और कुलपति और उप-धारा (७) में अन्ताविष्ट उपबधों के अध्यधीन तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा : कुलपति।

परंतु, विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति उसके लिये आवश्यक अहर्ताये और अनुभव धारण करनेवाले व्यक्तीयों में से एक वर्ष की अवधि के लिये या नियमित रूप से जो भी पहले हो, के लिये प्रायोजक निकाय द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

परन्तु, तीन वर्षों की अवधि अवसित होने के पश्चात् कुलपति, तीन वर्ष की अधिक अवधि के पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु आगे यह भी कि, कुलपति, अपने पद की अवधि के अवसान के बाद भी, नवीन कुलपति के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा, तथापि, किसी मामले में, यह अवधि, एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(२) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और अकादमिक अधिकारी होगा और उसकी विश्वविद्यालय के कामकाज पर संपूर्ण अधीक्षण की शक्तियाँ होगी और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों को निष्पादित करेगा।

(३) कुलपति, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(४) यदि, कुलपति की राय में, ऐसे किसी मामले में जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन किसी अन्य प्राधिकरणों को शक्तियाँ प्रदान की गई है, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक है तो, वह ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात्, शीघ्रतम अवसर पर अपनी कार्यवाही रिपोर्ट ऐसे अधिकारी या प्राधिकरणों को देगा जो सामान्यतया उस मामले का निपटान करता है :

परन्तु, यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में ऐसी कार्यवाही कुलपति द्वारा नहीं की गई थी तब ऐसे मामले में अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसपर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(५) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरणों का निर्णय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, आर्डिनेन्स, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन करता है या विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो वह अपने निर्णय का पुनरीक्षण करने के लिए संबंधित प्राधिकरण से अनुरोध करेगा और प्राधिकरण, निर्णय का पूर्णतः या अंशतः पुनरीक्षण करने के लिए इनकार करता है या पंद्रह दिनों के भीतर कोई निर्णय लेने में असफल रहता है तब ऐसा मामला, अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा और जिसपर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(६) कुलपति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि परिनियमों या आर्डिनेन्स द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(७) यदि किसी समय प्राप्त किये गये अभ्यावेदन पर या अन्यथा और ऐसी जाँच करने के बाद, जैसा आवश्यक समझा जाए, स्थिति इस प्रकार समर्थित करे और यदि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वद्यालय के हित में नहीं है तो अध्यक्ष, शासी निकाय के अनुमोदन से उसके लिए कारण दर्शाते हुए किसी लिखित आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे दिनांक से उस पद को त्यागने के लिए कुलपति को कहेगा :

परन्तु, इस उप-धारा के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व कुलपति को सुनवाई करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

संकायाध्यक्ष। **१५.** (१) संकायाध्यक्ष, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के अकादमिक कार्यकलापों के प्रबंध में कुलपति को सहायता करेगा और विनियमों द्वारा विहित की जाए या अध्यक्ष और कुलपति द्वारा सोंपजाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

रजिस्ट्रार। **१६.** (१) रजिस्ट्रार, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी रीत्या में और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा।

(२) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के निर्णय के अध्यधीन उसे करार करने, संविदा करने, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी, वह परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

(३) रजिस्ट्रार, शासी निकाय, प्रबंध मंडल बोर्ड और अकादमिक परिषद का सदस्य सचिव होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(४) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जैसा शासी निकाय उसके प्रभार में सुपुर्द करें।

(५) रजिस्ट्रार, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विहित किया जाए या परिनियमों द्वारा उसे प्रदान किया जाए या कुलपति द्वारा समय-समय से उसे समनुदेशित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का अनुपालन करेगा।

निर्धारण और मूल्यांकन निदेशक ।

१७. (१) निर्धारण और मूल्यांकन निदेशक, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या में और सेवा मूल्यांकन के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(२) निर्धारण और मूल्यांकन निदेशक, विश्वविद्यालय की परीक्षा और परीक्षण के संचालन और उनके परिणामों की घोषणा करनेवाला प्रभारी प्रधान अधिकारी होगा। वह कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और मार्गदर्शन के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(३) निर्धारण और मूल्यांकन निदेशक, विश्वविद्यालय का पूर्ण समय वैतनिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कुलपति के निदेशन और नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा। उसकी नियुक्ति, पाँच वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी और वह पाँच वर्षों की केवल एक अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। निदेशक के चयन के प्रयोजन के लिए अर्हता और अनुभव जैसा कि विहित किया जाए ऐसा होगा।

(४) निर्धारण और मूल्यांकन निदेशक, -

(क) परीक्षाओं से कलैंडर तैयार करना और पहले से ही घोषित करना ;

(ख) प्रश्नपत्रों के मुद्रण के लिए व्यवस्था करना;

(ग) परीक्षाओं और अन्य परीक्षणों के परिणामों की समय पर प्रकाशन की व्यवस्था करना ;

(घ) परीक्षाओं से संबंधित उम्मीदवारों, पेपर सेटर्स, परीक्षकों, अनुसीमकों या किसी अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध और परीक्षाओं के संबंध में कदाचार का दोषी पाये जाने पर जहाँ आवश्यक हो अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा ;

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करेगा और अकादमिक परिषद को उसपर रिपोर्ट अग्रेषित करेगा।

(५) निर्धारण और मूल्यांकन निदेशक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसा कि विहित किया जाए या उसे समनुदेशित किया जाए।

मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी ।

१८. (१) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, विश्वविद्यालय का प्रधान वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा अधिकारी होगा।

(२) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(३) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

अन्य अधिकारी ।

१९. (१) विश्वविद्यालय, उसके कर्तव्यों के लिए आवश्यक समझे जाये ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।

(२) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, ऐसे अधिकारियों के सेवा के निबंधन और शर्तें, उनकी शक्तियाँ और कृत्य परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाए ऐसे होंगे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण ।

२०. विश्वविद्यालय के निम्न, प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :

(क) शासी निकाय ;

(ख) प्रबंध मंडल बोर्ड

(ग) अकादमिक परिषद ;

(घ) निर्धारण और मूल्यांकन बोर्ड ; और

(ङ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में परिनियमों द्वारा घोषित किया जाए ऐसे अन्य प्राधिकरण।

शासी निकाय ।

२१. (१) विश्वविद्यालय का शासी निकाय, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्

(क) अध्यक्ष ;

(ख) कुलपति ;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट पाँच व्यक्ति, जिनमें से दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद् होंगे और शेष कौशल्य विकास में अनुभव के ५ वर्षे हो, उद्योग विशेषज्ञ होंगे ;

(घ) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के बाहर से एक विशेषज्ञ होगा ;

(ङ) कौशल्य विकास में पाँच वर्षों के अनुभववाला राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति ;

(च) विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार, शासी निकाय का स्थायी आमंत्रिति होगा किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(२) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का उच्चतम प्राधिकरण होगा।

(३) शासी निकाय को, निम्न शक्तियाँ होगी, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम या परिनियमों, आर्डिनेन्स, तद्धीन बनाए गए विनियमों या नियमों द्वारा यथा उपबंधित ऐसी सभी शक्तियों के उपयोग द्वारा, विश्वविद्यालय के कार्यों का सामान्य अधीक्षण दर्जा नियंत्रण और निदेशन और नियंत्रण का उपबंध करना ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, आर्डिनेन्स, विनियमों या नियमों की पुष्टि नहीं हैं के मामले में, विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के निर्णयों का पुनर्विलोकन करना ;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना ;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनायी जानेवाली नीतियाँ अधिकथित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिनिर्धारण के बारे में सभी प्रयासों के बावजूद जब विश्वविद्यालय के सुचारू कार्यान्वयन करने की उद्‌भूत स्थिति शेष संभव नहीं होती हैं तब प्रायोजक निकाय को सिफारिशें करना; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) शासी निकाय की, कलैन्डर वर्ष में कम से कम तीन बैठकें प्रत्येक चार महीने में एक बार बैठक करनी होंगी।

(५) शासी निकाय के बैठकों की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी।

२२. (१) प्रबंधमंडल बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :— प्रबंधमंडल बोर्ड।

(क) कुलपति ;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट शासी निकाय के दो सदस्य ;

(ग) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले चक्रानुक्रम द्वारा विश्वविद्यालय के दो संकायाध्यक्ष ;

(घ) तीन व्यक्तियाँ शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट जो शासी निकाय के सदस्य नहीं है; और

(ङ) शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट अध्यापकों में से तीन व्यक्तियाँ ।

(२) कुलपति, प्रबंध मंडल का अध्यक्ष होगा ।

(३) प्रबंध मंडल बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य, ऐसे होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाए ।

(४) प्रबंध मंडल बोर्ड, प्रत्येक दो महीनें में कम से कम एक बार बैठक लेगा ।

(५) प्रबंध मंडल बोर्ड के बैठक की गणपूर्ति पाँच सदस्यों से होगी ।

२३. (१) अकादमिक परिषद, कुलपति और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। अकादमिक परिषद ।

(२) कुलपति, अकादमिक परिषद का **पदेन** अध्यक्ष होगा ।

(३) अकादमिक परिषद, विश्वविद्यालय की प्रधान अकादमिक निकाय होगी, और इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और आर्डिनेन्स के अध्यधीन विश्वविद्यालय के अकादमिक नीतियों का समन्वयन और सामान्य पर्यवेक्षण करेगा ।

(४) अकादमिक परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति, ऐसी होगी जैसा परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

२४. (१) परिक्षा बोर्ड, परीक्षाओं के संचालन और परीक्षाओं का आयोजन और परीक्षा लेने के बारे में नीति संबंधी निर्णय लेने, कौशल आधारित निर्धारण और महत्त्व के लिए योजना या नीति, निर्धारण और परीक्षा पद्धति में सुधार लाने, पेपर-सेटरों, परीक्षकों, अनुसीमकों उद्योगों से कौशल निर्धारकों की नियुक्ति के लिए और निर्धारण और मूल्यांकन कराने के दिनांक की अनुसूची और परिणामों की घोषणा करने के दिनांकों की अनुसूची भी तैयार करनेवाला विश्वविद्यालय का प्रधान प्राधिकरण होगा । निर्धारण और मूल्यांकन बोर्ड, विश्वविद्यालय के परीक्षा केंन्द्रो, कौशल केन्द्रों अध्ययन केन्द्रों या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी केंद्र में परीक्षाओं के संचालन का निरीक्षण और विनियमन भी करेगा । निर्धारण और मूल्यांकन बोर्ड ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा और धारा ३८ के प्रयोजनों के लिए, “निर्धारण और मूल्यांकन की अनुसूची” की अभिव्यक्ति का तात्पर्य, प्रत्येक पेपर का समय, दिन और दिनांक के प्रारभ्मण के बारे में दी गई ब्योरेवार तालिका से है, जो परीक्षा प्रणाली का हिस्सा है और जिनमें प्रात्यक्षिक परीक्षा के बारे में भी ब्यौरे सम्मिलित होंगे।

(२) निर्धारण और मूल्यांकन बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति	. .	अध्यक्ष ;
(ख) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित, चक्रानुक्रम द्वारा विश्वविद्यालय के दो संकायाध्यक्ष विषय के प्राध्यापक ;	. .	सदस्य ;
(ग) मूल्यांकन और निर्धारण बोर्ड द्वारा सहयोजित एक मूल्यांकन विशेषज्ञ ;	. .	सदस्य ;
(घ) निर्धारण और मूल्यांकन निदेशक ;	. .	सदस्य-सचिव ।

(३) निर्धारण और मूल्यांकन बोर्ड की शक्तियाँ, और कृत्य ऐसे होंगे, जैसा कि परिनियमों में अधिकथित किया जाए ।

२५. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएँ । अन्य प्राधिकरण ।

निरर्हताएँ । **२६.** कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किन्ही प्राधिकरणों या निकायों का सदस्य होने से निरर्ह होगा, यदि वह,—

(एक) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, इस प्रकार घोषित किया गया है; या

(दो) नैतिक अधमता से अर्न्तग्रस्त किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है; या

(तीन) निजी कोचिंग वर्गों को स्वयं चलाता है या जुडा हुआ है ; या

(चार) कहीं भी, किसी भी रूप में किसी परीक्षा के संचालन में अनुचित व्यवहार करने में जुडे होने या बढावा देने के लिए दंडित किया गया है ।

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय की रिक्तियों संबंधी कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होगी । **२७.** विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के कार्य या कार्यवाहियाँ केवल किसी रिक्ति के या उसके गठन में त्रुटि के कारण द्वारा अविधिमान्य नहीं होगी ।

अस्थायी रिक्तियों को भरना । **२८.** किसी मामले में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में सदस्य की मृत्यु, इस्तीफा या हटाये जाने के कारण कोई अस्थायी रिक्ति पायी जाती है तो, यथा संभव शीघ्र, व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे ऐसी रिक्ति के स्थान में नियुक्त या सदस्य को नामनिर्देशित किया गया है और अवधि के शेष भाग के लिए अस्थायी रिक्ति को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसी संस्था या निकाय का सदस्य होना चाहिए जिसके लिए व्यक्ति अस्थायी नियुक्ति के लिए नियुक्त किया गया या नामनिर्दिष्ट किया गया है तो, जिस शेष पदावधि के लिए वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होगा, जिस स्थान के लिए रिक्ति भरी जाती है वह सदस्य के रूप में पद धारण करेगा ।

समितियाँ । **२९.** (१) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अधिकारी ऐसे संदर्भों के निबंधनों से ऐसी समितियों द्वारा किये जानेवाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए जैसा आवश्यक समझें समितियाँ गठित करेंगे ।

(२) ऐसी समितियों का गठन ऐसा होगा, जिसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

प्रथम परिनियम। **३०.** (१) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम, शासी निकाय द्वारा बनाये जायेंगे और उसके अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे ।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन और तद्धीन बनाए गए नियम, विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कराएगा, अर्थात् :

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों के गठन, शक्तियाँ और कृत्य समय-समय पर गठित किये जायेंगे ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों तथा उसकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ग) संकायाध्यक्ष, रजिस्ट्रार तथा मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(घ) कर्मचारियों के नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ङ) कर्मचारियों, छात्रों तथा विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामले में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया ;

(च) सम्मानिक उपाधियों को प्रदान करना ;

(छ) छात्रों को अध्यापन फीस अदायगी से छूट देने तथा उन्हें छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए संबंध में उपबंध ;

(ज) आरक्षित सीटों के विनियमन समेत विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेशों की नीति, सीटों की संख्या के संबंध में उपबंध ; और

(झ) छात्रों से प्रभारित किए जानेवाले फीस के संबंध में उपबंध ।

(३) सरकार, शासी निकाय द्वारा प्रस्तुत प्रथम परिनियम का विचार करेगी और यदि कोई हो, ऐसे उपांतरणों के साथ जैसा वह आवश्यक समझे, उसकी प्राप्ति की दिनांक से चार महीने के भीतर, उस पर उसका अनुमोदन देगी ।

(४) सरकार, **राजपत्र** में अपने अनुमोदन द्वारा प्रथम परिनियम प्रकाशित करेगी, उसके बाद, ऐसे प्रकाशन के दिनांक से पहला परिनियम प्रवृत्त होगा ।

३१. (१) इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्वर्ती परिनियम, निम्न सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध करेंगे, अर्थात् पश्चात्वर्ती परिनियम ।

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन करना ;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया ;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करना ;

(घ) नए विभागों का निर्माण और विद्यमान विभाग का उत्सादन या पुनःसंरचना करना ;

(ङ) पदकों तथा पुरस्कारों को संस्थित करना ;

(च) पदों के उत्सादन के लिए पदों तथा प्रक्रिया का सृजन करना ;

(छ) फीस का पुनरीक्षण ;

(ज) विभिन्न पाठ्यविवरण में सीटों की संख्या का परिवर्तन; और

(झ) परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो सभी अन्य मामले हैं।

(२) विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रथम परिनियम से अन्य शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध मंडल बोर्ड द्वारा बनाये जायेंगे ।

(३) प्रबंध मंडल बोर्ड, समय-समय से नये या अतिरिक्त परिनियम बनाएगा या इस धारा में उपबंधित जिसे इसमें आगे ऐसी रीत्या बनाए गए परिनियमों में संशोधन या निरसन करेगा :

परंतु, प्रबंध मंडल बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण के किसी प्रतिष्ठा, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियमों या परिनियम के किसी संशोधन नहीं बनाएगा जब तक ऐसा प्राधिकरण प्रस्ताव पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं देता है और इस प्रकार कोई राय लिखित में अभिव्यक्त नहीं करता है तब तक होगा तथा उसका शासी निकाय द्वारा विचार किया जाएगा ।

(४) प्रत्येक ऐसे परिनियम या परिनियम में परिवर्धन या किसी संशोधन या परिनियम के निरसन सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे :

परंतु, कोई भी परिनियम विद्या परिषद सें परामर्श के बिना, विद्यार्थियों के अनुशासन और शिक्षा का स्तरमान, शिक्षा तथा परीक्षा पर प्रभाव डालने वाले प्रबंध मंडल बोर्ड द्वारा नहीं बनाए जाएंगे ।

३२. (१) विश्वविद्यालय के प्रथम आर्डिनेन्स, कुलपति द्वारा बनाए जाएँगे जो कि शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद, उनके अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किए जाएँगे । प्रथम आर्डिनेन्स ।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए जैसे उसे उचित समझे शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध मंडल बोर्ड ऐसे प्रथम ऑर्डिनेन्सेस बनाएगा और ऐसे ऑर्डिनेन्सेस निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए मुहैया कराएगा, अर्थात् :

(क) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश तथा उनके ऐसे नामांकन ;

(ख) विश्वविद्यालय में उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले ;

(ग) उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों तथा अन्य अकादमिक विशिष्टताओं को प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएँ वही होंगी तथा मंजूर करने और प्राप्त करने से संबंधित वही अर्थ होगा ;

(घ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, पदक और पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए शर्तें ;

(ङ) कार्यालय की शर्तें और नियुक्ति की रीति और परीक्षा निकाय के कर्तव्य, परीक्षकों तथा अनुसीमकों समेत परीक्षाओं का संचालन ;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यचर्याओं, परीक्षाओं, उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए प्रभारित की जानेवाली फीस ;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रावास में विद्यार्थियों के आवास की शर्तें ;

(ज) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई करने संबंधी उपबंध ;

(झ) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार करने के लिए किसी अन्य निकाय के सृजन, संरचना और कृत्य जो कि आवश्यक माने गए हैं ;

(ञ) उच्च शिक्षा के अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं से सहकारिता और सहयोग की रीति ; और

(ट) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों द्वारा जो अन्य सभी मामलें ऑर्डिनेन्सों द्वारा मुहैया करना अपेक्षित है ।

(३) सरकार, उप-धारा (१) के अधीन कुलपति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रथम ऑडिनेन्सों का विचार करेगी और ऐसे उपांतरण के साथ यदि कोई आवश्यक समझे तो, उसकी प्राप्ति के दिनांक से चार महीनों के भीतर अनुमोदन देगी ।

पश्चात्वर्ती ऑर्डीनेन्स । **३३.** (१) अकादमिक परिषद द्वारा बनाए गए प्रथम ऑर्डिनेन्स से अन्य सभी ऑर्डिनेन्स प्रबंध मंडल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद उसके अनुमोदन के लिए शासी निकाय को प्रस्तुत किए जाएँगे ।

(२) अकादमिक परिषद, या तो प्रबंध मंडल बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करके ऑर्डिनेन्सेस उपांतरित करेगी या सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी, यदि कोई हो, ऐसे कारणों के साथ ऑर्डिनेन्सेस लौटाएगी। प्रबंध मंडल बोर्ड और शासी निकाय, अकादमिक परिषद के सुझावों का विचार करेंगे और विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्सेस ऐसे उपांतरणों के साथ या के बिना अनुमोदित किए जायेंगे और तत्पश्चात्, शासी निकाय द्वारा अनुमोदित रूप में ऑर्डिनेन्सेस प्रवृत्त होंगे ।

विनियम । **३४.** विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंध मंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन, उसके स्वयं के कारोबार और उसके द्वारा नियुक्त समितियों को संचालित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों, तद्धीन बनाए गए ऑर्डिनेन्स और परिनियमों से संगत विनियम बनाएँगे ।

प्रवेश । **३५.** (१) विश्वविद्यालय में प्रवेश गुणागुण के आधार पर कड़ाई से किये जायेंगे ।

(२) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए गुणागुण के आधार पर या प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त किए गए श्रेणी के आधार पर और पाठ्यक्रमेतर तथा पाठ्येतर गतिविधियों में प्राप्त उपलब्धि या राज्य स्तर पर संचालित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त गुण या श्रेणी के आधार पर या विश्वविद्यालय के सहयोजन द्वारा या राज्य के किसी एजेंसी द्वारा होंगे :

परंतु, वृत्तिक तथा तकनीकी पाठ्यचर्याओं में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के ज़रिए होंगे।

(३) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े प्रवर्गों तथा विकलांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित रखी जाएँगी :

परंतु, किसी मामले में कुल आरक्षण पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(४) महाराष्ट्र का अधिवास रखनेवाले छात्रों के लिए चालीस प्रतिशत सीटें अनुमोदित कुल ग्रहण क्षमता में से आरक्षित रखी जायेगी ।

३६. (१) विश्वविद्यालय, समय-समय पर विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के लिए उनकी फीस संरचना तैयार करेगा और उसे सभी स्व- वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के लिए फीस संरचना का पूनर्विलोकन करने के लिए, समय-समय से जारी सरकारी संकल्प द्वारा, राज्य सरकार द्वारा गठित फीस संरचना पुनर्विलोकन समिति के अनुमोदन के लिए उसे अग्रेषित कर सकेगा । फीस संरचना पुनर्विलोकन समिति ।

सन् २०१५ महा. २८ । (२) महाराष्ट्र असहायताप्राप्त निजी वृत्तिक शैक्षिक संस्थाएँ (प्रवेश तथा फीस का विनियमन) अधिनियम, २०१५ की धारा १४ और १५ में उपबंधित फीस संरचना के निर्धारण के लिए फीस विनियमिति प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत की जानेवाली प्रक्रिया और घटक, विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए फीस संरचना प्रस्ताव का विचार करते समय फीस संरचना पुनर्विलोकन समिति द्वारा **यथावश्यक परिवर्तन समेत** अपनायी जायेगी।

(३) समिति, विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गयी फीस संरचना पर विचार करेगी, उसका पुनर्विलोकन करेगी और चाहे प्रस्तावित फीस,–

(क) (एक) विश्वविद्यालय का आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए स्त्रोत निर्माण करने; और

(दो) विश्वविद्यालय के अधिकतर विकास के लिए आवश्यक व्यावृतियों के लिए पर्याप्त है; और

(ख) अनुचित ढ़ंग से अत्यधिक नहीं है, का विचार करने के पश्चात्, उसकी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी

(४) उप-धारा (३) के अधीन सिफारिशों की प्राप्ति के पश्चात्, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि, प्रस्तावित फीस संरचना पर्याप्त और युक्तीयुक्त है, तो वह फीस संरचना का अनुमोदन कर सकेगी। यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि, प्रस्तावित फीस संरचना पर्याप्त नहीं है और अनुचित है तो वह उसे अस्वीकृत करेगी और उसके पुनर्विचार के लिए उसे समिति को वापस भेज देगी । सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना अगले पुनर्विलोकन तक शेष वैध रहेगी।

(५) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय में प्रवेशित पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों के लिए किसी फीस की प्रतिपूर्ति नहीं करेगी या कोई वित्तीय दायित्व नहीं लेगी।

(६) विश्वविद्यालय उप-धारा (४) के अधीन जिसके लिए वह हकदार है से अन्यथा चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए कोई फीस प्रभारित नहीं करेगी।

३७. (१) कोई प्रतिव्यक्ति फीस, विश्वविद्यालय द्वारा या की और से या कोई व्यक्ति जो ऐसी, संस्था के प्रबंधन के लिए प्रभारी है या जिम्मेवार है, के द्वारा, किसी छात्र से या उसके प्रवेश के प्रतिफलेन और ऐसी संस्था में किसी अध्ययन के पाठ्यक्रम या उच्चतर कक्षा या वर्ग में उसकी पदोन्नति के लिए, संग्रहीत नहीं की जाएगी। प्रतिव्यक्ति फीस का प्रतिषेध।

(२) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रबंधन रोक्रड़ या उसी प्रकार में विहित रीत्या विन्यास निधि व्यक्तियों या संगठन या लोकन्यासों या किसी अन्य लोगों के संगठन से छात्रवृत्ति या पुरस्कार या जैसे प्रदान करने के लिए विन्यास निधि सृजन करने के लिए नए शिक्षण संस्थाओं को खोलने के लिए सद्भाव में दान संग्रह या प्राप्त करेगी लेकिन, ऐसे दान संग्रहित या स्वीकारते समय प्रबंधन ऐसे दान के विचार में उसके द्वारा चलित किसी शैक्षणिक संस्था में कोई सीटें आरक्षित नहीं रखेगी । जहाँ ऐसे संदनों की स्वीकृति के विचार में ऐसी संस्था में किसी छात्र के प्रवेश के लिए कोई जगह आरक्षित है तो दान के ऐसे प्रतिग्रहण, प्रतिव्यक्ति फीस, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान (प्रतिव्यक्ति फीस का प्रतिषेध) अधिनियम, १९८७ की धारा २ के खण्ड (क) के अर्थान्तर्गत समझे जाएँगे ।

सन् १९८८ का महा. ६। **३८.** प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के शुरुआत में और किसी मामले में, प्रत्येक कलेंडर वर्ष के ३१ जुलाई से पहले विश्वविद्यालय उसके द्वारा संचालित हर और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए सत्रवार या, यथास्थिति, वार्षिक निर्धारण और मूल्यांकन अनुसूची तैयार तथा प्रकाशित करेगी और ऐसे समय-सारणी का कड़ाई से पालन होगा : निर्धारण और मूल्यांकन सारणी।

परंतु, यदि चाहे जिस किसी भी कारण के लिए, विश्वविद्यालय यह समय-सारणी अनुसरण करने में असमर्थ है तो वह यथासंभव शीघ्र सरकार को प्रकाशित समय-सारणी से प्रस्थान तैयार करने के लिए विस्तृत

कारणों को देने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । सरकार, उस पर भविष्य में अनुपालन के लिए जैसा कि उचित समझे, ऐसे निदेश जारी करेगी ।

परिणामों की घोषणा।

३९. (१) विश्वविद्यालय, विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए उसके द्वारा संचालित निर्धारण और मूल्यांकन की अंतिम दिनांक से लेकर तीस दिनों के भीतर उसके द्वारा संचालित परिणाम घोषित करेगा :

परंतु, यदि जो कोई भी कारण हो, विश्वविद्यालय किसी भी निर्धारण और मूल्यांकन के परिणाम पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर, अंतिमतः घोषित करने में असमर्थ है, वह सरकार को ऐसे विलंब के विस्तृत कारणों में समाविष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । सरकार, उस पर, भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए, जैसा कि वह उचित समझे, ऐसे निर्देश जारी करेगा ।

(२) निर्धारण और मूल्यांकन या परीक्षा के परिणाम, विश्वविद्यालय ने धारा ३८ में अनुबद्ध परीक्षा की अनुसूची का अनुसरण नहीं किया है या उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, विश्वविद्यालय परिणाम घोषित करने में असफल हुआ है सिर्फ इसी कारण के लिए अविधिमान्य नहीं होंगे।

दीक्षांत समारोह ।

४०. विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह उपाधियाँ, डिप्लोमा, प्रदान करने के लिए या किसी अन्य प्रयोजनार्थ परिनियमों द्वारा विहित रित्या में, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में किया जाएगा।

विश्वविद्यालय का प्रत्यायन ।

४१. विश्वविद्यालय अस्तीत्व में आने तत्पश्चात्, बाजार के स्थान के समकालीक और प्रासंगिकता के अनुसार ऐसे प्रत्यायन प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित किया जाए ऐसे अन्य निकाय या प्राधिकरण से राष्ट्रीय या अन्तराष्ट्रीय प्रत्यायन प्राप्त करेगा।

विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि का अनुसरण करेगा ।

४२. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि के पालन के लिये और ऐसे निकायों को उनके द्वारा उनके कर्तव्यों का निर्वहन तथा उनके कार्यों को कार्यान्विन करने के लिए आवश्यक है ऐसी सभी सुविधाओं और सहायता मुहैया करने के लिये बाध्यकारी होगी ।

वार्षिक रिपोर्ट ।

४३. (१) विश्वविद्यालय का वार्षिक रिपोर्ट प्रबंधन मंडल बोर्ड तैयार करेगा जिसमें अन्य मामलों में, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों को पूरा करने हेतु उठाए गए कदमों का समावेश होगा तथा शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा उसी की प्रति प्रायोजक निकाय को भेजी जाएगी ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी।

(३) राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष ऐसी रिपोर्ट रेखेगी।

वार्षिक लेखा और संपरीक्षा।

४४. (१) प्रबंध मंडल बोर्ड के निर्देशों के अधीन तुलनपत्र समेत विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा तैयार किए जाएँगे और इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार लेखापरीक्षा की जाएगी।

(२) लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखा की प्रति शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(३) वार्षिक लेखाओं तथा शासी निकाय के संप्रेक्षणों के साथ जोड़ी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(४) उप-धारा (१) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखाओं और तुलनपत्र की प्रतियाँ भी सरकार प्रस्तुत की जाएगी।

(५) सरकार की सलाह, यदि कोई हो, विश्वविद्यालय के लेखा और लेखापरीक्षा की रिपोर्ट से उद्‌भूत होती है तो, शासी निकाय के सामने रखी जाएगी और शासी निकाय जैसा उचित समझे ऐसे निदेश जारी करेगी और उसका अनुपालन सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

४५. (१) विश्वविद्यालय से संबंधित अध्यापन, निर्धारण और मूल्यांकन और संशोधन या किसी अन्य मामले की श्रेणियाँ अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, सरकार, कुलपति से परामर्श के बाद, जैसा वह उचित समझे ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीति में मामला निर्धारण करेगी। विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की सरकार की शक्तियाँ ।

(२) सरकार, सुधारक कार्यवाही के लिए ऐसे निर्धारण के परिणामस्वरूप, संबंध में उसकी सिफारिशें विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय सिफारिशों के अनुपालन की सुनिश्चिति के लिए आवश्यकता के रूप में ऐसे सुधारक उपाय करेगी ।

(३) यदि विश्वविद्यालय, उचित समय के भीतर, उप-धारा (२) के अधीन बनी सिफारिशों का अनुपालन करने में असफल रहती है तो सरकार, जैसा वह उचित समझे ऐसे निर्देश देगी जो विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे ।

४६. (१) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को अग्रिम रूप में कम से कम एक वर्ष की इस प्रभाव की सूचना सरकार को देकर, विश्वविद्यालय विघटित करेगी : प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन।

परंतु, विश्वविद्यालय का विघटन, केवल उसके नियमित पाठ्यक्रम पूरे करनेवाले छात्रों की अंतिम बॅच का होगा और उन्हें उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कारों से पुरस्कृत किये जाने पर ही प्रभावी होगा ।

(२) विश्वविद्यालय के विघटन पर विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व, प्रायोजक निकाय में निहित होंगी :

परंतु, विश्वविद्यालय उसकी स्थापना से पंद्रह वर्षों पहले प्रायोजक निकाय द्वारा विघटन किये जाने के मामले में विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ, सभी ऋणभारों से मुक्त होकर सरकार में निहित होंगी ।

४७. (१) यदि, सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्ही निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम, की धारा ५ के अधीन दिये गये किन्हीं उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत होता है या विश्वविद्यालय में वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन की स्थिति उद्भूत होती है तो वह अपेक्षित विश्वविद्यालय को पैंतालिस दिनों के भीतर कारण बताओं नोटीस जारी करेगा क्यों न उसके समापन का आदेश बनाया जाये । कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियाँ ।

(२) यदि, सरकार का, उप-धारा (१) के अधीन जारी की गई सूचना पर विश्वविद्यालय के जबाब की प्राप्ति पर, समाधान हो जाता है कि **प्रथमदृष्ट्या** इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम, की धारा ५ के अधीन दिये गये किन्ही उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत हुआ है या वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन हुआ है तो वह आवश्यक समझे ऐसी जाँच के आदेश बना सकेगी।

(३) सरकार, उप-धारा (२) के अधीन किसी जाँच के प्रयोजन के लिए, किन्हीं भी अभिकथनों में जाँच करने के लिए किसी जाँच अधिकारी या अधिकारियों को नियत करेगी और उस पर रिपोर्ट बनायेगी ।

(४) उप-धारा (३) के अधीन नियत किये गये जाँच अधिकारी या अधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल न्यायालय में जो शक्तियाँ निहित होती है वह निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद का विचारण करते समय होगी, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिए, समन जारी करना और प्रवृत्त करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) साक्ष्य में प्रतिपादित किये गये अपेक्षित किसी ऐसे दस्तावेज या किसी अन्य सामग्री की खोज या निर्माण करना ;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की अपेक्षा करना; और

(घ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाये ।

(५) जाँच अधिकारी या अधिकारियों की इस अधिनियम के अधीन की गई जाँच, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १९५ और अध्याय २६ के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जायेगा ।

(६) उप-धारा (३) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी या अधिकारियों से जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के सभी या किन्ही उपबंधों या तीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, या आर्डिनेन्स का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्ही निर्देशों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम की धारा ५ के अधीन उसके द्वारा किये गये उपक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये परिविरत है या विश्वविद्यालय के अकादमिक मानकों के संतर्जक से वित्तीय कु-प्रबंध या कु- प्रशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में उद्भूत हुई है तो विश्वविद्यालय के परिसमापन या प्रशासक की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक आदेश जारी किये जायेंगे । सन् १९७४ का २।

(७) उप-धारा (६) के अधीन नियुक्त किया गया प्रशासक इस अधिनियम के अधीन शासी निकाय और प्रबंध मंडल बोर्ड के सभी शक्तियाँ होंगी और सभी कर्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कामकाज का प्रबंध तब तक करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच उनके पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करती हैं और उपाधि, डिप्लोमा या यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है ।

(८) उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान करने के पश्चात्, नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच के लिये प्रशासक, सरकार को इस प्रभाव की रिपोर्ट करेगा ।

(९) उप-धारा (८) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय के विघटन के अंतिम आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से विश्वविद्यालय विघटित होगा और विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व ऐसे दिनांक से प्रायोजक निकाय में निहित होगी ।

सचिव स्तरीय समिति ।

४८. (१) इस अधिनियम के प्रारंभण के तुरंत पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर विरचित स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांतों की आवश्यकताओं के अनुपालन के सत्यापन और सुनिश्चित करने के उद्देश में, सचिव स्तरीय समिति स्थापित की जायेगी और प्रायोजक निकाय को परिवचन प्रस्तुत करेगी । समिति, कौशल्य विकास, नियोजन और सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त विभाग और नियोजन विभाग के प्रभारी सचिवों से मिलकर बनेगी ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन गठित समिति, उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

(३) उप-धारा (२) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के परिचालन को अनुमति देते हुये **राजपत्र** में, अधिसूचना प्रकाशित करेगी ।

(४) विश्वविद्यालय, उप-धारा (३) के अधीन जारी की गई सूचना के पश्चात् ही केवल छात्रों को प्रवेश देगा।

सचिव स्तरीय समिति द्वारा निरीक्षण ।

४९. अधिनियम की धारा ४८ की उप-धारा (१) के अधीन स्थापित सचिव स्तर समिति राज्य सरकार द्वारा जब और जहा निदेशित विश्वविद्यालय के निरीक्षण करेगी और स्वयंक्तिपोषित विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित, समय-समय से, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शन की आवश्यकता का जाँच और अनुपालन सुनिश्चित करेगी और तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधि के उपबंधों का अनुपालन करेगी।

५०. इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में कोई अपराध और धारा ११ के अधीन विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय साथ ही साथ, विश्वविद्यालय के अधिकारी, ऐसे कारावास से जो, तीन महिने से कम न हो परंतु जिसे एक वर्ष तक बढाया जा सकेगा तथा ऐसे जुर्माने से जो पचास हजार रुपयों से कम न हो, जिसे पाँच लाख रुपयों तक बढाया जा सकेगा, से दण्डित किया जायेगा : शास्तियाँ।

परंतु यह कि, इस धारा की कोई बात किसी कार्यवाही के चाहे सिविल या आपराधिक हो विश्वविद्यालय के परिसमापन के प्रकियाओं समेत इस अधिनियम के उपबंधों के अनअनुपालन के लिए प्रारम्भण से सरकार को नहीं रोकेगी ।

५१. (१) जहाँ कंपनी द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गये नियमों के अधीन अपराध किया कंपनीयों द्वारा जाता है तब अपराध किये जाने के समय, कंपनी के कार्य संचालन साथ ही साथ कंपनी के प्रभारी या के अपराध । लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति अपराध के लिए दोषी समझा जायेगा तथा उसके विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए, दायी होगा और तद्नुसार दण्डित किया जायेगा : कंपनीयों द्वारा अपराध ।

परंन्तु, इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दण्ड के लिए दायी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित करता है कि, अपराध उसकी जानकारी के बगैर किया गया था या ऐसा अपराध न हो इसलिए उसने सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(२) उप-धारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन, कंपनी द्वारा अपराध काय जाता है और यह साबित होता है की अपराध, कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से हुआ है या की और से किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है तब ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी या उस अपराध के लिए दोषी होगा तथा उसके विरुद्ध भी अभियोजन के लिए, वह दायी होगा और उसे तद्नुसार दण्डित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनार्थ,—

(क) “कंपनी” का तात्पर्य निगमित निकाय से है तथा इसमें न्यास, फर्म, समाज, संस्था या व्यक्तियों का अन्य संघ भी शामिल है; और

(ख) फर्म के संबंध में “निदेशक” का तात्पर्य.—

(एक) फर्म का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है ;

(दो) समाज, न्यास, संस्था या व्यक्तियों का अन्य संघ, या व्यक्तियों का निकाय का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो समाज, न्यास, संस्था या अन्य संघ, या, यथास्थिति निकाय के कार्य के प्रबंधन के साथ समाज, न्यास, संस्था या अन्य संघ या निकाय के नियमों या उप-विधियों के अधीन हित रखता है ऐसे व्यक्ति से है ।

५२. (१) सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी । नियम बनाने की शक्ति ।

(२) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्न समस्त या किन्ही मामलों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा ४७ की, उप-धारा (४) के, खंड (घ) के अधीन विहित किये जानेवाले मामले ;

(ख) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा विहित करना आवश्यक है या किया जा सके ।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा जो कि चाहे वह एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि, उस सत्र में जिसमें उसे रखा गया है, उसके ठीक बाद के सत्र या सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाए तो नियम, अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से, केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलिकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात या विलुप्ति की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति ।

५३. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों :

परंतु, ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से तीन वर्षो की अवधि के अवसान के बाद, नहीं बनाया जायेगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. XI OF 2023.

THE MAHARASHTRA POLICE AND MAHARASHTRA CINEMAS (REGULATIONS) (AMENDMENT) ACT, 2022.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २० जनवरी, २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

मुग्धा अ. सावंत,
प्रारूपकार-नि-सह सचिव
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XI OF 2023.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA POLICE ACT AND THE MAHARASHTRA CINEMAS (REGULATIONS) ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ११ सन् २०२३।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २३ जनवरी, २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम और महाराष्ट्र सिनेमा (विनियमन) अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

सन् १९५१ का २२। सन् १९५३ का ११। **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम और महाराष्ट्र सिनेमा (विनियमन) अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :—

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, २०२२ कहलाए। संक्षिप्त नाम ।

अध्याय-दो

महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम में संशोधन ।

सन् १९५१ का २२ की धारा ९०क में संशोधन।

२. महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में ‟पुलिस अधिनियम” कहा गया है) की धारा ९०क की, उप-धारा (१) के, खण्ड (एक) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९५१ का २२।

‟ (एक) प्रथम अपराध के लिए, ऐसे जुर्माने से, जिसे तीन हजार रुपयों तक बढ़ाया जा सकेगा ; ”।

सन् १९५१ का २२ की धारा ११८ में संशोधन।

३. पुलिस अधिनियम की धारा ११८ की, उप-धारा (१) के खण्ड (एक) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

‟ (एक) प्रथम अपराध के लिए, ऐसे जुर्माने से, जिसे चार हजार रुपयों तक बढ़ाया जा सकेगा ; ”।

सन् १९५१ का २२ की धारा १३१ में संशोधन।

४. पुलिस अधिनियम की धारा १३१, के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (दो) अपमार्जित किया जायेगा ।

अध्याय-तीन

महाराष्ट्र सिनेमा (विनियमन) अधिनियम में संशोधन ।

सन् १९५३ का ११ की धारा ७ में संशोधन।

५. महाराष्ट्र सिनेमा (विनियमन) अधिनियम (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, ‟सिनेमा अधिनियम” कहा गया है) की धारा ७ की, उप-धारा (१) में ‟ कारावास से दण्डित किया जायेगा ” शब्दों से प्रारम्भ होनेवाले भाग तथा ‟ प्रथम ऐसे अपराध के लिए ” शब्दों से समाप्त होनेवाले भाग के लिए, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :-
- सन् १९५३ का ११।

‟ ऐसे जुर्माने से, जिसे पचास हजार रुपयों तक बढ़ाया जा सकेगा, और निरंतर अपराध करने के मामले में, जो प्रथम ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध होने के पश्चात्, अपराध निरंतर करता है, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए पाँच हजार रुपयों तक बढ़ाया जा सके ऐसे अधिक के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा ”।

सन् १९५३ का ११ की धारा ९ में संशोधन।

६. सिनेमा अधिनियम की धारा ९ की, उप-धारा (३) में, ‟ कारावास से दण्डित किया जायेगा ” शब्दों से प्रारम्भ होनेवाले भाग तथा ‟ प्रथम ऐसे अपराध के लिए ” शब्दों से समाप्त होनेवाले भाग के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

‟ ऐसे जुर्माने से, जिसे पचास हजार रुपयों तक बढ़ाया जा सकेगा, और निरंतर अपराध करने के मामले में, जो प्रथम ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध होने के पश्चात् अपराध निरंतर करता है ऐसे प्रत्येक दिन के लिए पाँच हजार रुपयों तक बढ़ाया जा सके ऐसे अधिकतर जुर्माने से दण्डित किया जायेगा ”।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. XII OF 2023.

THE MAHARASHTRA (SUPPLEMENTARY) APPROPRIATION ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १० मार्च, २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
प्रभारी सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XII OF 2023.

AN ACT TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES AND PURPOSES OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH 2023.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १२ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक १३ मार्च, २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

अधिनियम जिसके द्वारा राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२३ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए कतिपय अधिकतर रकमों की अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, जो कि उसके अनुच्छेद २०५ के साथ पढ़ा जाता है, राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२३ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए अधिकतर रकमों के विनियोग के लिए यह आवश्यक है कि विनियोग अधिनियम पारित करने तथा उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ उपबंध किया जाए ; इसलिए, भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र (अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०२३ कहलाए। संक्षिप्त नाम।

राज्य की समेकित निधि में से वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ के लिये, ६३ अरब, ८३ करोड़, ९७ लाख, २५ हजार रुपये निकालना।

२. राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ सम्बद्ध अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नहीं होंगी और जो कुल मिलाकर तिरसठ अरब, तिरासी करोड़, सतानवें लाख, पच्चीस हजार रुपयों की रकम के बराबर होंगी, अनुसूची के स्तम्भ (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं तथा प्रयोजनों के सम्बन्ध में सन् २०२३ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में, होनेवाले विभिन्न प्रभारों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जाएगी।

विनियोग।

३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिए प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०२३ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिए विनियोग किया जायेगा।

अनुसूची

(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)		रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी विनियोजन — विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित (४)	कुल
				रुपये	रुपये	रुपये
		क—राजस्व लेखे पर व्यय				
		गृह विभाग				
बी-१	पुलिस प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन ।	. .	११,०००	. . . .	११,०००
		२०५५, पुलिस ।				
		२०७०, अन्य प्रशासकिय सेवा ।				
बी-२	राज्य उत्पाद शुल्क।	२०३९, राज्य उत्पाद शुल्क।	. .	१,४८,०८,०००	. . . .	१,४८,०८,०००
बी-३	परिवहन प्रशासन।	२०४१, वाहनों पर कर ।	. .	२,६७,७३,३२,०००	. . . .	२,६७,७३,३२,०००
		३०५५, सड़क परिवहन।	. .	. .	. . . .	. .
		३०५६, अन्तरराज्यीय जल परिवहन।				
बी-५	जेल	२०५६, जेल	. .	१,०००	. . . .	१,०००
बी-७	आर्थिक सेवाएँ।	३००१, भारतीय रेल-नीती-निर्धारण, निदेशन, अनुसंधान और अन्य विविध संगठन।	. .	२,०००	. . . .	२,०००
		३०५१, पतन तथा दीप गृह।				
		कुल—गृह विभाग।	. .	२,६९,२१,५४,०००	. . . .	२,६९,२१,५४,,०००
		राजस्व तथा वन विभाग				
सी-१	राजस्व तथा जिला प्रशासन ।	२०२९, भू-राजस्व।	. .	१,०००	. . . .	१,०००
		२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क।				
		२०५३, जिला प्रशासन।				
		२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
		राजस्व तथा वन विभाग—जारी		रुपये	रुपये	रुपये
सी-२	स्टाम्प और पंजीकरण ।	२०३०, स्टाम्प और पंजीकरण ।	. .	२,०००	. . .	२,०००
सी-७	वन।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		३,०००	. . .	३,०००
		२४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।	. .			
		२२५१, पहाड़ी क्षेत्र।	. .			
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	. .	६,०००	. . .	६,०००
	कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग					
डी-३	कृषि सेवाएँ।	२४०१, कृषि कर्म ।	. .	२,०००	. . .	२,०००
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण।				
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
		२४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।				
डी-४	पशुपालन।	२४०३, पशुपालन।	. .	७,०००	. . .	७,०००
डी-६	मत्स्य उद्योग। . .	२४०५, मत्स्य उद्योग।	. .	१२,२७,५८,०००	. . .	१२,२७,५८,०००
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	. .	१२,२७,६७,०००	. . .	१२,२७,६७,०००
	विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग					
इ-२	सामान्य शिक्षा। . .	२२०२, सामान्य शिक्षा।	. .	३,०००	. . .	३,०००
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।	. .	३,०००	. . .	३,०००

	नगरविकास विभाग				
एफ-२	नगरविकास तथा अन्य अग्रिम सेवाएँ। . .	२०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२१७, नगरविकास । ३०५४, सड़क तथा पुल। . .	८,०००	. . .	८,०००
		कुल—नगरविकास विभाग। . .	८,०००	. . .	८,०००
	वित्त विभाग				
जी-१	विक्रय कर प्रशासन। . .	२०२०, आय तथा व्यय पर कर संग्रहण। २०४०, विक्रय, व्यापार आदि पर कर। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ। . .	९,६९,३९,०००	. . .	९,६९,३९,०००
जी-५	कोषागार तथा लेखा प्रशासन। . .	२०५४, कोषागार तथा लेखा प्रशासन। . .	१०,९४,४१,०००	. . .	१०,९४,४१,०००
जी-६	पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ।	२०७१, पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ। . .	. .	९,००,००,०००	९,००,००,०००
		कुल—वित्त विभाग। . .	२०,६३,८०,०००	९,००,००,०००	२९,६३,८०,०००
	लोकनिर्माण कार्य विभाग				
एच-३	आवास। . .	२२१६, आवास। . .	९७,३९,४०,०००	. . .	९७,३९,४०,०००
एच-५	सड़क तथा पुल।	३०५४, सड़क तथा पुल। . .	६,४२,४७,००,०००	. . .	६,४२,४७,००,०००
एच-६	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन। . .	२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगरविकास। २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग । . .	८,०००	. . .	८,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग । . .	७,३९,८६,४८,०००	. . .	७,३९,८६,४८,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		जलस्रोत विभाग				
आय-३	सिंचाई, विद्युत तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई। २७०२, लघु सिंचाई। २७०५, कमान क्षेत्र विकास। २७११, बाढ़ नियंत्रण और निकास। २८०१, विद्युत। ३४०२, अन्तरिक्ष अनुसंधान।	..	४,०००	...	४,०००
		कुल—जलस्रोत विभाग ।	..	४,०००	...	४,०००
		विधि तथा न्याय विभाग				
जे-१	न्याय प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन।	..	१,०००	४,०००	५,०००
जे-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएँ ।	२०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ । २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ । ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ ।	..	१,०००	...	१,०००
		कुल—विधि तथा न्याय विभाग।	..	२,०००	४,०००	६,०००
		उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग				
के-१	पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क ।	२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क ।	..	४,५२,४७,०००	...	४,५२,४७,०००
के-४	श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।	..	१,०००	...	१,०००
के-७	उद्योग ।	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग । २८५२, उद्योग । २८५३, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग ।	..	७,६३,७७,१४,०००	...	७,६३,७७,१४,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	..	७,६८,२९,६२,०००	...	७,६८,२९,६२,०००

ग्रामविकास विभाग

एल-३	ग्राम विकास कार्यक्रम।	. .	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा । ३०५४, सड़क तथा पुल।	. .	१,०००	. . .	१,०००
एल-५	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	२२,१४,७२,८०,०००	. . .	२२,१४,७२,८०,०००
			कुल—ग्रामविकास विभाग	. .	२२,१४,७२,८१,०००	. . .	२२,१४,७२,८१,०००

सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग

एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	. .	२०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास। २२१७, नगर विकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	. .	९,०००	. . . .	९,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)	
			रुपये	रुपये	रुपये
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२४०१, कृषि कर्म।			
		२४०३, पशुपालन ।			
		२४०५, मत्स्योद्योग ।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।			
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।			
		२५०५, ग्राम नियोजन।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नवीन तथा नविकरणीय ऊर्जा ।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग ।			
		२८५२, उद्योग ।			
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग। . .	९,०००	. . . .	९,०००
		योजना विभाग			
ओ-८	पर्यटन।	३४५२, पर्यटन। . .	२,०००	. . .	२,०००
		कुल—योजना विभाग। . .	२,०००	. . .	२,०००
		लोकस्वास्थ्य विभाग			
आर-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ। . .	४,०००	. . .	४,०००
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।			
		२२११, परिवार कल्याण ।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
		कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग। . .	४,०००	. . .	४,०००
		चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग			
एस-३	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य । . .	२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ ।	१,०००	. . . .	१,०००
	. .	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।			
		कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग । . .	१,०००	. . . .	१,०००

जनजाति विकास विभाग

टी-५	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय। . .	२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा । २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ । २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य । २२११, परिवार कल्याण । २२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता । २२१७, नगर विकास । २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२३६ पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन । २४०५, मत्स्योद्योग । २४०६, वन तथा वन्यजीवन । २४२५, सहकारिता । २४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम । २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम । २५०५, ग्राम नियोजन । २७०२, लघु सिंचाई । २८०१, विद्युत । २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग और लघुउद्योग । २८५२, उद्योग । ३०५४, सड़क तथा पुल । ३०५५, सड़क परिवहन ।	. .	८,०००	. . .	८,०००
		कुल—जनजाति विकास विभाग ।	. .	८,०००	. . .	८,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग				
वी-२	सहकारिता। ..	२०७०,	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ । ..	१३,३४,९६,३६,०००	...	१३,३४,९६,३६,०००
		२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
		२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।			
	..	२४२५,	सहकारिता।			
		२४३५,	अन्य कृषि कार्यक्रम।			
		२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
		२८५२,	उद्योग ।			
		३४५१,	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५६,	सिविल आपूर्ति।			
			कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग। ..	१३,३४,९६,३६,०००	...	१३,३४,९६,३६,०००
		उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग				
डब्ल्यू-३	तकनीकी शिक्षा। ..	२२०३,	तकनीकी शिक्षा। ..	१,०००	...	१,०००
डब्ल्यू-४	कला तथा संस्कृति ।	२२०५,	कला तथा संस्कृति। ..	१०,२३,४९,०००	...	१०,२३,४९,०००
			कुल— उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग ..	१०,२३,५०,०००	...	१०,२३,५०,०००
		महिला तथा बाल विकास विभाग				
एक्स-१	सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण। ..	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। ..	४,०००	...	४,०००
		२२३६,	पोषण।			
			कुल— महिला तथा बाल विकास विभाग। ..	४,०००	...	४०००
		जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग				
वाय-२	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। ..	२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। ..	१०००	...	१०००
			कुल— जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग। ..	१,०००	...	१,०००

		कौशल विकास, नियोजन, उद्योमिता तथा नवाचार विभाग			
जेड-क-१ ब्याज अदायगी । ..	२०४९,	ब्याज अदायगी । ..	..	५,९८,१७,४०,०००	५,९८,१७,४०,०००
जेड-क-२ सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०३,	तकनीकी शिक्षा । ..	१,०००	..	१,०००
	२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास ।			
	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
	२२५१,	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ ।			
	२४०६,	वन तथा वन्य जीवन ।			
		कुल— कौशल विकास, नियोजन, उद्योमिता तथा नवाचार विभाग। ..	१,०००	५,९८,१७,४०,०००	५,९८,१७,४१,०००
		पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग			
जेड घ-४ पर्यटन । ..	३४५२,	पर्यटन । ..	१,०००	...	१,०००
		कुल— पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग। ..	१,०००	...	१,०००
		अन्य पिछड़े बहुजन कल्याण विभाग ।			
जेड छ-३ विमुक्त जाति, ख़ानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और विशेष पिछड़े वर्ग का कल्याण।	२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण । ..	४,०००	...	४,०००
	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
		कुल—अन्य पिछड़े बहुजन कल्याण विभाग ..	४,०००	...	४,०००
		विकलांग व्यक्ति कल्याण विभाग ।			
जेड झ-१ ब्याज अदायगी ।	२०४९,	ब्याज अदायगी । ..	..	१,०००	१,०००
जेड झ-२ सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ ।	२२५१,	सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ । ..	१५,०००	..	१५,०००
जेड झ-३ सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । ..	८६,०००	..	८६,०००
		कुल—विकलांग व्यक्ति कल्याण विभाग ..	१,०१,०००	१,०००	१,०२,०००
		कुल —— क-राजस्व लेखे पर व्यय।	५३,७०,२३,३७,०००	६,०७,१७,४५,०००	५९,७७,४०,८२,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		ख-पूंजीगत लेखे पर व्यय				
		गृह विभाग				
बी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। . .	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	२,०००	. . .	२,०००
		४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
		५००२, भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाईन पर पूंजीगत परिव्यय।				
		५०५५, सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय।				
		कुल—गृह विभाग।	. .	२,०००	. . .	२,०००
		कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास और मस्त्योद्योग विभाग				
डी-९	मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय ।. .	४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय ।	. .	१,०००	. . .	१,०००
	. .	६४०५, मत्स्य उद्योग के लिए कर्ज ।				
		कुल— कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास और मस्त्योद्योग विभाग।	. .	१,०००	. . .	१,०००
		नगर विकास विभाग				
एफ-७	नगर विकास के लिए कर्ज । . .	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज ।	. .	१,०००	. . .	१,०००
		कुल— नगर विकास विभाग।	. .	१,०००	. . .	१,०००
		वित्त विभाग				
जी-८	मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। . .	४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	७५,००,००,०००	. . .	७५,००,००,०००
	. .	५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
		कुल— वित्त विभाग।	. .	७५,००,००,०००	. . .	७५,००,००,०००

लोक निर्माण कार्य विभाग

एच-७	सामाजिक सेवाओं तथा अन्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	३,३१,५६,०६,०००	. . .	३,३१,५६,०६,०००
			४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
			५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।				
एच-८	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	९,०००	. .	९,०००
			४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।				
			४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।				
			४२१७, नगरविकास पर पूंजीगत परिव्यय।				
			४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।				
			४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
एच-९	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए पूंजीगत परिव्यय ।	. .	४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	२,०००	. . .	२,०००
			४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।				
			४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
			कुल—लोक निर्माण कार्य विभाग।	. .	३,३१,५६,१७,०००	. .	३,३१,५६,१७,०००

जलस्रोत विभाग

आय-५	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	११,०००	. . .	११,०००
			४७००, बड़ी सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
			४७०१, मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
			४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		कुल—जलस्रोत विभाग। . .	११,०००	. . .	११,०००
		योजना विभाग			
ओ-१०	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। . .	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। . . ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५४५२, पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय।	२,०००	. . .	२,०००
		कुल—योजना विभाग। . .	२,०००	. . .	२,०००
	जनजाति विकास विभाग				
टी-६	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर पूंजीगत परिव्यय। . .	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। . . ४२०२, शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पुंजीगत परिव्यय । ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२ लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय ।	२,०००	. . .	२,०००
		कुल—जनजाति विकास विभाग । . .	२,०००	. . .	२,०००

		सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग			
वी-३	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। . .	४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। . .	१,०००	. .	१,०००
		४४३५, अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग . .	१,०००	. . .	१,०००
		मृदा और जल संरक्षण विभाग			
जेड-ज-५	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। . .	४४०२, मृदा और जल संरक्षण पर पूंजीगत व्यय। . .	२,०००	. . .	२,०००
		४७०२, लघुसिंचाई पर पूंजीगत व्यय।			
		कुल—मृदा और जल संरक्षण विभाग । . .	२,०००	. . .	२,०००
		विकलांग व्यक्ति कल्याण विभाग			
जेड-झ-४	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	४२३५, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। . .	१,०००	. .	१,०००
जेड-झ-५	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण ।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण। . .	३,०००	. .	३,०००
		कुल—विकलांग व्यक्ति कल्याण विभाग . .	४,०००	. . .	४,०००
		कुल —— ख-पूंजीगत लेखे पर परिव्यय । . .	४,०६,५६,४३,०००	. .	४,०६,५६,४३,०००
		कुल योग । . .	५७,७६,७९,८०,०००	६,०७,१७,४५,०००	६३,८३,९७,२५,०००

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक. महाराष्ट राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XIII OF 2023.

THE MAHARASHTRA MEDICAL GOODS PROCUREMENT AUTHORITY ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १६ मार्च, २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XIII OF 2023.

AN ACT TO MAKE SPECIAL PROVISIONS FOR ENSURING SINGLE POINT PROCUREMENT OF CERTAIN MEDICAL GOODS AND EXECUTION OF TURNKEY PROJECTS WITH HIGHEST STANDARDS OF TRANSPARENCY, FAIRNESS, EQUITY AND FOR TIMELY SUPPLY AT OPTIMUM AND UNIFORMS RATES AND OF DESIRED QUALITY AND QUANTITY FOR HEALTH INSTITUTIONS UNDER THE STATE GOVERNMENT AND CERTAIN OTHER HEALTH INSTITUTIONS THROUGH THE MAHARASHTRA MEDICAL GOODS PROCUREMENT AUTHORITY AND FOR THE MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १३ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक १७ मार्च, २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र चिकित्सा माल प्रापण प्राधिकरण के जरिए कतिपय चिकित्सा मालों का एकल स्थान में प्रापण करने और परिपूर्ण (टर्न की) परियोजनाओं का निष्पादन, उच्च मानक की पारदर्शिता, निष्पक्षता, न्यायसंगतता और उचित तथा एकसमान दरों और वांछित गुणवत्ता और राज्य सरकार के अधीन स्वास्थ्य संस्थाओं और अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने और तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

क्योंकि, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र चिकित्सा माल प्रापण प्राधिकरण के जरिए कतिपय चिकित्सा मालों का एकल स्थान में प्रापण करने और परिपूर्ण (टर्न की) परियोजनाओं का निष्पादन, उच्च मानक की पारदर्शिता, निष्पक्षता, न्यायसंगतता और उचित तथा एकसमान दरों और वांछित गुणवत्ता और राज्य सरकार के अधीन स्वास्थ्य संस्थाओं और कतिपय अन्य स्वास्थ संस्थाओं के लिए समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने और तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए नया विधि अधिनियमित करना इष्टकर, अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र चिकित्सा माल प्रापण प्राधिकरण अधिनियम, २०२३ कहलाए। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

(२) यह ऐसे दिनांक पर प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र,** में अधिसूचना द्वारा, नियत कर सके ।

२. इस अधिनियम में, इस संदर्भ में, अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएँ।

(क) " नियत दिनांक " का तात्पर्य, वह दिनांक जिसपर इस अधिनियम के उपबंध धारा १ की उप-धारा (२) के अधीन प्रवृत्त होंगे ;

(ख) " मुख्य कार्यकारी अधिकारी " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन स्थापित महाराष्ट्र चिकित्सा प्रापण प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से है ;

(ग) " चिकित्सा उपभोगिय " में दस्ताने, सीरींज, बैन्डेज, रूई, सीवन, नाल-शलाका, नलिका, निषेचन सेट, आय. व्ही. कॅनल आदि प्रयोगशाला आपूर्ति समेट पिपेट, खून संग्राहक नलिका, सूक्ष्म दर्शी यंत्र आपूर्ति और शल्य चिकित्सा संबंधी हथियार जैसे कि छूरीयाँ, चिमटा, नश्तर, कैंची आदि शामिल है ;

(घ) " चिकित्सा उपकरण " का तात्पर्य, कोई हथियार, सामान, उपकरण मशीन, उपकरण, आरोपण, अभिकर्मक, विशिष्ट चिकित्सा प्रयोजन के लिए, विनिर्दिष्ट एक या अधिक के लिए इन्सान के लिए, अकेले या संचय में, उत्पादक द्वारा उपयोग किए जाने से आशयित सॉफ्टवेअर सामग्री या अन्य समान या संबंधित सामान के,—

(एक) बीमारी का निदान, रोकथाम मानिटरिंग, इलाज या उपशमन,

(दो) किसी चोट के लिए निदान, मानिटरिंग, इलाज, का उपशम या उपचारात्मक,—

(तीन) अन्वेषण, पुनः स्थापना, उपांतरण या चीरफाड की या शारीरिक प्रक्रिया की सहायक,

(चार) जीवन को समर्थक या बनाए रखना,

(पाँच) धारणा का नियंत्रण,

(छह) चिकित्सा उपकरण का विसंक्रमण,

(सात) मानवी शरीर से व्युत्पन्न नमुने की कृत्रिम परिवेशीय परीक्षण के माध्यम से जानकारी का उपबंध करना ;

और मानवी शरीर में या पर भेषजगुण विज्ञान संबंधी, प्रतिरक्षा विज्ञान या चयापचयी साधनों द्वारा उसका प्राथमिक उद्धिष्ट कार्य प्राप्त नहीं हो रहा है, परंतु जो ऐसे साधनों द्वारा उसके उद्धिष्ट कृत्य में सहायक हो सकेगा ;

(ङ) " चिकित्सा उपस्कर " का तात्पर्य, व्यासमापन, रखरखाव, मरम्मत उपभोक्ता प्रशिक्षण और बंद से गए क्रियाकलाप (सामान्यतः नैदानिक या जैवचिकित्सा इंजिनीयर द्वारा प्रबंधित) के लिए, अनुर्वति मानवी बीमारी या जख्म बीमारी का निदान और इलाज या स्वास्थ्यलाभ के विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उपयोगी और चिकित्सा उपकरण या चिकित्सा उपस्कर के किसी पूरक, उपभोगीय या अन्य भाग के या तो अकेले या संचय में उपयोग किया जा सकेगा परंतु अप्रशम्य उपयोग करके फेंकने लायक या एक ही बार उपयोग किए जानेवाले चिकित्सा उपकरणों को छोडकर आवश्यक चिकित्सा उपकरण से है ;

(च) " चिकित्सा माल " का तात्पर्य, औषध चिकित्सा उपभोगिय, चिकित्सा उपस्कर या उसके टर्न की परियोजना का निष्पादन; और इसमें जैसे राज्य सरकार, समय-समय पर, प्रापण प्राधिकरण से विचार-विमर्श में **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, चिकित्सा माल कोई अन्य चिकित्सा माल होनेवाले शामिल है ;

(छ) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित से है ;

(ज) " उपाप्त करना या प्रापण " का तात्पर्य और चिकित्सा माल की खरीद, भण्डारकरण या आपूर्ति की प्रक्रिया का समावेश है ;

(झ) " प्रापण प्राधिकरण " का तात्पर्य धारा ३ की उप-धारा (१) के अधीन स्थापित किये गये महाराष्ट्र चिकित्सा प्रापण प्रधिकरण से है ;

(ञ) " विनियमन " का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों से है ;

(ट) " नियम " का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों से है ;

(ठ) " सचिव " का तात्पर्य राज्य सरकार के अप्पर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या किसी प्रशासकीय विभाग के सचिव से है ।

अध्याय दो

महाराष्ट्र चिकित्सा माल प्रापण प्राधिकरण की स्थापना और संरचना ।

महाराष्ट्र चिकित्सा माल प्रापण प्राधिकरण की संस्थापना।

३. (१) नियत दिनांक के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए " महाराष्ट्र चिकित्सा प्रापण प्राधिकरण " नाम का कोई प्राधिकरण स्थापित करेगा।

(२) प्रापण प्राधिकरण, एक शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होनेवाले चल तथा अचल दोनों सम्पत्ति के अर्जन करने, धारण करने और निपटान करने की शक्ति होनेवाला एक निगमित निकाय होगा और उक्त नाम द्वारा वाद चलाएगा या उसपर वाद चलाया जाएगा।

प्रापण प्राधिकरण की संरचना।

४. (१) प्रापण प्राधिकरण, निम्न अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य, पदेन सदस्यों से मिलकर गठित होगा, अर्थात् :—

(क) मुख्य मंत्री।	..	..	अध्यक्ष
(ख) लोक स्वास्थ्य मंत्री ।	..	..	उपाध्यक्ष
(ग) चिकित्सा शिक्षा मंत्री ।	..	..	उपाध्यक्ष
(घ) खाद्यान्न और औषधि प्रशासन मंत्री ।	..	..	उपाध्यक्ष
(ङ) लोक स्वास्थ्य राज्य मंत्री ।	..	..	सदस्य
(च) चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री ।	..	..	सदस्य
(छ) खाद्यान्न और औषधि प्रशासन राज्य मंत्री ।	..	..	सदस्य
(ज) महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव ।	..	..	सदस्य
(झ) लोक स्वास्थ्य विभाग के सचिव—एक ।	..	..	सदस्य
(ञ) लोक स्वास्थ्य विभाग के सचिव—दो ।	..	..	सदस्य
(ट) चिकित्सा शिक्षा और औषधि विभाग के सचिव ।	..	..	सदस्य
(ठ) उद्योग विभाग के सचिव ।	..	..	सदस्य
(ड) वित्त विभाग के सचिव ।	..	..	सदस्य
(ढ) नगर विकास विभाग के सचिव–दो ।	..	..	सदस्य
(ण) स्वास्थ्य सेवा आयुक्त ।	..	..	सदस्य
(त) प्रापण प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।	..	..	सदस्य-सचिव।

(२) अध्यक्ष जिसे वह ठिक समझे, किसी एक उपाध्यक्ष को, इस अधिनियम के अधीन उसकी सभी या कोई शक्तियों या कृत्यों का प्रत्यायोजना कर सकेगा।

(३) प्रापण प्राधिकरण की बैठक जिसे अध्यक्ष विनिश्चत करे ऐसे स्थान में, तथा ऐसे समय पर छह महीने में कम से कम एक बार होगी और उसकी बैठकों में (वहाँ की गणपूर्ति समेत) कारोबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया के विनियमों द्वारा जैसा कि अधिकथित किया जाए ऐसे नियमों का निरीक्षण करेगा ।

(४) अध्यक्ष, प्राधिकरण की बैठकों का पीठासीन होगा । किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, बैठक के उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्राधिकरण का कोई अन्य सदस्य ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

५. प्रापण प्राधिकरण के उद्देश्य,— प्रापण प्राधिकरण के उद्देश्य ।

(क) महाराष्ट्र राज्य सरकार का लोक स्वास्थ्य विभाग ;

(ख) महाराष्ट्र सरकार का चिकित्सा शिक्षा और औषधि विभाग (टर्न की परियोजना को छोडकर) ;

(ग) स्थानिय यदि वे इस प्रकार विनति करते है तो राज्य सरकार द्वारा, किसी विधि द्वारा या के अधीन नगर या ग्रामीण स्थानीय प्राधिकरणों या किसी अन्य प्राधिकरण या ईकाई के लिए स्थापित राज्य सरकार का कोई अन्य विभाग ;

(घ) केंद्र सरकार, अन्य राज्य सरकारें, संघराज्य क्षेत्र या यदि वे इसलिए अनुरोध करते है तो केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकार या संघराज्य क्षेत्र द्वारा किसी विधि द्वारा या के अधीन स्थापित अन्य राज्यों की नगर या ग्रामीण स्थानीय प्राधिकरणों या अन्य प्राधिकरण या ईकाई ;

(ङ) यदि वे इसलिए अनुरोध करते है तो निजी अस्पताल, न्यास अस्पताल, निजी संगठन, गैर सरकारी संघठन, न्यास या आंतरष्ट्रिय संगठन के लिए चिकित्सा मालों का प्रापण करना है ।

६. प्रापण प्राधिकरण, चिकित्सा मालों के प्रापण के प्रयोजन के लिए निम्न शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा निम्न कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :— प्रापण प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य।

(क) प्रापण के लिए किसी वित्तीय योजना को तैयार करना तथा पुर्नविलोकन करना ;

(ख) कार्यकारी समिति के कार्यों का पर्यवेक्षण करना ;

(ग) प्रापण प्राधिकरण के कार्यों से संबंधित नीति स्तर विनिर्णय लेना ;

(घ) चिकित्सा मालों का संपूर्ण उपापन और आपूर्ति के लिए राज्य सरकार या कोई अन्य प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही आवश्यक होनेवाले किसी मामले या प्रस्ताव की राज्य सरकार से सिफारिश करना ;

(ङ) औषध और उपस्कर की खरीद से संबंधित उपापन नीति की राज्य सरकार से सिफारिश करना ;

(च) चिकित्सा मालों का प्रापण और उसके टर्न की परियोजना का निष्पादन और उनकी समय पर उपलब्धि और परेषिती स्थान को वितरण ;

(छ) प्रापण प्रयोजनों के लिए अन्य सरकारी अभिकरणों और विभागों के साथ समन्वयन ;

(ज) चिकित्सा मालों की कारोबार एवं सरल आपूर्ति के लिए प्रापण प्रक्रिया की निगराणी करना

(झ) किसी प्रापण प्रक्रिया, जिसकी संपूर्णत में या भागतः में लागत प्रापण प्राधिकरण निधि से प्राप्त होनेवाले है का पर्यवेक्षण करना या अन्यथा योजना और निष्पादन पर्याप्त पर्यवेक्षण की सुनिश्चिति करना ;

(ञ) चिकित्सा मालों की प्रापण प्रक्रिया में पारदर्शता और जवाबदेही लाना ; और

(ट) जैसा कि विहित किया जाए ऐसी अन्य शक्ति और कृत्य ।

७. (१) चिकित्सा मालों के प्रापण की माँग, संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित की जायेगी और क्रय करने के लिए प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन देने पश्चात्, का प्रस्ताव संबंधित विभाग द्वारा प्रापण के लिए प्रापण प्राधिकरण को अग्रेषित किया जायेगा । प्रापण प्राधिकरण तत्पश्चात् इस अधिनियम में बनाए उपबंधों तथा तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार प्रापण प्रक्रिया कार्यान्वित करेगा । चिकित्सा मालों के प्रापण के लिए प्रक्रिया ।

(२) प्रापण प्रक्रिया, प्रापण प्राधिकरण द्वारा, सरकारी संकल्प, सरकारी ई-बाजार स्थान (जीमेल पोर्टल) के मार्गदर्शक तत्वों और सरकार द्वारा प्रापण पर समय-समय से जारी किसी अन्य सुसंगत मार्गदर्शक तत्वों के ज़रिए राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कार्यान्वित की जायेगी ।

अध्याय तीन

कार्यकारी समिति।

कार्यकारी समिति का गठन।

८. प्रापण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति, निम्न अध्यक्ष और सदस्य, **पदेन** सदस्यों से गठिन होगी, अर्थात् :—

(क) सरकार के मुख्य सचिव	..	..	अध्यक्ष ;
(ख) लोक स्वास्थ्य विभाग के सचिव—एक	..	..	सदस्य ;
(ग) लोक स्वास्थ्य विभाग के सचिव—दो	..	..	सदस्य ;
(घ) चिकित्सा शिक्षा और औषधि विभाग के सचिव	..	..	सदस्य ;
(ङ) उद्योग विभाग के सचिव	..	..	सदस्य ;
(च) वित्त विभाग के सचिव	..	..	सदस्य ;
(छ) नगर विकास विभाग के सचिव (यूडी-दो)	..	..	सदस्य ;
(ज) स्वास्थ्य सेवा आयुक्त	..	..	सदस्य ;
(झ) चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के आयुक्त	..	..	सदस्य ;
(ञ) स्वास्थ्य सेवा के निदेशक—एक	..	..	सदस्य ;
(ट) उपापन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।	..	..	सदस्य-सचिव ;

कार्यकारी समिति की शक्तियाँ तथा कर्तव्य।

९. (१) कार्यकारी समिति, यथा निम्न शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा यथा निम्न कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात् :—

(एक) प्रापण प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति ;

(दो) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यथा निष्पादित प्रापण प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना ;

(तीन) चिकित्सा मालों के प्रापण की योजना करना, कार्यान्वयन करना तथा पर्यवेक्षण करना और उसके टर्न की परियोजना का निष्पादन करना ;

(चार) प्रापण प्राधिकरण के अधीन जिसके मामलें में विद्यमान प्रापण मार्गदर्शक सिद्धातों द्वारा आवृत्त नही है परंतु उस अवधि के दौरान प्रचलित परिस्थिति द्वारा अनिवार्य है, प्रापण की निविदा या प्रक्रिया का अनुमोदन या अस्वीकृति,

(पाँच) प्रापण प्राधिकरण निधि का अतिशेष राशि, यदि कोई हो, का निवेशन करना ;

(छह) प्रापण प्राधिकरण की और से किसी प्रक्रिया की संस्थापना करना, आयोजन करना और प्रत्याहरण करना ;

(सात) प्रापण प्राधिकरण द्वारा कार्यकारी समिति पर समय-समय से प्रत्यायोजित ऐसी अन्य शक्तियाँ (विनियम बनाने की शक्ति को छोडकर) या समनुदेशित कृत्य या अधिरोपित कर्तव्य करना ;

कार्यकारी समिति की बैठक।

१०. कार्यकारी समिति, उसके अध्यक्ष द्वारा जैसा कि अवधारित किया जाए ऐसे स्थान तथा ऐसे समय पर बुलाई जायेगी, और जैसा के अवधारित करे, प्रापण के ऐसे नियमों का निरीक्षण करेगी।

उप-समिति का गठन।

११. (१) कार्यकारी समिति ऐसी उप-समितियों और निविदा अनुमोदन समिति समेत ऐसे प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए जिसे वे ठिक समझे कोई अन्य समितियों का गठन कर सकेगी और जिसे कार्यकारी समिति विनिर्दिष्ट को सके, कोई ऐसी समिति को ऐसी शक्तियाँ सौंप देगी।

(२) इस उप-धारा (१) के अधीन गठित उप-समिति, कार्यकारी समिति द्वारा जैसा कि निदेशित किया जाए ऐसे स्थान पर तथा ऐसे समय पर बैठक बुलाई जायेगी और उसकी बैठक में, कारोबार के संव्यवहार से संबंधित ऐसे नियमों का निरीक्षण करेगी ।

(३) कार्यकारी समिति, समय-समय पर आदेश द्वारा, उसके द्वारा नियुक्त उप-समितियों की शक्तियाँ और कर्तव्यों को अवधारित करेगी ।

१२. कार्यकारी समिति, समय-समय पर इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा यह निदेश देगी कि कोई शक्ति या कृत्य जो इस अधिनियम के उपबंधों के द्वारा या के अधीन इस पर प्रदत्त की है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा, का प्रयोग किया जायेगा या का निर्वहन किया जायेगा । कार्यकारी समिति द्वारा शक्तियों या कृत्यों का प्रत्यायोजन ।

१३. प्रापण प्राधिकरण और कार्यकारी समिति, की सभी कार्यवाहियाँ प्रापण प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा या इस निमित्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत प्रापण प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित की जायेगी । प्रापण प्राधिकरण और कार्यकारी समिति के आदेशों आदि, का अधिप्रमाणन ।

१४. प्रापण प्राधिकरण या उसकी कोई समिति का कार्य या कार्यवाहियाँ केवल उसमें रिक्ति के कारणों-द्वारा या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य यदि ऐसा कार्य या कार्यवाहियाँ इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में अन्यथा है, करनेवाले किसी व्यक्ति के नियुक्त में, त्रुटि के कारण अवधिमान्य नहीं होगी । कार्यवाहियों की ठीक और विधिमान्य कार्यवाही।

१५. प्रापण प्राधिकरण या कार्यकारी समिति, सरकार के या स्थानिय प्राधिकरण के किसी अधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति, जिसे वह ठिक समझे, को प्रापण प्राधिकरण के उद्‌देश्यों और कृत्यों से संबंधित किसी मामले या मामलों से पर उसे सहाय करने या सलाह देने के प्रयोजनों के लिए विशेष निमंत्रिति के रूप में उनकी बैठक या बैठकों को उपस्थित रहने के लिए निमंत्रित कर सकेगा, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा । सरकारी या स्थानिक प्राधिकरण के अधिकारी को सहायता या सलाह देने के लिए आमंत्रित करने संबंधी उपबंध ।

अध्याय चार

मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

१६. (१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रापण प्राधिकरण के कार्यकारी और प्रशासकीय प्रमुख होंगे और इस अधिनियम द्वारा या के अधीन या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन उस पर यथा समनुदेशित की गई ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों या कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसे प्राधिकरण, संकल्प द्वारा उसको प्रत्यायोजित कर सके । मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उसकी शक्तीयाँ कर्तव्य और कृत्यों ।

(२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी निविदा अनुमोदन समिति का प्रमुख होगा । निविदा अनुमोदन समिति सभी निविदाओं को अनुमोदन करेगी तथा अंतीम रूप देगी । मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपवादिक मामलों कार्यकारी समिति के समक्ष इनके विनिर्णय के लिए निविदा रखेगा ।

(३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी निम्न शक्तियों का प्रयोग करेगी और निम्न कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात् :—

(क) कार्यकारी समिति द्वारा यथा निर्देशित प्रापण के प्रयोजनों के लिए निविदा अनुमोदन समिति और विभिन्न उप-समितियों का गठन करना ;

(ख) प्राधिकरण द्वारा बनाई गई खरीद प्रक्रिया को मानिटर करेगा ;

(ग) प्राधिकरण के वित्त तथा लेखाओं का नियमित पूर्नविलोकन करेगा ;

(घ) संघठन के निरंतर सुधार के लिए मानदण्ड विकसित करेगा ;

(ङ) जैसा कि विहित किया जाए ऐसे अन्य शक्तीयाँ, कृत्यों और कर्तव्य करना ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण । **१७.** मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपापन प्राधिकरण पर प्रतिनियुक्ति पर या अन्यथा में सरकार द्वारा समय-समय से नियुक्त किए गए किसी अधिकारी संमेत उसके अधिकारियों और कर्मचारियों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जिम्मेदारी । **१८.** मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राधिकरण को देय सभी राशीयों का संग्रहण के लिए और प्राधिकरण द्वारा देय सभी राशि की अदायगी के लिए जिम्मेवार होगा । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राधिकरण के जमा राशि समेत सभी अस्तियों की पर्याप्त सुरक्षा की सुनिश्चिति करेगा । मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकरण के कार्यों से संबंधित सभी कार्यकारी कृत्यों के निर्वहन के लिए भी जिम्मेवार होगा ।

अध्याय पाँच

अधिकारी और कर्मचारी।

उपापन प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी। **१९.** (१) राज्य सरकार भारतीय प्रशासन सेवा काडर में से एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करेगी ।

(२) राज्य सरकार प्रापण प्राधिकरण को सहायता करने के लिए निम्न एक या अधिक, अधिकारी,—

(क) महा प्रबंधक (तकनीकी) जो लोक स्वास्थ्य विभाग के अधीन संयुक्त निदेशक या उसके समतुल्य की श्रेणी का होगा ;

(ख) महा प्रबंधक (प्रशासकीय), जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव या उसके समतुल्य की श्रेणी का होगा ;

(ग) सहायक महा प्रबंधक (तकनीकी) जो, लोकस्वास्थ्य विभाग के अधीन उप-निदेशक की श्रेणी का या चिकित्सा शिक्षा और औषधि विभाग के अधीन संकायाध्यक्ष या प्राध्यापक या सहायक प्राध्यापक या उसके समतुल्य की श्रेणी का होगा ;

(घ) तकनीकी अधिकारी, जो लोकस्वास्थ्य विभाग के अधीन सहायक निदेशक या उसके समतुल्य श्रेणी का होगा ;

(ङ) मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी (लेखा) जो वित्त विभाग के अधिन वित्त तथा लेखा संयुक्त निदेशक या उसके समतुल्य श्रेणी का होगा ;

(च) मुख्य प्रशासकीय अधिकारी (प्रशासन) जो राज्य सरकार के अवर सचिव या उसके समतुल्य श्रेणी का होगा ।

(३) प्रापण प्राधिकरण जिसे वह ठिक समझे, उप-धारा (२) में उल्लिखित से अन्य अधिकारी या कर्मचारियों के पदों का सृजन समय-समय से कर सकेगा । ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की शर्ते, सेवा की शर्ते, और शक्तियाँ और कर्तव्य विनियमों द्वारा जैसा कि अवधारित किया जाए ऐसी होंगी। प्रापण प्राधिकरण, जैसे और जहाँ आवश्यक हो, संविदात्मक आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा ।

अध्याय छह

वित्त बजट और लेखा।

२०. (१) प्रापण प्राधिकरण का "चिकित्सा माल उपापन निधि" नामक एक निधि होगा, जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी राशियाँ जमा की जायेंगी, समेत,– उपापन प्राधिकरण का निधि।

(क) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को जैसा की अदा किए जाने वाले सभी अनुदान और ऐसी अन्य राशियाँ ;

(ख) केंद्र सरकार या कोई अन्य राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या कोई अन्य प्राधिकरण या अभिकरण द्वारा प्राधिकरण को जैसा कि अदा किया जाए ऐसी राशियाँ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी फीस, लागत और प्रभार ;

(घ) सेवा के जरिए दिए गए और प्राधिकरण के प्रशासकीय प्रक्रिया के ज़रिए प्राप्त सभी अन्य फीस, प्रभार ;

(ङ) प्राधिकरण द्वारा उधार में ली गयी सभी राशि ;

(च) निजी, व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा बनाए गए कोई वसीयतें, दान, वृत्तिदान या अन्य अनुदान;

(छ) किराए के द्वारा से या किन्हीं अन्य रीत्या में या किन्ही अन्य स्त्रोत से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी राशियाँ ।

(२) प्रापण प्राधिकरण, स्टेट बँक ऑफ इंडिया या कोई अन्य राष्ट्रीयकृत बँक या को इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित कोई अन्य बँक से चालू में या निक्षेप खाता रख सकेगा, जैसा कि विहित किया जाए उनके निधि की ऐसी राशि और उक्त राशि के अधिक में कोई राशि राज्य सरकार द्वारा जैसा कि अनुमोदित की जाए ऐसी रीत्या में निवेशित की जायेगी ।

(३) ऐसे खाते, इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा उसके द्वारा जैसा कि प्राधिकृत किया जाए प्रापण प्राधिकरण के ऐसे अधिकारियों द्वारा परिचालित होंगे ।

२१. (१) प्रापण प्राधिकरण, एक आरक्षित निधि के लिए उपबंध बनाएगी और जिसे वह ठीक समझे अन्य विशेषित नाम रखे गए विधि के लिए उपबंध कर सकेगी । आरक्षित तथा अन्य निधियाँ ।

(२) उप-धारा (१) में निर्देशित किए गए निधि का प्रबंधन, उसके साख को समय-समय से अंतरित की जानेवाली राशि और उसमें सम्मिलित राशि की प्रयुक्ति प्रापण प्राधिकरण द्वारा अवधारित की जायेगी ।

२२. प्रापण प्राधिकरण में निहित सभी सम्पत्ति, निधि और अन्य अस्तियाँ, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए और इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन उसके द्वारा धारित तथा प्रयुक्त की जायेगी । निधियाँ आदि की प्रयुक्ति।

२३. राज्य सरकार, प्रापण प्राधिकरण की स्थापना से प्रथम दो वर्ष के लिए कर्मचारिवृंद और अन्य अधिकारी के वेतनअंश के लिए प्रापण प्राधिकरण स्व-संपोषणीय बनने तक के लिए समय के लिए आधार लागत के लिए सहायक अनुदान का उपबंध करेगी । राज्य सरकार द्वारा अनुदान।

२४. प्रापण प्राधिकरण, राज्य सरकार के पुर्वानुमोदन से इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए कोई राशि उधार ले सकेगा या उसके द्वारा प्राप्त किसी ऋण की सेवारत के लिए ऐसे दर पर और ऐसी शर्तों पर जैसा राज्य सरकार निर्धारित कर सके ऐसे समय पर राशि उधार ले सकेगा । ऋण लेने की प्रापण प्राधिकरण की शक्तियाँ।

२५. राज्य सरकार, प्रापण प्राधिकरण द्वारा वृद्धि हुए या दिए गए किसी ऋण की मूल रक्कम की और उस पर ब्याज की या राज्य सरकार जिसे उसपर लागू करना ठिक समझे ऐसे शर्तों के अध्यधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसे अंतरित रक्कम की पुनर्अदायगी की प्रत्याभूति कर सकेगी। प्रापन प्राधिकरण द्वारा दिए गये या दिए जानेवाले ऋणको राज्य प्रतिभूति ।

लेखा तथा संपरिक्षा।

२६. (१) प्रापण प्राधिकरण, इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा जैसा वे कर सके ऐसे प्ररुप में और ऐसी रीत्या में अवधारित लेखाओं को रखेगा।

(२) प्रापण प्राधिकरण का लेखा, समय-समय से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए स्थानीय निधि लेखाओं के मुख्य लेखा परिक्षक या किसी अन्य लेखा परिक्षक द्वारा संपरिक्षित किया जायेगा ।

(३) लेखा संपरीक्षा, विनियमों द्वारा जैसे कि अवधारित किया जाए ऐसी रीत्या में की जायेगी ।

(४) लेखा संपरीक्षक उसका लेखापरिक्षण रिपोर्ट उपापन प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा तथा उसकी एक प्रत राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

बजट।

२७. (१) प्रापण प्राधिकरण के सदस्य-सचिव प्रापण प्राधिकरण का अगले वित्तीय वर्ष के संबंध में, प्राक्कलित प्राप्तियाँ और वितरण दिखानेवाला कोई वार्षिक बजट प्रत्येक वर्ष जैसा कि विहित किया जाए ऐसे प्ररुप तथा ऐसे समय पर तैयार करेगा और उसे प्रापण प्राधिकरण को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगा।

(२) सदस्य सचिव उसके द्वारा इस प्रकार तैयार की गयी बजट प्राकलन की प्रतिलिपि और प्रापण प्राधिकारी द्वारा या अनुमोदित बजट राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

वार्षिक रिपोर्ट।

२८. प्रापण प्राधिकरण, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उनके क्रियाकलापों की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष की समाप्ति (३१ मार्च को समाप्त होनेवाले) के पश्चात् तैयार करेगा और ३० नवम्बर के पूर्व उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार, ऐसे रिपोर्ट की प्रति राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेगी ।

प्रापण प्राधिकरण का परिचालन क्षति के रूप में कार्यान्वित नही होगा।

२९. (१) प्रापण प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन उनके परिचालन का कोई कार्यान्वयन क्षति पर अपेक्षित नहीं होगा। किसी वित्तीय वर्ष में प्रापण को देय के कारण चिकित्सा प्रापण निधि में कोई कमी इसी वर्ष में प्राधिकरण द्वारा ठीक की जायेगी उसके अगले अनुगामी वित्तीय वर्ष के बाद में नहीं की जायेगी।

(२) प्रापण प्राधिकरण, निधि उपयोग कर्ता संस्था से उसके अंत पर प्राप्त होने के समय तक यशस्वी बोलीकर्ता को कोई आदेश नहीं रखेगी।

प्रापण प्राधिकरण द्वारा फीस या प्रभार।

३०. प्रापण प्राधिकरण जैसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ऐसे दर या दरों पर उपापन प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए फीस, या प्रभार लेगी।

अध्याय सात

विविध।

राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण।

३१. (१) प्रापण प्राधिकरण, राज्य में, चिकित्सा मालों के प्रापण के लिए राज्य सरकार द्वारा, समय से विरचित नीति तथा अधिकथित मार्गदर्शक तत्त्वों के अनुसरण में इस अधिनियम के अधीन उनकी शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेगी।

(२) उपापन प्राधिकरण ऐसे निदेशन के अनुपालन करने को आबध्द होगें जो इस अधिनियम के प्रभावी प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा, समय-समय से जारी कर सके।

निदेशन देने की शक्ति।

३२. राज्य सरकार, इस अधिनियम के उद्देश्यों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए जैसे आवश्यक समझें या इष्टकर समझें गये निति मामलों के संबंध में कार्यकारी के लिए समय समय पर ऐसे सामान्य या विशेष निदेशन दे सकेगी और कार्यकारी समिति ऐसे निदेशन का अनुपालन तथा कार्य करने के लिये आबध्द होंगे।

प्रत्यायोजन की शक्ति।

३३. प्रापण प्राधिकरण, संकल्प द्वारा, समय-समय से, उसके द्वारा प्रयोग किए जाने योग्य कोई शक्ति (विनियम बनाने की शक्ति को छोडकर) या निर्वहन किए जानेवाले कोई कृत्य या इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन उसके द्वारा अनुपालन किए जानेवाले कोई कर्तव्य ऐसे संकल्प में जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यकारी समिति को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

सन् १८६० का ४५। **३४.** प्रापण समिति के प्रत्येक अधिकारी और अन्य कर्मचारियों तथा इस अधिनियम के अधीन गठित समिति या उप-समिति के प्रत्येक सदस्य, भारतीय दण्ड संहिता की धारा २१ के अर्थातर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे। प्रापण प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी लोकसेवक होंगे।

३५. प्रापण प्राधिकरण के कोई सदस्य या कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी और इस अधिनियम के अधीन गठीत समिति के कोई सदस्य के विरुध्द इस अधिनियम के अधीन सद्भावना में कृत कोई कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहीयाँ संस्थित नही की जायेगी। क्षतिपूर्ति।

३६. प्रापण प्राधिकरण, विनियमों द्वारा इस अधिनियम के अधीन उपबंधित किए जानेवाले सभी या किन्ही मामलों के लिये इस अधिनियम के उपबंधों या तध्दीन बनाए नियमों से अनसंगत न होनेवाले विशेषतः सभी मामलों जिसके लिये उपबंध है और प्राधिकरण के मतानुसार इस अधिनियम के अधीन उनकी शक्तियों का प्रयोग करने और उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक है, के लिए विनियम बना सकेगी। विनियम बनाने की शक्ति।

३७. (१) राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(२) इस नियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के बाद, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष, जब वह सत्र में हो कुल तीस दिनों की अवधि के लिए जो चाहे एक सत्र या दो आनुक्रमिक सत्रों में हो रखा जायेगा, और यदि उस सत्र के, जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है या सद्य अनुवर्ति सत्र के अवसान से पूर्व, दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन इस बात के लिये सहमत होते हों कि नियम नहीं बनाया जाए तो नियम, **राजपत्र** में ऐसे विनिश्चय की अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जाएगा; तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या बातिलीकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई या किए जाने से छोड़ी गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

३८. (१) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धो को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर हो, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों के उद्देश्यों और प्रयोजनों से अन्असंगत ऐसी कोई भी बात कर सकेगी जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनार्थ आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो : कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।

परन्तु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षो की अवधि के अवसान के बाद इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश नही बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. XIV OF 2023.

THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION AND MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS (AMENDMENT) ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २० मार्च, २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XIV OF 2023.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT AND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १४ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २३ मार्च २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

मुंबई नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :— सन् १८८८ का ३ । सन् १९४९ का ५९ ।

अध्याय एक

प्रारम्भिक

१. यह अधिनियम मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, २०२३ कहलाए। संक्षिप्त नाम।

अध्याय दो

मुंबई नगर निगम अधिनियम में संशोधन ।

सन् १८८८ का ३ । **२.** मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा ५ की, उप-धारा (१) के खण्ड (ख) में, " पाँच नामनिर्देशित पार्षदों " शब्दों के स्थान में, " दस नामनिर्देशित पार्षदों " शब्द रखे जायेंगे। सन् १८८८ का ३ की धारा ५ में संशोधन ।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में संशोधन ।

सन् १९४९ का ५९ । **३.** महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा ५ की, उप-धारा (२) के खण्ड (ख) में, " पाँच से अनधिक " शब्दों के स्थान में, " निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के दस प्रतिशत से अनधिक या दस, जो भी न्यूनतम है " शब्द रखे जायेंगे। सन् १९४९ का ५९ की धारा ५ में संशोधन ।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XV OF 2023.

THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS (AMENDMENT) ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २० मार्च, २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XV OF 2023.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २३ मार्च २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :— सन् १९५९ का महा. ३।

संक्षिप्त नाम । **१.** यह अधिनियम महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (संशोधन) अधिनियम, २०२३ कहलाए ।

सन् १९५९ का महा. ३।

२. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा १६३ की, उप-धारा (१) के,– सन् १९५९ का महा. ३ की धारा १६३ में संशोधन ।

(क) खण्ड (एक) में, "ऐसे अवधि के कारावास से जिसकी अवधि एक महीने तक बढ़ाई जा सकेगी या जुर्माने से जिसे तीन सौ रुपयों तक बढ़ाया जा सके या दोनों से दण्डित किया जायेगा" शब्दों के स्थान में "ऐसे जुर्माने से जिसे डेढ़ हजार रुपयों तक बढ़ाया जा सके से दण्डित किया जायेगा" शब्द रखे जायेंगे।

(ख) खण्ड (दो) में, "ऐसी अवधि के कारावास से जिसकी अवधि छह महीनों तक बढ़ाई जा सके या जुर्माने से जिसे पाँच सौ रुपयों तक बढ़ाया जा सके या दोनों से दण्डित किया जायेगा" शब्दों के स्थान में, " ऐसें जुर्माने से जिसे पाँच हजार रुपयों तक बढ़ाया जा सके, दण्डित किया जायेगा" शब्द रखे जायेंगे।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XVI OF 2023.

THE DR. BABASAHEB AMBEDKAR TECHNOLOGICAL UNIVERSITY AND MAHARASHTRA COEP TECHNOLOGICAL UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २४ मार्च, २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XVI OF 2023.

AN ACT TO AMEND THE DR. BABASAHEB AMBEDKAR TECHNOLOGICAL UNIVERSITY ACT, 2014 AND THE MAHARASHTRA COEP TECHNOLOGICAL UNIVERSITY ACT, 2022.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २४ मार्च २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ और महाराष्ट्र सीओइपी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०२२ में संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ और महाराष्ट्र सीओइपी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०२२ में संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :— सन् २०१४ का महा. २९। सन् २०२२ का महा. ३५।

अध्याय एक

प्रारम्भिक।

संक्षिप्त नाम। **१.** यह अधिनियम डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और महाराष्ट्र सीओइपी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२३ कहलाए।

अध्याय दो

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ में संशोधन।

सन् २०१४ का महा. २९।

२. डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ की धारा १३ की,— सन् २०१४ का महा. २९ की धारा १३ में संशोधन।

(१) उप-धारा (१) के,—

(क) खण्ड (क) में,—

(एक) " समिति " शब्द के स्थान में " खोजबीन-नि-चयन समिति " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) उप-खण्ड (एक) के स्थान में, निम्न उप-खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (एक) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य, जो उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में का एक विख्यात व्यक्ति होगा और या तो शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कोई विख्यात विद्वान होगा या शिक्षा के क्षेत्र में **पद्म** पुरस्कार प्राप्तकर्ता होगा ; " ;

(तीन) उप-खण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्न उप-खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (चार) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जानेवाला एक सदस्य । " ;

(ख) खण्ड (ग) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (ग) समिति पर नामनिर्देशित होनेवाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो विश्वविद्यालय के साथ किसी रीत्या में संबंधित नहीं है या विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय या किसी मान्यताप्राप्त संस्था से संबंधित नहीं है ; " ;

(ग) खण्ड (घ) में " तीन " शब्द अपमार्जित किया जायेगा ;

(२) उप-धारा (४) के,—

(क) खण्ड (ख) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (ख) वह सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक और संस्थागत प्रतिबद्धता का उच्चतम स्तर धारण करनेवाला व्यक्ति होगा ; और किसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कम से कम दस वर्षों के अनुभव या एक विख्यात अनुसंधान में प्रदर्शित अकादमिक नेतृत्व होनेवाले सबूत के साथ अकादमिक प्रशासकीय संगठन में दस वर्षों का अनुभव होनेवाला प्रख्यात परिषत्सदस्य होगा ; " ;

(ख) खण्ड (घ) में, " शैक्षिक अर्हताएँ " शब्दों के स्थान में, " अतिरिक्त शैक्षिक अर्हताएँ " शब्द रखे जायेंगे ;

(३) उप-धारा (६) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (६क) यदि, कुलाधिपति द्वारा चयनित व्यक्ति, कुलपति के पद का प्रभार ग्रहण नहीं करता है तो, कुलाधिपति, एक पॅनल से, शेष व्यक्तियों में से एक अन्य यथोचित व्यक्ति का चयन कर सकेगा या वह उसी समिति से या तो एक नए पॅनल को बुला सकेगा या ऐसी नई समिति से इसी प्रयोजन के एक नई समिति के गठन के पश्चात्, नए पॅनल को बुला सकेगा । " ।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र सीओइपी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०२२ में संशोधन।

सन् २०२२ का महा. ३५ की धारा ११ में संशोधन।

३. महाराष्ट्र सीओइपी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०२२ की धारा ११ की,— सन् २०२२ का महा. ३५।

(१) उप-धारा (३) के,—

(क) खण्ड (क) के,—

(एक) उप-खण्ड (एक) के स्थान में, निम्न उप-खण्ड, रखा किया जायेगा, अर्थात् :—

" (एक) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य जो, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में का विख्यात व्यक्ति होगा और या तो राष्ट्रीय ख्याति का विख्यात विद्वान होगा या शिक्षा के क्षेत्र में **पद्म** पुरस्कार प्राप्तकर्ता होगा ; " ;

(दो) उप-खण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्न उप-खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (चार) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य ; " ;

(ख) खण्ड (ग) में " तीन " शब्द अपमार्जित किया जायेगा ;

(ग) खण्ड (घ) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (घ) समिति पर नामनिर्देशित किया गया सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो विश्वविद्यालय के साथ किसी रीत्या में संबंधित नहीं है या उस विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय या किसी मान्यताप्राप्त संस्था से संबंधित नहीं है ; " ;

(घ) खण्ड (च) के,—

(एक) उप-खण्ड (एक) के पूर्व निम्न उप-खण्ड, निविष्ट किया जायेगा :—

(एक-१) वह सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक और संस्थागत प्रतिबद्धता का उच्चतम स्तर हासिल करनेवाला व्यक्ति होगा ; " ;

(दो) उप-खण्ड (चार) में,—

(एक) " शैक्षिक अर्हताएँ " शब्दों के स्थान में, " अतिरिक्त शैक्षिक अर्हताएँ " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) परंतुक में, " शैक्षिक अर्हताएँ " शब्दों के स्थान में, " अतिरिक्त शैक्षिक अर्हताएँ " शब्द रखे जायेंगे ;

(२) उप-धारा (४) के,—

(क) विद्यमान परंतुक के पूर्व, निम्न परंतुक, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु यदि, कुलाधिपति द्वारा चयनित व्यक्ति, कुलपति के पद का प्रभार ग्रहण नहीं करता है तो, कुलाधिपति, एक पॅनल से, शेष व्यक्तियों में से एक अन्य यथोचित व्यक्ति का चयन कर सकेगा या वह उसी समिति से या तो एक नए पॅनल को बुला सकेगा या ऐसी नई समिति से इसी प्रयोजन के एक नई समिति के गठन के पश्चात् नए पॅनल को बुला सकेगा : " ;

(ख) विद्यमान परंतुक में, " परंतु, " शब्दों के स्थान में, " परंतु आगे यह कि, " शब्द रखे जायेंगे।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XVII OF 2023.

THE MAHARASHTRA APPROPRIATION ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २९ मार्च, २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XVII OF 2023.

AN ACT TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES AND PURPOSES OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH, 2024.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १७ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **“ महाराष्ट्र राजपत्र ”** में दिनांक २९ मार्च २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

अधिनियम जिसके द्वारा राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२४ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए कतिपय रकमों की अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२४ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए कतिपय रकमों के विनियोग के लिए यह आवश्यक है कि विनियोग अधिनियम पारित करने तथा उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ उपबंध किया जाए ; इसलिए, भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र विनियोग अधिनियम, २०२३ कहलाए। संक्षिप्त नाम।

राज्य की समेकित निधि में से वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ के लिये, ६२ खरब, ०८ अरब, ४७ करोड़, ०९ लाख, ९९ हजार रुपये निकालना।

२. राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ सम्बद्ध अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नहीं होंगी और जो कुल मिलाकर बासठ खरब, आठ अरब, सैंतालिस करोड़, नौं लाख, निन्यानबे हजार रुपयों की रकम के बराबर होंगी, अनुसूची के स्तम्भ (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं तथा प्रयोजनों के सम्बन्ध में सन् २०२४ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में, होनेवाले विभिन्न प्रभारों को पूरा करने के लिए अदा की जायेगी तथा लगाई जाएगी।

विनियोग।

३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिए प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०२४ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिए विनियोग किया जायेगा।

ग्रामविकास विभाग

एल-१	ब्याज अदायगियाँ। ..	२०४९, ब्याज अदायगियाँ। ..		१८,०३,८८,८८,०००	१८,०३,८८,८८,०००
एल-२	जिला प्रशासन। ..	२०५३, जिला प्रशासन। ..	८३,७२,६६,१२,०००	१,०००	८३,७२,६७,१२,०००
एल-३	ग्राम विकास कार्यक्रम। ..	२०५९, लोकनिर्माण कार्य । ..	१,१६,८२,५०,९०,०००	..	१,१६,८२,५०,९०,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।			
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
		२५०५, ग्राम नियोजन।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२८१०, नविन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।			
एल-४	सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ। ..	३४५१, सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ। ..	८२,२०,१९,०००	....	८२,२०,१९,०००
एल-५	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन। ..	६,१३,३५,२१,०००	७,६०,०५,४४,०००	१३,७३,४०,६५,०००
		कुल—ग्रामविकास विभाग ..	२,०७,५०,७२,४२,०००	२५,६३,९५,३२,०००	२,३३,१४,६७,७४,०००

खाद्य सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग

एम-१	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। ..	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। ..	१०,००,०००	....	१०,००,०००
एम-२	खाद्य भंडारकरण और गोदाम। ..	२४०८, खाद्य, भांडारकरण तथा गोदाम। ..	३१,५२,०८,३०,०००	२५,५२,५०,०००	३१,७७,६०,८०,०००
एम-३	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ। ..	१,१९,३२,३०,०००	....	१,१९,३२,३०,०००
		३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ ।			
		कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग। ..	३२,७१,५०,६०,०००	२५,५२,५०,०००	३२,९७,०३,१०,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
	विधि तथा न्याय विभाग					
जे-१	न्याय प्रशासन। ..	२०१४, न्याय प्रशासन।	..	३२,७८,४१,७९,०००	५,३८,८०,७०,०००	३८,१७,२२,४९,०००
जे-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएँ। ..	२०५२, सचिवालय–सामान्य सेवाएँ। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२३५,सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	..	२,९१,६५,३०,०००	१०,००,०००	२,९१,७५,३०,०००
जे-३	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	७,३२,६०,०००	..	७,३२,६०,०००
		कुल—विधि तथा न्याय विभाग।	..	३५,७७,३९,६९,०००	५,३८,९०,७०,०००	४१,१६,३०,३९,०००
	उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग					
के-१	पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क। ..	२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क।	..	७३,३०,०९,०००	....	७३,३०,०९,०००
के-३	लेखनसामग्री तथा मुद्रण।	२०५७, पूर्ति और निपटान । २०५८, लेखनसामग्री तथा मुद्रण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	..	२,२४,७८,३७,०००	१,०००	२,२४,७८,३७,०००
के-४	श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास। ..	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास	..	३,८७,०२,९७,०००	....	३,८७,०२,९७,०००
के-५	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ..	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	..	२४,००,०००	....	२४,००,०००
के-६	ऊर्जा।	२८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।	..	९२,८२,७३,९८,०००	...	९२,८२,७३,९८,०००
के-७	उद्योग ।	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। २८५२, उद्योग। २८५३, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग।	..	४२,३६,२५,०५,०००	१,०००	४२,३६,२५,०६,०००
के-८	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। ..	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	..	३२,६८,६३,०००	....	३२,६८,६३,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	..	१,४२,३७,०३,०९,०००	१,०१,०००	१,४२,३७,०४,१०,०००

एच-५	सड़क तथा पुल।	३०५४, सड़क तथा पुल।	..	८०,९०,४०,५९,०००	१५,००,०००	८०,९०,५५,५९,०००
एच-६	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य ।	..	३५,०२,९९,०१,०००	५,७९,०६,०००	३५,०८,७८,०७,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।				
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
		२२०५, कला तथा संस्कृति।				
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
		२२१७, नगरविकास।				
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।				
		२४०३, पशुपालन।				
		२४०५, मत्स्योद्योग ।				
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग ।	..	१,२१,१४,७०,९६,०००	५,९४,०६,०००	१,२१,२०,६५,०२,०००
	जलस्रोत विभाग					
आय-१	ब्याज अदायगियाँ। ..	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..	....	१२,१४,२६,५७,०००	१२,१४,२६,५७,०००
आय-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। ..	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	२,००,००,०००	....	२,००,००,०००
आय-३	सिंचाई, विद्युत तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ। ..	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण।	..	२४,२६,८७,३९,०००	..	२४,२६,८७,३९,०००
		२७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई।				
		२७०२, लघु सिंचाई।				
		२७०५, कमान क्षेत्र विकास।				
		२७११, बाढ़ नियंत्रण और निकास।				
		२८०१, विद्युत।				
		३४०२, अन्तरिक्ष अनुसंधान				
आय-४	सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ। ..	३४५१, सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ।	..	७८,७५,३४,०००	....	७८,७५,३४,०००
		कुल—जलस्रोत विभाग ।	..	२५,०७,६२,७३,०००	१२,१४,२६,५७,०००	३७,२१,८९,३०,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		वित्त विभाग				
जी-१	विक्रय कर प्रशासन।	२०२०, आय तथा व्यय पर संग्रहण ।	..	११,०६,५०,५०,०००	१,००,०००	११,०६,५१,५०,०००
		२०४०, विक्रय,व्यापार आदि पर कर।				
		३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।				
जी-२	अन्य वित्तीय तथा विविध सेवाएँ।	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	..	२८,३३,७४,७१,०००	....	२८,३३,७४,७१,०००
		२०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।				
जी-३	ब्याज अदायगियाँ तथा ऋण सेवा।	२०४८, ऋणों में कमी करने या परिहार के लिए विनियोग		....	४,७५,५०,७८,३६,०००	४,७५,५०,७८,३६,०००
		२०४९, ब्याज अदायगियाँ।				
जी-४	सचिवालय — सामान्य सेवाएँ। ..	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ।	..	५८,५०,८४,०००	....	५८,५०,८४,०००
जी-५	कोषागार तथा लेखा प्रशासन। ..	२०५४, कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	..	५,०७,२२,४६,०००	२,००,०००	५,०७,२४,४६,०००
जी-६	पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ। ..	२०७१, पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ।	..	५,४५,५५,९९,६९,०००	१,८४,७८,१४,०००	५,४७,४०,७७,८३,०००
जी-७	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। ..	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	१,१३,०६,४१,०००	....	१,१३,०६,४१,०००
		कुल—वित्त विभाग।	..	५,९१,७५,०४,६१,०००	४,७७,३५,५९,५०,०००	१०,६९,१०,६४,११,०००
		लोकनिर्माण कार्य विभाग				
एच-२	अन्य प्रशासनिक तथा सामाजिक सेवाएँ।	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	..	१,१७,५०,०००	....	१,१७,५०,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
एच-३	आवास। ..	२२१६, आवास।	..	४,३६,२१,८०,०००	....	४,३६,२१,८०,०००
एच-४	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	..	८३,९२,०६,०००	....	८३,९२,०६,०००
		३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।				
		३०५३, सिविल विमामन।				
		३४५१, सचिवालय--आर्थिक सेवाएँ।				

विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग

इ-१	ब्याज अदायगियाँ ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ । ..	....	२३,३१,७६,९१,०००	२३,३१,७६,९१,०००
इ-२	सामान्य शिक्षा। ..	२२०२, सामान्य शिक्षा। ..	७,०३,०२,९८,७१,०००	१,९०,१५,०००	७,०३,०४,८८,८६,०००
इ-३	सचिवालय और अन्य सामान्य सेवाएँ ।	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ । ..	६,६८,१०,७३,०००	२,०००	६,६८,१०,७५,०००
		२२०५, कला तथा संस्कृति । ..			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों का कल्याण ।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
		२२५१, सचिवालय– सामाजिक सेवाएँ ।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।			
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग। ..	७,०९,७१,०९,४४,०००	२१,३३,६७,०८,०००	७,३३,०४,७६,५२,०००

नगरविकास विभाग

एफ-१	ब्याज अदायगियाँ। ..	२०४९, ब्याज अदायगियाँ। ..	....	१,०००	१,०००
एफ-२	नगरविकास तथा अन्य अग्रिम सेवाएँ।	२०५३, जिला प्रशासन। ..	१,६८,१७,६०,७७,०००	२,५०,०००	१,६८,१७,६३,२७,०००
		२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।			
		२२१७, नगरविकास ।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।			
एफ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। ..	२,६१,२४,२९,०००	....	२,६१,२४,२९,०००
		२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।			
		३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।			
एफ-४	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थांओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	२,७६,४७,६४,४३,०००	..	२,७६,४७,६४,४३,०००
		कुल—नगरविकास विभाग। ..	४,४७,२६,४९,४९,०००	२,५१,०००	४,४७,२६,५२,००,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
सी-६	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	२२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत ।	..	१,२२,७३,७८,५८,०००	४,०००	१,२२,७३,७८,८२,०००
सी-७	वन।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	..	४०,०३,००,४७,०००	१,०००	४०,०३,००,४८,०००
		२४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।	..			
		२२५१, पहाड़ी क्षेत्र।	..			
सी-८	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	..	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	..	२,०१,७७,०८,९७,०००	१०,१०,६३,०००	२,०१,८७,१९,६०,०००
	कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग					
डी-१	ब्याज अदायगियों ।	२०४९, ब्याज अदायगियों ।	..	१,०००	२०,४७,४८,०००	२०,४७,४९,०००
डी-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	९७,४०,०००	....	९७,४०,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
डी-३	कृषि सेवाएँ।	२४०१, कृषि कर्ज ।	..	१,०७,७२,०८,०३,०००	८,००,०००	१,०७,७२,१६,०३,०००
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण।				
		२४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।				
डी-४	पशुपालन।	२४०३, पशुपालन।	..	१६,९८,०२,३४,०००	३,५०,०००	१६,९८,०५,८४,०००
डी-५	दुग्ध उद्योग विकास ..	२४०४, मत्स्य उद्योग।	..	३,८०,६८,४४,०००	५०,००,०००	३,८१,१८,४४,०००
डी-६	मत्स्य उद्योग। ..	२४०५, मत्स्य उद्योग।	..	४,५६,५३,८२,०००	१,५०,०००	४,५६,५५,३२,०००
डी-७	सचिवालय तथा अन्य सामान्य सेवाएँ ।	२७०२, लघु सिंचन।	..	५८,४३,२२,०००	..	५८,४३,२२,०००
		३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ ।				
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	..	१,३३,६६,७३,२६,०००	२१,१०,४८,०००	१,३३,८७,८३,७४,०००

बी-६	सामान्य सेवाएँ ।	२२१७, नगर विकास ।	. .	४,६४,६१,०००	. .	४,६४,६१,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	. .			
		२२५०, अन्य सामान्य सेवाएँ ।	. .			
बी-७	आर्थिक सेवाएँ।	३००१, भारतीय रेल-नीती-निर्धारण, निदेशन, अनुसंधान और अन्य विविध संगठन।	. .	१३,४५,००,००,०००	. . . .	१३,४५,००,००,०००
		३०५१, पत्तन तथा दीप गृह।				
बी-८	वाढ़ नियंत्रण और जल निकास।	२७११, बाढ़ नियंत्रण और जल निकास ।	. .	१२,००,००,०००	. .	१२,००,००,०००
बी-९	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज्य संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।	. .	७,०००	. .	७,०००
		कुल—गृह विभाग।	. .	३,२८,०६,०५,५२,०००	५५,०२,०१,०००	३,२८,६१,०७,५३,०००
		राजस्व तथा वन विभाग				
सी-१	राजस्व तथा जिला प्रशासन ।	२०२९, भू-राजस्व।	. .	३४,४०,५१,१६,०००	३८,०००	३४,४०,५१,५४,०००
		२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क।				
		२०५३, जिला प्रशासन।				
		२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।				
सी-२	स्टाम्प और पंजीकरण ।	२०३०, स्टाम्प और पंजीकरण ।	. .	३,२४,३९,३७,०००	३,०००	३,२४,३९,४०,०००
सी-३	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ ।	. .	१,०००	२,०००	३,०००
सी-४	सचिवालय तथा अन्य सामान्य सेवाएँ ।	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ ।	. .	७८,९३,१८,०००	१०,०४,०००	७९,०३,२२,०००
		२०५९, लोक निमार्ण कार्य ।				
		२०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	. .			
सी-५	अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	२२१७, नगरविकास ।	. .	५६,४६,२०,०००	११,०००	५६,४६,३१,०००
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों का कल्याण ।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।				
		२२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ ।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		राजस्व तथा सामान्य प्रशासन विभाग—जारी				
ए-६	सूचना तथा प्रसार।	२२२०, सूचना तथा प्रसार।	. .	५,९९,२५,३९,०००	१,५०,०००	५,९९,२६,८९,०००
ए-७	सिविल विमानन।	३०५३, सिविल विमामनन।	. .	५,७५,८८,२४,०००		५,७५,८८,२४,०००
ए-८	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांखिकी ।	३४५४ जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांखिकी ।	. .	५,०००	. .	५,०००
		कुल—सामान प्रशासन विभाग	. .	३५,६२,५०,७९,०००	१,४३,१२,३५,०००	३७,०५,६३,१४,०००
		गृह विभाग				
बी-१	पुलिस प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन । २०५५, पुलिस । २०७०, अन्य प्रशासकिय सेवा ।	. .	२,६५,१३,५८,५६,०००	५,००,५०,०००	२,६५,१८,५९,०६,०००
बी-२	राज्य उत्पाद शुल्क।	२०३९, राज्य उत्पाद शुल्क।	. .	२,४९,२१,९८,०००	१,५१,०००	२,४९,२३,४९,०००
बी-३	परिवहन प्रशासन।	२०४१, वाहनों पर कर । ३०५५, सड़क, परिवहन । ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।	. .	४०,३३,८४,७२,०००	५०,००,००,०००	४०,८३,८४,७२,०००
बी-४	सचिवालय और अन्य सामान्य सेवाएँ ।	२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क । २०५२, सचिवालय सामान्य सेवाएँ । . . २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ ।	. .	७६,४८,७८,०००	. .	७६,४८,७८,०००
बी-५	जेल	२०५६, जेल	. .	५,७१,२६,८०,०००	. . . .	५,७१,२६,८०,०००

अनुसूची

(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)		रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी — विनियोजन — विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित (४)	कुल
				रुपये	रुपये	रुपये
		क—राजस्व लेखे पर व्यय				
		सामान्य प्रशासन विभाग				
ए-१	राज्यपाल और मंत्रि परिषद	२०१२, राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/ संघराज्य क्षेत्रों के प्रशासक।	. .	३७,४७,१३,०००	३६,६८,५०,०००	७४,१५,६३,०००
		२०१३, मंत्रि परिषद				
ए-२	निर्वाचन।	२०१५, निर्वाचन।	. .	३,४५,६९,११,०००		३,४५,६९,११,०००
ए-३	लोक सेवा आयोग।	२०५१, लोक सेवा आयोग।	. .	२,०००	१,०६,४१,३०,०००	१,०६,४१,३२,०००
ए-४	सचिवालय और विविध सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय सामान्य सेवाएँ।	. .	१५,३८,२५,८१,०००	१,०५,०००	१५,३८,२६,८६,०००
		२०५९, लोकनिर्माण कार्य।				
		२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।				
		२०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।				
ए-५	सामाजिक सेवाएँ।	२२१६, आवास।	. .	४,६५,९५,०४,०००	. . . .	४,६५,९५,०४,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ				
		२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
		सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग	रुपये	रुपये	रुपये
एन-१	ब्याज अदायगियाँ। ..	२०४९, ब्याज अदायगियाँ। ..	...	१,०००	१,०००
एन-२	सचिवालय तथा अन्य	२०५३, जिला प्रशासन। ..	२०,११, ४७,२५,०००	१,०००	२०,११, ४७,२६,०००
	सामाजिक सेवाएँ।	२२१६, आवास। ..	....	....	....
		२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।			
एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,	२०५३, जिला प्रशासन । ..	१,५१,१२,७३,६५,०००	५,००,०००	१,५१,१२,७८,६५,०००
	अन्य पिछड़े वर्गों तथा	२२०२, सामान्य शिक्षा।			
	अल्पसंख्यंकों को कल्याण।	२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२११, परिवार कल्याण। ..	....	....	....
	.. ..				
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७, नगर विकास।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। ..			
		२२३०, श्रम, नियोजन, तथा कौशल विकास नियोजन।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२४०१, कृषि कर्म।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग।			

			२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
			२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
			२५०५, ग्राम नियोजन।			
			२८०१, विद्युत।			
			२८१०, नविन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
			२८५२, उद्योग।			
एन-६	जिला योजना		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण।	..	२८,२२,९७,२५,०००	....	२८,२२,९७,२५,०००
			कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।	..	१,९९,४७,१८,१५,०००	५,०२,०००	१,९९,४७,२३,१७,०००
	योजना विभाग						
ओ-१	जिला प्रशासन।	..	२०५३, जिला प्रशासन।	..	५,००,००,००,०००	....	५,००,००,००,०००
ओ-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण।	..	३,००,०३,६०,०००	....	३,००,०३,६०,०००
			२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	....	....	....
ओ-३	ग्राम नियोजन।	..	२५०५, ग्राम नियोजन।	..	४१,४२,०३,०३,०००	८०,००,००,०००	४२,२२,०३,०३,०००
ओ-४	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।	..	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।	..	१,००,१२,०३,०००	....	१,००,१२,०३,०००
ओ-६	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान।	..	३४२५, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान।	..	१,५०,००,००,०००	....	१,५०,००,००,०००
ओ-७	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	..	३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	..	२,२१,१३,५३,०००	५,३९,४३,०००	२,२६,५२,९६,०००
ओ-८	पर्यटन।	..	३४५२, पर्यटन।	..	३२,०९,३६,०००	....	३२,०९,३६,०००
ओ-९	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी।	..	३४५४, जनगणना, संर्वेक्षण तथा सांख्यिकी ।	..	१६,१३,५८,३७,०००	१,०००	१६,१३,५८,३८,०००
			३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती संस्थाओं को प्रातिकर तथा समनुदेशन ।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-१४	जिला योजना - मुंबई शहर।	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	२,५२,७९,२५,०००	. . . .	२,५२,७९,२५,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।				
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
		२२०५, कला तथा संस्कृति।				
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
		२२१६, आवास।				
		२२१७, नगरविकास।				
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण।				
		२२३०, श्रम, कौशल विकास तथा नियोजन।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२३६, पोषण।				
		२४०५ मत्स्य उद्योग।				
		२८१०, नविन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।				
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।				
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।				
		३४५२, पर्यटन ।				

ओ-१६	जिला योजना-मुंबई उपनगर।	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	७,८५,८५,२१,०००	. . . .	७,८५,८५,२१,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।				
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
		२२०५, कला तथा संस्कृति।				
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
		२२१६, आवास ।				
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण।				
		२२३०, श्रम, कौशल विकास तथा नियोजन।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२३६, पोषण ।				
		२४०५, मत्स्य उद्योग।				
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
		२८०१, विद्युत।				
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।				
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				
		३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।				
		३४३५, परिस्थितिकी तथा पर्यावरण ।				
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।				
		३४५२, पर्यटन ।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-१८	जिला योजना - ठाणे।	२०५३, जिला प्रशासन। . .	५,४७,६७,४०,०००	. . . .	५,४७,६७,४०,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।			
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७, नगर विकास।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण।			
		२२३०, श्रम, कौशल विकास तथा नियोजन।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण ।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५, सहकारिता।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
		३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।			
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२, पर्यटन ।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।			

ओ-२०	जिला योजना - रायगड़।	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	२,५३,५३,५८,०००	. . . .	२,५३,५३,५८,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।				
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
		२२०५, कला तथा संस्कृति।				
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
		२२१७, नगर विकास।				
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
		२२३०, श्रम, कौशल विकास तथा नियोजन।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२३६, पोषण ।				
		२४०३, पशुपालन।				
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।				
		२४०५, मत्स्य उद्योग।				
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
		२४२५, सहकारिता।				
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
		२७०२, लघु सिंचाई।				
		२८०१, विद्युत।				
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				
		३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।				
		३०५४, सड़क तथा पुल।				
		३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।				
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।				
		३४५२, पर्यटन ।				
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२२	जिला योजना - रत्नागिरी।	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	२,३२,०४,००,०००	. . .	२,३२,०४,००,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।				
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
		२२०५, कला तथा संस्कृति।				
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
		२२१७, नगर विकास।				
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
		२२३०, श्रम, कौशल विकास तथा नियोजन।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२३६, पोषण ।				
		२४०३, पशुपालन।				
		२४०५, मत्स्य उद्योग ।				
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।				
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
		२७०२, लघु सिंचाई।				
		२८०१, विद्युत।				
		२८१०, नविन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।				
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				
		३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।				
		३०५४, सड़क तथा पुल।				
		३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।				
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।				
		३४५२, पर्यटन ।				
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।				

ओ-२४	जिला योजना—सिंधुदुर्ग।	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	१,३८,२८,७३,०००	. . .	१,३८,२८,७३,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।				
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
		२२०५, कला तथा संस्कृति।				
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
		२२१७, नगर विकास।				
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
		२२३०, श्रम, कौशल विकास तथा नियोजन ।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२३६, पोषण ।				
		२४०३, पशुपालन।				
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।				
		२४०५, मत्स्य उद्योग।				
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
		२४२५, सहकारिता।				
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
		२७०२, लघु सिंचाई।				
		२८०१, विद्युत।				
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।				
		३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।				
		३०५४, सड़क तथा पुल।				
		३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।				
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।				
		३४५२, पर्यटन ।				
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)			(४)		
					रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२६	जिला योजना - पुणे।	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	. .	७,९३,५८,२५,०००	. . .	७,९३,५८,२५,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।					
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।					
		२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।					
		२२०५, कला तथा संस्कृति।					
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।					
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।					
		२२१७, नगर विकास।					
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।					
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंको का कल्याण।					
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।					
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।					
		२२३६, पोषण ।					
		२४०३, पशुपालन।					
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।					
		२४०५, मत्स्य उद्योग।					
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।					
		२४२५, सहकारिता।					
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।					
		२७०२, लघु सिंचाई।					
		२८०१, विद्युत।					
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।					
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।					
		३०५४, सड़क तथा पुल।					
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।					
		३४५२, पर्यटन ।					
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।					

ओ-२८	जिला योजना - सतारा।	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	३,४९,९५,३४,०००	. . .	३,४९,९५,३४,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।				
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
		२२०५, कला तथा संस्कृति।				
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
		२२१७, नगर विकास।				
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंको का कल्याण।				
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२३६, पोषण ।				
		२४०३, पशुपालन।				
		२४०५, मत्स्य उद्योग।				
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
		२४२५, सहकारिता।				
		२५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम।				
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
		२७०२, लघु सिंचाई।				
		२८०१, विद्युत।				
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।				
		३०५४, सड़क तथा पुल।				
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।				
		३४५२, पर्यटन ।				
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)			(४)		
					रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३०	जिला योजना-सांगली।	२०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग । २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा । २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	. .	२,८८,६८,९५,०००	. . .	२,८८,६८,९५,०००

ओ-३२	जिला योजना - सोलापुर।	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	४,१३,०७,१०,०००	. . .	४,१३,०७,१०,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।				
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
		२२०५, कला तथा संस्कृति।				
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
		२२१७, नगर विकास।				
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण।				
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२३६, पोषण।				
		२४०३, पशुपालन।				
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।				
		२४०५, मत्स्य उद्योग।				
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
		२४२५, सहकारिता।				
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
		२७०२, लघु सिंचाई।				
		२८०१, विद्युत।				
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।				
		३०५४, सड़क तथा पुल।				
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।				
		३४५२, पर्यटन ।				
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३४	जिला योजना-कोल्हापुर।	२०५३, जिला प्रशासन।	३,३६,६८,३४,०००	. . .	३,३६,६८,३४,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।			
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७, नगर विकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण।			
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण ।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५, सहकारिता।			
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।			
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२, पर्यटन ।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।			

ओ-३६	जिला योजना -नासिक।	२०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	. .	४,७३,४४,००,०००	. . .	४,७३,४४,००,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३८	जिला योजना -धुलिया।	२०५३, जिला प्रशासन।	१,८९,११,१३,०००	. . .	१,८९,११,१३,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।			
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१७, नगर विकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ें वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण ।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५, सहकारिता।			
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।			
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२, पर्यटन ।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।			

ओ-४०	जिला योजना-जलगाँव।	२०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	. .	३,८१,१७,३०,०००	. . .	३,८१,१७,३०,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)	
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-४२	जिला योजना-अहमदनगर।	२०५३, जिला प्रशासन।	३,८८,८६,००,०००	. . .	३,८८,८६,००,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।			
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७, नगर विकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
		२२३०, श्रम तथा नियोजन।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण ।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।			
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२, पर्यटन ।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।			

ओ-४४	जिला योजना-नंदुरबार।	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	. .	१,११,४१,८०,०००	. . .	१,११,४१,८०,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।					
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।					
		२२०५, कला तथा संस्कृति।					
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।					
		२२१७, नगर विकास।					
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।					
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।					
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।					
		२२३६, पोषण।					
		२४०३, पशुपालन।					
		२४०५, मत्स्य उद्योग।					
		२४२५, सहकारिता।					
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।					
		२७०२, लघु सिंचाई।					
		२८०१, विद्युत।					
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।					
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।					
		३०५४, सड़क तथा पुल।					
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।					
		३४५२, पर्यटन।					
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।					

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)			(४)		
					रुपये	रुपये	रुपये
ओ-४६	जिला योजना-छत्रपती संभाजीनगर।	२०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	. .	३,९३,३३,५६,०००	. . .	३,९३,३३,५६,०००

ओ-४८	जिला योजना-जालना।	२०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	. .	२,५७,९५,३०,०००	. . .	२,५७,९५,३०,०००

अनुसूची—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-५०	जिला योजना-परभणी ।	२०५३, जिला प्रशासन।	२,३७,८७,९९,०००	. . .	२,३७,८७,९९,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।			
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७, नगरविकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण ।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५, सहकारिता।			
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।			
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२, पर्यटन ।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।			

ओ-५२	जिला योजना -नांदेड।	२०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३,२०,०५,१९,०००	. . .	३,२०,०५,१९,०००

अनुसूची—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-५४	जिला योजना -बीड।	२०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	२,८५,९९,०६,०००	. . .	२,८५,९९,०६,०००

ओ-५६	जिला योजना -लातूर।	२०५३, जिला प्रशासन।	२,६८,०२,६८,०००	. . .	२,६८,०२,६८,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।			
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७, नगरविकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण।			
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५, सहकारिता।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।			
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२, पर्यटन ।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।			

अनुसूची—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-५८	जिला योजना -धाराशिव।	२०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	२,६४,३१,६५,०००	. . .	२,६४,३१,६५,०००

ओ-६०	जिला योजना -हिंगोली ।	२०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	१,६७,७२,३१,०००	. . .	१,६७,७२,३१,०००

अनुसूची—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-६२	जिला योजना -नागपुर।	२०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	५,८७,०५,८८,०००	. . .	५,८७,०५,८८,०००

ओ-६४	जिला योजना -वर्धा।	२०५३, जिला प्रशासन।	१,९६,३०,४५,०००	. . .	१,९६,३०,४५,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।			
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७, नगरविकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण ।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५, सहकारिता।			
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।			
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२, पर्यटन ।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।			

अनुसूची—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-६६	जिला योजना-भंडारा।	२०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	१,५२,७०,९६,०००	. . .	१,५२,७०,९६,०००

ओ-६८	जिला योजना-चंद्रपुर।	२०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	२,६३,९३,९४,०००	. . .	२,६३,९३,९४,०००

अनुसूची—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-७०	जिला योजना-गढ़चिरोली।	२०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	२,५२,५८,०८,०००	. . .	२,५२,५८,०८,०००

ओ-७२	जिला योजना -गोंदिया।	२०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	१,५२,८७,८५,०००	. . .	१,५२,८७,८५,०००

अनुसूची—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-७४	जिला योजना -अमरावती।	२०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	२,७२,२५,६८,०००	. . .	२,७२,२५,६८,०००

ओ-७६	जिला योजना -अकोला।	२०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	१,७१,६४,२२,०००	. . .	१,७१,६४,२२,०००

अनुसूची—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-७८	जिला योजना -यवतमाल।	२०५३, जिला प्रशासन।	२,४५,०३,९६,०००	. . .	२,४५,०३,९६,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।			
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७, नगरविकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण ।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५, सहकारिता।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।			
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२, पर्यटन ।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।			

ओ-८०	जिला योजना -बुलढ़ाणा।	२०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	२,६७,३१,६६,०००	. . .	२,६७,३१,६६,०००

अनुसूची—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)				
				रुपये	रुपये		रुपये
ओ-८२	जिला योजना -वाशिम।	२०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,७६,४१,५९,०००		. . .	१,७६,४१,५९,०००

ओ-८४	जिला योजना -पालघर।	२०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	१,९८,७२,३२,०००	. . .	१,९८,७२,३२,०००
		कुल—योजना विभाग। . .	१,८१,२७,३०,६३,०००	८५,३९,४४,०००	१,८२,१२,७०,०७,०००

अनुसूची—चालू

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		संसदीय कार्य विभाग				
पी-१	सचिवालय—सामान्य सेवाएँ। ..	२०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।	..	४,२३,१०,०००	....	४,२३,१०,०००
पी-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। ..	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	६०,०००	...	६०,०००
		कुल—संसदीय कार्य विभाग।	..	४,२३,७०,०००	....	४,२३,७०,०००
		आवास विभाग				
क्यू-१	ब्याज अदायगियाँ। ..	२०४९, ब्याज अदायगियाँ ।	..	...	३७,९१,०१,०००	३७,९१,०१,०००
क्यू-२	प्रशासनिक सेवाएँ। ..	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	..	३,१३,९६,०००	....	३,१३,९६,०००
क्यू-३	आवास। ..	२२१६, आवास। २२१७, नगरविकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	..	२९,४७,७४,८४,०००	....	२९,४७,७४,८४,०००
क्यू-४	सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ। ..	३४५१, सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ।	..	१२,०३,८४,०००	....	१२,०३,८४,०००
		कुल— आवास विभाग।	..	२९,६२,९२,६४,०००	३७,९१,०१,०००	३०,००,८३,६५,०००
		लोकस्वास्थ्य विभाग				
आर-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। ..	२०४९, ब्याज अदायगीयाँ। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	१,४५,२४,३९,६१,०००	७०,५५,०१,०००	१,४५,९४,९४,६२,०००
आर-२	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ। ..	२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	..	२०,३५,८४,०००	....	२०,३५,८४,०००
		कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग।	..	१,४५,४४,७५,४५,०००	७०,५५,०१,०००	१,४६,१५,३०,४६,०००

चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग

एस-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। . .	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। . .	५१,९६,६३,३८,०००	१,५०,०००	५१,९६,६४,८८,०००
एस-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। . .	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। . .	४०,००,०००	. . .	४०,००,०००
एस-३	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ। . .	२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ। . .	४०,०२,१२,०००	१,०००	४०,०२,१३,०००
		कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग। . .	५२,३७,०५,५०,०००	१,५१,०००	५२,३७,०७,०१,०००

जनजाति विकास विभाग

टी-१	ब्याज अदायगियाँ। . .	२०४९, ब्याज अदायगियाँ। . .	. . .	४०,३६,२०,०००	४०,३६,२०,०००
टी-२	सहकरिता ।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। . . २४२५, सहकारिता ।	१,१३,५६,७५,०००	. . .	१,१३,५६,७५,०००
टी-३	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। . .	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। . .	४६,८०,०००	. . .	४६,८०,०००
टी-४	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ। . .	२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ। . .	२०,०८,९१,०००	. . .	२०,०८,९१,०००
टी-५	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय। . .	२०५९, लोक निर्माण कार्य। . . २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण । २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन ।	१,३१,०१,०३,१४,०००	. . .	१,३१,०१,०३,१४,०००

अनुसूची—चालू

(१)	(२)		(३)		(४)		
					रुपये	रुपये	रुपये
			२४०५, मत्स्योद्योग ।				
			२४०६, वन तथा वन्यजीवन ।				
			२४२५, सहकारिता ।				
			२४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम।				
			२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।				
			२५०५, ग्राम नियोजन ।				
			२७०२, लघु सिंचाई ।				
			२८०१, विद्युत ।				
			२८१०, नविन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
			२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।				
			२८५२, उद्योग।				
			३०५४, सड़क तथा पुल ।				
			३०५५, सड़क परिवहन।				
टी-९	जिला योजना।	. .	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	. .	१७,७५,४०,७७,०००	. . .	१७,७५,४०,७७,०००
			कुल—जनजाति विकास विभाग	. .	१,५०,१०,५६,३७,०००	४०,३६,२०,०००	१,५०,५०,९२,५७,०००
	पर्यावरण और वातावरण बदल विभाग						
यू-१	ब्याज अदायगियाँ।	. .	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	. . .	९,०५,९२,०००	९,०५,९२,०००
यू-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		६०,०००	. . .	६०,०००
यू-३	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	. .	२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	. .	७,७८,५३,०००	. . .	७,७८,५३,०००
यू-४	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण।		३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण ।	. .	४,२८,९५,०१,०००	. . .	४,२८,९५,०१,०००
			कुल—पर्यावरणऔर वातावरण बदल विभाग ।	. .	४,३६,७४,१४,०००	९,०५,९२,०००	४,४५,८०,०६,०००

	सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग				
वी-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. . .	१२,७६,०२,०००	१२,७६,०२,०००
		२२३०, श्रम तथा नियोजन ।			
वी-२	सहकारिता।	२०७०, अन्य प्रशासकीय सेवाएँ।	२०,०१,१६,०२,०००	१,६०,०००	२०,०१,१७,६२,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५, सहकारिता।			
		२४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
		२८५२, उद्योग।			
		३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५६, सिविल आपूर्ति ।			
		कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।	२०,०१,१६,०२,०००	१२,७७,६२,०००	२०,१३,९३,६४,०००
	उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग				
डब्ल्यू-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. . .	४,८५,१७,५९,०००	४,८५,१७,५९,०००
डब्ल्यू-२	सामान्य शिक्षा।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	१,०२,०४,००,५७,०००	१,९६,०००	१,०२,०४,०२,५३,०००
डब्ल्यू-३	तकनीकी शिक्षा।	२२०३, तकनीकी शिक्षा।	२४,६६,००,६०,०००	१,५०,०००	२४,६६,०२,१०,०००
डब्ल्यू-४	कला तथा संस्कृति ।	२२०५, कला तथा संस्कृति।	४,३२,१६,१५,०००	. . .	४,३२,१६,१५,०००
डब्ल्यू-५	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	१७,९०,०००	. . .	१७,९०,०००
डब्ल्यू-६	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	२५,७७,८४,०००	. . .	२५,७७,८४,०००
डब्ल्यू-७	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए राजस्व परिव्यय।	२४०६, तकनीकी शिक्षा।	१,००,०००	. . .	१,००,०००
		कुल— उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग	१,३१,२८,१४,०६,०००	४,८५,२१,०५,०००	१,३६,१३,३५,११,०००
	महिला तथा बाल विकास विभाग				
एक्स-१	सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	४७,०६,७२,९०,०००	. . .	४७,०६,७२,९०,०००
		२२३६, पोषण।			
एक्स-२	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	१३,५५,०५,०००	. . .	१३,५५,०५,०००
		कुल— महिला तथा बाल विकास विभाग।	४७,२०,२७,९५,०००	. . .	४७,२०,२७,९५,०००

अनुसूची—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
		जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग			
वाय-१	ब्याज अदायगियाँ। . .	२०४९, ब्याज अदायगियाँ। . .	. . .	२८,००,००,०००	२८,००,००,०००
वाय-२	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। . .	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। . .	७७,११,६४,३७,०००	१,१०,००,०००	७७,१२,७४,३७,०००
वाय-३	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। . .	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। . .	१९,००,०००	. . .	१९,००,०००
वाय-४	लघु सिंचाई। . .	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२७०२, लघु सिंचाई। . .	५८,०५,८१,०००	. . .	५८,०५,८१,०००
वाय-५	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। . .	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। . .	३३,४८,९१,०००	. . .	३३,४८,९१,०००
		कुल— जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग। . .	७८,०३,३८,०९,०००	२९,१०,००,०००	७८,३२,४८,०९,०००
		कौशल, रोजगार, उद्यमिता तथा नवपरिवर्तन विभाग			
जेड-क-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ। . .	. . .	१,००,००,०००	१,००,००,०००
जेड-क-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास। . .	३१,४५,९६,६६,०००	१०,७०,०००	३१,४६,०७,३६,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		कुल— कौशल, रोजगार उद्यमिता तथा नवपरिवर्तन विभाग। . .	३१,४५,९६,६६,०००	१,१०,७०,०००	३१,४७,०७,३६,०००

	महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय				
जेड ग-१	संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।	२०११, संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल। ..	६,०८,६२,१०,०००	२,२५,३८,०००	६,१०,८७,४८,०००
जेड ग-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। ..	४०,०५,४०,०००	...	४०,०५,४०,०००
		कुल— महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय। ..	६,४८,६७,५०,०००	२,२५,३८,०००	६,५०,९२,८८,०००
	पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग				
जेड घ-१	सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२०७०, अन्य प्रशासकीय सेवाएँ । ..	१५,०२,७९,०००	...	१५,०२,७९,०००
		२२२०, सूचना तथा प्रचार ।			
		२२५१, सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ ।			
जेड घ-२	कला तथा संस्कृति।	२२०५, कला तथा संस्कृति । ..	१२,३३,१६,३३,०००	...	१२,३३,१६,३३,०००
जेड घ-३	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। ..	३,६०,०००	...	३,६०,०००
जेड घ-४	पर्यटन।	३४५२, पर्यटन। ..	१९,१५,००,००,०००	...	१९,१५,००,००,०००
		कुल— पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग। ..	३१,६३,२२,७२,०००	...	३१,६३,२२,७२,०००
	अल्पसंख्यक विकास विभाग				
जेड ङ -१	अल्पसंख्यक विकास।	२०५२, सचिवालय–सामान्य सेवाएँ।	८,५१,१९,०९,०००	...	८,५१,१९,०९,०००
		२०५३, जिला प्रशासन ।			
		२०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		कुल— अल्पसंख्यक विकास विभाग। ..	८,५१,१९,०९,०००	...	८,५१,१९,०९,०००
	मराठी भाषा विभाग				
जेड च-१	सचिवालय–सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय–सामान्य सेवाएँ।	१९,३४,१४,०००	...	१९,३४,१४,०००
जेड च-२	कला तथा संस्कृति ।	२२०५, कला तथा संस्कृति ।	३६,६०,७०,०००	...	३६,६०,७०,०००
जेड च-३	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२,४०,०००	...	२,४०,०००
		कुल— मराठी भाषा विभाग। ..	५५,९७,२४,०००	...	५५,९७,२४,०००

अनुसूची—चालू

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
	अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग					
जेड छ-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	. . .	३२,१९,२०,०००	३२,१९,२०,०००
जेड छ-२	सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवायें।	२२१६, आवास। २२५१, सचिवालय सामाजिक सेवाएँ।		२९,५०,९७,०००	१,०००	२९,५०,९८,०००
जेड छ-३	विमुक्त जाति, खानबदोश जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।		४२,७९,८८,१४,०००	. . .	४२,७९,८८,१४,०००
		कुल— अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग।	. .	४३,०९,३९,११,०००	३२,१९,२१,०००	४३,४१,५८,३२,०००
	मृदा तथा जल संरक्षण विभाग					
जेड ज-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	. . .	६,०००	६,०००
जेड ज-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		५०,००,०००	. . .	५०,००,०००
जेड ज-३	सिंचाई, ऊर्जा और अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २७०२, लघु सिंचाई ।		६,८५,०८,२२,०००	. . .	६,८५,०८,२२,०००
जेड ज-४	सचिवालय—आर्थिक सेवायें।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।		१६,७४,६४,०००	. . .	१६,७४,६४,०००
		कुल— मृदा तथा जल संरक्षण विभाग।	. .	७,०२,३२,८६,०००	६,०००	७,०२,३२,९२,०००
	दिव्यांग व्यक्ति कल्याण विभाग					
जेड झ-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	. . .	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
जेड झ-२	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	२२५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।		३१,५४,३८,०००	. . .	३१,५४,३८,०००
जेड झ-३	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	१४,१२,६५,९७,०००	. . .	१४,१२,६५,९७,०००
		कुल— दिव्यांग व्यक्ति कल्याण विभाग।	. .	१४,४४,२०,३५,०००	१०,००,००,०००	१४,५४,२०,३५,०००
		कुल—क-राजस्व लेखे पर व्यय।	. .	४१,९४,८८,६९,८०,०००	५,५४,६३,२२,८५,०००	४७,४९,५१,९२,६५,०००

ख-पूंजीगत लेखे पर व्यय

सामान्य प्रशासन विभाग

ए-९	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। . .	४०५९, लोकनिर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५३, सिविल, विभाणन पर पूंजीगत परिव्यय। ५२७५, अन्य संसूचना सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। . .	२,७५,०५,०५,०००	. . .	२,७५,०५,०५,०००
ए-१०	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज। . .	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज। . .	१२,३२,४०,०००	. . .	१२,३२,४०,०००
		कुल—सामान्य प्रशासन विभाग। . .	२,८७,३७,४५,०००	. . .	२,८७,३७,४५,०००

गृह विभाग

बी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५००२, भारतीय रेल-वाणिज्य तरतूद पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५५, सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय।	२५,३५,८६,०७,०००	. . .	२५,३५,८६,०७,०००
बी-११	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७४,८९,४१,०००	. . .	७४,८९,४१,०००
बी-१२	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए कर्ज।	६७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए कर्ज। . .	२८,००,००,०००	. . .	२८,००,००,०००
		कुल—गृह विभाग। . .	२६,३८,७५,४८,०००	. . .	२६,३८,७५,४८,०००

राजस्व तथा वन विभाग

सी-९	अन्य प्रशासनिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ६२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के लिए कर्ज। . .	५,१८,०००	१,००,००,०००	१,०५,१८,०००

अनुसूची—चालू

(१)	(२)	(३)		(४)	
			रुपये	रुपये	रुपये
सी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। . .	१४,११,९८,६९,०००	. . .	१४,११,९८,६९,०००
		४४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७०१, मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६४०१, कृषि कर्म के लिए कर्ज।			
सी-११	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण। . .	. . .	१,०००	१,०००
सी-१२	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज। . .	१,५०,४५,५०,०००	. . .	१,५०,४५,५०,०००
		कुल— राजस्व तथा वन विभाग। . .	१५,६२,४९,३७,०००	१,००,०१,०००	१५,६३,४९,३८,०००
	कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग				
डी-८	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।	४०,१३,८३,०००	. . .	४०,१३,८३,०००
डी-९	मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	१,७२,७७,४९,०००	. . .	१,७२,७७,४९,०००
		६४०५, मत्स्योद्योग के लिए कर्ज।	. . .	१,०००	१,०००
डी-१०	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	६००३, राज्य सरकार का आंतरिक त्रण।	२१,४०,१८,०००	. . .	२१,४०,१८,०००
डी-११	राज्य सरकारी कर्मचारियो के लिए कर्ज।	६२१६, आवास के लिए कर्ज।	. . .	. . .	. . .
		७६१०, सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्ज। . .	. . .	. . .	. . .
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स उद्योग विभाग।. .	२,३४,३१,५०,०००	१,०००	२,३४,३१,५१,०००
	विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग				
ई-४	शिक्षा, क्रीडा कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	४२०२, शिक्षा, क्रीडा कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	३,४९,५२,९९,०००	. . .	३,४९,५२,९९,०००
ई-५	सरकारी कर्मचारिओं आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिये कर्ज।	११,८४,९८,०००	. . .	११,८४,९८,०००
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग . .	३,६१,३७,९७,०००	. . .	३,६१,३७,९७,०००

		नगरविकास विभाग				
एफ-५	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१७, नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय ।	. .	२२,१६,००,०१,०००	. . .	२२,१६,००,०१,०००
		५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	. .	. . .	. . .	. . .
एफ-७	नगर विकास के लिए कर्ज ।	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज ।	. .	५५,०२,००,०१,०००	. . .	५५,०२,००,०१,०००
एफ-८	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	. .	५,२२,४०,०००	. . .	५,२२,४०,०००
		कुल—नगर विकास विभाग	. .	७७,२३,२२,४२,०००	. . .	७७,२३,२२,४२,०००
		वित्त विभाग				
जी-८	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीकृत परिव्यय।	. .	१,८३,३१,९६,०००	. . .	१,८३,३१,९६,०००
		५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।				
जी-९	लोक ऋण और आंतरराज्य निपटान।	६००३, राज्य सरकार का आंतरिक त्रण।		. . .	५,३२,०२,६६,९९,०००	५,३२,०२,६६,९९,०००
		६००४, केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम।		. . .	. . .	. . .
		७८१०, आंतर राज्य निपटान।				
जी-१०	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण ।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण।		५५,९३,८०,०००	. . .	५५,९३,८०,०००
		कुल—वित्त विभाग	. .	२,३९,२५,७६,०००	५,३२,०२,६६,९९,०००	५,३४,४१,९२,७५,०००
		लोक निर्माण कार्य विभाग				
एच-७	सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।		१,५६,९२,५६,६९,०००	. . .	१,५६,९२,५६,६९,०००
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।				
एच-८	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	४१,४६,२६,४१,०००	५४,००,००,०००	४२,००,२६,४१,०००
		४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२१७, नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				

अनुसूची—चालू

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
एच-९	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए पूंजीगत परिव्यय। . .	४२०२,	शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। . .	६०,४१,६२,०००	. . .	६०,४१,६२,०००
		४२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
एच-११	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज ।. .	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज । . .	४६,८२,०२,०००	. . .	४६,८२,०२,०००
			कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग . .	१,९९,४६,०६,७४,०००	५४,००,००,०००	२,००,००,०६,७४,०००
			जलस्त्रोत विभाग			
आय-५	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। . .	१,६५,८८,०७,६१,०००	२०,००,०००	१,६५,८८,२७,६१,०००
		४७००,	बडी सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७०१,	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७०२,	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७०५,	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७११,	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४८०१,	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
आय-६	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण ।	६००३,	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण ।	. . .	१३,५३,३२,६८,०००	१३,५३,३२,६८,०००
आय-७	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज । . .	८३,५०,००,०००	. . .	८३,५०,००,०००
			कुल—जलस्त्रोत विभाग . .	१,६६,७१,५७,६१,०००	१३,५३,५२,६८,०००	१,८०,२५,१०,२९,०००

			विधि तथा न्याय विभाग			
जे-४	लोकनिर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय ।	४०५९,	लोकनिर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय।	२५,००,००,०००	. . .	२५,००,००,०००
जे-५	सरकारी कर्मचारी आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारी आदि के लिए कर्ज।	२६,५०,०१,०००	. . .	२६,५०,०१,०००
			कुल—विधि तथा न्याय विभाग . . .	५१,५०,०१,०००	. . .	५१,५०,०१,०००
			उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग			
के-९	आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५८,	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय।	८२,५०,५०,०००	. . .	८२,५०,५०,०००
		४८५१,	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय।	. . .	. . .	. . .
		६२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण।			
के-१०	उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय ।	४८७५,	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय।	१,५०,००,००,०००	. . .	१,५०,००,००,०००
के-११	ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय।	४८०१,	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६८०१,	विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज।	३१,३७,२६,०२,०००	. . .	३१,३७,२६,०२,०००
		६८७५,	अन्य उद्योगो के लिए कर्ज।			
के-१३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	११,८७,६०,०००	. . .	११,८७,६०,०००
			कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग । . .	३३,८१,६४,१२,०००	. . .	३३,८१,६४,१२,०००
			ग्रामविकास विभाग			
एल-७	ग्रामविकास पर पूंजीगत परिव्यय।	४५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	५९,२४,९७,५०,०००	. . .	५९,२४,९७,५०,०००
		५०५४,	सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२१६,	आवास के लिए कर्ज।			
एल-८	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	१,६१,६०,०००	. . .	१,६१,६०,०००
			कुल—ग्रामविकास विभाग . .	५९,२६,५९,१०,०००	. . .	५९,२६,५९,१०,०००
			खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग			
एम-४	खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय ।	४४०८,	खाद्य, भंडारकरण तथा गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय ।	१,१७,७३,४१,४७,०००	. . .	१,१७,७३,४१,४७,०००
एम-५	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	५४७५,	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	१९,२८,००,०००	. . .	१९,२८,००,०००
एम-६	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	६,१८,०१,०००	. . .	६,१८,०१,०००
			कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग । . .	१,१७,९८,८७,४८,०००	. . .	१,१७,९८,८७,४८,०००

अनुसूची—चालू

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग				
एन-४	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९,	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय।	१०,८०,००,०३,०००	. . .	१०,८०,००,०३,०००
		४२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	. . .	. . .	. . .
		४४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।	. . .	. . .	. . .
		४४२५,	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय।	. . .	. . .	. . .
		६२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये कर्ज।	. . .	. . .	. . .
एन-५	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	६२१६,	आवास के लिये कर्ज।	७,९५,६३,०००	. . .	७,९५,६३,०००
		७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।			
एन-७	जिला योजनाएँ ।	४२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	५४,३४,०२,०००	. . .	५४,३४,०२,०००
एन-८	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों कें कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	६२२५	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	१,६८,७३,०००	. . .	१,६८,७३,०००
			कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग . .	११,४३,९८,४१,०००	. . .	११,४३,९८,४१,०००

योजना विभाग

ओ-१०	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत. .	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय। ५४५२, पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय।	६३,४६,१५,१८,०००	. . .	६३,४६,१५,१८,०००
ओ-११	पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय। . .	४५५१, पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय । . .	१,९०,००,००,०००	. . .	१,९०,००,००,०००
ओ-१२	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारी संस्थाओं में विनिधान।	५४६५, सामान्य वित्तीय तथा व्यापारी संस्थाओं में विनिधान। . .	३६,८३,००,०००	. . .	३६,८३,००,०००
ओ-१३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज . .	२,९०,७०,०००	. . .	२,९०,७०,०००
ओ-१५	जिला योजना-मुंबई शहर।	४०५५,पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। . . ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास क्रार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	१,१२,२०,७५,०००	.. .	१,१२,२०,७५,०००
ओ-१७	जिला योजना–मुंबई उपनगर।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजि सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	१,३४,१४,७९,०००	....	१,३४,१४,७९,०००

अनुसूची–चालू

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-१९	जिला योजना–ठाणे।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	२,०२,३२,६०,०००	....	२,०२,३२,६०,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०, अन्य सामाजि सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।			
ओ-२१	जिला योजना–रायगड़।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	१,०६,४६,४२,०००	....	१,०६,४६,४२,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			

		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।			
ओ-२३	जिला योजना–रत्नागिरी।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	६७,९६,००,०००	....	६७,९६,००,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०, अन्य सामाजि सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
ओ-२५	जिला योजना–सिंधुदुर्ग।	४०५५, पुलिस पर पुंजीगत परिव्यय।	६१,७१,२७,०००	....	६१,७१,२७,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यो पर पुंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।			

अनुसूची—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२७	जिला योजना—पुणे।	४०५५, पुलिस पर पुंजीगत परिव्यय।	२,११,४१,७५,०००	. . . .	२,११,४१,७५,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यो पर पुंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्याय।			
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्याय।			
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।			
ओ-२९	जिला योजना—सातारा।	४०५५, पुलिस पर पुंजीगत परिव्यय।	१,१०,०४,६६,०००	. . . .	१,१०,०४,६६,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यो पर पुंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथाकल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			

		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।			
ओ-३१	जिला योजना–सांगली।	४०५५, पुलिस पर पुंजीगत परिव्यय।	१,१६,३१,०५,०००	. . . .	१,१६,३१,०५,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यो पर पुंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथाकल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२१७, नगर विकास के लिए ऋण।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।			
ओ-३३	जिला योजना–सोलापुर।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	१,७६,९२,९०,०००	....	१,७६,९२,९०,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			

अनुसूची—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
ओ-३५	जिला योजना–कोल्हापुर।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	१,४३,३१,६६,०००	....	१,४३,३१,६६,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।			
ओ-३७	जिला योजना–नासिक।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	२,०६,५६,००,०००	....	२,०६,५६,००,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			

		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
ओ-३९	जिला योजना–धुलिया।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	७५,८८,८७,०००	....	७५,८८,८७,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२०२, शिक्षा, क्रीडा कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
ओ-४१	जिला योजना–जलगांव।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	१,२८,८२,७०,०००	....	१,२८,८२,७०,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			

अनुसूची–चालू

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
ओ-४३	जिला योजना–अहमदनगर।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	२,३१,१४,००,०००	....	२,३१,१४,००,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२०२, शिक्षा, क्रीडा कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
ओ-४५	जिला योजना–नंदुरबार।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	४८,५८,२०,०००	....	४८,५८,२०,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			

		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगो के लिए कर्ज।			
ओ-४७	जिला योजना–छत्रपति संभाजीनगर।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	१,६६,६६,४४,०००	....	१,६६,६६,४४,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।			
ओ-४९	जिला योजना–जालना।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	६७,०४,७०,०००	....	६७,०४,७०,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			

अनुसूची—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगो के लिए कर्ज।			
ओ-५१	जिला योजना–परभणी।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	५२,१२,०१,०००	....	५२,१२,०१,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।			
ओ-५३	जिला योजना–नांदेड।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	१,२४,९४,८१,०००	....	१,२४,९४,८१,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			

		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगो के लिए कर्ज।			
ओ-५५	जिला योजना–बीड।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	१,२४,००,९४,०००	....	१,२४,००,९४,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
ओ-५७	जिला योजना–लातुर।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	७१,९७,३२,०००	....	७१,९७,३२,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			

अनुसूची—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगो के लिए कर्ज।			
ओ-५९	जिला योजना–धाराशिव।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	७५,६८,३५,०००	....	७५,६८,३५,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
ओ-६१	जिला योजना–हिंगोली।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	६७,२७,६९,०००	....	६७,२७,६९,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			

		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगो के लिए कर्ज।			
ओ-६३	जिला योजना–नागपुर।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	२,१२,९४,१२,०००	....	२,१२,९४,१२,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगो के लिए कर्ज।			
ओ-६५	जिला योजना–वर्धा।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	६८,६९,५५,०००	....	६८,६९,५५,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			

अनुसूची—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
ओ-६७	जिला योजना–भंडारा।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	५२,२९,०४,०००	....	५२,२९,०४,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२०२, शिक्षा, क्रीडा कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			

ओ-६९	जिला योजना–चंद्रपुर।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	१,१६,०६,०६,०००	....	१,१६,०६,०६,०००
ओ-७१	जिला योजना–गडचिरोली।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	८७,४१,९२,०००	....	८७,४१,९२,०००

अनुसूची—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-७३	जिला योजना–गोंदिया।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	७२,१२,१५,०००	....	७२,१२,१५,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२०२, शिक्षा, क्रीडा कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
ओ-७५	जिला योजना–अमरावती।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	१,२२,७४,३२,०००	....	१,२२,७४,३२,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२०२, शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			

		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।			
ओ-७७	जिला योजना–अकोला।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	७८,३५,७८,०००	....	७८,३५,७८,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
ओ-७९	जिला योजना–यवतमाल।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	१,५४,९६,०४,०००	....	१,५४,९६,०४,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			

अनुसूची—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
ओ-८१	जिला योजना–बुलढाणा।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	१,०२,६८,३४,०००	....	१,०२,६८,३४,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।			

ओ-८३	जिला योजना–वाशिम।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	५८,५८,४१,०००	....	५८,५८,४१,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।			
ओ-८५	जिला योजना–पालघर।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	७१,२७,६८,०००	....	७१,२७,६८,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			

अनुसूची—चालू

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		५०५४,	सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
			कुल——योजना विभाग। . .	१,०६,५७,५८,१७,०००	. . .	१,०६,५७,५८,१७,०००
			संसदीय कार्य विभाग			
पी-३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज। . .	२२,००,०००	. . .	२२,००,०००
			कुल——संसदीय कार्य विभाग। . .	२२,००,०००	. . .	२२,००,०००
			आवास विभाग			
क्यू-६	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज। . .	३,४६,००,०००	. . .	३,४६,००,०००
			कुल— आवास विभाग। . .	३,४६,००,०००	. . .	३,४६,००,०००
			लोकस्वास्थ्य विभाग			
आर-३	चिर्कित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय ।	४२१०,	चिर्कित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय । . .	४७,१५,०१,०००	१,०००	४७,१५,०२,०००
		६००३,	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।			
आर-४	सरकारी कर्मचारियों आदि के कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के कर्ज। . .	६४,४१,७०,०००	. . .	६४,४१,७०,०००
			कुल— लोकस्वास्थ्य विभाग। . .	१,११,५६,७१,०००	१,०००	१,११,५६,७२,०००

			चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग				
एस -४	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	४२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१२,५०,२४,६८,०००	. . .	१२,५०,२४,६८,०००
एस-५	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।		७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	. .	१०,००,११,०००	. . .	१०,००,११,०००
				कुल— चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग।	. .	१२,६०,२४,७९,०००	. . .	१२,६०,२४,७९,०००
			जनजाति विकास विभाग				
टी-६	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	४०५९,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१८,८४,७६,६६,०००	. . .	१८,८४,७६,६६,०००
			४२०२,	शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।				
			४२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।				
			४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पुंजीगत परिव्यय ।				
			४४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।				
			४४०६,	वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।				
			४४२५,	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय ।				
			४७०१,	बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
			४७०२	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय ।				
			५०५४,	सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय ।				
टी-८	सरकारी कर्मचारियों आदि के कर्ज।		७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के कर्ज।	. .	१३,८१,१०,०००	. . .	१३,८१,१०,०००
टी-१०	जिला योजनाएँ।		४२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	३,८३,०८,१७,०००	. . .	३,८३,०८,१७,०००
टी-११	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण।		६२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण।	. .	२९,०६,०००	. . .	२९,०६,०००
				कुल—जनजाति विकास विभाग ।	. .	२२,८१,९४,९९,०००	. . .	२२,८१,९४,९९,०००

अनुसूची—चालू

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		पर्यावरण और वातावरण परिवर्तन विभाग				
यू-५	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज। . .	१,४६,२१,०००	. . .	१,४६,२१,०००
			कुल—पर्यावरण और वातावरण परिवर्तन विभाग। . .	१,४६,२१,०००	. . .	१,४६,२१,०००
		सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग				
वी-३	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। . .	४४२५,	सहकरिता पर पूंजीगत परिव्यय। . .	४,७५,९४,०९,०००	. . .	४,७५,९४,०९,०००
		४४३५,	अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५४७५,	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
वी-४	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	६००३,	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण। . .	. . .	२,३१,१०,०००	२,३१,१०,०००
वी-५	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	६४२५,	सहकारिता के लिए कर्ज। . .	६६,९६,८६,०००	. . .	६६,९६,८६,०००
		६८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।			
		६८६०,	ग्राहक उद्योगों के लिए कर्ज।			
		७४७५,	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
वी-६	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज । . .	१२,८१,९५,०००	. . .	१२,८१,९५,०००
		७४७५,	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
			कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग । . .	५,५५,७२,९०,०००	२,३१,१०,०००	५,५८,०४,००,०००
		उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग				
डब्ल्यू-८	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२०२,	शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। . .	५,१०,००,०००	. .	५,१०,००,०००
डब्ल्यू-९	सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि ।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि । . .	२९,८९,३०,०००	. .	२९,८९,३०,०००
			कुल—उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग . .	३४,९९,३०,०००	. . .	३४,९९,३०,०००

		महिला तथा बाल विकास विभाग					
एक्स-३	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२३६,	पोषण पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	३७,००,००,०००	. .	३७,००,००,०००
एक्स-४	सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि ।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि ।	. .	७,५२,००,०००	. .	७,५२,००,०००
			कुल—महिला तथा बाल विकास विभाग	. .	४४,५२,००,०००	. . .	४४,५२,००,०००
		जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग					
वाय-६	आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। . .	४२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	३२,२८,१९,०००	५,००,०००	३२,३३,१९,०००
		४४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४७०२,	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
		६२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के लिए कर्ज।				
वाय-७	सरकारी कर्मचारियों आदि के कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के कर्ज।	. .	५,०८,१०,०००	. . .	५,०८,१०,०००
			कुल—जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग	. .	३७,३६,२९,०००	५,००,०००	३७,४१,२९,०००
	कौशल्य, नियोजन उद्यम तथा अभिनव विभाग						
जेड क-३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	. .	२१,७०,५०,०००	. . .	२१,७०,५०,०००
			कुल—कौशल्य, नियोजन उद्यम तथा अभिनव विभाग।	. .	२१,७०,५०,०००	. . .	२१,७०,५०,०००
	महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय						
जेड ग-३		४२१६,	आवास पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	२,०२,०८,३५,०००	. . .	२,०२,०८,३५,०००
		७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।				
			कुल—महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय।	. .	२,०२,०८,३५,०००	. . .	२,०२,०८,३५,०००
	पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य विभाग						
जेड घ-५	शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	४२०२,	शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१३,००,००,०००	. . .	१३,००,००,०००
जेड घ-६	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	. .	१,५८,००,०००	. . .	१,५८,००,०००
			कुल—पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य विभाग।	. .	१४,५८,००,०००	. . .	१४,५८,००,०००

अनुसूची—चालू

(१)	(२)	(३)			(४)		
					रुपये	रुपये	रुपये
	अल्पसंख्यक विकास विभाग						
जेड ङ-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	४२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	२५,५०,००,०००	. . .	२५,५०,००,०००
जेड ङ-३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	. .	१,१३,१०,०००	. . .	१,१३,१०,०००
			कुल——अल्पसंख्यक विकास विभाग।	. .	२६,६३,१०,०००	. . .	२६,६३,१०,०००
	मराठी भाषा विभाग						
जेड च-४	लोकनिर्माण कार्य विभाग पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९,	लोकनिर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	३४,७२,००,०००	. . .	३४,७५,००,०००
जेड च-५	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	. .	२,०२,६१,०००	. . .	२,०२,६१,०००
			कुल——मराठी भाषा विभाग।	. .	३६,७४,६१,०००	. . .	३६,७४,६१,०००
	अन्य पिछड़े बहुजन कल्याण विभाग						
जेड छ-४	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत व्यय।	४२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परि व्यय।	. .	५,६५,०१,०००	. . .	५,६५,०१,०००
जेड छ-५	आवास के लिए कर्ज।	६२१६,	आवास के लिए कर्ज।	. .	१,४२,०१,०००	. . .	१,४२,०१,०००
		७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।				
			कुल—अन्य पिछड़े बहुजन कल्याण विभाग ।	. .	७,०७,०२,०००	. . .	७,०७,०२,०००
	मृदा और जल संरक्षण विभाग						
जेड-ज-५	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। . .	४४०२,	मृदा और जल संरक्षण पर पूंजीगत परि व्यय।	. .	४०,००,८३,९७,०००	. . .	४०,००,८३,९७,०००
		४७०२,	लघुसिंचाई पर पूंजीगत परि व्यय।				
जेड ज-६	राज्य सरकार का आंतरिक कर्ज।	६००३,	राज्य सरकार का आंतरिक कर्ज।	. .	. . .	१,०००	१,०००

जेड ज-७ सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	..	५,९०,५०,०००	...	५,९०,५०,०००
		कुल—मृदा और जल संरक्षण विभाग ।	..	४०,०६,७४,४७,०००	१,०००	४०,०६,७४,४८,०००
	दिव्यांग व्यक्ति कल्याण विभाग					
जेड-झ-४ सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	४२३५,	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	..	७,००,००,०००	..	७,००,००,०००
जेड-झ-५ सरकारी कर्मचारी आदि को कर्ज ।	७६१०,	सरकारी कर्मचारी आदि को कर्ज।	..	३,०२,७०,०००	..	३,०२,७०,०००
		कुल—दिव्यांग व्यक्ति कल्याण विभाग।	..	१०,०२,७०,०००	...	१०,०२,७०,०००
		कुल —— ख-पूंजीगत लेखे पर परिव्यय ।	..	९,१२,८१,६१,५३,०००	५,४६,१३,५५,८१	१४,५८,९५,१७,३४,०००
		कुल योग ।	..	५१,०७,७०,३१,३३,०००	११,००,७६,७८,६६,०००	६२,०८,४७,०९,९९,०००

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XVIII OF 2023.

THE MAHARASHTRA SETTLEMENT OF ARREARS OF TAX, INTEREST, PENALTY OR LATE FEE ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ५ अप्रैल २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

मुग्धा अ. सावंत,
प्रारुपकार-नि-सहसचिव,
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XVIII OF 2023.

AN ACT TO PROVIDE FOR SETTLEMENT OF ARREARS OF TAX, INTEREST, PENALTY OR LATE FEE WHICH WERE LEVIED, PAYABLE OR IMPOSED, RESPECTIVELY UNDER VARIOUS ACTS ADMINISTERED BY THE GOODS AND SERVICES TAX DEPARTMENT AND FOR THE MATTERS CONNECTED THERWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १८ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **“ महाराष्ट्र राजपत्र ”** में दिनांक ६ अप्रैल २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

माल और सेवा कर विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों के अधीन कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस के बकायों का निपटान करने के लिए क्रमशः वह उद्ग्रहीत, देय या अधिरोपित थे, का उपबंध करने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने संबंधी अधिनियम।

सन् १९५६ का ७४। सन् १९५८ का मुंबई ६६। सन् १९५९ का मुंबई ५१। सन् १९६२ का महा. ९। सन् १९७५ का महा. १६। सन् १९८५ का महा. १८।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६, मुंबई मोटर स्पिरीट विक्रय कराधान अधिनियम, १९५८ मुंबई विक्रय कर अधिनियम, १९५९ महाराष्ट्र गन्नों पर विक्रय कर अधिनियम, १९६२, महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५, महाराष्ट्र किसी प्रयोजन के लिए किसी वस्तू के उपयोग करने के अधिकार के अंतरण पर विक्रय कर अधिनियम, १९८५, महाराष्ट्र

सन् १९८७ का महा. ४१। सन् १९८७ का महा. ४२। सन् १९८९ का महा. ३६। सन् २००३ का महा. ४। सन् २००५ का महा. ९।

सुख-साधन पर कर अधिनियम, १९८७, महाराष्ट्र स्थानीय क्षेत्रों में मोटार वाहनों के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९८७, महाराष्ट्र संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त मालों मे संपत्ति के अंतरण पर विक्रय कर (पुनः अधिनियमिति) अधिनियम, १९८९ महाराष्ट्र स्थानीय क्षेत्रो में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, २००२, और महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ के अधीन कर, ब्याज, शास्ति या, विलंबित फीस के बकायों का निपटान करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस के बकायों का निपटान अधिनियम, २०२३ कहलाए। संक्षिप्त नाम और प्रारंभण।

(२) यह १ मई २०२३ से प्रवृत्त होगा।

२. इस अधिनियम में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,— परिभाषाएँ।

(क) " उपाबंध " का तात्पर्य, इस अधिनियम से संलग्न उपाबंध से है ;

(ख) " अपीलीय प्राधिकारी " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा १४ की उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों से है ;

(ग) " आवेदक " का तात्पर्य, एक व्यक्ति जो सुसंगत अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत या उद्ग्रहणीय कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस का बकाया अदा करने का दायी है या वित्तीय संस्था समेत कोई अन्य व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन, शर्तों के अनुपालन द्वारा निपटान का लाभ उठाना चाहता है, से है ;

(घ) " बकाया " का तात्पर्य कर, ब्याज, शास्ति या, यथास्थिति, विलंबित फीस की बकाया रकम,—

(एक) सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी कानूनी आदेश के अनुसार किसी निर्धारिती द्वारा देय ; या

(दो) सुसंगत अधिनियम के अधीन दाखिल विवरणी या, यथास्थिति, पुनरीक्षित विवरणी में मान्य की गई और जिसका संपूर्ण या भाग के रूप में भुगतान नहीं किया गया है ; या

(तीन) मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ६१के अनुसार प्रस्तुत की गयी संपरीक्षा रिपोर्ट में, संपरीक्षक द्वारा निर्धारित की गई और भुगतान किए जाने के लिए सिफारिश की गई चाहे मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ३२ या ३२क के अधीन सूचना जारी की गई है या नहीं ;

और विनिर्दिष्ट अवधि से संबंधित कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस का ऐसा बकाया, और विनिर्दिष्ट अवधि के लिये सुसंगत अधिनियम के अधीन स्वीकार्य कर पर देय ब्याज भी सम्मिलित है से है ;

(ङ) " आयुक्त " का तात्पर्य, माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ३ के खण्ड (क) के अधीन राज्य कर आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए किसी अधिकारी से है और इसमें मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा १० की, उप-धारा (१) के अधीन नियुक्त विक्रय कर आयुक्त सम्मिलित है, से है ;

(च) " पदाभिहित प्राधिकारी " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा ३ के अधीन नियुक्त किसी प्राधिकारी से है ;

(छ) " विवादित कर " का तात्पर्य, खण्ड (थ) में यथा परिभाषित अविवादित कर से अन्यथा कर, से है ;

(ज) " माल और सेवा कर अधिनियम " का तात्पर्य, महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ से है ; सन् २०१७ का महा. ४३।

(झ) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार, से है ;

(ञ) " निपटान का आदेश " का तात्पर्य, कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस के बकायों के निपटान के लिए, इस अधिनियम के अधीन जारी किसी आदेश, से है ;

(ट) " सुसंगत अधिनियम " का तात्पर्य, निम्न अधिनियमों से है, अर्थात् :—

(एक) केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ ; सन् १९५६ का ७४।

(दो) बम्बई मोटर स्पिरिट विक्रय कर पर कराधान अधिनियम, १९५८ ; सन् १९५८ का मुंबई ६६।

(तीन) मुंबई विक्रय कर अधिनियम, १९५९ ; सन् १९५९ का मुंबई ५१।

(चार) महाराष्ट्र गन्ने पर विक्रय कर अधिनियम, १९६२ ; सन् १९६२ का महा. ९।

(पाँच) महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ ; सन् १९७५ का महा. १६।

(छह) महाराष्ट्र किसी प्रयोजन के लिए किसी माल के उपयोग करने के अधिकार के अंतरण पर विक्रय कर अधिनियम, १९८५ ; सन् १९८५ का महा. १८।

(सात) महाराष्ट्र सुख-साधन पर कर अधिनियम, १९८७ ; सन् १९८७ का महा. ४१।

(आठ) महाराष्ट्र स्थानीय क्षेत्रों में मोटर वाहनों के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९८७ ; सन् १९८७ का महा. ४२।

(नौ) महाराष्ट्र संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त मालों में सम्पत्ति के अंतरण पर विक्रय कर (पुनः अधिनियमिति) अधिनियम, १९८९ ; सन् १९८९ का महा. ३६।

(दस) महाराष्ट्र स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, २००२ ; और सन् २००३ का महा. ४।

(ग्यारह) महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२, सन् २००५ का महा. ९।

और तद्धीन बनाए गए नियमों या जारी की गई अधिसूचनाये भी सम्मिलित है ;

(ठ) " आवश्यक रकम " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन आवेदक द्वारा भुगतान की जानेवाली कोई आवश्यक रकम से है और इस अधिनियम की धारा १० की उप-धारा (२) में दी गई तालिका के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान भुगतान की गई निम्न रकम का कुल होगा,–

(एक) अविवादित कर की रकम, और

(दो) विवादित कर, ब्याज, शास्ति, विलंबित फीस, की रक़म चाहे वह उद्ग्रहीत हो या न हो ;

इस अधिनियम की धारा ८ और ९ के अधीन यथा निर्धारित और इस अधिनियम के संलग्न उपाबंध-क या उपाबंध-ख में यथा विनिर्दिष्ट से है ;

(ड) " विवरणी के अनुसार देयों " का तात्पर्य, विनिर्दिष्ट अवधि के संबंध में सुसंगत अधिनियम के अधीन दाखिल विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी में प्रवेशित, परंतु ३१ अक्तुबर २०२३ पर या के पूर्व किसी समय पर या तो पूर्णतः या भागतः शेष अभुक्त कर, ब्याज या विलंबित फीस की रकम, से है ;

(ढ) " विनिर्दिष्ट अवधि " का तात्पर्य, ३० जून २०१७ को या के पूर्व समाप्त होनेवाली कोई अवधि ;

(ण) " सांविधानिक आदेश " का तात्पर्य, आवेदक द्वारा अदा किया जानेवाला कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस की माँग बढाने का सुसंगत अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश से है ;

सन् २००३ का महा. ४। (त) " प्रवेश पर कर अधिनियम " का तात्पर्य, महाराष्ट्र स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, २००२ से है ;

(थ) " अविवादित कर " का तात्पर्य,—

(एक) सुसंगत अधिनियम के अधीन अलग रूप से संग्रहीत करों ; या

(दो) सुसंगत अधिनियम के अधीन विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी में दर्शाया गया देय कर ; या

(तीन) मूल्यवर्धित कर नियम के नियम ५७ या अन्य सुसंगत अधिनियम के अधीन बनाए गए उसी प्रकार के नियमों के अनुसार कटौती के रूप में ब्यौहारी द्वारा दावा की गई कोई रकम ; या

(चार) सुसंगत अधिनियम के अधीन सांविधानिक आदेश के अधीन समपहृत की गई या प्रस्तुत की गई विवरणी, पुनरीक्षित विवरणी या, यथास्थिति, लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में दर्शाये गये अधिक कर संग्रहण की रकम ; या

(पाँच) मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ६१ के अनुसार प्रस्तुत की गई लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में, लेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित और अदा किए जाने के लिए सिफारिश की गई और निर्धारिती द्वारा या तो संपूर्णतः या भागतः स्वीकृत की गई कर की कोई रकम ; या

(छह) मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अधीन नियोक्ता द्वारा स्रोत पर कटौती किया कर (टीडीएस) ; या

(सात) मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ३१क के अधीन किया गया कर संग्रहण ;

(आठ) महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ के अधीन नामांकन प्रमाणपत्र धारक द्वारा देय कर ;

सन् १९७५ का महा. १६। (नौ) महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ के अधीन नियोक्ता द्वारा कटौति किया गया कर ;

सन् १९७५ का महा. १६। (दस) मूल्यवर्धित कर नियमों के नियम ५२क या ५२ख के अधीन बढ़ाने से अस्वीकृत की गई रकम जो पश्चातवर्ती अवधि में के दावा किए जाने के लिए पात्र है ;

सन् २००५ का महा. ९। (द) " मूल्यवर्धित कर अधिनियम " का तात्पर्य, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ से है ;

(ध) " मूल्यवर्धित कर नियम " का तात्पर्य, मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अधीन बनाया गया महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम, २००५ से है ;

(२) इस अधिनियम में उपयोग किए गए परंतु इसमें परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो सुसंगत अधिनियम के अधीन यथा क्रमशः समनुदेशित से है।

पदाभिहित प्राधिकारी।

३. (१) राज्य कर आयुक्त, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आयुक्त होगा।

(२) मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा १० की, उप-धारा (२) में, या, यथास्थिति, माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ३ के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पदाभिहित प्राधिकारी होगा। उक्त पदाभिहित प्राधिकरियों के अधिनस्थ होना मूल्यवर्धित कर नियमों के नियम ५ के अनुसार होगा।

(३) आयुक्त, **राजपत्र** में प्रकाशित, अधिसूचना द्वारा, में यथा विनिर्दिष्ट, अपनी शक्तियाँ पदाभिहित प्राधिकारी और ऐसे पदाभिहित प्राधिकरियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा और ऐसा प्राधिकारी, समय-समय से, मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा १० के अधीन या, यथास्थिति, माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ४ की उप-धारा (२) और धारा ५ के अधीन यथा अधिसूचित उनके अधिकारिता के ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के भीतर की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

निपटान के लिए पात्रता।

४. (१) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, कोई आवेदक, चाहे वह सुसंगत अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं है, विनिर्दिष्ट अवधि के संबंध में कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस के बकायों के निपटान के लिए चाहे ऐसा बकाया सुसंगत अधिनियम के अधीन अपील में विवादग्रस्त है या नहीं है, निपटान के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

(२) आवेदक, जिसने किसी सरकारी संकल्प के अधीन, सरकार द्वारा यथा घोषित किसी सर्वमाफी योजना या महाराष्ट्र विवादों मे बकायों का निपटान अधिनियम, २०१६ या महाराष्ट्र कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस का निपटान अधिनियम, २०१९ या महाराष्ट्र कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस के बकायों का निपटान अधिनियम, २०२२ (जिसे इसमें आगे, “निपटान कर अधिनियम, २०२२” कहा गया है) के अधीन लाभ प्राप्त किया है तो वह इस अधिनियम के अधीन आवेदन करने के लिए भी पात्र होगा।

सन् २०१६ का महा. १६।
सन् २०१९ का महा. १५।
सन् २०२२ का महा. २९।

परंतु, आवेदक, जिसने निपटान अधिनियम २०२२ के संबंध में लाभ उठाया है या लाभ उठा रहा है वह बकाये के संदर्भ में, जिसके लिए निपटान अधिनियम, २०२२ के अधीन आवेदन पहले से ही किया है और जहाँ निपटान अधिनियम, २०२२ के अधीन अपेक्षित रकम की अदायगी के लिए देय दिनांक समाप्त नहीं हुई है, इस अधिनियम के अधीन लाभ के लिए विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं होगा ।

परंतु, आगे यह कि, निपटान अधिनियम, २०२२ के अधीन निपटान का आदेश इस प्रकार उपलब्ध लाभ के उपबंधों के साथ या बिना लाभ का उपबंध किए पारित हो गया है के मामलें में, प्रथम परंतुक की कोई बात लागू नहीं होगी ।

(३) इस अधिनियम के अधीन निपटान करने के लिए, इस अधिनियम की धारा ११ और अन्य उपबंधों में विवरणित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

राज्य द्वारा मुकदमे के मामले भी निपटान के लिए पात्र होंगे ।

५. जहाँ माल और सेवा कर विभाग ने महाराष्ट्र विक्रय कर अधिकरण या न्यायालयों के समक्ष सन्दर्भ या कोई अपील दाखिल की है तो वह उक्त विभाग द्वारा कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस समेत विवादित माँग आवेदक द्वारा बकायों के निपटान के लिए विचारार्थ ले जा सकेगी और निपटान के लिए आवेदन तद्नुसार, दाखिल किया जा सकेगा। उक्त विभाग द्वारा विवादित रकम का एक बार इस अधिनियम के अधीन भुगतान किया है के मामले में, इस अधिनियम के अधीन पहले से ही अनुदत्त अधित्यजन का इस प्रकार भुगतान की गई या वहाँ वसूल की गई रकम का प्रतिदाय या समायोजन नहीं किया जायेगा।

समायोजन और कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस यदि कोई हो, के बकायों का निपटान।

६. (१) सुसंगत अधिनियम में, या इस अधिनियम के अधीन अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) सांविधिक आदेश के संबंध में या तो अपील में या अन्यथा ३० अप्रैल २०२३ को या के पूर्व किया गया कोई भुगतान प्रथम कर की रकम के ज़रिए समायोजित किया जाएगा और उसके पश्चात्, ब्याज के ज़रिए समायोजित किया जायेगा और शेष असमायोजित शेष रक़म क्रमशः शास्ति और विलंबित फीस के ज़रिए समायोजित की जायेगी ;

(ख) खण्ड (क) में केवल यथा विनिर्दिष्ट रकम के समायोजन के पश्चात् १ मई २०२३ पर शेष बकाया रकम, या १ मई २०२३ से ३१ अक्तूबर २०२३ तक की अवधि के दौरान किसी सांविधिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए बढ़ाई कोई माँग, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन निपटान के लिए विचारार्थ होगी।

(२) अदा की गई रकम का समायोजन और बकायों के निर्धारण के संबंध में पूर्ववर्ती खण्डों के उपबंध विवरणी के अनुसार देयों या, यथास्थिति, लेखा संपरीक्षक द्वारा संपरीक्षा रिपोर्ट में कर, ब्याज या विलंबित फीस के संबंध में, की गई सिफारिशों के अनुसार **यथावश्यक परिवर्तन समेत** लागू होंगे।

७. (१) सुसंगत अधिनियम में या इस अधिनियम के अधीन अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जैसे कि ३० अप्रैल २०२३ पर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी सांविधिक आदेश के अनुसार, अवधारण किया गया कोई बकाया, जो सुसंगत अधिनियम के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष दो लाख रुपयें या उससे कम है तो वह बट्टे-खाते में डाली जायेगी। कतिपय रकमों के संबंध में बट्टे-खाते में डालना।

(२) ऐसे बट्टे-खाते में डाले गये देयों पर पूर्व निर्धारण ब्याज या, यथास्थिति, पूर्व निर्धारण शास्ति के अधित्यजित किया जायेगा।

(३) सुसंगत अधिनियम, में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्धारणोत्तर ब्याज या, यथास्थिति, निर्धारणोत्तर शास्ति, यदि लागू हो, जहाँ किसी सांविधिक आदेश के अनुसार देय कर का किसी समय पर या ३० अप्रैल २०२३ के पूर्व भुगतान हो गया है के मामले में अधित्यजन होगा :

परंतु, निर्धारणोत्तर ब्याज, या, यथास्थिति, निर्धारणोत्तर शास्ति के उद्ग्रहण का आदेश, ऐसे मामलें में, उपर्युक्त दिनांक तक पारित नहीं किया जायेगा ।

८. (१) धारा ६ के अधीन यथा अवधारित बकायों के निपटान के ज़रिए देय आवश्यक रक़म यथा निम्न होगी,— आवश्यक रकम का अवधारण और अधित्यजन बढ़ाना।

(क) जहाँ उक्त कर अविवादित या विवादित है, तब ऐसे अविवादित कर, विवादित कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस और धारा १० में यथा उपबंधित एक समय अदायगी विकल्प या किस्त विकल्प के लिए विवादित कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस के संबंध में उपाबंध-क या, यथास्थिति, उपाबंध-ख में यथा विनिर्दिष्ट अधित्यजन लागू होगा ;

(ख) इस धारा और धारा ९ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हूए भी, जहाँ बकाया किसी सांविधिक आदेश के अनुसार कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस का धारा ६ के अनुसार कम अवधारित है तब पचास लाख रुपए या उससे कम और यदि आवेदक ने एक बार की अदायगी विकल्प के अधीन एक एकमुश्त की अदायगी का विकल्प चुना है तब एकमुश्त अदायगी बढ़ाने और अधित्यजन उपाबंध-क या, यथास्थिति, उपाबंध-ख में यथा विनिर्दिष्टअधित्यजन लागू होगा।

(२) इस धारा के अधीन यथा अवधारित आवश्यक रकम की अदायगी सुसंगत अधिनियम के अधीन विहित चालान के प्ररूप में, या, यथास्थिति, मूल्यवर्धित कर नियमों के अधीन विहित एमटीआर-६ प्ररूप में की जायेगी और इस अधिनियम की धारा १० की, उप-धारा (२) में दी गई तालिका के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट अंतिम दिनांक पर या के पूर्व आवेदक द्वारा चूने गए विकल्प को यथा प्रयुक्त बनाई जायेगी।

(३) ३० अप्रैल २०२३ पर या के पूर्व किसी लेखा पर की गई अदायगी आवश्यक रकम के ज़रिए एक अदायगी के रूप में विचारार्थ नहीं ली जायेगी।

(४) किन्ही परिस्थितियों के अधीन, आवेदक, अविवादित कर के संबंध में किसी अधित्यजन का हकदार नहीं होगा।

(५) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन आवेदक उपाबंध-क या, यथास्थिति, उपाबंध-ख में यथाविहित विवादित कर, ब्याज, शास्ति, या विलंबित फीस बढ़ाने के अधित्यजन का हकदार होगा।

(६) जहाँ आवेदक ने अदायगी की है जो इस धारा के अधीन यथा अवधारित आवश्यक रकम से कम है तब पदाभिहित प्राधिकारी, आवेदक द्वारा अदा कि गई आवश्यक रकम से आनुपातिकता में, आवेदन द्वारा चूने गए विकल्प के अधीन ग्राह्य अधित्यजन की आनुपातिक रकम परिगणित करेगा :

परंतु यह कि, इस प्रकार अदा की गई रकम प्रथम अविवादित कर के ज़रिए समायोजित की जायेगी और ऐसे समायोजन के पश्चात् शेष रकम, यदि कोई है तो, विवादित कर, ब्याज, शास्ति और विलंबित फीस के ज़रिए अनुपात में समायोजित की जायेगी ।

(७) कोई आवेदन, केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जायेगा कि, इस अधिनियम के अधीन आवेदक द्वारा चूने गए विकल्प के अनुसार अवधि के दौरान आवेदक द्वारा किया गया भुगतान आवश्यक रकम से कम है ।

प्रवेश पर कर अधिनियम के अधीन आवश्यक रकम का निर्धारण और अधित्यजन का विस्तार।

९. आवेदक, जो सांविधिक आदेश में यथा अवधारीत प्रवेश पर कर अधिनियम के अधीन प्रवेश कर की अदायगी के लिए दायी है तब इस अधिनियम या सुसंगत अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन निपटान के प्रयोजनों के लिए,—

(क) आवश्यक रकम, सांविधिक आदेश में अवधारित प्रवेश कर की रक़म से समतुल्य रकम होगी, या मूल्यवर्धित कर नियम या, यथास्थिति, मुंबई विक्रय कर नियम, १९५९ के अधीन क्रमशः नियम ५३ या ५४ के अधीन यथा उपबंधित प्रवेश कर की मुजराई की गई रक़म द्वारा घटाई गई, या छोडी गई, जो भी कम है, रक़म होगी ;

(ख) उक्त आवेदक ने, इस अधिनियम की धारा १० की उप-धारा (२) में दी गई तालिका के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट अंतिम दिनांक पर या के पूर्व, खंड (१) के अधीन विकल्प को देखते हूए जिसमें निपटान करना चाहता है तो अदा की जानेवाली शेष कर की शेष रक़म इस अधिनियम के अधीन आदेश पारित करने द्वारा अधित्यजित की जायेगी और उक्त आवेदक, मूल्यवर्धित कर नियम या, यथास्थिति, मुंबई विक्रय कर नियम, १९५९ के अधीन ३० अप्रैल २०२३ पर या के पूर्व अदा की गई रक़म समेत कोई रक़म मुजराई की गई कोई रकम का दावा करने का हकदार नहीं होगा;

(ग) किसी संविधिक आदेश के अनुसार ब्याज उपाबंध-क या, यथास्थिति, उपाबंध-ख के अनुसरण में के संबंध में आवश्यक रक़म और अधित्यजन के अवधारण करने के लिए विचारार्थ लिया जाएगा।

(घ) किसी सांविधिक आदेश के अनुसरण में अधिरोपित शास्ति के संबंध में आवश्यक रक़म और अधित्यजन उपाबंध-क, या, यथास्थिति उपाबंध-ख के अनुसरण में अवधारित किया जायेगा ;

(ङ) धारा ८ की उप-धारा (२), (३), (६) और (७) के उपबंध, इस धारा को **यथावश्यक परिवर्तन समेत** लागू होंगे ।

आवश्यक रकम की अदायगी के लिए विकल्प और अवधि।

१०. (१) आवश्यक रक़म की एक मुश्त अदायगी विकल्प के अधीन भुगतान किया जायेगा :

परंतु, बकाया पचास लाख रूपयों से अधिक होने के मामले में, आवेदक को किस्त विकल्प के अधीन आवश्यक रक़म की अदायगी करने का विकल्प हो सकेगा।

(२) इस अधिनियम के अधीन आवश्यक रक़म के भुगतान, तथा आवेदन प्रस्तुत करने का अवधि निम्न तालिका में दिये गये अनुसार होगा :—

तालिका

अ.क्र.	विशिष्टियाँ	विकल्प-१-एकमुश्त अदायगी विकल्प	विकल्प २ : किस्त विकल्प
(१)	(२)	(३)	(४)
(क)	धारा-१२ के अधीन आवेदन की प्रस्तुति के लिए अवधि ।	१ मई २०२३ से प्रारम्भ होनेवाली और १४ नवम्बर २०२३ पर समाप्त होनेवाली।	१ मई २०२३ से प्रारम्भ होनेवाली और १४ नवम्बर २०२३ पर समाप्त होनेवाली।
(ख)	अवधि जिसमें आवश्यक रकम का भुगतान करना है।	१ मई २०२३ से प्रारम्भ होनेवाली और ३१ अक्तूबर २०२३ पर समाप्त होनेवाली।	१ मई २०२३ से प्रारम्भ होनेवाली और ३१ अक्तूबर २०२३ पर समाप्त होनेवाली अवधि के दौरान भुगतान की जानेवाली आवश्यक रक़म के न्यूनतम २५ प्रतिशत और धारा १२ के अधीन आवेदन के

(१)	(२)	(३)	(४)
			दिनांक से तिमाही के तीन समान किस्तों में आवश्यक रकम का शेष सभी किस्तों का आवेदन के दिनांक से नौ महीने के भीतर भुगतान किया जायेगा : परंतु यह कि, यदि कोई किस्त, का देय दिनांक के पश्चात् भुगतान किया है तो प्रतिवर्ष बारह प्रतिशत के दर पर ब्याज जमा होगा : परंतु आगे यह कि, सभी किस्तों का नौ महीने के भीतर भुगतान नहीं किया है के मामले में, धारा ८ और धारा ९ में यथाविनिर्दिष्ट अनुपातिक लाभ अनुदत्त होगा।

११. (१) सुसंगत अधिनियम के किन्ही उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सांविधिक आदेश के संबंध में, सुसंगत अधिनियम के अधीन अपिलिय प्राधिकरण या अधिकरण या न्यायालय के समक्ष, यदि कोई, अपिल लम्बित है, तो आवेदक द्वारा पूरी तरह से और बिना शर्तों से वापस लिया जायेगा। निपटान के लिए शर्ते।

सन् १९५६ का ७४। (२) जहाँ मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अधीन अधिक मुजराई या प्रतिदाय, केंद्रिय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ या प्रवेश पर कर अधिनियम के अधीन दायित्व के सहारे समायोजित है और मुजराई या प्रतिदाय का ऐसा समायोजन मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अधीन निर्धारण में घटाई या कम की गई है तो केंद्रिय विक्रय कर सन् १९५६ का ७४। अधिनियम, १९५६ या प्रवेश पर कर अधिनियम के अधीन देय समायोजित करने के उद्देश्य में, मूल्यवर्धित कर सन् १९५६ का ७४। अधिनियम के अधीन दाखिल अपील, केंद्रिय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ या, यथास्थिति, प्रवेश पर कर अधिनियम के अधीन अपील पूरी तरह से और बिना शर्तों के साथ वापस लेने की जरूरत है।

(३) निपटान के लिए किए गये आवेदन के साथ पदाभिहित प्राधिकारी को अपील को वापस लेने के लिए किए गए आवेदन की प्राप्ति की प्रस्तुती उक्त अपील के वापस लेने के प्रति पर्याप्त सबूत के रूप में माना जायेगा।

१२. (१) आवेदक, सुसंगत अधिनियम के अधीन, धारा २ की उप-धारा (१) के खण्ड (घ) में दिए गए बकायों के प्रत्येक वर्ग के लिए अलग से, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए धारा १० की उप-धारा (२) में दी गई तालिका के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अंतिम दिनांक पर या के पूर्व आवेदन करेगा : बकायों के निपटान के लिए आवेदन।

परंतु यह कि, आवेदक ने, इस अधिनियम की धारा १० की, उप-धारा (२) में दी गई तालिका के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, आवश्यक रकम का भुगतान किया है, परंतु, समय के भीतर आवेदन नहीं किया जा सका है तब, विलंब के लिए कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा तीस दिनों तक के विलंब के लिये माफ किया जा सकेगा।

(२) पदाभिहित प्राधिकारी को, आयुक्त के किसी आदेश द्वारा जैसा की विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीत्या में आवेदन किया जायेगा।

(३) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन जहाँ कोई आवेदन विनिर्दिष्ट अवधि के संबंध में, सुसंगत अधिनियम के अधीन विवरणी देयों के बकायों का निपटान करना चाहता है, तो वह प्रत्येक सुसंगत अधिनियम के अधीन ऐसी प्रत्येक विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी के लिए अलग से आवेदन प्रस्तुत करेगा :

परंतु, जहाँ कोई आवेदक, एक वित्तीय वर्ष के संबंधित एक से अधिक विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी के संबंध में विवरणी देयों का निपटान करना चाहता है तो वह एकल आवेदन कर सकेगा।

(४) प्रत्येक ऐसा आवेदन, धारा ८ और ९ के अधीन यथा अवधारित एक मुश्त अदायगी विकल्प के मामले में संपूर्ण आवश्यक रकम की अदायगी और किस्त विकल्प के मामले में आवश्यक रकम के न्यूनतम २५ प्रतिशत की अदायगी के सबूत तथा आवेदन प्रारूप में अभिकथित दस्तावेजों के साथ होगा।

निपटान का आदेश।

१३. (१) यदि आवेदक ने धारा ८ और ९ के अनुसरण में अवधारित आवश्यक रकम का भुगतान किया है तो पदाभिहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि, पदाभिहित प्राधिकारी, कोई आदेश पारित करेगा और एक मुश्त अदायगी विकल्प के अधीन आवश्यक रकम के भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम दिनांक से तीन महीने के भीतर या, यथास्थिति, किस्त विकल्प के अधीन आवश्यक रकम के अंतिम किस्त का भुगतान करने के लिए विनिर्दिष्ट दिनांक से तीन महीने के भीतर आवेदक को उक्त आदेश की प्रत देगा और तदुपरांत, सुसंगत अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा आवेदक, निपटान के आदेश में विनिर्दिष्ट अधित्यजन की रक़म की सीमा के उसके दायित्व से मुक्त करेगा।

(२) जहाँ, कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस के बकायों का निपटान करने के लिए किया गया आवेदन, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में नहीं है तो पदाभिहित प्राधिकारी, आवेदक को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर देने के पश्चात्, लिखित में किसी आदेश द्वारा, आवेदन को अस्वीकृत करेगा। ऐसे आवेदन की अस्वीकृति पर और यदि आवेदक ने, निपटान के लिए आवेदन अपील को प्रत्याहृत किया है, तब सुसंगत अधिनियम के अधीन उक्त मूल अपील धारा १४ के उपबंधों के अध्यधीन सुसंगत अधिनियम के अधीन इस निमित्त अपीलीय प्राधिकारी को किए गए आवेदन पर पुनःस्थापित किया जायेगा।

(३) पदाभिहित प्राधिकारी, अपनी स्वप्रेरणा से या आवेदक के आवेदन पर, आवेदक द्वारा निपटान के आदेश की प्राप्ति के दिनांक से छह महीने के भीतर अभिलेख से प्रकट कोई गलती को सुधार सकेगा :

परंतु, परिशोधन के लिए आवेदन, आवेदक द्वारा निपटान के आदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिनों के भीतर किया जायेगा :

परंतु यह और भी, आवेदक को प्रतिकूल रुप से प्रभावित करनेवाला कोई आदेश उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जायेगा ।

इस अधिनियम के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील।

१४. (१) इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील,—

(क) यदि प्राधिकारी द्वारा उसके अधिनस्थ को आदेश पारित किया है तो संबंधित राज्य कर उपायुक्त (प्रशासन) को ;

(ख) यदि राज्य कर उपायुक्त द्वारा आदेश पारित किया गया है तो संबंधित राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) को ;

(ग) यदि, राज्य कर संयुक्त आयुक्त द्वारा आदेश पारित किया है तो संबंधित राज्य कर अतिरिक्त आयुक्त को, कर सकेगा।

(२) इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिनों के भीतर अपील दाखिल किया जायेगा और तत्पश्चात् दाखिल किसी अपील का स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(३) इस धारा की, उप-धारा (१) में यथाविनिर्दिष्ट अपीलिय प्राधिकरण, ऐसी अधिकतर जाँच करने के पश्चात्, जो आवश्यक हो, जिसे वह न्याय संगत और उचित समझे, ऐसे आदेश पारित करेगा।

(४) इस धारा की उप-धारा (३) के अधीन पारित कोई आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील नहीं किया जायेगा।

इस अधिनियम के अधीन पारित आदेश का पुनरीक्षण।

१५. (१) इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश का, आयुक्त द्वारा अपनी स्वप्रेरणा से, आदेश की तामिल के दिनांक से बारह महीने के भीतर किसी समय पर, पुनरीक्षण किया जा सकेगा।

(२) ऐसे आदेश में कोई गलती पाए जाने के पश्चात्, राजस्व के हित में जहाँ तक यह न्यायसंगत हो आयुक्त आवेदक पर सूचना की तामिल कर सकेगा और जहाँ उप-धारा (१) में विहित समय सीमा के भीतर आवश्यक है, उसकी विवेक बुद्धि से कोई आदेश पारित कर सकेगा।

(३) आवेदन को प्रभावी होनेवाला कोई आदेश उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा ।

१६. इस अधिनियम के अन्य उपबंध के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन जारी निपटान का कोई आदेश, उस आदेश के अधीन सम्मिलित बकायों के निपटान से संबंधित निर्णायक होगा, और निपटान के ऐसे आदेश द्वारा सम्मिलित मामला, भारत के नियंत्रक और महा-लेखा परीक्षक द्वारा किए गए किसी निरीक्षण के कारण प्रारम्भित की गई किसी कार्यवाहीयों के अध्यधीन, विनिर्दिष्ट निरीक्षणों के संबंध में किसी कार्यवाहियों को छोडकर किसी कार्यवाही में सुसंगत अधिनियम के अधीन या पूर्नविलोकन या पुनरीक्षण या कोई अन्य कार्यवाहियाँ फिर से शुरू नहीं की जायेगी। सुसंगत अधिनियम के अधीन निपटान मामलों को फिर से शुरू करने का वर्जन।

१७. (१) धारा १६ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ पदाभिहित प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि, आवेदक ने किसी महत्त्वपूर्ण जानकारी छिपाई है या विशिष्ट या किसी गलत या मिथ्या जानकारी के प्रस्तुति द्वारा निपटान के लाभ प्राप्त किये है या सुसंगत अधिनियम के अधीन तलाशी या जब्ती और तलाशी से संबंधित कार्यवाहीयों में महत्त्वपूर्ण तथ्यो का छिपाव, किसी विशिष्टियों का छिपाव पाया गया है तो पदाभिहित प्राधिकारी, आवेदक का कारणों को लिखित में अभिलिखित करने और उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्षों के भीतर जिसमें निपटान का आदेश तामिल किया गया है, तो धारा १३ की उप-धारा (१) के अधीन जारी उक्त आदेश प्रतिसंहृत करेगा। सुसंगत अधिनियम के अधीन निपटान का आदेश प्रतिसंहृत करना।

(२) उप-धारा (१) के अधीन, यदि निपटान आदेश प्रतिसंहृत किया गया है तो, निपटात के ऐसे आदेश द्वारा सम्मिलित सुसंगत अधिनियम के अधीन निर्धारण, पुनर्निर्धारण, परिशोधन, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या, यथास्थिति, अपील धारा ११ और १६ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे प्रतिसंहृत पर तत्काल पुनरुज्जीवित या पुनःस्थापित होगा, और ऐसा निर्धारण पुनर्निर्धारण, परिशोधन, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या, यथास्थिति, अपील पर मानों कि, कर, ब्याज, शास्ति या विलम्बित फीस के बकायों के निपटान का आदेश नहीं किया गया है तो सुसंगत अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में विनिश्चय किया जायेगा :

परंतु, जहाँ सुसंगत अधिनियम के अधीन पुनर्निर्धारण, परिशोधन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के लिए परिसीमा का अवधि, प्रतिसंहरण के आदेश के दिनांक से दो वर्ष के भीतर अवसित हुआ है, तब सुसंगत अधिनियम में, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सुसंगत अधिनियम के अधीन पुनर्निर्धारण, परिशोधन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण ऐसे प्रतिसंहरण के आदेश के दिनांक से दो वर्ष के भीतर संबंधीत प्राधिकरणों द्वारा किया जायेगा :

परन्तु, सुसंगत अधिनियम के अधीन मूल अपील इस निमित्त किये गये आवेदन पर अपील सुसंगत अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी को पुनःस्थपित किया जायेगा।

१८. किसी परिस्थितियों के अधीन, आवेदक, इस अधिनियम के अधीन अदा की गई कोई रक़म प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं होगा : इस अधिनियम के अधीन प्रतिदाय न करना।

परन्तु, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निपटान के आदेश के प्रतिसंहृरण या अस्वीकृति के मामले में इस अधिनियम के अधीन आवेदक द्वारा अदा की गई रकम सुसंगत अधिनियम के अधीन अदा की गई समझी जायेगी।

१९. (१) आयुक्त, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, पदाभिहित प्राधिकारियों को, जैसा वह उचित समझे ऐसे अनुदेशों और निदेशों को समय-समय से जारी कर सकेगा। इस अधिनियम के अधीन आयुक्त की शक्तियाँ।

(२) आयुक्त, आदेश द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्ररूपों और जिस रीति में प्रस्तुत किया जाएगा वह रीति, विहित कर सकेगा।

२०. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में, यदि कठिनाई उद्‌भूत होती है तो, सरकार जैसा अवसर उद्‌भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो किसी बात को कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो : कठिनाई के निराकरण की शक्ति।

परन्तु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

उपाबंध–क

(देखिए धारा ८ और ९)

(१ अप्रैल २००५ पर या के पश्चात् प्रारम्भ होनेवाली और ३० जून २०१७ पर या के पूर्व समाप्त होनेवाली अवधि के लिए

		एकमुश्त भुगतान विकल्प		**किश्त विकल्प**	
क्रम संख्या	रक़म	अदा की जानेवाली रक़म	अधित्यजन की रक़म	अदा की जानेवाली रक़म	अधित्यजन की रक़म
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)
(१)	अविवादित कर की रक़म।	स्तंभ (ख) में की रक़म के सौ प्रतिशत।	शून्य	स्तंभ (ख) में की रक़म के सौ प्रतिशत।	शून्य
(२)	विवादित कर की रक़म।	स्तंभ (ख) में के रक़म के पचास प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रक़म के पचास प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रक़म के छप्पन प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रक़म के चवालिस प्रतिशत।
(३)	सुसंगत अधिनियम के अधीन भुगतान की जानेवाली ब्याज या किसी सांविधानिक आदेश या विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार भुगतान की जानेवाली ब्याज की रकम।	स्तंभ (ख) में की रक़म के पंद्रह प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रक़म के पचास्सी प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रक़म के पंद्रह प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रक़म के पचास्सी प्रतिशत।
(४)	किसी संविधानिक आदेश के अनुसार बकाया शास्ति की रकम।	स्तंभ (ख) में की रक़म के पाँच प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रक़म के पंचानवे प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रक़म के पाँच प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रक़म के पंचानवे प्रतिशत।
(५)	सुसंगत अधिनियम के अधीन ब्यौहारी द्वारा किए गए आवेदन के दिनांक तक उद्ग्रहणीय परंतु उद्ग्रहीत न की गई निर्धारणोत्तर ब्याज या शास्ति या दोनों की रकम।	शून्य	स्तंभ (ख) में की रक़म के सौ प्रतिशत।	शून्य	स्तंभ (ख) में की रक़म के सौ प्रतिशत।
(६)	३१ अक्तूबर २०२३ को या के पूर्व दाखिल विवरणी के संबंध में भुगतान योग्य विलंबित फीस।	स्तंभ (ख) में की रक़म के पाँच प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रक़म के पंचानवे प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रक़म के पाँच प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रक़म के पंचानवे प्रतिशत।

या

(७)	जहाँ किसी सांविधिक आदेश के अनुसार बकाया रकम पंद्रह लाख रुपयों या उससे कम है वहाँ आवेदक को उपर्युक्त अनुक्रमांक (१) से (४) और (६) के अनुसार आवश्यक रकम के निर्धारण के बजाय एकमुश्त भुगतान का विकल्प हो सकेगा।	स्तंभ (ख) में की रकम के बीस प्रतिशत।	सुसंगत अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय आवेदन के दिनांक तक उद्ग्रहीत परंतु न की गई निर्धारणोत्तर व्याज या शास्ति या दोनों के साथ बकायों के अस्सी प्रतिशत।	लागू नहीं ।	लागू नहीं।

उपाबंध–ख

(देखिए धारा ८ और ९)

(३१ मार्च २००५ पर या के पूर्व समाप्त होनेवाली अवधि के लिए)

		एकमुश्त भुगतान विकल्प		किश्त विकल्प	
क्रम संख्या	रकम	अदा की जानेवाली रकम	अधित्यजन की रकम	अदा की जानेवाली रकम	अधित्यजन की रकम
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)
(१)	अविवादित कर की रकम।	स्तंभ (ख) में की रकम के सौ प्रतिशत।	शून्य	स्तंभ (ख) में की रकम के सौ प्रतिशत।	शून्य
(२)	विवादित कर की रकम।	स्तंभ (ख) में की रकम के तीस प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रकम के सत्तर प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रकम के चौतीस प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रकम के छियासठ प्रतिशत।
(३)	सुसंगत अधिनियम के अधिन भुगतान की जानेवाली ब्याज या किसी सांविधानिक आदेश या विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार भुगतान की जानेवाली ब्याज की रकम।	स्तंभ (ख) में की रकम के दस प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रकम के नब्बे प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रकम के दस प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रकम के नब्बे प्रतिशत।
(४)	किसी सांविधानिक आदेश के अनुसार बकाया शास्ति की रकम ।	स्तंभ (ख) में की रकम के पाँच प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की की रकम के पंचानवे प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रकम के पाँच प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की की रकम के पंचानवे प्रतिशत।
(५)	संबंधित अधिनियम के अधीन ब्यौहारी द्वारा किए गए आवेदन के दिनांक तक उद्ग्रहणीय परंतु उद्ग्रहीत न की गई निर्धारणोत्तर ब्याज या शास्ति की रकम।	शून्य	स्तंभ (ख) में की रकम के सौ प्रतिशत।	शून्य	स्तंभ (ख) में की रकम के सौ प्रतिशत।

या

(६)	जहाँ किसी सांविधिक आदेश के अनुसार बकाया रकम पचास लाख रुपयों या से कम है वहाँ आवेदक को उपर्युक्त अनुक्रमांक (१) से (४) के अनुसार आवश्यक रकम के निर्धारण के बजाय एकमुश्त भुगतान का विकल्प हो सकेगा।	स्तंभ (ख) में की रकम के बीस प्रतिशत।	सुसंगत अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय परन्तु आवेदन के दिनांक तक उद्ग्रहीत न की गयी निर्धारणोत्तर ब्याज या शास्ति या दोनों के साथ स्तंभ (ख) में की रकम के अस्सी प्रतिशत।	लागू नहीं।	लागू नहीं।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया डोनीकर,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XIX OF 2023.

THE MAHARASHTRA STATE TAX ON PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYMENTS (AMENDMENT) ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ५ अप्रैल २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

मुग्धा अ. सावंत,
प्रारुपकार-नि-सहसचिव,
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XIX OF 2023.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA STATE TAX ON PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYMENTS ACT, 1975.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १९ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ६ अप्रैल २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ में, अधिकतर संशोधन में करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, यथा निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :— सन् १९७५ का महा. १६।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण। **१.** (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर (संशोधन) अधिनियम, २०२३ कहलाए ।

(२) यह १ अप्रैल २०२३ से प्रवृत्त होगा।

सन् १९७५ का महा. १६।

सन् १९७५ का महा. १६ की धारा २७क में संशोधन।

२. महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ (जिसे इसमें आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २७ क के,—

(१) खण्ड (ग) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(ग) (एक) दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, २०१६ की धारा २ के खण्ड (ध) में यथा परिभाषित विशेष दिव्यांग व्यक्ति ; या

(दो) विशेष दिव्यांग बच्चे के माता-पिता या अभिभावक :

परंतु, विशेष दिव्यांग ऐसे व्यक्ति या बच्चा उक्त अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रमाणन अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र धारण करेगा :

परंतु, ऐसे व्यक्तिगत या, यथास्थिति, नियोक्ता, प्रथम निर्धारण वर्ष, जिसके लिए वह इस खण्ड के अधीन छूट का दावा करता है, के संबंध में, विहित प्राधिकारी के समक्ष उपर्युक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा :

परंतु आगे यह कि, व्यक्तिगत रूप में या, यथास्थिति, नियोक्ता, जिसने १ अप्रैल २०२३ के सद्यः पूर्व जैसा वह था, इस धारा के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी के समक्ष पहले ही प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है तो, उसे फिर से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ;" ;

(२) खण्ड (ङ), अपमार्जित किया जायेगा ;

(३) खण्ड (छ), अपमार्जित किया जायेगा ।

सन् १९७५ का महा. १६ की अनुसूची एक में संशोधन।

३. मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूची-एक में, प्रविष्टि के स्थान में, निम्न प्रविष्टि, रखी जायेगी, अर्थात् :—

"१.	वेतन और वेतन भोगी —	
	(एक) व्यक्ति के मामले में, जिसका मासिक वेतन या उपार्जन.—	
	(क) सात हजार पाँच सौं रुपयों से अधिक नही हैं ;	शून्य
	(ख) सात हजार पाँच सौं रुपयों से अधिक है परंतु दस हजार रुपयों से अधिक नहीं है ;	प्रति महीना एकसौ पचहत्तर रुपये ।
	(ग) दस हजार रुपयों से अधिक ;	निम्न रीत्या में संदाय किए जाने वाले प्रतिवर्ष ढाई हजार रुपए,– (क) फरवरी महीने को छोड़कर प्रति महीना दो सौं रुपए ; (ख) फरवरी महीने के लिए तीन सौं रुपए ;
	(दो) महिला के मामले में, जिसका मासिक वेतन या उपार्जन.—	
	(क) पच्चीस हजार रुपयों से अधिक नहीं हैं ;	शून्य
	(ख) पच्चीस हजार रुपयों से अधिक ;	निम्न रीत्या में संदाय किए जानेवाले प्रतिवर्ष ढ़ाई हजार रुपए,– (क) फरवरी महीने को छोडकर प्रति महीना दो सौं रुपए ; (ख) फरवरी महीने के लिए तीन सौं रुपए ।"।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. XX OF 2023.

THE MAHARASHTRA LABOUR LAWS (AMENDMENT) ACT, 2022.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ३१ मार्च २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान)
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XX OF 2023.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA INDUSTRIAL RELATIONS ACT, THE MAHARASHTRA LABOUR WELFARE FUND ACT, THE MAHARASHTRA MATHADI, HAMAL AND OTHER MANUAL WORKERS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND WELFARE) ACT, 1969, THE MAHARASHTRA PRIVATE SECURITY GUARDS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND WELFARE) ACT, 1981 AND THE MAHARASHTRA WORKMEN'S MINIMUM HOUSE-RENT ALLOWANCE ACT, 1983.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ११ अप्रैल २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, महाराष्ट्र श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, महाराष्ट्र माथाडी, हमाल और अन्य शारीरिक श्रम करनेवाले कर्मकार (रोजगार का विनियमन और कल्याण) अधिनियम, १९६९, महाराष्ट्र निजी सुरक्षा रक्षक (रोजगार का विनियमन और कल्याण) अधिनियम, १९८१ और महाराष्ट्र कर्मकारों का न्यूनतम मकान-किराया भत्ता अधिनियम, १९८३ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

सन १९४७ का बम्बई ११। सन १९५३ का मुंबई ४०। सन १९६९ का महा. ३०। सन १९८१ का महा. ५८। सन १९८८ का महा. २३।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, महाराष्ट्र श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, महाराष्ट्र माथाडी, हमाल और अन्य शारीरिक श्रम करनेवाले कर्मकार (रोजगार का विनियमन और कल्याण) अधिनियम, १९६९, महाराष्ट्र निजी सुरक्षा रक्षक (रोजगार का विनियमन और कल्याण) अधिनियम, १९८१ और महाराष्ट्र कर्मकारों का न्यूनतम मकान किराया भत्ता अधिनियम, १९८३ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक ।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र श्रमिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०२२ कहलाए । संक्षिप्त नाम।

अध्याय दो

महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में "औद्योगिक संबंध अधिनियम" कहा गया है) की धारा १०४ में, " दोनों में से किसी भी भ्रांति के कारावास जिसकी अवधि तीन महिने तक बढायी जा सकेगी, या जुर्माने से या दानों सहित" शब्दों स्थान में, "ऐसे जुर्माने से जो पाँच लाख रुपयों से कम नहीं होगी परंतु जिसे दस लाख रुपयों तक बढ़ाया जा सकेगा" शब्द रखे जायेंगे । सन् १९४७ का मुंबई ११ की धारा १०४ में संशोधन। सन् १९४७ का मुंबई ११।

३. औद्योगिक संबंध अधिनियम की धारा १०६ की, उप-धारा (२) में, "ऐसे कारावास से जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सके या जिसपर उल्लंघन जारी रहा है प्रत्येक दिन के लिए जुर्माने जिसे ५,००० हजार रुपयों तक बढ़ाया जा सके या दोनों से दण्डित किया जायेगा" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "पाँच लाख रुपयों के जुर्माने से और प्रत्येक दिन के लिए जिसपर उल्लंघन जारी रहा है के जुर्माने से जिसे पाँच हजार रुपयों तक बढ़ाया जा सके" शब्द रखे जायेंगे । सन् १९४७ का मुंबई ११ की धारा १०६ में संशोधन।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम में संशोधन ।

सन् १९५३ का ४०।

४. महाराष्ट्र श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में "श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम" कहा गया है) की धारा १७क में,— सन् १९५३ का ४० की धारा १७क में संशोधन।

(१) खण्ड (क) और (ग) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

" (क) प्रथम अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से जिसे एक लाख रुपयों तक बढाया जा सकेगा " ;

(ब) द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए जुर्माने से जिसे दो लाख रुपयों तक बढाया जा सकेगा ; " ;

(२) परन्तुक में, " पचास रुपयों " शब्दों के स्थान में, "पाँच हजार रुपयों " शब्द रखे जायेंगे।

५. श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम की धारा १७ख पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९५३ का ४०में नई धारा १७ग का निवेशन।

" **१७ग** (१) धारा १७क के अधिन दण्डनीय अपराध, अभियुक्त व्यक्ति के किसी आवेदन पर, या तो कोई अभियोजन संस्थित करने के पूर्व या के पश्चात, जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीत्या में, ऐसे अपराध के लिए उपबंधित जुर्माने की राशि के लिए कल्याण आयुक्त द्वारा प्रशमित किया जा सकेगा। अपराधों का प्रशमन।

(२) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट कोई बात,—

(क) एक समान अपराध, जो पहले प्रशमित किया गया था, के करने ; या

(ख) समान अपराध जिसके लिए ऐसा व्यक्ति पहले दोषसिद्ध हुआ था, के करने के दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि के भीतर द्वितीय समय के लिए या के तत्पश्चात् के लिए व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए लागू नहीं होगी।

(३) कल्याण आयुक्त, राज्य सरकार के निदेशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन किसी अपराध का प्रशमन करने की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(४) किसी अपराध का प्रशमन करने के लिए प्रत्येक आवेदन जैसा कि विहित किया जाए ऐसे प्ररुप तथा रित्या में किया जाएगा।

(५) जहाँ कोई अपराध, कोई अभियोजन संस्थित करने के पूर्व प्रशमित किया गया है तो जिस अपराध को इसप्रकार प्रशमित किया है, के संबंध में अपराधि के विरुद्ध ऐसे अपराध के संबंध कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जायेगा।

(६) किसी अभियोजन के संस्थित होने के पश्चात् जहाँ किसी अपराध का प्रशमन किया गया है, तो ऐसा प्रशमन लिखित में कल्याण आयुक्त द्वारा जिस न्यायालय के समक्ष अभियोजन विलंबित है, को ध्यान में लाया जायेगा और अपराध के प्रशमन की ऐसी सूचना दिए जाने पर व्यक्ति, जिसके विरुद्ध के अपराध को इसप्रकार प्रशमित किया है, उन्मोचित होगा।

(७) इस धारा के उपबंधो के अधीन और के अनुसरण में के अपराधों के सिवाय इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दण्डनीय कोई अपराध प्रशमित नहीं किया जायेगा।

अध्याय चार

महाराष्ट्र माथाडी, हमाल और अन्य शारिरिक श्रम करनेवाले कर्मकार (रोजगार का विनियमन और कल्याण) अधिनियम, १९६९ में संशोधन ।

सन् १९६९ का महा. ३० की धारा ३ में संशोधन।

६. महाराष्ट्र माथाडी, हमाल और अन्य शारीरिक श्रम करनेवाले कर्मकारों (रोजगार का विनियमन और कल्याण) अधिनियम, १९६९ (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, " माथाडी, हमाल और अन्य शारिरिक श्रम करनेवाले कर्मकार अधिनियम " कहा गया है) की धारा ३, की उप-धारा (३) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी अर्थात् :— सन् १९६९ का महा. ३०।

" (३) योजना में आगे यह की,—

(एक) उसके किसी उपबंधों के प्रथम उल्लंघन के लिए जुर्माने से, जिसे, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी रकम तक बढायी जा सकेगी (परंतु पाँच लाख रुपयों से अधिक के मामले में नही) से दण्डित किया जायेगा ;

(दो) उसके किसी उपबंधों के द्वितीय या पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए, दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से, जिसे, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी रकम तक बढाया जा सकेगा (परन्तु, दस लाख रुपयों से अधिक नहीं होगा) ; और

(तीन) दोषसिद्धि के पश्चात् यदि उल्लंघन निरंतर किया जाता है तो जिसने इसप्रकार का उल्लंघन निरंतर किया गया है, जिसे ऐसे प्रत्येक दिन के लिए पाँच हजार रुपयों तक बढाया जा सके ऐसे अधिक जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।"।

सन् १९६९ का महा. ३० की धारा २७ में संशोधन।

७. माथाडी, हमाल और अन्य शारिरिक श्रम करनेवाले कर्मकार अधिनियम की धारा २७ में,—

(१) " पाँच सौ रुपए " शब्दों के स्थान में, " पाँच लाख रुपए " शब्द रखे जायेंगे ;

(२) " सौ रुपए " शब्दों के स्थान में, " पाँच हजार रुपए " शब्द रखे जायेंगे ।

८. माथाडी, हमाल और अन्य शारिरिक श्रम करनेवाले कर्मकार अधिनियम की धारा २७ के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९६९ का महा. ३० में नई धारा २७-१क का निवेशन।

" **२७-१क.** योजना के अधीन दण्डनीय किसी योजना के किन्हीं उपबंधो के उल्लंघन का कोई अपराध, अभियुक्त व्यक्ति के किसी आवेदन पर, अभियोजन के संस्थित होने के या तो पूर्व या के बाद में, संबंधित बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रित्या में ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के पचास प्रतिशत की राशि से प्रशमित किया जा सकेगा। अपराधों का प्रशमन।

परंतु, प्रशमन की ऐसी रकम, उस बोर्ड के प्रशासन के प्रयोजन के लिए स्थापित संबंधित बोर्ड के प्रशासकीय खाते में जमा की जायेगी।

(२) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट कोई बात,–

(क) एक समान अपराध जो पहले प्रशमित किया गया था, के करने के ; या

(ख) समान अपराध जिसके लिए ऐसा व्यक्ति पहले दोषसिद्ध हुआ था, के करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के भीतर द्वितीय समय या के तत्पश्चात् के लिए व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को लागू नहीं होगी।

(३) जहाँ कोई अपराध कोई अभियोजन संस्थित करने के पूर्व प्रशमित किया गया है, तो जिस अपराध का इसप्रकार प्रशमित किया गया है, के संबंध में अपराधी के विरुद्ध ऐसे अपराध से संबंधित कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जायेगा।

(४) किसी अभियोजन के संस्थित होने के पश्चात् जहाँ किसी अपराध का प्रशमन किया गया है तो ऐसा प्रशमन लिखित में उप-धारा (१) में निर्देशित, संबंधित बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा श्रमिक न्यायालय या औद्योगिक न्यायालय जिसके समक्ष अभियोजन विलंबित है, को ध्यान में लाया जायेगा और अपराध के प्रशमन की ऐसी सूचना दिए जाने पर वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध के अपराध का इसप्रकार प्रशमन किया गया है, उन्मोचित होगा।

(५) इस धारा के उपबंधों के अधीन और के अनुसरण में के अपराधों को छोडकर सिवाय योजना के अधीन दण्डनीय कोई अपराध प्रशमित नहीं किया जायेगा।"।

अध्याय पाँच

महाराष्ट्र निजी सुरक्षा रक्षक (रोजगार का विनियमन और कल्याण) अधिनियम, १९८१ में संशोधन ।

सन् १९८१ का महा. ५८। **९.** महाराष्ट्र निजी सुरक्षा रक्षक (रोजगार का विनियमन और कल्याण) अधिनियम, १९८१ (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, " निजी सुरक्षा रक्षक अधिनियम " कहा गया है) की धारा ३, की उप-धारा (३) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी अर्थात् :— सन् १९८१ का महा. ५८ की धारा ३ में संशोधन।

" (३) योजना में अधिक यह कि,—

(एक) उसके किसी उपबंध के प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जिसे, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी रकम तक बढाया जा सकेगा (परंतु पाँच लाख रुपयों से अधिक के मामले में नही) ;

(दो) उसके किसी उपबंधों के द्वितीय या पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए, दोषसिद्धि पर, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी रकम तक बढाया जा सके, ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा (परंतु दस लाख रुपयों से अत्यधिक के मामले में नही) ; और

(तीन) दोषसिद्धि के पश्चात् यदि उल्लंघन निरंतर किया जाता है तो जिसे ऐसे प्रत्येक दिन जिसने इसप्रकार का उल्लंघन निरंतर किया गया है, जिसे ऐसे प्रत्येक दिन के लिए पाँच हजार रुपयों तक बढाया जा सके ऐसे अधिक जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।"।

सन् १९८१ का महा. ५८ की धारा २७ में शंशोधन।

१०. निजी सुरक्षा रक्षक अधिनियम की धारा २७ में,—

(१) " पाँच सौ रुपए " शब्दो के स्थान में, " पाँच लाख रुपए " शब्द रखे जायेंगे ;

सन् १९८१ का महा. ५८ मे नई धारा २७क का निवेशन।

(२) " सौ रुपए " शब्दों के स्थान में, " पाँच हजार रुपए " शब्द रखे जायेंगे ।

११. निजी सुरक्षा रक्षक अधिनियम की धारा २७ के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

अपराधों का प्रशमन।

" **२७क** (१) योजना के अधीन दण्डनीय किसी योजना के किन्ही उपबंधों के उल्लंघन का कोई अपराध, अभियुक्त व्यक्ति के किसी आवेदन पर, किसी अभियोजन के संस्थित होने के पूर्व या के बाद में, संबंधित बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा केवल जुर्माने से दण्डनीय ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के पचास प्रतिशत की राशि के लिए और जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रित्या में ऐसी अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के पचहत्तर प्रतिशत की एक राशि से प्रशमित किया जा सकेगा :

परंतु, प्रशमन की ऐसी रकम उस बोर्ड के प्रशासन के प्रयोजन के लिए स्थापित संबंधित बोर्ड के प्रशासकीय खाते में जमा की जायेगी।

(२) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट कोई बात,–

(क) एक समान अपराध जो पहले प्रशमित किया गया था, के करने के ; या

(ख) समान अपराध जिसके लिए ऐसा व्यक्ति पहले दोषसिद्ध हुआ था, के करने के दिनांक से तीन वर्षों की अवधि के भीतर द्वितीय समय या के तत्पश्चात् के लिए व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को लागू नहीं होगी।

(३) जहाँ कोई अपराध कोई अभियोजन संस्थित करने के पूर्व प्रशमित किया गया है, तो जिस अपराध को इस प्रकार प्रशमित किया गया है, के संबंध में अपराधि के विरुद्ध ऐसे अपराध से संबंधित कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जायेगा।

(४) किसी अभियोजन के संस्थित होने के पश्चात जहाँ किसी अपराध का प्रशमन किया गया है तो ऐसा प्रशमन, लिखित में, उप-धारा (१) में निर्देशित संबंधित बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा न्यायालय जिसके समक्ष अभियोजन विलंबित है, को ध्यान में लाया जायेगा और अपराध के प्रशमन की ऐसी सूचना दिए जाने पर वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध के अपराध का इसप्रकार प्रशमन किया गया है, उन्मोचित होगा।

(५) इस धारा के उपबंधों के अधीन और के अनुसरण में अपराधों को छोडकर योजना के अधीन दण्डनीय कोई अपराध प्रशमित नहीं किया जायेगा।"।

अध्याय छह

महाराष्ट्र कर्मकारों का न्यूनतम मकान-किराया भत्ता अधिनियम, १९८३ में संशोधन ।

सन् १९८८ का महा. २३।

१२. महाराष्ट्र कर्मकारों का न्यूनतम मकान-किराया भत्ता अधिनियम, १९८३ की धारा १० की,— सन् १९८८ का महा. २३ की धारा १० में संशोधन।

(१) उप-धारा (१) में " ऐसी अवधि के कारावास से, जिसे एक वर्ष तक बढाया जा सके या ऐसे जुर्माने से, जिसे दो हजार रुपयों तक बढाया जा सके, या दोनों से " शब्दों के स्थान में, " जुर्माने से, जिसे दस लाख रुपयों तक बढ़ाया जा सके " शब्द रखे जायेंगे ;

(२) उप-धारा (२) में, " ऐसी अवधि के कारावास से जिसे छह महीनों तक बढाया जा सके या ऐसे जुर्माने से जिसे एक हजार रुपयों तक बढाया जा सके या दोनों से दण्डित किया जायेगा " शब्दों के स्थान में, " ऐसे जुर्माने से, जिसे दस लाख रुपयों तक बढाया जा सके " शब्द रखे जायेंगे ।

(यथार्थ अनुवाद)

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. XXI OF 2023.

THE MAHARASHTRA UNAIDED PRIVATE PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF ADMISSIONS AND FEES) (AMENDMENT) ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २० एप्रिल २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान)
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXI OF 2023.

AN ACT TO AMEND THE MAHARASHTRA UNAIDED PRIVATE PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF ADMISSIONS AND FEES) ACT, 2015.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २१ अप्रैल २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र असहायताप्राप्त निजी वृत्तिक शिक्षा संस्था (प्रवेश तथा फीस का विनियमन) अधिनियम, २०१५ में संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र असहायताप्राप्त निजी वृत्तिक शिक्षा संस्था (प्रवेश तथा फीस का विनियमन) अधिनियम, २०१५ में संशोधन करना इष्टकर है; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :— सन् २०१५ का महा. २८ ।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र असहायताप्राप्त निजी वृत्तिक शिक्षा संस्था (प्रवेश तथा फीस का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, २०२३ कहलाए। संक्षिप्त नाम।

सन् २०१५ का महा. २८। **२.** महाराष्ट्र असहायताप्राप्त निजी वृत्तिक शिक्षा संस्था (प्रवेश तथा फीस का विनियमन) अधिनियम, २०१५ की धारा ११ की,— सन् २०१५ का महा. २८ की धारा ११ में संशोधन।

(१) उप-धारा (३) में,

(क) खंड (ग) और (घ) के स्थान में, निम्न खंड, रखा जायेगा, अर्थात :–

"(ग) दो प्रख्यात चार्टर्ड एकाउंटेन्ट जो दस वर्ष से अनिम्न अवधि के लिए भारत के चार्टर्ड एकाउंटेन्ट की संस्था के सदस्य रहे है ... सदस्य ;

(घ) दो विख्यात लागत लेखापाल जो दस से अनिम्न वर्ष की अवधि के लिए भारत के लागत और कार्य लेखापाल की संस्था के सदस्य रहे है या विख्यात वित्तीय विशेषज्ञ; ... सदस्य " ;

(ख) खंड (च), अपमर्जित किया जायेगा ;

(ग) खंड (ज) के पश्चात्, निम्न खंड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

(ज-१) आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा

(ज-२) निदेशक **आयुष** निदेशालय महाराष्ट्र राज्य ... सदस्य;

(घ) खंड (ञ) के स्थान में, निम्न खंड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

(ञ) संयुक्त सचिव से अनिम्न श्रेणी का सरकार का कोई अधिकारी। ... सदस्य-सचिव।";

(२) उप-धारा (४) के पश्चात्, निम्न धारायें, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :-

(४क) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य में के किसी भी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को जब फीस विनियम प्राधिकरण का कारोबार उसे संबंधित वृत्तिक पाठ्यक्रमों संबधि है तब एक आमांत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित करेगा ।

(४ख) अध्यक्ष, जैसा और जब आवश्यक हो, उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ विज्ञान, शिल्पकला, कृषि, आयुर्वेद चिकित्सा, होमियोपॅथी, दंतशास्त्र, नर्सिंग या औषधविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र से किसी व्यक्ति या अधिकारियों को भी उनके विशेषज्ञ राय प्राप्त करने के लिए निमंत्रित कर सकेगा। ऐसा विशेष निमंत्रित, फीस विनियामक प्राधिकरण की बैठकों की कार्यवाहियों में सम्मिलित होगा, किन्तु उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा ।" ;

(३) उप-धारा (५) मे "सदस्य" शब्द के स्थान में, " सदस्य या विशेषज्ञ " शब्द रखे जायेंगे।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXII OF 2023.

THE MAHARASHTRA STATE BOARD OF TECHNICAL EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २५ अप्रैल २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान)
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXII OF 2023.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA STATE BOARD OF TECHNICAL EDUCATION ACT, 1997.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २२ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **“ महाराष्ट्र राजपत्र ”** में दिनांक २६ अप्रैल २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, १९९७ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, १९९७ में संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :— सन् १९९७ का महा. ३८।

संक्षिप्त नाम। **१.** यह अधिनियम महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, २०२३ कहलाए।

सन् १९९७ का महा. ३८ । **२.** महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, १९९७ (जिसे इसमें आगे " मुल अधिनियम" कहा गया है) के दीर्घ शीर्षक में, " महाराष्ट्र राज्य " शब्दों के पश्चात् " उक्त बोर्ड के साथ उसमें के बहुशिल्प विज्ञान या संस्थाओं की सहबद्धता और उसमें अध्ययन किए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित मामलें " शब्द जोड़े जायेंगे। सन् १९९७ का महा. ३८ के दीर्घ शीर्षक में संशोधन ।

३. मूल अधिनियम की उद्देशिका में, " महाराष्ट्र राज्य " शब्दों के पश्चात् "और उक्त बोर्ड के साथ उसमें के बहुशिल्प विज्ञान या संस्थाओं की सहबद्धता और उसमें अध्ययन किये जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित मामलें " शब्द निविष्ट किए जायेंगे। सन् १९९७ का महा. ३८ की उद्देशिका में संशोधन ।

४. मूल अधिनियम की धारा २ के,— सन् १९९७ का महा. ३८ की धारा २ में संशोधन ।

(क) खण्ड (क) के पूर्व, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (क-१) " सहबद्ध संस्था " का तात्पर्य, कोई संस्था जिसे बोर्ड द्वारा सहबद्धता की मंजूरी मिली है ; " ;

(ख) खण्ड (क) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

(कक) " स्वायत्तता " का तात्पर्य, अकादमिक कार्यक्रम और परिक्षाओं का संचालन, संबंधित विषयों के लिए पाठ्यविवरण तैयार करने तथा डिप्लोमा स्तर के तकनीकी शिक्षा से संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति किसी संस्था पर प्रदत्त करने के बोर्ड के विशेषाधिकार से है ;

(कख) " स्वायत्त संस्था " का तात्पर्य, कोई संस्था जिसको धारा ३३ के अधीन स्वायत्तता प्रदान की गई है ; " ;

(ग) खण्ड (घ) के स्थान में, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (घ) ' डिप्लोमा स्तर तकनीकी शिक्षा ' का तात्पर्य, ऐसी तकनीकी इंजीनियरिंग शिक्षा जिसमें माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी डिप्लोमा शिक्षा है का अनुकरण करना या यथास्थिति, डिप्लोमा या पोस्ट डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या उच्च श्रेणी डिप्लोमा स्तर इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या प्रबंधन या बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य शिक्षा प्राप्त करने से है ; " ;

स्पष्टीकरण. — इस खण्ड के प्रयोजन के लिए " तकनीकी शिक्षा " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, विनियामक प्राधिकारी द्वारा यथा घोषित इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, स्थापत्य कला, नगर योजना, प्रबंधन, औषध विज्ञान और हॉटेल प्रबंधन और भोजन प्रबंध में शिक्षा के डिप्लोमा स्तर कार्यक्रम भी सम्मिलित है ; " ;

(घ) खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

सन् १९५० का २९। सन् १८६० का २१। सन् २०१३ का १८। (छक) " प्रबंधन " का तात्पर्य, महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई न्यास या संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई संस्था या कम्पनी अधिनियम, २०१३ की धारा ८के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी को न्यासी या प्रबंधित या शासी निकाय चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, के अधीन प्रबंधन जिसकी एक या अधिक संस्थाएँ बोर्ड के विशेषाधिकारों से संचालित तथा प्रवेशित है ;

(ङ) खण्ड (ञ) में " तीन क्षेत्र " शब्दों के साथ में " क्षेत्र " शब्द रखा जायेगा ;

(च) खण्ड (ञ) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

(ञक) " क्षेत्रिय कार्यालय " का तात्पर्य, संबंधित क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित कार्यालय से है ; " ;

(छ) खण्ड (ट) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

(टक) " विनियामक प्राधिकरण " का तात्पर्य, संसद द्वारा बनाए गए विधि द्वारा या के अधीन स्थापित कोई प्राधिकरण या निकाय, जिसका अनुमोदन डिप्लोमा स्तर की तकनीकी शिक्षा संस्था या पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आवश्यक है तथा जो, बोर्ड से संबंधित और सम्मिलित मामलों का विनियमन करने के लिए प्राधिकृत किया है ; " ;

सन् १९९७ का महा. ३८ की धारा ४क में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा ४के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

४क बोर्ड के उद्देश्य सामान्यतः ज्ञान का प्रसारण करना, निर्माण करना तथा परिरक्षण करना यह बोर्ड के उद्देश्य होंगे तथा विशेषरूप उसके उद्देश :—

(१) डिप्लोमा स्तर की तकनीकी शिक्षा क्रियाकलापों पर्यवेक्षण, मानिटरिंग, विनियमित करना तथा उसके विकास के लिए सहयोग देना ;

(२) परिक्षाओं का आयोजन करना और जिसे बोर्ड अवधारित करे ऐसे शर्तों के अध्यधीन व्यक्ति को डिप्लोमा और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियाँ या पदनाम प्रदत्त करना तथा विहित रीत्या में ऐसे डिप्लोमा या अन्य विद्यासंबंधी विशेष उपाधियाँ या पदनाम वापस लेना या रद्द करना ;

(३) अनुदेश, प्रशिक्षण, अनुसंधान, विकास और विस्तार द्वारा तथा बोर्ड जिसे ठीक समझे ऐसे अन्य अर्थों में द्वारा डिप्लोमा स्तर तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए सुविधाओं का उपबंध करना तथा अवसर प्रदान करना ;

(४) डिप्लोमा स्तर तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रम जो संस्था दीर्घकालिक आवश्यकताओं समेत विद्यमान आवश्यकताओं से सुसंगत है और जो प्रत्याशित बदलावों और विकास के लिए जिम्मेदार है, की योजना तैयार करना तथा उसका कार्यान्वयन करना ;

(५) डिल्पोमा स्तर तकनीकी शिक्षा में ज्ञान की अधिक उन्नति करने, ज्ञान का प्रसार करना और समाज की प्रगति के लिए उस वहीं पर गतिशिलता लाना ;

(६) विद्यासंबंधी और अनुसंधान समुदाय के बीच प्रोत्साहक सहकारिता और विचारों के लेन देन के लिए तथा औद्योगिक और सरकारी प्रवर्तक के जिम्मे तथा छात्रों के बीच उद्योग उपक्रम का बढ़ावा देने के लिए के केंद्र के रूप में सेवा देना ;

(७) डिप्लोमा स्तर तकनीकी शिक्षा की सुविधाओं के न्यायसंगत वितरण को बढ़ावा देना और अध्ययनरत संस्था के लिए समुचित आधुनिक संसूचना माध्यम और प्रौद्योगिकी के उपयोग से डिप्लोमा शिक्षा आंतरजाल का विकास करना ;

(८) अध्ययन, अनुसंधान और विस्तार के पर्याप्त और जिम्मेवार प्रशासन, वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए उपबंध करना तथा उसके संगठन का विकास करना ;

(९) शैक्षणिक और सहबद्ध कार्यक्रम हाथ में लेने द्वारा वित्तीय स्व-पर्याप्तता निर्माण करना ;

(१०) विभिन्न राज्य प्राधिकरणों और संस्थाओं के बीच बेहतर पारस्परिक व्यवहार और सहयोग को बढ़ावा देना ;

(११) सभी शैक्षणिक और छात्रों से संबंधित अन्य मामलों में एकमात्र मार्गदर्शक मानदण्डो के रूप में प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता और उत्कृष्ठता को बढ़ावा देने के लिए कठोर प्रयास करना ;

(१२) पाठ्यक्रम का विकास करना या पाठ्यक्रम का पुनरीक्षेण करना ताकि उद्योग की जरुरतों की पूर्ति और प्रौद्योगिकी में तरक्की का निगमन करना ;

(१३) पाठ्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तथा आवश्यक अध्ययन स्त्रोंतों का विकास करने के लिए और अध्यापकों को समुचित प्रशिक्षण का उपबंध करने के लिए योजना तैयार करना ;

(१४) शैक्षणिक कार्यक्रमों, अन्य क्रियाकलापों का कार्यान्वयन करना और अध्ययन और अनुसंधान का निष्पादन करना तथा निरंतर गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रमों को प्रदान करना ;

(१५) तकनीकी शिक्षा और उनके डिप्लोमा स्तर के आंतर-अनुशासनिक अध्ययन में अध्ययन, अध्यापन, क्षमता और कौशल्यों का उपबंध करना ;

(१६) तकनीकी शिक्षा में अनुदेश, अध्यापन और प्रशिक्षण का उपबंध करना तथा अनुसंधान के लिए प्रावधान बनाना ;

(१७) डिप्लोमा स्तर तकनीकी शिक्षा में मजबूती तथा नवपरिवर्तन के लिए उत्कर्षता केंद्र का निर्माण करना ;

(१८) नए तथा आनेवाले क्षेत्र में, नवपरिवर्तक दृष्टीकोन के साथ तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम, पाठ्यक्रमों को शुरु करना ;

(१९) शैक्षिक संरचना, अध्ययन समय-सीमा में तथा सर्जनात्मकता और उद्यमीता के पालनपोषण तथा संरक्षण के लिए निरंतर मुल्यांकन प्रक्रिया में सीवनाहितता के निर्माण के लिए नवपरिवर्तक दृष्टिकोन की स्थापना करना ;

(२०) मुख्य विषय क्षेत्रों में या उद्योग जरुरतों में, निरंतर शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए संस्थाओं को प्रोत्साहित करना तथा उन्हे मार्गदर्शन देना ;

(२१) किसी सम्पत्ति उसके हित या अधिकार का अर्जन, धारण, अंतरण या निपटान करना और प्रभावी कार्य के लिए उसका प्रबंध या उसका निपटान करना ;

(२२) राष्ट्र के भीतर या बाहर सहबध्द संस्थाओं, परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालयों, सरकारी शैक्षणिक निकायों, निदेशालयों और सरकारी विभागों आदि., के लिए तकनीकी शैक्षिक क्रियाकलापों को अग्रसर करने के लिए सलाहकारी, संबध्दता और सहायक सेवाओं का उपबंध करना तथा अर्जन करना ;

६. मूल अधिनियम की धारा ५ की, उप-धारा (१) में, सन् १९९७ का महा. ३८ की धारा ५ का संशोधन ।

(क) खण्ड (क) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(क-१) सदस्य के रूप में महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड के निदेशक ;

(ख) खण्ड (ख) में "निदेशक" शब्द के स्थान में "सचिव" शब्द रखा जायेगा।

(ग) खण्ड (ग) में, —

(एक) "**वर्ग-क-पदेन सदस्य**" शीर्षक के अधीन—

(एक) उप-खण्ड (तीन) अपमार्जित किया जायेगा ;

(दो) उप-खण्ड (पाँच) " मानव संसाधन विकास मंत्रालय " शब्दों के स्थान में, " शिक्षा मंत्रालय " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) **" वर्ग-ख-नामनिर्देशित सदस्य "**—

(एक) उप-खण्ड (चार) अपमार्जित किया जायेगा ;

(दो) उप-खण्ड (पाँच) के स्थान में, निम्न उप-खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (पाँच) तकनीकी शिक्षा से संबंधित रजिस्ट्रीकृत उद्योग सहयोजन या वृत्तिक निकायों के पदाधिकारीयों में से, संबंधित सहयोजन या वृत्तिक निकायों द्वारा सिफारिश किए गए, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जानेवाले छह सदस्य : "।

सन् १९९७ का महा. ३८ की धारा ६ का संशोधन ।

७. मूल अधिनियम की धारा ६ की, उप-धारा (१) में " या उससे समतुल्य पद " शब्द अपमार्जित किए जायेंगे।

सन् १९९७ का महा. ३८ की धारा २० में संशोधन ।

८. मूल अधिनियम की धारा २०, —–

(क) उप-धारा (२) में " अध्यक्ष " शब्द के स्थान में, " निदेशक " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (७) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—–

" (८) सचिव, बोर्ड की अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा ।

(९) सचिव, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए उप-विधियों और विनियमों की हस्तपुस्तिका समय-समय पर तैयार करेगा तथा अद्यतन बनाएगा।

(१०) सचिव, जैसा कि विहित किया जाए ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

(११) प्राधिकरणों और उसकी समितियों के विनिर्णयों के अध्यधीन, सचिव को, बोर्ड की ओर से समझौता करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी। "।

सन् १९९७ का महा. ३८ की धारा २२ में संशोधन ।

९. मूल अधिनियम की धारा २२ में —

(क) खण्ड (यञ) का, उप-खण्ड (तीन), अपमार्जित किया जायेगा ;

(ख) उप-खण्ड (यड़) के पश्चात्, निम्न खण्ड, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" (यढ़) ऐसी संस्था के उच्च अनुपालन के विचारार्थ सरकारी बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) को नमुना बहुशिल्प या उत्कर्षता केंद्र के रुप में अद्यतन करना । "।

सन् १९९७ का महा. ३८ की धारा २३ में संशोधन ।

१०. मूल अधिनियम की धारा २३ की, उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (१क) निदेशक यह सुनिश्चित करेगा कि, सरकार और शासी परिषद द्वारा जारी किए गए निदेशनों का कड़ाई से अनुपालन या, यथास्थिति, कार्यान्वयन हो रहा है।

(१ख) जहाँ कोई मामला विनियमों या उप-विधियों द्वारा विनियमित किया जाना आवश्यक है, परंतु कोई विनियम या उप-विधियाँ उस निमित्त नहीं बनाई गई है, तो निदेशक, तत्समय के लिए, जिसे वह आवश्यक समझे, ऐसे निदेशनों के जारी करने द्वारा मामले को विनियमित कर सकेगा और तत्पश्चात् सर्वप्रथम अवसर पर उसे अनुमोदन के लिए अगली बैठक में बोर्ड के समक्ष रखेगाः

परंतु ऐसे निदेशन विनियमों या, उप विधियों मे संपरिवर्तित हो जायेंगे, या, यथास्थिति, ऐसे निदेशन के जारी होने के छह महीने के भीतर असफल होने पर जो ऐसे निदेशन अपने आप व्यपगत होंगे परंतु उसके द्वारा की गई कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी ।

(१ग) उप-धारा (१) और (१क) के अधीन तात्पर्यित कर्तव्यों के प्रयोजन के लिए निदेशक, ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जिसे वह ठिक समझे सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी को अपनी शक्तियों को प्रख्यापित करेगा। ”।

११. मूल अधिनियम की धारा २४ के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९९७ का महा. ३८ की धारा २४क में निवेशन ।

“ **२४क.** (१) राज्य सरकार, बोर्ड से सहबद्ध असहायता प्राप्त निजि बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) या संस्था द्वारा चलाए जानेवाले हर एक डिप्लोमा स्तर तकनीकी शिक्षा के परिदान की वास्तविक लागत का अध्ययन करने के लिए किसी आदेश द्वारा फीस नियतन समिति का गठन करेगी। सरकार, ऐसे आदेश में, फीस नियतन समिति के सदस्यों की उपलब्धिंया तथा देय अन्य भत्ते, पदावधि तथा सेवा की शर्ते विनिर्दिष्ट करेगी। फिस नियतन समिति ।

सन् २०१५ का महा. २८। (२) महाराष्ट्र असहायताप्राप्त निजी वृत्तिक शिक्षा संस्थाएँ (प्रवेश तथा फीस का विनियमन) अधिनियम, २०१५ की धारा १३, १४ और १५ में उपबंधित फीस विनियामक प्राधिकरण के कृत्य, शक्तियाँ और प्रक्रिया, फीस विनियामक प्राधिकरण द्वारा अपनाई जानेवाली प्रक्रिया तथा फीस संरचना के अवधारण के लिए घटक **यथावश्यक परिवर्तन** समेत हर एक ऐसे शिक्षा के परिदान की वास्तविक लागत का अध्ययन करते समय उप-धारा (१) के अधीन गठित फीस नियतन समिति द्वारा अपनाए जायेंगे। ”।

१२. मूल अधिनियम की धारा २५ की,— सन् १९९७ का महा. ३८ की धारा २५ में संशोधन ।

(क) उप-धारा (१) के,—

(एक) खण्ड (च) में, “ बोर्ड ” शब्द के स्थान में “ बोर्ड और विनियामक प्राधिकरण ” शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) खण्ड (ज) में, “ अध्यक्ष ” शब्द के स्थान में “ बोर्ड के निदेशक ” शब्द रखे जायेंगे ;

(तीन) खण्ड (एक) में, “ बोर्ड ” शब्दों के स्थान में “ सरकार और समुचित विनियामक प्राधिकरण ” शब्द रखे जायेंगे ;

(चार) खण्ड (ञ) में, “ बोर्ड ” शब्दों के स्थान में “ सरकार और समुचित विनियामक प्राधिकरण ” शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (२) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

“ (२) कोई संस्था जो अन्य प्राधिकरण, बोर्ड या विश्वविद्यालय का भाग है, उस प्राधिकरण, बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा “ अनापत्ती प्रमाण पत्र ” दिए बीना सहबद्धता के लिए विचार नहीं किया जायेगा :

परंतु, चाहे किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए ऐसी संस्था में प्रवेशित छात्रों द्वारा बोर्ड या महाराष्ट्र सरकार से दावा नहीं किया जायेगा तथा बोर्ड या महाराष्ट्र सरकार ऐसे छात्रों की कोई वित्तीय सहायता देने के लिए जिम्मेवार नही होगी । ”।

सन् १९९७ का महा. ३८ की धारा २६ में संशोधन ।

१३. मूल अधिनियम की धारा २६ की,—

(क) उप-धारा (३) के स्थान में निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात :—

" (३) नई संस्था शुरू करने कि अनुमति चाहनेवाला प्रबंधमंडल शैक्षणिक कॅलेंडर के अनुसरण में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए बोर्ड द्वारा घोषित समय-सारणी के अनुसार बोर्ड के सचिव को विहित रीत्या में आवेदन कर सकेगा। ";

(ख) उप-धारा (४) में, " वर्ष के दिसम्बर के अंतिम दिन पर या के पूर्व " शब्दों के स्थान में, " उक्त समय-सारणी में यथा उल्लिखित आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम दिनांक से पैंतालिस दिनों के भीतर " शब्द रखे जायेंगे ;

(ग) उप-धारा (५) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

" (५) बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए आवेदनों में से, सरकार को बोर्ड से सिफारिस की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों के भीतर, नई संस्था शुरू करने की अनुमति चाहनेवाले प्रबंधमंडल की उपयुक्तता और तकनीकी शिक्षा की संस्था के स्थान के संबंध में राज्य स्तर प्राथमिकताओं को ध्यान में लेकर, उसके पूर्णतः विवेकाधिन में, जिसे वह ठिक तथा उचित समझे ऐसी संस्था को सरकार अनुमति प्रदत्त करेगी। राज्य सरकार बोर्ड को ऐसा अनुमोदन संसूचित करेगा । शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भण के पश्चात् अनुदत्त अनुमोदन केवल पश्चात्वर्ती शैक्षणिक वर्ष में बोर्ड द्वारा प्रभावी होगा :

परंतु, अपवादात्मक मामलों में तथा लिखित में अभिलिखित किए जानेवाले कारणों के लिए, तकनीकी शिक्षा की नई संस्था शुरू करने के लिए का बोर्ड द्वारा सिफारिश नहीं किया गया कोई आवेदन सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा सकेगा। ";

(घ) उप-धारा (५) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (५क) इस धारा में निर्देशित प्रक्रिया नए पाठ्यक्रम शुरू करने, अतिरिक्त संकाय शुरू करने, नए विषय शुरू करने, अतिरिक्त विभाग शुरू करने, नाम का परिवर्तन और स्थान में परिवर्तन करने की अनुमति के लिए **यथावश्यक परिवर्तन समेत** लागू होगी । "।

सन् १९९७ का महा. ३८ की धारा २७ में संशोधन ।

१४. मूल अधिनियम की धारा २७ की,—

(क) उप-धारा (१) में, " धारा २६ के अधीन " शब्दों और अंकों के पश्चात्, " और विनियामक प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात्, जहाँ कही आवश्यक है " शब्द निविष्ट किए जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (५) अपमार्जित की जायेगी ।

सन् १९९७ का महा. ३८ की धारा ३२ में संशोधन ।

१५. मूल अधिनियम की धारा ३२ की,—

(क) उप-धारा (२) में, " तीस दिन " शब्दों के स्थान में, " पंद्रह दिन " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (४) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

" (४) बोर्ड संस्था में अध्ययनरत छात्रों की शैक्षणिक अभिरुचि न होने के संबंध में, सरकार को, सहबद्धता का निलंबन करने या सहबद्धता वापस लेने की कार्यवाही करने या इस निमित्त कोई अन्य यथोचित कार्यवाही (शास्ति के अधिरोपन समेत) करने की सिफारिश करेगा और सरकार तत्पश्चात्, सिफारिशों के कार्यान्वयन करना शुरू करेगी । "।

सन् १९९७ का महा. ३८ की धारा ३३ में संशोधन ।

१६. मूल अधिनियम की धारा ३३ की, उप-धारा (३) में, " मानकों के अनुसार विद्यमान सुविधाए " शब्दों के पश्चात् " संस्था न्यूनतम आवश्यक प्रत्यायन और पर्याप्त वित्तीय क्षमता से सुरक्षित है " शब्द निविष्ट किये जायेंगे ।

१७. मूल अधिनियम की धारा ३४ की,— सन् १९९७ का महा. ३८ की धारा ३४ में संशोधन।

(क) उप-धारा (४) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (४क) स्वायत्त दर्जा अनुदत्त करनेवाली संस्था निर्धारण, करेगी, परिणाम घोषित करेगी और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए संयुक्त प्रमाणपत्र या डिप्लोमा प्रदान करने की बोर्ड को शिफारिश करेगी। " ;

१८. मूल अधिनियम की धारा ३४ के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९९७ का महा. ३८ की धारा ३४क में संशोधन।

" **३४क.** (१) बोर्ड शिकायत पर या **स्वप्रेरणा से,** जाँच आयोजित करने के पश्चात्, यह समाधान होता है कि, धारा ३३ और ३४ के उपबंधों का अनुपालन करने में स्वायत्त अनुदत्त संस्था असफल हो गई है, तो वह सरकार को, संस्था का स्वायत्त दर्जा वापस लेने की शिफारिश करेगा : स्वायत्त दर्जा वापस लेना।

परंतु, बोर्ड, संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बीना संस्था का स्वायत्त दर्जा वापस लेने की, सरकार को सिफारिश नहीं करेगा ।

(२) संस्था का स्वायत्त दर्जा वापस लेने की बोर्ड की सिफारिश की प्राप्ति पर सरकार, ऐसी संस्था का स्वायत्त दर्जा वापस लेगा । इस संबंध में सरकार का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा। "।

१९. मूल अधिनियम की धारा ३५ के स्थान में, निम्न धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् १९९७ का महा. ३८ की धारा ३५ की प्रतिस्थापना।

" **३५.** (१) किसी संस्था का कोई प्रबंधमंडल, सरकार और अन्य विनियामक प्राधिकरण, जिसने संस्था शुरु करने के लिए अनुमोदन दिया है, की पूर्वानुमति के बिना संस्था बंद करने का स्वीकार नही करेगा । संस्था को बंद करना।

(२) संस्था बंद करने के लिये इच्छुक प्रबंधमंडल, बोर्ड या, यथास्थिति, समुचित विनियामक प्राधिकरण द्वारा घोषित अनुसूची के अनुसार बोर्ड को आवेदन करेगा और बंद करने के लिए पूरे आधारों के कथन से, भवन तथा उपस्करों के प्ररुप में अस्तियों, उनकी वास्तविक लागत, विद्यमान बाजार मूल्य और सरकार या लोक निधि अभिकरणों द्वारा उसे अब तक प्राप्त अनुदान के बारे में बताएगा :

परंतु, असहायता प्राप्त संस्था के प्रबंधमंडल शपथपत्र पर यह वचनबंध भी देगा कि, संस्था के बंद करने पर उद्भूत अध्यापन और अध्यापनेतर कर्मचारिवृंद को अदा की जानेवाली उपलब्धियों समेत जिम्मेदारियाँ पूरी तरह से ऐसी संस्था के प्रबंधमंडल की होगी ।

(३) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, बोर्ड चाहे समापन करने के लिए अनुमति दी जानेवाले संस्था का निर्धारण और अवधारण करने के लिए, जिसे वह ठीक समझे ऐसी जाँच करेगा :

परंतु, समापन करने का कोई आवेदन बोर्ड द्वारा जब तक अस्वीकृत नहीं किया जायेगा तब तक प्रबंधमंडल को सुनवाई का युक्तियुक्त, अवसर नहीं दिया जाता है ।

(४) यदि बोर्ड समापन करने की सिफारिश करने का निर्णय लेता है तो वह उसकी तैयारी करेगा और सरकार को प्रस्तुत करेगा और चाहे विनियामक प्राधिकरण को आवश्यकता हो तो सरकार को अंतरित किया जानेवाला, सरकार या अन्य लोक निधि अभिकरणों द्वारा उपबंधित निधि के उपयोग द्वारा सृजित सम्पत्ति के परिक्षेप पर भी रिपोर्ट करेगा ।

(५) यदि बोर्ड ने, संस्था के समापन की सिफारिश की है और विनियामक प्राधिकरण, जिसने संस्था शुरु करने का अनुमोदन किया है, द्वारा संस्था बंद करने के लिए पूर्वानुमति अनुदत्त की है तब सरकार समापन का आदेश जारी कर सकेगा ।

(६) उप-धारा (१) से (५) में दी गई प्रक्रिया, बोर्ड के सहबद्ध पाठ्यक्रम या सहबद्ध कार्यक्रम बंद करने के लिए **यथावश्यक परिवर्तन समेत** लागू होगी।

सन् १९९७ का महा. ३८ की धारा ३५क में निवेशन।

२०. मूल अधिनियम की धारा ३५ के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

संस्था के प्रबंधमंडल का परिवर्तन या अंतरण।

" ३५क. (१) संस्था के प्रबंधमंडल के परिवर्तन या अंतरण के लिए सरकार की अनुमति चाहनेवाला प्रबंधमंडल, बोर्ड या, यथास्थिति, विनियामक प्राधिकरण द्वारा घोषित अनुसूची के अनुसार बोर्ड के सचिव को, बोर्ड या, यथास्थिति, विनियामक प्राधिकरण द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसे प्ररुप में आवेदन करेगा ।

(२) अनुसूची में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्राप्त सभी ऐसे आवेदन बोर्ड द्वारा संवीक्षित किए जायेंगे और उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर सरकार को अग्रेषित करेगा तथा चाहे आवश्यकता होने पर विनियामक प्राधिकरण को भी अग्रेषित करेगा ।

(३) सरकार, अनुमति चाहनेवाले प्रबंधमंडल की यथोचितता को ध्यान में लेकर उसके पूर्णतः विवेक में जिसे वह सही और उचित समझे ऐसी संस्था को अनुमति दे सकेगा ।"।

सन् १९९७ का महा. ३८ की धारा ३७ में संशोधन।

२१. मूल अधिनियम की धारा ३७ में, उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

" (४) बोर्ड को वर्तमान वर्ष के निधियों से या पूर्ववर्ती वर्ष के जमा अधिशेष से अलग निधिया या नवीन विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए निधि को निरंतर करने की शक्ति होगी, जैसे छात्र विकास क्रियाकलाप, छात्र अध्येतावृत्ति, परियोजना प्रतियोगिता, उद्यम उद्भवन और अभिनव सिविल कार्य, कर्मचारी सुरक्षा निधि, कौशल्य केंद्र और उत्कर्षता केंद्र की संस्थापना और विकास करने के लिए सीमित नहीं होगी ।

सन् १९९७ का महा. ३८ की धारा ३८ में संशोधन ।

२२. मूल अधिनियम की धारा ३८ के स्थान में, निम्न धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

निधि की प्रयुक्ति।

" **३८.** (१) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, बोर्ड का निधि इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट मामलों से संलग्न प्रभारों तथा व्यय की अदायगी करने के लिए प्रयुक्त होगा और किन्ही अन्य प्रयोजनों, जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन बोर्ड पर शक्तियाँ प्रदत्त की गई है या कर्तव्य अधिरोपित किए गए है, के लिए प्रयुक्त होगा ।

(२) धारा ३७ में तथा उप-धारा (१) में निर्देशित निधियों की प्राप्ति और संचयन के पश्चात्, निधि में जमा शेष रक़म का हिस्सा निम्न सभी या किन्ही प्रयोजनों के लिए समय-समय से शासी परिषद की पूर्व मंजूरी से बोर्ड द्वारा उपयोग में लाया जा सकेगा, अर्थात् :—

(एक) बोर्ड की सम्पति का विकास करना और बोर्ड के प्रयोजनों के लिए चल तथा अचल सम्पति का अर्जन करने ;

(दो) बोर्ड के लिए भवन का संनिर्माण करने ;

(तीन) सरकारी बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) को नमुना पॉलिटेक्निक या उत्कर्षता केंद्र के रुप में या सरकारी बहुशिल्पी (पॉलिटेक्निक) पर विनिर्दिष्ट प्रयोगशालाओं के प्रबंधन के लिए :

परंतु, उपर्यूक्त प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय वर्ष में उपयोग किया गया निधि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समग्र निधि में शेष रकम के २५ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परंतु आगे यह कि, ऐसे पच्चीस प्रतिशत के पचास प्रतिशत से अधिक की रक़म उस वित्तीय वर्ष में एकल परियोजना पर उपयोग में नहीं लाई जायेगी ।"।

२३. मूल अधिनियम की धारा ४६ की उप-धारा (३), अपमार्जित की जायेगी । सन् १९९७ का महा. ३८ की धारा ४६ में संशोधन ।

२४. मूल अधिनियम की धारा ४७ की, उप-धारा (१), अपमार्जित की जायेगी । सन् १९९७ का महा. ३८ की धारा ४७ में संशोधन ।

२५. मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूचि के स्थान में, निम्न अनुसूची, रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् १९९७ का महा. ३८ की अनुसूची की प्रतिस्थापना ।

" अनुसूची

देखिए धारा २ (ञ)

अ. क्र.	प्रदेश	क्षेत्र
१	अमरावती	अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम और यवतमाल।
२	छत्रपति संभाजीनगर	बीड, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड, और परभणी.
३	मुंबई	मुंबई, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग.
४	नागपुर	भंडारा, चंद्रपूर, गढ़चिरोली, गोंदिया, नागपुर और वर्धा.
५	नाशिक	अहमदनगर, धुलिया, जलगांव, नंदुरबार और नाशिक.
६	पूणे	कोल्हापूर, पूणे, सांगली, सातारा और सोलापूर। "।

२६. (१) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधो को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, सरकार जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, किसी बात को कर सकेगी, जो उस कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो : कठिनाई के निराकरण की शक्ति ।

परंतु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि अवसित होने के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा ।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. XXIII OF 2023.

THE MAHARASHTRA GOSEVA AYOG ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २७ अप्रैल २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधी विधान)
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXIII OF 2023.

AN ACT TO CONSTITUTE GOSEVA AYOG FOR THE PRESERVATION, PROTECTION AND WELFARE OF CATTLE, AND FOR SUPERVISION OF INSTITUTIONS ENGAGED THEREIN, IN THE STATE OF MAHARASHTRA AND TO PROVIDE FOR THE MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २८ अप्रैल २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में पशुओं का परिरक्षण, संरक्षण और कल्याण करने तथा उससे जुड़ी संस्थाओं का पर्यवेक्षण करने के लिए गोसेवा आयोग की गठन करने और उससे संबंधित तथा तत्संबंधी अनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में पशुओं का परिरक्षण, संरक्षण और कल्याण करने और उससे जुड़ी संस्थाओं का पर्यवेक्षण करने के लिए गोसेवा आयोग का गठण तथा उससे संबंधित या तत्संबंधी अनुषंगित मामलों के लिए उपबंध करना इष्टकर हैं ; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र गोसेवा आयोग अधिनियम, २०२३ कहलाए ।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

सन् १९७५ का महा. १६।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएँ।

(क) " पशु " का तात्पर्य स्वदेशी (देशी) नस्ल की गायें, बैल, बैलों और गाय के बच्छडा से है और उसमे २ वर्णन नही किए गए नस्ल का भी समावेश है ;

(ख) " अध्यक्ष " का तात्पर्य, आयोग के अध्यक्ष से हैं ;

(ग) " गोसेवा आयोग " या " आयोग " का तात्पर्य, धारा ३ के अधीन गठित महाराष्ट्र गोसेवा आयोग से है ;

सन् १९५० का २९। सन् १८६० का २१। सन् १९६१ का महा. २४। सन् २०१३ का १८।

(घ) " संस्था " का तात्पर्य, पशुओं के परिरक्षण, संरक्षण और उसके कल्याण के प्रयोजनों के लिये व्यस्त और बीमार, वृद्ध और रोगग्रस्त पशुओं का अधिग्रहण, संरक्षण, निगराणी, प्रबंधन और इलाज के प्रयोजन के लिए पशुओं की देखरेख, प्रजनन, पालन-पोषण और बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास संस्था, या संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० या कम्पनी अधिनियम, २०१३ के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्था, और तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन रजिस्ट्रीकृत उनके संघ या संघटन या अन्यथा शामिल हैं ;

(ङ) " सदस्य " का तात्पर्य, गोसेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष सम्मिलित है ;

(च) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन गोसेवा आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विहित, से है ;

(छ) " विनियम " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन गोसेवा आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों से है ;

(ज) " नियम " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों से है ;

(झ) " राज्य सरकार " या " सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य सरकार से है ।

अध्याय दो

गोसेवा आयोग

३. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए महाराष्ट्र गोसेवा आयोग के रुप में जाना जानेवाला एक निकाय गठित करेगी । गोसेवा आयोग की संस्थापना और निगमन।

(२) गोसेवा आयोग उपर्युक्त नाम द्वारा निगमित निकाय होगा, वह शाश्वत उत्तराधिकारी होगा, और उसकी सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे चल तथा अचल दोनों सम्पत्ति का अर्जन, धारण और निपटारा करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम द्वारा वाद चलायेगा या उसपर वाद चलाया जा सकेगा।

(३) गोसेवा आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान में होगा जैसा विहित किया जायेगा।

(४) गोसेवा आयोग निम्न सदस्यों से मिलकर गठित होगा, अर्थात् :—

(क) सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जानेवाला खंड(त) में विनिर्दिष्ट एक अशासकीय सदस्य	अध्यक्ष ;
(ख) पशुपालन आयुक्त	**पदेन** सदस्य ;
(ग) कृषि आयुक्त	**पदेन** सदस्य ;
(घ) दुग्धविकास आयुक्त	**पदेन** सदस्य ;
(ङ) परिवहन आयुक्त	**पदेन** सदस्य ;
(च) पुलिस उप-महानिरीक्षक से अनिम्न श्रेणी का, पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नामित एक अधिकारी	**पदेन** सदस्य ;

(छ) पशुपालन संयुक्त सचिव या उप सचिव, **पदेन** सदस्य ;

(ज) उप-पूर्त आयुक्त से अनिम्न श्रेणी का, पूर्त आयुक्त द्वारा नामित एक अधिकारी **पदेन** सदस्य ;

(झ) उप सचिव से अनिम्न श्रेणी का, ग्राम विकास विभाग द्वारा नामित एक अधिकारी, **पदेन** सदस्य ;

(य) उप सचिव से अनिम्न श्रेणी का, वित्त विभाग द्वारा नामित एक अधिकारी, **पदेन** सदस्य ;

(ट) उप सचिव से अनिम्न श्रेणी का, नगर विकास विभाग द्वारा नामित एक अधिकारी, **पदेन** सदस्य ;

(ठ) उप सचिव से अनिम्न श्रेणी का, गृह विभाग द्वारा नामित एक अधिकारी, **पदेन** सदस्य ;

(ड) उप सचिव से अनिम्न श्रेणी का, वन विभाग द्वारा नामित एक अधिकारी, **पदेन** सदस्य ;

(ढ) निदेशक (विस्तार), महाराष्ट्र पशु तथा मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नागपूर, **पदेन** सदस्य ;

(ण) निदेशक (विस्तार), महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुरी या चारा विकास के क्षेत्र में विशेषता रखनेवाले निदेशक (विस्तार) द्वारा नामित एक अधिकारी, **पदेन** सदस्य ;

(त) गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) या गोसदन, गोशाला, पांजरपोल और गोरक्षण संस्था आदि., या उनके परिसंघ या संघ के प्रतिनिधि या नौ गैर-सरकारी व्यक्तियाँ जो सरकार की राय में एक या अधिक निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुभव रखते है उन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा :– सदस्य ;

(एक) मवेशी कल्याण ;

(दो) पशु प्रबंधन ;

(तीन) पशुचिकित्सा विज्ञान ;

(चार) दुग्धोद्योग विकास या दुग्धोद्योग प्रोद्योगिकी ;

(पाँच) जैवप्रविधि और जैव विविधिता ;

(छह) विपणन ;

(सात) विधि ;

(आठ) सामाजिक कार्य ; या

(नौ) आधुनिक प्रोद्योगिक, प्रसंस्करण उद्योग और विभिन्न आधुनिक साथ ही साथ भारतीय पद्धति के अधीन उपचार।

(य) सरकार द्वारा नामित पशुपालन के संयुक्त आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न का एक अधिकारी। सदस्य सचिव।

(५) गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति, जिस दिनांक को उनके नाम **राजपत्र** में प्रकाशित किये जायेंगे उस दिनांक से प्रभावी होंगे।

(६) संयुक्त आयुक्त, पशुपालन का पद, ऐसे सृजित किया जायेगा, जो गोसेवा आयोग के सचिव के रुप में उसके कर्तव्य निर्वहन कर रहा है।

(७) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है या अध्यक्ष अनुपस्थित है तब, आयुक्त, पशुपालन, अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा।

गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि तथा भत्ते।

४. (१) सरकार की इच्छा के अधीन, गोसेवा आयोग के अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्य, **राजपत्र** में अधिसूचित दिनांक से तीन वर्षो की पदावधि तक पद धारण करेंगे, जबतक कि राज्य सरकार द्वारा पूर्वतर समाप्त नहीं की जाती है।

(२) गैर-सरकारी सदस्य, विहित किये जाये ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे।

(३) गैर-सरकारी सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित करके लिखित में उसके पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

निरर्हता।

५. कोई व्यक्ति, अध्यक्ष, या, यथास्थिति, सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने हेतु या निरंतर रहने हेतु निरर्ह होगा, यदि वह,–

(क) वह भारत का नागरिक नहीं हैं ;

(ख) वह इक्कीस वर्ष की आयु पूरा नहीं कर रहा है ;

(ग) वह विकृत चित्त का है या सक्षम न्यायालय द्वारा इसप्रकार घोषित किया गया है ;

(घ) नैतिक अधमता से अर्न्तग्रस्त किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है ;

(ङ) सरकारी सेवा से हटाया गया है या निलंबित किया गया है ; और

(च) दिवालिया हो चुका है।

गैर-सरकारी सदस्यों को हटाना।

६. (१) राज्य सरकार, किसी गैर-सरकारी सदस्य को हटा सकेगा, जो उसकी राय में,—

(क) धारा ५ के अधीन निरर्हित हुआ है ;

(ख) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने के लिये अक्षम होना ;

(ग) वह, छुट्टी पाये बिना गोसेवा आयोग से अनुपस्थित है, गोसेवा आयोग की तीन क्रमवर्ती बैठकों में अनुपस्थित है ; या

(घ) वह, राज्य सरकार की राय में इसप्रकार अध्यक्ष या सदस्य के पद का दुरुपयोग किया है, जिससे पद पर उसे निरंतर रहना गोसेवा आयोग के हितों में अहितकारक है।

(२) उप-धारा (१) के अधीन हटाने का कोई भी आदेश नहीं बनाया जायेगा, जब तक गैर-सरकारी सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाता है ; और जब इसप्रकार सदस्य को पद से हटाने का आदेश पारित किया जाता है वह रिक्त समझा जायेगा।

(३) सदस्य जो उप-धारा (१) के अधीन इस प्रकार हटाया जाता है वह गोसेवा आयोग के सदस्य के रुप में पुन:नियुक्ति के लिये या किसी अन्य क्षमता के लिये पात्र नहीं होगा।

आकस्मिक रिक्ति।

७. (१) किसी गैर-सरकारी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र, निरर्हता या हटाने से कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो वह यथाशक्य भरी जायेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन नियुक्त सदस्य, केवल उस समय तक जब तक सदस्य के रूप में जिसके स्थान पर उस पद के लिये नियुक्त किया गया है यदि वह रिक्ति उपगत नहीं होती तब तक की अवधि तक पद धारण करेगा।

गोसेवा आयोग की बैठकें।

८. (१) गोसेवा आयोग वर्ष में कम से कम चार बार बैठके लेगा और कार्यवृत्त बही में उसकी कार्यवाहियों का अभिलेख रखेगा।

(२) गोसेवा आयोग की बैठकें, अध्यक्ष द्वारा आयोजित और अध्यक्षता के अधीन होगी।

(३) इस अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन गोसेवा आयोग उसकी बैठकों में (कोरम की गणपूर्ती समेत) कारोबार के संव्यवहार संबंधी ऐसी प्रक्रिया का अवलोकन करेगा।

रिक्ति की कार्यवाहियों में अवैध नहीं होगीं।

९. गोसेवा आयोग का कोई भी कृत्य या कार्यवाही, केवल इस आधार पर अवैध नहीं होगी कि गोसेवा आयोग के किसी रिक्ति की विद्यमानता या गठन में कोई त्रुटी है।

१०. इस निमित्त बनाने जाये ऐसे नियमों के अध्यधीन, राज्य सरकार, इस अधिनियम अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के अधीन उसके कृत्यों का कारगरता से निर्वहन करने के लिए, गोसेवा आयोग को समर्थ करने के प्रयोजनों के लिये जैसा कि वह आवश्यक समझें ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को ऐसी संख्या मुहैया करेगा।

गोसेवा आयोग के कृत्य।

११. गोसेवा आयोग, निम्न कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :–

(क) इस अधिनियम के अधीन संस्था को रजिस्टर करना ;

(ख) तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन मवेशीयों कों दी गई सुरक्षा की सुनिश्चिति करना ;

(ग) गोसदन, गोशाला, पांजरपोल और गोरक्षण संस्था के विकास के लिये राज्य सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं के उचित और समयपूर्ण कार्यान्वयन की सुनिश्चिति करना ;

(घ) विशेषतः महाराष्ट्र राज्य के भारतीय नस्ल के मवेशीयों के विकास में संस्थाओं की सक्रीय सहभागिता की सुनिश्चिति करना ;

(ङ) मवेशीओं की स्वास्थ्य सुरक्षा उन्नत करना ;

(च) तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के उल्लंघन के लिये अभिग्रहित मवेशी की देखभाल और प्रबंधन की सुनिश्चिति करना ;

(छ) किसी संस्था द्वारा अनुरक्षित दुर्बल, वृध्द या बीमार मवेशी के उचित प्रबंधन, देखभाल और सुरक्षा की सुनिश्चिति करना ;

(ज) मवेशी प्रबंधन संबंधी किसानों और अन्य पणधारियों के लिये जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की सुनिश्चित्ति करना ;

(झ) भारतीय नस्ल के मवेशीयों के संवर्धन और विकास में संस्थाओं की सक्रिय सहकरिता के कार्यान्वयन की सुनिश्चिति करना ;

(ञ) महाराष्ट्र राज्य की गोवंश नस्ल नीति के कार्यान्वयन की सुनिश्चिति और मनिटरींग करना ;

(ट) संस्थाओं का पर्यवेक्षण और निरिक्षण करना ;

(ठ) चारा और चारा-बीज के सुधारित प्रकारों की जुताई और उत्पादन और चरागाह विकास की किस्म सुधार उपज की उन्नत करना ;

(ड) महाराष्ट्र पशु और मत्स्म विज्ञान विश्वविद्यालय, नागपुर और अन्य अनुसंधान संस्थामें जो मवेशी और चारा विकास कार्यक्रमों का संव्यवहार करतें है उनकें साथ समन्वय करना और नवीन वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी को स्वीकृत करने के लिये संस्थाओं के सक्रिय सहभागिता की सुनिश्चिति करना ;

(ढ) विश्वविद्यालय और अन्य अनुसंधान संस्थाओं के साथ समन्वयन करके विकास करना और नस्ल सुधार, चारा विकास और गोबर, मूत्र, बायोगॅस आदि., पर आधारित उद्योगों के लिये नवीन वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी स्वीकृत करने हेतु उनका समर्थन करना ;

(ण) ऐसे उपायों का सुझाव देना जो संस्थायें आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें मजबूत करने में मददगार हो;

(त) संस्थांओं को वित्तिय सहायता देना;

(थ) किन्ही संस्थाओं का चलाए जाने संबंधी शिकायतों की जाँच करना;

(द) मवेशीयों केसाथ क्रुरता से बर्ताव करने की रोकथाम क्रियाकलापों का पुनरीक्षण करना;

(ध) पशुओं के साथ क्रुरता से बर्ताव करने की रोकथाम के लिए जिला संस्थाओं का क्रियाकलापों पुनरीक्षण करना;

(न) इस अधिनियम के उपबंधों तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन की सुनिश्चिति करना ; और

(प) ऐसे अन्य कार्यों का पालन करना जैसा कि विहित किया जाये।

अध्याय तीन

संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण

१२. (१) प्रत्येक संस्था, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए एक ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसी विशिष्टियाँ अंतर्विष्ट जैसा कि विहित किया जाए, ऐसी संस्था द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित एक आवेदन गोसेवा आयोग को प्रस्तुत करेगा,- संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण और उनके लेखाओं का लेखापरिक्षण।

(क) इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर ऐसे दिनांक को विद्यमान संस्था के मामले में; और

(ख) इस अधिनियम के प्रारंभण को दिनांक के पश्चात्, जिस दिनांक को संस्था स्थापित की गई है उस दिनांक से तीन महीने की अवधि के भीतर करेगा।

(२) आवेदन, विहित की जाये ऐसी फीस द्वारा संलग्न होगा।

(३) गोसेवा आयोग, वह आवश्यक समझें ऐसी जाँच के पश्चात् विहित किए जाये ऐसे प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(४) गोसेवा आयोग, विहित किये जाये ऐसे प्ररूप में रजिस्ट्रीकृत संस्था का रजिस्टर बनाये रखेगा।

(५) यदि, उप-धारा (४) के अधीन यथा विहित रजिस्टर में अभिलिखित संस्था से संबंधित किन्हीं विशिष्टियों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो संस्था की ओर से कार्य करनेवाला व्यक्ति, गोसेवा आयोग को परिवर्तन की रिपोर्ट सोंपेगा आयोग, ऐसी जाँच(यदि कोई) जिसे वह उचित समझे करने के पश्चात्, रजिस्टर में आवश्यक परिवर्तन करेगा।

(६) प्रत्येक संस्था के लेखें, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये जायेंगे। प्रत्येक वर्ष का संतुलन मार्च के तीसवें दिन को और उसके लेखें विहित प्ररूप में हर वर्ष संपरीक्षित किये जायेंगे।

१३. गोसेवा आयोग का इस निमित्त सम्यक् रुप से प्राधिकृत उसके कोई अधिकारी, इस अधिनियम या तद्धीन बनाने गये नियमों के कार्यान्वयन की सुनिश्चिति के प्रयोजनों के लिए संस्थाओं के किसी परिसर जाकर या उसमें के किसी अभिलेखों की जाँच कर सकेगा। निरीक्षण।

अध्याय चार

वित्त, लेखा तथा संपरीक्षा

१४. (१) गोसेवा आयोग का "गोसेवा आयोग निधि" नामक एक निधि होगा, जिसमें आयोग द्वारा प्राप्त सभी राशियाँ जमा की जायेगी, जिसमें सरकार द्वारा दी गयी निधियाँ प्राप्त फीस और किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिये गये दान, उपहार और वसीयतें सम्मिलित होंगी। गोसेवा आयोग निधि।

(२) गोसेवा आयोग की समस्त निधियाँ एक राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी और वह इस निमित्त लिखित में आयोग द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यक्ति द्वारा परिचलित किया जायेगा।

लेखा तथा लेखा संपरीक्षा।

१५. (१) गोसेवा आयोग महाराष्ट्र महालेखाकार के परामर्श में विहित किया जाये ऐसे प्रारूप में उचित लेखा और अन्य सुसंगत लेखा बनाए रखेगा और लेखा रिपोर्ट तैयार करेगा।

(२) गोसेवा आयोग का लेखा, महालेखाकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाये ऐसे अंतरालों पर महालेखाकार द्वारा संपरीक्षित किया जायेगा और ऐसी लेखा संपरीक्षा संबंधी कोई व्यय आयोग द्वारा वहन किया जायेगा।

(३) इस अधिनियम के अधीन गोसेवा आयोग के लेखाओं की लेखा संपरीक्षा के संबंध में महालेखाकार द्वारा नियुक्त किये गये महालेखाकार या कोई व्यक्ति को वही अधिकार और विशेषाधिकार होंगे और ऐसी लेखा संपरीक्षा संबंधी होगे और विशेषतः उसे गोसेवा आयोग को उत्पादन वही, लेखा, संबंधित वाऊचर और अन्य दस्तावेज तथा कागजात की माँग करने का और गोसेवा आयोग के किसी भी कार्यवाहियों की जाँच का विशेषाधिकार होगा।

वार्षिक रिपोर्ट।

१६. गोसेवा आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे प्ररूप में और ऐसी दिनांक द्वारा जैसा कि विहित किया जाये, पुर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान की उसके क्रियाकलापों के संपूर्ण लेखाओं की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और विहित दिनांक से एक महीने के भीतर सरकार को एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।

आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही।

१७. (१) धारा १६ के अधीन प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति पर, सरकार उस पर ऐसी कार्यवाही करेगा जैसा कि वह उचित समझें।

(२) सरकार को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की प्रतिलिपि, उसपर उप-धारा (१) के अधीन सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के रिपोर्ट के साथ, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जायेगी।

अध्याय पाँच

विविध

रिपोर्ट, विवरणियाँ आदि की माँग करने की राज्य सरकार की शक्ति।

१८. सरकार, गोसेवा आयोग से वह आवश्यक समझे ऐसे समय-समय पर, ऐसे रिपोर्ट, विवरणियाँ, कथन के लियें माँग कर सकेगा।

अभिलेखों को मंगाने की आयोग की शक्ति।

१९. इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का अनुपालन करने के लिये गोसेवा आयोग को समर्थ बनाने के उद्देश्य से, आयोग, सरकार के किसी विभाग या किसी निकाय या प्राधिकरण या किसी संस्था से सूचना या रिपोर्ट माँग सकेगा और विभाग या निकाय या प्राधिकारी या, यथास्थिती, संस्था, जल्द ही यथा साध्य आयोग के ऐसे अनुरोध का पालन करेगा।

निदेश देने की शक्ति।

२०. सरकार, समय-समय पर, लोकहित में और गोसेवा आयोग के बेहतर और प्रभावी प्रशासन के लिये, आवश्यक समझे ऐसे निदेश आयोग को देगी; और गोसेवा आयोग, ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

अपील।

२१. (१) धारा २२ के अधीन या इस अधिनियम के अधीन पारित किसी अन्य आदेश के अधीन गोसेवा आयोग द्वारा कोई पारित किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, उसकी संसूचना के दिनांक से साठ दिनों के भीतर सरकार को अपील प्रस्तुत कर सकेगी।

(२) ऐसे अपील की प्राप्ति पर, सरकार, अपीलकर्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् जैसा उचित समझे ऐसा आदेश पारित करेगी।

(३) इस धारा के अधीन सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक आदेश अंतिम होगा।

शास्ति।

२२. (१) यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस अधिनियम या तद्धीन बनाऐ गए नियमों के उपबंधो का उल्लंघन करता है या ऐसे उपबंधों के उल्लंघन में बनाऐ गए किसी आदेश का अनुपालन करता है, तो गोसेवा आयोग, वह उचित समझें ऐसी जाँच करने के पश्चात् और व्यक्ति या संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् दस हजार रूपये तक बढाया जा सके ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(२) शास्ति की रकम यदि साठ दिनों के भीतर यदि भुगतान नहीं की जाती है तो, भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली जायेगी।

सन १८६० का ४५। **२३.** गोसेवा आयोग के सभी सदस्य और अधिकारी इस अधिनियम के किन्ही उपबंधों या तद्धीन बनाऐ गए नियमों के अनुसरण में कार्य करते हैं या कार्य करने के लिये आशयित है तो वह, भारतीय दंड संहिता की धारा २१ के अर्थान्तर्गत लोकसेवक होंगे। गोसेवा आयोग के सदस्य लोकसेवक होंगे।

२४. इस अधिनियम के अधीन सद्भावकपूर्वक कृत या किऐ जाने के लिये अशयित किसी बात के होते हुए भी गोसेवा आयोग के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ संस्थित नहीं की जाऐगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण।

२५. गोसेवा आयोग, समय-समय पर, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाऐ गऐ नियमों से अनअसंगत, विनियम द्वारा इस अधिनियम के अधीन उपबंधित समस्त किसी मामलों के लिऐ विनियम बना सकेगा। विनियम बनाने की शक्ति।

२६. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यशासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो कि चाहे एक सत्र में हो या दो आनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि, उस सत्र के, जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया हो, या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए, सहमत हों कि नियम न बनाया जाये, और उस प्रभाव का अपना विनिश्चय **राजपत्र** में अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जाएगा ; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई या किये जाने से छोडी गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

२७. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्‌भूत हों **राजपत्र** में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत कोई बात कर सकेगी जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो : कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति।

परंतु, ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं बनाया जायेगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXIV OF 2023.

THE MAHARASHTRA FIRE PREVENTION AND LIFE SAFETY MEASURES (AMENDMENT) ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १० मई, २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधी विधान)
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXIV OF 2023.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA FIRE PREVENTION AND LIFE SAFETY MEASURES ACT, 2006

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ११ मई २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, २००६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, २००६ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :— सन् २००७ का महा. ३।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ। **१.** (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपाय (संशोधन) अधिनियम, २०२३ कहलाए।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

२. महाराष्ट्र अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, २००६ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा २, के,— सन् २००७ का महा. ३ की धारा २ में संशोधन।

(१) खण्ड (१) में के **स्पष्टीकरण** के स्थान में, निम्न **स्पष्टीकरण** रखा जायेगा, अर्थात् :—

" **स्पष्टीकरण**.—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, " भवन " अभिव्यक्त में अस्थायी तौर पर और समारोह के समय बनाए गए अस्थायी संरचना जैसे कि तंबू, शामियाना और तिरपाल छज्जा शामिल है ;";

(२) खण्ड (४) में, " अग्नि सेवाएँ " शब्दों के स्थान में " अग्नि और आपात काल सेवाएँ " शब्द रखे जायेंगे ;

(३) खण्ड (४) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा :—

" (४क) " अग्नि और आपातकाल सेवाएँ " का तात्पर्य, जहाँ जीवन या सम्पत्ति कोई स्थानीय प्राधिकरण या योजना प्राधिकरण जोखिम में है ऐसी मानवनिर्मित या नैसर्गिक आपदा या कोई संभाव्य परिणामिक घटना के मामले में या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य ऐसे प्राधिकरण द्वारा दी गई आवश्यक सेवाओं से है।";

(४) खण्ड (५) में " भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, २००५ " शब्दों तथा अंकों के स्थान में, " भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता " शब्द रखे जायेंगे ;

(५) खण्ड (६) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात,—

"(६) " अनुज्ञप्ति प्राप्त अभिकरण " का तात्पर्य, अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों को हाथ में लेने या निष्पादित करने के लिए या इस अधिनियम के अधीन कार्यान्वित किए जाने के लिए आवश्यक ऐसे अन्य संबंधित क्रियाकलापों के अनुपालन करने के लिए निदेशक द्वारा अनुज्ञप्ति दी गई व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ से है ;";

(६) खण्ड (८) में, " भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, २००५" शब्दों और अंकों के स्थान में, " भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता " शब्द रखे जायेंगे ;

(७) खण्ड (९) में, " और स्थानीय प्राधिकरण या योजना प्राधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किन्ही अधिकारी का समावेश होगा " शब्दों के स्थान में " या स्थानीय प्राधिकरण या योजना प्राधिकरण " शब्द रखे जायेंगें।

(८) खण्ड (१४) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(१४) " सुसंगत नगरपालिका विधि " का तात्पर्य,—

सन् १८८८ का ३। (क) मुंबई नगर निगम अधिनियम ;

सन् १९४९ का ५९। (ख) महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम ;

सन् १९६५ का ४०। (ग) महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ;"।

३. मूल अधिनियम की धारा ३ की,— सन् २००७ का महा. ३ की धारा ३ में संशोधन।

(१) उप-धारा (१) में,—

(क) " उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना " शब्दों से प्रारंभ होनेवाले और " इस अधिनियम के उपबंधों या नियमों " शब्दों से समाप्त होनेवाले भाग के स्थान में निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

" **अनुसूची-एक** में यथा वर्गीकृत किसी भवन या किसी ऐसे भवन के भाग के लिए अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों,

विनियमों या उप-विधियों या भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता को प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भवन का स्वामि, या जहाँ स्वामि का पता लगाने योग्य नहीं है, भवन का अधिभोगी संबंधित स्थानीय प्राधिकरण या योजना प्राधिकरण के मुख्य अग्नि रोकथाम अधिकारी से और जहाँ ऐसे क्षेत्र में या स्थानीय प्राधिकरण या योजना प्राधिकरण की सीमा के बाहर क्षेत्र में मुख्य अग्नि रोकथाम अधिकारी नहीं है वहाँ निदेशक, स्वामि या अधिभोगी से आवश्यक अनंतिम अग्नि सुरक्षा अनुमोदन या अंतिम अग्नि सुरक्षा अनुमोदन या, यथास्थिति, अग्नि सुरक्षा अनुमोदन का नवीकरण प्राप्त करेगा और भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता के भाग ४ में या उसके किसी संबंधित भाग में और तत्समय प्रवर्तन यथा प्रयुक्ति के अनुसूची में न्यूनतम विहित से कम न हो इस अधिनियम के उपबंधों या नियमों के अनुसरण में, सभी समय पर अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों की सभी काल सुस्थिति में और कार्यक्षम स्थिति में बनाए रखेगा :";

(ख) परंतुक के पश्चात् **स्पष्टीकरण** के स्थान में, निम्न **स्पष्टीकरण,** रखा जायेगा, अर्थात् :—

" **स्पष्टीकरण.—**इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) " अनंतिम अग्नि सुरक्षा अनुमोदन " का तात्पर्य, भवन नक्षा का अनुमोदन और उसके संनिर्माण के पूर्व के समय पर, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए नियमों द्वारा या के अधीन यथा उपबंधित अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों के अनुसार, संबंधित स्थानीय प्राधिकारी या योजना प्राधिकारी के मुख्य अग्नि रोकथाम अधिकारी के निदेशक द्वारा दी गई सिफारिश, से है ;

(ख) " अंतिम अग्नि सुरक्षा अनुमोदन " का तात्पर्य, समुचित प्राधिकरण द्वारा भवन का पूर्णता प्रमाणपत्र या अधिभोगी प्रमाणपत्र देने के पूर्व, अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपाय अनंतिम अग्नि सुरक्षा अनुमोदन के उपबंधों के अनुसरण में है, के अभिनिश्चयन के पश्चात्, संबंधित स्थानीय प्राधिकारी या योजना प्राधिकारी के मुख्य अग्नि रोकथाम अधिकारी के निदेशक द्वारा जारी प्रमाणपत्र, से है ;

(ग) " नवीकरण किया गया अंतिम अग्नि सुरक्षा अनुमोदन " का तात्पर्य संबंधित स्थानीय प्राधिकारी या योजना प्राधिकारी के निदेशक या मुख्य अग्नि रोकथाम अधिकारी के निदेशक द्वारा जारी नवीकरण प्रमाणपत्र, से है :

परन्तु, नवीकरण प्रमाणपत्र सुसंगत अधिनियमों, नियमों, के अनुसार यदि आवश्यक या अनिवार्य है तो उक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा ।";

(२) उप-धारा (१क) के पश्चात् निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (१ख) इस अधिनियम की उप-धारा (१) या किन्ही अन्य उपबंधों या तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किसी अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) भवन की उँचाई ३० मीटर से उपर है परंतु ४५ मीटर से अधिक उँचाई नहीं है ऐसे भवन अनुसुची-एक में (ख) के रूप में विनिर्दिष्ट अधिभोगींयो के मामले में, अर्थात् शैक्षिक भवन के मामले में यदि ऐसा भवन संबंधित अग्नि सुरक्षा अनुमोदन में सिफारिश किए और अनुसूचि एक में निर्दिष्ट न्यूनतम से कम नहीं है अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करता है तो वह अनुज्ञा दी जा सकेगी ;

(ख) नगर निगम और विशेष योजना प्राधिकरण की सीमा से बाहर का क्षेत्र में अनुसूची एक में (ख) के रूप में उँचाई में ३० मीटर से अधिक के भवनों के मामलों में, अर्थात् शैक्षणिक भवनों के मामले में, यदि संबंधित अग्नि सुरक्षा अनुमोदन में यथा सिफारिश किए गए अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों की

न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करनेवाले ऐसे भवन और जो अनुसूचि एक में निर्दिष्ट अग्नि रोकथाम प्रतिष्ठापन के लिए न्यूनतम आवश्यकता से अनिम्न नहीं है, को ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने की उनकी माँग पर आग बुझाने वाले यंत्र को मंजूर करने के लिए प्राधिकरण को राज्य सरकार अनुमति देने के लिए सक्षम बना सकेगी ;

(१ग) इस अधिनियम की उप-धारा (१) या किसी अन्य उपबंधों या तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ४५ मीटर तक बहुस्तरीय वाहन पार्किंग (एम. एल. सी. पी.) और तक के यांत्रिक/स्वचालित वाहन पार्किंग को छोड़कर भवन उँचाई में १५ मीटर से उपर है परंतु २४ मीटर से अधिक नहीं है। अनुसूचि एक में (ज) के रूप में विनिर्दिष्ट न्यूनतम भवन के एक तरफ स्वचालित १०० मीटर तक का संलग्न कार पार्किंग या स्टील स्ट्रक्चर या जैसे कि बॅटरी डिजेल जनरेटर (डी.जी.) सेट आदि के उपयोग के लिए उपयोग किए जानेवाले कोई अन्य संयंत्र अधिभोगियों के मामले में, अर्थात् गोदाम भवन के मामले में, यदि ऐसा भवन अनुसूचि-एक में विनिर्दिष्ट आग बुझाने वाले यंत्र को प्रतिष्ठापित करने की न्यूनतम आवश्यकता को पुरा करता है तो वह अनुज्ञा दी जा सकेगी। " ;

(३) उप-धारा (३) के पश्चात् निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात्,—

" (३क) धारा ४५ के अधीन यथा विनिर्दिष्ट भवन के लिए स्वामि या जहाँ स्वामि का पता लगाने योग्य नहीं है वहाँ पर भवन का अधिभोगी यह सुनिश्चित करेगा कि, संबंधित अग्नि सुरक्षा अनुमोदन में यथा सिफारिश की गई आग बुझानेवाली प्रणाली सुस्थिति में और पर्याप्त कार्य करने की स्थिति में है, कि सुनिश्चिति करने के लिए जैसा कि विहित किया जाए स्वचालित निरंतर मानिटरींग प्रणाली के साथ उपबंध किया गया है और यह विहित प्ररूप में अनुज्ञप्तिधारी अभिकरण द्वारा प्रमाणित किया जायेगा और जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीत्या में उसे संबंधित प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जायेगा।"।

४. मूल अधिनियम की धारा ९ में,— सन् २००७ का महा. ३ की धारा ९ में संशोधन।

(१) " मुख्य अग्नि सुरक्षा अधिकारी " शब्द जहाँ कहीं वे आए हों, के स्थान में, " निदेशक " शब्द रखा जायेगा ;

(२) उप-धारा (२) में " पाँच रुपयों का कोर्ट फी स्टाम्प " शब्दों के स्थान में " जैसा कोर्ट फी स्टाम्प विहित किया जाए " शब्द रखे जायेंगे ;

(३) उप-धारा (३) में " एक वर्ष " शब्दों के स्थान में " दो वर्ष " शब्द रखे जायेंगे ;

(४) उप-धारा (५) अपमार्जित की जायेगी।

५. मूल अधिनियम की धारा १० की उप-धारा (१) के परंतुक में, " मुख्य अग्नि रोकथाम अधिकारी " शब्दों के स्थान में " निदेशक " शब्द रखे जायेंगे। सन् २००७ का महा. ३ की धारा १० में संशोधन।

६. मूल अधिनियम की धारा ११ की,— सन् २००७ का महा. ३ की धारा ११ में संशोधन।

(१) उप-धारा (१) और (२) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

"(१) महाराष्ट्र अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपाय (संशोधन) अधिनियम, २०२३ के प्रारम्भण के दिनांक से प्रभावी और इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, स्थानीय प्राधिकरण या योजना प्राधिकरण के क्षेत्र के भीतर (जिसे इसमें आगे यथा अन्यथा उल्लिखित के सिवाय, इस अधिनियम में संपूर्णतः सामुहिक रूप से " प्राधिकरण " के रूप में निर्देशित किया गया है या अन्य क्षेत्र जिसको यह अधिनियम लागू है के भीतर अनुसूची दो (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में " उक्त अनसुची " कहा गया है) में यथा वर्गीकृत भवनों के सभी स्वामियों या, यथास्थिति, अधिभोगियों पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अग्नि सुरक्षा सेवा फीस उद्ग्रहीत की जायेगी। सन् २०२३ का महा.२४।

(२) किन्ही प्राधिकरण के क्षेत्र के भीतर और जिसे यह अधिनियम लागू है ऐसे क्षेत्र के भीतर स्थित भवन के प्रत्येक प्रकार के संबंध में ऐसी फीस का दर **अनुसूची-दो** में यथा विनिर्दिष्ट ऐसा होगा।";

(२) उप-धारा (३) में,—

(क) " प्राधिकरण को " शब्दों के स्थान में, " प्राधिकरण और जिस क्षेत्र को यह अधिनियम लागू है उस प्राधिकरणों की सीमा के बाहरी क्षेत्र में निदेशक कर सकेगा " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) परंतुक में,—

(एक) " प्राधिकरण को " शब्दों के स्थान मे, " प्राधिकरण, और जिस क्षेत्र को यह अधिनियम लागू है उस प्राधिकरणों की सीमा के बाहरी क्षेत्रों में निदेशक कर सकेगा " शब्द रखे जायेगें ;

(दो) " उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट न्यूनतम दर " शब्दों के स्थान सें " उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर " शब्द रखे जायेंगे ;

(३) उप-धारा (४) में,

(क) " प्राधिकरण " शब्दों के पश्चात्, " या निदेशक " शब्द निविष्ट किए जायेंगे ;

(ख)" अग्नि सुरक्षा सेवाएँ " शब्दों के स्थान में, " अग्नि सुरक्षा और आपातकाल सेवाएँ " शब्द रखे जायेंगे।

सन् २००७ का महा. ३ की धारा १२ में संशोधन।

७. मूल अधिनियम की धारा १२ में,—

(१) उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निर्विष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (१क) निदेशक को किसी आवेदन की प्राप्ति पर या **स्वप्रेरणा** से दर बढ़ने के पूर्व या बढा हुआ दर घटाने के पूर्व और ऐसी दर पर फीस उद्ग्रहीत करने के पूर्व प्रस्ताव को राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त करने के लिए आगे की कार्यवाही कर सकेगा " ;

(२) उप-धारा (२) में " प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् " या निदेशक " शब्द निविष्ट किये जायेंगे ;

(३) उप-धारा (३) के खण्ड (क) में, " प्राधिकरण " शब्दों के पश्चात्, " या निदेशक " शब्द निविष्ट किये जायेंगे ;

(४) सीमांत टिप्पणी में " प्राधिकरण " शब्दों के पश्चात् " या निदेशक " शब्द निविष्ट किए जायेंगे ।

सन् २००७ का महा. ३ की धारा १३ में संशोधन।

८. मूल अधिनियम की धारा १३ की,—

(१) उप-धारा (१) में " न्यूनतम फीस विनिर्दिष्ट " शब्दों से प्रारम्भ होनेवाले भाग के तथा " उक्त अनुसूची के भागों " शब्दों से समाप्त होनेवाले भाग के स्थान में " उक्त अनुसूची में भवन के प्रत्येक प्रकार के लिए विनिर्दिष्ट फीस" शब्द रखे जायेंगे ;

(२) उप-धारा (२) में, " प्राधिकरण को " शब्दों के स्थान में, " प्राधिकरण, और जिस क्षेत्र को यह अधिनियम लागू है उस प्राधिकरणों की सीमा के बाहरी क्षेत्रों में, निदेशक को " शब्द रखे जायेंगे।

९. मूल अधिनियम की धारा १४ की,— सन् २००७ का महा. ३ की धारा १४ में संशोधन।

(१) उप-धारा (१) में " प्राधिकरण " शब्दों, दोनों स्थानों पर जहाँ कहीं वे आया हों, " प्राधिकरण और जिस क्षेत्र को यह अधिनियम लागू है के प्राधिकरणों की सीमा के बाहरी क्षेत्रों में, निदेशक को " शब्द रखे जायेंगे ;

(२) उप-धारा (२) में, " प्राधिकरण " शब्द, जहाँ कही वे आए हों, के स्थान में, " प्राधिकरण, और जिस क्षेत्र को यह अधिनियम लागू है के प्राधिकरणों की सीमा के बाहरी क्षेत्रों में, निदेशक को " शब्द रखे जायेंगे ;

(३) उप-धारा (४) में " प्राधिकरण " शब्द, जहाँ कही वे आया हो, " प्राधिकरण और जिस क्षेत्र को यह अधिनियम लागू है के प्राधिकरणों की सीमा के बाहरी क्षेत्र में, निदेशक को " शब्द रखे जायेंगे ;

(४) उप-धारा (६) में, " प्राधिकरण " शब्द, जहाँ कहीं वे आया हों, के स्थान में " प्राधिकरण और जिस क्षेत्र को यह अधिनियम लागू है के प्राधिकरणों की सीमा के बाहरी क्षेत्रों में निदेशक को " शब्द रखे जायेंगे ;

(५) उप-धारा (७) के खण्ड (ख) में, " प्राधिकरण " शब्द, के स्थान में " प्राधिकरण और जिस क्षेत्र को यह अधिनियम लागू है के प्राधिकरणों की सीमा के बाहरी क्षेत्र में, निदेशक को ", शब्द रखे जायेंगे।

१०. मूल अधिनियम की धारा १६ की,– सन् २००७ का महा. ३ की धारा १६ में संशोधन।

(१) उप-धारा (१) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

" (१) जहाँ राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि, किसी प्राधिकारी या निदेशक की अग्नि सुरक्षा निधी की जमा रकम, अग्नि बुझानेवाले यंत्र और सम्पत्ति को खरीदने और उसे बनाए रखने तथा उसको बनाए रखने के लिए या अग्नि सुरक्षा और आपातकाल सेवाओं का उपबंध करने की आवश्यकताओं को पूरा करने या सामान्यतः आग बुझाने के परिचालन को प्रदर्शित करने के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों के पद निर्माण करने के लिए उपगत किए जानेवाले आवश्यक किसी व्यय को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है या यह कि ऐसी जमा रकम उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए आवश्यकताओं से अधिक है, तो राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, प्राधिकारी या निदेशक को, उक्त अधिसूचना में जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे दर पर, यदि कोई हो, फीस का दर बढाने या बढाई गई फीस को कम करने का आदेश दे सकेगी। " ;

(२) सीमांत टीप्पणी में " प्राधिकारी " शब्द के पश्चात् " या निदेशक " शब्द निविष्ट किए जायेंगे।

११. अध्याय पाँच में, " अग्नि रोकथाम सेवा निदेशक " शीर्षक के स्थान में, " अग्नि रोकथाम और आपातकाल सेवा निदेशक " शब्द रखे जायेंगे। सन् २००७ का महा. ३ का अध्याय ५ में संशोधन।

१२. मूल अधिनियम की धारा १८ की, सन २००७ का महा. ३ की धारा १८ में संशोधन।

(१) उप-धारा (१) में, " अग्नि रोकथाम सेवा निदेशक " शब्दों के स्थान में, " अग्नि रोकथाम और आपातकाल सेवा निदेशक " शब्द रखे जायेंगे ;

(२) उप-धारा (२) में, " अग्नि रोकथाम सेवा " शब्दों के स्थान में, " अग्नि रोकथाम और आपातकाल सेवा " शब्द रखे जायेंगे ।

१३. मूल अधिनियम की धारा १९, में — सन् २००७ का महा. ३ की धारा १९ में संशोधन।

(१) " उप-धारा (३) " शब्द, कोष्ठक और अंक अपमार्जित किए जाएंगे।

(२) " अग्नि रोकथाम सेवाएँ " शब्द, जहाँ कही वे आए हो, शब्दों के स्थान में, " अग्नि और आपातकाल सेवाएँ " शब्द रखे जायेंगे ।

१४. मूल अधिनियम की धारा २१ की,— सन् २००७ का महा. ३ की धारा २१ में संशोधन।

(१) उप-धारा (१) में " अग्नि रोकथाम सेवाएँ " शब्दों के स्थान में, " अग्नि रोकथाम और आपातकाल सेवाएँ " शब्द रखे जायेंगे ;

(२) सीमांत टिप्पणी में, " अग्नि रोकथाम सेवा " शब्दों के स्थान में, " अग्नि रोकथाम और आपातकाल सेवा " शब्द रखे जायेंगे ।

सन् २००७ का महा. ३ की धारा २२ में संशोधन।

१५. मूल अधिनियम की धारा २२ में,—

(१) " अग्नि रोकथाम सेवा " " अग्नि रोकथाम सेवा " " अग्नि रोकथाम सेवाएँ " या " अग्नि रोकथाम सेवा या सेवाएँ " शब्द जहाँ कही वे आए हो के स्थान में, " अग्नि रोकथाम और आपातकाल सेवाएँ " शब्द रखे जायेंगे ;

(२) सीमांत टिप्पणी में, " महाराष्ट्र अग्नि रोकथाम सेवा " शब्दों के स्थान में, " महाराष्ट्र अग्नि रोकथाम और आपातकाल सेवाएँ " शब्द रखे जायेंगे ।

सन् २००७ का महा. ३ की धारा २४ में संशोधन।

१६. मूल अधिनियम की धारा २४ में " अग्नि रोकथाम सेवाएँ " शब्दों के स्थान में, "अग्नि रोकथाम और आपातकाल सेवाएँ " शब्द रखे जायेंगे ;

सन् २००७ का महा. ३ की धारा २७ में संशोधन।

१७. मूल अधिनियम की धारा २७ की,—

(१) उप-धारा (१) में,—

(क) " अग्नि रोकथाम की" शब्दों के स्थान में, "अग्नि रोकथाम की या किसी आपातकाल सेवा की आवश्यकता " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) खण्ड (क) में, "आग बुझाने या जीवन या सम्पत्ति बचाने के लिये " शब्दों के स्थान में, " आग बुझाने या जीवन या सम्पत्ति बचाने के लिए किसी आपातकाल स्थिति को प्रतिसाद देने के लिए " शब्द रखे जायेंगे;

(ग) खण्ड (ख) में "आग बुझानेवाली " शब्दों के पश्चात् " या किसी आपातकाल सेवा को प्रतिसाद देने" शब्द निविष्ट किए जायेंगे ;

(घ) खण्ड (ग) में, " अग्नि भडक जाने पर " शब्दों के पश्चात् " या कोई आपातकाल स्थिति पर उद्भूत होती है तो " शब्द निविष्ट किए जायेंगे ;

(ड़) खण्ड (ड़) " अग्निशमन " शब्दों के पश्चात् " या कोई आपातकाल स्थिति संभालने " शब्द निविष्ट किए जायेंगे ;

(च) खण्ड (च) में, " आग बुझाने या जीवन या सम्पत्ति का बचाव करने " शब्दों के स्थान में " आग बुझाने या जीवन या सम्पत्ति का बचाव करने के लिए किसी आपातकाल स्थिति से निपटाने " शब्द निविष्ट किए जायेंगे ;

(२) उप-धारा (२) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

" (२) अग्नि रोकथाम या कोई आपातकाल स्थिति के अवसर पर अग्नि रोकथाम और आपातकाल सेवा के सदस्यों द्वारा, उनके कर्तव्यों का अपेक्षित निर्वहन करने के समय पर किसी परिसर या सम्पत्ति की कोई हानि होने पर वह अग्नि रोकथाम या कोई आपातकाल स्थिति के किसी बीमा पॉलिसी के अर्थांतर्गत अग्नि सुरक्षा या कोई आपातकाल स्थिति द्वारा होनेवाली क्षति समझी जायेगी। " ;

(३) उप-धारा (२) के पश्चात्, निम्न **स्पष्टीकरण** निविष्ट किया जायेगा, अर्थात्,—

" **स्पष्टीकरण.—**इस धारा के प्रयोजन के लिए " आपातकाल स्थिति " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, मानवनिर्मित या नैसर्गिक आपदा या कोई आकस्मिक घटना, जहाँ पर जीवन जोखिम में है।";

(४) सीमांत टिप्पणी में, " अग्नि रोकथाम " शब्दों के पश्चात् " या कोई आपातकालीन स्थिति " शब्द जोड़े जायेंगे ।

सन् २००७ का महा. ३ की धारा २९ में संशोधन।

१८. मूल अधिनियम की धारा २९ में,—

(१) " आग बुझाने के प्रयोजन " शब्दों के पश्चात्, " या किसी आपातकाल स्थिति से निपटाने " शब्द निविष्ट किए जायेंगे ;

(२) " अग्नि रोकथाम " शब्दों के स्थान में, " अग्नि रोकथाम या कोई आपातकाल स्थिति " शब्द रखे जायेंगे।

१९. मूल अधिनियम की धारा ३२ की, उप-धारा (१) में,— सन् २००७ का महा. ३ की धारा ३२ में संशोधन।

(१) खण्ड (क) के पूर्व, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा अर्थात् :—

" (१-क) धारा ३ की, उप-धारा (१) के अधीन जारी अग्नि सुरक्षा अनुमोदन, या " ;

(२) खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (ख ख) धारा ९ की उप-धारा (३) या (४) के अधीन आदेश या " ;

(३) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (घ) धारा ४५क की उप-धारा (५) और (६) के अधीन आदेश द्वारा ;"।

२०. मूल अधिनियम की धारा ३३ के खण्ड (क) के,— सन् २००७ का महा. ३ की धारा ३३ में संशोधन।

(१) उप-खण्ड (एक) के स्थान में, निम्न उप-खण्ड, रखा जायेगा अर्थात् :—

" (एक) धारा ३२ की, उप-धारा (१) के खण्ड (१-क), (क), (ख), (खख) या (घ) के अधीन अपीलकर्ता को अग्नि सुरक्षा अनुमोदन के जारी करने के दिनांक से या सूचना की तामिल करने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर लाया है जिस दिनांक पर अस्वीकृति संसूचित की गई है या आदेश के जारी करने के दिनांक के तीस दिनों के भीतर ;" ;

(२) परंतुक में, " पंद्रह दिनों " शब्दों के स्थान में, " तीस दिन " शब्द रखे जायेंगे ।

२१. मूल अधिनियम की धारा ४५ की, उप-धारा (१) में, " ३० मीटर से अधिक उँचाई वाले भवन और के लिए उपयोगी " शीर्ष खण्ड (क) के रूप में पुनःक्रमांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः क्रमांकित खण्ड (क) के पश्चात्, निम्न खण्ड जोडा जायेगा, अर्थात् :- सन् २००७ का महा. ३ की धारा ४५ में संशोधन।

" (ख) " भवन का,—

(१) ७० मीटर और उससे अधिक निवासी भवन ;

(२) बड़ी तादाद में तेल और नैसर्गिक वायु के प्रतिष्ठापन करना जैसे कि, परिष्करण एलपीजी गॅस बोतल में भरने के सयंत्र और उसी तरह की अन्य सुविधाएँ ;

(३) ३०,००० वर्ग मीटर या उससे अधिक संनिर्माण क्षेत्र होनेवाले निसर्गतः कम जोखिम वाले या १०,००० से अधिक वर्ग मीटर संनिर्माण क्षेत्र होनेवाले निसर्गतः अधिक उच्चतम जोखिमवाले औद्योगिक भवन के रूप में उपयोगी भवन ।"।

२२. मूल अधिनियम की धारा ४५ के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् २००७ का महा. ३ में नई धारा ४५क का निवेशन।

कतिपय भवनों का अग्नि और जीवन सुरक्षा लेखा परीक्षण।

४५क. (१) (क) धारा (क) ४५ की उप-धारा (१) में यथा उल्लिखित सभी अधिभोगीयों के लिए, निर्देशक द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त अग्नि और जीवन सुरक्षा लेखा-परीक्षक द्वारा स्वामि, या जहाँ स्वामि पता लगाने योग्य नहीं वहाँपर भवन के अधिभोगी द्वारा अग्नि और जीवन सुरक्षा लेखा परीक्षण किया जायेगा और ऐसे अग्नि और जीवन सुरक्षा लेखापरीक्षण की बारंबारता, महाराष्ट्र अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों (संशोधन) अधिनियम, २०२३ के प्रारम्भण के दिनांक से एक वर्ष के भीतर और उसके पश्चात् दो वर्ष में एक बार की जायेगी। सन् २०२३ का महा २४।

(ख) स्वामि या, यथास्थिति, अधिभोगी इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए नियमों द्वारा या के अधीन यथा आवश्यक उनके ऐसे भवन या उसके भाग में अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों के मूल्यांकन से संबंधित अनुज्ञाप्राप्त अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा लेखापरिक्षक द्वारा जारी विहित प्ररूप में का प्रमाणपत्र निदेशक या मुख्य अग्नि रोकथाम अधिकारी या इसनिमित्त नामनिर्देशित अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "अग्नि और जीवन सुरक्षा लेखा परीक्षण " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, प्रवृत्त प्रचलित अधिनियमों या नियमों या भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार आवश्यक अग्नि रोकथाम, संरक्षण और जीवन सुरक्षा उपायों के मूल्यांकन से है।

(२) निदेशक, जिसे वह ठिक समझे जैसा कि विहित किया जाए ऐसी अर्हता और अनुभव धारण करनेवाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अग्नि और जीवन सुरक्षा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकेगा।

(३) ऐसे लेखापरीक्षक के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ जैसा कि विहित किया जाए ऐसी होंगी।

(४) ऐसी अनुज्ञप्ति होने या अनुज्ञप्ति नवीकृत करने के लिए चाहनेवाला कोई व्यक्ति, विहित प्ररूप में और विहित रीत्या में निदेशक को आवेदन करेगा। ऐसा आवेदन, जैसा की विहित किया जाए ऐसे के कोर्ट-फी स्टाम्प और विहित फीस द्वारा धारित होगा।

(५) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, निदेशक, जिसे वह ठिक समझे ऐसी जाँच करने पश्चात्, या तो दो वर्ष की अवधि के लिए विहित रीत्या में अनुज्ञप्ति अनुदत्त करेगा या उसी अवधि के अनुज्ञप्ति को नवीकृत करेगा या लिखित में अभिलिखित किए जानेवाले कारणों के लिए, आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त करना या अनुज्ञप्ति नवीकृत करना अस्वीकृत करेगा।

(६) जहाँ निदेशक का यह विश्वास रखने का कारण बनता है कि किसी व्यक्ति ने जिसको अनुज्ञप्ति अनुदत्त की है उसने अधिनियम या तद्धीन बनाए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन किया है या अनुज्ञप्ति के शर्तों का अनुपालन करने में असफल हुआ है या सक्षमता, कदाचार के कारणों या किन्ही अन्य गंभीर कारणों द्वारा अनुचित है, तो निदेशक, उस व्यक्ति को कारण दिखाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, लिखित में अभिलिखित किए जानेवाले कारणों के लिए, आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति स्थगित करेगा या रद्द करेगा।"

(७) अनुज्ञप्ति धारी अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा लेखापरीक्षक से अन्यथा कोई व्यक्ति किसी स्थान या भवन या उसके भाग में अग्नि रोकथाम लेखापरीक्षण या उससे संबंधित किये जानेवाले आवश्यक ऐसें अन्य क्रियाकलापों का निर्वहन नहीं करेगा।

(८) कोई अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा लेखा परीक्षक या ऐसे अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा लेखापरीक्षक होने का दावा करनेवाला कोई अन्य व्यक्ति, ऐसे अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों के वास्तविक होने के बिना अग्नि रोकथाम मूल्यांकन और जीवन सुरक्षा उपाय अच्छे और पर्याप्त स्थिति में होने से संबंधित उप-धारा (१) के अधीन प्रमाणपत्र नहीं दे सकेगा।"।

सन् २००७ का महा. ३ में नई धारा ४८क का निवेशन।

२३. मूल अधिनियम की धारा ४८ के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :–

अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति।

"**४८क.** (१) जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है की जीवन और अग्नि सुरक्षा को बचाए रखने से संबंधित भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता के किसी भाग का कार्यान्वयन करने के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार करना आवश्यक या इष्टकर है, तो वह सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा **अनुसूची एक** का संशोधन करेगी और उस पर उक्त अनुसूची तद्नुसार संशोधित की गई है ऐसा समझा जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी।"।

सन् २००७ का महा. ३ की अनुसूची एक और अनुसूची दो की प्रतिस्थापना।

२४. मूल अधिनियम से सलग्न अनुसूची-एक और अनुसूची-दो के स्थान में, निम्न अनुसूचियाँ रखी जायेगी, अर्थात् :–

अनुसूची - एक

देखिए धारा-३ (१)

अग्नि सुरक्षा यंत्रणा लगाने की न्यूनतम आवश्यकता

अनु. क्रमांक	भवन के अधिभोग प्रकार	यंत्रणा								जल आपूर्ति (लिटर में)		पंप क्षमता (लिटर में/न्यूननम)	
		अग्नि शामक प्रवेशक	प्रथमोपचार रबर पाईप चरखी	आर्द उन्मार्ग	नीचे आनेवाला	यार्ड पानी का	स्वचालित छिड़काव प्रणाली	हस्तचालन से परिचालित इलेक्ट्रोनिक अग्नि चेतावनी घंटा प्रणाली (टिप्पणी १)	स्वचलित खोज और चेतावनी घंटा प्रणाली (टिप्पणी २)	पंप के एक संच के लिए भूमिगत स्थिर जल भंडारकरण टंकी क्षमता	छत की टंकी (टिप्पणी ९)	भूमिगत स्थिर जल भंडार टंकी के पास का आग बुझाने का पाईप	छत की टंकी के स्तर पर का पम्प
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)	(१४)
निवासी भवनों (क)													
(क)	लॉजिंग और किराए पर दिए जानेवाले मकान (क-१) और एक या दो निजी निवासस्थान (क-२) (देखिए तृतीय टिप्पणी)												
(१)	ऊँचाई में १५ मीटर से कम।	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक (टिप्पणी ४)	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	५००० (टिप्पणी ५)	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं
(२)	ऊँचाई में १५ मीटर और उससे उपर परंतु ३५ मीटर से अधिक नहीं।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक (टिप्पणी ४)	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	२५,०००	आवश्यक नहीं	९००

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)	(१४)
(३)	ऊँचाई में ३५ मीटर से उपर परंतु ४५ मीटर से अधिक नहीं।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक (टिप्पणी ४, टिप्पणी १५क)	आवश्यक	आवश्यक	७५,०००	५,०००	(टिप्पणी १०)	आवश्यक नहीं
(ख)	शयनागार (क-३) फ्लैंट निवासस्थान (क-४) (टिप्पणी ८ और २२)												आवश्यक नहीं
(१)	ऊँचाई में १५ मीटर से कम।	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक (टिप्पणी ४)	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	५००० (५०००) (टिप्पणी ६)	आवश्यक	४५० (४५०) टिप्पणी ६)
(२)	ऊँचाई में १५ मीटर और उससे उपर परंतु ३५ मीटर से अधिक नहीं।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक (टिप्पणी ४)	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	२५,०००	आवश्यक नहीं	९००
(३)	ऊँचाई में ३५ मीटर के उपर परंतु ४५ मीटर से अधिक नहीं।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक (टिप्पणी ४, टिप्पणी १५क)	आवश्यक	आवश्यक नहीं	७५,०००	५,०००	(टिप्पणी १०)	आवश्यक नहीं
(४)	ऊँचाई में ४५ मीटर से उपर परंतु ६० मीटर से अधिक नहीं।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक	आवश्यक (टिप्पणी १५क और १५ख)	आवश्यक	आवश्यक नहीं	१,५०,०००	१०,०००	(टिप्पणी ११)	आवश्यक नहीं
(५)	ऊँचाई में ६० मीटर से अधिक।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक	आवश्यक (टिप्पणी १५ख)	आवश्यक	आवश्यक	२,००,०००	१०,०००	(टिप्पणी १२ और १३)	आवश्यक नहीं

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)	(१४)
(ग)	हॉटेल (क-५) टिप्पणी ८ और २२)												
(१)	ऊँचाई में १५ मीटर से कम।												
	(एक) किसी मंजिल पर चटाई क्षेत्र ५०० वर्ग मीटर से अधिक नहीं।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक (टिप्पणी ४)	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	५००० (५०००) (टिप्पणी ६)	आवश्यक नहीं	४५० (४५०) टिप्पणी ६)
	(दो) किसी मंजिल पर चटाई क्षेत्र ५०० वर्ग मीटर से अधिक परंतु १००० वर्ग मीटर से अधिक नहीं।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक (टिप्पणी ४)	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	२०,००० (५०००) (टिप्पणी ६ और ७)	आवश्यक नहीं	४५० (४५०) टिप्पणी ६)
	(तीन) किसी मंजिल पर चटाई क्षेत्र १००० वर्ग मीटर से अधिक है।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक	आवश्यक (टिप्पणी १५क और १५ख)	आवश्यक	आवश्यक	१,००,०००	१०,००० (टिप्पणी ४)	टिप्पणी १०	आवश्यक नहीं
(२)	१५ मीटर और उससे उपर परंतु ३० मीटर से अधिक नहीं।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक	आवश्यक (टिप्पणी १५क और १५ख)	आवश्यक	आवश्यक	१,५०,०००	२०,०००	टिप्पणी १०	आवश्यक नहीं
(३)	ऊँचाई में ३० मीटर से अधिक।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक	आवश्यक (टिप्पणी १५क और १५ख)	आवश्यक	आवश्यक	२,००,०००	२०,०००	टिप्पणी ११ और १३	आवश्यक नहीं

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)	(१४)
(घ)	होटल (क-६)	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक	आवश्यक (टिप्पणी १५क और १५ख)	आवश्यक	आवश्यक	२,५०,०००	२०,०००	टिप्पणी १२ और १३	आवश्यक नहीं
शैक्षणिक भवनों (ख) (देखिए टिप्पणी ३घ और ३ङ)													
(१)	ऊँचाई में १५ मीटर से कम।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक (टिप्पणी ४)	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	१०,००० (५०००) (टिप्पणी ६ और ७)	आवश्यक नहीं	४५० (४५०) (टिप्पणी ६)
(२)	ऊँचाई में १५ मीटर और उससे उपर परंतु २४ मीटर से अधिक नहीं।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक (टिप्पणी ४)	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	२५,०००	आवश्यक नहीं	९००
(३)	ऊँचाई में २४ मीटर से उपर परंतु ३० मीटर से अधिक नहीं।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक (टिप्पणी ४)	आवश्यक	आवश्यक नहीं	५०,०००	(५,०००) (टिप्पणी ६)	(टिप्पणी १४)	आवश्यक नहीं
(४)	ऊँचाई में ३० मीटर से उपर परंतु ४५ मीटर से अधिक नहीं। (देखिए टिप्पणी ३ङ)	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	७५,०००	(१०,०००) (टिप्पणी ६)	(टिप्पणी ११)	४५०
संस्थागत भवनों (ग) (टिप्पणी ८ और २२)													
(क)	अस्पतालों, स्वास्थ्यालयों और नर्सिंग गृहों (ग-१) (देखिए टिप्पणी ३घ)												
(१)	१००० वर्ग मीटर प्लॉट क्षेत्र के साथ ऊँचाई में १५ मीटर से कम।												

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)	(१४)
	(एक) बिना बेड की तल की मंजिल अधिक एक मंजिल।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक (टिप्पणी ४)	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	२५,०० (२५००)	आवश्यक नहीं	(४५०) (टिप्पणी ६)
	(दो) बेड के साथ तल मंजिल और अधिक एक मंजिल।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक (टिप्पणी ४)	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	५,००० (५०००) (टिप्पणी ६)	आवश्यक नहीं	४५० (४५०) (टिप्पणी ६)
	(तीन) बिना बेड की तल मंजिल के साथ दो या अधिक मंजिल।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक (टिप्पणी ४)	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	१०,००० (५०००) (टिप्पणी ६)	आवश्यक नहीं	९०० (४५०) (टिप्पणी ६)
	(चार) बेड समेत तल मंजिल के साथ दो या अधिक मंजिल।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक (टिप्पणी १५क और १५ख)	आवश्यक	आवश्यक	५०,०००	१०,०००	(टिप्पणी १०)	आवश्यक नहीं
(२)	१००० वर्ग मीटर से अधिक प्लॉट क्षेत्र के साथ ऊँचाई में १५ मीटर से कम।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक	आवश्यक (टिप्पणी १५क और १५ख)	आवश्यक	आवश्यक	१,००,०००	१०,०००	(टिप्पणी १०)	आवश्यक नहीं
(३)	ऊँचाई में १५ मीटर और उससे उपर परंतु ३० मीटर से अधिक नहीं।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक	आवश्यक (टिप्पणी १५क और १५ख)	आवश्यक	आवश्यक	१,५०,०००	२०,०००	(टिप्पणी १०)	आवश्यक नहीं
(४)	ऊँचाई में ३० मीटर के उपर और ४५ मीटर से अधिक नहीं।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक	आवश्यक (टिप्पणी १५क और १५ख)	आवश्यक	आवश्यक	२,००,०००	२०,०००	(टिप्पणी ११)	आवश्यक नहीं
(५)	ऊँचाई में ४५ मीटर के उपर कृपया टिप्पणी ३ (घघ) देखिये।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक	आवश्यक (टिप्पणी १५क और १५ख)	आवश्यक	आवश्यक	२,००,००० + ५,००० प्रति ५ मीटर ४५ मीटर के उपर	२०,००० + ५,००० प्रति ५ मीटर ४५ मीटर के उपर	(टिप्पणी १२ और १३)	आवश्यक नहीं

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)	(१४)
(ख)	अभिरक्षार्थ (ग-२) और दण्डात्मक और मानसिक (ग-३) (देखिए टिप्पणी ३ख)												
(१)	ऊँचाई में १० मीटर से कम।												
	(एक) ३०० व्यक्तियों तक।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक (टिप्पणी ४)	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	१०००० (५०००) (टिप्पणी ६)	आवश्यक नहीं	४५० (४५०) टिप्पणी ६)
	(दो) ३०० से अधिक व्यक्तियों के लिए।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक (टिप्पणी ४)	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	१५००० (५०००) (टिप्पणी ६)	आवश्यक नहीं	९०० (४५०) टिप्पणी ६)
(२)	ऊँचाई में १० मीटर और उससे उपर परंतु १५ मीटर से अधिक नहीं।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक	आवश्यक (टिप्पणी ४)	आवश्यक	आवश्यक	१,००,०००	५००० (५०००) (टिप्पणी ६)	(टिप्पणी १०)	आवश्यक नहीं
(३)	ऊँचाई में १५ मीटर और उससे उपर परंतु २४ मीटर से अधिक नहीं।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक	आवश्यक (टिप्पणी १५क और १५ख)	आवश्यक	आवश्यक	१,५०,०००	१०,०००	(टिप्पणी १०)	आवश्यक नहीं
(४)	ऊँचाई में २४ मीटर और उससे उपर परंतु ३० मीटर से अधिक नहीं।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक	आवश्यक (टिप्पणी १५क और १५ख)	आवश्यक	आवश्यक	२,००,०००	२०,०००	(टिप्पणी ११)	आवश्यक नहीं

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)	(१४)
सभा भवनों (घ) (टिप्पणी ३ख, ८ और २२)													
(क)	भवनों (घ-१ से घ-५)												
(१)	ऊँचाई में १० मीटर से कम।												
	(एक) ३०० व्यक्तियों तक।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक (टिप्पणी ४)	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	२०,००० (५०००) (टिप्पणी ६)	आवश्यक नहीं	४५० (४५०) (टिप्पणी ६)
	(दो) ३०० से अधिक व्यक्तियों के लिए।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक (टिप्पणी ४)	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	२५,००० (५०००) (टिप्पणी ६)	आवश्यक नहीं	९००
(२)	ऊँचाई में १० मीटर और उससे उपर परंतु १५ मीटर से अधिक नही।	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नहीं	आवश्यक	आवश्यक (टिप्पणी १५क और १५ख)	आवश्यक	आवश्यक	१,००,०००	५,००० (५०००) (टिप्पणी ६)	(टिप्पणी १०)	आवश्यक नहीं

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)	(१४)
३	१५ मीटर से. उपर परंतु २४ मीटर से अधिक नही	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक	आवश्यक (टिप्पणी १५क और १५ख)	आवश्यक	आवश्यक	१,५,०.०००	१०,०००	(टिप्पणी १०)	आवश्यक नही
४	२४ मीटर से. उपर परंतु ३० मीटर से अधिक नही	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक	आवश्यक (टिप्पणी १५क और १५ख)	आवश्यक	आवश्यक	२०००००	२०,.०००	(टिप्पणी ११)	आवश्यक नही
ख	भवनों घ-६	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक	आवश्यक (टिप्पणी १५क और १५ख)	आवश्यक	आवश्यक	२०००००	२०,.०००	(टिप्पणी १२)	आवश्यक नही
ग	भवनों घ-७ व्यवसायिक भवनों (ड़) (टिप्पणी ८ और २२)	भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, २०१६ की तालिका ७ के संदर्भ घ-७ व्यावसायिक											
१	ऊँचाई में १० मीटर से कम	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक (टिप्पणी ४)	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक नही	१०००० (५०००) टिप्पणी ६)	आवश्यक नाही	४५० (४५०) टिप्पणी ६)
२	ऊँचाई में १० मीटर से कम लेकिन १५ मीटर से अधिक नही.	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक	आवश्यक (टिप्पणी ४)	आवश्यक	आवश्यक	५०,०००	५,००० (५०००) (टिप्पणी ६)	(टिप्पणी १४ देखें)	आवश्यक नही
३	ऊँचाई में १५ मीटर से अधिक परंतु २४ मीटर से अधिक नही	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक	आवश्यक (टिप्पणी १५क और १५ख)	आवश्यक	आवश्यक	१०००००	१००००	(टिप्पणी १०)	आवश्यक नही
४	ऊँचाई में २४ मीटर से उपर और ३० मीटर तक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक	आवश्यक (टिप्पणी १५क और १५ख)	आवश्यक	आवश्यक	१५००.००	२००००	(टिप्पणी ११)	आवश्यक नही

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)	(१४)
५	ऊँचाई में ३० मीटर से उपर	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक नाही	आवश्यक (टिप्पणी १५क और १५ख)	आवश्यक	आवश्यक	२००००	२०००००	(टिप्पणी १२ और १३)	आवश्यक नही
वाणिज्यिक भवनों (च) (टिप्पणीयाँ ३ख, ८ और २२)													
क	च-१ और च २												
१	उँचाई में १५ मीटर से कम												
	(एक) कुल ५०० वर्ग मीटर से अनधिक फरशी क्षेत्र के साथ तल मंजिल अधिक एक मंजिल	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक नही	आवश्यक नही	आवश्यक (टिप्पणी ४)	आवश्यक नही	आवश्यक नही	आवश्यक नही	५००० (५०००) (टिप्पणी ६)	आवश्यक नाही	४५० —
	(दो) सभी कुल ५०० वर्ग मीटर से अधिक फरशी क्षेत्र समेत तल मंजिल के साथ एक अधिक मंजिल	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक (टिप्पणी ४)	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक नही	२०००० (५०००) (टिप्पणी ६)	आवश्यक नाही	९००
	(तीन) तल मंजिल मिलाकर एक मंजिल	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक (टिप्पणी ४)	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक नही	२५००० (५०००) (टिप्पणी ६)	आवश्यक नही	९००
२	ऊँचाई में १५ मीटर से उपर परंतु २४ मीटर से अधिक नही	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक नही	आवश्यक (टिप्पणी १५क और १५ख)	आवश्यक	आवश्यक	१०००००	१००००	(टिप्पणी १०)	आवश्यक नही
३	ऊँचाई में २४ मीटर	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	२०००००	२००००	(टिप्पणी ११)	आवश्यक

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)	(१४)
	से उपर परंतु ३० मीटर से अधिक नही				नही		(टिप्पणी १५क और १५ख)						नही
ख	भूमिगत व्यापारी संकुल (च-३)	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक	आवश्यक (टिप्पणी १५क और १५ख)	आवश्यक	आवश्यक	१५००००	१००००	(टिप्पणी ११)	आवश्यक नही
औद्योगिक भवनों (छ) (टिप्पणी ८ और २२)													
(क)	कम जोखिम वाले (छ-१) (टिप्पणी ३ग, १६क और १६ख)												
	(एक) ५०० वर्ग मीटर तक के प्लॉट के भीतर बडे भवन का कुल फरशी क्षेत्र	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक नही	आवश्यक नही	आवश्यक नही	आवश्यक नही	आवश्यक नही	आवश्यक नही	१००००		आवश्यक नही	आवश्यक नही
	(दो) ५०० मीटर से अधिक परंतु २००० वर्ग मीटर के बडे भवन का कुल फरशी क्षेत्र	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक नही	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक नही	आवश्यक नही	२५०००		(टिप्पणी १७)	आवश्यक नही
	(तीन) २००० वर्ग मीटर के प्लॉट से अधिक बडे भवन परंतु ५००० वर्ग मीटर के भीतर के बडे भवन का कुल मिलाकर फरशी क्षेत्र	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक	आवश्यक नही	५००००		(टिप्पणी १७)	आवश्यक नही
	(चार) ५००० वर्ग मीटर से अधिक प्लॉट के भीतर बडे	आवश्यक	आवश्यक				(टिप्पणी १८, १९, २१क और २१ख)						

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)	(१४)
	भवन का कुल फरशी क्षेत्र												
(ख)	कम जोखिम वाले (छ-२) (टिप्पणी ३ग १६क और १६ख)												
	(एक) १००० वर्ग मीटर तक के प्लॉट के भीतर बडे भवन का कुल फरशी क्षेत्र	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक नही	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक नही	आवश्यक नही	५००००		(टिप्पणी १४)	आवश्यक नही
	(दो) १००० वर्ग मीटर से अधिक परंतु २००० वर्ग मीटर के भीतर के प्लॉट के भीतर बडे भवन का कुल फरशी क्षेत्र	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक	आवश्यक नही	७५०००		(टिप्पणी १४)	आवश्यक नही
	(तीन) २००० वर्ग मीटर से अधिक प्लॉट के भीतर बडे भवन का कुल फरशी क्षेत्र	आवश्यक	आवश्यक				(टिप्पणी १८, १९, २१क और २१ख)						
(ग)	उच्चतम जोखिम (छ-३) (टिप्पणी ३क और १६ग)	आवश्यक	आवश्यक				(टिप्पणी १८, १९, २१क और २१ख)						
भण्डार भवनों (ज) (देखिए टिप्पणी ३ग, ३घ, ३च और ३छ)													
१	ऊँचाई में १५ मीटर से निचे और १००० वर्ग	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक नही	आवश्यक (टिप्पणी ४)	आवश्यक नही	आवश्यक नही	५००००	आवश्यक नही	(टिप्पणी १४)	आवश्यक नही

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)	(१४)
	मीटर से कम आवृत्त क्षेत्र												
२	ऊँचाई में १५ मीटर के नीचे और १००० वर्ग मीटर से अधिक आवृत्त क्षेत्र												
	(एक) केवल एक तल मंजिल (दो) तल मंजिल अधिक एक और मंजिल (तीन) तल मंजिल अधिक एक और मंजिल से अधिक	आवश्यक	आवश्यक			(टिप्पणी १८, १९, २१क और २१ख)							
३	ऊँचाई १५ मीटर से उप परंतु २४ मीटर से अधिक नही (देखिए टिप्पणी ३(ग) औप ३(छ)	आवश्यक	आवश्यक			(टिप्पणी १८, १९, २१क और २१ख)							
४	बहुस्तरीय कार पार्किंग (एमएलसीपी) (देखिए टिप्पणी ३(घ)	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक	आवश्यक (टिप्पणी १५क और १५ख)	आवश्यक	आवश्यक नही	१५००००	आवश्यक नही	(टिप्पणी ११)	आवश्यक नही
५	यंत्रचालित पार्किंग (स्वचालित) (देखिए टिप्पणी ३(ज)	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक नही	आवश्यक नही	आवश्यक	आवश्यक (देखिए टिप्पणी ७)	आवश्यक नही	आवश्यक	५००००	आवश्यक नही	(टिप्पणी १४)	आवश्यक नही
	जोखिमवाले भवनों (अ) (टिप्पणी ३क)												
१	ऊँचाई में १५ मीटर तक	आवश्यक	आवश्यक			(टिप्पणी १८, १९, २०, २१क और २१ख)							

टिप्पणियाँ आवश्यकताएँ :

१. व्यक्तिगत रूप से संचालित इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म (मोईफा) प्रणाली (मोईफा) जहाँ यह प्रणाली २४ मीटर और उसके उपर की उँचाई के भवनों के लिए उपबंधित की जायेगी, वहाँ क-३ और क-४ अधिभोगियों को छोड़कर, १५ मीटर और उससे उपर के उँचाई वाले सभी भवनों में टॉकबॅक प्रणाली और लोक संबोधन प्रणाली का भी समावेश होगा। वहॉ के क्षेत्र का विचार किए बिना ३०० वर्ग मीटर से अधिक कार पार्किंग क्षेत्र और बहु स्तरीय कार पार्किंग का भी उपबंध किया जायेगा।

२. कार पार्किंग क्षेत्र में स्वचालित खोज और चेतावनी घंटा प्रणाली उपबंधित नहीं की गई है। तथापि ऐसी खोज प्रणाली कार पार्किंग के अन्य क्षेत्र में, जैसे कि बिजली घर, केबिन और अन्य भण्डार क्षेत्रों में आवश्यक होगी।

३ (क) उँचाई में १५ मीटर से उपरवाले भवनों को, अधिभोग समूह झ के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी।

३ (ख) उँचाई में ३० मीटर से उपरवाले भवनों को, समूह ग-२ और ग-३, समूह घ और समूह च के अधिभोग के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी।

३ (ग) उँचाई में २४ मीटर से उपरवाले भवनों की, समूह छ (खरीद प्रक्रिया के लिए जब तक आवश्यक नहीं हो) समूह ज के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी।

३ (घ) उँचाई में ४५ मीटर के उपर होनेवाले भवनों को, अधिभोग समूह क-१ और क-२, समूह बी और समूह ज-४ (एमएलसीपी) के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी।

३ (ङ) उँचाई में ४५ मीटर के उपरवाले भवनों को अधिभोग समूह ग-१ के लिये अनुमति दी जायेगी, परंतु ऐसे अधिभोग के संबंध में राष्ट्रीय अग्नि संरक्षण संघिय संस्था (यु.एस.ए.) समय-समय से निर्धारित किये गये मानदण्ड की पूर्ति और उसका अनुपालन करेगी।

३ (च) केवल उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और उसी तरह के शैक्षिक प्रयोजनों वाले भवनों के लिए स्थानीय अग्निसुरक्षा सुविधाओं की उपलब्धता के अध्यधीन ३० मीटर से उपरवाले भवनों को अनुमति दी जायेगी।

३ (छ) १५ मीटर के उपर और २४ मीटर से अधिक न होनेवाले भण्डार भवनों को स्थानीय अग्निसुरक्षा सुविधाओं की उपलब्धता के अध्यधीन अनुमति दी जा सकेगी।

३ (ज) स्वचलित यांत्रिकी कार पार्किंग या डिझेल जनरेटर रखने जैसे प्रयोजनों के लिये उपयोग की जानेवाली किसी ऐसी अन्य संरचना १०० मीटर तक या स्थानीय अग्निसुरक्षा सुविधाओं के अध्यधीन अनुमति नहीं दी जायेगी यदि यह संरचना भवन से संलग्नित है जो भी भवन उप-विधि के अधिन विनिर्दिष्ट से कम है तब उक्त दिवार, २ घंटे के अग्नि प्रतिरोध से निष्प्रभ हो जायेगी।

४. यदि उसका क्षेत्र २०० वर्ग मीटर से अधिक है तो तहखाने में यंत्रणा लगाया जाना आवश्यक है।

५. यदि तहखाने का क्षेत्र २०० वर्ग मीटर से अधिक है तो उपबंध किया जाना आवश्यक है।

६. यदि तहखाने का क्षेत्र २०० वर्ग मीटर से अधिक है तो कोष्ठक में दिया गया अतिरिक्त मूल्य जोड़ दिया जायेगा।

७. दो मंजिलों (तल मंजिल + एक मंजिल) से अधिक मंजिलों वाले भवनों के लिए उपबंध किया जायेगा।

८. विभिन्न वर्गीकरण होनेवाले अधिभोगियों के भवनों से संबंधित संकुल के मामले में, अग्नि सुरक्षा प्रणाली, व्यक्तिगत अधिभोग के लिए प्रयुक्त उन संहिता के उपबंधों को अत्यधिक प्रतिबंधात्मक उपबंधों द्वारा संचालित की जायेगी।

९. तालिका में क्रमशः मदों के अधीन यथा सूचित विनिर्दिष्ट क्षमता की उपरी टंकी (यदि लागू हो तो छत के पम्प के साथ) प्रत्येक भवन/टॉवर को उपबंधित की जायेगी। चाहे भवन (भवनों) टॉवर (टॉवर्स) संलग्न स्थित है या अलग स्थित है। आगे यह कि टंकी, तालिका में यथा प्रयुक्त या तो सीधे या छत के पम्प के ज़रिए फुहारा प्रणाली, नीचे आनेवाले पम्प और प्रथमोपचार पाईप चरखी से जोड़ी जाएगी।

१०. प्रत्येकी १०० बम्बा (हाईड्रेन्ट) या उसके भाग के लिए अधिकतम दो संच के साथ एक पम्प सेट दिये जायेंगे। इस मामले में, एक सेट विद्युत पम्प, एक डिजेल पम्प से चलनेवाला सामान्य सहायता (२२८० एलपीएम क्षमता होनेवाला) और एक विद्युत जॅकी पम्प (१८० एलपीएम क्षमता का) से मिलकर दिये जायेंगे।

११. प्रत्येक १०० बम्बा (हाईड्रेन्ट) या उसके भाग के लिए अधिकतम २ संच समेत एक पम्प संच दिया जायेगा। इस मामले में, २२८० लिटर प्रति मिनट की क्षमता होनेवाले दो विद्युत पम्प बम्बा (हाईड्रेन्ट) और फुहारा प्रणाली के लिए प्रत्येकी एक एक डिझेल से चलनेवाला सामान्य सहायता पम्प (२२८० लिटर प्रति मिनट की क्षमता होनेवाला) और दो विद्युत से चलनेवाले जॅकी पम्प (१८० लिटर प्रति मिनट की क्षमता होनेवाले, बम्बा (हाईड्रेन्ट) और फुहारा प्रणाली के लिए प्रत्येकी एक से मिलकर एक पम्प संच दिया जायेगा।

१२. प्रत्येकी १०० बम्बा (हाईड्रेन्ट) के लिए या उसके भाग के लिए, अधिकतम दो संच समेत, एक पम्प का संच दिया जायेगा। इस मामले में, संच दो विद्युत पम्प बम्बा (हाईड्रेन्ट) और फुहारा प्रणाली के लिए प्रत्येकी एक), २८५० लिटर प्रति मिनट की क्षमता होनेवाले होगा। एक डिझेल पर चलनेवाला सामान्य सहायता पम्प (२८५० लिटर प्रति मिनट की क्षमता होनेवाला) और दो विद्युत पर चलनेवाला जॅकी पम्प १८० लिटर प्रति मिनट की क्षमता होनेवाला, बम्बा (हाईड्रेन्ट) और फुहारा प्रणाली के लिए प्रत्येकी एक से मिलकर एक संच दिया जायेगा।

१३. उँचाई में ६० मीटर या उसके उपर की गगनचुंबी इमारत में निम्न स्तर पर उच्च दाब का अनुभव हाने की संभावना है और इसलिए, बहु मंजिला, बहु-निकास पम्प (दाब प्रक्षेत्र का निर्माण करके) या एक या अधिक स्तर पर पम्प लगाना या परिवर्तनशील बारम्बारता पम्प चलाना या कोई अन्य समतुल्य पम्पो की व्यवस्था करना आवश्यक समझा है।

१४. प्रत्येकी १०० बम्बा (हाईड्रेन्ट) या उसके भाग के लिए, अधिकतम दो संच के साथ पम्प का एक संच दिया जायेगा। इस मामले में, एक बिजली से चलनेवाला पम्प, एक डिझेल से चलनेवाला सामान्य सहायता पम्प (१६२० एलपीएम की क्षमता होनेवाला) और एक बिजली से चलनेवाला जॅकी पम्प (१८० एलपीएम की क्षमता होनेवाला) से मिलकर एक संच होगा। १०० से परे बम्बों (हाईड्रेन्ट) की संख्या का विचार किए बिना, तालिका में उल्लिखित क्षमताओं की जल टंकी के साथ दो पम्प संच पर्याप्त होंगे।

१५(क). जब तालिका में दोनों को विहित किया है तब फुहारा प्रणाली में भूमिगत स्थिर जल भण्डार और छत टंकी दोनों से जल भरा जायेगा।

१५(ख). संपूर्ण भवन (पूरे भवन) अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र **साथ ही साथ** उसके भीतर का रहने लायक क्षेत्र भारतीय मानदण्डो के अनुसार संरक्षित किया जायेगा।

१६(क). वे उद्योग, जिन्हे भारत सरकार द्वारा " शिल्पकार कार्यशालाएँ, ग्राम और कुटिर उद्योग, लघु क्षेत्र उद्योग " के रूप में परिभाषित किया था या अनुज्ञाप्राप्त किया था केवल उन्होंने अग्निशामक और अग्नि बकेट का उपबंध करना आवश्यक है, उनकी गुणवत्ता और वितरण संबंधित भारतीय मानदण्डो के अनुपालन में होंगे।

१६(ख). विविध अधिभोगी औद्योगिक परिसम्पति (सभी एक भवन में) " युक्तियुक्त " जोखिम उद्योगों के लिए आवश्यकता के अनुसार संरक्षित किए जायेंगे। ऐसे भवन में जोखिमवाले अधिभोगीयों को इजाजत नहीं होगी।

१६(ग). उच्च जोखिमवाले उद्योग जैसे कि, शैलरसायन उद्योग, परिष्करण शालाएँ और उसी तरह के उद्योग के मामले में उपर की तालिका की आवश्यकताओं के अनुपालन के साथ तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय और उसी तरह के सांविधिक आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है।

१७. संपूर्ण अधिभोग को, एक बिजलीपर चलनेवाले कम से कम ९०० लिटर प्रति मिनट निर्वहन क्षमतावाले मुख्य पम्प, उसी प्रकार की क्षमतावाले (भरोसेमंद सहायता से आपूर्ति के साथ) सहायता पम्प और कम से कम १८० लिटर प्रति मिनट की क्षमता का जॉकी पम्प से सुरक्षित किया जायेगा।

१८. संपूर्ण अधिभोग को, सभी बातों का ध्यान रखकर अर्थात् आरेखन, पम्प बिठाने, पाईपलाईन आदि, समेत में संबंधित सुसंगत भारतीय मानक संहिता के अनुसरण में यथा लागू बम्बा (हाईड्रेन्ट) फुहारा, जल बौछार, जल कोहरा, गॅस अधारित प्रणाली, झाग निकालने अग्नि चेतावनी प्रणाली आदि द्वारा सुरक्षित किया जायेगा। निम्न टिप्पणी १९ और २१ देखिये ।

१९. कतिपय अधिभोगियों को लागू की गई समुचित (दाब) के साथ स्वचालित जल बौछार प्रणाली द्वारा भी संरक्षित किया जा सकेगा। यदि ऐसी प्रणाली, ऐसे अधिभोगियों के लिए मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा मुल्यांकित/प्रमाणित की गई है। आयएस-१५५१९ के विभिन्न उपबंधों के अनुपालन के अलावा,

ऐसी प्रणाली का लगाया जाना और आरेखण परीक्षण शर्तों के अनुपालन में विनिर्माण विनिर्देश के अनुसार होगा और उसे संबंधित प्राधिकारी की स्वीकृति होनी चाहिए। परीक्षण परिणाम का बहिर्वेशन विख्यात परीक्षण अभिकरणों द्वारा विशेष रूप से अनुमति दिए बिना बड़े क्षेत्र का संरक्षण करने का उपबंध करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

२०. बम्बा (हाईड्रेन्ट) प्रणाली के लिए पम्प की क्षमता भवनों के आवृत्त क्षेत्र पर आधारित अर्थात् ५०० वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए के लिए २.० लिटर प्रति मिनिट/वर्ग मीटर पम्पिंग क्षमता होगी, ५०० वर्ग मीटर से बड़े परंतु १००० वर्ग मीटर तक के क्षेत्र के लिए @ २.५ लिटर प्रति मिनट/वर्ग मीटर की पम्पिंग क्षमता होगी। वहाँ का अग्निपृथ्थकरण दो घंटे के समान समय के सममूल्य पर नहीं हो जाता तब तक १००० मीटर वर्ग से अधिक क्षेत्र स्वीकार्य नही माना जायेगा। संपूर्ण बम्बा (हाईड्रेन्ट) और छिड़काव प्रणाली की सुसंगत आय एस मानकों के अनुसार परिकल्पित होगी देखिए टिप्पणी १८, १९ और २१(क) और २१ (ख)।

२१(क). क से ञ के अधीन वर्गीकृत सभी अधिभोगियों के लिए पम्पिंग क्षमता और जल आवश्यकताएँ उपर्युक्त तालिका में क्रमशः स्तंभ और टिप्पणी में जहाँ भी उपदर्शित किए है, उपबंध किया जाना आवश्यक है। तथापि, जहाँ पम्पिंग क्षमता और चाहे आवश्यकताएँ संबंधित स्तंभो में उपदर्शित नहीं की है तो व्यौरे के लिए, बम्बा (हाईड्रेन्ट)/छिड़काव/जल बौछार आदि; के लिए संबंधित आय एस व्यवहार की संहिता का संदर्भ लिया जायेगा। बम्बा (हाईड्रेन्ट) छिड़काव, बौछार प्रणाली आदि जैसे परिकल्पना और यंत्रणा के लगाए जाने के दोनों दशाओं मे से हर एक में ; आयएस-१३०३९, आयएस-१५३२५ आदि, जैसे क्रमशः आय एस व्यवहार की संहिता में के उपबंधों के अनुसार कड़ाई से कार्यान्वयन किया जायेगा।

२१(ख). जहाँ अग्नि बुझाने के रूप में जल का उपयोग विद्यमान जल प्रतिघातक सामुग्री या विद्यमानतः विधिमान्य स्वीकार्य कारणों के कारण समुचित नहीं है तो एक समुचित प्राधिकारियों से परामर्श में, यथोचित वैकल्पिक अग्नि बुझाने की प्रणाली और पद्धति उपबंधित की जायेगी। संरक्षण पद्धति सभी पहलूओं में सुसंगत भारतीय मानकों के अनुपालन में सुझावित की जायेगी। अग्नि अलार्म, वायू आधारित प्रणाली आदि के लिए प्रणालीयों के अन्य प्रकार सभी पहलूओं में सुसंगत भारतीय मानकों के अनुसार आरेखित तथा संस्थापित भी किये जायेंगे।

२२. स्थानीय प्राधिकरण के आवश्यकता के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में, औद्यौगिक क्षेत्रों में या यथा आवश्यक क्षेत्रों में शुष्क उन्मार्ग का उपयोग किया जा सकेगा।

अनुसूची-दो

(देखिए धारा ११)

अग्नि रोकथाम और आपातकाल सेवा फीस संरचना

१. अग्नि रोकथाम और आपातकाल सेवा फीस महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम (सन् १९५८ का ५९) के अधीन बनाए गए महाराष्ट्र स्टाम्प (सम्पत्ति के सही बाजार मूल्य का अवधारण) नियम, १९९५ के उपबंधों के अधीन यथा प्रकाशित वार्षिक दरों के विवरण के प्रतिशत के अनुसार भवन के विभिन्न प्रवर्गों के लिए निर्मित क्षेत्र के स्क्वेअर मीटर के अनुसार निचे सूचित की गई तालिका के अनुसार उद्ग्रहीत होगी।

तालिका

अनु-क्रमांक	मीटर में भवन की उँचाई	वार्षिक दरों के विवरण (एएसआर) के प्रतिशत			
		निवासी	संस्थागत	औद्योगिक	वाणिज्यिक
१	४५ मीटर तक का भवन	०.२५%	०.५०%	०.७५%	०.७५%
२	४५ मीटर के उपर का भवन तथा	०.५०%	०.७५%	१.००%	१.००%

२. उपर्युक्त परिच्छेद १ में के अधिभोगियों का प्रवर्गीकरण भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता में यथा वर्गीकृत ऐसा होगा जो तथा निम्न है :—

(क) " निवासी भवन " का तात्पर्य, उक्त संहिता के (ए)-५ और (ए)-६ को छोड़कर उसका भाग ४ का समूह क, में यथा उल्लिखित निवासी अधिभोगियों अर्थात् आवासगृह, भोजनगृह, शयनगृह, अपार्टमेंट और बहुस्तरीय वाहन पार्किंग और यांत्रिक वाहन पार्किंग, से है।

(ख) " संस्थागत भवन " का तात्पर्य, उक्त संहिता के भाग ४ के समूह ख और उक्त संहिता के भाग ४ के समूह ग में संस्थागत अधिभोगियों में यथा उल्लिखित शैक्षणिक अधिभोगियों अर्थात् विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल परिचारिका गृह, से है।

(ग) " वाणिज्य भवन " का तात्पर्य उक्त संहिता के भाग ४ के उप-समूह (ए)-५, (ए)-६ और उक्त संहिता के भाग ४ के समूह घ में के सदन अधिभोगियों और उक्त संहिता के भाग ४ के समूह ड़ में कारोबार अधिभोगियों और उक्त संहिता के भाग ४ के समूह च में के वाणिज्यीय अधिभोगी में यथा उल्लिखित अधिभोगी अर्थात् हॉटेल, भोजनालय, मॉल, मल्टिप्लेक्स (बहुपटीय सिनेमा गृह), नाट्यगृह, दुकान, से है।

(घ) " औद्योगिक भवन " का तात्पर्य, उक्त संहिता के भाग ४ के समूह छ, उक्त संहिता के भाग ४ के समूह ज में भन्डार अधिभोगियों (बहुस्तरीय वाहन पार्किंग को छोड़कर) और उक्त संहिता के भाग ४ के समूह ञ में व्यावसायिक जोखिम अधिभोगी में यथा उल्लिखित औद्योगिक अधिभोगियों, से है। "।

टिप्पणी.—भवन के उपर के वर्गीकरण के लिए फीस यथा निम्न परिकलित की जायेगी :—

१. एएसआर के आवश्यक प्रतिशत परिगणना के पश्चात् फीस, आवश्यक अनुमोदन के लिए प्रतिफल के अधीन भवन के निर्मित क्षेत्र द्वारा द्विगुणित की जायेगी।

२. फीस के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए, निर्मित क्षेत्र कुल निर्मित क्षेत्र होगा जिसमें भवन के संनिर्माण के लिए अनुमति माँगने के आवेदन के साथ वास्तूकार द्वारा प्रमाणित भवन योजना जो प्राधिकरण को प्रस्तुत किया है में यथा दर्शाए तहखाना, सुविधाधिकार, क्षेत्र स्टिल्ट, मंच, सीढियाँ, उद्वाहन, प्रतिक्षा कक्ष, बरामदा, छज्जा, बाहुधरन भाग, सेवा स्थल, आश्रय क्षेत्रों आदि का क्षेत्र सम्मिलित है। इस प्रयोजन के लिए परिकलित किया जानेवाला निर्मित क्षेत्र फर्श क्षेत्र सूचकांक या किसी अन्य रीत्या में परिकलित निर्मित क्षेत्र से संबंधित नहीं होगा।

३. परिकलित की जानेवाली फीस निम्नतम स्तर से रहनेयोग्य मंजिल तक ली जायेगी और जब तालिका में यथा सूचित भवन के निर्धारण के खण्ड के अनुसार नहीं होगी।

४. फीस के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, मुंबई स्टाम्प (सम्पत्ति के सही बाजार मूल्य का अवधारण) नियम, १९९५ के उपबंधों के अधीन प्रकाशित वार्षिक दरों का विवरण, महाराष्ट्र सरकार के रजिस्ट्रीकरण और स्टाम्प विभाग द्वारा जारी किये गये भवन संनिर्माण दरों से है।

५. भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता भाग ४ के अनुसार १५ मीटर के निचे अधिभोगीयों जैसे समूह क-२ और क-४ में शिनाख्त किए गए भवन अधिभोगीयों और अधिनियम की धारा १५ में शिनाख्त किए गए वे सभी भवन को कोई फीस उद्ग्रहीत नहीं की जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. XXV OF 2023.

THE PANDHARPUR TEMPLES, (AMENDMENT) ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १७ मई २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXV OF 2023.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE PANDHARPUR TEMPLES ACT, 1973.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २५ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २२ मई २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

पंढरपुर मंदिर अधिनियम, १९७३ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, पंढरपुर मंदिर अधिनियम, १९७३ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :— सन् १९७४ का महा. ९।

संक्षिप्त नाम। **१.** यह अधिनियम पंढरपुर मंदिर (संशोधन) अधिनियम, २०२३ कहलाए।

सन् १९७४ का महा. ९।

२. पंढरपुर मंदिर अधिनियम, १९७३ की धारा ३२ क की, उप-धारा (४) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, जोड़ी जाएगी, अर्थात् :— सन् १९७४ का महा. ९ की धारा **३२ क** में संशोधन।

" (५) सलाहकारी परिषद के नामनिर्देशित सदस्यों का पदावधि, श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिति पर, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सदस्यों की पदावधि के साथ सहपर्यवसित होगी।"।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. XXVI OF 2023.

THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २ जून २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXVI OF 2023.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २६ सन २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ७ जून २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :— सन् १९६१ का महा. २४ ।

संक्षिप्त नाम। **१.** यह अधिनियम महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, २०२३ कहलाए।

सन् १९६१ का महा. २४ ।

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ७३ ककक, की, उप-धारा (३) के प्रथम परंतुक में " कोविड़-१९ महामारी को देखते हुए राज्य में तालाबंदी का अधिरोपण " शब्द अपमार्जित किए जायेंगे । सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७३ ककक में संशोधन ।

३. मूल अधिनियम की धारा ७८क, की, उप-धारा (१) का चतुर्थ परंतुक, अपमार्जित किया जायेगा । सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७८क में संशोधन ।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. XXVII OF 2023.

THE MAHARASHTRA POLICE (AMENDMENT) ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २० जून २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान)
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXVII OF 2023.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA POLICE ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २१ जून २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर हैं ; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :— सन् १९५१ का २२।

संक्षिप्त नाम। **१.** यह अधिनियम महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन) अधिनियम, २०२३ कहलाए।

सन् १९५१ का २२ की धारा २ में संशोधन। **२.** महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा २ के, खण्ड (६) में,— सन् १९५१ का २२।

(क) " आयुक्त " चिन्ह और शब्द के पश्चात् " विशेष आयुक्त " चिन्ह और शब्द निविष्ट किए जायेंगे और ४ जनवरी २०२३ से निविष्ट किए गए समझे जायेंगे ;

(ख) " पुलिस आयुक्त " शब्दों के पश्चात् " विशेष पुलिस आयुक्त " शब्द निविष्ट किए जायेंगे और ४ जनवरी २०२३ से निविष्ट किए गए समझे जायेंगे।

३. मूल अधिनियम की धारा ७, के खण्ड (क) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा और ४ जनवरी २०२३ से निविष्ट किया गया समझा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९५१ का २२ की धारा ७ में संशोधन।

" (क-१) राज्य सरकार, बृहन्मुंबई के लिए विशेष पुलिस आयुक्त की नियुक्ति भी कर सकेगी। "।

४. मूल अधिनियम की धारा २५ की, उप-धारा (२) के खण्ड (क) में " आयुक्त समेत " शब्दों के पश्चात्, " विशेष आयुक्त " शब्द निविष्ट किए जायेंगे और ४ जनवरी २०२३ से निविष्ट किए गए समझे जायेंगे। सन् १९५१ का २२ की धारा २५ में संशोधन।

५. उद्देशिका समेत पूर्णतया मूल अधिनियम में " ग्रेटर बॉम्बे " शब्द जहाँ कहीं वे आए हो, के स्थान में, " बृहन्मुंबई " शब्द रखे जायेंगे।

६. मूल अधिनियम के अधीन कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किसी आदेशों के अधीन उसपर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष आयुक्त द्वारा कृत या की गई कोई कार्यवाही, महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन) अधिनियम, २०२३ द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में कृत, या यथास्थिति, की गई समझी जायेगी। व्यावृत्ति। सन् २०२३ का महा.।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. XXVIII OF 2023.

THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL LAND LEASING ACT, 2017

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक १६ जून २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXVIII OF 2023.

AN ACT TO ENACT THE LAW RELATING TO AGRICULTURAL LAND LEASING IN THE STATE OF MAHARASHTRA AND FOR THE MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २८ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् "**महाराष्ट्र राजपत्र**" में दिनांक २७ जून २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में कृषि भूमि पट्टा से संबंधित और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए विधि अधिनियमित करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि कृषि भूमि पट्टा परिचालित विभिन्न विद्यमान राज्य अभिधृति विधियों के अधीन अंतर्विष्ट प्रतिषेध और निर्बंधन, भूमि स्वामियों और पट्टाधारी कृषकको केवल भूमि जुताई के लिए अनौपचारिक करार के लिए प्रवृत्त किया जाता है, जिससे पट्टाधारी कृषक उस लाभों से, जो उनको सामान्यतः देय है से वंचित रह जाते हैं ;

और क्योंकि, ऐसे विद्यमान विधिन्योंसे कृषक भूमि पट्टेपर देने में भी भूमि स्वामियों में असुरक्षितता की भावना निर्माण हो रही है जिससे भुमिहीन गरीब, छोटे तथा अत्यल्प किसानों तथा अन्यों को पट्टे द्वारा भूमि जुताई करने के अवसर कम होते है ;

और क्योंकि, महाराष्ट्र राज्य में, कृषक भूमि पट्टे पर देने की अनुमति देने स्वामियों के भूमि अधिकारों को पुर्णत : संरक्षित करते समय और उसे पट्टे में देने में सरलता लाने के लिये कृषि कार्यक्षमता और समानता, भूमिहीन और अल्प भूमिहीन गरीब व्यक्तियों को भूमि जुताई करने के अवसर और व्यावसायिक विविधता में सुधार करने और ग्रामीण क्षेत्र के विकास और उसके परिवर्तन को शीघ्र बढ़ावा देने पट्टे पर कृषि भूमि जुताई करनेवाले किसानों को सारव संस्थाओं के जरिए कर्ज मिलाने सरकार द्वारा उपबंधित बीमा सुविधा आपदा राहत और अन्य सहायक सेवाओं को प्राप्त करने के लिए उन्हें सामर्थकारी बनाने के लिए कृषि भूमि जोतनेवालें किसानों को मान्यता देने और उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक मामलों के लिए एक विधि अधिनियमित करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के अड़सठवे वर्ष में, एतद्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित

अध्याय एक

प्रारम्भिक

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र कृषि भूमि पट्टा अधिनियम, २०१७ कहलाए । संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भण।

(२) इसका विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक पर प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत कर सके।

२. इस अधिनियम में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएँ।

(क) "कृषि भूमि" का तात्पर्य, वह भूमि जो कृषि और संलग्न क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाई जाती है या उपयोग करने के लिए सक्षम है, जिसमें बंजर भूमि भी सम्मिलित है ;

(ख) "कृषि वर्ष" का तात्पर्य, १ अगस्त को प्रारम्भ होनेवाला तथा ३१ जुलाई को समाप्त होनेवाला वर्ष या राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे कोई अन्य वर्ष, से है ;

(ग) "कृषि और कृषिसे संलग्न क्रियाकलापों" का तात्पर्य, किसानों या किसानों के समूहों द्वारा खाद्यान्न और अखाद्यान्न् फसल उगाना, चारा या घास, फल और सब्जियाँ, फुलो, कोई अन्य बागबानी फसल उगाना और वृक्षारोपण, पशुपालन और दुग्धउद्योग, मुर्गी पालन, पशुधन प्रजनन, मत्स्योद्योग, कृषि वानिकी, कृषि प्रक्रिया और अन्य संबंधित क्रियाकलापों से हैं ;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य, तहसिलदार या धारा ८ के अधीन राज्य सरकार द्वारा जैसा कि अधिसूचित किया जाए ऐसा समकक्ष श्रेणी का राजस्व अधिकारी, से है ;

(ङ) "किसान" का तात्पर्य, वह व्यक्ति जो खेती का स्वामि है और स्वयं या स्वयं के लिए भूमि की जुताई करता है और उसमें वह व्यक्ति शामिल है जो भूमि का स्वामि हो सकता है या नही हो सकता है, परंतु अन्य से पट्टे पर लेने द्वारा भूमि की जुताई करता है ;

(च) "किसान समुह" इसमें स्वयं-सहायता समूह, संयुक्त दायित्व समूह, कृषि प्रक्रिया संघठन (एफ.पी.ओ.) और उसकी तरह अन्य शामिल है ;

(छ) "सरकार" का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(ज) "पट्टा" का तात्पर्य, भूमि स्वामि-पट्टादाता और पट्टाधारी कृषक के बीच का करार जिसके द्वारा भूमि स्वामि-पट्टादाता और पट्टाधारी कृषक द्वारा शर्तों तथा निबंधनों के पारस्परिक सहमति पर किसी करार के आधार पर प्रतिफल के लिए, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, कृषि और उससे संलग्न क्रियाकलापों के लिए भूमि स्वामि-पट्टादाता उसकी कृषि भूमि पट्टाधारी कृषक को हस्तांतरित करता है ;

(झ) "पट्टे में लेना" का तात्पर्य, प्रतिफल के लिए, जो नकद या वस्तु में या उपज हिस्से के रूप में हो सकेगा पट्टे के अधीन पट्टाधारी कृषक द्वारा कृषि भूमि का उपयोग करने से है ;

(ञ) "पट्टे में देना" का तात्पर्य, जो नकद , या वस्तु के रूप मै या उपज के हिस्से के रूप में हो सके ऐसे प्रतिफल के लिए किसी सहमत पट्टा अवधि के लिए, पट्टाधारी कृषक को, भूमि स्वामि-पट्टादाता द्वारा पट्टे के अधीन भूमि का अंतरण करने, से है ;

(ट) "पट्टाधारी कृषक" का तात्पर्य, वह व्यक्ति, जो पट्टा करार के अनुसार भूमि स्वामि-पट्टादाता को देय नकद या वस्तु के रूप में या उपज का हिस्से के रूप में के प्रतिफल के लिए कृषि या संलग्न क्रियाकलापों के प्रयोजन के लिए कृषि भूमि पट्टेपर लेता है, से है ;

(ठ) "भूमि स्वामि-पट्टादाता" का तात्पर्य, वह व्यक्ति जो कृषि भूमि का स्वामि है और पारस्परिक सहमतिसे निबंधनों तथा शर्तों के अधीन ऐसी भूमि पट्टाधारी कृषक को पट्टेपर दे दी है, से है ;

(ड) "विहित" का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित, से है।

अध्याय दो

भूमि पट्टा-करार, समापन, अधिकार और दायित्व

इस अधिनियम के अधीन कृषि भूमि पट्टे पर देना।

३. (१) किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भण पर तथा से, प्रत्येक व्यक्ति, जो सम्पत्ति का अंतरण अधिनियम, १८८२ की धारा ७ के अधीन कृषि भूमि का अंतरण करने में सक्षम है और जो कृषि और संलग्न क्रियाकलापों के लिए भूमि पट्टेपर लेने या पट्टेपर देने का आशय रखता है वह इस अधिनियम के उपबंधों से सुसंगत पट्टा करार में प्रवेश करने का हकदार होगा : सन् १८८२ का ४।

परंतु, अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति द्वारा धारित किसी भूमि को पट्टेपर देने के लिए महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ की धारा ३६क के अधीन कलक्टर की पूर्वानुमति लेना आवश्यक है और जब तक ऐसी भूमि पट्टे पर लेनेवाला व्यक्ति भी अनुसूचित जन-जाति से संबंधित नहीं हो तो एसी अनुमति नहीं दी जायेगी। सन् १९६६ का महा. ४१।

(२) कृषि और कृषि संलग्न क्रियाकलापों के लिये जो अपनी भूमि पट्टे पर देता है वह भूमि-स्वामी पट्टादाता और ऐसी भूमि पट्टेपर लेता है वह पट्टाधारी कृषक के बीच में पट्टा करार होगा।

(३) अनुसूचित क्षेत्रों में की कृषि भूमि अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति द्वारा या अनुसूचित क्षेत्रों में प्रर्वृत्त विधियों द्वारा अनुमति दिये गये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा केवल पट्टेपर ले सकेगा।

(४) भूमि स्वामि-पट्टादाता और पट्टाधारी कृषक पारस्परिक सहमति दिये गये निबंधनों या शर्तों के साथ लिखित पट्टा करार, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ के उपबंधों के अनुसार सम्यक्तया रजिस्ट्रीकृत किया जाना आवश्यक होगा, में प्रवेश करना आवश्यक होगा। सन् १९०८ का १६।

(५) पट्टा करार, **अन्य बातों के साथ साथ** निम्न ब्यौरे, निबंधनों तथा शर्तों से अंतर्विष्ट होगा, अर्थात् :—

(क) भूमि स्वामि का नाम-पट्टादाता और पट्टाधारी कृषक ;

(ख) पट्टेपर दी जानेवाली भूमि का सर्वेक्षण क्रमांक, भू-सीमाऐ, स्थान और क्षेत्र ;

(ग) पट्टे का प्रारम्भ दिनांक और समाप्ति दिनांक स्पष्ट रूप संसुचित करके महिनों या वर्षों में अभिव्यक्त पट्टे का कालावधि जो यथासाध्य, फसल चक्र या कृषक वर्ष के साथ अनुकूल होगा ;

(घ) पट्टाधारी-कृषक द्वारा देय पट्टा किराया या प्रतिफल और जिस दिनांक को पट्टाधारी कृषक द्वारा अदा की जानेवाली ऐसी रकम देय है वह दिनांक ;

(ङ) पट्टे के नवीकरण या विस्तारण के लिए यदि कोई हो निबंधनों तथा शर्तों ;

(च) पट्टा समाप्त होने के लिए दायी कोई मुख्य व्यतिक्रम ;

(छ) भूमि स्वामि-पट्टादाता को भूमि जिस परिस्थितिमें पुनः प्राप्त की जा सकेगी वह परिस्थिति तथा उसकेलिए प्रणाली ;

(ज) भूमि स्वामि-पट्टादाता द्वारा जिस अवधि के दौरान ऐसी भूमि पुनः प्राप्त करना अनुज्ञेय नहीं हो वह न्युनतम अवधि ;

(झ) इस अधिनियम के उपबंधों से सुसंगत कोई अन्य पारस्परिक सहमति उपबंध।

(६) पट्टे का कालावधि भूमि स्वामि पट्टादाता और पट्टाधारी कृषक द्वारा विनिश्चित और पारस्परिक सहमति से होगा और इस अधिनियम के अधीन निष्पादित पट्टा करार के अनुसार पट्टे का कोई अवधि पट्टाधारी कृषक के पक्ष में कोई संरक्षित अभिधृति अधिकार सृजित नहीं होंगे।

(७) इस अधिनियम के अधीन पट्टा भूमि के उपयोग के लिए पट्टाधारी-कृषक द्वारा पट्टा किराया के प्ररूप में या उपज का हिस्सा या किसी अन्य प्ररूप में देय प्रतिफल भूमि स्वामि-पट्टादाता और पट्टाधारी कृषक द्वारा विनिश्चित किया जायेगा तथा पारस्परिक सहमति दी जायेगी।

(८) इस अधिनियम के अधीन पट्टा करार अधिकारों के अभिलेख में नहीं ली जायेगी, परंतु इस अधिनियम के अधीन पट्टा करार से संबंधित जानकारी, जैसा कि विहित किया जाए ऐसे प्ररूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए रखे गये रजिस्टर में की जायेगी।

सन् १९०८ का १६। (९) इस अधिनियम के अधीन पट्टा करार, भले ही रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, तो भी इस अधिनियम या पट्टा करार में अंतर्विष्ट से अन्य वे पट्टाधारी कृषक के नाम में विधिपूर्ण बेदरवली या पट्टा समाप्ति या कल्याण के संरक्षित अभिधृति या अधिभोगी अधिकार या कोई अन्य अधिकार समेत भूमिपर कोई अधिकार सृजित या प्रदान नहीं करेगा और के किसी विधि न्यायालय में भूमि पर कोई स्थायी अधिकार स्थापित करने के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा।

(१०) इस अधिनियम के अधीन पट्टेपर दी गई भूमि का कब्जा जब तक नए लिखित पट्टा करार द्वारा पट्टा नवीकृत नहीं किया है जिसको भूमि स्वामि-पट्टादाता और पट्टाधारी कृषक द्वारा पारस्परिक सहमति के अवधि के लिए इस धारा के उपबंध अपनाने द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया है, सहमत पट्टा अवधि के अवसित होने पर भूमि स्वामि पट्टादाता को प्रतिवर्तित किया गया ऐसा समझा जायेगा।

(११) पट्टाधारी कृषक और भूमि स्वामि-पट्टादाता के बीच कोई विवाद हो तो इस अधिनियम की धारा ९ में उपबंधित विवाद समाधान यंत्रणा के जरिए निराकरण किया जायेगा।

४. भूमि स्वामि-पट्टादाता,— भूमि स्वामि-पट्टादाता के अधिकार और जिम्मेवारियाँ।

(क) पट्टे के प्रथम दिनांक पर पट्टे पर दी जानेवाली भूमि का कब्जा पट्टाधारी कृषक को दे देगा और पट्टाधारी कृषक के उसके उपयोग और कब्जे में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा अगर पट्टाधारी कृषक,—

(एक) पट्टा रकम की अदायगी में चूक नहीं करता है ;

(दो) मृदा स्वास्थ्य का नुकसान नहीं करता है ;

(तीन) पट्टा करार में जिसपर सहमति हुई है से अन्य प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग नहीं करता है ; या

(चार) भूमि, किसी अन्य व्यक्ति को उप-पट्टेपर नहीं देगा ;

(ख) पट्टा करार के अनुसार, सहमत समयपत्रक के अनुसार पट्टाधारी कृषक से पट्टा किराया, या नियत नकद या उपज हिस्से के प्ररूप में सहमत पट्टा प्रतिफल प्राप्त करने का अधिकार होगा ;

(ग) शुरू में हुई सहमति पर या जैसे पारस्परिक सहमति से अवधि बढ़ाए जाने पर बिना किसी विल्लंगम के भूमि का स्वचलित पुनरारंभ करने का हकदार होगा और भूमि स्वामि-पट्टादाता, पट्टा अवधि के दौरान पट्टाधारी कृषक द्वारा सृजित कोई प्रभार या ब्याज या दायित्व के निर्वहन के लिए दायी नही रहेगा ;

(घ) पट्टे के अस्तित्व के दौरान, यदि और केवल यदि लिखित पट्टा करार में इसप्रकार उपबंधित किया है, जैसे पारस्परिक सहमति पर पट्टाधारी कृषक को पूर्व लिखित सूचना के साथ पट्टेपर दी गई भूमि से पुनःप्राप्त करने का अधिकार रहेगा ;

(ङ) यदि पट्टाधारी कृषक, खण्ड (क) के अधीन निर्दिष्ट कोई चूक करता है तो पट्टा समाप्त करने का अधिकार होगा ;

(च) ऐसे शर्तों के अध्यधीन कि ऐसा अंतरण, सहमत पट्टा अवधि के अवसित होने तक भूमि जोतने के लिये पट्टाधारी कृषक के कृषक अधिकार किसी रीत्या में बाधित न होते हुए सहमत पट्टा चालू रहने की अवधि के दौरान विक्रय, बक्षिस, बन्धक, आदि समेत पट्टेपर दी गई कृषक भूमि अन्य संक्रामण करने का अधिकार होगा ;

(छ) भूमि पर सभी प्रयुक्त कर और उपकर अदा करेगा ;

(ज) पट्टा करार के अवधि के दौरान, पट्टा करार के अनुसार पट्टाधारी कृषक द्वारा किए जानेवाले कार्यों में कोई अवरोध सृजित नहीं करेगा।

५. पट्टाधारी कृषक,— पट्टाधारी काश्तकार के अधिकार और जिम्मेवारिया।

(क) पट्टा करार में, यथा उपबंधित सहमति अवधि के लिए भूमि का बाधारहित कब्जा और उपयोग करने का हकदार रहेगा ;

(ख) इस अधिनियम में आगे निर्दिष्ट या पट्टा करार में निर्दिष्ट से अन्य पट्टे के आधार पर भूमि पर किसी अधिकार का दावा नहीं करेगा ;

(ग) उसके द्वारा पट्टेपर ली गई भूमि को उप-पट्टे के रूप में नहीं देगा या बन्धक नहीं बनाएगा ;

(घ) तत्समय प्रवृत्त किन्ही अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के उल्लंघन होते हुए भी, पट्टा करार में मंजुर अधिकारों से अन्य पट्टा करार के अधीन भूमि पर किसी प्रकार का बदलाव निर्माण करने का अधिकार नहीं होगा ;

(ङ) पट्टा करार के आधार पर, पट्टे पर ली गई भूमि को बन्धक बनाए बिना बँक या सहकारी संस्था या अन्य वित्तीय संस्था से ऋण लेने के लिए पात्र होगा। पट्टा अवधि के दौरान पट्टे पर ली गई भूमि से उत्पादन या विवरण का अपेक्षित मूल्य, यदि संस्था और पट्टाधारी कृषक के बीच यह पारस्परिक सहमति है तो पट्टाधारी कृषक को अग्रिम ऋण देणे के लिए सारव संस्थाओं द्वारा सांपार्श्विक के रूप में उपयोग कर सकेगी ;

(च) पट्टा अवधि चालू रहने के दौरान, पट्टा करार के आधार पर राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दी जा सके ऐसी फसल बीमा, आपदा राहत या कोई अन्य लाभ या सुविधाओं को प्राप्त करने का हकदार होगा ;

(छ) पट्टा करार के निबंधनों तथा शर्तों में यथा विनिर्दिष्ट भूमि स्वामि पट्टादाता को ऐसी सूचना देने के पश्चात् पट्टेपर ली गई भूमि का स्वेच्छ्या समर्पित करने का अधिकार होगा ;

(ज) पट्टा अवधि के दौरान सृजित किसी भार के बिना पट्टा के शुरू में सहमत कालावधि या पारस्परिक सहमति से बढ़ाई गई अवधि के समाप्ति पर तत्काल उसके द्वारा पट्टेपर ली गई भूमि रिक्त करेगा ;

(झ) भूमि स्वामि-पट्टादाता की अभिव्यक्त अनुज्ञा के बिना भूमि पर संरचना निर्माण करने या किसी साधनों फिक्चर को खडा करने का अधिकार नहीं होगा ;

(ञ) भूमि स्वामि-पट्टादाता से पट्टे पर ली गयी कृषि भूमि पर किये गए सुधार या साधनों के लिए क्षतिपूर्ति पाने का हकदार होगा, सुधार या साधन पट्टा करार से सुसंगत होनी चाहिए और ऐसी क्षतिपूर्ति के लिए पट्टा करार में उपबंध होने चाहिए ;

स्पष्टिकरण.—क्षतिपूर्ति, पट्टे की समाप्ति या अवसित होने के समय पर पट्टेपर ली गई भूमि पर बनाए गई अभिवृद्धियों या विकासों का शेष मूल्य है ;

(ट) पट्टा करार में यथा विनिर्दिष्ट समय में पट्टा प्रतिफल अदा करेगा और अदायगी में, देय दिनांक से तीन महिने के बाद का कोई विलंब होने पर वह बड़ी चूक होगी और भूमि स्वामि-पट्टादाता, पट्टे की समाप्ति के लिए सूचना जारी करने के लिए हकदार रहेगा ;

(ठ) पट्टा करार में यथा उल्लिखित भूमि केवल कृषि और संलग्न क्रियाकलाप के लिए उपयोग में लाई जायेगी ;

(ड) भूमि को किसी क्षति का कारण नहीं बनेगा और पट्टे पर ली गई भूमि और उसपर की कोई अचल सम्पत्ति को किसी क्षित के लिए भूमि स्वामि-पट्टादाता को दायी रहेगा ;

(ढ़) पट्टा करार में या इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रीत्या से अन्य पट्टे पर ली गई भूमि पर कोई अन्य हक्कदार नहीं होगा ;

(ण) उसके द्वारा पट्टे पर ली गई भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को उप-पट्टेपर नहीं दे सकेगा और कोई ऐसा कृत्य बड़ी चूक बनेगी, पट्टे की समाप्ति के लिए सूचना जारी करने का भूमि स्वामि-पट्टादाता हकदार बनेगा ;

(त) पट्टा अवधि के दौरान भूमि की सीमा में यदि कोई हो, परिवर्तन नहीं करेगा और उसपर सर्वेक्षण पत्थरों, के निशानों को नहीं मिटायेगा।

६. (१) इस अधिनियम के अधीन पट्टे वंशानुगत नहीं होगा और पट्टे के अधीन मंजूर पट्टाधारी कृषक के अधिकार, पट्टा करार में यथा उपबंधित के सिवाय अंतरणीय नहीं होगे। पट्टे की अनंतरणीयता और अदाययोग्यता।

(२) भूमि स्वामि-पट्टा दाता की मृत्यू होने पर जब तक पट्टाधारी कृषक और भूमि स्वामि का उत्तराधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा जल्दी से पट्टा करार समाप्त करने के लिए सहमत नहीं हो तब तक पट्टाधारी शेष पट्टा अवधि के लिए पट्टेपर ली गई भूमि की काश्तकारी जारी रखेगा। बहु भूमि स्वामि-पट्टादाताओं द्वारा भूमि पट्टे पर देने के मामले में, अगर मूल भूमि स्वामियों मे से एक भूमि स्वामि जीवित है तो पट्टा करार बना रहेगा।

(३) यदि एकल पट्टाधारी कृषक है, जिसकी मृत्यु हुई है तो भूमि स्वामि-पट्टादाता और ऐसे दिवंगत पट्टाधारी कृषक का उत्तराधिकारी जब पट्टा जारी रखने के लिए सहमत नहीं होते है तब पीक वर्ष की समाप्ति पर भूमि, भूमि स्वामि, पट्टादाता को वापस मिलेगी। पट्टाधारी कृषक, पट्टा करार में, सह-पट्टाधारी के रूप में अपने लड़के या लड़की(यों) का/के नाम शामिल करता है। करती है तो जीवित सह-पट्टाधारी शेष पट्टा अवधि के लिए पट्टा जारी रखने या किसी पारस्परिक सहमति से पट्टा अवधि बढ़ाने के हकदार होंगे।

७. इस अधिनियम के अधीन निष्पादित पट्टा,— पट्टे की समाप्ति।

(क) सहमत पट्टा अवधि के अवसित होने ;

(ख) यदि पट्टाधारी कृषक, सहमत निबंधनों के अनुसार तथा सहमत समय अनुसूचि के अनुसार पट्टा प्रतिफल अदा करने में असफल होने ;

(ग) यदि पट्टाधारी कृषक, कृषि और संलग्न क्रियाकतापों से अन्य या पट्टा करार में विनिर्दिष्ट से अन्य या प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग करने ;

(घ) यदि पट्टाधारी कृषक पट्टेपर ली गई भूमि उप-पट्टे पर देने ;

(ङ) यदि पट्टाधारी कृषक द्वारा भूमि को कोई क्षति पहुँचनें ;

(च) यदि भूमि स्वामि-पट्टादाता और पट्टाधारी कृषक पट्टा समाप्त करने के लिए पारस्परिक सहमत होने ;

(छ) यदि पट्टाधारी कृषक की पट्टा अवधि के दौरान मृत्यू होती है जिस मामले में पट्टे की समाप्ति इस अधिनियम की धारा ६ के अधीन उपबंधों के अध्यधीन होगी ;

(ज) इस अधिनियम की धारा ५ का खण्ड (च) के उपबंधों के अधीन जब पट्टाधारी कृषक, पट्टा अवधि के दौरान भूमि का स्वेच्छ्या से अभ्यर्पण करने ; या

(झ) यदि पट्टाधारी कृषक अनुन्मुक्त दिवालिया या विकृत मानसिकता के रूप अभिनिर्णित किया है, से समाप्त होगा।

अध्याय तीन

पट्टा करार का प्रवर्तन और विवाद निपटान

८. सरकार, सक्षम प्राधिकारी अधिसूचित करेगी जो निम्न के लिए जिम्मेवार होगा, अर्थात् :— पट्टा करार का प्रवर्तन।

(क) पट्टा के निबंधनों का प्रवर्तन ;

(ख) पट्टा अवधि के अवसित होने पर भूमि स्वामि-पट्टादाता को, पट्टेपर दी गई भूमि वापस करने में सरलता लाने।

९. (१) पट्टाधारी कृषक और भूमि स्वामि-पट्टादाता, इस अधिनियम के अधीन पट्टा करार में से उद्भूत उनके बीच किसी विवाद का मैत्रिपूर्ण ढंग से निपटान करने के सभी प्रयास करेंगे, जब कभी संभव हो अन्य पक्ष के मध्यस्थ का उपयोग करेंगे। विवाद का निपटान।

(२) यदि उप-धारा (१) में उल्लिखित यंत्रणा के ज़रिए विवाद का समझोता नहीं हुआ है, तो किसी भी पक्षकार को सक्षम प्राधकारी के समक्ष याचिका दायर कर सकेगा वह संक्षिप्त प्रक्रिया के उपयोग द्वारा तीन महिने की अधिकतम अवधि के भीतर इस विवाद का अभिनिर्णय करेगा।

(३) इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश से अन्यथा प्रत्येक आदेश के विरुद्ध कलक्टर को अपील दायर कर सकेगा।

(४) कलक्टर के आदेश विरुद्ध अपील महाराष्ट्र राजस्व अधिकरण को किया जायेगा जो इस अधिनियम के अधीन विवाद का अभिनिर्णय करनेवाला अंतिम प्राधिकरण होगा।

(५) इस अधिनियम के अधीन कलक्टर या महाराष्ट्र राजस्व अधिकरण को प्रस्तुत कोई अपील का एक वर्ष की अधिकतम अवधि के भीतर निपटान किया जायेगा।

(६) भूमि स्वामि-पट्टादाता और पट्टाधारी कृषक के बीच के विवाद के प्रलंबित रहने के दौरान, सक्षम प्राधिकारी या कलक्टर या महाराष्ट्र राजस्व अधिकरण पट्टा करार के शर्तों के अनुपालन के लिए या वे समुचित समझे ऐसा अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा :

परंतु यह कि, वह या वे जो पट्टा करार अवसित होने या समाप्ति होने के पश्चात् भी पट्टाधारी कृषक के पास भूमि का कब्जा रहने का कोई ऐसा आदेश पारित नहीं करेगा।

(७) यदि कोई रोक आदेश पारित हुआ है तो पट्टा करार का अवधि अवसित हो जाने पर ऐसा रोक आदेश अपने आप परिचालन होने से परिविरत हो जायेगा और अनिवार्य रूप से भूमि का कब्जा भूमि स्वामि-पट्टादाता को दिया जायेगा।

करार का उल्लंघन।

१०. इस अधिनियम के अधीन पट्टा करार के अननुपालन करने या किन्ही शर्तों के उल्लंघन या ऐसे करार के भंग से व्यथित पक्षकार के आवेदन की प्राप्ति पर सक्षम प्राधिकारी कारण बताओं सूचना जारी करके, ऐसा उल्लंघन या भंग तत्काल रोकने तथा पट्टा करार को अनुपालन करने और अनुपालन रिपोर्ट व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा या प्रति हेक्टर पचास हजार रुपए के अधिकतम दर पर ऐसा जुर्माना सक्षम प्राधिकारी ऐसे पक्ष पर क्यों ना विर्दिष्ट कर सके के संबंध में दुसरी कारण बताओ सूचना जारी करेगा। कारण बताओ सूचना के जवाब पर विचार करने के पश्चात् और शपथ पर साक्ष्य तथा दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात, सक्षम प्राधिकारी, पट्टा करार का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित आदेश पारित कर सकेगा और ऐसे आदेश के अनुपालन के अभिनिश्चयन करने के पश्चात् मामले का निपटान करेगा :

परंतु, यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि, पट्टा करार का अनुपालन करना संभव नहीं है, तो वह करार की समाप्ति करने का आदेश देगा और दोनों पक्षों के दावे का अवधारण करेगा तथा करार के उल्लंघन के लिए जम्मेवार पक्ष पर, प्रति हेक्टर पचास हजार रुपयों तक के अधिकतम दर पर जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा जो भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसुलीयोग्य होगा :

परंतु आगे यह कि, राज्य सरकार जुर्माने का अधिकतम दर, जो इस धारा के अधीन अधिरोपित किया जा सकता है, के लिए उच्चतम सीमा इस संबंध में नियम बनाने द्वारा, विहित करने के लिए सक्षम होगी।

भूमि स्वामि-पट्टादाता का पूनः स्थापन।

११. पट्टा करार की अवधि अवसित होने पर या समाप्ति पर, यदि भूमि पट्टाधारी कृषक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पट्टा करार के अधीन भूमि का कब्जा रिक्त नहीं करता है तो भूमि स्वामि-पट्टादाता के आवेदन पर, सक्षम प्राधिकारी सात दिनों के भीतर पट्टाधारी कृषक को नोटिस जारी करेगा, उसे यह निदेश देनेवाली सूचना जारी करेगा कि पट्टाधारी कृषक को सूचना की तामिल होने के दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर भूमि स्वामि-पट्टादाता को भूमि का कब्जा दिया जा सकेगा।

(२) यदि यथा उपर्युक्त कारण बताओ सूचना तामिल होने के पश्चात् भी, ऐसी नोटीस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर पट्टाधारी कृषक भूमि का कब्जा भूमि स्वामि पट्टादाता को नहीं देता है तो सक्षम प्राधिकारी, उप-धारा (१) के अधीन भूमि स्वामि-पट्टादाता से आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों के भीतर जो आवश्यक हो, यथोचित दल के उपयोग द्वारा भूमि का वास्तविक कब्जा प्रतिभूत करेगा और उसे भूमि स्वामि-पट्टादाता को सौंपेगा।

१२. (१) किसी व्यक्ति के भूमि के अधिकार को प्रभावित करनेवाला विनिर्णय, आदेश या कार्यवाहीयाँ को छोडकर इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा दिये गये विनिर्णय, या पारित आदेश या की गई कार्यवाहियाँ, सिविल न्यायालय के समक्ष कोई वाद, प्रयुक्ति या अन्य कार्यवाहीयों में प्रश्नगत नहीं की जायेगी और इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा कि गई या के बारे में की जानेवाली किसी कार्यवाही के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेश नहीं दिया दायेगा। सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन।

(२) किसी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन विवादों पर कोई अधिकारिता नहीं होगी।

अध्याय चार

विविध

१३. इस अधिनियम या तद्धिन बनाए गए नियमों के अनुसरण में कर्तव्यों का निर्वहन करने में सद्भावनापूर्वक की गई या करने के लिये आशयित किसी कार्यवाही के लिए किसी लोक सेवक के विरुद्ध किसी न्यायालय या प्राधिकरन के समक्ष कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहीयाँ संस्थित नहीं की जायेगी। सद्भावना में की गई कार्यवाही के लिए व्यक्तियों को संरक्षण।

१४. (१) राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के सभी या किन्ही प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अध्यधीन नियम करेगी। विनियम बनाने की शक्ति ।

(२) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिये रखा जायेगा, जो कि चाहे वह एक सत्र में हो या दो अनुक्रमिक सत्रों में हों, और यदि उस सत्र में जिसमें उसे रखा गया है उसके ठीक बाद के सत्र या सत्रों के अवसान के पूर्व, दोनो सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाए ऐसा विनिश्चय **राजपत्र** में अधिसूचित करते हों तो नियम, ऐसे विनिश्चय के प्रकाशन के दिनांक से परिवर्तित रुप में हों प्रभावी होगा, या यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा ; तथपि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलिकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात या विलुप्ति की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगा।

१५. (१) इस अधिनियम के उपबंध, उसके प्रवर्तन के दिनांक के अध्यधीन तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर अध्यारोही प्रभाव होगा : अध्यारोही प्रभाव और व्यावृत्तियाँ।

परंतु, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधिन उद्भूत कोई अधिकार, की गई कार्यवाही, विलंबित मामले ऐसे विधि के उपबंधों द्वारा शासित किए जायेंगे :

परंतु आगे यह कि यदि भूमि स्वामि-पट्टादाता और पट्टाधारी कृषक के बीच का विद्यमान पट्टा करार में नए पट्टे द्वारा अधिकतर बढ़ाने या बदलना चाहते है तो इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।

(२) संदेह के निराकरण के लिए, एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, यह अधिनियम भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा और महाराष्ट्र राज्य में विद्यमान किराएदारी विधि के अधीन, इस अधिनियम के विद्यमान प्रवर्तन के दिनांक पर विद्यमान संरक्षित किराएदार या विद्यमान संरक्षित बढाईदार (शेयर क्रॉपर्स) इस अधिनियम द्वारा प्रभावित नही होंगे।

१६. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से अन-असंगत ऐसी बात करेगा जो उस कठिनाई के निराकरण करने के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो : कठिनाइयाँ को दूर करने की शक्ति।

परंतु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXIX OF 2023.

THE MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, माननीय राष्ट्रपति महोदया की अनुमति दिनांक १९ जून २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXIX OF 2023.

AN ACT TO PROVIDE FOR THE MAINTENANCE OF CERTAIN ESSENTIAL SERVICES AND THE NORMAL LIFE OF THE COMMUNITY; AND TO PROVIDE FOR THE MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २९ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राष्ट्रपति महोदया की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ३० जून २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

कतिपय अत्यावश्यक सेवाओं और समुदाय के सामान्य जीवन को बनाए रखने; और तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि कतिपय अत्यावश्यक सेवाओं और समुदाय के सामान्य जीवन को बनाए रखने ; और तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के चौहत्तरवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भण और कालावधि।

१. (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवायें बनाए रखना अधिनियम, २०२३ कहलाए।

(२) इसका विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करें और इस अधिनियम के कार्यान्वयन की ऐसी समाप्ति के पूर्व संबंधित की गई या किये जाने से छोडी गई बातों के संबंध में को छोडकर, उक्त दिनांक से पाँच वर्षों के अवसान पर प्रभावी होने से परिविरत हो जायेंगी; और महाराष्ट्र साधारण खण्ड अधिनियम की धारा ७ इस अधिनियम के प्रवर्तन की ऐसी समाप्ति को इस प्रकार लागू होंगे मानों कि वह महाराष्ट्र अधिनियम द्वारा तब निरसित किया गया था। सन् १९०४ का १।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएँ।

(क) ‘‘ अत्यावश्यक सेवा ’’ का तात्पर्य ,—

(एक) भूमि या जल मार्ग से सवारी या माल ढ़ोने के लिए किसी परिवहन सेवा से है, जिसके संबंध में राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है ;

(दो) गैस या दूध या पानी या विद्युत आपूर्ति से संबंधित किसी सेवा से है जिसके संबंध में राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है ;

(तीन) अस्पतालों और दवाखानों समेत लोकस्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने से संबंधित किसी सेवा से है ;

(चार) राज्य के कामकाज से संबंधित किसी लोक सेवा, पद तथा रोजगार और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सचिविय कर्मचारिवृन्द के लिए नियुक्त किये गये व्यक्तियों और उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी है ;

(पाँच) स्थानिय प्राधिकरणों के कामकाज से संबंधित किसी सेवा या पद ;

(छह) किसी अन्य सेवा, पद, रोजगार या उसके वर्ग से है, जिससे संबंधित मामलों के संबंध में राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है और जब राज्य सरकार की यह राय होती है की ऐसी सेवा, पद, रोजगार या उसके वर्ग की हड़ताल, लोक सुरक्षा या समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति या सेवाओं को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी या जिसके परिणामस्वरुप समुदाय को घोर कष्ट होगा और जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु, **राजपत्र,** में अधिसूचना द्वारा, अत्यावश्यक सेवा घोषित करती है ;

(ख) ‘‘ हड़ताल ’’ का तात्पर्य, किसी अत्यावश्यक सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों के किसी निकाय द्वारा काम बन्द करना या कितनी भी संख्या में व्यक्तियों की जो इस प्रकार नियोजित हैं या रहें हैं, सामान्य समझ से काम जारी रखने या रोजगार स्वीकार करने से सम्मिलित रूप से इंकार या इंकार करने से है, और इसमें,—

(एक) अतिकाल कार्य से इंकार करना, जहाँ ऐसा कार्य किसी अत्यावश्यक सेवा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है ;

(दो) ऐसा कोई अन्य आचरण जिसके परिणाम स्वरूप किसी अत्यावश्यक सेवा में काम बन्द करने या काम में पर्याप्त विलंब होने की संभावना है ;

सन् १९४७ का १४। (ग) धारा ५ और ६ में उपर्युक्त परन्तु उसमें परिभाषित नहीं किये गये शब्द और पर, परन्तु, जिन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में परिभाषित किया गया है का, उस अधिनियम में उन्हें क्रमशः समनुदेशित अर्थ होगा।

३. (१) धारा २ के खण्ड (क) के उप-खण्ड (छह) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, उसके बनाए जाने के तुरन्त बाद में, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, यदि उसका सत्र चल रहा है और यदि सत्र नहीं चला रहा हो तो सदन के अगले सत्र के प्रारम्भण के प्रथम दिन रखी जायेगी और इस प्रकार रखे जाने या यथास्थिति, राज्य विधानमंडल के पुनःसमवेत होने के दिनांक से, चालीस दिनों की अवधि अवसित होने पर प्रवृत्त होने से परिविरत हो जायेगी, जब तक कि उस अवधि के अवसान के पूर्व, अधिसूचना जारी किये जाने को अनुमोदित करनेवाला प्रस्ताव, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं किया जाता है। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष अधिसूचना रखना।

(२) जहाँ उप-धारा (१) द्वारा या के अधीन कोई अधिसूचना प्रवृत्त होने से परिविरत हुई है वहाँ वह, ऐसी समाप्ति से पूर्व की गई या करने से विलुप्त ऐसी किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समाप्त होगी।

स्पष्टीकरण.—जहाँ राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों को अलग-अलग दिनांकों पुनः समवेत होने के लिए समन किया गया है, चालीस दिनों की अवधि को उन दिनांकों के बाद से गिनवा की जायेगी।

४. (१) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो वह, उप-धारा (५) के उपबन्धों के अध्यधीन, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे दिनांक से, जैसा वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे ऐसी आवश्यक सेवा में हड़ताल प्रतिषिद्ध कर सकेगी। कतिपय नियोजन में हड़ताल प्रतिषिद्ध करने की शक्ति।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया कोई आदेश ऐसी रित्या प्रकाशित किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा, उसके प्रभावित होनेवाले व्यक्तियों के ध्यान में लाने के लिए सर्वोतम अनुमानित करती है।

(३) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया कोई आदेश उसमें विनिर्दिष्ट दिनांक से केवल छह महीने के लिए प्रवृत्त होगा, परन्तु राज्य सरकार का यदि समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक या इष्टकर है तो उसी रीत्या प्रकाशित उसी के सदृश्य आदेश द्वारा और उप-धारा (५) के उपबंधों के अध्यधीन उसे छह महीने से अनधिक अधिकतर अवधि के लिए बढ़ा सकेगी।

(४) उप-धारा (१) या उप-धारा (३) के अधीन कोई आदेश जारी करने पर,—

(क) ऐसी किसी अत्यावश्यक सेवा, जिससे आदेश संबंधित है, में नियोजित कोई व्यक्ति हड़ताल पर नहीं जायेगा या रहेगा ;

(ख) ऐसी सेवा में नियोजित व्यक्तियों द्वारा चाहे आदेश जारी होने के पूर्व या के पश्चात्, घोषित या शुरू की गई कोई भी हड़ताल अवैध होगी। ;

(५) उप-धारा (१) या उप-धारा (३) के अधीन कोई भी आदेश,—

(क) विधान परिषद के सभापति और विधानसभा के अध्यक्ष के अनुरोध को छोड़कर राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सचिवालयीन कर्मचारिवृन्दों के लिए नियुक्त व्यक्तियो ;

(ख) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अनुरोध को छोड़कर उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों, के संबंध में नहीं बनाया जायेगा। ;

५. (१) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो, वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, आदेश में, विनिर्दिष्ट किसी आवश्यक सेवा से सम्बन्धित किसी स्थापना में तालाबन्दी प्रतिषिद्ध कर सकेगी। कतिपय स्थापनाओं में तालाबन्दी प्रतिषिद्ध करने की शक्ति।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया आदेश, ऐसी रीत्या प्रकाशित किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा, उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के ध्यान में के लिए सर्वोत्तम अनुमानित करती है।

(३) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया आदेश, केवल छह माह के लिए प्रवृत्त होगा, परन्तु राज्य सरकार का यदि समाधान हो जाता है कि, ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है तो उसी के सदृश्य आदेश द्वारा उसे छह महीने से अनधिक अधिकार अवधि के लिए बढ़ा सकेगी।

(४) उप-धारा (१) या उप-धारा (३) के अधीन आदेश जारी होने पर,—

(क) किसी स्थापना, जिसे आदेश लागू होता है, के सम्बन्ध में कोई नियोजक किसी तालाबन्दी की घोषणा या प्रारम्भ नहीं करेगा ;

(ख) किसी स्थापना के सम्बन्ध में जिसे आदेश लागू होता है, किसी नियोजक द्वारा आदेश जारी होने से पूर्व या के पश्चात् घोषित या शुरू की गई कोई भी तालाबन्दी अवैध होगी ;

(५) किसी स्थापना के सम्बन्ध में कोई नियोजक, जो इस धारा के अधीन अवैध तालाबन्दी शुरू करता है, जारी रखता है, या अन्यथा उसे अग्रसर करने के लिए कोई कार्य करता है, तो दोषासिद्धि पर, छह महीने तक के कारावास से या तीन हजार रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

कतिपय स्थापनाओं में कामबन्दी प्रतिषिद्ध करने की शक्ति।

६. (१) यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो वह, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, बिजली की कमी या प्राकृतिक विपत्ति से अन्य आधार पर, किसी कर्मकार के (बदली कर्मकार या नैमित्तिक कर्मकारों से अन्य) जिसका नाम, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी अत्यावश्यक सेवा से सम्बन्धित किसी स्थापना के मस्टर रोल में है, की कामबन्दी प्रतिषद्ध कर सकेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया कोई आदेश, ऐसी रीत्या प्रकाशित किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा, उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के ध्यान में लाने के लिए सर्वोत्तम अनुमानित करती है।

(३) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया कोई आदेश, केवल छह माह के लिए प्रवर्तमान होगा, परन्तु राज्य सरकार का यदि समाधान हो जाता है, कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक या इष्टकर है तो, उसी के सदृश्य आदेश द्वारा, उसी रीत्या उसे छह महिने से अनधिक अवधि के लिए बढ़ा सकेगी।

(४) उप-धारा (१) या उप-धारा (३) के अधीन कोई आदेश जारी होने पर,—

(क) किसी स्थापना, जिसे आदेश लागू होता है, के सम्बन्ध में, कोई नियोजक, किसी कर्मकार की (बदली कर्मकार या नैमित्तिक कर्मकार से अन्य) जिसका नाम ऐसी स्थापना के मस्टर रोल में है, तब तक कामबन्दी कर या कामबन्दी जारी रख नहीं सकेगा, जब तक कि ऐसी कामबन्दी बिजली की कमी या किसी प्राकृतिक विपत्ती के परिणामस्वरूप न की हो और बिजली की कमी या प्राकृतिक विपत्ति के कारण की गई कामबन्दी या, जारी रखी गई कामबन्दी को छोड़कर की गई कोई कामबन्दी या जारी रखी गई कामबन्दी अवैध होगी ;

(ख) कोई कर्मकार जिसकी कामबन्दी खण्ड (क) के अधीन अवैध है तो वह, तत्समय प्रवर्तमान किसी भी विधि के अधीन सभी प्रसुविधाओं का हकदार होगा मानों की उसकी कामबन्दी नहीं की गई हो।

(५) किसी स्थापना के सम्बन्ध में कोई नियोजक जो, किसी कर्मकार की कामबन्दी करता है या कामबन्दी जारी रखता है, यदि ऐसी कामबन्दी या कामबन्दी जारी रखना इस धारा के अधीन अवैध है तो, दोषासिद्धि पर, वह छह महीने तक के कारावास से या तीन हजार रुपयों तक के जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

अवैध हड़ताल के लिए शास्ति।

७. कोई व्यक्ति जो, इस अधिनियम के अधीन अवैध हड़ताल शुरू करता है, या पर जाता है, या रहता है, अन्यथा ऐसी कोई हड़ताल में भाग लेता है, दोषसिद्धि पर, एक वर्ष तक कारावास से, या तीन हजार रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

उकसाने के लिए शास्ति।

८. कोई व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों को ऐसी हड़ताल में भाग लेने, जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है, के लिए उकसाता है या उद्दीप्त करता है, या अन्यथा उसे अग्रसर करने के लिए कोई कार्य करता है, दोषसिद्धि पर, एक वर्ष तक के कारावास से या तीन हजार रुपयों तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

अवैध हड़ताल के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए शास्ति।

९. कोई व्यक्ति जो जानबूझकर, इस अधिनियम के अधीन अवैध हड़ताल को अग्रसर करने लिए या समर्थन के लिए कोई रकम खर्च करता है, या उसकी आपूर्ति करता है, दोषसिद्धि पर, एक वर्ष तक के कारावास से या तीन हजार रुपयों तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

१०. धारा ७, ८ या ९ के अधीन की गई कोई कार्यवाही, किसी अनुशासनात्मक स्वरूप की कार्यवाही या किन्ही परिणामों पर, जो उसके परिणामस्वरूप होंगे और जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी, सेवा या नियोजन के निबन्धनों और शर्तों द्वारा दायी होगा, प्रभाव नहीं डालेगी, और उनके अतिरिक्त होगी। अनुशासनात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त धारा ७, ८ या ९ के अधीन कार्यवाही ।

११. (१) दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी पुलिस अधिकारी, वारंट के बिना, ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिस पर इस अधिनियम के अधीन अपराध करने का उचित रूप से संदेह है, गिरफ्तार कर सकेगा। वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति और अपराध अजमानतीय होंगे ।

(२) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध अजमानतीय होंगे।

सन् १९४७ का बम्बई ११। सन् १९४७ का १४। **१२.** महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ या तत्समय प्रवर्तमान किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात से असंगत होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध या तद्धीन जारी कोई आदेश प्रभावी होगा। अन्य विधियों पर अधिनियम का अध्यारोही होना।

सन् २०१८ का महा. १८। **१३.** (१) महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवायें बनाए रखना अधिनियम, २०१७ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । सन् २०१८ का महा. १८ निरसन तथा व्यावृत्ति।

(२) मूल अधिनियम के निरसन का निम्न पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा–

(क) मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत), या

(ख) मूल अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार या बाध्यता या दायित्व, या

(ग) मूल अधिनियम के अधीन किसी अपराध के संबंध में उपगत कोई शास्ति या दण्ड, या

(घ) यथा उपरोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति या दण्ड के संबंध में कोई अन्वेषण, कानूनी कार्यवाही या उपचार और किसी ऐसे कि अन्वेषण कानूनी कार्यवाही या उपचार संहिता किए जाने, निरंतर रखने या प्रवृत्त करने और ऐसी कोई शास्ति या दण्ड यथा अधिरोपित करना यदि मूल अधिनियम निरसित किया गया है ।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXX OF 2023.

THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS AND THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS (AMENDMENT) ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २४ जुलाई २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXX OF 2023.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT AND THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३० सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २५ जुलाई २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन् १९५९ का महा. ३। सन् १९६२ का महा. ५। **और क्योंकि** महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और इसलिए, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति (संशोधन) अध्यादेश, २०२३, २८ अप्रैल २०२३ को प्रख्यापित किया गया था ; सन् २०२३ का महा. अध्या. क्र. १।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है, अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है:—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

१. (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति (संशोधन) अधिनियम, २०२३ कहलाए। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

(२) यह २८ अप्रैल २०२३ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय दो

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में संशोधन।

सन् १९५९ का ३। **२.** महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम (जिसे इसमें आगे इस अध्याय में, " महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम " कहा गया है), की धारा १०-१क में, विद्यमान परंतुकों के स्थान में, निम्नलिखित परंतुक, रखा जाएगा, अर्थात् :— सन् १९५९ का ३ की धारा १०-१क में संशोधन।

" परंतु, आम या उप-चुनावों के लिए, जो राज्य चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रमों के अनुसार, नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिनांक ३१ दिसम्बर, २०२३ को या के पूर्व हो तो, ऐसा व्यक्ति, जिसने नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक के पूर्व अपने जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए संवीक्षा समिति को आवेदन किया है, परन्तु जिसे नामांकन पत्र के दाखिल करने के दिनांक पर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह नामनिर्देशन पत्र के साथ, निम्न प्रस्तुत करेगा,—

(एक) विधिमान्यता प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए संवीक्षा समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की एक सत्य प्रतिलिपि या संवीक्षा समिति को ऐसा आवेदन करने का कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंध कि, वह संवीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया विधिमान्यता प्रमाणपत्र जिस दिनांक को वह निर्वाचित घोषित हुआ हैं उस दिनांक से बारह महीने की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और भी कि, यदि ऐसा व्यक्ति जिस दिनांक से वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से बारह महीने की अवधि के भीतर, विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए असफल होता है तो, उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह सदस्य होने से निरर्ह हो जाएगा । "।

३. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा ३०-१क में विद्यमान परंतुकों के स्थान में, निम्नलिखित परंतुक, रखे जाएँगे, अर्थात् :— सन् १९५९ का ३ की धारा ३०-१क में संशोधन।

" परंतु, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसरण में, **सरपंच** पद के लिए निर्वाचनों जिसके लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिनांक ३१ दिसम्बर, २०२३ को या के पूर्व हो तो, ऐसा व्यक्ति जिसने नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक के पूर्व अपने जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए संवीक्षा समिति को आवेदन किया है, परन्तु जिसे नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक पर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो, नामांकन पत्र के साथ, निम्न प्रस्तुत करेगा,—

(एक) विधिमान्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए संवीक्षा समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की सत्य प्रतिलिपि या संविक्षा समिति को ऐसा आवेदन करने का कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंध कि, वह, संवीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया विधिमान्यता प्रमाणपत्र जिस दिनांक को वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से बारह महीने की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और भी कि, यदि ऐसा व्यक्ति, जिस दिनांक से वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से बारह महीने की अवधि के भीतर, विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए असफल होता है तो, उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह **सरपंच** होने से निरर्ह हो जाएगा । " ।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में संशोधन।

सन् १९६२ का महा. ५ की धारा १२क में संशोधन।

४. महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, " महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम " कहा गया है), की धारा १२क में, विद्यमान परन्तुक के स्थान में, निम्न परन्तुक, रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९६२ का महा. ५।

" परंतु, आम या उप-चुनावों के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रमों के अनुसार, नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिनांक ३१ दिसम्बर, २०२३ को या के पूर्व हो तो, ऐसा व्यक्ति जिसने नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक के पूर्व अपने जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए संवीक्षा समिति को आवेदन किया है, परन्तु जिसे नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक पर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो, नामांकन पत्र के साथ, निम्न प्रस्तुत करेगा,—

(एक) वैधता प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए संवीक्षा समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की एक सत्य प्रतिलिपि या संवीक्षा समिति को ऐसा आवेदन करने का कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंध कि, वह, संवीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया विधिमान्यता प्रमाणपत्र जिस दिनांक को वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से बारह महीनें की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और भी कि, यदि कोई व्यक्ति जिस दिनांक से वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से बारह महीने की अवधि के भीतर, विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए असफल होता है तो, उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह पार्षद होने से निरर्ह हो जाएगा । " ।

सन् १९६२ का महा. ५ की धारा ४२ में संशोधन।

५. महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम की धारा ४२ की, उप-धारा (६क) में विद्यमान परंतुकों के स्थान में, निम्नलिखित परंतुक, रखे जाएँगे, अर्थात् :—

" परंतु, घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसरण में, **अध्यक्ष** पद के लिए निर्वाचनों, जिसके लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिनांक ३१ दिसम्बर, २०२३ को या के पूर्व हो तो, ऐसा व्यक्ति जिसने नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक के पूर्व अपने जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए संवीक्षा समिति को आवेदन किया है ; परंतु जिसे नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक पर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो, नामांकन पत्र के साथ, निम्न प्रस्तुत करेगा,—

(एक) विधिमान्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए संवीक्षा समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की सत्य प्रतिलिपि या संवीक्षा समिति को ऐसा आवेदन करने का कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंध कि, वह, संवीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया विधिमान्यता प्रमाणपत्र जिस दिनांक को वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से बारह महीने की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और भी कि, यदि कोई व्यक्ति, जिस दिनांक से वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से बारह महीने की अवधि के भीतर, विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए असफल होता है तो, उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह **अध्यक्ष** होने से निरर्ह हो जाएगा । " ।

सन् १९६२ का महा. ५ की धारा ६७ में संशोधन।

६. महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम की धारा ६७ की, उप-धारा (७क) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान में, निम्न परन्तुक, रखा जायेगा, अर्थात् :—

"परंतु, घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसरण में, **सभापति** पद के लिए निर्वाचनों, जिसके लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिनांक ३१ दिसम्बर, २०२३ को या के पूर्व हो तो, ऐसा व्यक्ति जिसने नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक के पूर्व अपने जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए संवीक्षा समिति को आवेदन किया है, परंतु जिसे नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक पर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो, नामांकन पत्र के साथ, निम्न प्रस्तुत करेगा,—

(एक) विधिमान्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए संवीक्षा समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की सत्य प्रतिलिपि या संवीक्षा समिति को ऐसा आवेदन, करने का कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंध कि, वह, संवीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया विधिमान्यता प्रमाणपत्र जिस दिनांक को वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से बारह महीने की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और भी कि, यदि कोई व्यक्ति, जिस दिनांक से वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से बारह महीने की अवधि के भीतर, विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए असफल होता है तो, उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह **सभापति** होने से निरर्ह हो जाएगा। ”।

सन् २०२३ का महा. अध्यादेश क्रमांक १ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

७. (१) महाराष्ट्र ग्राम पंचायत और महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (संशोधन) अध्यादेश, २०२३ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है । सन् २०२३ का महा. अध्या. क्रमांक १।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ के तत्स्थानी उपबंधों अधिन कृत या की गई कोई बात, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सुसंगत अधिनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई, या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी। सन् १९५९ का महा. ३। सन् १९६२ का महा. ५।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXXI OF 2023.

THE MAHARASHTRA (SECOND SUPPLEMENTARY) APPROPRIATION ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २७ जुलाई २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXI OF 2023.

AN ACT TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES AND PURPOSES OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH 2024.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २७ जुलाई २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

अधिनियम जिसके द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२४ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए कतिपय अधिकतर रकमों की अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२४ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए, कतिपय रकमों के विनियोग के लिये यह आवश्यक है कि विनियोग अधिनियम पारित करने तथा उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ, उपबंध किया जाये ; इसलिए, भारत गणराज्य के चौहत्तरवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम। **१.** यह अधिनियम महाराष्ट्र (द्वितीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०२३ कहलाए।

२. राज्य की संचित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नहीं होंगी और जो कुल मिलाकर चार खरब, बारह अरब, तैंतालीस करोड़, बीस लाख, तिरानबे हजार रुपयों की रकम के बराबर होगी, अनुसूची के स्तंभ (२) में बताये हुए कार्यों तथा उद्देश्यों के सम्बन्ध में, सन् २०२४ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में, होनेवाले व्ययों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जायेंगी। राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ के लिये, ४ खरब, १२ अरब, ४३ करोड़, २० लाख, ९३ हजार रुपये निकालना।

३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिये प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०२४ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए, कार्यों तथा उद्देश्यों के लिये विनियोग किया जायेगा। विनियोग।

अनुसूची

(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)	रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी — विनियोजन (४) — विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित	कुल
			रुपये	रुपये	रुपये
		क—राजस्व लेखे पर व्यय			
		सामान्य प्रशासन विभाग			
ए-१	राज्यपाल और मंत्री परिषद।	२०१२, राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/ संघराज्य क्षेत्रों के प्रशासक। ..	....	१,७३,९०,०००	१,७३,९०,०००
		२०१३, मंत्री परिषद।			
ए-२	निर्वाचन। ..	२०१५, निर्वाचन। ..	८६,००,००,०००	....	८६,००,००,०००
ए-३	लोक सेवा आयोग। ..	२०५१, लोक सेवा आयोग । ..	....	१०,९०,८०,०००	१०,९०,८०,०००
ए-४	सचिवालय और विविध सामान्य सेवाएँ। ..	२०५२, सचिवालय सामान्य सेवाएँ। ..	२६,८३,९६,०००	....	२६,८३,९६,०००
		२०५९, लोकनिर्माण कार्य।			
		२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।			
		२०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।			
ए-५	सामाजिक सेवाएँ। ..	२२१६, आवास। ..	२७,१८,९५,०००	....	२७,१८,९५,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ।			
		२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।			
ए-७	सिविल विमानन। ..	३०५३, सिविल विमानन । ..	८५,००,००,०००	....	८५,००,००,०००
		कुल—सामान्य प्रशासन विभाग। ..	२,२५,०२,९१,०००	१२,६४,७०,०००	२,३७,६७,६१,०००

		गृह विभाग				
बी-१	पुलिस प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन। २०५५, पुलिस। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	..	७४,७४,९१,०००	....	७४,७४,९१,०००
बी-२	राज्य उत्पादन शुल्क। ..	२०३९, राज्य उत्पादन शुल्क।	..	५६,००,०००	....	५६,००,०००
बी-३	परिवहन प्रशासन।	२०४१, वाहनों पर कर। ३०५५, सड़क परिवहन। ३०५६, आंतर्राज्यीय जल परिवहन।	..	१०,०१,५०,२०,०००	....	१०,०१,५०,२०,०००
बी-४	सचिवालय और अन्य सामान्य सेवाएँ।	२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क। २०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	..	२,६५,००,०००	....	२,६५,००,०००
बी-५	जेल। ..	२०५६, जेल।	..	५,००,००,०००	....	५,००,००,०००
		कुल—गृह विभाग।	..	१०,८४,४६,११,०००	....	१०,८४,४६,११,०००
		राजस्व तथा वन विभाग				
सी-१	राजस्व तथा जिला प्रशासन ।	२०२९, भू-राजस्व। २०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क। २०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	..	७०,६४,९६,०००	....	७०,६४,९६,०००
सी-३	ब्याज अदायगियाँ। ..	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..	४,५८,२५,८२,०००	....	४,५८,२५,८२,०००
सी-४	सचिवालय तथा अन्य सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ। २०५९, लोक निर्माण कार्य। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	..	१,४५,००,०००	४५,९१,५८,०००	४७,३६,५८,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
सी-५	अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२१७, नगरविकास।	. .	४०,२५,०००	. . . .	४०,२५,०००
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ।				
सी-७	वन।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	. .	२,०००	. . . .	२,०००
		२४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।				
		२५५१, पहाड़ी क्षेत्र।				
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	. .	५,३०,७६,०५,०००	४५,९१,५८,०००	५,७६,६७,६३,०००
		कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग				
डी-३	कृषि सेवाएँ।	२४०१, कृषि कर्म।	. .	५०,३८,८०,००,०००	. . . .	५०,३८,८०,००,०००
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण।				
		२४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।				
डी-४	पशुपालन।	२४०३, पशुपालन।	. .	१७,२८,०१,०००	. . . .	१७,२८,०१,०००
डी-५	दुग्ध उद्योग विकास। . .	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।	. .	५,८७,११,०००	. . . .	५,८७,११,०००
डी-६	मत्स्य उद्योग। . .	२४०५, मत्स्य उद्योग।		१,३६,३३,२७,०००	. . . .	१,३६,३३,२७,०००
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	. .	५१,९८,२८,३९,०००	. . . .	५१,९८,२८,३९,०००
		विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग				
इ-२	सामान्य शिक्षा। . .	२२०२, सामान्य शिक्षा।	. .	५०,२१,१२,६४,०००	. . . .	५०,२१,१२,६४,०००
इ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।	. .	९९,९७,६२,०००	. . . .	९९,९७,६२,०००
		२२०५, कला तथा संस्कृति।				
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।				
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।	. .	५१,२१,१०,२६,०००	. . . .	५१,२१,१०,२६,०००

		नगरविकास विभाग			
एफ-२	नगरविकास तथा अन्य अग्रिम सेवाएँ।	२०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२१७, नगरविकास । ३०५४, सड़क तथा पुल।	. .	२५,८४,७५,००,०००	. . . . २५,८४,७५,००,०००
एफ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	. .	१,८०,००,०००	. . . . १,८०,००,०००
एफ-४	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थांओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		४,००,००,००,०००	. . . . ४,००,००,००,०००
		कुल—नगरविकास विभाग।	. .	२९,८६,५५,००,०००	. . . . २९,८६,५५,००,०००
		वित्त विभाग			
जी-१	विक्रय कर प्रशासन।	२०२०, आय तथा व्यय पर कर संग्रहण । २०४०, विक्रय, व्यापार आदि, पर कर। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	. .	४,४९,९२,०००	. . . . ४,४९,९२,०००
जी-५	कोषागार तथा लेखा प्रशासन। . .	२०५४, कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	. .	५२,६१,०००	. . . . ५२,६१,०००
		कुल—वित्त विभाग।	. .	५,०२,५३,०००	. . . . ५,०२,५३,०००
		लोकनिर्माण कार्य विभाग			
एच-३	आवास। . .	२२१६, आवास।	. .	२८,२४,१५,०००	. . . . २८,२४,१५,०००
एच-६	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा।		८१,२५,३२,०००	. . . . ८१,२५,३२,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।		रुपये	रुपये	रुपये
		२२०५, कला तथा संस्कृति।				
		२२१०, चिकित्सा और लोकस्वास्थ्य।				
		२२१७, नगरविकास।				
		२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास।				
		२४०३, पशुपालन।				
		२४०५, मत्स्योद्योग ।				
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग ।	. .	१,०९,४९,४७,०००	. . . .	१,०९,४९,४७,०००
	जलस्त्रोत विभाग					
आय-३	सिंचाई, विद्युत तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण।	. .	६,०६,१४,०००	. . . .	६,०६,१४,०००
		२७००, बड़ी सिंचाई।				
		२७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई।				
		२७०२, लघु सिंचाई।				
		२७०५, कमान क्षेत्र विकास।				
		२७११, बाढ़ नियंत्रण और निकास।				
		२८०१, विद्युत।				
		३४०२, अन्तरिक्ष अनुसंधान				
		कुल—जलस्त्रोत विभाग।	. .	६,०६,१४,०००	. . . .	६,०६,१४,०००
	विधि तथा न्याय विभाग					
जे-१	न्याय प्रशासन। . .	२०१४, न्याय प्रशासन।	. .	४४,०७,७०,०००	१,३६,४०,९५,०००	१,८०,४८,६५,०००
जे-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।	. .	१,०७,७०,०००	. . . .	१,०७,७०,०००
		२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ।				
		३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।				
		कुल—विधि तथा न्याय विभाग।	. .	४५,१५,४०,०००	१,३६,४०,९५,०००	१,८१,५६,३५,०००

उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग

के-३	लेखनसामग्री तथा मुद्रण।	२०५७, पूर्ति और निपटान ।	..	२,५८,७२,०००	....	२,५८,७२,०००
		२०५८, लेखनसामग्री तथा मुद्रण।				
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
के-७	उद्योग ।	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।	..	६४,००,०००	....	६४,००,०००
		२८५२, उद्योग।				
		२८५३, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग।				
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	..	३,२२,७२,०००	....	३,२२,७२,०००

ग्रामविकास विभाग

एल-१	ब्याज अदायगियाँ। ..	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..	....	४२,१९,५३,०००	४२,१९,५३,०००
एल-२	जिला प्रशासन। ..	२०५३, जिला प्रशासन।	..	२५,००,०२,०००	....	२५,००,०२,०००
एल-३	ग्रामविकास कार्यक्रम।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य।	..	२०,००,००,००,०००	....	२०,००,००,००,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।				
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।				
		२५०५, ग्राम नियोजन।				
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।				
		३०५४, सड़क तथा पुल।				
		कुल—ग्रामविकास विभाग।	..	२०,२५,००,०२,०००	४२,१९,५३,०००	२०,६७,१९,५५,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
	खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग			रुपये	रुपये	रुपये
एम-२	खाद्य, भांडारकरण तथा गोदाम। . .	२४०८, खाद्य, भांडारकरण तथा गोदाम।	. .	५,२५,७१,७९,०००	. . . .	५,२५,७१,७९,०००
एम-३	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	. .	१,३६,१६,०००	. . . .	१,३६,१६,०००
		३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।				
		कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।	. .	५,२७,०७,९५,०००	. . . .	५,२७,०७,९५,०००
	सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग					
एन-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	१७,००,०००	. . . .	१७,००,०००
		२२१६, आवास।				
		२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।				
एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	४२,४४,२४,२९,०००	. . . .	४२,४४,२४,२९,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।				
		२२०५, कला तथा संस्कृति।				
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ।				
		२२११, परिवार कल्याण।				
		२२१५, जल आपुर्ति तथा स्वच्छता।				
		२२१६, आवास।				
		२२१७, नगर विकास।				
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२४०१, कृषि कर्म।				
		२४०३, पशुपालन।				
		२४०५, मत्स्योद्योग।				
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।				
		२५०५, ग्राम नियोजन।				
		२८०१, विद्युत।				

		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय उर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।			
		२८५२, उद्योग।			
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।	. .	४२,४४,४१,२९,०००	. . . . ४२,४४,४१,२९,०००
		योजना विभाग			
ओ-८२	जिला योजना -वाशिम।	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	१,०००	. . . १,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।			
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७, नगरविकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास ।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५, सहकारिता।			
		२५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		रुपये	रुपये	रुपये
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।				
		३०५४, सड़क तथा पुल।				
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।				
		३४५२, पर्यटन ।				
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।				
		कुल—योजना विभाग ।	. .	१,०००	. . . .	१,०००
		आवास विभाग				
क्यू-३	आवास। . .	२२१६, आवास।	. .	९५,०२,००,०००	. . . .	९५,०२,००,०००
		२२१७, नगरविकास।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
		कुल—आवास विभाग।	. .	९५,०२,००,०००	. . . .	९५,०२,००,०००
		लोकस्वास्थ्य विभाग				
आर-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	११,८७,८०,४२,०००	. . . .	११,८७,८०,४२,०००
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
	. .	२२११, परिवार कल्याण।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग।	. .	११,८७,८०,४२,०००	. . . .	११,८७,८०,४२,०००
		चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग				
एस-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। . .	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	. .	१,३२,३५,९८,०००	. . . .	१,३२,३५,९८,०००
एस-३	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ । . .	२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	. .	२२,११,०००	. . . .	२२,११,०००
		कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग।	. .	१,३२,५८,०९,०००	. . . .	१,३२,५८,०९,०००

जनजाति विकास विभाग

टी-५	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय।	२०५३,	जिला प्रशासन।	. .	१६,२२,५१,३६,०००	. . .	१६,२२,५१,३६,०००
		२०५९,	लोक निर्माण कार्य।				
		२२०२,	सामान्य शिक्षा।				
		२२०४,	क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।				
		२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
		२२११,	परिवार कल्याण।				
		२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
		२२१६,	आवास ।				
		२२१७,	नगर विकास।				
		२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।				
		२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास ।				
		२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।				
		२२३६,	पोषण ।				
		२४०१,	कृषि कर्म ।				
		२४०३,	पशुपालन ।				
		२४०५,	मत्स्योद्योग।				
		२४०६,	वन तथा वन्यजीवन ।				
		२४२५,	सहकारिता ।				
		२४३५,	अन्य कृषि कार्यक्रम।				
		२५०१,	ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।				
		२५०५,	ग्राम नियोजन ।				
		२७०२,	लघु सिंचाई ।				
		२८०१,	विद्युत ।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४) रुपये	रुपये	रुपये
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा । २८५१, ग्रामोद्योग और लघुउद्योग। २८५२, उद्योग । ३०५४, सड़क तथा पुल । ३०५५, सड़क परिवहन।			
		कुल—जनजाति विकास विभाग। ..	१६,२२,५१,३६,०००	....	१६,२२,५१,३६,०००
		सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग			
वी-२	सहकारिता। ..	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। २८५२, उद्योग। ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। ३४५६, सिविल अपूर्ति। ..	५,६०,०३,६८,०००	....	५,६०,०३,६८,०००
		कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग। ..	५,६०,०३,६८,०००	....	५,६०,०३,६८,०००
		उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग			
डब्ल्यू-२	सामान्य शिक्षा। ..	२२०२, सामान्य शिक्षा। ..	१४,८२,३१,०००	....	१४,८२,३१,०००
डब्ल्यू-३	तकनीकी शिक्षा। ..	२२०३, तकनीकी शिक्षा। ..	२०,००,००,०००	....	२०,००,००,०००
डब्ल्यू-४	कला तथा संस्कृति । ..	२२०५, कला तथा संस्कृति। ..	१,००,००,०००	....	१,००,००,०००
डब्ल्यू-६	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ। ..	२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ। ..	१,०००	....	१,०००
		कुल— उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग ..	३५,८२,३२,०००	....	३५,८२,३२,०००
		महिला तथा बाल विकास विभाग			
एक्स-१	सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। ..	१५,९७,८१,४५,०००	...	१५,९७,८१,४५,०००
		कुल— महिला तथा बाल विकास विभाग। ..	१५,९७,८१,४५,०००	...	१५,९७,८१,४५,०००

जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग

वाय-२	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। . .	२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। . .	५८,७३,९१,०१,०००	. . . .	५८,७३,९१,०१,०००
			कुल— जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग। . .	५८,७३,९१,०१,०००	. . . .	५८,७३,९१,०१,०००

कौशल्य विकास, नियोजन, उद्यमिता तथा नवपरिवर्तन विभाग

जेड-क-२	सचिवालय तथा अन्य . .	२२०३,	तकनीकी शिक्षा। . .	१,३३,७५,०००	. . . .	१,३३,७५,०००
	सामाजिक सेवाएँ। . .	२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
		२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२५१,	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।			
		२४०६,	वन तथा वन्य जीवन			
			कुल— कौशल्य विकास, नियोजन उद्यम तथा नवपरिवर्तन विभाग। . .	१,३३,७५,०००	. . . .	१,३३,७५,०००

महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय

जेड ग-१	संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।	२०११,	संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।	२१,२५,०००	. . . .	२१,२५,०००
			कुल— महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय। . .	२१,२५,०००	. . . .	२१,२५,०००

पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग

जेड घ-१	सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२०७०,	अन्य प्रशासकीय सेवाएँ । . .	२०,९४,०००	. . . .	२०,९४,०००
		२२२०,	सूचना तथा प्रचार ।			
		२२५१,	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ ।			
जेड घ-२	कला तथा संस्कृति।	२२०५,	कला तथा संस्कृति । . .	२,०३,९९,५९,०००	. . .	२,०३,९९,५९,०००
			कुल— पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग। . .	२,०४,२०,५३,०००	. . .	२,०४,२०,५३,०००

मराठी भाषा विभाग

जेड च-१	सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।	२०५२,	सचिवालय—सामान्य सेवाएँ। . .	१,२४,०००	. . .	१,२४,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
			कुल— मराठी भाषा विभाग।	१,२४,०००	. . .	१,२४,०००
	अन्य पिछड़े बहुजन कल्याण विभाग।					
जेड छ-३	विमुक्त जाति, खानाबदोश जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग का कल्याण।	२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण।	५,२६,११,०९,०००	. . .	५,२६,११,०९,०००
		२२३५	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
			कुल— अन्य पिछड़े बहुजन कल्याण विभाग।	५,२६,११,०९,०००	. . .	५,२६,११,०९,०००
	मृदा तथा जल संरक्षण विभाग।					
जेड ज-३	सिंचाई, बिजली और अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण।	५०,००,००,०००	. . .	५०,००,००,०००
		२४०६,	वन तथा वन्य जीव			
		२७०२,	लघु सिंचाई।			
			कुल— मृदा तथा जल संरक्षण विभाग।	५०,००,००,०००	. . .	५०,००,००,०००
	दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण विभाग।					
जेड आई-३,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२,५१,१९,०००	. . . .	२,५१,१९,०००
			कुल— दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण विभाग।	२,५१,१९,०००	. . . .	२,५१,१९,०००
			कुल — क-राजस्व लेखे पर व्यय।	३,४०,०१,५३,६३,०००	२,३७,१६,७६,०००	३,४२,३८,७०,३९,०००
			ख—पूंजीगत लेखे पर व्यय।			
			कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।			
डी-९	मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०५,	मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	२१,५२,४३,०००	. . .	२१,५२,४३,०००
		६४०५,	मत्स्य उद्योग के लिए कर्ज।			
			कुल— कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	२१,५२,४३,०००	. . . .	२१,५२,४३,०००
			विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग।			
ई-४	शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत।	४२०२,	शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	४,०००	. . .	४,०००
			कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग।	४,०००	. . .	४,०००

			नगरविकास विभाग।			
एफ-५	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१७,	नगरविकास पर पूंजीगत परिव्यय। ..	३२,३८,००,००,०००	...	३२,३८,००,००,०००
		५४७५,	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।			
एफ-७	नगरविकास के लिए कर्ज ।	६२१७,	नगरविकास के लिए कर्ज । ..	१,०००	...	१,०००
			कुल—नगरविकास विभाग । ..	३२,३८,००,१,०००	...	३२,३८,००,१,०००
			वित्त विभाग।			
जी-८	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०७०,	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ..	२,५०,००,००,०००	....	२,५०,००,००,०००
		५४७५,	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
जी-१०	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज। ..	१,००,००,००,०००	....	१,००,००,००,०००
			कुल—वित्त विभाग। ..	३,५०,००,००,०००	....	३,५०,००,००,०००
			लोक निर्माण कार्य विभाग।			
एच-७	सामाजिक सेवाओं तथा अन्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१६,	आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ..	१९,४०,००,०२,०००	....	१९,४०,००,०२,०००
		४७११,	बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४,	सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
एच-८	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ..	४८,९८,३६,०००	....	४८,९८,३६,०००
		४२०२,	शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१७,	नगरविकास पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
एच-९	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए पूंजीगत परिव्यय।	४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१,०००	. . .	१,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।	. .	१९,८८,९८,३९,०००	. . . .	१९,८८,९८,३९,०००
		जलस्रोत विभाग।				
आय-५	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। . .	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४७००, बड़ी सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०१, मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०५, कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	७,९५,०१,१४,०००	. . . .	७,९५,०१,१४,०००
		कुल—जलस्रोत विभाग।	. .	७,९५,०१,१४,०००	. . . .	७,९५,०१,१४,०००
		उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।				
के-११	ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय।	४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज । ६८७५, अन्य उद्योंगो के लिए कर्ज ।	. .	१२,८७,९१,०००	. . .	१२,८७,९१,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग ।	. .	१२,८७,९१,०००	. . .	१२,८७,९१,०००
		ग्रामविकास विभाग।				
एल-८	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	. .	३,४७,४०,०००	. . .	३,४७,४०,०००
		कुल—ग्रामविकास विभाग।	. .	३,४७,४०,०००	. . .	३,४७,४०,०००

खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्त संरक्षण विभाग

एम-४	खाद्य, भंडारकरण तथा गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय ।	४४०८, खाद्य, भंडारकरण तथा गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय ।	. .	३,०००	. . .	३,०००
		कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्त संरक्षण विभाग ।	. .	३,०००	. . .	३,०००

सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग

एन-४	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	. .	२,०००	. . .	२,०००
		४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय।				
		६२२५, अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये कर्ज।				
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग ।	. .	२,०००	. . .	२,०००

योजना विभाग

ओ-१२	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारी संस्थाओं में विनिधान।	५४६५, सामान्य वित्तीय तथा व्यापारी संस्थाओं में विनिधान।	. .	२३,९६,१३,०००	. . .	२३,९६,१३,०००
		कुल—योजना विभाग।	. .	२३,९६,१३,०००	. . . .	२३,९६,१३,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)			(४)	
			जनजाति विकास विभाग	रुपये	रुपये	रुपये
टी-६	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ..	४,०००	...	४,०००
		४२०२,	शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६,	वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४२५,	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७०१,	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय ।			
		४७०२,	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४,	सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।			
			कुल—जनजाति विकास विभाग । ..	४,०००	...	४,०००
	सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग					
वी-५	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	६४२५,	सहकारिता के लिए कर्ज। ..	५,७०,६७,००,०००	....	५,७०,६७,००,०००
		६८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।			
		६८६०,	उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज।			
		७४७५,	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
			कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग । ..	५,७०,६७,००,०००	....	५,७०,६७,००,०००
			꞉कुल—ख-पूंजीगत लेखे पर व्यय। ..	७०,०४,५०,५४,०००	....	७०,०४,५०,५४,०००
			कुल योग। ..	४,१०,०६,०४,१७,०००	२,३७,१६,७६,०००	४,१२,४३,२०,९३,०००

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXXII OF 2023.

THE MAHARASHTRA GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २७ जुलाई २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXII OF 2023.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३२ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **“ महाराष्ट्र राजपत्र ”** में दिनांक २८ जुलाई २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ में अधिकतर संशोधन करनेसंबंधी विधेयक।

सन् २०१७ का महा. ४३। **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ में, अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०२३ कहलाए। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

(२) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाए, यह धारा तत्काल प्रवृत्त होगी, और शेष धाराएँ भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव के साथ जैसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करें ऐसे दिनांक पर प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम, के विभिन्न उपबंधों के लिए अलग-अलग दिनांक नियत किए जा सकेंगे और इस अधिनियम के प्रारम्भण में किन्ही ऐसे उपबंधों में कोई निर्देश का अर्थ उस उपबंधों के प्रवर्तन के निर्देश के रुप में लगाया जायेगा ।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १० में संशोधन।

२. महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा १० की,— सन् २०१७ का महा. ४३।

(क) उप-धारा (२), के खण्ड (घ) में, " वस्तु या " शब्द अपमार्जित किये जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (२क), के खण्ड (ग) में, " वस्तु या " शब्द अपमार्जित किये जायेंगे ।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १६ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा १६ की , उप-धारा (२) के,–

(एक) द्वितीय परंतुक में, " उसपर के ब्याज के साथ उसके इनपुट कर दायित्व को जोड़ना " शब्दों के स्थान में, " धारा ५० के अधीन देय ब्याज के साथ उसके द्वारा भुगतान किया जायेगा " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) तृतीय परंतुक में, " उसके द्वारा किया गया " शब्दों के पश्चात् " आपूर्तिकर्ता को" शब्द निविष्ट किए जायेंगे।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १७ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा १७ की,—

(क) उप-धारा (३) के, **स्पष्टीकरण** में, " उक्त अनुसूची के परिच्छेद ५ में जो विनिर्दिष्ट है को छोडकर " शब्दों और अंकों के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :–

" (एक) उक्त अनुसूची के परिच्छेद ५ में विनिर्दिष्ट गतिविधियों या संव्यवहारों का मूल्य ; और

(दो) उक्त अनुसूची के परिच्छेद ८ के खण्ड (क) के संबंध में, जैसा कि विहित किया जा सके ऐसी गतिविधियों या संव्यवहारों के मूल्य को छोडकर । " ;

(ख) उप-धारा (५) के खण्ड (च) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

" (च क) करादेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तु या सेवा या दोनों जिसका, कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३५ में निर्देशित निगमित सामाजिक दायित्व के अधीन उसकी बाध्यता से संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोगी है या उपयोग करने का आशयित है ; "। सन् २०१३ का १८।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा २३ में संशाधन।

५. मूल अधिनियम की धारा २३ की उप-धारा (२) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी और १ जुलाई, २०१७ से रखी गई समझी जायेगी, अर्थात् :–

" (२) धारा २२ या धारा २४ की उप-धारा (१) में, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उल्लंघन में, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा, जैसा उसमें विनिर्दिष्ट कर सके ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूटप्राप्त हो सके ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट करेगा । "।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ३० में संशोधन।

६. मूल अधिनियम की धारा ३० की उप-धारा (१) में,—

(क) " रद्दकरण आदेश की तामिल करने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर विहितरीत्या, " शब्दों के स्थान में, " जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीत्या, ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन " शब्द रखे जायेगे ;

(ख) परंतुक, अपमार्जित किया जायेगा ।

७. मूल अधिनियम की धारा ३७ की, उप-धारा (४) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, जोड़ी जायेगी, अर्थात् :— सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ३७ में संशोधन।

"(५) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, उक्त ब्यौरे को प्रस्तुत करने के नियत दिनांक से तीन वर्षों की अवधि के अवसित होने पश्चात् किसी कर अवधि के लिए उप-धारा (१) के अधीन जावक आपूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए अनुमति नहीं होगी :

परंतु, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन, उक्त ब्यौरे प्रस्तुति के नियत दिनांक से तीन वर्षों की उक्त अवधि के अवसित होने के पश्चात् भी, उप-धारा (१) के अधीन किसी कर अवधि के लिए जावक आपूर्ति की ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को अनुमति दी जायेगी ।"।

८. मूल अधिनियम की धारा ३९ की, उप-धारा (१०) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, जोड़ी जायेगी, अर्थात् :— सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ३९ में संशोधन।

"(११) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के नियत दिनांक से तीन वर्षों की अवधि के अवसित होने के पश्चात्, किसी कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जायेगी :

पंरतु, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन, उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के नियत दिनांक से तीन वर्षों की उक्त अवधि के अवसित होने के पश्चात् भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमति दे देगी ।"।

९. मूल अधिनियम की धारा ४४ उसकी, उप-धारा (१) के रूप में पुनः क्रमांकित की जायेगी :और इस प्रकार पुनः क्रमांकित उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, जोड़ी जायेगी, अर्थात् :— सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ४४ में संशोधन।

"(२) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के नियत दिनांक से तीन वर्षों की अवधि के अवसित होने के पश्चात्, वित्तीय वर्ष के लिए उप-धारा (१) के अधीन कोई वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी :

परंतु, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन, उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के नियत दिनांक से तीन वर्षों की उक्त अवधि के अवसित होने के पश्चात् भी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, उप-धारा (१) के अधीन एक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमति दी जायेगी ।"।

१०. मूल अधिनियम की धारा ५२ की, उप-धारा (१४) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, जोड़ी जायेगी, अर्थात् :— सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ५२ में संशोधन।

"(१५) प्रचालक को, उक्त विवरण प्रस्तुत करने के नियत दिनांक से तीन वर्षों की अवधि अवसित होने के पश्चात्, उप-धारा (४) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जायेगी :

परंतु, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन, उक्त विवरण प्रस्तुत करने के नियत दिनांक से तीन वर्षों की उक्त अवधि अवसित होने के पश्चात् भी, किसी प्रचालक या प्रचालकों के वर्ग को, उप-धारा (४) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति दी जायेगी।"।

११. मूल अधिनियम की धारा ५४ की, उप-धारा (६) में "इनपुट कर सारव की रकम का अपवर्जन अनंतिम रूप से स्वीकृत किया जायेगा" शब्द अपमार्जित किए जायेंगे । सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ५४ में संशोधन।

१२. मूल अधिनियम की धारा ५६ में, "उक्त उप-धारा के अधीन आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिनों के अवसित होने के पश्चात्, सद्य दिनांक से ऐसे कर के प्रतिदाय के दिनांक तक" शब्दों के स्थान में, "ऐसे आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिनों से परे विलंबित अवधि के लिए ऐसे कर के प्रतिदाय के दिनांक तक ऐसी रीत्या तथा जैसा कि विहित किया जाए ऐसी शर्तो तथा निर्बंधनों के अध्यधीन संगणित करना" शब्द रखे जायेंगे । सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ५६ में संशोधन।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ६२ में संशोधन।

१३. मूल अधिनियम की धारा ६२ की, उप-धारा (२) में,-

(क) " तीस दिनों " शब्दों के स्थान में, " साठ दिनों " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) निम्न परंतुक, जोडा जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, जहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उप-धारा (१) के अधीन निर्धारण आदेश के तामिल करने से साठ दिनों के भीतर वैध विवरण प्रस्तुत करने में विफल होता है तो वह उक्त निर्धारण आदेश की तामिल करने के साठ दिनों से परे विलंबित प्रत्येक दिन के लिए सौ रुपए की अतिरिक्त विलंबित फीस की अदायगी पर साठ दिनों की अधिकतर अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत कर सकेगा और वह ऐसे विस्तारित अवधि के भीतर वैध विवरणी प्रस्तुत करता है, के मामले में उक्त निर्धारण आदेश प्रत्याहत हुआ समझा जायेगा, परंतु, धारा ५० की उप-धारा (१) के अधीन ब्याज का भुगतान करने या धारा ४७ के अधीन विलंबित फीस का भुगतान करने का दायित्व बना रहेगा। " ।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १०९ की प्रतिस्थापना।

१४. मूल अधिनियम की धारा १०९ के स्थान में, निम्न धारा, रखी जाएगी, —

अर्थात् :—

अपील अधिकरण और उसके न्यायपीठों का गठन।

" **१०९.** इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन, केंद्रिय वस्तु और सेवा कर अधिनियम के अधीन गठित वस्तु और सेवा कर अपील अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील पर सुनवाई के लिए अपील प्राधिकरण होगा। " ।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ११० और ११४ का अपमार्जन।

१५. मूल अधिनियम की धारा ११० और ११४, अपमार्जित की जायेगी।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ११७ में संशोधन।

१६. मूल अधिनियम की धारा ११७ की—,

(एक) उप-धारा (१) में " राज्य न्याय पीठ या क्षेत्र न्यायपीठों " शब्दों के स्थान में, " राज्य न्यायपीठ" शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) उप-धारा (५) में,—

(क) खण्ड (क) में, " राज्य न्यायपीठ या क्षेत्र न्यायपीठों " शब्दों के स्थान में, "राज्य न्यायपीठों" शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) खण्ड (ख) में राज्य न्यायपीठ या क्षेत्र न्यायपीठों शब्दों के स्थान में " राज्य न्यायपीठों " शब्द रखे जायेंगे ;

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ११८ में संशोधन।

१७. मूल अधिनियम की धारा ११८ की, उप-धारा (१) के, खण्ड (क) में, " राष्ट्रीय न्यायपीठ या प्रादेशिक न्यायपीठ शब्दों के स्थान में, " प्रधान न्यायपीठ " शब्द रखे जायेंगे।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ११९ में संशोधन।

१८. मूल अधिनियम की धारा ११९ में,—

(क) " राष्ट्रीय या प्रादेशिक न्यायपीठ" शब्दों के स्थान में " प्रधान न्यायपीठ" शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) " राज्य या क्षेत्र न्यायपीठ" शब्दों के स्थान में, " राज्य न्यायपीठ" शब्द रखे जायेंगे।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १२२ में संशोधन।

१९. मूल अधिनियम की धारा १२२ की, उप धारा (१क) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (१ख) कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक जो,—

(एक) इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण करने से छूटपात्र किसी व्यक्ति से अन्य किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उसके जरिए वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति के लिए अनुमति देता है ;

(दो) एक व्यक्ति जो ऐसे अन्तर-राज्य आपूर्ति करने के लिए अपात्र नहीं है के द्वारा उसके जरिए किसी वस्तु या सेवा या दोनों की अन्तरराज्य आपूर्ति के लिए अनुमति देता है ; या

(तीन) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूटप्राप्त किसी व्यक्ति के द्वारा उसके ज़रिए प्रभावित किसी वस्तु की जावक आपूर्ति धारा ५२ की, उप-धारा (४) के अधीन, प्रस्तुत किए जानेवाले विवरण में सही ब्यौरा प्रस्तुत करने में असफल होता है तो,–

वह दस हजार रुपयों की शास्ति या धारा १० के अधीन कर संदाय करनेवाले व्यक्ति से अन्य किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ऐसी आपूर्ति की गयी थी जिसमें कर की रकम के समतुल्य कोई रकम, जो भी उच्चत्तर है, की शास्ति अदा करने के लिए दायी होगा।"।

२०. मूल अधिनियम की धारा १३२, की उप-धारा (१) में,— सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १३२ में संशोधन।

(क) खण्ड (छ), (ञ) और (ट) अपमार्जित किए जायेंगे ;

(ख) खण्ड (ठ) में, "खण्ड (क) से (ट)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान में, "खण्ड (क) से (च) और खण्ड (ज) और (झ)" शब्द रखे जायेंगे ;

(ग) खण्ड (तीन) में "कोई अन्य अपराध" शब्दों के स्थान में, "खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध" शब्द कोष्ठक और अक्षर रखे जायेंगे ;

(घ) खण्ड (चार) में "या खण्ड (छ) या खण्ड (ञ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अपमार्जित किए जायेंगे।

२१. मूल अधिनियम की धारा १३८ की,— सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १३८ में संशोधन।

(क) उप-धारा (१), के प्रथम परंतु में,–

(एक) खण्ड (क) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (क) व्यक्ति जो धारा १३२ की, उप-धारा (१) के खण्ड (क) से (च), (ज), (झ) और (ठ) में विनिर्दिष्ठ किन्ही अपराधों के संबंध में पहले कभी प्रशमन के लिए संयोजित किया गया है ;";

(दो) खण्ड (ख) अपमार्जित किया जायेगा ;

(तीन) खण्ड (ग) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :–

" (ग) वह व्यक्ति जो धारा १३२ की, उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन कोई अपराध करने का अभियुक्त है ;";

(चार) खण्ड (ड़), अपमार्जित किया जायेगा ;

(ख) उप-धारा (२) में, "दस हजार रुपए या अंतर्विष्ट कर के पचास प्रतिशत, जो भी उच्चतर है, और तीस हजार से कम न होने वाली अधिकतम रकम या कर की ड़ेढ़ सौ प्रतिशत रकम, जो भी उच्चतर है " शब्दों के स्थान में, " अंतर्विष्ट कर के पच्चीस प्रतिशत और अंतर्विष्ट कर के सौ प्रतिशत से कम न होनेवाली अधिकतम रकम" शब्द रखे जायेंगे।

सन् २०१७ का महा. ४३ में नई धारा १५८क का निवेशन।

२२. (१) मूल अधिनियम की धारा १५८ के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

करादेय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकटन आधारित सहमति।

१५८ क. (१) धारा १३३, १५२ और १५८ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया निम्न ब्यौरा उप-धारा (२) के उपबंधों के अध्यधीन और परिषद की सिफारिशों पर, जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीत्या और ऐसी शर्तों के अध्यधीन सरकार द्वारा जैसा कि अधिसूचित किया जाए ऐसी अन्य प्रणाली से सामान्य पोर्टल द्वारा प्रकट कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) धारा २५ के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए किए गए आवेदन में प्रस्तुत की गई विशिष्टियाँ या धारा ३९ के अधीन या धारा ४४ के अधीन दाखिल विवरण में प्रस्तुत की गई विशिष्टियाँ ;

(ख) बीजक की तैयारी के लिए सामान्य पोर्टल पर डाली गई विशिष्टियाँ, धारा ३७ के अधीन प्रस्तुत किए गए जावक आपूर्ति के ब्यौरे और धारा ६८ के अधीन दस्तावेजों की निर्मिति के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गई विशिष्टियाँ ;

(ग) जैसा कि विहित किया जाए ऐसी अन्य जानकारी ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन जानकारी प्रकट करने के प्रयोजन के लिए,—

(क) उप-धारा (१) के खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन प्रस्तुत की गई जानकारी के संबंध में, आपूर्तिकर्ता ; और

(ख) प्राप्तकर्ता, उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन प्रस्तुत किए गए ब्यौरे के संबंध में, और उप-धारा (१) के खण्ड, (ग) अधीन ऐसे ब्यौरे जहाँ केवल ऐसे ब्यौरे जैसा कि विहित किया जाए ऐसे प्ररूप और रीत्या में प्राप्त कर्ता की पहचान जानकारी सम्मिलित होगी ।

(३) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन प्रकट की गई जानकारी के परिणामतः उद्‌भूत कोई दायित्व के बाबत सरकार या सामान्य पोर्टल के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और सुसंगत आपूर्ति पर देय कर के दायित्व पर या सुसंगत विवरण के अनुसार देय कर के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा ।"।

सन् २०१७ का महा. ४३ की अनुसूची तीन में कतिपय गतिविधियों और संव्यवहार से भूतलक्षी छूट।

२३. (१) मूल अधिनियम की अनुसूची तीन के, परिच्छेद ७ और ८ तथा उसका **स्पष्टीकरण** (देखिए सन् २०१८ का महा. अधिनियम क्रमांक ६७ की धारा ३१ में यथा निविष्ट) १ जुलाई २०१७ से उसमें निविष्ट किया गया है ऐसा समझा जायेगा ।

(२) सभी कर, जिसका संग्रहण किया गया है, परंतु जिसे उप-धारा (१) के सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त किया गया था इस प्रकार संग्रहित नहीं करना था, का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा ।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXXIII OF 2023.

THE MAHARASHTRA SLUM AREAS (IMPROVEMENT, CLEARANCE AND REDEVELOPMENT) (AMENDMENT, RE-ENACTMENT OF RULES AND NOTIFICATION OF APEX AND OTHER GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES AND VALIDATION) ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ७ अगस्त, २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXIII OF 2023.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA SLUM AREAS (IMPROVEMENT, CLEARANCE AND REDEVELOPMENT) ACT, 1971.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३३ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ७ अगस्त, २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र मलिन-बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुर्नविकास) अधिनियम, १९७१ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

सन् १९७१ का महा. २८ । **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र मलिन-बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुर्नविकास) अधिनियम, १९७१ में अधिकतर संशोधन करने और भूतलक्षी प्रभाव से शीर्ष और अन्य शिकायत प्रतितोष समितियों से संबंधित तद्वीन जारी सरकारी नियमों और अधिसूचना को पुनःअधिनियमित करना और अतः उसके उपबंधों को विधिमान्य करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम । **१.** यह अधिनियम महाराष्ट्र मलिन-बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुर्नविकास) (संशोधन, शीर्ष और अन्य शिकायत प्रतितोष समितियों के नियमों और अधिसूचना का पुनःअधिनियमितिकरण तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०२३ कहलाए ।

सन् १९७१ का महा. २८ की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र मलिन-बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा २ के,—

(एक) खण्ड (क) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा और ८ मार्च २०१७ से निविष्ट किया गया समझा जायेगा, अर्थात् :–

" (क-१) " शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति " का तात्पर्य, धारा ३४क की, उप-धारा (१) के अधीन गठित शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति, से है; " ;

(दो) खण्ड (ग-ग) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (ग-ग) " शिकायत प्रतितोष समिति " का तात्पर्य, धारा ३४ख की, उप-धारा (२) के अधीन गठित शिकायत प्रतितोष समिति से है; "।

सन् १९७१ का महा. २८ की धारा ३ग में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ३ग की, उप-धारा (२) में, " शिकायत प्रतितोष समिति " शब्द, दोनों स्थानों पर जहाँ कहीं वे आए हों, के स्थान में " शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति " शब्द रखे जायेंगे और ८ मार्च, २०१७ से रखे गए समझे जायेंगे।

सन् १९७१ का महा. २८ की धारा ३घ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ३घ के, खण्ड (ख) के,–

(एक) उप-खण्ड (दो) (ग) की, उप-धारा (४) में, " शिकायत प्रतितोष समिति " शब्द दोनों स्थानों पर जहाँ कहीं वे आये हों, के स्थान में, " शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति " शब्द रखे जायेंगे और ८ मार्च २०१७ से रखे गए समझे जायेंगे ;

(दो) उप-खंड (दो) (घ) की, उप-धारा (५) में, " शिकायत प्रतितोष समिति " शब्द, जहाँ कहीं वें आए हों, के स्थान में, " शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति " शब्द रखे जायेंगे और ८ मार्च २०१७ से रखे गए समझे जायेंगे ;

(तीन) उप-खण्ड (दो) (ज) की उप-धारा (१०) के, परंतुक में, " शिकायत प्रतितोष समिति " शब्द, दोनों स्थानों पर जहाँ कही वें आए हों, के स्थान में, " शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति " शब्द रखे जायेंगे और ८ मार्च २०१७ से रखे गए समझे जायेंगे ;

(चार) उप-खंड (तीन) की, धारा १३ की, उप-धारा (३) के, तृतीय परंतुक में, " शिकायत प्रतितोष समिति " शब्द, दोनों स्थानों पर जहाँ कही वें आए हों, के स्थान में, " शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति " शब्द रखे जायेंगे और ८ मार्च २०१७ से रखे गए समझे जायेंगे।

सन् १९७१ का महा. २८ में नई धारायें ३४क और ३४ ख का निवेशन।

५. मूल अधिनियम की धारा ३४ के पश्चात्,—

(१) निम्न धारा निविष्ट की जायेगी और ८ मार्च २०१७ से निविष्ट की गई समझी जायेगी, अर्थात् :–

शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति का गठन।

" **३४क.** (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन जैसा कि उसे समनुदेशित किया जा सके, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का अनुपालन करने के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष और सरकार जिसे उचित समझे ऐसी संख्या के सदस्यों से मिलकर शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति का **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा गठन करेगा।

(२) शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति यथा निम्न, शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा कृत्यों का अनुपालन करेगी अर्थात् :–

(एक) इस अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कोई अधिकारी जिसको, मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा, शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है, के आदेश के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई करना तथा निपटान करना ;

(दो) राज्य सरकार उसके द्वारा निर्देशित कोई प्रश्न या मामले ;

(३) शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता, उनके कारोबार के संव्यवहार के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया तथा उनकी बैठक के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाए । ” ।

(२) इसप्रकार निविष्ट की गई धारा ३४क के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, और ८ मार्च २०१७ से निविष्ट की गई समझी जायेगी, अर्थात् :—

“ **३४ख** (१) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन जैसा कि उसे समनुदेशित किया जा सके, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे क्षेत्रों के लिए अध्यक्ष और सरकार जिसे उचित समझे ऐसी संख्या के सदस्यों से मिलकर शिकायत प्रतितोष समितियों का **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा गठन करेगी। शिकायत प्रतितोष समितियों का गठन।

(२) शिकायत प्रतितोष समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता, उनके कारोबार के संव्यवहार के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया तथा उनके बैठकों के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाए । ” ।

६. मूल अधिनियम की धारा ३५ की,— सन् १९७१ का महा. २८ की धारा ३५ में संशोधन।

(१) उप-धारा (१क) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

“ (१क) कोई व्यक्ति,—

(क) उप-धारा (१) के अधीन, अपील प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए या दिए गए किसी सूचना, आदेश या निदेशन से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे सूचना, आदेश या निदेशन की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर शिकायत प्रतितोष समिति के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा ;

(ख) मलिन बस्ती पुनर्वास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कोई अधिकारी जिसको मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है, द्वारा जारी या दिए गए किसी सूचना, निदेशन, परिपत्रक, विनिर्णय, आदेश, अनुमति या अनुमोदन से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश, सूचना, निदेशन अनुमति या अनुमोदन की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों के भीतर, शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा।

२. उप-धारा (५) में, “ शिकायत प्रतितोष समिति ” शब्दों के स्थान में, “ शिकायत प्रतितोष समिति और शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति ” शब्द रखे जायेंगे ।

७. मूल अधिनियम को धारा ४२ में, “ शिकायत प्रतितोष समिति ” शब्दों के स्थान में, “ शिकायत प्रतितोष समिति और शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति ” शब्द रखे जायेंगे । सन् १९७१ का महा. २८ की धारा ४२ में संशोधन।

सन् १९७१ का महा. २८ । **८.** महाराष्ट्र मलिन–बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मुलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ में या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति और शिकायत प्रतितोष समितियों से संबंधित महाराष्ट्र मलिन–बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मुलन और पुनर्विकास) (शिकायत प्रतितोष समिति) नियम, २०१४ (जिसे इसमें आगे, “ नियम ” कहा गया है) २३ फरवरी २०१७ से भूतलक्षी प्रभाव से राज्य सरकार द्वारा पुनःअधिनियमिति करना सम्यक् तथा विधिमान्य समझा जायेगा और सभी तात्विक समयों पर प्रचालन में रहे है ऐसा समझा जायेगा, मानों कि वे इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, उक्त अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा विधि के अनुसरण में बनाए गए है। महाराष्ट्र मलिन-बस्ती क्षेत्र (सुधार उन्मूलन और पुनर्विकास) (शिकायत प्रतितोष समिति) नियम, २०१४ का भूतलक्षी प्रभाव से पुनःअधिनियमितिकरण।

शीर्ष या अन्य शिकायत प्रतितोष समितियों के गठन संबंधि दिनांकित ८ मार्च २०१७ की सरकारी अधिसूचना का पुनःअधिनियमितिकरण।

९. महाराष्ट्र मलिन-बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मुलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति और शिकायत प्रतितोष समिति से संबंधित सरकारी अधिसूचना, गृहनिर्माण विभाग की क्र. झोपसु १००८/प्र.क्र. १४३(१)/मलीन बस्ती-१ दिनांकित यह ८ मार्च २०१७ (जिसे इसमें आगे, " अधिसूचना " कहा गया है) ८ मार्च २०१७ से भूतलक्षी प्रभाव से राज्य सरकार द्वारा पुनः अधिनियमितिकरण सम्यक् तथा वैध रूप से बनाई है ऐसा समझा जायेगा और सभी तात्विक समयों प्रचालन में रहे हैं ऐसा समझा जायेगा, मानों कि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, उक्त अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा विधि के अनुसरण में जारी किये गये हैं।

सन् १९७१ का महा. २८ ।

विधिक कार्यवाहियों का उपशमन।

१०. महाराष्ट्र मलिन-बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मुलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ या शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति के संबंध में किये गये नियम या जारी अधिसूचना के अनुसरण में या शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति या शिकायत प्रतितोष समितियों द्वारा बनाया गया या जारी किए गए आदेशों, विनिर्णयों, सूचनाओं, परिपत्रकों, संकल्पों, निदेशनों या उसकी कोई अन्य कार्यवाहियों के संबंध में किसी न्यायालय अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष विलंबित सभी विधिक कार्यवाहियाँ, उस आधार पर शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति और शिकायत प्रतितोष समितियाँ किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रश्न या चुनौती होगी के गठन और उसकी शक्तियाँ तथा कृत्य उक्त अधिनियम, में उपबंधित नहीं किए गए थे और उक्त समिति को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसा करने की अधिकारिता नहीं थी या ऐसा करने के लिए विधिक रूप से सक्षम नहीं थी, के नियम और अधिसूचना का और ऐसे गठन से उद्भूत सभी प्रलंबित कार्यवाहियों का उसी विस्तार से उपशमन होगा।

सन् १९७१ का महा. २८ । सन् २०२३ का महा. ३३।

विधिमान्यकरण और व्यावृत्ति।

११. महाराष्ट्र मलिन-बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी या किसी न्यायालय या अधिकरण या प्राधिकरण के किसी न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश के उल्लंघन में, ८ मार्च २०१७ से प्रारम्भ होनेवाली तथा महाराष्ट्र मलिन-बस्ती (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) (संशोधन, शीर्ष और अन्य शिकायत प्रतितोष समिति के नियमों और अधिसूचना का पुनःअधिनियमितिकरण और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०२३ (जिसे इसमें आगे, इस धारा में, " संशोधन अधिनियम " कहा गया है) के प्रारम्भण के दिनांक पर समाप्त होनेवाली अवधि के दौरान, शीर्ष और अन्य शिकायत प्रतितोष समिति और शिकायत प्रतितोष समितियों द्वारा पारित आदेशों समेत कृत या किए गए सभी कृत्यों, कार्यवाहियों या बातों जो उक्त अधिनियम के अधीन नियमों और अधिसूचनाएँ की गई समझी जायेगी और हमेशा विधि के अनुसरण में सम्यक् रूप से तथा वैध रूप से की गई समझी जायेगी मानों कि संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबंध सभी तात्विक समयों पर निरंतर प्रवर्तन में रहे थे और तद्नुसार, उक्त समिति द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में, किसी मलिन-बस्ती पुनर्वास योजना के संबंध में किसी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा कृत या की गई सभी कार्यवाहियाँ या कार्य, सभी प्रयोजनों के लिए की गई समझी जायेगी और संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में हमेशा कृत या की गई समझी जायेगी।

सन् १९७१ का महा. २८ । सन् २०२३ का महा. .....।

कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति ।

१२. (१) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा, मूल अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई ऐसी बात कर सकेगी जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परंतु, ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात्, नहीं बनाया जाएगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXXIV OF 2023.

THE MAHARASHTRA INDUSTRY, TRADE AND INVESTMENT FACILITATION ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ११ अगस्त, २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXIV OF 2023.

AN ACT TO CREATE AN EFFECTIVE SINGLE WINDOW SYSYTEM FOR DELIVERY OF SERVICES RELATED TO ISSUING OF PERMISSIONS REQUIRED FOR ESTABLISHING AND OPERATING INDUSTRIES ; TO ENHANCE STATE'S COMPETITIVENESS ON TRADE AND INVESTMENTS ; TO DEVELOP AN ECOSYSTEM TO ENSURE EASE OF DOING BUSINESS INCLUDING GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM IN THE STATE ; AND TO DEVELOP AND MAINTAIN A PORTAL FOR PROVIDING ALL NECESSARY INFORMATION REQUIRED FOR INVESTMENT IN THE STATE OF MAHARASHTRA AND FOR THE MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३४ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक १४ अगस्त, २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में उद्योगों की स्थापना करने और चलाने के लिए आवश्यक अनुज्ञप्तियों को जारी करने से संबंधित सेवाओं के वितरण के लिए, व्यापार और निवेशन पर राज्यों की प्रतियोगितात्मकता को बढ़ावा देने, राज्य में शिकायत प्रतितोष यंत्रणा समेत कारोबार करना सुलभ करने की सुनिश्चिति करने के लिए कोई पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने ; और महाराष्ट्र राज्य में निवेशन के लिए सभी आवश्यक जानकारी देने के लिए पोर्टल विकसित करने तथा चलाने के लिए एक प्रभावी एकल

खिडकी प्रणाली सृजित करने और चलाने के लिए तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में उद्योगों की स्थापना करने और चलाने के लिए आवश्यक अनुज्ञप्तियों को जारी करने से संबंधित सेवाओं के वितरण के लिए, व्यापार और निवेशन पर राज्यों की प्रतियोगितात्मकता को बढ़ावा देने, राज्य में शिकायत प्रतितोष यंत्रणा समेत कारोबार करना सुलभ से करने की सुनिश्चिति करने के लिए कोई पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने ; और महाराष्ट्र राज्य में निवेशन के लिए सभी आवश्यक जानकारी देने के लिए एक पोर्टल विकसित करने तथा चलाने के लिए एक प्रभावी एकल खिडकी प्रणाली सृजित करने और चलाने के लिए तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने के लिए एक नवीन विधि बनाना इष्टकर है ;

क्योंकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नही चल रहा था ;

और क्योंकि, महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हे इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, एक विधि बनाने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; **और इसलिए,** महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार और निवेशन सरलीकरण अध्यादेश, २०२३, ३ जुलाई २०२३ को प्रख्यापित किया गया था ;

सन् २०२३ का महा अध्यादेश क्र.४।

और क्योंकि, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार और निवेशन सरलीकरण अधिनियम, २०२३ कहलाए।

(२) यह ३ जुलाई २०२३ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हों—

(क) " सक्षम प्राधिकारी " का तात्पर्य, औद्योगिक उपक्रमों को उपयोगी सुविधाओं का उपबंध करनेवाले किसी अधिकारी या प्राधिकरण समेत राज्य में औद्योगिक उपक्रमों को प्रतिनिष्ठित करने या चलाने के लिए सांविधिक अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सक्षम होनेवाले सरकार के किसी विभाग या अभिकरण, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य स्वामित्व निगम या किसी अधिनियम या नियमों या सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण में गठित या स्थापित कोई अन्य प्राधिकरण या अभिकरण के अधीन कोई अधिकारी या प्राधिकरण, से है ;

(ख) " सशक्त समिति " का तात्पर्य, धारा ६ के अधीन गठित की गई सशक्त समिति से है ;

(ग) " उद्यमी " का तात्पर्य, किसी औद्योगिक उपक्रमों में अधिकांश निवेशन या नियंत्रक हित होनेवाली एक व्यक्ति, व्यक्तियों का निकाय या कंपनी, से है ;

(घ) " सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार, से है ;

(ड.) " औद्योगिक उपक्रम " का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, विनिर्माण या प्रक्रिया या दोनों में सेवा मुहैय्या करने या कोई अन्य कारोबार या वाणिज्यिक क्रियाकलापों को चलाने में व्यस्त कोई उपक्रम, से है ;

(च) " निवेशक " का तात्पर्य, कोई व्यक्ति जो आय या लाभ की सुरक्षा के आशय के साथ विस्तारशील, आधुनिकिकरण या विविधताओं के लिए किसी नए औद्योगिक उपक्रमों में या किसी विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों में, राज्य में पूँजी निवेश करता है, से है ;

(छ) " नोडल अभिकरण " का तात्पर्य, धारा १४ के अधीन घोषित नोडल अभिकरण, से है ;

(ज) " अनुमति " का तात्पर्य, राज्य में किसी औद्योगिक उपक्रम को प्रतिष्ठित करने या प्रचालन करने के संबंध में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी अनुमोदन, अनापत्ति प्रमाणपत्र, निकासी, आबंटन, सहमति, रजिस्ट्रीकरण, नामांकन, अनुज्ञप्ति और उसी तरह की प्रक्रिया करने और किसी सुसंगत विधि के अधीन जैसे आवश्यक है सभी ऐसी अनुमतियाँ शामिल है ;

(झ) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित से है ;

(ञ) " सुसंगत विधि " का तात्पर्य, कोई अधिनियम, नियम, विनियम या कोई अन्य सांविधिक लिखत जो राज्य में औद्योगिक उपक्रमों को प्रतिष्ठित करने या प्रचालन करने के लिए सुसंगत है ;

(ट) " सचिव " में, सरकार के प्रधान सचिव या अप्पर मुख्य सचिव शामिल है ;

(ठ) " एक खिडकी प्रणाली " का तात्पर्य, किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा आवश्यक अनुमतियों के आवेदन प्रस्तुत करने और प्रक्रिया के लिए होनेवाली एकल खिडकी राज्य-सत्र वेब ऑनलाईन पोर्टल या प्लॅटफार्म, से है ;

सन् २०१५ का महा. ३१। (ड) " विनिर्दिष्ट समय सीमा " का तात्पर्य, महाराष्ट्र लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम, २०१५ या किसी अन्य सुसंगत विधि के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा जिसके भीतर अनुमतियों के लिए के आवेदन पर प्रक्रिया करने और उसका निपटान करना अनिवार्य है, से है ;

(ढ) " राज्य " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य से है ;

(ण) " पर्यवेक्षण समिति " का तात्पर्य, धारा १० के अधीन गठित पर्यवेक्षण समिति, से है ।

३. (१) राज्य में नया औद्योगिक उपक्रमों को प्रतिष्ठित करने या किसी विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों को निरंतर चलाना चाहनेवाले उद्यमी या निवेशक या कोई उद्यमी या निवेशक द्वारा सम्यक प्राधिकृत कोई व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सके ऐसे सुसंगत विधि के अधीन उसके लिए आवश्यक ऐसी अनुमतियाँ प्राप्त करने के लिए, एकल खिडकी प्रणाली के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक प्ररुप में कोई आवेदन कर सकेगा । आवेदन दाखिल करना।

(२) उप-धारा (१) के अधीन का कोई ऐसा आवेदन, जैसा कि विहित किया जाए ऐसी प्रक्रिया फीस के साथ होगा ।

४. (१) एकल खिडकी प्रणाली के जरिए धारा ३ की उप-धारा (१) के अधीन किए गए किसी आवेदन की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी सुसंगत विधि के उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा । आवेदनों का निपटान।

(२) सक्षम प्राधिकारी, विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर ऐसे आवेदन का निपटान करने के लिये, यदि आवश्यक है, आवेदक से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकेगा ।

(३) सक्षम प्राधिकारी, विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर ऐसे आवेदन पर विनिर्णय लेगा । यदि ऐसा आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को विनिर्दिष्ट करेगा ।

५. सुसंगत विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सक्षम प्राधिकारी, विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किसी आवेदन का निपटान करने में असफल होता है, तब नोडल अभिकरण, ऐसा आवेदन, सुसंगत विधि के अधीन आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सशक्त समिति को अंतरित करेगा । आवेदन का अंतरण।

परंतु, वे आवेदन, जिसके लिए सुसंगत विधि के अधीन आवेदन का निपटान करने के लिए राज्य सरकार के अधीन, सक्षम प्राधिकारी को शक्तियाँ प्रदत्त की गई है केवल वही आवेदन सशक्त समिति को अंतरित किए जायेंगे ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन सशक्त समिति को आवेदन अंतरित करने पर सक्षम प्राधिकारी की सुसंगत विधि के अधीन ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने के लिए होनेवाली शक्तियाँ परिविरत हो जायेगी ।

(३) सशक्त समिति, सुसंगत विधि के उपबंधों के अनुसार ऐसे आवेदन का निपटान करेगी ।

६. (१) सशक्त समिति, अध्यक्ष के रूप में महाराष्ट्र सरकार के विकास आयुक्त (उद्योग) तथा जैसा कि विहित किया जाए ऐसे अन्य सदस्यों से गठित होगी । सशक्त समिति का गठन।

(२) सशक्त समिति, का जैसा कि विहित किया जाए ऐसे समय पर तथा ऐसे स्थान पर बैठक करेगी तथा उसके कारोबार के संव्यवहार करने की ऐसी प्रक्रिया अपनाई जायेगी ।

७. सशक्त समिति को, निम्न शक्तियाँ होगी, अर्थात् :— सशक्त समिति की शक्तियाँ।

(क) जहाँ सक्षम प्राधिकारी, विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर ऐसे आवेदन पर की जानेवाली प्रक्रिया करने या निपटान करने में असफल होता है के मामले में, किसी सुसंगत विधि के अधीन अनुमति के लिए आवेदन पर विचार करना तथा उसका निपटान करना ;

(ख) सशक्त समिति की बैठक में सहभागी होने के लिए जिसे वह आवश्यक समझें, किसी अधिकारी या विशेषज्ञ को निमंत्रित करना ;

(ग) आवेदन का निपटान करने में विलंब होने के कारणों या अस्वीकृती के कारण पूछ सकेगा तथा आवश्यक जानकारी के लिए बुला सकेगा और संबंधित सक्षम प्राधिकारी के व्यक्तिगत प्रकटन आवश्यक कर सकेगा ।

(घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदनों के निपटान करने में होनेवाले विलंब के कारणों की जाँच करने या आवेदक द्वारा बढ़ती शिकायतों की जाँच करने के लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति करना ;

(ड.) जैसा कि विहित किया जाए ऐसी अन्य शक्तियाँ ।

सशक्त समिति के कृत्य।

८. (१) सशक्त समिति, निम्न कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात् :—

(क) नोडल अभिकरणों के कार्य का पर्यवेक्षण करना और इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसे आवश्यक निदेशन जारी करना ;

(ख) एकल खिडकी प्रणाली के कृत्यों का पर्यवेक्षण करना और समय-समय से सभी आवेदनों के स्थिति का पुनर्विलोकन करना ;

(ग) विनिर्दिष्ट समय-सीमा के बाद विलंबित सभी आवेदनों का पुनर्विलोकन करना तथा उनके निपटान के लिए समुचित आदेश पारित करना ;

(घ) एकल खिडकी प्रणाली के प्रभावी कार्यन्वयन के लिए अपेक्षित मार्गदर्शक तत्वों और प्रचालन प्रक्रिया के मानक विरचित करना ;

(ड.) सरकारी सेवाओं को ऑनलाईन सक्षम बनाने और एकल खिडकी प्रणाली से उनका एकीकरण करने के लिए संबंधित विभागों और प्राधिकरणों को निदेशन देना ;

(च) कारोबार की सुलभता की सुनिश्चिति करने के लिए तथा राज्य में निवेशन को बढ़ावा देने के लिए जैसे वे समुचित समझे ऐसी निरीक्षणात्मक समिति को नीति सुझावित करना ;

(छ) आवेदकों द्वारा बढती सभी शिकायतों का ग्रहण करना और यदि आवश्यक पाए जाए, संबंधित सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट मँगना ;

(ज) जैसा कि विहित किया जाए ऐसे अन्य कृत्य करना ।

(२) सशक्त समिति, इस अधिनियम के अधीन उनके क्रियाकलापों के बाबत उनका तिमाही रिपोर्ट निरीक्षणात्मक समिति को प्रस्तुत करेगी ।

सशक्त समिति के निर्णय बाध्यकारी होना।

९. किसी सुसंगत विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सशक्त समिति के विनिर्णय आवेदक प्राधिकरण और सभी अन्य संबंधित व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगें ।

पर्यवेक्षी समिति का गठन।

१०. (१) पर्यवेक्षी समिति, अध्यक्ष के रूप में उद्योग सचिव तथा जैसा कि विहित किया जाए ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी ।

(२) पर्यवेक्षी समिति की बैठक जैसा कि विहित किया जाए ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर बुलाई जायेगी तथा उसके कारोबार के संव्यवहार करने की ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी ।

पर्यवेक्षी समिति की शक्तियाँ।

११. पर्यवेक्षी समिति को निम्न शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :—

(क) सशक्त समिति द्वारा निर्देशित प्रस्तावों का परीक्षण करना और उसपर विनिर्णय लेना ;

(ख) पर्यवेक्षी समिति के बैठकों में हिस्सा लेने के लिए, जिसे वह आवश्यक समझे, किसी अधिकारी या विशेषज्ञ को निमंत्रित करना ।

(ग) जैसा कि विहित किया जाए ऐसी अन्य शक्तियाँ होगी ।

पर्यवेक्षी समिति के कृत्य।

१२. पर्यवेक्षी समिति निम्न कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात् :—

(क) राज्य में कारोबार को सुलभता से चलाने से संबंधित किसी मुद्दों पर सशक्त समिति को निदेशन देना ;

(ख) संबंधित प्राधिकारियों को, जिसे वह समुचित समझे, सुझावों की नीति बनाना ;

(ग) जहाँ सक्षम प्राधिकारी, विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर आवेदन का निपटान करने में असफल होता है या पर्याप्त कारण के बिना आवेदन अस्वीकृत करता है तो, सशक्त समिति द्वारा उसे निर्देशित मामलों में उसके समाधान पर विभाग के संबंधित अनुशासन प्राधिकारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश करना ;

(घ) जैसा कि विहित किया जाए ऐसे अन्य कृत्य करना ।

१३. किसी सुसंगत विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पर्यवेक्षी समिति के निर्णय आवेदकों, प्राधिकरणों और सभी अन्य संबंधित व्यक्तियों पर बाध्यकारी होंगे । पर्यवेक्षी समिति के निर्णय बाध्यकारी होना।

१४. (१) महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार और निवेशन सरलीकरण कक्ष (मैत्री) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र में एकल खिडकी प्रणाली के लिए नोडल अभिकरण होगा । नोडल अभिकरण।

(२) नोडल अभिकरण, समय-समय पर जैसा कि आवश्यक हो ऐसे सूचना तकनीकी (आयटी), विधि वित्त, अर्थशास्त्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञों को या किसी अन्य विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकेगा या उनसे सहायता ले सकेगा ।

१५. (१) सशक्त समिति के अधीक्षण, निदेशिन और नियंत्रण के अध्यधीन, नोडल अभिकरण, निम्न कृत्य करेगा :— नोडल अभिकरण के कृत्य।

(क) राज्य में निवेशन उन्नयन के लिए तथा कारोबार या औद्योगिक उपक्रम प्रतिष्ठापित करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगमन से समन्वयन में कृत्य करना ;

(ख) राज्य में कारोबार या औद्योगिक उपक्रम प्रतिष्ठित करने के लिए मार्गदर्शन करना तथा सहायता करना ;

(ग) जहाँ संबंधित सक्षम प्राधिकारी, विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आवेदनों पर विचार करने तथा उसका निपटान करने में असफल होता है तो उद्यमियों या निवेशकों का आवेदन सशक्त समिति के समक्ष, उनके विनिर्णय के लिए रखना ;

(घ) आवदेनों की स्थिति का मानिटरिंग करना और सशक्त समिति, के सक्षम आवेदनों की स्थिति की रिपोर्ट रखना ;

(ङ) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या उनकी सांविधिक और अन्य निकायों से निकासी प्राप्त करने में उद्यमी या निवेशक को सहायता करना ;

(च) उद्यमियों या निवेशकों के आवेदन के लिए मैत्रि के साथ वेबसाईट के एकीकरण और एकल खिडकी प्रणाली के सूचारू कार्य करने के लिए जैसा कि आवश्यक किया जाए, कोई ऐसे आधार के लिए विभिन्न सक्षम प्राधिकरणों के साथ समन्वयन करना ;

(छ) नए निवेशन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों और प्रचालन प्रक्रिया के मानक प्रारूपित करना और समय-समय से पुनर्विलोकन करना तथा उन्हें उपांतरित करना ;

(ज) उद्यमियों या निवेशकों द्वारा बढते प्रश्नों का जवाब देना ;

(झ) औद्योगिक प्रगति के लिए नीति विनिर्मिती में आवश्यक सहायता देना ;

(ञ) पर्यावरण स्नेहशिल और प्रौद्योगिकी समर्थकारी निर्माण पद्धति को बढावा देना ;

(ट) एकल खिडकी प्रणाली के जरिए आवेदन करने के लिए आवेदन प्ररूप या संयुक्त आवेदन प्रारूप या सार्वजनिक आवेदन प्रारूप तैयार करना तथा जारी करना ;

(ठ) कारोबार करने में सरलीकरण लाने के उद्देश्य से उपयोगकर्ता की प्रतिपुष्ठि पर आधारित राज्य में औद्योगिक उपक्रम की स्थापना करना और उनके परिचालन के लिए विनियामक, सुधार प्रस्तावित करना, सुकरता लाना या परिचय कराना ;

(ड) आवेदन प्ररूपों को पूरा करने में उद्यमियों या निवेशकों को सहायता करना ;

(ढ) जैसा कि विहित किया जाए ऐसे अन्य कृत्य करना ।

१६. संबंधित प्राधिकरणों द्वारा सुसंगत विधि के उपबंधों के अधीन जाँच जहाँ तक संभव हो यादृच्छिक चयन पर आधारित संयुक्त रूप में आयोजित किया जायेगा । जाँच का सुव्यवस्थिकरण ।

व्यय । **१७.** (१) महाराष्ट्र सरकार का उद्योग निदेशालय, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक व्यय उपगत करेगा ।

(२) पर्यवेक्षी समिति और सशक्त समिति से प्राप्त लागत, व्यय या वित्तीय विवक्षाओं आदि से संबंधित किन्ही ऐसे निदेशनों समेत निदेशन, बजट में पर्याप्त उपबंध बनाने द्वारा उद्योग निदेशालय द्वारा सम्य्क् पूरे किए जायेंगे ।

समय सीमायें । **१८.** (१) पर्यवेक्षी समिति और सशक्त समिति, जैसा कि विहित किया जाए ऐसी समय सीमा के भीतर, इस अधिनियम के अधीन और तद्धीन बनाए नियमों के अधीन उनकी शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेगी ।

(२) नोडल अभिकरण, या सक्षम प्राधिकरण या सशक्त समिति किसी उद्यमि, विनिधानकर्ता या किसी व्यक्ति द्वारा बढ़ते प्रश्नों का जैसा कि विहित किया जाए ऐसे समय के भीतर जवाब देगी।

फीस उद्ग्रहीत करने की शक्ति। **१९.** नोडल अभिकरण एकल खिडकी प्रणाली के ज़रिए उपलब्ध की जानेवाली सेवाओं के लिए जैसा कि विहित किया जाए ऐसी फीस ले सकेगा ।

ऑनलाईन विझार्ड मॉड्युल। **२०.** (१) नोडल अभिकरण, राज्य में, औद्योगिक वाणिज्यिक, या कारोबार से संबंधित उपक्रम की अनुमति जो स्थापित करने, प्रतिष्ठित करने या परिचालित करने के लिए आवश्यक है, के प्रस्तुतीकरण में उद्यमी या विनिधानकर्ता की सहायता करने के लिए एक व्यापक ऑनलाईन विझार्ड मॉड्युल प्रारूपित और विकसित करेगा ।

(२) विझार्ड मॉड्युल, उद्यमियों या निवेशकों से कतिपय आगम जैसे कि औद्योगिक उपक्रम के प्रकार, कर्मचारियोंकी संख्या, स्थान आदि का स्वीकार करने के लिए सुसज्जित होगा ।

(३) विझार्ड मॉड्युल, उद्यमियों या निवेशकों द्वारा जानकारी के लिए जैसा कि आवश्यक हो, अनुमतियाँ और उनसे संबंधित अधिसूचना के लिए आवेदन प्रारूप की लिंक का उपबंध करेगा ।

(४) संबंधित विभाग या प्राधिकरण, समय-समय में विझार्ड मॉड्युल के अधीन सभी विद्यमान अनुमतियों को शामिल करने के लिए प्रयास करना ।

(५) संबंधित विभाग या प्राधिकरण जैसा कि विहित किया जाए ऐसी समय सीमा के भीतर विझार्ड मॉड्युल के भाग के रूप में शामिल होनेवाली अतिरिक्त नई अनुमति पर जानकारी का उपबंध करना ।

प्रारुप नीतियों नियमों, और विनियमों पर लोक परामर्श। **२१.** (१) नोडल अभिकरण, वैशिष्ट्यों के साथ कोई नीतियों, नियमों और विनियमों के पारुप की प्रकाशन करने के लिए ऐसे प्रारुपों पर लोक टिप्पणियाँ या प्रतिपुष्टि का स्वीकार करने के लिए ऑनलाईन उपबंध बना सकेगी।

(२) संबंधित प्राधिकरण, प्रारूप नीतियों, नियमों, विनियमों के प्रकाशन के लिए और ऐसी नीतियों, नियमों, विनियमों पर लोक टिप्पणियाँ या प्रतिपुष्टि के सम्यक विचारार्थ एकल खिडकी प्रणाली का उपयोग किया जा सकेगा।

(३) संबंधित प्राधिकरण को, ऐसी नीतियों, नियमों और विनियमों की जरुरत उद्देश्यों के साथ या प्रस्तावित नए या संशोधित नीतियों, नियमों और विनियमों के प्रस्ताव भी प्रदर्शित कर सकेगी जिसकेद्वारा ऐसी प्रस्तावित नीती, नियमों और विनियमों से कारोबार या उद्योग पर बोझ कम होगा।

गोपनीयता। **२२.** सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण तद्धीन किसी कृत्यकारियों समेत अभिकरण या प्राधिकरण का कोई ऐसे उद्यमी या निवेशक के सहमति के बिना उद्यमीयों, निवेशक की बौध्दिक संपदा की कोई जानकारी कोई अन्य विनिधानकर्ता को या सम्य्क् प्राधिकृत न किए गए व्यक्ति से प्रकट नहीं की जायेगी।

निदेशन देने की शक्तियाँ। **२३.** राज्य सरकार, समय समय से, इस अधिनियम के उद्देश्यों के कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए जिसे आवश्यक या इष्टकर समझा जाए ऐसे नीति मामलों के संबंध में सशक्त समिति को ऐसे सामान्य या विशेष निदेशन जारी कर सकेगी और सशक्त समिति ऐसे निदेशनों का अनुपालन करने और उसपर कार्य करने के लिए बाध्यकारी होगी।

परिवर्ती उपबंध। **२४.** इस अधिनियम के उपबंध ऐसे सभी प्रस्तावों पर विनिधान प्रस्तावों पर लागू होंगे जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को सरकार या उसकी एजेन्सियों, प्राधिकारियों या उपक्रमों में से किसी के विचाराधीन रहे है, यदि सम्बन्धित विनिधानकर्ता और रीति या जो इस में नोडल एजन्सी को आवेदन प्रस्तुत करके ऐसा विकल्प देता है।

२५. इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी भी राज्य की अन्य विधि में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होने पर भी, अध्यारोही प्रभाव रखेंगी। अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना।

२६. पर्यवेक्षी समिति या सशक्त समिति के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों या ऐसी समिति के निदेशन के अधीन कार्य करने वाले सरकार के किसी कर्मचारी के विरुद्ध ऐसी किती बात के संबंध में कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किन्ही नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की जाये या की जाने के लिए आशयित हो। सद्भावपूर्वक की गयी कारवाई के लिए संरक्षण।

२७. (१) सरकार, साधारणतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन से अनू की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व, राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिए उसका निर्णय **राजपत्र** में अधिसूचित किया जाता है तो नियम, का ऐसा निर्णय **राजपत्र** में अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से केवल ऐसे परिवर्तित रूपमें हों प्रभावी होगा, या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा ; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलिकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात या विलुप्ति की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

२८. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उसे ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों : कठिनाई के निराकरण की शक्ति।

परंतु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक दो वर्षों की अवधि अवसित होने के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश उसके बजाए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधानमण्डल के दोनों सदन के समक्ष रखा जायेगा।

सन् २०२३ का महा. अध्या. क्र. ४। **२९.** (१) महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार और निवेशन सरलीकरण अध्यादेश, २०२३ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है । सन् २०२३ का महा. अध्यादेश, क्र. ४ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम के अधीन कृत, की गई, या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगा ।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXXV OF 2023.

THE MAHARASHTRA TEMPORARY EXTENSION OF PERIOD FOR SUBMITTING VALIDITY CERTIFICATE, (FOR CERTAIN ELECTIONS TO VILLAGE PANCHAYATS, ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ११ अगस्त, २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXV OF 2023.

AN ACT TO PROVIDE FOR EXTENSION OF A PERIOD FOR SUBMITTING VALIDITY CERTIFICATE BY PERSONS ELECTED ON RESERVED SEATS OF MEMBER, SARPANCH, COUNCILLOR, PRESIDENT AND MEMBER AND CHAIRMAN IN CERTAIN GENERAL OR BY ELECTIONS TO VILLAGE PANCHAYATS, ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS AND FOR MATTERS CONNECTED THERE WITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३५ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **“ महाराष्ट्र राजपत्र ”** में दिनांक १४ अगस्त, २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों और पंचायत समितियों के कतिपय आम या उप-निर्वाचनों में सदस्यों, सरपंच, पार्षद, अध्यक्ष और सदस्यों तथा सभापति की आरक्षित सीटों पर निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा विधिमान्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए अवधि बढ़ाने तथा तत्संबंधी या उससे अनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि ग्राम पंचायतों, **जिला परिषदों** तथा **पंचायत समितियों** के कतिपय आम या उप-निर्वाचनों में सदस्यों, **सरपंच,** पार्षद, अध्यक्ष और सदस्य तथा सभापति की आरक्षित सीटों पर निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए अवधि बढ़ाने तथा तत्संबंधी या उससे अनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करना इष्टकर था ;

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, एक विधि बनाने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; इसलिए महाराष्ट्र (ग्राम पंचायतों जिला परिषदों तथा पंचायत समितियों के कतिपय निर्वाचनों के लिए) विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का अवधि अस्थायी बढाना अध्यादेश, २०२३, १० जुलाई २०२३ को प्रख्यापित किया गया था ;

सन् २०२३ का महा. अध्या. ६।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र (ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों तथा पंचायत समितियों के कतिपय निर्वाचनों के लिये) वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का अवधि अस्थायी बढ़ाना अधिनियम, २०२३ कहलाये ।

(२) यह १० जुलाई २०२३ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९५९ का ३। सन् १९६२ का महा. ५।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में उपयोगी शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो क्रमशः महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में समनुदेशित अर्थ से है ।

सन् १९५९ का ३। सन् १९६२ का महा. ५।

विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए अवधि को बढ़ाने।

३. (१) महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा १०-१क और ३०-१क और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ की धारा १२क, ४२ और ६७ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ ग्राम पंचायतों, **जिला परिषदों** और **पंचायत समितियों** के आम या उप-निर्वाचन १ जनवरी २०२१ पर या के पश्चात् तथा इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक तक किये गये थे,—

(क) व्यक्ति, जिसने नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक के पूर्व अपनी जाति प्रमाणपत्र की विधिमान्यता प्राप्त करने के लिए संवीक्षा समिति को आवेदन किया है और जो ग्राम पंचायत के सदस्य या **सरपंच, जिला परिषद** के पार्षद या अध्यक्ष तथा **पंचायत समितियों** के सदस्य या सभापति की आरक्षित सीट पर निर्वाचित हुए है, परंतु जिसके आवेदन इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक पर संवीक्षा समिति के की समक्ष विलंबित है, वह अपना विधिमान्यता प्रमाणपत्र इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से बारह महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर सकेंगें ; और

(ख) वह व्यक्ति जिसका निर्वाचन उपर्युक्त उल्लिखित धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने से बर्खास्त हुआ है या बर्खास्त हुआ है ऐसा समझा गया है या ऐसा व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य या **सरपंच,** जिला परिषद के पार्षद या अध्यक्ष, या **पंचायत समिति** के सदस्य या सभापति होने से निर्रहित हुआ है, वह व्यक्ति **ग्राम पंचायत** का सदस्य या **सरपंच, जिला परिषद** के पार्षद या अध्यक्ष, या, यथास्थिति, **पंचायत समिति** के सदस्य या सभापति है ऐसा समझा जायेगा तथा निरंतर बना रहेगा और इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से बारह महीने की अवधि तक विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने से निर्रहित नहीं होंगे :

परंतु यदि ऐसा व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से बारह महीने की अवधि के भीतर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल होता है, तो उसका निर्वाचन भूतलक्षी रूप से बर्खास्त हुआ समझा जायेगा और वह **ग्राम पंचायत** का सदस्य या **सरपंच, जिला परिषद** का पार्षद या अध्यक्ष या पंचायत समिति का सदस्य या सभापति बना रहने के लिए निरर्ह होगा, ।

(२) उप-धारा (१) के उपबंध, यहाँ पर लागू नहीं होंगे, :—

(क) जहाँ इस अधिनियम के प्रारम्भण के पूर्व उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट सीटों पर पहले से ही उप-निर्वाचन ले लिए गये हैं; या

(ख) जहाँ सदस्य, जिसका विधिमान्यता प्रमाणपत्र का आवेदन संवीक्षा समिति द्वारा अस्वीकृत किया गया है ।

विधिक कार्यवाहियों का समापन ।

४. इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक के तत्काल पूर्व उनके द्वारा विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने से ग्राम पंचायत का सदस्य या **सरपंच, जिला परिषद** का पार्षद या अध्यक्ष या **पंचायत समिति** के सदस्य या सभापति निरर्हित होने के संबंध में किसी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष प्रलंबित सभी विधिक कार्यवाहियाँ इस अधिनियम के अधीन विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का अवधि बढ़ाया गया है उस बारे में समाप्त होगी ।

कठिनाई के निराकरण की शक्ति ।

५. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्‌भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परंतु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से एक वर्ष की अवधि अवसित होने के पश्चात्, ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा।

(२) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

सन् २०२३ का महा. अध्या. क्र. ६ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

६. (१) महाराष्ट्र (ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों और पंचायत समितियों के कतिपय निर्वाचनों के लिए) विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए अवधि अस्थायी बढ़ाना अध्यादेश, २०२३ एतद्‌द्वारा निरसित किया जाता है। सन् २०२३ का महा. अध्या. क्रमांक ६।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधो के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXXVI OF 2023.

THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING (AMENDMENT) ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १२ अगस्त, २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXVI OF 2023.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३६ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक १४ अगस्त, २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिये, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन) अध्यादेश, २०२३, १९ जून २०२३ को प्रख्यापित हुआ था ;

सन् १९६६ का महा. ३७।

सन् २०२३ का महा. अध्या. क्र. ३।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन) अधिनियम, २०२३ कहलाए।

(२) यह १९ जून २०२३ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा ३० में संशोधन।

२. महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ३० की, उप-धारा (१) के खण्ड (दो) के परंतुक में, " नगर निगम के मामले में " शब्दों के स्थान में, " नगर निगम, या, यथास्थिति, योजना प्राधिकरण के मामले में " शब्द रखे जायेंगे । सन् १९६६ का महा. ३७।

सन् २०२३ का महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ३ का निरसन और व्यावृत्ति।

३. (१) महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन) अध्यादेश, २०२३ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०२३ का महा. अध्या. क्र. ३।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन, कृत कोई बात या की गयी कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गयी या, यथास्थिति, जारी गयी समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXXVII OF 2023.

THE MAHARASHTRA PAYMENT OF COMPENSATION FOR LOSS, INJURY OR DAMAGE CAUSED BY WILD ANIMALS ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १२ अगस्त, २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXVII OF 2023.

AN ACT TO MAKE SPECIAL PROVISIONS FOR PAYMENT OF COMPENSATION FOR LOSS OF LIFE OF, OR INJURY TO HUMANS AND CATTLE AND DAMAGE TO CROPS AND PROPERTY CAUSED BY CERTAIN WILD ANIMALS AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, “ **महाराष्ट्र राजपत्र** ” में दिनांक १४ अगस्त, २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

कुछ वन्य पशुओं की वजह से जान-माल की हानि, या मनुष्यों और पशुओं को चोट और फसलों तथा सम्पत्ति को नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति की अदायगी करने के लिए तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए विशेष उपबंध करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि कुछ वन्य पशुओं की वजह से जान-माल की हानि, या मनुष्यों और पशुओं को चोट और फसलों तथा सम्पत्ति को नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति की अदायगी करने के लिए तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए विशेष उपबंध करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र वन्य पशुओं द्वारा हुई हानि, चोट या नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति की अदायगी अधिनियम, २०२३ कहलाए।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषाएँ।

२. (१) इस अधिनियम में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) " पशु " का तात्पर्य, गाय, भैस, बैल, भेड़, बकरी तथा राज्य सरकार **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ऐसे अन्य पशु शामिल है ;

(ख) " विधिक वारिस " या " उत्तराधिकारी " का तात्पर्य, व्यक्ति, जो मृतक व्यक्ति के सम्पत्ति का, यदि मृतक व्यक्ति उसके मृत्यु के समय पर कोई सम्पत्ति छोडकर गया है, का विधि के अनुसार हकदार है या वंशानुगत पाने का हकदार है और उसमें मृतक के कोई निष्पादक या प्रशासक भी सम्मिलित है से है ;

(ग) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित से है ;

(घ) " नियम " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से है ;

(ङ) " वन्य पशु " का तात्पर्य, बाघ, तेंदुआ, भालू, जंगली भैम्सा, जंगली सूअर, सियार लकडबग्घा, लोमड़ी, मगरमच्छ, हाथी, जंगली कुत्ता, हिरन, नीलगाय, बन्दर, और लंगूर तथा राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा जिसे विनिर्दिष्ट करे ऐसे वन्य पशु सम्मिलित है।

(२) इस अधिनियम में प्रयोग किए गए परंतु उसमें उपर्युक्त परिभाषित नहीं किए गए शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जिसे वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ में समनुदेशित किया गया है। सन् १९७२ का ५३ ।

वन्य पशुओं के कारण हानि या नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति ।

३. (१) राज्य सरकार, कतिपय वन्य पशुओं की वजह से पीडित को कोई चोट, या मनुष्यों या पशुओं के जान-माल की हानि या फसल या अचल सम्पत्ति के नुकसान के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पीड़ित को या उनके विधिक वारिसों को क्षतिपूर्ति अदा करेगी।

(२) राज्य सरकार, वन्य पशूओं के हमले के कारण हुए चोट या नुकसान के निम्न प्रकार के लिए क्षतिपूर्ति अदा करेगी :—

(क) मानवी जीवन गँवाने ;

(ख) मानवी स्थायी विकलांगता ;

(ग) मानवी गंभीर चोट ;

(घ) पशू जीवन गँवाने ;

(ङ) पशू को चोट ;

(च) फसल, फलोत्पादक वृक्षों का नुकसान ;

(छ) सम्पत्ति का नुकसान ; या

(ज) जैसा कि विहित किया जाए चोट या नुकसान के कोई अन्य प्रकार :

परंतु यह की, वन्य पशु द्वारा सड़क पार करते समय वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई किसी क्षति, चोट या नुकसान की, उपर्युक्त खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) या (ङ) के अधीन क्षतिपूर्ति देने के लिए विचारार्थ नहीं लिया जायेगा।

(३) इस अधिनियम के अधीन देय क्षतिपूर्ति के दर, राज्य सरकार द्वारा **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा जैसा कि, विनिर्दिष्ट करे ऐसे होंगे। राज्य सरकार, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए विभिन्न वन्य पशुओं द्वारा मानव को चोट और पशु को चोट या फसल, फलोत्पादक वृक्ष और सम्पत्ति के नुकसान के विभिन्न प्रकारों के लिए क्षतिपूर्ति के विभिन्न दरों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

४. (१) इस अधिनियम के अधिनियम के अधीन अदा की जानेवाली क्षतिपूर्ति पाने के लिए आवेदन ऐसे प्राधिकारी को, जैसा कि विहित किया जाए ऐसे प्रारूप में तथा रीत्या में तथा ऐसे समय के भीतर ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा। क्षतिपूर्ति अदा करने की, प्रक्रिया ।

(२) प्राधिकारी, उप-धारा (१) के अधीन क्षतिपूर्ति पाने के किसी आवेदन की प्राप्ति के पश्चात्, सभी पहलूओं को पूरा करने जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीत्या में कोई जाँच की जायेगी। प्राधिकारी, जाँच करने के पश्चात्, आवेदन को, उसपर उसके रिपोर्ट के साथ जैसा कि विहित किया जाए ऐसे मंजूरी प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा ।

(३) मंजूरी प्राधिकारी, आवेदन से संलग्न दस्तावेज और प्राधिकारी के रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के पश्चात् या तो इस अधिनियम के अधीन अदा की जानेवाली क्षतिपूर्ति को मंजूर करेगा या लिखित में अभिलिखित किए जानेवाले उसके कारणों के पश्चात् उसे अस्वीकृत करेगा :

परंतु यह कि, क्षतिपूर्ति का कोई आवेदन, मंजूरी प्राधिकारी द्वारा आवेदक को जब तक सुनवाई का कोई युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाता है तब तक अस्वीकृत नहीं किया जायेगा ।

(४) क्षतिपूर्ति आवेदक को, सभी पहलुओं में पूरे आवेदन की प्राप्ति से तीस दिनों की अवधि के भीतर अदा की जायेगी । ऐसे तीस दिनों के पश्चात्, क्षतिपूर्ति अदा करने में कोई विलंब होने पर क्षतिपूर्ति पर जैसा कि विहित किया जाए ऐसे दर पर ब्याज अदायगी के उत्तरदायी होगा।

५. यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन क्षतिपूर्ति के लिए कोई मिथ्या दावा करता है या इस अधिनियम के अधीन संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष मिथ्या कथन करता है तो वह एक हजार रुपयों की शास्ति देने के लिए जिम्मेदार होगा। मंजूरी प्राधिकारी ऐसे मामलों में शास्ति अधिरोपित करेंगे तथा वसूल करेंगे। शास्ति भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय होगी। मिथ्या दावे या मिथ्या कथन के लिए शास्ति।

६. संदेह के निराकरण के लिए, एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक के पूर्व की गई क्षतिपूर्ति के दावों के संबंध में लागू नहीं होगी । संदेह का निराकरण।

७. इस अधिनियम या किसी नियम, या तद्धीन बनाए गए आदेश के अधीन सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार या किसी व्यक्ति के सरकार या किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ संस्थित नहीं की जायेगी । सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण ।

८. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी । नियम बनाने की शक्ति ।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो कि चाहे एक सत्र में हो या दो आनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि, उस सत्र के, जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया हो, या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए, सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम न बनाया जाये, और उस प्रभाव का अपना विनिश्चय **राजपत्र** में अधिसूचित करते हैं, तो नियम ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, या यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जाएगा ; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई या किये जाने से छोडी गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

९. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हों **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत कोई बात कर सकेगी जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो : कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।

परंतु, ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं बनाया जायेगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

(यथार्थ अनुवाद)

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. XXXVIII OF 2023.

THE MIT VISHWAPRAYAG UNIVERSITY, SOLAPUR ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १७ अगस्त, २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधी विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXVIII OF 2023.

AN ACT TO PROVIDE FOR ESTABLISHMENT, INCORPORATION AND REGULATION OF THE MIT VISHWAPRAYAG UNIVERSITY, SOLAPUR, FOR THE DEVELOPMENT AND ADVANCEMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE STATE OF MAHARASHTRA AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक १८ अगस्त, २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए एमआयटी विश्वप्रयाग विश्वविद्यालय, सोलापुर की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए उपबंध करने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए एमआयटी विश्वप्रयाग विश्वविद्यालय, सोलापुर की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए उपबंध करने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

१. (१) यह अधिनियम एमआयटी विश्वप्रयाग विश्वविद्यालय, सोलापुर अधिनियम, २०२३ कहलाए। संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,— परिभाषाएँ।

(क) " अनुबद्ध प्राध्यापक ", " अनुबद्ध सहयुक्त प्राध्यापक " या "अनुबद्ध सहायक प्राध्यापक " का तात्पर्य, कोई व्यक्ति उद्योग, व्यापार, कृषि, वाणिज्य, सामाजिक, सांस्कृतिक, अकादमिक या किसी अन्य सहबद्ध क्षेत्र से है, जो विश्वविद्यालय के सहयोगी या सहयुक्त की अवधि के दौरान इस प्रकार पदाभिहित किया है, से है ;

(ख) " प्राधिकरण " का तात्पर्य, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन यथा विनिर्दिष्ट किये गये विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों से है ;

(ग) " प्रबंध मंडल बोर्ड " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा २२ के अधीन गठित किये गये प्रबंध मंडल बोर्ड से है ;

(घ) " परिसर " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र जिसके अधीन वह स्थापित किया गया है ;

(ङ) " उत्कर्षता केंद्र " का तात्पर्य, छात्रों, सेवांतर्गत कर्मचारियों, कार्यरत व्यावसायिकों की सुसंगत कौशल के सभी प्रकार मुहैय्या करने के लिये, उद्योग से सहयोग में स्थापित अद्यावत प्रशिक्षण या अनुसंधान केंद्र या उद्योग या समाज के लाभ के लिये और संयुक्त परियोजना हाथ लेने के लिये स्थापित से है;

(च) " दूरस्थ और ऑनलाईन शिक्षा " का तात्पर्य, संसूचना के किन्ही दो या अधिक साधनों के समुच्चय द्वारा, जैसे, प्रसारण, दूरदर्शन प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम तथा किन्हीं अन्य ऐसी प्रणाली विज्ञान द्वारा प्रदान की गई शिक्षा से है ;

(छ) " कर्मचारी " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी शामिल होंगे ;

(ज) " फीस " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थांओं या, यथास्थिति, अध्ययन केंद्रों द्वारा किया गया धनीय संग्रहण, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, छात्रों से किया गया से है, जो प्रत्यर्पणीय नहीं है ;

(झ) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(ञ) " शासी निकाय " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा २१ के अधीन गठित किये गये शासी निकाय से है ;

(ट) " उच्चतर शिक्षा " का तात्पर्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के स्तर पर अध्ययन से परे ज्ञान का अनुसरण करने से है ;

(ठ) " छात्रावास " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आवास का स्थान, या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये गये या मान्यताप्राप्त ऐसी उसकी संस्थाएँ तथा अध्ययन केंद्रों से है ;

(ड) " अधिसूचना " का तात्पर्य, **राजपत्र** में प्रकाशित की गई अधिसूचना से है ;

(ढ) " **राजपत्र** " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार के **राजपत्र** से है ;

(ण) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम द्वारा बनाये गए या के अधीन परिनियमों या आर्डिनेन्सों, विनियमों या, यथास्थिति, नियमों द्वारा विहित किये गये से है ;

(त) " अध्यक्ष " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष से है जो विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी होगा ;

(थ) " विनियमित निकाय " का तात्पर्य, उच्चतर शिक्षा के अकादमिक मानक सुनिश्चित करने के लिए मानक और शर्ते अधिकथित करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निकाय से है, जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद, भारतीय कृषक अनुसंधान परिषद, दूरस्थ शिक्षा परिषद, भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद, आदि और इसमें सरकार भी सम्मिलित है ;

(द) " नियम " का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से है ;

(ध) " धारा " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा से है ;

(न) इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय के संबंध में " प्रायोजक निकाय " का तात्पर्य, महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास के अधीन संस्था के रूप में रजिस्ट्रीकृत महाराष्ट्र इंजीनिअरिंग और शिक्षा अनुसंधान अकादमी, पूणे सर्वे क्रमांक १२४, डाकघर एक्स सर्विसमेन कॉलनी, पौड रोड, कोथरूड पूणे ४११ ०३८ में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय होगा। सन् १९५० का २९ ।

(प) " राज्य " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य से है ;

(फ) " परिनियम ", " आर्डिनन्सो " तथा " विनियमों " का तात्पर्य, क्रमशः इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के परिनियमों, आर्डिनन्सों तथा विनियमों से है ;

(ब) " छात्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय में नामांकन किए गए व्यक्ति से है, जिसने विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशेषताओं के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो, इसमें अनुसंधान उपाधि भी सम्मिलित होगी ;

(भ) " अध्ययन केन्द्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा सलाह, परामर्श के प्रयोजन के लिये या दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में छात्रों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य किसी सहायता देने के लिये स्थापित और पोषित या मान्यताप्राप्त केन्द्र से है ;

(म) " अध्यापक " का तात्पर्य, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक या सहयुक्त प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति जिससे विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रदान करना या अनुसंधान में मार्गदर्शन करना या पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को किसी भी प्ररूप में मार्गदर्शन देना अपेक्षित है ;

(य) " विश्वविद्यालय " का तात्पर्य, एमआयटी विश्वप्रयाग विश्वविद्यालय, सोलापुर से है।

निगमन। **३.** (१) एमआयटी विश्वप्रयाग विश्वविद्यालय, सोलापुर के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(२) अध्यक्ष, कुलपति, शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद और अन्य समस्त व्यक्ति जो इसके बाद ऐसे अधिकारी बनेंगे या ऐसे पद पर रहेंगे या सदस्यत्व निरंतर धारण करेंगे, वे सभी, एतद्द्वारा, " एमआयटी विश्वप्रयाग विश्वविद्यालय, सोलापूर " के नाम द्वारा निगमित निकाय गठित और घोषित होंगे " ।

(३) विश्वविद्यालय का, शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम द्वारा वाद चलाएगी और उस पर वाद चलाया जाएगा।

(४) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम के अधीन स्थापित किये गये असहबद्ध विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा और यह किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को उसमें प्रवेशित छात्रों को उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सहबद्ध नहीं होगा।

(५) विश्वविद्यालय और उसका मुख्यालय एमआयटी विश्वप्रयाग विश्वविद्यालय, गट क्रमांक ६६/८, ६७, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३/बी/८/१ और ७३/३/क ग्राम केगाव, सोलापुर-पुणे महामार्ग, तहसील उत्तर सोलापुर, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र ४१३ २५५ में स्थित होगा ।

विश्वविद्यालय का उद्देश्य। **४.** विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्न अनुसार होंगे,–

(क) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में अध्ययन, अध्यापन, क्षमता, सामर्थ्य तथा कुशलता विकास और अनुसंधान और विकास जिसमें मुक्त कला मानविकी सामाजिक विज्ञानों, जीव विज्ञानों तथा जैवप्रौद्योगिकी, नॅनो–विज्ञानों और प्रौद्योगिकी, वृत्तिक शाखाओं, जैसे कि इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विधि, प्रबंधन, कारोबार तथा वाणिज्य, अनुप्रयुक्त तथा रचनात्मक कलाएँ, व्यावसायिक शिक्षा, मिडिया, सूचना एवं संसूचना, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा और उनकी आंतर-शाखीय पाठ्यक्रम और सन्निर्माण, परिसम्पति, आधारभूत संरचना और परियोजना (सीआरआयपी) पर बल देने के साथ विकास का भी समावेश है, के उपबंध करना ;

(ख) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में कला, क्रीड़ा, संस्कृति, फिल्म, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, समुद्री अनुसंधान अनुदेश, अध्यापन तथा प्रशिक्षण का उपबंध करना तथा अनुसंधान के लिए उपबंध करना ;

(ग) ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक (दिमाग, दिल और हाथ) क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(घ) बौद्धिक क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(ङ) विकास के नए मार्गों के अविष्कार तथा सामाजिक पुनर्निर्माण तथा परिवर्तन के लिए सर्जनात्मकता, नविनता और उद्योग उपक्रम को बढावा देने के लिए नए शैक्षिक कार्यक्रमों की निर्मिति तथा अभिनियोजित करना ;

(च) शिक्षा तथा विकास के लिए अद्यतन सुविधाएँ संस्थित करना ;

(छ) अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यान्वित करना तथा निरंतर गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तावित करना ;

(ज) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और सामाजिक-आर्थिक विकास में अनुसंधान और विकास के लिए तथा ज्ञान बाँटने और उसके उपयोजन के लिए उत्कर्ष केंद्रों की निर्मिति करना ;

(झ) २१ वी सदी में व्यक्ति तथा समाज के लिये अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, मूल्यांकन, विकास, संगठन और सामाजिक-आर्थिक सम्पत्ति की निर्मिति करने के शासन और प्रबंधन करने के लिए आधुनिक और आधुनिकोत्तर प्रक्रियाएँ, यंत्र-क्रिया तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना ;

(ञ) उद्योग तथा सार्वजनिक संगठन तथा समाज को वृत्तिक तथा विकासात्मक सेवाओं का उपबंध कराना ;

(ट) नव अभिनव दृष्टिकोण के साथ नए तथा प्रकट क्षेत्रो में उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम, पाठ्यक्रम शुरू करना ;

(ठ) भारत और विदेश में के अन्य उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थाओं के साथ संबंध, सहयोग तथा भागीदारी संस्थित करना ;

(ड) परीक्षाएँ या अन्य किसी मूल्यांकन पद्धतियों के आधार पर उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताएँ गठित करना ;

(ढ) सर्जनात्मक तथा उद्यमीता के विकास और परिष्कार के लिए अकादमिक संरचनाएँ, अध्ययन पद्धतियों का ढाँचा और कामकाज तथा निरंतन मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सीवनहीनता की निर्मिति के लिए नवअभिनव दृष्टिकोण को संस्थित करना ;

(ण) सरकार द्वारा सुझाए गए कोई अन्य उद्देश्य जारी रखना ;

(त) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किए गए उपाधि, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताओं का स्तर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद अधिनियम, १९९३ के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ के अधीन गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या आयुर्विज्ञान अधिनियम, १९४८ के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ के अधीन गठित भारतीय बार परिषद, या, यथास्थिति, किसी अन्य कानूनी निकाय द्वारा अधिकथित से कम नहीं है, सुनिश्चित करना।

सन् १९९३ का ७३। सन् १९५६ का ३। सन् १९४८ का ८। सन् १९६१ का २५।

५. विश्वविद्यालय की, निम्न शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :— विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य।

(एक) ऑनलाईन शिक्षा पद्धति समेत परम्परागत साथ ही साथ नवअभिनव परिवर्तन पद्धतियों, के माध्यम से दिए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान संबंधी, उपबंध करना तथा सभी उपायों (जिसमें पाठ्यक्रम को अपनाना तथा अद्यतन करना सम्मिलित है) को अपनाना ;

(दो) उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ प्रमाणपत्र, बक्षिस, श्रेणियाँ, श्रेयांक तथा अकादमिक विशेषताओं को संस्थित और प्रदान करना ;

(तीन) परीक्षाएँ संचालित करना तथा लेना ;

(चार) अन्य मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों, बोर्डों या परिषदों की उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्रों के समतुल्य तथा समरूप उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों के लिए उपबंध करना ;

(पाँच) परिसरों की स्थापना के लिए सभी आवश्यक उपाय करना ;

(छह) केंद्रीय पुस्तकालय, विभागीय पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा सहबद्ध विषयों की स्थापना करना ;

(सात) मानद उपाधियाँ, जैसा कि विहित किया गया है, को संस्थित करना और प्रदान करना ;

(आठ) विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार फेलोशिप, छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति संस्थित तथा अधिनिर्णित करना ;

(नौ) समाज के शैक्षणिक रूप से पिछड़े स्तर में, शैक्षणिक सुविधाओं को प्रचारित करने के लिए विशेष उपाय करना ;

(दस) क्रीड़ा तथा अन्य पाठ्येतर क्रियाकलापों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन करना ;

(ग्यारह) तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उसमें नियुक्तियाँ करना ;

(बारह) पारस्पारिक प्रतिग्राह्य शर्तों और निबंधनों पर अनुसंधान परियोजनाओं को हाथ में लेना ;

(तेरह) परामर्शी सेवाओं को देना ;

(चौदह) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियमों, आर्डिनन्सों, नियमों तथा विनियमों को विरचित करना ;

(पंद्रह) विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र तथा कर्मचारी के व्यक्तित्व विकास के लिए पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन करना ;

(सोलह) राज्य सरकार, भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेशों के अनुसार, देश के भीतर या बाहर अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले में पारस्पारिक के आधार पर दोहरी उपाधियाँ, डिप्लोमाओं या प्रमाणपत्रों का उपबंध करना ;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों में विभिन्न शाखाओं में एकात्मिक पाठ्यक्रमों के लिए ऐसे उपबंधों की निर्मिति करना ;

(अठारह) राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार महाविद्यालयों, संस्थाओं, परिसर मुक्त केंद्रों, समुद्री पार परिसर और अध्ययन केंद्रों को स्थापित करना ;

(उन्नीस) दान, बक्षिस और अनुदान, प्राप्त करना तथा किसी सम्पत्ति को जंगम या स्थावर, जिसमें राज्य के भीतर या बाहर के न्यास या विन्यास सम्पत्ति सम्मिलित है, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों के लिए अर्जित, धारण, प्रबंध तथा निपटान करना तथा निधि निवेशित करना ;

(बीस) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, समय-समय पर फीस संरचना विहित करना ;

(इक्कीस) ऐसे फीसों तथा अन्य प्रभार जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया गया हों, के भुगतान की माँग तथा प्राप्त करना ;

(बाईस) पारस्परिक ग्राह्य शर्तों और निबंधनों पर अन्य संस्थाओं से सहयोग लेना ;

(तेईस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विनियमित निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मचारियों का वेतन, पारिश्रमिक, मानदेय का अवधारण करना ;

(चौबीस) अतिरिक्त बाह्य अध्यापन तथा विस्तार सेवाओं का आयोजन करना और उपक्रमित करना ;

(पच्चीस) हॉल तथा छात्रावासों को स्थापित तथा पोषित करना ;

(छब्बीस) विश्वविद्यालय द्वारा रखरखाव न किये गये, हॉल और छात्रावासों और अन्य वास-सुविधाओं को छात्रों के आवास के लिए मान्यता देना, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और किसी ऐसी मान्यता वापस लेना ;

(सत्ताईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित तथा प्रवर्तित कराना और जैसा वह आवश्यक समझे ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना ;

(अठ्ठाईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा साधारण कल्याण को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था करना ;

(उनतीस) समय-समय से विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर सहमत किया जाए ऐसे प्रयोजनों के लिये उस विश्वविद्यालय के उसी प्रकार के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों को बढ़ावा देने की दृष्टि से, ऐसे प्रयोजनों के लिए, देश के भीतर के या बाहर के अन्य किसी विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगठन या किसी सार्वजनिक या निजी निकाय को सहयोग करना ;

(तीस) विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये अनुसंधान तथा अन्य कार्य, जिसमें पाठ्य-पुस्तकें सम्मिलित है, के मुद्रण, पुनर्मुद्रण तथा प्रकाशन के लिए उपबंध करना ;

(इकतीस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय में मानकों की स्थापना तथा रखरखाव) विनियमों, २००३ या अन्य किन्ही विनियमों के उपबंधों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किये गए निर्देशनों का समय-समय से अनुपालन तथा अनुसरण करना ;

(बत्तीस) राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी किये गए निदेशों का, विश्वविद्यालय की उपर्युक्त शक्तियाँ, कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के संदर्भ में, अनुपालन करना तथा कार्यान्वित करना ;

(तैंतिस) ऐसे सभी कृत्य करना जिसे विश्वविद्यालय के सभी या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आनुषंगिक या सहायक हो ।

६. (१) भारत का कोई भी नागरिक सिर्फ लिंग, धर्म, पन्थ, वर्ग, जाति, जन्मस्थान, धार्मिक मान्यता या व्यवसाय या राजनीतिक या अन्य मत के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी पद या उसके किसी प्राधिकरणों, निकायों या समितियों के सदस्यत्व या किसी पद पर की नियुक्ति, या किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अन्य अकादमिक विशेष योग्यता या अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अपवर्जित नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय सब के लिए खुला रहेगा।

(२) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभागों, और संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के प्रयोजनार्थ, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, निरधिसूचित जनजातियों (विमुक्त जातियों), खानाबदोष जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े प्रवर्गों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछडे नागरिकों के वर्गों (एसइबीसी) और आर्थिक कमजोर वर्गों (इडब्लूएस) के आरक्षण के संबंध में सरकारी नीति तथा समय-समय पर जारी आदेशों को अंगीकृत करेगा।

(३) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित, समाज के गरीब वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के विभिन्न संवर्गों के कल्याण के संदर्भ में, राज्य सरकार की साधारण नीति को अंगीकृत करेगा।

७. विश्वविद्यालय, स्ववित्तपोषित होगा तथा सरकार से कोई अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता पाने का हकदार नहीं होगा। विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित होगा।

८. (१) प्रायोजित निकाय, " विश्वविद्यालय के लिए, विन्यास निधि " नामक एक स्थायी कानूनी निधि स्थापित करेगी, जिसमें कम से कम दस करोड़ रुपये समाविष्ट होंगे जिसे **स्व-प्रेरणा** से बढ़ाया जा सकेगा, परन्तु कम नहीं किया जायेगा। विन्यास निधि।

(२) विन्यास निधि, इस अधिनियम या नियमों, विनियमों, परिनियमों या तद्धीन बनाये गये ऑर्डिनेन्स के उपबंधों के कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा निक्षेप के रूप में रखी जायेगी।

(३) सरकार को, इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों, परिनियमों, ऑर्डिनेन्सों या तद्धीन बनाये गये विनियमों का उल्लंघन विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय के मामले में, विन्यास निधि का अंशतः या संपूर्ण भाग विहित रीत्या समपहृत करने की शक्तियाँ होगी।

(४) विन्यास निधि से आय, विश्वविद्यालय की मुलभूत सुविधा के विकास के लिए उपयोग में लाया जाएगा किंतु, विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

(५) विन्यास निधि की राशि, विनिहित रखी जाएगी, जब तक विश्वविद्यालय का विघटन नहीं होता है तब तक, सरकार द्वारा प्राप्त या प्रत्याभूत दीर्घकालिक सुरक्षा के रूप में शर्त के अध्यधीन यह निधि सरकार की अनुमति के बिना, नहीं निकाली जाएगी।

(६) दीर्घकालिक सुरक्षा के प्रमाणपत्र, सरकार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएँगे ; तथा सरकार को, उप-धारा (३) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए, जमा राशि भुनाने का अधिकार होगा।

साधारण निधि। **९.** विश्वविद्यालय, साधारण निधि के नाम से एक निधि स्थापित करेगा, जिसमें निम्न, जमा किया जाएगा, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभारों ;

(दो) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अंशदान ;

(तीन) विश्वविद्यालय द्वारा परामर्श से तथा हाथ में लिए गए, अन्य कार्य से प्राप्त कोई आय ;

(चार) वसीयतों, दान, विन्यासों, तथा कोई अन्य अनुदान, तथा ;

(पाँच) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सभी अन्य राशियाँ।

सामान्य निधि का उपयोग। **१०.** (१) सामान्य निधि का उपयोग, विश्वविद्यालय के कामकाज के संबंध में सभी व्यय जिसमें आवर्ती या अनावर्ती व्यय पूरा करने के लिए किया जायेगा :

परन्तु, इस वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिये सीमाओं के अधिक में व्यय विश्वविद्यालय द्वारा उपगत नहीं किया जायेगा, जिसे प्रबंधमंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के बिना, प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा नियत किया जा सकेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी। **११.** विश्वविद्यालय के निम्न अधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(एक) अध्यक्ष जो कुलाधिपति भी होगा ;

(दो) कुलपति ;

(तीन) संकायाध्यक्ष ;

(चार) रजिस्ट्रार ;

(पाँच) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी ;

(छह) परीक्षा नियंत्रक ; और

(सात) विश्वविद्यालय सेवा में ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में घोषित किया जाए।

अध्यक्ष। **१२.** (१) अध्यक्ष, नियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसी रीत्या सरकार के अनुमोदन से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रायोजित निकाय द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) अध्यक्ष के पद के लिए पात्रता मापदण्ड जैसा कि, राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(३) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा।

(४) अध्यक्ष, शासी निकाय की बैठकों और उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान करने के लिए होनेवाले विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(५) अध्यक्ष को, निम्न शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के कामकाज से संबंधित विश्वविद्यालय किसी अधिकारी या प्राधिकारी से कोई जानकारी या अभिलेख मांगना ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति करना ;

(ग) धारा १४ की, उप-धारा (७) के उपबंधों के अनुसरण में, कुलपति को हटाना;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

१३. अध्यक्ष को, प्रायोजक निकाय द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पदधारी,— अध्यक्ष को हटाना।

(क) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, उसे इस प्रकार घोषित ठहराया गया है ; या

(ख) नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है ; या

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(घ) शारीरिक रूप से अनुपयुक्त है और दीर्घकालिन बीमारी या शारीरिक विकलांगता के कारण कार्य या पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ है ; या

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में जानबूझकर छोड देता है या अस्वीकार करता है और सेवा संविदा के किन्ही निबन्धनों और शर्तों का या परिनियमों द्वारा अधिकथित किन्ही अन्य शर्तों का उल्लंघन करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या अध्यक्ष को पद पर बनाए रखने से विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है :

परन्तु, अध्यक्ष को, उक्त पद से हटाने के लिए, खंड (घ) और (ङ) के अधीन कार्यवाही का सहारा लेने के पूर्व प्रायोजक निकाय द्वारा कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

१४. (१) कुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विरचित नियमों के अनुसार गठित खोजबीन-नि-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसे पात्रता मानदण्ड पूरी करनेवाले तथा ऐसे निबंधन तथा शर्तों पर, तीन व्यक्तियों के एक पॅनल से, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उप-धारा (७) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा : कुलपति।

परन्तु, तीन वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, कुलपति, अगली तीन वर्षों की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु आगे यह कि, कुलपति, अपने पद के अवसान के बाद भी, नवीन कुलपति के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा, तथापि, किसी मामले में, यह अवधि, एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(२) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और अकादमिक अधिकारी होगा और उसकी विश्वविद्यालय के कामकाज पर संपूर्ण अधीक्षण की शक्तियाँ होगी और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों को निष्पादित करेगा।

(३) कुलपति, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(४) यदि, कुलपति की राय में, ऐसे किसी मामले में जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन किसी अन्य प्राधिकरणों को शक्तियाँ प्रदान की गई है, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक है तो, वह ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात्, शीघ्रतम अवसर पर अपनी कार्यवाही रिपोर्ट ऐसे अधिकारी या प्राधिकरणों को देगा जो सामान्यतया उस मामले का निपटान करता है :

परन्तु, यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में ऐसी कार्यवाही कुलपति द्वारा नहीं की गई थी तब ऐसे मामले में अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसपर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(५) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरणों का निर्णय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, ऑर्डिनेन्स, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन करता है या विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो वह अपने निर्णय का पुनरीक्षण करने के लिए संबंधित

प्राधिकरण से अनुरोध करेगा और प्राधिकरण, निर्णय का पूर्णतः या अंशतः पुनरीक्षण करने के लिए इनकार करता है या पंद्रह दिनों के भीतर कोई निर्णय लेने में असफल रहता है तब ऐसा मामला, अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा और जिसपर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(६) कुलपति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(७) यदि किसी समय प्राप्त अभ्यावेदन पर या से अन्यथा और ऐसी जाँच करने के बाद, जैसा आवश्यक समझा जाए, स्थिति इस प्रकार समर्थित करे और यदि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो अध्यक्ष, शासी निकाय के अनुमोदन से, उसके लिए कारण दर्शाते हुए लिखित आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे दिनांक से उस पद को त्यागने के लिए कुलपति को कहेगा :

परन्तु, इस उप-धारा के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व, कुलपति को सुनवाई करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

संकायाध्यक्ष। **१५.** (१) संकायाध्यक्ष, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के अकादमिक और अन्य कार्यकलापों के प्रबंध में कुलपति को सहायता करेगा और विनियमों द्वारा विहित की जाए या अध्यक्ष और कुलपति द्वारा सोंपे जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

रजिस्ट्रार। **१६.** (१) रजिस्ट्रार, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा।

(२) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के निर्णय के अध्यधीन वह करार करने, संविदा करने, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी, वह परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

(३) रजिस्ट्रार, शासी निकाय, प्रबंध मंडल बोर्ड और अकादमिक परिषद का सदस्य सचिव होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(४) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जैसा शासी निकाय उसके प्रभार में सुपुर्द करें।

(५) रजिस्ट्रार, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विहित किया जाए या परिनियमों द्वारा उसे प्रदान किया जाए या कुलपति द्वारा समय-समय से उसे समनुदेशित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का अनुपालन करेगा।

परीक्षा नियंत्रक। **१७.** (१) परीक्षा नियंत्रक, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(२) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय की परीक्षा और परीक्षण के संचालन और उनके परिणामों की घोषणा करनेवाला प्रभारी प्रमुख अधिकारी होगा। वह कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और मार्गदर्शन के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(३) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्ण समय वैतनिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कुलपति के निदेशन और नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा। उसकी नियुक्ति, तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी और वह तीन वर्षों से अनधिक एक अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। परीक्षा नियंत्रक के चयन के प्रयोजन के लिए अर्हता और अनुभव जैसा कि विहित किया जाए ऐसा होगा।

(४) परीक्षा नियंत्रक,—

(क) परीक्षाओं के कलैंडर तैयार करना और अग्रिम में घोषित करना ;

(ख) प्रश्नपत्रों के मुद्रण के लिए व्यवस्था करना ;

(ग) परीक्षाओं और अन्य परीक्षणों के परिणामों की समय पर प्रकाशन की व्यवस्था करना ;

(घ) परीक्षा संबंधित उम्मीदवारों, पेपर-सेटर्स, परीक्षकों, अनुसीमकों या किसी अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध और परीक्षाओं के संबंध में कदाचार का दोषी पाये जाने पर जहाँ आवश्यक हो अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा ;

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर, पुनर्विलोकन करेगा और अकादमिक परिषद को उसपर रिपोर्ट अग्रेषित करेगा ;

(च) परीक्षाओं का नियंत्रक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसा कि विहित किया जाए या उसे समनुदेशित किया जाए।

मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी।

१८. (१) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, विश्वविद्यालय का प्रधान वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा अधिकारी होगा।

(२) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(३) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

अन्य अधिकारी।

१९. (१) विश्वविद्यालय, उसके कर्तव्यों के लिए आवश्यक समझे जाये ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।

(२) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, ऐसे अधिकारियों के सेवा के निबंधन और शर्तें, उनकी शक्तियाँ और कृत्य परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाए ऐसे होंगे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।

२०. विश्वविद्यालय के निम्न, प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :—

(क) शासी निकाय ;

(ख) प्रबंधमंडल बोर्ड ;

(ग) अकादमिक परिषद ;

(घ) परीक्षा बोर्ड ; और

(ङ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में परिनियमों द्वारा घोषित किया जाए ऐसे अन्य प्राधिकरण।

शासी निकाय।

२१. (१) विश्वविद्यालय का शासी निकाय, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष ;

(ख) कुलपति ;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये पाँच व्यक्ति, जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद् होंगे ;

(घ) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के बाहर से प्रबंधमंडल या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ होगा ;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये दो व्यक्ति ;

(च) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले उद्योगों के दो प्रतिनिधि ; और

(छ) विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार, शासी निकाय का स्थायी आमंत्रिति होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(२) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा।

(३) शासी निकाय को, निम्न शक्तियाँ होगी, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम या परिनियमों, आर्डिनेन्स, तद्धीन बनाए गए विनियमों या नियमों द्वारा यथा उपबंधित ऐसी सभी शक्तियों के उपयोग द्वारा, विश्वविद्यालय के कार्यो का सामान्य अधीक्षण और निदेशन और नियंत्रण का उपबंध करना ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, आर्डिनेन्स, विनियमों या नियमों की पुष्टि नहीं हैं के मामले में, विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के निर्णयों का पुनर्विलोकन करना ;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना ;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनायी जानेवाली नीतियाँ अधिकथित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिनिर्धारण के बारे में सभी प्रयासों के बावजूद जब विश्वविद्यालय के सुचारू कार्यान्वयन करने की उद्भूत स्थिति शेष संभव नहीं होती हैं तब प्रायोजक निकाय को सिफारिशें करना ; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) शासी निकाय की, कलैन्डर वर्ष में कम से कम तीन बैठकें होंगी।

(५) शासी निकाय के बैठकों की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी।

प्रबंधमंडल बोर्ड।

२२. (१) प्रबंधमंडल बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति ;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट शासी निकाय के दो सदस्य ;

(ग) कुलपति द्वारा, चक्रानुक्रम द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले विश्वविद्यालय के दो संकायाध्यक्ष ;

(घ) तीन व्यक्ति, प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट जो शासी निकाय के सदस्य नहीं है ; और

(ङ) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट अध्यापकों में से तीन व्यक्तियाँ।

(२) कुलपति, प्रबंधमंडल बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(३) प्रबंधमंडल बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य, ऐसे होंगे जिसे परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) प्रबंधमंडल बोर्ड, प्रत्येक दो महीनें में कम से कम एक बार बैठक लेगा।

(५) प्रबंधमंडल बोर्ड के बैठक की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी।

अकादमिक परिषद।

२३. (१) अकादमिक परिषद, कुलपति और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(२) कुलपति, अकादमिक परिषद का **पदेन** अध्यक्ष होगा।

(३) अकादमिक परिषद, विश्वविद्यालय की प्रधान अकादमिक निकाय होगी, और इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और ऑर्डिनेन्स के अध्यधीन विश्वविद्यालय के अकादमिक नीतियों का समन्वयन और सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(४) अकादमिक परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति, ऐसी होगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

परीक्षा बोर्ड।

२४. (१) परीक्षा बोर्ड, परीक्षाओं के संचालन और परीक्षाओं का आयोजन और परीक्षा लेने के बारे में नीति संबंधी निर्णय लेने, परीक्षा पद्धति में सुधार लाने, पेपर-सेटरों, परीक्षकों, अनुसीमकों की नियुक्ति के लिए और परीक्षाओं और परिणामों की घोषणा करने के दिनांकों की अनुसूची भी तैयार करनेवाला विश्वविद्यालय का प्रमुख प्राधिकरण होगा । परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी केंद्र में परीक्षाओं के संचालन का निरीक्षण और विनियमन भी करेगा ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा और धारा ३८ के प्रयोजनों के लिए, "परीक्षाओं की अनुसूची" की अभिव्यक्ति का तात्पर्य, प्रत्येक पेपर का समय, दिन और दिनांक के प्रारभ्मण के बारे में दी गई ब्योरेवार तालिका से है, जो परीक्षा प्रणाली का हिस्सा है और जिनमें प्रात्यक्षिक परीक्षा के बारे में भी ब्यौरे सम्मिलित होंगे।

(२) परीक्षा बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति	. .	अध्यक्ष ;
(ख) प्रत्येक विषय के प्राध्यापक	. .	सदस्य ;
(ग) परीक्षा बोर्ड द्वारा सहयोजित एक मूल्यांकन विशेषज्ञ	. .	सदस्य ;
(घ) परीक्षा नियंत्रक	. .	सदस्य-सचिव।

(३) परीक्षा बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

२५. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएँ। अन्य प्राधिकरण।

२६. कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किन्ही प्राधिकरणों या निकायों का सदस्य होने से निरर्ह होगा, यदि वह,— निरर्हता।

(एक) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(दो) नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है ; या

(तीन) निजी कोचिंग वर्गों को स्वयं चलाता है या जुड़ा हुआ है ; या

(चार) कहीं भी, किसी भी रूप में किसी परीक्षा के संचालन में अनुचित व्यवहार करने में जुड़े होने या बढ़ावा देने के लिए दंडित किया गया है।

२७. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के कार्य या कार्यवाहियाँ केवल किसी रिक्ति के या उसके गठन में त्रुटि के कारण द्वारा अविधिमान्य नहीं होगी। विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय की रिक्तियों संबंधी कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होगी।

२८. किसी मामले में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में सदस्य की मृत्यु, इस्तीफा या हटाये जाने के कारण कोई अस्थायी रिक्ति पायी जाती है तो, जिस सदस्य का पद रिक्त हुआ है उस सदस्य के स्थान में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या नामनिर्देशित करके यथासंभव शीघ्र ऐसी रिक्ति भरी जायेगी ; और अस्थायी रिक्ति भरने के लिये इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किये गये व्यक्ति या निकाय को जिस सदस्य के स्थान में इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्देशित किया गया है ऐसे सदस्य की शेष पदावधि के लिए वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होगा । अस्थायी रिक्तियों को भरना।

२९. (१) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारी ऐसे संदर्भो के निबंधनों के साथ ऐसी समितियों द्वारा किये जानेवाले विनिर्दिष्ट कार्यो के लिए जैसा आवश्यक समझें समितियाँ गठित करेंगे। समितियाँ।

(२) ऐसी समितियों का गठन, ऐसा होगा जिसे परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

३०. (१) विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम, शासी निकाय द्वारा बनाये जायेंगे और उसके अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत कियें जायेंगे। प्रथम परिनियम।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कराएगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों के गठन, शक्तियाँ और कृत्य समय-समय पर गठित किये जायेंगे ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तो तथा उसकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ग) संकायाध्यक्ष, रजिस्ट्रार तथा मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तो तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(घ) कर्मचारियों के नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तो तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ङ) कर्मचारियों, छात्रों तथा विश्वविद्यालय के बीच विवादों के मामले में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया ;

(च) सम्मानिक उपाधियों को प्रदान करना ;

(छ) छात्रों को अध्यापन फीस अदायगी से छूट देने तथा उन्हें छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति प्रदान करने के संबंध में उपबंध ;

(ज) आरक्षित सीटों के विनियमन समेत विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेशों की नीति, सीटों की संख्या के संबंध में उपबंध ; और

(झ) छात्रों से प्रभारित किए जानेवाली फीस के संबंध में उपबंध।

(३) सरकार, शासी निकाय द्वारा प्रस्तुत प्रथम परिनियम का विचार करेगी और यदि कोई हो, ऐसे उपांतरणों के साथ जैसा वह आवश्यक समझे, उसकी प्राप्ति के दिनांक से चार महिने के भीतर, उस पर उसका अनुमोदन देगी।

(४) सरकार, **राजपत्र** में अपने अनुमोदन द्वारा प्रथम परिनियम प्रकाशित करेगी, और उसके बाद, ऐसे प्रकाशन के दिनांक से प्रथम परिनियम प्रवृत्त होगा।

पश्चात्वर्ती परिनियम।

३१. (१) इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्वर्ती परिनियम, निम्न सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध करेंगें, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन करना ;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया ;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करना ;

(घ) नए विभागों का निर्माण और विद्यमान विभाग को बंद करना या पुनःसंरचना करना ;

(ङ) पदकों तथा पुरस्कारों को शुरू करना ;

(च) पदों का सृजन और पदों के समापन की प्रक्रिया करना ;

(छ) फीस का पुनरीक्षण ;

(ज) विभिन्न पाठ्यविवरण में सीटों की संख्या का परिवर्तन ; और

(झ) परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो सभी अन्य मामलें है।

(२) विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रथम परिनियम से अन्य शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध मंडल बोर्ड द्वारा बनाया जायेंगे।

(३) प्रबंधमंडल बोर्ड, समय-समय से नये या अतिरिक्त परिनियम बनाएगा या इस धारा में उपबंधित जिसे इसमें आगे ऐसी रीत्या बनाए गए परिनियमों में संशोधन या निरसन करेगा :

परंतु, प्रबंधमंडल बोर्ड, विश्वविद्यालय के कोई विद्यमान प्राधिकरण जब तक ऐसा प्राधिकरण प्रस्ताव पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं देता है तब तक प्राधिकरण के किसी प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियमों या परिनियम में कोई संशोधन नहीं बनाएगा और इस प्रकार कोई राय लिखित में अभिव्यक्त करता है तो उसका शासी निकाय द्वारा विचार किया जाएगा।

(४) प्रत्येक ऐसे परिनियम या परिनियम में परिवर्धन या किसी संशोधन या परिनियम के निरसन, सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे :

परंतु, अकादमिक परिषद से परामर्श के बिना, छात्रों के अनुशासन और अध्यापन, शिक्षा तथा परीक्षा के मानक पर प्रभाव ड़ालने वाले कोई परिनियम, प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा नहीं बनाए जाएंगे।

प्रथम ऑर्डीनेन्स।

३२. (१) विश्वविद्यालय के प्रथम ऑर्डिनेन्स, शासी निकाय और उसके अनुमोदन के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए जैसे उसे उचित समझे शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध मंडल बोर्ड ऐसे प्रथम ऑर्डिनेन्सेस बनाएगा और ऐसे ऑर्डिनेन्सेस निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए मुहैया कराएगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश तथा उनके ऐसे नामांकन ;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम ;

(ग) उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों तथा अन्य अकादमिक विशिष्टताओं को प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएँ वही होंगी तथा मंजूर करने और प्राप्त करने से संबंधित वही अर्थ होगा ;

(घ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, पदक और पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए शर्तें ;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों के पदों की शर्तों और नियुक्तियों की रीति तथा कर्तव्यों समेत परीक्षाओं का संचालन ;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यचर्याओं, परीक्षाओं, उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए प्रभारित की जानेवाली फीस ;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रावास में छात्रों के आवास की शर्तें ;

(ज) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई करने संबंधी उपबंध ;

(झ) विश्वविद्यालय के अकादमिक जीवन में सुधार करने के लिए किसी अन्य निकाय के सृजन, संरचना और कृत्य जो कि आवश्यक माने गए हैं ;

(ञ) उच्च शिक्षा के अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं से सहकारिता और सहयोग की रीति ; और

(ट) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए परिनियमों के अधीन जो अन्य सभी मामलें ऑर्डिनेन्सों द्वारा मुहैया करना अपेक्षित है।

(३) सरकार, उप-धारा (१) के अधीन कुलपति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रथम ऑर्डिनेन्सों का विचार करेगी और ऐसे उपांतरण के साथ यदि कोई आवश्यक समझे तो, उसकी प्राप्ति के दिनांक से, चार महीनों के भीतर अनुमोदन देगी।

३३. (१) अकादमिक परिषद द्वारा बनाए गए प्रथम ऑर्डिनेन्स से, अन्य सभी ऑर्डिनेन्स, प्रबंध मंडल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद उसके अनुमोदन के लिए शासी निकाय को प्रस्तुत किए जाएँगे। पश्चात्वर्ती ऑर्डिनेन्स।

(२) अकादमिक परिषद, या तो प्रबंधमंडल बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करके ऑर्डिनेन्सेस उपांतरित करेगी या सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी, यदि कोई हो, ऐसे कारणों के साथ ऑर्डिनेन्सेस लौटाएगी। प्रबंधमंडल बोर्ड और शासी निकाय अकादमिक परिषद के सुझावों का विचार करेंगे और विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्सेस ऐसे उपांतरणों के साथ या के बिना अनुमोदित किए जायेंगे और तत्पश्चात्, शासी निकाय द्वारा अनुमोदित रूप में ऑर्डिनेन्सेस प्रवृत्त होंगे।

३४. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंधमंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन, उसके स्वयं के कारोबार और उसके द्वारा नियुक्त समितियों को संचालित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों और नियमों, तद्धीन बनाए गए ऑर्डिनेन्स और परिनियमों से संगत विनियम बनाएँगे। विनियम।

३५. (१) विश्वविद्यालय में प्रवेश, गुणागुण के आधार पर कड़ाई से किये जायेंगे। प्रवेश।

(२) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए गुणागुण के आधार पर या प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त किए गए श्रेणी के आधार पर और पाठ्यक्रमेतर तथा पाठ्येतर गतिविधियों में प्राप्त उपलब्धि या राज्य स्तर पर संचालित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त गुण या श्रेणी के आधार पर या विश्वविद्यालय के सहयोजन द्वारा या राज्य के किसी एजेंसी द्वारा होंगे :

परंतु, वृत्तिक तथा तकनीकी पाठ्यचर्याओं में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के ज़रिए होंगे।

(३) अनुसूचित-जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े प्रवर्गों, तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (इडब्लूएस) से संबंध रखनेवाले और विकलांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित रखी जाएँगी ।

(४) महाराष्ट्र राज्य का अधिवास रखनेवाले छात्रों के लिए चालीस प्रतिशत सीटें अनुमोदित कुल ग्रहण क्षमता में से आरक्षित रखीं जायेगी।

फीस संरचना पुनर्विलोकन समिति।

३६. (१) विश्वविद्यालय, समय-समय पर विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के लिए उनकी फीस संरचना तैयार करेगा और उसे सभी स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के लिए फीस संरचना का पूर्नविलोकन करने के लिए, समय-समय से, जारी सरकारी संकल्प द्वारा, राज्य सरकार द्वारा गठित फीस संरचना पुनर्विलोकन समिति के अनुमोदन के लिए उसे अग्रेषित कर सकेगा।

(२) महाराष्ट्र असहायताप्राप्त निजी वृत्तिक शैक्षिक संस्थाएँ (प्रवेश तथा फीस का विनियमन) अधिनियम, २०१५ की धारा १४ और १५ में उपबंधित फीस संरचना के निर्धारण के लिए फीस विनियमिति प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत की जानेवाली प्रक्रिया और घटक, विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए फीस संरचना प्रस्ताव का विचार करते समय फीस संरचना पुनर्विलोकन समिति द्वारा **यथावश्यक परिवर्तन समेत** अपनायी जायेगी। सन् २०१५ का महा. २८।

(३) समिति, विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गयी फीस संरचना पर विचार करेगी, उसका पुनर्विलोकन करेगी और, चाहे प्रस्तावित फीस,—

(क) (एक) विश्वविद्यालय का आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए स्त्रोत निर्माण करने; और

(दो) विश्वविद्यालय के अधिकतर विकास के लिए आवश्यक व्यावृतियाँ के लिए पर्याप्त है; और

(ख) अनुचित ढ़ंग से अत्यधिक नहीं है, का विचार करने के पश्चात्, उसकी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

(४) उप-धारा (३) के अधीन सिफारिशों की प्राप्ति के पश्चात्, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि, प्रस्तावित फीस संरचना पर्याप्त और युक्तीयुक्त है, तो वह फीस संरचना का अनुमोदन कर सकेगी। यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि, प्रस्तावित फीस संरचना पर्याप्त नहीं है और अनुचित है तो वह उसे अस्वीकृत करेगी और उसके पुनर्विचार के लिए उसे समिति को वापस भेज देगी । सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना अगले पुनर्विलोकन तक शेष वैध रहेगी।

(५) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय में प्रवेशित पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों के लिए किसी फीस की प्रतिपूर्ति नहीं करेगी या कोई वित्तीय दायित्व नहीं लेगी।

(६) विश्वविद्यालय उप-धारा (४) के अधीन जिसके लिए वह हकदार है से अन्यथा चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए कोई फीस प्रभारित नहीं करेगी।

प्रतिव्यक्ति फीस का प्रतिषेध ।

३७. (१) कोई प्रतिव्यक्ति फीस, विश्वविद्यालय द्वारा या कि और से या कोई व्यक्ति जो ऐसी, संस्था के प्रबंधन के लिए प्रभारी है या जिम्मेवार है, के द्वारा, किसी छात्र से या उसके प्रवेश के प्रतिफलेन और ऐसी संस्था में किसी अध्ययन के पाठ्यक्रम या उच्चतर कक्षा या वर्ग में उसकी प्रोन्नति के लिए, संग्रहीत नहीं की जाएगी।

(२) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुऐ भी, प्रबंधनमंडल नगद या उसी प्रकार में विहित रीत्या विन्यास निधि, परोपकारी व्यक्तियों या संगठन या लोकन्यासों या किसी अन्य लोगों के संगठन से छात्रवृत्ति या पुरस्कार या जैसे प्रदान करने के लिए विन्यास निधि सृजन करने के लिए नए शिक्षण संस्थाओं को खोलने के लिए सद्भाव में दान संग्रह या प्राप्त करेगी लेकिन, ऐसे दान संग्रहित या स्वीकारते समय प्रबंधनमंडल ऐसे दान के विचार में उसके द्वारा चलित किसी शैक्षणिक संस्था में कोई सीटें आरक्षित नहीं रखेगी।

जहाँ ऐसे संदान की स्वीकृति के विचार में ऐसी संस्था में किसी छात्र के प्रवेश के लिए कोई जगह आरक्षित है तो दान के ऐसे प्रतिग्रहण, प्रतिव्यक्ति फ़ीस, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान (प्रतिव्यक्ति फ़ीस का प्रतिषेध) अधिनियम, १९८७ की धारा २ के खण्ड (क) के अर्थान्तर्गत समझे जाएँगे। (१९८८ का महा. ६।)

३८. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के शुरुआत में और किसी मामले में, प्रत्येक कलैंडर वर्ष के ३० जून से पहले विश्वविद्यालय उसके द्वारा संचालित हर और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए सत्रवार या, यथास्थिति, वार्षिक परीक्षाओं की समय-सारणी तैयार तथा प्रकाशित करेगी और ऐसे समय-सारणी का कड़ाई से पालन होगा : (परीक्षाओं की समय-सारणी।)

परंतु, यदि चाहे जिस किसी भी कारण के लिए, विश्वविद्यालय यह समय-सारणी अनुसरण करने में असमर्थ है तो वह यथासंभव शीघ्र सरकार को प्रकाशित समय-सारणी से प्रस्थान तैयार करने के लिए विस्तृत कारणों को देने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार, उस पर भविष्य में अनुपालन के लिए जैसा कि उचित समझे, ऐसे निदेश जारी करेगी।

३९. (१) विश्वविद्यालय, विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए उसके द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा परीक्षा की अंतिम दिनांक से लेकर तीस दिनों के भीतर करने का प्रयास करेगी और किसी मामले में नवीनतम परिणाम ऐसे दिनांक से पैंतालीस दिनों के भीतर घोषित करेगा : (परिणामों की घोषणा ।)

परंतु यदि, जो कोई भी कारण हो, विश्वविद्यालय किसी भी परीक्षा के परिणाम पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर, अंतिमतः घोषित करने में असमर्थ है, वह सरकार को ऐसे विलंब के विस्तृत कारणों में समाविष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सरकार, उस पर, भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए, जैसा कि वह उचित समझे, ऐसे निर्देश जारी करेगा।

(२) कोई परीक्षा या परीक्षा के परिणाम, विश्वविद्यालय ने धारा ३८ में अनुबद्ध परीक्षा की अनुसूची का अनुसरण नहीं किया है या उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, विश्वविद्यालय परिणाम घोषित करने में असफल हुआ है सिर्फ इसी कारण के लिए अविधिमान्य नहीं होगी।

४०. उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ प्रदान करने के लिए या किसी अन्य प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह परिनियमों द्वारा विहित रीत्या में, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष, में किया जाएगा। (दीक्षांत समारोह ।)

४१. विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद **(नॅक)**, बैंगलोर से उसके संस्थित होने से तीन वर्ष के भीतर, प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा तथा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद (नॅक) द्वारा उपबंधित श्रेणी के बारे में सरकार तथा अन्य ऐसी विनियमित निकायों को जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित है, को जानकारी देगा । विश्वविद्यालय, तत्पश्चात्, ऐसे प्रत्यायन प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर नवीकृत कर सकती है। (विश्वविद्यालय का प्रत्यायन ।)

४२. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि के पालन के लिये और ऐसे निकायों को उनके द्वारा उनके कर्तव्यों का निर्वहन तथा उनके कार्यों को कार्यान्विन करने के लिए आवश्यक है, ऐसी सभी सुविधाओं और सहायता मुहैया करने के लिये बाध्यकारी होगी। (विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि का अनुसरण करेगा ।)

४३. (१) विश्वविद्यालय का वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंधनमंडल बोर्ड तैयार करेगा, जिसमें अन्य मामलों में, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों को पूरा करने हेतु उठाए गए कदमों का समावेश होगा तथा शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा उसकी प्रति प्रायोजक निकाय को भेजी जाएगी। (वार्षिक रिपोर्ट ।)

(२) उप-धारा (१) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ, सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी।

(३) राज्य सरकार, ऐसी रिपोर्ट राज्य विधान मंडल के हर एक सदन के समक्ष रखेगी।

४४. (१) प्रबंधनमंडल बोर्ड के निर्देशों के अधीन तुलनपत्र समेत विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा तैयार किए जाएँगे और इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार लेखापरीक्षा की जाएगी। (वार्षिक लेखा और लेखा संपरीक्षा ।)

(२) लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखा की प्रति, शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(३) वार्षिक लेखाओं तथा शासी निकाय के संप्रेक्षणों के साथ जोड़ी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट, प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(४) उप-धारा (१) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखाओं और तुलनपत्र की प्रतियाँ, सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी।

(५) सरकार की सलाह, यदि कोई हो, विश्वविद्यालय के लेखा और लेखापरीक्षा की रिपोर्ट से उद्‌भूत होती है तो, शासी निकाय के सामने रखी जाएगी और शासी निकाय, जैसा उचित समझे ऐसे निदेश जारी करेगी और उसके अनुपालन के लिए सरकार को प्रस्तुत करेगी।

विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की सरकार की शक्तियाँ ।

४५. (१) विश्वविद्यालय से संबंधित अध्यापन, परीक्षा और संशोधन या किसी अन्य मामले की श्रेणियाँ अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, सरकार, कुलपति से परामर्श के बाद, जैसा वह उचित समझे ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीति में मामला निर्धारण करेगी।

(२) सरकार, सुधारक कार्यवाही के लिए ऐसे निर्धारण के परिणामस्वरूप, संबंध में उसकी सिफारिशें विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय सिफारिशों के अनुपालन की सुनिश्चिति के लिए आवश्यकता के रूप में ऐसे सुधारक उपाय करेगी।

(३) यदि विश्वविद्यालय, उचित समय के भीतर, उप-धारा (२) के अधीन की गई सिफारिशों का अनुपालन करने में असफल रहती है तो सरकार, जैसा वह उचित समझे ऐसे निर्देश देगी जो विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन ।

४६. (१) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को अग्रिम रूप में कम से कम एक वर्ष की इस प्रभाव की सूचना सरकार को देकर, विश्वविद्यालय विघटित करेगी :

परंतु, विश्वविद्यालय का विघटन, केवल उसके नियमित पाठ्यक्रम पूरे करनेवाले छात्रों की अंतिम बॅच का होगा और उन्हें उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कारों से पुरस्कृत किये जाने पर ही प्रभावी होगा।

(२) विश्वविद्यालय के विघटन पर विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व, प्रायोजक निकाय में निहित होंगे :

परंतु, विश्वविद्यालय उसकी स्थापना से पंद्रह वर्ष पूरे होने के पूर्व प्रायोजक निकाय द्वारा विघटन किये जाने के मामले में विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ, सभी ऋणभारों से मुक्त होकर सरकार में निहित होंगी।

कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियाँ ।

४७. (१) यदि, सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्ही निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या धारा ५ के अधीन दिये गये किन्हीं उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत होता है या विश्वविद्यालय में वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन की स्थिति उद्‌भूत होती है तो वह अपेक्षित विश्वविद्यालय को पैंतालिस दिनों के भीतर कारण बताओ नोटीस जारी करेगा कि क्यों न उसके समापन का आदेश बनाया जाये।

(२) यदि, सरकार का, उप-धारा (१) के अधीन जारी की गई सूचना पर विश्वविद्यालय के जबाब की प्राप्ति पर, समाधान हो जाता है कि **प्रथमदृष्ट्या** इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या धारा ५ के अधीन दिये गये किन्ही उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत हुआ है या वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन हुआ है तो वह आवश्यक समझे ऐसी जाँच के आदेश बना सकेगी।

(३) सरकार, उप-धारा (२) के अधीन किसी जाँच के प्रयोजन के लिए, किन्हीं भी अभिकथनों में जाँच करने के लिए किसी जाँच अधिकारी या अधिकारियों को नियत करेगी और उसपर रिपोर्ट बनायेगी।

(४) उप-धारा (३) के अधीन नियत किये गये जाँच अधिकारी या अधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल न्यायालय में जो शक्तियाँ निहित होती है वह निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद का विचारण करते समय होगी, अर्थात् :— सन् १९०८ का ५।

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिए, समन जारी करना और प्रवृत्त करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) साक्ष्य में प्रतिपादित किये गये अपेक्षित किसी ऐसे दस्तावेज या किसी अन्य सामग्री की खोज या निर्माण करना ;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की अपेक्षा करना; और

(घ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाये।

सन् १९७४ का २। (५) जाँच अधिकारी या अधिकारियों की इस अधिनियम के अधीन जाँच, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १९५ और अध्याय २६ के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

(६) उप-धारा (३) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी या अधिकारियों से जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के सभी या किन्ही उपबंधों या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, या ऑर्डिनेन्स का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्ही निर्देशों का उल्लंघन किया है, धारा ५ के अधीन उसके द्वारा किये गये उपक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये परिविरत है या विश्वविद्यालय के अकादमिक मानकों के आशंकाओं से वित्तीय कु-प्रबंध या कु-प्रशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में उद्भूत हुई है तो विश्वविद्यालय के समापन या प्रशासक की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक आदेश जारी किये जायेंगे।

(७) उप-धारा (६) के अधीन नियुक्त किये गये प्रशासक को इस अधिनियम के अधीन शासी निकाय और प्रबंधन बोर्ड के सभी शक्तियाँ होंगी और सभी कर्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कामकाज का प्रबंधन तब तक करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच उनके पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करती हैं और उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है।

(८) नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच के लिये उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान करने के पश्चात्, प्रशासक, सरकार को इस प्रभाव की रिपोर्ट करेगा।

(९) उप-धारा (८) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय के विघटन के अंतिम आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से विश्वविद्यालय विघटित होगा और विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व ऐसे दिनांक से प्रायोजक निकाय में निहित होगी।

४८. (१) इस अधिनियम के प्रारंभण के तुरंत पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर विरचित स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांतो की आवश्यकताओं के अनुपालन के सत्यापन और सुनिश्चित करने के क्रम में, सचिव स्तरीय समिति स्थापित की जायेगी और प्रायोजक निकाय को परिवचन प्रस्तुत करेगी। समिति, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और नियोजन विभाग के सचिवों से मिलकर बनेगी। सचिव स्तरीय समिति।

(२) उप-धारा (१) के अधीन गठित समिति, उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(३) उप-धारा (२) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के परिचालन को अनुमति देते हुये **राजपत्र** में, अधिसूचना प्रकाशित करेगी।

(४) विश्वविद्यालय, उप-धारा (३) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के पश्चात् ही केवल छात्रों को प्रवेश देगा।

४९. धारा ४८ की उप-धारा (१) के अधीन स्थापित सचिव स्तर समिति, जब-जब सरकार द्वारा निर्देशित किया गया हो, विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर सकेगी और स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा, समय समय पर, जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतो की आवश्यकताओं के अनुपालन और तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधियों के उपबंधों के अनुपालन की जाँच और सुनिश्चित किया जा सके। सचिव स्तर समिति द्वारा निरीक्षण ।

दंड ।

५०. इस अधिनियम के किन्ही उपबधों का उल्लंघन, यह अपराध होगा और धारा ११ के अधीन विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के साथ-साथ विश्वविद्यालय के अधिकारी तीन महिने से अनधिक परंतु एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकनेवाले अवधि के लिए कारावास और पचास हजार रुपयों से अनधिक परंतु जो पाँच लाख रुपयों तक बढाए जा सकनेवाले जुर्माने से दण्डित होंगे :

परंतु, इस धारा में की कोई बात, इस अधिनियम के उपबंधों के अननुपालन के लिए विश्वविद्यालय के परिसमापन की प्रक्रिया समेत, कोई कार्यवाही चाहे वह सिविल या दाण्डिक हो प्रारंभ करने से सरकार को नहीं रोकेगी ।

कंपनीयों द्वारा अपराध ।

५१. (१) जहाँ कंपनी द्वारा, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गये नियमों के अधीन अपराध किया जाता है तब अपराध किये जाने के समय, कंपनी के कार्य संचालन साथ ही साथ कंपनी के प्रभारी या के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति अपराध के लिए दोषी समझा जायेगा तथा उसके विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए, दायी होगा और तद्नुसार, दण्डित किया जायेगा :

परन्तु, इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किया व्यक्ति को किसी दण्ड के लिए दायी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित करता है कि, अपराध उसकी जानकारी के बगैर किया गया था या ऐसा अपराध न हो इसलिए उसने सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(२) उप-धारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन, कंपनी द्वारा अपराध काय जाता है और यह साबित होता है की अपराध, कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से हुआ है या की और से किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है तब ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी या उस अपराध के लिए दोषी होगा तथा उसके विरुद्ध भी अभियोजन के लिए, वह दायी होगा और उसे तद्नुसार दण्डित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनार्थ,—

(क) " कंपनी " का तात्पर्य निगमित निकाय से है तथा इसमे एक न्यास, एक फर्म, समाज, एक संस्था या व्यक्तियों का अन्य संघ भी शामिल है ; और

(ख) फर्म के संबंध में " निदेशक " का तात्पर्य.-

(एक) फर्म का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है ;

(दो) एक समाज, एक न्यास, एक संस्था या व्यक्तियों का अन्य संघ, या व्यक्तियों का निकाय का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो समाज, न्यास, संस्था या अन्य संघ, या, यथास्थिति, निकाय के कार्य के प्रबंधन के साथ समाज, न्यास, संस्था या अन्य संघ या निकाय के नियमों या उप-विधियों के अधीन हित रखता है ऐसे व्यक्ति से है ।

नियम बनाने की शक्ति ।

५२. (१) सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(२) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्न समस्त या किन्ही मामलों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा १२ की, उप-धारा (१) के अधीन अध्यक्ष के नियुक्ति का रीति ;

(ख) धारा १२ की, उप-धारा (२) के अधीन अध्यक्ष के पद के लिये पात्रता निकष ;

(ग) धारा ४५ की, उप-धारा (१) के अधीन विश्वविद्यालय के अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान के मानक सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए किसी निर्धारण करने की रीति ;

(घ) धारा ४७ की, उप-धारा (४) के खंड (घ) के अधीन विहित किये जानेवाले मामले ;

(ङ) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा विहित करना आवश्यक है या किया जा सके।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा जो कि चाहे वह एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि, उस सत्र में जिसमें उसे रखा गया है, उसके ठीक बाद के सत्र या सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाए तो नियम, अधिसूचना के प्रकाश के दिनांक से, केवल ऐसे परिवर्तित रुप में हों प्रभावी होगा, या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलिकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात या विलुप्ति की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति ।

५३. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों :

परंतु, ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. XXXIX OF 2023.

THE DES PUNE UNIVERSITY, PUNE ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १७ अगस्त, २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXIX OF 2023.

AN ACT TO PROVIDE FOR ESTABLISHMENT, INCORPORATION AND REGULATION OF THE DES PUNE UNIVERSITY, PUNE, FOR THE DEVELOPMENT AND ADVANCEMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE STATE OF MAHARASHTRA AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३९ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक १८ अगस्त, २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए डीईएस पुणे विश्वविद्यालय, पुणे की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए उपबंध करने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए डीईएस पुणे विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए उपबंध करने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

१. (१) यह अधिनियम डीईएस पूणे विश्वविद्यालय, पूणे अधिनियम, २०२३ कहलाए। संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,— परिभाषाएँ।

(क) " अनुबद्ध प्राध्यापक ", " अनुबद्ध सहयुक्त प्राध्यापक " या "अनुबद्ध सहायक प्राध्यापक " का तात्पर्य, कोई व्यक्ति उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, सामाजिक, सांस्कृतिक, अकादमिक या किसी अन्य सहबद्ध क्षेत्र से है, जो विश्वविद्यालय के सहयोगी या सहयुक्त की अवधि के दौरान इस प्रकार पदाभिहित किया है, से है ;

(ख) " प्राधिकरण " का तात्पर्य, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन यथा विनिर्दिष्ट किये गये विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों से है ;

(ग) " प्रबंध मंडल बोर्ड " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा २२ के अधीन गठित किये गये प्रबंध मंडल बोर्ड से है ;

(घ) " परिसर " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र जिसके अधीन वह स्थापित किया गया है ;

(ङ) " उत्कर्षता केंद्र " का तात्पर्य, छात्रों, सेवांतर्गत कर्मचारियों, कार्यरत व्यावसायिकों की सुसंगत कौशल के सभी प्रकार मुहैय्या करने के लिये, और संयुक्त परियोजना हाथ लेने के लिये उद्योग से सहयोग या उद्योग या समाज के लाभ के लिये स्थापित अद्यावत प्रशिक्षण या अनुसंधान केंद्र से है ;

(च) " दूरस्थ और ऑनलाईन शिक्षा " का तात्पर्य समुच्चय द्वारा, जैसे प्रसारण, दूरदर्शन प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम तथा किन्हीं अन्य ऐसी प्रणाली विज्ञान द्वारा संसूचना के किन्ही दो या अधिक संयुक्त माध्यम द्वारा प्रदान की गई शिक्षा से है ;

(छ) " कर्मचारी " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी शामिल होंगे ;

(ज) " फीस " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थांओं या, यथास्थिति, अध्ययन केंद्रों, द्वारा किया गया धनीय संग्रहण, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, छात्रों से किया गया से है, जो प्रत्यर्पणीय नहीं है ;

(झ) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(ञ) " शासी निकाय " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा २१ के अधीन गठित किये गये शासी निकाय से है ;

(ट) " उच्चतर शिक्षा " का तात्पर्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के स्तर पर अध्ययन से परे ज्ञान का अनुसरण करने से है ;

(ठ) " छात्रावास " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आवास का स्थान, या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये गये या मान्यताप्राप्त ऐसी उसकी संस्थाएँ तथा अध्ययन केंद्रों से है ;

(ड) " अधिसूचना " का तात्पर्य, **राजपत्र** में प्रकाशित की गई अधिसूचना से है ;

(ढ) " **राजपत्र** " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार के **राजपत्र** से है ;

(ण) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम द्वारा बनाये गए या के अधीन परिनियमों या आर्डिनेन्सों, विनियमों या, यथास्थिति, नियमों द्वारा विहित किये गये से है ;

(त) " अध्यक्ष " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष से है जो विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी होगा ;

(थ) " विनियमित निकाय " का तात्पर्य, उच्चतर शिक्षा के अकादमिक मानक सुनिश्चित करने के लिए मानक और शर्ते अधिकथित करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निकाय से है, जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद, भारतीय कृषक अनुसंधान परिषद, दूरस्थ शिक्षा परिषद, भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद, आदि और इसमें सरकार भी सम्मिलित है ;

(द) " नियम " का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से है ;

(ध) " धारा " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा से है ;

(न) इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय के संबंध में " प्रायोजक निकाय " का तात्पर्य, महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम के अधीन रजिष्ट्रीकृत लोक न्यास के अधीन संस्था के रूप में रजिस्ट्रीकृत डेक्कन शिक्षा संस्था, पूणे, फर्ग्युसन महाविद्यालय परिसर गेट क्रमांक ४, शिवाजीनगर, पूणे ४११ ००४ में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय होगा। सन् १९५० का २९ ।

(प) " राज्य " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य से है ;

(फ) " परिनियम ", " आर्डिनन्सो " या " विनियमों " का तात्पर्य, क्रमशः इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के परिनियमों, आर्डिनन्सों या विनियमों से है ;

(ब) " छात्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय में नामांकन किए गए व्यक्ति से है, जिसने विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशेषताओं के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो, इसमें अनुसंधान उपाधि भी सम्मिलित होगी ;

(भ) " अध्ययन केन्द्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा सलाह, परामर्श के प्रयोजन के लिये या दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में छात्रों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य किसी सहायता देने के लिये स्थापित और पोषित या मान्यताप्राप्त केन्द्र से है ;

(म) " अध्यापक " का तात्पर्य, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक या सहयुक्त प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति जिससे विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रदान करना या अनुसंधान में मार्गदर्शन करना या पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को किसी भी प्ररूप में मार्गदर्शन देना अपेक्षित है ;

(य) " विश्वविद्यालय " का तात्पर्य, **डीईएस** पूणे विश्वविद्यालय, पूणे से है।

निगमन। **३.** (१) **डीईएस** पूणे विश्वविद्यालय, पुणे के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(२) अध्यक्ष, कुलपति, शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद और अन्य समस्त व्यक्ति जो इसके बाद ऐसे अधिकारी बनेंगे या ऐसे पद पर या सदस्यत्व निरंतर धारण करेंगे, वे सभी, एतद्‌द्वारा, " **डीईएस** पूणे विश्वविद्यालय, पुणे " के नाम द्वारा निगमित निकाय गठित और घोषित होंगे " ।

(३) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम द्वारा वाद चलाएगी और उस पर वाद चलाया जाएगा।

(४) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम के अधीन स्थापित किये गये असहबद्ध विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा और यह किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को उसमें प्रवेशित छात्रों को उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सहबद्ध नहीं होगा।

(५) विश्वविद्यालय और उसका मुख्यालय **डीईएस** पूणे विश्वविद्यालय, पूणे, मुकुंददास लोहिया अकादमिक कॉम्प्लेक्स, बीएमसीसी शिवाजीनगर, तालुका हवेली, जिला पूणे, पूणे ४११ ००४ में स्थित होगा ।

विश्वविद्यालय का उद्देश्य। **४.** विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्न अनुसार होंगे,—

(क) इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, विधि, कारोबार, तथा वाणिज्यिक, प्रयुक्त तथा संरचनात्मक कलाएँ, व्यावसायिक शिक्षा, प्रसार-माध्यम, सूचना एवं संसूचना प्रौद्योगिकी तथा मुलभूत शिक्षा और उनके आंतर-शाखीय पाठ्यक्रम और विकास जिसमें मुक्त कला, मानविकी विद्या, सामाजिक विज्ञानों जीव विज्ञानों तथा जैव प्रौद्योगिकी, अतिसूक्ष्म, नॅनो-विज्ञानों और प्रौद्योगिकी, वृत्तिक शाखाओं में सम्मिलित उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में अध्ययन, अध्यापन, क्षमता, सामर्थ्य तथा कौशल विकास करना और अनुसंधान तथा विकास करना ;

(ख) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में कला, क्रीड़ा, संस्कृति, फिल्म, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, समुद्री अनुसंधान, अनुदेश, अध्यापन तथा प्रशिक्षण का उपबंध करना तथा अनुसंधान के लिए उपबंध करना ;

(ग) ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक (दिमाग, दिल और हाथ) क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(घ) बौद्धिक क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(ङ) विकास के नए मार्गों के अविष्कार तथा सामाजिक पुनर्निर्माण तथा परिवर्तन के लिए सर्जनात्मकता, नविनता और उद्योग उपक्रम को बढावा देने के लिए नए शैक्षिक कार्यक्रमों की निर्मिति तथा अभिनियोजित करना ;

(च) शिक्षा तथा विकास के लिए अद्यतन सुविधाएँ संस्थित करना ;

(छ) अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यान्वित करना तथा निरंतर गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तावित करना ;

(ज) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और सामाजिक-आर्थिक विकास में अनुसंधान और विकास के लिए तथा ज्ञान बाँटने और उसके उपयोजन के लिए उत्कर्ष केंद्रों की निर्मिति करना ;

(झ) २१ वी सदी में व्यक्ति तथा समाज के लिये अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, मूल्यांकन, विकास, संगठन और सामाजिक-आर्थिक सम्पत्ति की निर्मिति करने के प्रशासन और प्रबंधन करने के लिए आधुनिक और आधुनिकोत्तर प्रक्रियाएँ, यंत्र-क्रिया तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना ;

(ञ) उद्योग तथा सार्वजनिक संगठन तथा समाज को वृत्तिक तथा विकासात्मक सेवाओं का उपबंध कराना ;

(ट) नव अभिनव दृष्टिकोण के साथ नए तथा प्रकट क्षेत्रो में उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम, पाठ्यक्रम शुरू करना ;

(ठ) भारत और विदेश में के अन्य उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थाओं के साथ संबंध, सहयोग तथा भागीदारी संस्थित करना ;

(ड) परीक्षाएँ या अन्य किसी मूल्यांकन पद्धतियों के आधार पर उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताएँ संस्थित करना ;

(ढ) सर्जनात्मक तथा उद्यमीता के विकास और परिष्कार के लिए अकादमिक संरचनाएँ, अध्ययन पद्धतियों का ढाँचा और कामकाज तथा निरंतन मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सीवनहीनता की निर्मिति के लिए नवअभिनव दृष्टिकोण को संस्थित करना ;

(ण) सरकार द्वारा सुझाए गए कोई अन्य उद्देश्य जारी रखना ;

(त) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किए गए उपाधि, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताओं का स्तर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद अधिनियम, १९९३ के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ के अधीन गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या आयुर्विज्ञान अधिनियम, १९४८ के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ के अधीन गठित भारतीय बार परिषद, या, यथास्थिति, किसी अन्य कानूनी निकाय द्वारा अधिकथित से कम नहीं है, सुनिश्चित करना।

सन् १९९३ का ७३। सन् १९५६ का ३। सन् १९४८ का ८। सन् १९६१ का २५।

५. विश्वविद्यालय की, निम्न शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :— विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य।

(एक) ऑनलाईन शिक्षा पद्धति समेत परम्परागत साथ ही साथ नवअभिनव परिवर्तन पद्धतियों, के माध्यम से दिए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान संबंधी, उपबंध करना तथा सभी उपायों (जिसमें पाठ्यक्रम को अपनाना तथा अद्यतन करना सम्मिलित है) को अपनाना ;

(दो) उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र, बक्षिस, श्रेणियाँ, श्रेयांक तथा अकादमिक विशेषताओं को संस्थित और प्रदान करना ;

(तीन) परीक्षाएँ संचालित करना तथा लेना ;

(चार) अन्य मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों, बोर्डों या परिषदों की उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्रों के समतुल्य तथा समरूप उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों के लिए उपबंध करना ;

(पाँच) परिसरों की स्थापना के लिए सभी आवश्यक उपाय करना ;

(छह) केंद्रीय पुस्तकालय, विभागीय पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा सहबद्ध विषयों की स्थापना करना ;

(सात) मानद उपाधियाँ, जैसा कि विहित किया गया है, को संस्थित करना और प्रदान करना ;

(आठ) विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार फेलोशिप, छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति संस्थित तथा अधिनिर्णित करना ;

(नौ) समाज के शैक्षणिक रूप से पिछड़े स्तर में, शैक्षणिक सुविधाओं को प्रचारित करने के लिए विशेष उपाय करना ;

(दस) क्रीड़ा तथा अन्य पाठ्येतर क्रियाकलापों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन करना ;

(ग्यारह) तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उसमें नियुक्तियाँ करना ;

(बारह) पारस्पारिक प्रतिग्राह्य शर्तों और निबंधनों पर अनुसंधान परियोजनाओं को हाथ में लेना ;

(तेरह) परामर्शी सेवाओं को देना ;

(चौदह) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियमों, आर्डिनन्सों, नियमों तथा विनियमों को विरचित करना ;

(पंद्रह) विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र तथा कर्मचारी के व्यक्तित्व विकास के लिए पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन करना ;

(सोलह) राज्य सरकार, भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेशों के अनुसार, देश के भीतर या बाहर अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले में पारस्पारिक के आधार पर दोहरी उपाधियाँ, डिप्लोमाओं या प्रमाणपत्रों का उपबंध करना ;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों में विभिन्न शाखाओं में एकात्मिक पाठ्यक्रमों के लिए ऐसे उपबंधों की निर्मिति करना ;

(अठारह) राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार केवल राज्य के भीतर महाविद्यालयों, संस्थाओं और परिसर मुक्त केंद्रों को स्थापित करना ;

(उन्नीस) दान, बक्षिस और अनुदान, प्राप्त करना तथा किसी सम्पत्ति को जंगम या स्थावर, जिसमें राज्य के भीतर या बाहर के न्यास या विन्यास सम्पत्ति सम्मिलित है, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों के लिए अर्जित, धारण, प्रबंध तथा निपटान करना तथा निधि निवेशित करना ;

(बीस) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, समय-समय पर फीस संरचना विहित करना ;

(इक्कीस) ऐसे फीसों तथा अन्य प्रभार जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया गया हों, के भुगतान की माँग तथा प्राप्त करना ;

(बाईस) पारस्परिक ग्राह्य शर्तों और निबंधनों पर अन्य संस्थाओं से सहयोग लेना ;

(तेईस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विनियमित निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मचारियों का वेतन, पारिश्रमिक, मानदेय का अवधारण करना ;

(चौबीस) अतिरिक्त बाह्य अध्यापन तथा विस्तार सेवाओं का आयोजन करना और उपक्रमित करना ;

(पच्चीस) हॉल तथा छात्रावासों को स्थापित तथा पोषित करना ;

(छब्बीस) विश्वविद्यालय द्वारा रखरखाव न किये गये, हॉल और छात्रावासों और अन्य वास-सुविधाओं को छात्रों के आवास के लिए मान्यता देना, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और किसी ऐसी मान्यता वापस लेना ;

(सत्ताईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित तथा प्रवर्तित कराना और जैसा वह आवश्यक समझे ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना ;

(अट्ठाईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा साधारण कल्याण को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था करना ;

(उनतीस) समय-समय से विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर सहमत किया जाए ऐसे प्रयोजनों के लिये उस विश्वविद्यालय के उसी प्रकार के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों को बढ़ावा देने की दृष्टि से, ऐसे प्रयोजनों के लिए, देश के भीतर के या बाहर के अन्य किसी विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगठन या किसी सार्वजनिक या निजी निकाय को सहयोग करना ;

(तीस) विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये अनुसंधान तथा अन्य कार्य, जिसमें पाठ्य-पुस्तकें सम्मिलित है, के मुद्रण, पुनर्मुद्रण तथा प्रकाशन के लिए उपबंध करना ;

(इकतीस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय में मानकों की स्थापना तथा रखरखाव) विनियमों, २००३ या अन्य किन्ही विनियमों के उपबंधों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किये गए निर्देशनों का समय-समय से अनुपालन तथा अनुसरण करना ;

(बत्तीस) राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी किये गए निदेशों का, विश्वविद्यालय की उपर्युक्त शक्तियाँ, कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के संदर्भ में, अनुपालन करना तथा कार्यान्वित करना ;

(तैंतिस) ऐसे सभी कृत्य करना जिसे विश्वविद्यालय के सभी या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आनुषंगिक या सहायक हो ;

विश्वविद्यालय सब के लिए खुला रहेगा।

६. (१) भारत का कोई भी नागरिक, सिर्फ लिंग, धर्म, पन्थ, वर्ग, जाति, जन्मस्थान, धार्मिक मान्यता या व्यवसाय या राजनीतिक या अन्य मत के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी पद या उसके किसी प्राधिकरणों, निकायों या समितियों के सदस्यत्व या किसी पद पर की नियुक्ति, या किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अन्य अकादमिक विशेष योग्यता या अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अपवर्जित नहीं किया जाएगा।

(२) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभागों और संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के प्रयोजनार्थ, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, निरधिसूचित जनजातियों (विमुक्त जातियों), खानाबदोष जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े प्रवर्गों, और आर्थिक कमजोर वर्गों (इडब्लूएस) के आरक्षण के संबंध में सरकारी नीति तथा समय-समय पर जारी आदेशों को अंगीकृत करेगा।

(३) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित, समाज के गरीब वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के विभिन्न संवर्गों के कल्याण के संदर्भ में, राज्य सरकार की साधारण नीति को अंगीकृत करेगा।

विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित होगा।

७. विश्वविद्यालय, स्ववित्तपोषित होगा तथा सरकार से कोई अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता पाने का हकदार नहीं होगा।

विन्यास निधि।

८. (१) प्रायोजित निकाय, " विश्वविद्यालय के लिए, विन्यास निधि " नामक एक स्थायी कानूनी निधि स्थापित करेगी, जिसमें कम से कम दस करोड़ रुपये समाविष्ट होंगे जिसे **स्व-प्रेरणा** से बढ़ाया जा सकेगा, परन्तु कम नहीं किया जायेगा।

(२) विन्यास निधि, इस अधिनियम या नियमों, विनियमों, परिनियमों या तद्धीन बनाये गये ऑर्डिनेन्स के उपबंधों के कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा निक्षेप के रूप में रखी जायेगी।

(३) विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों, परिनियमों, ऑर्डिनेन्सों या तद्धीन बनाये गये विनियमों का उल्लंघन करने के मामले में, सरकार को, विन्यास निधि का अंशतः या संपूर्ण भाग विहित रीत्या समपहत करने की शक्तियाँ होगी।

(४) विन्यास निधि से आय, विश्वविद्यालय की मुलभूत सुविधा के विकास के लिए उपयोग में लाया जाएगा किंतु, विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

(५) विन्यास निधि की राशि, विनिहित रखी जाएगी, जब तक विश्वविद्यालय का विघटन नहीं होता है तब तक, सरकार द्वारा प्राप्त या प्रत्याभूत दीर्घकालिक सुरक्षा के रूप में शर्त के अध्यधीन यह निधि सरकार की अनुमति के बिना, नहीं निकाली जाएगी।

(६) दीर्घकालिक सुरक्षा के प्रमाणपत्र, सरकार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएँगे ; तथा सरकार को, उप-धारा (३) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए, जमा राशि भुनाने का अधिकार होगा।

साधारण निधि। **९.** विश्वविद्यालय, साधारण निधि के नाम से एक निधि स्थापित करेगा, जिसमें निम्न, जमा किया जाएगा, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभारों ;

(दो) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अंशदान ;

(तीन) विश्वविद्यालय द्वारा परामर्श से तथा हाथ में लिए गए, अन्य कार्य से प्राप्त कोई आय ;

(चार) वसीयतों, दान, विन्यासों, तथा कोई अन्य अनुदान ; तथा

(पाँच) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सभी अन्य राशियाँ।

सामान्य निधि का उपयोग। **१०.** (१) सामान्य निधि का उपयोग, विश्वविद्यालय के कामकाज के संबंध में सभी व्यय जिसमें आवर्ती या अनावर्ती व्यय पूरा करने के लिए किया जायेगा :

परन्तु, प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा नियत किया जा सके उस वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिये सीमाओं के अधिक में व्यय प्रबंधमंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के बिना, विश्वविद्यालय द्वारा उपगत नहीं किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी। **११.** विश्वविद्यालय के, निम्न अधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(एक) अध्यक्ष जो कुलाधिपति भी होगा ;

(दो) कुलपति ;

(तीन) संकायाध्यक्ष ;

(चार) रजिस्ट्रार ;

(पाँच) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी ;

(छह) परीक्षा नियंत्रक ; और

(सात) विश्वविद्यालय सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में घोषित किया जाए।

अध्यक्ष। **१२.** (१) अध्यक्ष, नियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसी रीत्या सरकार के अनुमोदन से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रायोजित निकाय द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) अध्यक्ष के पद के लिए पात्रता मापदण्ड जैसा कि, राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(३) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा।

(४) अध्यक्ष, शासी निकाय की बैठकों और उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान करने के लिए होनेवाले विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(५) अध्यक्ष को, निम्न शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के कामकाज से संबंधित विश्वविद्यालय किसी अधिकारी या प्राधिकारी से कोई जानकारी या अभिलेख मांगना ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति करना ;

(ग) धारा १४ की, उप-धारा (७) के उपबंधों के अनुसरण में, कुलपति को हटाना;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

१३. अध्यक्ष को, प्रायोजक निकाय द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पदधारी,— अध्यक्ष को हटाना।

(क) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, उसे इस प्रकार घोषित ठहराया गया है ; या

(ख) नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है ; या

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(घ) शारीरिक रूप से अनुपयुक्त है और दीर्घकालिन बीमारी या शारीरिक विकलांगता के कारण कार्य या पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ है ; या

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में जानबूझकर छोड देता है या अस्वीकार करता है और सेवा संविदा के किन्ही निबन्धनों और शर्तों का या परिनियमों द्वारा अधिकथित किन्ही अन्य शर्तों का उल्लंघन करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या अध्यक्ष को पद पर बनाए रखने से विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है :

परन्तु, अध्यक्ष को, उक्त पद से हटाने के लिए, खंड (घ) और (ङ) के अधीन कार्यवाही का सहारा लेने के पूर्व प्रायोजक निकाय द्वारा कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

१४. (१) कुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विरचित नियमों या विनियमों के अनुसार गठित खोजबीन-नि-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसे पात्रता मानदण्ड़ पूरी करनेवाले तथा ऐसे निबंधन तथा शर्तों पर, तीन व्यक्तियों के एक पॅनल से, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उप-धारा (७) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा : कुलपति।

परन्तु, तीन वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, कुलपति, अगली तीन वर्षों की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु आगे यह कि, कुलपति, अपने पद के अवसान के बाद भी, नवीन कुलपति के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा, तथापि, किसी मामले में, यह अवधि, एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(२) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और अकादमिक अधिकारी होगा और उसकी विश्वविद्यालय के कामकाज पर संपूर्ण अधीक्षण की शक्तियाँ होगी और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों को निष्पादित करेगा।

(३) कुलपति, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(४) यदि, कुलपति की राय में, ऐसे किसी मामले में जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन किसी अन्य प्राधिकरणों को शक्तियाँ प्रदान की गई है, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक है तो, वह ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात्, शीघ्रतम अवसर पर अपनी कार्यवाही रिपोर्ट ऐसे अधिकारी या प्राधिकरणों को देगा जो सामान्यतया उस मामले का निपटान करता है :

परन्तु, यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में ऐसी कार्यवाही कुलपति द्वारा नहीं की गई थी तब ऐसे मामले में अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसपर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(५) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरणों का निर्णय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, ऑर्डिनेन्स, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन करता है या विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो वह अपने निर्णय का पुनरीक्षण करने के लिए संबंधित

प्राधिकरण से अनुरोध करेगा और प्राधिकरण, निर्णय का पूर्णतः या अंशतः पुनरीक्षण करने के लिए इनकार करता है या पंद्रह दिनों के भीतर कोई निर्णय लेने में असफल रहता है तब ऐसा मामला, अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा और जिसपर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(६) कुलपति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(७) यदि किसी समय प्राप्त अभ्यावेदन पर या से अन्यथा और ऐसी जाँच करने के बाद, जैसा आवश्यक समझा जाए, स्थिति इस प्रकार समर्थित करे और यदि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो अध्यक्ष, शासी निकाय के अनुमोदन से, उसके लिए कारण दर्शाते हुए लिखित आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे दिनांक से उस पद को त्यागने के लिए कुलपति को कहेगा :

परन्तु, इस उप-धारा के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व, कुलपति को सुनवाई करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

संकायाध्यक्ष। **१५.** (१) संकायाध्यक्ष, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के अकादमिक और अन्य कार्यकलापों के प्रबंध में कुलपति को सहायता करेगा और विनियमों द्वारा विहित की जाए या अध्यक्ष और कुलपति द्वारा सौंपे जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

रजिस्ट्रार। **१६.** (१) रजिस्ट्रार, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा।

(२) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के निर्णय के अध्यधीन वह करार करने, संविदा करने, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी। वह परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

(३) रजिस्ट्रार, शासी निकाय, प्रबंध मंडल बोर्ड और अकादमिक परिषद का सदस्य सचिव होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(४) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जैसा शासी निकाय उसके प्रभार में सुपुर्द करें।

(५) रजिस्ट्रार, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विहित किया जाए या परिनियमों द्वारा उसे प्रदान किया जाए या कुलपति द्वारा समय-समय से उसे समनुदेशित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का अनुपालन करेगा।

परीक्षा नियंत्रक। **१७.** (१) परीक्षा नियंत्रक, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(२) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय की परीक्षा और परीक्षण के संचालन और उनके परिणामों की घोषणा करनेवाला प्रभारी प्रधान अधिकारी होगा। वह कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और मार्गदर्शन के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(३) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्ण समय वैतनिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कुलपति के निदेशन और नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा। उसकी नियुक्ति, तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी और वह तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। परीक्षा नियंत्रक के चयन के प्रयोजन के लिए अर्हता और अनुभव जैसा कि विहित किया जाए ऐसा होगा।

(४) परीक्षा नियंत्रक,—

(क) परीक्षाओं के कलेंडर तैयार करना और अग्रिम में घोषित करना ;

(ख) प्रश्नपत्रों के मुद्रण के लिए व्यवस्था करना ;

(ग) परीक्षाओं और अन्य परीक्षणों के परिणामों की समय पर प्रकाशन की व्यवस्था करना ;

(घ) परीक्षा संबंधित उम्मीदवारों, पेपर-सेटर्स, परीक्षकों, अनुसीमकों या किसी अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध और परीक्षाओं के संबंध में कदाचार का दोषी पाये जाने पर जहाँ आवश्यक हो अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा ;

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर, पुनर्विलोकन करेगा और अकादमिक परिषद को उसपर रिपोर्ट अग्रेषित करेगा ;

(च) परीक्षाओं का नियंत्रक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसा कि विहित किया जाए या उसे समनुदेशित किया जाए।

मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी।

१८. (१) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, विश्वविद्यालय का प्रधान वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा अधिकारी होगा।

(२) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(३) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

अन्य अधिकारी।

१९. (१) विश्वविद्यालय, उसके कर्तव्यों के लिए आवश्यक समझे जाये ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।

(२) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, ऐसे अधिकारियों के सेवा के निबंधन और शर्तें, उनकी शक्तियाँ और कृत्य परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाए ऐसे होंगे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।

२०. विश्वविद्यालय के निम्न, प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :—

(क) शासी निकाय ;

(ख) प्रबंध मंडल बोर्ड ;

(ग) अकादमिक परिषद ;

(घ) परीक्षा बोर्ड ; और

(ङ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में परिनियमों द्वारा घोषित किया जाए ऐसे अन्य प्राधिकरण।

शासी निकाय।

२१. (१) विश्वविद्यालय का शासी निकाय, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष ;

(ख) कुलपति ;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये पाँच व्यक्ति, जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद् होंगे ;

(घ) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के बाहर से प्रबंधमंडल या सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से एक विशेषज्ञ होगा ;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये दो व्यक्ति ;

(च) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले उद्योगों के दो प्रतिनिधि ; और

(छ) विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार, शासी निकाय का स्थायी आमंत्रिति होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(२) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा।

(३) शासी निकाय को, निम्न शक्तियाँ होगी, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम या परिनियमों, आर्डिनेन्स, तद्धीन बनाए गए विनियमों या नियमों द्वारा यथा उपबंधित ऐसी सभी शक्तियों के उपयोग द्वारा, विश्वविद्यालय के कार्यो का सामान्य अधीक्षण और निदेशन और नियंत्रण का उपबंध करना ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, आर्डिनेन्स, विनियमों या नियमों की पुष्टि नहीं हैं के मामले में, विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के निर्णयों का पुनर्विलोकन करना ;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना ;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनायी जानेवाली नीतियाँ अधिकथित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिनिर्धारण के बारे में सभी प्रयासों के बावजूद जब विश्वविद्यालय के सुचारू कार्यान्वयन करने की उद्भूत स्थिति शेष संभव नहीं होती हैं तब प्रायोजक निकाय को सिफारिशें करना ; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) शासी निकाय की, कलैन्डर वर्ष में कम से कम तीन बैठकें होंगी।

(५) शासी निकाय के बैठकों की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी।

प्रबंधमंडल बोर्ड। **२२.** (१) प्रबंधमंडल बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति ;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट शासी निकाय के दो सदस्य ;

(ग) कुलपति द्वारा, चक्रानुक्रम द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले विश्वविद्यालय के दो संकायाध्यक्ष ;

(घ) तीन व्यक्ति, प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट जो शासी निकाय के सदस्य नहीं है ; और

(ङ) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट अध्यापकों में से तीन व्यक्तियाँ।

(२) कुलपति, प्रबंधमंडल बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(३) प्रबंधमंडल बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य, ऐसे होंगे जिसे परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) प्रबंधमंडल बोर्ड, प्रत्येक दो महीनें में कम से कम एक बार बैठक लेगा।

(५) प्रबंधमंडल बोर्ड के बैठक की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी।

अकादमिक परिषद। **२३.** (१) अकादमिक परिषद, कुलपति और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(२) कुलपति, अकादमिक परिषद का **पदेन** अध्यक्ष होगा।

(३) अकादमिक परिषद, विश्वविद्यालय की प्रधान अकादमिक निकाय होगी, और इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और ऑर्डिनेन्स के अध्यधीन विश्वविद्यालय के अकादमिक नीतियों का समन्वयन और सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(४) अकादमिक परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति, ऐसी होगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

परीक्षा बोर्ड। **२४.** (१) परीक्षा बोर्ड, परीक्षाओं के संचालन और परीक्षाओं का आयोजन और परीक्षा लेने के बारे में नीति संबंधी निर्णय लेने, परीक्षा पद्धति में सुधार लाने, पेपर-सेटरों, परीक्षकों, अनुसीमकों की नियुक्ति के लिए और परीक्षाओं और परिणामों की घोषणा करने के दिनांकों की अनुसूची भी तैयार करनेवाला विश्वविद्यालय का प्रधान प्राधिकरण होगा । परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी केंद्र में परीक्षाओं के संचालन का निरीक्षण और विनियमन भी करेगा ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा और धारा ३८ के प्रयोजनों के लिए, "परीक्षाओं की अनुसूची" की अभिव्यक्ति का तात्पर्य, प्रत्येक पेपर का समय, दिन और दिनांक के प्रारभ्मण के बारे में दी गई ब्योरेवार तालिका से है, जो परीक्षा प्रणाली का हिस्सा है और जिनमें प्रात्यक्षिक परीक्षा के बारे में भी ब्यौरे सम्मिलित होंगे।

(२) परीक्षा बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति	. .	अध्यक्ष ;
(ख) प्रत्येक विषय के प्राध्यापक	. .	सदस्य ;
(ग) परीक्षा बोर्ड द्वारा सहयोजित एक मूल्यांकन विशेषज्ञ	. .	सदस्य ;
(घ) परीक्षा नियंत्रक	. .	सदस्य-सचिव।

(३) परीक्षा बोर्ड की शक्तियाँ, और कृत्य ऐसे होंगे, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

२५. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएँ। अन्य प्राधिकरण।

२६. कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किन्ही प्राधिकरणों या निकायों का सदस्य होने से निरर्ह होगा, यदि वह,— निरर्हता।

(एक) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(दो) नैतिक अधमता से अर्न्तग्रस्त किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है ; या

(तीन) निजी कोचिंग वर्गो को स्वयं चलाता है या जुड़ा हुआ है ; या

(चार) कहीं भी, किसी भी रूप में किसी परीक्षा के संचालन में अनुचित व्यवहार करने में जुड़े होने या बढ़ावा देने के लिए दंडित किया गया है।

२७. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के कार्य या कार्यवाहियाँ केवल किसी रिक्ति के या उसके गठन में त्रुटि के कारण द्वारा अविधिमान्य नहीं होगी। विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय की रिक्तियों संबंधी कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होगी।

२८. किसी मामले में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में सदस्य की मृत्यु, इस्तीफा या हटाये जाने के कारण कोई अस्थायी रिक्ति पायी जाती है तो, जिस सदस्य का पद रिक्त हुआ है उस सदस्य के स्थान में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या नामनिर्देशित करके यथासंभव शीघ्र ऐसी रिक्ति भरी जायेगी ; और अस्थायी रिक्ति भरने के लिये इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किये गये व्यक्ति या निकाय को जिस सदस्य के स्थान में इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्देशित किया गया है ऐसे सदस्य की शेष पदावधि के लिए वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होगा । अस्थायी रिक्तियों को भरना।

२९. (१) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारी ऐसे संदर्भो के निबंधनों के साथ ऐसी समितियों द्वारा किये जानेवाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए जैसा आवश्यक समझें समितियाँ गठित करेंगे। समितियाँ।

(२) ऐसी समितियों का गठन, ऐसा होगा जिसे परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

३०. (१) विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम, शासी निकाय द्वारा बनाये जायेंगे और उसके अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रथम परिनियम।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कराएगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों के गठन, शक्तियाँ और कृत्य समय-समय पर गठित किये जायेंगे ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तो तथा उसकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ग) संकायाध्यक्ष, रजिस्ट्रार तथा मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तो तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(घ) कर्मचारियों के नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तो तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ङ) कर्मचारियों, छात्रों तथा विश्वविद्यालय के बीच विवादों के मामले में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया ;

(च) सम्मानिक उपाधियों को प्रदान करना ;

(छ) छात्रों को अध्यापन फीस अदायगी से छूट देने तथा उन्हें छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति प्रदान करने के संबंध में उपबंध ;

(ज) आरक्षित सीटों के विनियमन समेत विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेशों की नीति, सीटों की संख्या के संबंध में उपबंध ; और

(झ) छात्रों से प्रभारित किए जानेवाली फीस के संबंध में उपबंध।

(३) सरकार, शासी निकाय द्वारा प्रस्तुत प्रथम परिनियम का विचार करेगी और यदि कोई हो, ऐसे उपांतरणों के साथ जैसा वह आवश्यक समझे, उसकी प्राप्ति के दिनांक से चार महीने के भीतर, उस पर उसका अनुमोदन देगी।

(४) सरकार, **राजपत्र** में अपने अनुमोदन द्वारा प्रथम परिनियम प्रकाशित करेगी, और उसके बाद, ऐसे प्रकाशन के दिनांक से प्रथम परिनियम प्रवृत्त होगा।

पश्चात्‌वर्ती परिनियम।

३१. (१) इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्‌वर्ती परिनियम, निम्न सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध करेंगे, अर्थात्‌ :—

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन करना ;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया ;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करना ;

(घ) नए विभागों का निर्माण और विद्यमान विभाग को बंद करना या पुनःसंरचना करना ;

(ङ) पदकों तथा पुरस्कारों को शुरू करना ;

(च) पदों का सृजन और पदों के समापन की प्रक्रिया करना ;

(छ) फीस का पुनरीक्षण ;

(ज) विभिन्न पाठ्यविवरण में सीटों की संख्या का परिवर्तन ; और

(झ) परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो सभी अन्य मामलें है।

(२) विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रथम परिनियम से अन्य शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध मंडल बोर्ड द्वारा बनाया जायेंगे।

(३) प्रबंधमंडल बोर्ड, समय-समय से नये या अतिरिक्त परिनियम बनाएगा या इस धारा में उपबंधित जिसे इसमें आगे ऐसी रीत्या बनाए गए परिनियमों में संशोधन या निरसन करेगा :

परंतु, प्रबंधमंडल बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण के किसी प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम या परिनियमों में कोई संशोधन नहीं बनाएगा जब तक ऐसा प्राधिकरण प्रस्ताव पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं देता है और इस प्रकार कोई राय लिखित में अभिव्यक्त नहीं करता है तब तक होगा तथा उसका शासी निकाय द्वारा विचार किया जाएगा।

(४) प्रत्येक ऐसे परिनियम या परिनियम में परिवर्धन या कोई संशोधन या परिनियम के निरसन, सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे :

परंतु, अकादमिक परिषद से परामर्श के बिना, छात्रों के अनुशासन और अध्यापन, शिक्षा तथा परीक्षा के मानक पर प्रभाव ड़ालने वाले कोई परिनियम, प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा नहीं बनाए जाएंगे।

प्रथम ऑर्डीनेन्स।

३२. (१) विश्वविद्यालय के प्रथम ऑर्डिनेन्स, शासी निकाय और उसके अनुमोदन के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए जैसे उसे उचित समझे शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध मंडल बोर्ड ऐसे प्रथम ऑर्डिनेन्सेस बनाएगा और ऐसे ऑर्डिनेन्सेस निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए मुहैया कराएगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश तथा उनके ऐसे नामांकन ;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम ;

(ग) उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों तथा अन्य अकादमिक विशिष्टताओं को प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएँ वही होंगी तथा मंजूर करने और प्राप्त करने से संबंधित वही अर्थ होगा ;

(घ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, पदक और पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए शर्तें ;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों के पदों की शर्तों और नियुक्तियों की रीति तथा कर्तव्यों समेत परीक्षाओं का संचालन ;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यचर्याओं, परीक्षाओं, उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए प्रभारित की जानेवाली फीस ;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रावास में छात्रों के आवास की शर्तें ;

(ज) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई करने संबंधी उपबंध ;

(झ) विश्वविद्यालय के अकादमिक जीवन में सुधार करने के लिए किसी अन्य निकाय के सृजन, संरचना और कृत्य जो कि आवश्यक माने गए हैं ;

(ञ) उच्च शिक्षा के अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं से सहकारिता और सहयोग की रीति ; और

(ट) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए परिनियमों के अधीन जो अन्य सभी मामलें ऑर्डिनेन्सों द्वारा मुहैया करना अपेक्षित है।

(३) सरकार, उप-धारा (१) के अधीन कुलपति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रथम ऑर्डिनेन्सों का विचार करेगी और ऐसे उपांतरण के साथ यदि कोई आवश्यक समझे तो, उसकी प्राप्ति के दिनांक से, चार महीनों के भीतर अनुमोदन देगी।

३३. (१) अकादमिक परिषद द्वारा बनाए गए प्रथम ऑर्डिनेन्स से, अन्य सभी ऑर्डिनेन्स, प्रबंध मंडल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद उसके अनुमोदन के लिए शासी निकाय को प्रस्तुत किए जाएँगे। पश्चात्वर्ती ऑर्डिनेन्स।

(२) अकादमिक परिषद, या तो प्रबंधमंडल बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करके ऑर्डिनेन्सेस उपांतरित करेगी या सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी, यदि कोई हो, ऐसे कारणों के साथ ऑर्डिनेन्सेस लौटाएगी। प्रबंधमंडल बोर्ड और शासी निकाय अकादमिक परिषद के सुझावों का विचार करेंगे और विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्सेस ऐसे उपांतरणों के साथ या के बिना अनुमोदित किए जायेंगे और तत्पश्चात्, शासी निकाय द्वारा अनुमोदित रूप में ऑर्डिनेन्सेस प्रवृत्त होगा।

३४. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंधमंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन, उसके स्वयं के कारोबार और उसके द्वारा नियुक्त समितियों को संचालित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों और नियमों, तद्धीन बनाए गए ऑर्डिनेन्स और परिनियमों से संगत विनियम बनाएँगे। विनियम।

३५. (१) विश्वविद्यालय में प्रवेश, गुणागुण के आधार पर कड़ाई से किये जायेंगे। प्रवेश।

(२) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए गुणागुण के आधार पर या प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त किए गए श्रेणी के आधार पर और पाठ्यक्रमेतर तथा पाठ्येतर गतिविधियों में प्राप्त उपलब्धि या राज्य स्तर पर संचालित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त गुण या श्रेणी के आधार पर या विश्वविद्यालय के सहयोजन द्वारा या राज्य के किसी एजेंसी द्वारा होंगे :

परंतु, वृत्तिक तथा तकनीकी पाठ्यचर्याओं में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के ज़रिए होंगे।

(३) अनुसूचित-जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े प्रवर्गों, तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (इडब्लूएस) से संबंध रखनेवाले और विकलांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित रखी जाएँगी ।

(४) महाराष्ट्र राज्य का अधिवास रखनेवाले छात्रों के लिए अनुमोदित कुल ग्रहण क्षमता में से चालीस प्रतिशत सीटें आरक्षित रखीं जायेगी।

फीस संरचना पुर्नविलोकन समिति।

३६. (१) विश्वविद्यालय, समय-समय पर विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के लिए उनकी फीस संरचना तैयार करेगा और उसे सभी स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के लिए फीस संरचना का पूर्नविलोकन करने के लिए, समय-समय से, जारी सरकारी संकल्प द्वारा, राज्य सरकार द्वारा गठित फीस संरचना पुर्नविलोकन समिति के अनुमोदन के लिए उसे अग्रेषित कर सकेगा।

(२) महाराष्ट्र असहायताप्राप्त निजी वृत्तिक शैक्षिक संस्थाएँ (प्रवेश तथा फीस का विनियमन) अधिनियम, २०१५ की धारा १४ और १५ में उपबंधित फीस संरचना के निर्धारण के लिए फीस विनियमिति प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत की जानेवाली प्रक्रिया और घटक, विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए फीस संरचना प्रस्ताव का विचार करते समय फीस संरचना पुर्नविलोकन समिति द्वारा **यथावश्यक परिवर्तन समेत** अपनायी जायेगी। सन् २०१५ का महा. २८।

(३) समिति, विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गयी फीस संरचना पर विचार करेगी, उसका पुर्नविलोकन करेगी और, चाहे प्रस्तावित फीस,—

(क) (एक) विश्वविद्यालय का आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए स्त्रोत निर्माण करने; और

(दो) विश्वविद्यालय के अधिकतर विकास के लिए आवश्यक व्यावृतियाँ के लिए पर्याप्त है; और

(ख) अनुचित ढ़ंग से अत्यधिक नहीं है, का विचार करने के पश्चात्, उसकी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

(४) उप-धारा (३) के अधीन सिफारिशों की प्राप्ति के पश्चात्, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि, प्रस्तावित फीस संरचना पर्याप्त और युक्तीयुक्त है, तो वह फीस संरचना का अनुमोदन कर सकेगी। यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि, प्रस्तावित फीस संरचना पर्याप्त नहीं है और अनुचित है तो वह उसे अस्वीकृत करेगी और उसके पुनर्विचार के लिए उसे समिति को वापस भेज देगी । सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना अगले पुर्नविलोकन तक शेष वैध रहेगी।

(५) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय में प्रवेशित पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों के लिए किसी फीस की प्रतिपूर्ति नहीं करेगी या कोई वित्तीय दायित्व नहीं लेगी।

(६) विश्वविद्यालय उप-धारा (४) के अधीन जिसके लिए वह हकदार है से अन्यथा चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए कोई फीस प्रभारित नहीं करेगी।"।

प्रतिव्यक्ति फीस का प्रतिषेध ।

३७. (१) कोई प्रतिव्यक्ति फीस, विश्वविद्यालय द्वारा या कि और से या कोई व्यक्ति जो ऐसी, संस्था के प्रबंधन के लिए प्रभारी है या जिम्मेवार है, के द्वारा, किसी छात्र से या उसके प्रवेश के प्रतिफलेन और ऐसी संस्था में किसी अध्ययन के पाठ्यक्रम या उच्चतर कक्षा या वर्ग में उसकी प्रोन्नति के लिए, संग्रहीत नहीं की जाएगी।

(२) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुऐ भी, प्रबंधनमंडल नगद या उसी प्रकार में विहित रीत्या विन्यास निधि, परोपकारी व्यक्तियों या संगठन या लोकन्यासों या किसी अन्य लोगों के संगठन से छात्रवृत्ति या पुरस्कार या जैसे प्रदान करने के लिए विन्यास निधि सृजन करने के लिए नए शिक्षण संस्थाओं को खोलने के लिए सद्भाव में दान संग्रह या प्राप्त करेगी लेकिन, ऐसे दान संग्रहित या स्वीकारते समय प्रबंधनमंडल ऐसे दान के विचार में उसके द्वारा चलित किसी शैक्षणिक संस्था में कोई सीटें आरक्षित नहीं रखेगी।

जहाँ ऐसे संदान की स्वीकृति के विचार में ऐसी संस्था में किसी छात्र के प्रवेश के लिए कोई जगह आरक्षित है तो दान के ऐसे प्रतिग्रहण, प्रतिव्यक्ति फ़ीस, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान (प्रतिव्यक्ति फ़ीस का प्रतिषेध) अधिनियम, १९८७ की धारा २ के खण्ड (क) के अर्थान्तर्गत समझे जाएँगे। (१९८८ का महा. ६।)

३८. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के शुरुआत में और किसी मामले में, प्रत्येक कलैंडर वर्ष के ३० जून से पहले विश्वविद्यालय उसके द्वारा संचालित हर और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए सत्रवार या, यथास्थिति, वार्षिक परीक्षाओं की समय-सारणी तैयार तथा प्रकाशित करेगी और ऐसे समय-सारणी का कड़ाई से पालन होगा : (परीक्षाओं की समय-सारणी।)

परंतु, यदि चाहे जिस किसी भी कारण के लिए, विश्वविद्यालय यह समय-सारणी अनुसरण करने में असमर्थ है तो वह यथासंभव शीघ्र सरकार को प्रकाशित समय-सारणी से प्रस्थान तैयार करने के लिए विस्तृत कारणों को देने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार, उस पर भविष्य में अनुपालन के लिए जैसा कि उचित समझे, ऐसे निदेश जारी करेगी।

३९. (१) विश्वविद्यालय, विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए उसके द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा परीक्षा की अंतिम दिनांक से लेकर तीस दिनों के भीतर करने का प्रयास करेगी और किसी मामले में नवीनतम परिणाम ऐसे दिनांक से पैंतालीस दिनों के भीतर घोषित करेगा : (परिणामों की घोषणा ।)

परंतु यदि, जो कोई भी कारण हो, विश्वविद्यालय किसी भी परीक्षा के परिणाम पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर, अंतिमतः घोषित करने में असमर्थ है, वह सरकार को ऐसे विलंब के विस्तृत कारणों में समाविष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सरकार, उस पर, भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए, जैसा कि वह उचित समझे, ऐसे निर्देश जारी करेगा।

(२) कोई परीक्षा या परीक्षा के परिणाम, विश्वविद्यालय ने धारा ३८ में अनुबद्ध परीक्षा की अनुसूची का अनुसरण नहीं किया है या उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, विश्वविद्यालय परिणाम घोषित करने में असफल हुआ है सिर्फ इसी कारण के लिए अविधिमान्य नहीं होगी।

४०. उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ प्रदान करने के लिए या किसी अन्य प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह परिनियमों द्वारा विहित रीत्या में, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में किया जाएगा। (दीक्षांत समारोह ।)

४१. विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद **(नॅक)**, बैंगलोर से उसके संस्थित होने से तीन वर्ष के भीतर, प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा तथा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद **(नॅक)** द्वारा उपबंधित श्रेणी के बारे में सरकार तथा अन्य ऐसी विनियमित निकायों को जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित है, को जानकारी देगा । विश्वविद्यालय, तत्पश्चात्, ऐसे प्रत्यायन प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर नवीकृत कर सकती है। (विश्वविद्यालय का प्रत्यायन ।)

४२. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि के पालन के लिये और ऐसे निकायों को उनके द्वारा उनके कर्तव्यों का निर्वहन तथा उनके कार्यों को कार्यान्विन करने के लिए आवश्यक है, ऐसी सभी सुविधाओं और सहायता मुहैया करने के लिये बाध्यकारी होगी। (विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि का अनुसरण करेगा ।)

४३. (१) विश्वविद्यालय का वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंधनमंडल बोर्ड तैयार करेगा, जिसमें अन्य मामलों में, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों को पूरा करने हेतु उठाए गए कदमों का समावेश होगा तथा शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा उसकी प्रति प्रायोजक निकाय को भेजी जाएगी। (वार्षिक रिपोर्ट ।)

(२) उप-धारा (१) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ, सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी।

(३) राज्य सरकार, ऐसी रिपोर्ट राज्य विधान मंडल के हर एक सदन के समक्ष रखेगी।

४४. (१) प्रबंधनमंडल बोर्ड के निर्देशों के अधीन तुलनपत्र समेत विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा तैयार किए जाएँगे और इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार लेखापरीक्षा की जाएगी। (वार्षिक लेखा और लेखा संपरीक्षा ।)

(२) लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखा की प्रति, शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(३) वार्षिक लेखाओं तथा शासी निकाय के संप्रेक्षणों के साथ जोड़ी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(४) उप-धारा (१) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखाओं और तुलनपत्र की प्रतियाँ सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी।

(५) सरकार की सलाह, यदि कोई हो, विश्वविद्यालय के लेखा और लेखापरीक्षा की रिपोर्ट से उद्‌भूत होती है तो, शासी निकाय के सामने रखी जाएगी और शासी निकाय, जैसा उचित समझे ऐसे निदेश जारी करेगी और उसके अनुपालन के लिए सरकार को प्रस्तुत करेगी।

विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की सरकार की शक्तियाँ।

४५. (१) विश्वविद्यालय से संबंधित अध्यापन, परीक्षा और संशोधन या किसी अन्य मामले की श्रेणियाँ अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, सरकार, कुलपति से परामर्श के बाद, जैसा वह उचित समझे ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीति में मामला निर्धारण करेगी।

(२) सरकार, सुधारक कार्यवाही के लिए ऐसे निर्धारण के परिणामस्वरूप, संबंध में उसकी सिफारिशें विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय सिफारिशों के अनुपालन की सुनिश्चिति के लिए आवश्यकता के रूप में ऐसे सुधारक उपाय करेगी।

(३) यदि विश्वविद्यालय, उचित समय के भीतर, उप-धारा (२) के अधीन की गई सिफारिशों का अनुपालन करने में असफल रहती है तो सरकार, जैसा वह उचित समझे ऐसे निर्देश देगी जो विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन।

४६. (१) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को अग्रिम रूप में कम से कम एक वर्ष की इस प्रभाव की सूचना सरकार को देकर, विश्वविद्यालय विघटित करेगी :

परंतु, विश्वविद्यालय का विघटन, केवल उसके नियमित पाठ्‌यक्रम पूरे करनेवाले छात्रों की अंतिम बॅच का होगा और उन्हें उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कारों से पुरस्कृत किये जाने पर ही प्रभावी होगा।

(२) विश्वविद्यालय के विघटन पर विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व, प्रायोजक निकाय में निहित होंगे :

परंतु, विश्वविद्यालय उसकी स्थापना से पंद्रह वर्ष पूरे होने के पूर्व प्रायोजक निकाय द्वारा विघटन किये जाने के मामले में विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ, सभी ऋणभारों से मुक्त होकर सरकार में निहित होंगी।

कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियाँ।

४७. (१) यदि, सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्ही निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या धारा ५ के अधीन दिये गये किन्हीं उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत होता है या विश्वविद्यालय में वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन की स्थिति उद्‌भूत होती है तो वह अपेक्षित विश्वविद्यालय को पैंतालिस दिनों के भीतर कारण बताओ नोटीस जारी करेगा कि क्यों न उसके समापन का आदेश बनाया जाये।

(२) यदि, सरकार का, उप-धारा (१) के अधीन जारी की गई सूचना पर विश्वविद्यालय के जबाब की प्राप्ति पर, समाधान हो जाता है कि **प्रथमदृष्ट्या** इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या धारा ५ के अधीन दिये गये किन्ही उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत हुआ है या वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन हुआ है तो वह आवश्यक समझे ऐसी जाँच के आदेश बना सकेगी।

(३) सरकार, उप-धारा (२) के अधीन किसी जाँच के प्रयोजन के लिए, किन्हीं भी अभिकथनों में जाँच करने के लिए किसी जाँच अधिकारी या अधिकारियों को नियत करेगी और उसपर रिपोर्ट बनायेगी।

(४) उप-धारा (३) के अधीन नियत किये गये जाँच अधिकारी या अधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल न्यायालय में जो शक्तियाँ निहित होती है वह निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद का विचारण करते समय होगी, अर्थात् :— सन् १९०८ का ५।

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिए, समन जारी करना और प्रवृत्त करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) साक्ष्य में प्रतिपादित किये गये अपेक्षित किसी ऐसे दस्तावेज या किसी अन्य सामग्री की खोज या निर्माण करना ;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की अपेक्षा करना; और

(घ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाये।

सन् १९७४ का २। (५) जाँच अधिकारी या अधिकारियों की इस अधिनियम के अधीन जाँच, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १९५ और अध्याय २६ के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

(६) उप-धारा (३) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी या अधिकारियों से जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के सभी या किन्ही उपबंधों या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, या ऑर्डिनेन्स का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्ही निर्देशों का उल्लंघन किया है, धारा ५ के अधीन उसके द्वारा किये गये उपक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये परिविरत है या विश्वविद्यालय के अकादमिक मानकों के आशंकाओं से वित्तीय अव्यवस्था या कु-प्रशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में उद्भूत हुई है तो विश्वविद्यालय के समापन के लिये तथा किसी प्रशासक की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक आदेश जारी किये जायेंगे।

(७) उप-धारा (६) के अधीन नियुक्त किये गये प्रशासक को इस अधिनियम के अधीन शासी निकाय और प्रबंधन बोर्ड के सभी शक्तियाँ होंगी और सभी कर्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कामकाज का प्रबंधन तब तक करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच उनके पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करती हैं और उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है।

(८) नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच के लिये उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान करने के पश्चात्, प्रशासक, सरकार को इस प्रभाव की रिपोर्ट करेगा।

(९) उप-धारा (८) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय के विघटन के अंतिम आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से विश्वविद्यालय विघटित होगा और विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व ऐसे दिनांक से प्रायोजक निकाय में निहित होगी।

४८. (१) इस अधिनियम के प्रारंभण के तुरंत पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर विरचित स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांतो की आवश्यकताओं के और प्रायोजक निकाय द्वारा प्रस्तुत परिवचन के अनुपालन के सत्यापन और सुनिश्चिति करने के क्रम में, सचिव स्तरीय समिति स्थापित की जायेगी। समिति, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और नियोजन विभाग के सचिवों से मिलकर बनेगी। सचिव स्तरीय समिति।

(२) उप-धारा (१) के अधीन गठित समिति, उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(३) उप-धारा (२) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के परिचालन को अनुमति देते हुये **राजपत्र** में, अधिसूचना प्रकाशित करेगी।

(४) विश्वविद्यालय, उप-धारा (३) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के पश्चात् ही केवल छात्रों को प्रवेश देगा।

४९. धारा ४८ की उप-धारा (१) के अधीन स्थापित सचिव स्तर समिति, जब-जब सरकार द्वारा निर्देशित किया गया हो, विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर सकेगी और स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा, समय समय पर, जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतो की आवश्यकताओं के अनुपालन और तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधियों के उपबंधों के अनुपालन की जाँच और सुनिश्चित किया जा सके। सचिव स्तर समिति द्वारा निरीक्षण ।

दंड । **५०.** इस अधिनियम के किन्ही उपबधों का उल्लंघन, यह अपराध होगा और धारा ११ के अधीन विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के साथ-साथ विश्वविद्यालय के अधिकारी तीन महिने से अनधिक परंतु एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकनेवाले अवधि के लिए कारावास और पचास हजार रुपयों से अनधिक परंतु जो पाँच लाख रुपयों तक बढाए जा सकनेवाले जुर्माने से दण्डित होंगे :

परंतु, इस धारा में की कोई बात, इस अधिनियम के उपबंधों के अननुपालन के लिए विश्वविद्यालय के परिसमापन की प्रक्रिया समेत, कोई कार्यवाही चाहे वह सिविल या दाण्डिक हो प्रारंभ करने से सरकार को नहीं रोकेगी ।

कंपनीयों द्वारा अपराध । **५१.** (१) जहाँ कंपनी द्वारा, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गये नियमों के अधीन अपराध किया जाता है तब अपराध किये जाने के समय, कंपनी के कार्य संचालन साथ ही साथ कंपनी के प्रभारी या के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति अपराध के लिए दोषी समझा जायेगा तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए, दायी होगा और तद्नुसार दण्डित किया जायेगा :

परन्तु, इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी व्यक्ति को किसी दण्ड के लिए दायी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित करता है कि, अपराध उसकी जानकारी के बगैर किया गया था या ऐसा अपराध न हो इसलिए उसने सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(२) उप-धारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन, कंपनी द्वारा अपराध किया जाता है और यह साबित होता है की अपराध, कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से हुआ है या की और से किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है तब ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिए दोषी होगा तथा उसके विरुद्ध अभियोजन के लिए, वह दायी होगा और उसे तद्नुसार दण्डित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनार्थ,—

(क) " कंपनी " का तात्पर्य निगमित निकाय से है तथा इसमें न्यास, फर्म, समाज, संस्था या व्यक्तियों का अन्य संघ भी शामिल है ; और

(ख) फर्म के संबंध में " निदेशक " का तात्पर्य.-

(एक) फर्म का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है ;

(दो) समाज, न्यास, संस्था या व्यक्तियों का अन्य संघ, या व्यक्तियों का निकाय का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो समाज, न्यास, संस्था या अन्य संघ, या, यथास्थिति, निकाय के कार्य के प्रबंधन के साथ समाज, न्यास, संस्था या अन्य संघ या निकाय के नियमों या उप-विधियों के अधीन हित रखता है ऐसे व्यक्ति से है ।

नियम बनाने की शक्ति । **५२.** (१) सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों का निर्वहन करने के लिए नियम बना सकेगी।

(२) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्न समस्त या किन्ही मामलों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा १२ की, उप-धारा (१) के अधीन अध्यक्ष के नियुक्ति का रीति ;

(ख) धारा १२ की, उप-धारा (२) के अधीन अध्यक्ष के पद के लिये पात्रता निकष ;

(ग) धारा ४५ की, उप-धारा (१) के अधीन विश्वविद्यालय के अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान के मानक सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए किसी निर्धारण करने की रीति ;

(घ) धारा ४७ की, उप-धारा (४) के खंड (घ) के अधीन विहित किये जानेवाले मामले ;

(ङ) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा विहित करना आवश्यक है या किया जा सके।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा जो कि चाहे वह एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि, उस सत्र में जिसमें उसे रखा गया है, उसके ठीक बाद के सत्र या सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाए तो नियम, अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से, केवल ऐसे परिवर्तित रुप में हों प्रभावी होगा, या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलिकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात या विलुप्ति की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

५३. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों : कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति ।

परंतु, ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. XL OF 2023.

THE MAHARASHTRA ANIMAL AND FISHERY SCIENCES UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2023

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १८ अगस्त, २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XL OF 2023.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA ANIMAL AND FISHERY SCIENCES UNIVERSITY ACT, 1998.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **“ महाराष्ट्र राजपत्र ”** में दिनांक २१ अगस्त, २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र पशुपालन और मत्स्य उद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र पशुपालन और मत्स्य उद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के चौहतरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :— (सन् १९९८ का महा. १७.)

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र पशुपालन और मत्स्य उद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२३ कहलाए।

सन् १९९८ का महा. १७ की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र पशुपालन और मत्स्य उद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ में,— (सन् १९९८ का महा. १७।)

(क) खण्ड (१) के पूर्व, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(क-१) "सहबद्ध महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय से है जिसे विश्वविद्यालय द्वारा सहबद्धता अनुदत्त की गई है ;";

(ख) खण्ड (११) में "संघटक महाविद्यालय" शब्दों के स्थान में, "संघटक महाविद्यालय या सहबद्ध महाविद्यालय" शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९९८ का महा. १७ की धारा २६ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा २६ की,—

(१) उप-धारा (१) के,—

(क) खण्ड (तेरह) और (चौदह) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखे जायेंगे, अर्थात् :—

"(तेरह) महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित महाराष्ट्र विधानसभा के तीन सदस्य।

(चौदह) विधान परिषद के सभापति द्वारा नामनिर्देशित महाराष्ट्र विधान परिषद के दो सदस्य।";

(ख) खण्ड (उन्नीस) के पश्चात्, निम्न खण्ड, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"(बीस) प्रति-कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किए जानेवाले महाराष्ट्र गोसेवा आयोग के अशासकीय सदस्यों में से एक सदस्य।" ;

(२) उप-धारा (२) के,—

(क) खण्ड (क) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(क) महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष या महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति द्वारा नामनिर्देशित सदस्य कार्यकारी परिषद का सदस्य होने से परिविरत होने पर यथाशीध्र महाराष्ट्र विधानसभा का सदस्य या, यथास्थिति, महाराष्ट्र विधान परिषद का सदस्य होने से परिविरत होगा।";

(ख) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(ग-१) महाराष्ट्र गो सेवा आयोग के अशासकीय सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट सदस्य कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में परिविरत होने पर यथा संभव शीघ्र, महाराष्ट्र गो सेवा आयोग के सदस्य के रूप में भी परिविरत होगा।"।

सन् १९९८ का महा. १७ की धारा २७ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा २७के,—

(क) खण्ड (ग्यारह) में, "मान्यता" शब्द के स्थान में, "सहबद्धता या मान्यता" शब्द रखे जायेंगे;

(ख) खण्ड (बारह) में, "और मान्यताप्राप्त संस्थाएँ" शब्दों के स्थान में, "सहबद्ध महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं" शब्द रखे जायेंगे ;

(ग) खण्ड (पंद्रह) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(पंद्रह) सहबद्ध महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं की जाँच का प्रबंध करने और निदेश देने तथा उनकी कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए अनुदेश जारी करने और उनके कर्मचारीवृंद के सदस्यों के लिए नियोजन की उचित शर्तों की सुनिश्चिति करने के लिए अनुदेश जारी करने तथा ऐसे अनुदेशों की अवहेलना करने के बारे में, उनकी सहबद्धता या मान्यता की शर्तों का उपांतरण करने की सिफारिश करने, या जिसे वह उचित समझे ऐसे अन्य कदम उठाने के सुझाव देने;";

(घ) खंड (सोलह) में, "और मान्यताप्राप्त संस्थाओं" शब्दों के स्थान में "सहबद्ध महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं" शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९९८ का महा. १७ की धारा ३० में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा ३० की, उप-धारा (२) के खण्ड (आठ) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(आठ-क) महाविद्यालयों को सहबद्धता अनुदत्त करने तथा संस्थाओं को मान्यता देने के लिए विनियम बनाना।"।

सन् १९९८ का महा. १७ की धारा ३१ में संशोधन।

६. मूल अधिनियम की धारा ३१ की, उप-धारा (५) के खण्ड (पाँच) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(पाँच) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जानेवाली संबंधित संकाय में, सहबद्ध महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था का एक प्रधानाचार्य या सहयोगी संकायाध्यक्ष ;"।

सन् १९९८ का महा. १७ की धारा ३३ में संशोधन।

७. मूल अधिनियम की धारा ३३ के खण्ड (ज) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(ज) सहबद्ध महाविद्यालय, संघटक महाविद्यालय, और मान्यताप्राप्त संस्था के प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अनुसंधान सहायक, पशुचिकित्सा अधिकारी, क्षेत्र प्रदर्शनकारी और कर्मचारियों का अन्य प्रवर्ग के पदनाम, अर्हताएँ, भरती की पद्धति, वेतन और भत्ता और सेवा की अन्य शर्तों और उनकी शक्तियाँ ;"।

सन् १९९८ का महा. १७ के अध्याय छह के शीर्षक में संशोधन।

८. मूल अधिनियम के अध्याय छह में, 'मान्यता' शीर्षक के स्थान में, "सहबद्धता और मान्यता" शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९९८ का महा. १७ में नई धारा ३५क का निवेशन।

९. मूल अधिनियम की धारा ३६ के पूर्व, **अध्याय छह** में, इसप्रकार रखे गए "सहबद्धता और मान्यता" शीर्षक के अधीन निम्न धाराएँ, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

महाविद्यालयों की सहबद्धता।

"**३५क.** (१) विश्वविद्यालय द्वारा यथा विहित आवश्यक शर्तों की पूर्ति करने और राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन, कार्यकारी परिषद को पशुपालन और मत्स्य उद्योग विज्ञान में उपाधियों के लिए अनुदेश और अनुसंधान के साधनों का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, किसी सहबद्ध महाविद्यालय के रूप में, विश्वविद्यालय से अन्य समुचित न्यास या संस्था के प्रबंधन के अधीन किसी महाविद्यालय या शिक्षा संस्था को सहबद्धता अनुदत्त करने की शक्ति होगी ।

(२) इस धारा के अधीन सहबद्धता माँगनेवाला नये महाविद्यालय या संस्था, रजिस्ट्रार को आवेदन करेगी और निम्नलिखित विषयों के संबंध में पूरी जानकारी देगी, अर्थात् :—

(क) प्रबंधन निकाय का गठन और कर्मचारी ;

(ख) जिसके संबंध में सहबद्धता चाही गई है वह विषय और पाठ्यक्रम ;

(ग) वास सुविधा, उपस्कर और छात्रों की संख्या जिसके लिए उपबंध किए गए हैं या किये जाने के लिये प्रस्तावित है ;

(घ) कर्मचारिवृंद की संख्या, उनकी शैक्षिक अर्हताएँ और वेतन तथा उनके द्वारा किया गया अनुसंधान कार्य ;

(ङ) उद्ग्रहीत की जानेवाली प्रस्तावित फीस ;

(च) भवनों, भूमियों और उपस्करों पर पूंजीगत परिव्यय तथा संस्था को निरंतर बनाए रखने और पर्याप्त कार्यों के लिए किए गए वित्तीय उपबंध ;

(छ) पशु-चिकित्सा महाविद्यालय के संबंध में भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद (व्हीसीआय) तथा दुग्ध उद्योग प्रौद्योगिकी और मत्स्यउद्योग विज्ञान महाविद्यालय के संबंध में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आयसीएआर) द्वारा विहित आधारभूत संरचना और मानवशक्ति की उपलब्धता ;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा जैसा कि विहित किया जा सके कोई अन्य आवश्यकता।

(३) उप-धारा २ के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर कार्यकारी परिषद,—

(क) निम्न सदस्यों से मिलकर बनी किसी समिति द्वारा की जानेवाली स्थानीय जाँच के निदेश देगी, अर्थात् :—

(एक) शिक्षा निदेशक - अध्यक्ष ;

(दोन) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित की जानेवाली कार्यकारी परिषद का एक अशासकीय सदस्य— सदस्य ;

(तीन) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जानेवाला कार्यकारी परिषद का एक शासकीय सदस्य— सदस्य ;

(ख) ऐसी अधिकतर जाँच जिसे वह आवश्यक प्रतित हो सकें ;

(ग) खण्ड (क) और (ख) के अधीन किसी जाँच के परिणाम कथन करते हुए चाहे आवेदन पूर्णतः या भागत : में या तो अनुदत्त करने या अस्वीकृत करने की सिफारिश कर सकने के प्रश्न पर अकादमिक परिषद से विचार-विमर्श के पश्चात्, उनकी राय अभिलिखित करना।

(४) (एक) समिति और अकादमिक परिषद की सिफारिश पर, कार्यकारी परिषद, प्रस्तावित महाविद्यालय के सहबद्धता का प्रस्ताव राज्य सरकार को अग्रेषित करेगी।

(दो) राज्य सरकार, कार्यकारी परिषद द्वारा भेजे गये प्रस्ताव अधिप्रमाणित करने के पश्चात् , जिसे वह उचित समझे सहबद्धता अनुदत्त कर सकेगी या अस्वीकृत कर सकेगी।

(तीन) महाविद्यालय या संस्था की यह जिम्मेदारी होगी जिसने भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद या, यथास्थिति, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से सहबद्धता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन अनुदत्त किया गया है। मान्यता पाने के लिए प्रस्ताव विश्वविद्यालय के जरिए, राज्य सरकार को, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद या, यथास्थिति, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को आगे प्रस्तुत करने के लिए अग्रेषित करेगा। भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद या, यथास्थिति, भारतीय कृषि अनुसंधान की मान्यता समय-समय से बनाए रखने की जिम्मेवारी सहबद्ध महाविद्यालय की होगी।

(चार) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मान्यता देने पर महाविद्यालय सहबद्ध महाविद्यालय होगा तथा वह विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षण के अधीन होगा।"।

१०. मूल अधिनियम की धारा ३७ की,— सन् १९९८ का महा. १७ की धारा ३७ में संशोधन।

(क) उप-धारा (१) में, " मान्यताप्राप्त संस्था " शब्दों के स्थान में " सहबद्ध महाविद्यालय और मान्यता प्राप्त संस्था " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (३) में, " मान्यताप्राप्त संस्था " शब्दों के स्थान में, " सहबद्ध महाविद्यालय तथा मान्यताप्राप्त संस्था " शब्द रखे जायेंगे ।

११. मूल अधिनियम की धारा ३७ के पश्चात्, निम्न धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :— सन् १९९८ का महा. १७ में नई धारा ३७क का निवेशन।

सहबद्धता को वापस लेना।

३७क. (१) यदि महाविद्यालय धारा ३५-क के किन्ही उपबंधों का कार्यान्वयन करने में विफल होता है या उसकी सहबद्धता के किन्ही शर्तों का अनुपालन करने में विफल होता है या ऐसी रीत्या में किया जाता है जिसका पशुपालन और मत्स्यउद्योग विज्ञान शिक्षा के हित को प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश करने पर राज्य सरकार, सहबद्धता द्वारा महाविद्यालय के प्रदत्त अधिकार, पूर्णतः या अंशतः वापस ले सकेगा या उपांतरित कर सकेगा ।

(२) ऐसे अधिकारों के वापस लेने या उपांतरण करने के लिए प्रस्ताव केवल अकादमिक परिषद शुरू करेगी। परिषद का सदस्य, जो इस तरह का प्रस्ताव लाने का इरादा रखता है, उसकी सूचना देगा और जिन आधारों पर इसे बनाया गया है उसे लिखित में उल्लेख करेगा ।

(३) उक्त प्रस्ताव विचारार्थ लेने के पूर्व अकादमिक परिषद संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य या सहयोगी संकायाध्यक्ष को सूचना की एक प्रति भेजेगी और उप-धारा (२) में उल्लिखित आधारों का कथन साथ ही यह सूचना, महाविद्यालय की ओर से ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर इस संबंध में कोई लिखित में कौई अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगी जिसे अकादमिक परिषद द्वारा विचारार्थ लिया जायेगा :

परंतु, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि, यदि आवश्यकता हो तो, अकादमिक परिषद द्वारा बढाई जा सकेगी ।

(४) अभ्यावेदन की प्राप्ति पर या उप-धारा (३) में निर्दिष्ट अवधि अवसित होने पर, अकादमिक परिषद, प्रस्ताव की सूचना, आधारों का कथन और अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् तथा जिसे वह उचित समझे, अकादमिक परिषद द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी जाँच के पश्चात् , इस मामले में की जानेवाली कार्यवाही पर विचार करेगी । यदि अकादमिक परिषद यह विचार करती है कि, अंशतः या पूर्णतः में सहबद्धता वापस लेने के लिए कार्यवाही की जाए तो अकादमिक परिषद इस प्रयोजन के लिए ऐसे प्रत्याहरण के लिए आधारों के कथनों का संकल्प पारित करेगी, और कार्यकारी परिषद को उस आशय की सिफारिश करेगी ।

(५) अकादमिक परिषद से ऐसे सिफारिश की प्राप्ति पर कार्यकारी परिषद को जैसा आवश्यक प्रतीत हो, ऐसी अधिकतर जाँच के पश्चात्, चाहे सहबद्धता वापस ली जाए या नहीं या चाहे वह पूर्णतः या अंशतः में वापस ली जाए या नहीं का विनिर्णय करेगी और राज्य सरकार को सिफारिश कर सकेगी और उसपर राज्य सरकार निर्णय अंतिम होगा ।

(६) राज्य सरकार, यदि सहबद्धता वापस लेने या उपांतरित करने का विनिर्णय लेती है तो, उस विनिर्णय की सूचना जल्द से जल्द विश्वविद्यालय, संबंधित महाविद्यालय और केंद्र सरकार के समुचित प्राधिकरण तथा भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद या, यथास्थिति, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को दी जायेगी । "।

१२. मूल अधिनियम की धारा ६३ में,— सन् १९९८ का महा. १७ की धारा ६३ में संशोधन।

(क) " संघटक महाविद्यालय " शब्दों के स्थान में, " संघटक महाविद्यालय, सहबद्ध महाविद्यालय " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) पार्श्व टिप्पणी में, " संघटक महाविद्यालय " शब्दों के स्थान में, " संघटक महाविद्यालय, सहबद्ध महाविद्यालय " शब्द रखे जायेंगे ।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XLI OF 2023.

THE LAXMINARAYAN INNOVATION TECHNOLOGICAL (LIT) UNIVERSITY, NAGPUR ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २३ अगस्त २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XLI OF 2023.

AN ACT TO ESTABLISH AND INCORPORATE THE LAXMINARAYAN INNOVATION TECHNOLOGICAL (LIT) UNIVERSITY, NAGPUR, AS A SPECIALIZED TECHNOLOGICAL UNITARY PUBLIC UNIVERSITY, TO COLLABORATE WITH RESEARCH INDUSTRIES AND CORPORATE INDUSTRIAL ASSOCIATES, TO PROVIDE VERTICAL MOBILITY TO STUDENTS UNDERGOING TECHNICAL EDUCATION IN HIGH GROWTH SECTORS AND TO PREPARE STUDENTS TOWARDS GAINFUL EMPLOYMENT, TO PROVIDE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGY MANAGEMENT AND DEVELOP ORGANIZATION OF TEACHING, LEARNING, TRAINING, RESEARCH, CONSULTANCY, TESTING AND EXTENSION, TO ESTABLISH CENTRE OF EXCELLENCE AND RESEARCH PARK WITH INDUSTRIES AND TO GIVE EFFECT TO THE OBJECTS ENVISAGED IN THE NEW EDUCATION POLICY OF THE GOVERNMENT OF INDIA AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, “ **महाराष्ट्र राजपत्र** ” में दिनांक २४अगस्त २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

अनुसंधान उद्योगों और निगमित औद्योगिक संघ से सहयोग करने, उच्चतर वृद्धि क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा ले रहे छात्रों को ऊर्ध्व गतिशिलता का उपबंध करने और लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने के लिये छात्रों को तैयार करने के लिये अध्यापन, अध्ययन, प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्शी,

परीक्षण और विस्तार के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक प्रबंधन और विकास संगठन का प्रावधान करने के लिये उद्योगों की सहायता से उत्कृष्टता केंद्र और अनुसंधान पार्क की स्थापना करने और भारत सरकार की नई शिक्षा नीति में परिकलित उद्देश्यों को प्रभावी बनाने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिये, लक्ष्मीनारायण अभिनव और प्रौद्योगिकी (एल आय टी) विश्वविद्यालय, नागपुर में एक विशेषित प्रौद्योगिक एकात्मक लोक विश्वविद्यालय के रूप मे स्थापना और निगमन करने संबंधि अधिनियम।

क्योंकि, अनुसंधान उद्योगों और निगमित औद्योगिक संघ से सहयोग करने, उच्चतर वृद्धि क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा ले रहे छात्रों को ऊर्ध्व गतिशिलता का उपबंध करने और लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने के लिये छात्रों को तैयार करने के लिये अध्यापन, अध्ययन, प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्शी, परीक्षण और विस्तार के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक प्रबंधन और विकास संगठन का प्रावधान करने के लिये उद्योगों की सहायता से उत्कृष्टता केंद्र और अनुसंधान पार्क की स्थापना करने और भारत सरकार की नई शिक्षा नीति में परिकलित उद्देश्यों को प्रभावी बनाने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिये, लक्ष्मीनारायण अभिनव और प्रौद्योगिकी (एल आय टी) विश्वविद्यालय नागपुर में एक विशेषित प्रौद्योगिक एकात्मक लोक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना और निगमन करने संबंधि अधिनियम करना इष्टकर है, इसलिये, भारत गणराज्य के चौहतरवें वर्ष में, एतद्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :-

अध्याय एक

प्रारंम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम लक्ष्मीनारायण अभिनव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एलआयटी) विश्वविद्यालय, नागपुर, अधिनियम, २०२३ कहलाए।

(२) यह ऐसे दिनांक पर प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(१) " अकादमिक परिषद " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के अकादमिक परिषद, से है ;

(२) " अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई)" का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, १९८७ के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, से है ; सन् १९८७ का ५२।

(३) " भूतपूर्व छात्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्र से है और इसमें लक्ष्मीनारायण प्रौद्योगिकी संस्था, नागपूर के भूतपूर्व छात्र सम्मिलित है ;

(४) " नियत दिनांक " का तात्पर्य, धारा १ की उप-धारा (२) के अधीन नियत दिनांक से, है ;

(५) " प्राधिकरण " का तात्पर्य, इस अधिनयम द्वारा या के अधीन यथा विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों से, है ;

(६) " शासी बोर्ड " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के शासी बोर्ड से, है ;

(७) " केंद्र " का तात्पर्य, परिनियमों द्वारा यथा विहित विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, प्रबंधित तथा सम्पोषित केंद्र, से, है ;

(८) " कुलाधिपति " या " कुलपति " का तात्पर्य, क्रमशः विश्वविद्यालय के कुलाधिपति या कुलपति से, है ;

(९) " विकल्पाधारित श्रेयांक प्रणाली " का तात्पर्य, पाठ्यचर्या-संबंधि प्रणाली, जो, परिनियमों में यथाविहित संचित श्रेयांक पाठ्यक्रमों (मुख्य, वैकल्पिक या गौण या सुलभ कौशल या कौशलवर्धक पाठ्यक्रमों आदि) में से चयन करने के लिये, छात्रों के लिये, बहुविध आंतरविषयक विकल्पों का अवसर देती है, से है ;

(१०) " सहयोग " का तात्पर्य, अन्य विश्वविद्यालयों, अकादमिक संस्थाओं जिसमें स्थानिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, अनुसंधान संस्थाएँ तथा संघटन समेत विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य, क्रीड़ा, सामाजिक सांस्कृतिक विज्ञान और प्रौद्योगिक और किसी अन्य क्षेत्र समेत विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या अन्य संस्था की सहयोगी अकादमिक गतिविधियों से है ;

(११) " संकायाध्यक्ष " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के विद्यालयों के संकायाध्यक्ष से है ;

(१२) " निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) " का तात्पर्य, जिसे राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, घोषित ऐसी जनजाति, से है ;

(१३) " विभाग " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय में विशिष्ट विषय या समूहित विषयों का अध्यापन करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विभाग से है ;

(१४) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा समय-समय से, यथा अधिसूचित कोई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है ;

(१५) " विद्यमान संस्थान " का तात्पर्य, लक्ष्मीनारायण प्रौद्योगिकी संस्थान नागपुर से है ;

(१६) " फीस " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय और उसके उप-परिसरों द्वारा संग्रहित किया जानेवाला विकास प्रभारों समेत शिक्षा शुल्क, अन्य फीस और प्रभारों से है ;

(१७) " विश्वविद्यालय विभाग प्रमुख " या " विश्वविद्यालय केंद्र प्रमुख' " का तात्पर्य, क्रमशः विश्वविद्यालय विभाग प्रमुख या विश्वविद्यालय केंद्र प्रमुख, से है ;

(१८) " उच्चतर शिक्षा " का तात्पर्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के स्तर पर अध्ययन से परे ज्ञान की खोज से है ;

(१९) " छात्रावास " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा उपबंधित, स्थापित, संपोषित विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये आवास के स्थान से है ;

(२०) " आंतर विद्या विषयक पाठ्यक्रम " का तात्पर्य, परिनियमों द्वारा यथा विहित विभिन्न विद्या शाखाओं में संमिश्र अकादमिक पाठ्यक्रम तथा अनुसंधान, से है ;

(२१) " ज्ञान स्रोत केन्द्र " का तात्पर्य, शिक्षा, अनुसंधान, विस्तार सेवा या समान प्रयोजनों के लिये उपयुक्त मुद्रित में, इलेक्ट्रॉनिक और दृक-श्राव्य प्रारूप सामग्री, प्रबंध, संदर्भ ग्रंथ, पाठ्य तथा पुनरीक्षण पुस्तकें, सभी प्रकार की पत्रिकायें और विभिन्न प्रारूपों में किन्ही अन्य सामग्री को धारण करने के लिए, विश्वविद्यालय के परिसर या उप-परिसरों में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित पुस्तकालय, से है ;

(२२) " बहुविध विद्याविषयक पाठ्यक्रमों " का तात्पर्य, परिनियमों द्वारा यथा विहित विशिष्ट शाखा के विविध प्रवाहों में समिश्र शैक्षिक पाठ्यक्रम तथा अनुसंधान कार्यक्रमों, से है ;

(२३) " खानबदोश जनजाति " का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय से घोषित अपने जीवनयापन की खोज में जगह-जगह भटकते हैं, ऐसी जनजातियों, से है ;

(२४) " दीर्घावकाशेतर विद्याविषयक कर्मचारिवृन्द " का तात्पर्य, ऐसे कर्मचारिवृन्द से है जिसे शासी बोर्ड दीर्घावकाशेतर विद्याविषयक कर्मचारिवृन्द के रूप में वर्गीकृत करें तथा इसमें ऐसा सभी कर्मचारिवृन्द शामिल है जो विद्याविषयक कर्मचारिवृन्द के अलावा पूरक है किन्तु, इसमें वह कर्मचारिवृन्द शामिल नहीं होगा जो केवल प्रशासनिक कृत्यों के निर्वहन के लिए रखा गया है जिससे इस संबंध में राज्य सरकार की नीतियों का उल्लंघन नहीं होगा ;

(२५) " ऑफ कॅम्पस " का तात्पर्य, विद्यमान प्राकृतिक परिसर से परे स्थापित कोई अन्य परिसर, से है।

(२६) " अन्य पिछड़े वर्ग " का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा यथा घोषित नागरिकों के किन्हीं सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछडे प्रवर्गों से है, तथा इसमें महाराष्ट्र राज्य के संबंध में समय-समय पर, भारत सरकार द्वारा घोषित अन्य पिछड़े प्रवर्ग सम्मिलित है ;

(२७) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन बनाए गए परिनियमों या ऑर्डिनेन्सों या, यथास्थिति, विनियमों द्वारा विहित, से है ;

(२८) " रजिस्ट्रार " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, से है ;

(२९) " विनियामक प्राधिकरण " का तात्पर्य, वृत्तिक शिक्षा के संबंध में, समय समय से, भारत सरकार द्वारा स्थापित विनियामक प्राधिकरण, से है ;

(३०) " अनुसूचित जातियाँ " का तात्पर्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अधीन महाराष्ट्र राज्य के सबंध ऐसी जातियाँ, जनजाति आदि अनुसूचित जाति समझा गया है ऐसी जातियाँ, वंश या जनजातियों या उसके भाग या उसके भीतर के समुहों से है ;

(३१) " अनुसूचित जनजातियाँ " का तात्पर्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अधीन महाराष्ट्र राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति समझी जानेवाली ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय महाराष्ट्र राज्य के किसी भाग में रहनेवाली ऐसी जनजाति या जनजातिय समुदाय या उसके भाग या के भीतर समूह से है ;

(३२) " विद्यालय " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा सम्पोषित तथा प्रबंधित अध्ययन के विद्यालय से है ;

(३३) " विशेष पिछड़ा प्रवर्ग " का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ा प्रवर्ग के रूप में घोषित नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्गों से है ;

(३४) " राज्य " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य से है ;

(३५) " राज्य सरकार " या " सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(३६) " परिनियम ", " ऑर्डिनेन्स " तथा " विनियम " का तात्पर्य, क्रमशः इस अधिनियम द्वारा या के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के परिनियमों, ऑर्डिनेन्सों तथा विनियमों से है ;

(३७) " छात्र " का तात्पर्य, कोई व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के किसी शैक्षिक कार्यक्रम के लिये प्रवेशित तथा रजिस्ट्रीकृत है, से है ;

(३८) " उप-परिसर " का तात्पर्य, अकादमिक, प्रशासनिक, अनुसंधान के विकेंद्रीकरण के लिए विश्वविद्यालय के व्यापक अंतर्निष्ठ स्वतंत्र युनिट से है और कारगरता और प्रभाविता के सुधार के उद्देश्य के साथ उस अधिकारिता के क्रियाकलापों का विस्तार होगा, से है ;

(३९) " अध्यापक " का तात्पर्य, किसी विश्वविद्यालय के किसी विद्यालय, केन्द्र, विभाग या उप-परिसर में पूर्ण कालिक अनुमोदित आचार्य, सहयुक्त आचार्य, सहायक आचार्य से है ;

(४०) " विश्वविद्यालय " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा ३ के अधीन स्थापित लक्ष्मीनारायण अभिनव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एलआईटी) विश्वविद्यालय, नागपुर से है ;

(४१) " विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजीसी) " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है ; सन् १९५६ का ३।

अध्याय दो

विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय का निगमन ।

३. (१) नियत दिनांक से, विद्यमान लक्ष्मीनारायण प्रौद्योगिकी संस्था नागपुर, " **लक्ष्मीनारायण अभिनव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एलआईटी) विश्वविद्यालय, नागपुर** " के नाम से एक असहबद्ध ऐकिक विश्वविद्यालय के रुप में गठित होगी।

(२) विश्वविद्यालय, उप-धारा (१) मे विनिर्दिष्ट नाम द्वारा एक निगमित निकाय होगा और उसका एक एक शाश्वत उत्तराधिकार तथा एक सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम द्वारा वाद चलायेगी और उस पर वाद चलाया जायेगा ।

(३) विश्वविद्यालय के द्वारा या के विरुद्ध के सभी वाद और अन्य विधिक कार्यावाहियों के अभिवचन रजिस्ट्रार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या प्रमाणित किये जायेंगे और वाद तथा कार्यवाहियों को, सभी प्रक्रिया रजिस्ट्रार को जारी की जायेगी और उसपर तामील की जायेगी ।

(४) विश्वविद्यालय का मुख्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र में होगा।

(५) विश्वविद्यालय की अधिकारिता, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में विस्तारित होगी।

(६) विश्वविद्यालय चल या अचल दोनों संपत्ति के अधीन तथा धारण करने, पट्टे पर, विक्रि, बंधक इजाजत और अनुज्ञप्ति, भेंट, सहमति-पत्र, एमओयु या से अन्यथा द्वारा अंतरण करने या किसी चल या अचल संपत्ति जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिये, उसमें निहित या उसके द्वारा अर्जित की जा सकें और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये संविदा करने तथा अन्य कार्य करने के लिये उसका निपटान करने के लिये सक्षम होगी ।

परंतु यह कि, ऐसे सम्पत्ति का पट्टेपर, विक्री, बंधक इजाजत और अनुज्ञप्ति, उपहार, सहमति-पत्र, (एमओयु) या अन्यथा मार्ग द्वारा ऐसा अंतरण या निपटान विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अनुमोदित मूल्य निर्धारक द्वारा उसके मूल्यनिर्धारण किए बिना तथा राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जायेगा ।

परंतु आगे यह कि, जहाँ अचल सम्पत्ति का अंतरण विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रेसर करने में जैसा कि आवश्यक समझे जाए क्रियाकलायों को पूरा करने के लिए दस वर्षों तक या कुल दस वर्षों की अवधि के लिए अस्थायी अंतरण है तो प्रथम परंतुक के अधीन राज्य सरकार की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होगी और कुल मिलाकर दस वर्ष से परे ऐसा अंतरण का नवीकरण होगा जिसे राज्य सरकार की पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा।

(७) नियत दिनांक पर तथा से,—

(क) विद्यमान महाविद्यालय का नियंत्रण तथा प्रबंधन एकसाथ उक्त महाविद्यालय द्वारा धारित कोई नकद जमा या उनके खाते पर की नकद जमा समेत किसी बँक या उसके संबंधित अन्यथा में निक्षेप हो सभी सम्पत्ति और आस्तियों का नियंत्रण और प्रबंधन विश्वविद्यालय को अंतरित होगा तथा उसमें निहित होगा ;

(ख) इस धारा में यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसे महाविद्यालय के सभी अधिकार, शक्तियाँ और विशेषाधिकार, कर्तव्य, ऋण, दायित्व और अनुबंध विद्यमान महाविद्यालय के कामकाज के संबंध में संविदात्मक या अन्यथा, उद्भूत या प्रोद्भूत या उपगत विश्वविद्यालय को अंतरित तथा उसमें निहित होगा ;

(ग) पुर्ववर्ति खण्डों के अधीन किन्ही अस्तियों या दायित्व के अंतरण के संबंध में कोई संदेह या मतभेद होने पर उसे तकनीकी शिक्षा निदेशक के जरिए सरकार को भेज दिया जायेगा, और उसपर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(घ) सभी विद्यमान दस्तवेज, विलेख या उसके समान एलआयटी विश्वविद्यालय के विधिक प्राधिकारियों के हस्ताक्षर करनेवाले होंगे और पूर्ववर्ती संबंधित प्राधिकार उसी के अभिरक्षा होने से परिविरत होंगे।

(८) उप-धारा (७) के आधार पर विश्वविद्यालय को अंतरित सम्पत्तियों, आस्तियों और अधिकार उसी प्रयोजनों के लिए उपयोग में निरंतर रहेंगे जिसके लिए वे नियत दिनांक के तत्काल पूर्व उपयोग में लाए जाते थे या उपयोग किये जाने के लिए आशयित थे।

(९) नियत दिनांक से और पर,–

(क) विद्यमान महाविद्यालय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर, विश्वविद्यालय नागपुर महाविद्यालय होने से चरणबद्ध रीति में असहबद्ध होगा ;

परन्तु, नियत दिनांक के पूर्व जिन छात्रों ने प्रवेश लिया है उनका विद्यमान पाठ्यक्रम पूरा होने तक राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर, विश्वविद्यालय नागपुर के विशेषाधिकारी जारी रहेंगे और राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर, विश्वविद्यालय नागपुर की उपाधि या पुरस्कार मिलेंगे ;

(ख) विद्यमान संस्था के छात्रों के लिए, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर, विश्वविद्यालय नागपुर ऐसे परीक्षा के परिणाम के आधार पर, तत्स्थानी उपाधि, डिप्लोमा और अन्य अकादमिक विशिष्टता की प्रदानगी करने के लिए व्यवस्था बनाएगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य।

४. विश्वविद्यालय के उद्देश्य, सामान्यतः प्रचार, सृजन और ज्ञान संरक्षण और अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी में अध्यापन, अनुसंधान तथा विकास, कुशलता विकास, प्रशिक्षण तथा शिक्षण, विस्तार तथा सेवा द्वारा ज्ञान का परिरक्षण, प्रसार तथा विशेष रूप से उसका उद्देश्य,—

(१) सूचना प्रौद्योगिकी और उसके प्रयोग, कलानिर्मित समझ (एआय), डाटा विज्ञान और विश्लेषकता और रासायनिक, जैविक और भौतिक विज्ञान में उसके प्रयोग, वास्तुकला, योजना, प्रबंधन और समाज के ज्ञान की उन्नति और बेहतरी के लिए विज्ञान समेत अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने ;

(२) अनुसंधान और ज्ञान की उन्नति और प्रसार के लिए उपबंध करने और साधारणतः अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, शुद्ध और प्रयुक्त विज्ञान, प्रचुर कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान, वित्त और लेखा प्रबंधन, चिकित्सा के विभिन्न प्ररुपों, विधि, भौतिक शिक्षा और अध्ययन और संस्कृति की अन्य शाखाओं और उनकी बहु-विषयक और अंतर-अनुशासनात्मक क्षेत्रों को बढ़ावा देना, चूंकि सभी आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सीमाहीन हो गई है और मानवीयता समेत विभिन्न शाखाओं से नवीन कल्पनाये खुल रही हैं ;

(३) अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा, पीएचडी और अनुसंधान के लिए सुविधाएँ और अवसर प्रदान करने के लिए और उसके प्रयुक्त, वास्तुकला, योजना, प्रबंधन और प्रयुक्त विज्ञान और निर्देशन, प्रशिक्षण, अनुसंधान, विकास, विस्तार और नवीकरण द्वारा और इस तरह के अन्य साधन जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे ;

(४) एक ओर अकादमिक और अनुसंधान समुदाय और दूसरी ओर उद्योग के बीच सहयोग और बातचीत को बढ़ावा देने के लिये एक केन्द्र के रूप में कार्य करना ;

(५) अध्यापन और अनुसंधान के सुसंगत क्षेत्रों में आधुनिकतम विकासों से हमेशा अवगत रहने की दृष्टि से, भारत में के विख्यात और प्रचलित अन्य संस्थाओं के साथ आदान प्रदान कार्यक्रमों का आयोजन करना ;

(६) संकाय सदस्यों और छात्रों के अनुसंधान और परियोजनोओं का प्रारम्भ करने के लिए सहायता देने और सुकर बनाने के लिए अनुसंधान निधि सृजित तथा प्रशासित करना ;

(७) अनुसंधान परियोजनाओं के लिए प्रायोजकता प्राप्त करने के लिए अनुसंधानकर्ताओं के लिए कोई सामर्थ्यकारी ढाँचा निर्धारित करना जिससे परियोजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए सहभागी अनुसंधान कर्ता को जिम्मेदार बनाना ;

(८) राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० की तर्ज पर भारत या विदेश के आला (बिच) क्षेत्रों में की अन्य संस्थाओं या विश्वविद्यालयों के साथ राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय विधि आयोग (युजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआयसीटीई) और अन्य विनियामक प्राधिकरणों द्वारा, समय-समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों, नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं के अणुसरण में अध्ययन और अनुसंधान के बहुउद्देशीय परिसरों में अनुमति द्वारा संयुक्त उपाधियाँ या दोहरी उपाधियाँ और गौरवों के अंतरण को मंजूरी देना ;

(९) राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय निधि आयोग (युजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एलआयसीटीई) और अन्य विनियामक प्राधिकरणों द्वारा, समय-समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों, नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं के अणुसरण में राज्य या राज्य सीमाओं से परे में परिसर स्थापित करना ;

(१०) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और छात्रों को अनुसंधान अवसरों के व्यापक विस्तार करने और निधि विकल्प उपलब्ध करने के लिये राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संगठनो के साथ दिर्घकालिक संबंध स्थापित करने के लिए सहमतिपत्र (एमओयु) समेत शिनाख्त करना और संबंध स्थापित करना ;

(११) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और छात्रों को स्वयं वास्तव जीवन में अनुसंधान परियोजनाओं में अंतर्ग्रस्त करने के लिए तथा प्रायोजकता प्राप्त करने के लिए अवसरों को सृजित करने के लिए, उद्योग निकायों और व्यक्तिगत कम्पनीयों के साथ दिर्घकालिक संबंधों के लिए सहमति-पत्र (एमओयू) समेत शिनाख्त करना तथा अनुबंध स्थापित करना ;

(१२) औद्योगिक मानवशक्ति प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालय स्त्रोतों का उपयोग करना ;

(१३) उद्योगों द्वारा आवश्यक उद्योग उपक्रम संबंधी प्रशिक्षण और सुलभ कौशल में विशेषीकृत कौशल समेत रोजगारक्षमता सुधारने के लिए सहायता का उपबंध करना ;

(१४) सृजनता, परिरक्षण की उनकी जिम्मेदारी को कार्यान्वित करना और इसलिए ज्ञान का फैलाव करना ;

(१५) राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० (एनईपी-२०२०) की तर्ज पर इको-प्रणाली, संकाय और छात्र उद्दमित्त शुरू करने हेतु प्रोत्साहन देना ;

(१६) वहाँ के ज्ञान के लिये सृजन, परिरक्षण और प्रसार करने की उसकी जिम्मेदारी का निर्वहण करना ;

(१७) अनुशासन और बौद्धिक खोज की भावना को बढ़ावा देना और उत्कृष्ठता का अनवरत पीछा करते हुए भयरहित अकादमिक समुदाय के रूप में खुद को समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करना ;

(१८) सहिष्णुता और परस्पर सामंजस्य के वातावरण के भीतर व्यक्तित्व और विभिन्नता को प्रोत्साहित करना ;

(१९) भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित स्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता, समानता को बढ़ावा देना और मूलभूत प्रवृत्तियों को बढ़ावा देकर देशभक्त सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण में उत्प्रेरक बने रहना और राष्ट्रीय विकास के तत्व के मूल्यांकन को बढ़ावा देना ;

(२०) विकास के स्थानीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय समस्याओं के साथ घनिष्ठता से विश्वविद्यालय के सहयोग द्वारा व्यक्तिगत और संस्था के विकास के लिए जानकारी और कौशल के लाभों को विस्तारित करना ;

(२१) किसी शिक्षित और समीक्षक उद्देश्यों के रूप में सामाजिक जिम्मेदारी का कार्यान्वयन करना प्रतिभावंत की पहचान करना तथा प्रतिभा का विकास करना, जीवन के सभी मार्गों में नेतृत्वगुण के योग्य प्रकारों के प्रशिक्षण देना और युवा पीढ़ी के योग्य प्रवृत्ति, दिलचस्पी और मूल्यांकन का विकास करने के लिए मदद करना ;

(२२) उच्चतर शिक्षा के अध्यापन, अध्ययन, प्रशिक्षण और अन्य समर्थ सेवाओं, सुविधाओं के न्यायसंगत वितरण को बढ़ावा देना ;

(२३) पर्याप्त और उत्तरदायी प्रशासन, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी प्रबंधन के लिए उपबंध करना और अध्यापन, अध्ययन, प्रशिक्षण, अनुसंधान, सलाहकारी संस्था, परीक्षण और विस्तारण के संगठनों का विकास करना ;

(२४) प्रेरणादायक प्रणालियों का अविष्कार करने के लिये यह सुनिश्चित करना कि व्यक्तिगत संज्ञानात्मक क्षमता मजबूत नही हैं, परंतु, निःसन्देह नवनिर्माण की भावना और इच्छा सही योगदान बनाएगी और स्व-कार्यसिद्धि के संपादन का पालन पोषण होगा ;

(२५) राष्ट्रीय एकात्मता, बंधुत्व को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने और विभिन्न धर्म, साहित्य, इतिहास, विज्ञान, कला, सभ्यता और संस्कृतियों के अध्ययन के ज़रिए भारत के विभिन्न धर्मो और विविधतापूर्ण संस्कृति की ओर सम्मान अंतर्निविष्ट करना ;

(२६) विश्वविद्यालय के साथ सहयोगी हर एक और प्रत्येक पणधारी से जिम्मेवार नागरिकों का निर्माण करना ;

(२७) स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर लोक और निजी उद्योंगों और सरकारी संगठनों के लिए विद्या-विषयक अध्यापन-प्रशिक्षण और संबद्ध कार्यक्रमों, अनुसंधान, विकास, सलाहकारी और परिक्षण क्रियाकलापों तथा लागत-प्रभावी रीत्या में, स्त्रोत उत्पादक सेवाएँ हाथ में लेने द्वारा वित्तीय स्व-सामर्थ्य निर्माण करना ;

(२८) सामान्यतः विश्वविद्यालय के प्रशासन में सुधार करने और उच्चतर शिक्षा के लिए उपबंध करने के सभी ऐसे अर्थों द्वारा राज्य में, प्रदेश में, राष्ट्र में और वैश्विक स्तर पर विभिन्न विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों के बीच बेहतर पारस्परिक व्यवहार और समन्वयन को बढ़ावा देना ;

(२९) समाज में लिंग समानता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना ;

(३०) समाज और मानवता के कल्याण, और शाश्वत मानवी मूल्यों का प्रदर्शन करने के लिए उसके वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संबंधी महत्त्वपूर्ण खोज, सहयोग, सहजीवी सहयोजन, अनुसंधान और नवनिर्माण का पूरी तरह से बदलाव के लिए सर्वोत्कृष्ट जानकारी का विश्वविद्यालय के रूप में उभर आना ;

(३१) प्रवेश, नियुक्तियाँ, मूल्यांकन, निर्धारण, प्रशासन और वित्तीय मामलों में उच्चतम उद्देश्यों को बढ़ावा देना तथा पारदर्शिता बनाए रखना ;

(३२) उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना समेत शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास के लिए उच्चतम सुविधाओं की स्थापना करना ;

(३३) उद्योग या अकादमिक या अनुसंधान प्रयोगशाला में या भूतपूर्व छात्रों के साथ अनुसंधान पार्क स्थापित करना ;

(३४) लचिला और आधुनिक अध्ययन पथ का उपबंध करना जिसके द्वारा बहु प्रवेश और बहु निर्गम विकल्प उपलब्ध करना ;

(३५) स्व-गति, स्व-शैली, प्रत्यक्ष तथा ऑनलाईन अध्ययन वातावरण के ज़रिए विविध आयुसमूह और सामाजिक-आर्थिक स्थिति और भौगोलिक स्थान का प्रतिनिधित्व करनेवाले अध्ययनकर्ताओं को दूरगामी अध्ययन अवसरों का उपबंध करना।

(३६) संकायों, छात्रों और अन्य के लिए वैचारिकता, आरेखन, विकास और विनिर्दिष्ट संयुक्त शिक्षा और अनुसंधान कार्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और परिवर्तन कार्यक्रमों और अनुसंधान तथा सलाहकारी के लिए भारत में और विदेशो में के महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं, लाभकारी और अ-लाभकारी संगठनों के साथ, सहभागिता में सहयोगिता और जुडे रहने के लये अनुबंध स्थापित करना ;

(३७) जैसा और जब आवश्यक हो, पुरानी हो गई व्यवस्थाओं को हटाकर सर्वोत्तम आधुनिक उपस्कर और सुविधाओं के उचित उपयोगिता को सुनिश्चित करना ;

(३८) बहुप्रवेश और निकास का विकल्प सृजित करने के लिए और संपूर्ण विश्वविद्यालय या अधिकार क्षेत्र या क्षेत्र के यहाँ से गतिविधि के लिए अवसर सृजित करने के लिए क्रेडिट बैंकिंग या अंतर प्रणाली की यंत्रणा और सुविधा प्रस्तुत करना ;

(३९) विभिन्न शिक्षाशास्त्र पहुँच मार्ग तथा प्रणाली के लिए पारम्पारिक या संमिश्रित या दूरस्थ शिक्षा या मुक्त या ऑनलाईन शिक्षा के ज़रिए विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने के ज़रिए छात्रों को दिर्घकालिक और निरंतर प्रशिक्षण के अवसरों का उपबंध करना ;

(४०) उच्चतम वृद्धि के क्षेत्रों में डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टर की उपाधि से संबंधित कार्यक्रमों की प्रस्तुती द्वारा और लाभप्रद रोजगार और उद्यमिता के जरिए युवाओं को तैयार करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञता प्रस्तुत करने द्वारा छात्रों को तकनीकी शिक्षा की सीधी गतिशिलता का उपबंध करना ;

(४१) छात्रों से संबंधित सभी विद्याविषयक और अन्य मामलों में संपूर्ण मार्गदर्शक मानदण्ड के रुप प्रतियोगिता गुणागुण उत्कृष्ठता को बढ़ावा देने का प्रयास करना ;

(४२) केंद्र सरकार या कोई अन्य विनियामक प्राधिकरण की उपर्युक्त उद्देश्यों और शिक्षा नीति को पूरा करने तथा अग्रेसर करने के लिए आवश्यक समझा जाए ऐसे अन्य क्रियाकलाप हाथ में लेना।

५. विश्वविद्यालय की निम्न शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे अर्थात् :— विश्वविद्यालय की शक्तियाँ तथा कर्तव्य।

(१) विकल्पाधारित श्रेयांक प्रणाली और जैसा कि विश्वविद्यालय समय समय पर अवधारित करे ऐसी भविष्य में उभरनेंवाली किसी अन्य पद्धति समेत ऐसी शाखाओं या विषयों या विद्याशाखाओं या पाठ्यक्रमों मे अनुदेश, विस्तार, अध्यापन, अध्ययन तथा प्रशिक्षण का उपबन्ध करना ;

(२) अनुसंधान तथा ज्ञान की अभिवृद्धि तथा प्रसार के लिए उपबंध करना तथा सामान्यतः अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विशुद्ध तथा उपयोजित विज्ञान मुक्त कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान, वित्त और वाणिज्य प्रबंधन, चिकित्सा शास्त्र के विभिन्न प्रारुप, विधि, शारीरिक शिक्षा तथा शिक्षा की अन्य शाखाओं तथा संस्कृति तथा उसके बहुशाखीय तथा आंतरशाखीय क्षेत्रों का संवर्धन तथा अभिवृद्धि करना ;

(३) अध्यापन, अध्ययन, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास या विस्तार के लिए विश्वविद्यालय विद्यालयों, विभागों, केंद्रो, उप-परिसरों, प्रयोगशालाओं, जानकारी स्त्रोत केंद्रों, अध्ययन स्त्रोत केन्द्रो, पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा उपस्कर का संगठन, पोषण तथा प्रबंध करना ;

(४) छात्रावास, स्वास्थ्य केंद्रो, सभाभवन तथा व्यायामशाला तथा क्रीड़ा सुविधाओं की स्थापना, पोषण तथा प्रबन्ध करना ;

(५) विनियामक प्राधिकरणों, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा उपयोग किया जा सके ऐसी स्थानिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय तथा वैशिक स्तर पर अध्यापन या अध्ययन या प्रशिक्षण देनेवाली बहुविश्वविद्यालय और अन्तरविश्वविद्यालय केंद्र, अनुसंधान प्रयोगशाला, आधुनिक प्रौद्योगिकी सरलीकरण केंद्र, आजीवन अध्ययन केंद्र, विश्वविद्यालय परिसर और उप-परिसर में स्थापना करने के लिए उपबंध करना :

परंतु यह कि, कोई उद्योग या कोई गैर सरकारी संगठन शासकीय बोर्ड के पूर्वानुमोदन से एक विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय को सुविधा का उपबंध करनेवाला ऐसा संगठन स्वयं ऐसी सुविधा का स्वयं लाभ उठाना चाहता है तो विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त किया जायेगा ;

परंतु आगे यह कि, यह राज्य सरकार की इस संबंध में की नीतियों के उल्लंघन में नहीं होगा।

(६) विश्वविद्यालय द्वारा, उसके निधियों से और अन्य निधि अभिकरणों (राज्य सरकार को छोडकर) से प्राप्त निधियों से विश्वविद्यालय अध्यापकों, दिर्घावकाशेतर अकादमिक कर्मचारीवृंद, अध्यापनेतर कर्मचारीवृंद, प्रशासकीय, मंत्रालयीन कर्मचारीवृंद और विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक अन्य पदों का सृजन करना, उनकी अर्हताएँ, अनुभव और वेतनमान विहित करना और उनको नियुक्ति देना ;

(७) विश्वविद्यालय अध्यापकों, दिर्घावकाशेतर अकादमिक कर्मचारीवृंद अध्यापनेतर कौशल्य, प्रशासकीय, मंत्रालयीन कर्मचारीवृंद और विश्वविद्यालय द्वारा सृजित अन्य पदों की नियुक्तियाँ देना तथा राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और अन्य विनियामक प्राधिकरणों द्वारा, समय समय पर, विनिर्दिष्ट अर्हता और अनुभव के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा मंजूर रिक्त पदों पर भी नियुक्तियाँ देना ;

(८) किसी विश्वविद्यालय, उद्योग, अनुसंधान संस्था या संगठन में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय के अनुबद्ध प्राध्यापक, अनुबद्ध सहयोजित प्राध्यापक, अनुबद्ध सहायक प्राध्यापक, अनुशीलन प्राध्यापक, अवकाशप्राप्त प्राध्यापक, संचालन प्राध्यापक, मशहूर प्राध्यापक, निमंत्रित प्राध्यापकों के रूप में काम करनेवाले व्यक्तियों की नियुक्ति करना या मान्यता देना ;

(९) परिनियमों द्वारा जैसा कि विहित किया जाए, विभिन्न अधिकारियों के पद पर, विश्वविद्यालय के भीतर से पात्र, व्यक्तिगत प्रदर्शन और अंशदान को नामनिर्देशित करना ;

(१०) अन्य राज्य या राष्ट्रीय या वैश्विक विश्वविद्यालय के साथ एकल प्रारुप या संयुक्त प्रारुप में होनेवाली उपाधियाँ, डिप्लोमा या प्रमाणपत्रों को विनिर्दिष्ट करनेवाली विभिन्न परिक्षाओं के लिए, चयन आधारित श्रेयांक प्रणाली में, परिदान के पारंपारिक, समकालीन और भविष्य-पद्धति में अनुदेश और अध्ययन के पाठ्यक्रम विहित करना ;

(११) विश्वविद्यालय में अध्यापन के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रवेश की पात्रता के लिए मानदंड विनिश्चित करना और विश्वविद्यालय के अकादमिक ईकाइयों में जैसे कि, उनके उप-केंद्रो समेत बहु-अनुशासनात्मक और आंतर अनुशासनात्मक विद्यालयों, विश्वविद्यालय विभागों, केंद्रो में विश्वविद्यालय के अकादमिक इकाईयों में अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रम के लिए छात्रों के प्रवेश का पर्यवेक्षण, नियंत्रण और विनियमन करना ;

(१२) परीक्षाएँ या मूल्यांकन के द्वारा परिक्षाओं के आधार पर उपाधि और स्नातकोत्तर डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, पोस्ट उच्चस्तर माध्यमिक परीक्षायें कराने तथा ऐसे व्यक्तियों को, उपाधियाँ तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा, पोस्ट-डिप्लोमा प्रदत्त करने तथा उच्चतर माध्यमिक डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेष उपाधियाँ संस्थित करना, जिन्हे—

(क) विहित रीत्या उससे जब तक से छूट नहीं दी जाती, विश्वविद्यालय, विद्यालय विभाग या केंद्र से अनुमोदित पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन किया है तथा विश्वविद्यालय द्वारा विहित परिक्षायें उर्तीर्ण की है तथा आवश्यक श्रेयांक या गुणांकन या श्रेणी प्राप्त की है ; या

(ख) विश्वविद्यालय, विद्यालय या केंद्र से अध्ययन के अनुमोदित पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन किया है तथा विश्वविद्यालय द्वारा विहित परीक्षायें उत्तीर्ण की हैं तथा आवश्यक श्रेयांक या गुणांकन या श्रेणी प्राप्त की है ; या

(ग) जो ऑर्डिनेन्स तथा विनियमों द्वारा उपबंधित निबंधनों के अधीन अनुसंधान में लगा हुआ है ;

(१३) संमिश्र और दूरस्थ शिक्षा, मुक्त, ऑनलाईन, संमिश्र तथा निरंतर शिक्षा पाठ्यक्रमों के अधीन विद्यार्थियों के लिए ऐसी उपाधियाँ, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र प्रदान करने तथा देने तथा ऐसे व्याख्यान, शिक्षण तथा प्रशिक्षण देने के लिए उपबंध करना ;

(१४) परिनियमों द्वारा यथा विहित मानद उपाधि या अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियाँ प्रदान करना ;

(१५) विश्वविद्यालय विद्यालयों विभागों, केन्द्रो और कालिक प्रत्यायनों के लिये अकादमिक अनुपालन का मॉनिटर करना तथा मूल्यांकन करना ;

(१६) न्यासों तथा विन्यासों को धारण करना तथा प्रबंध करना तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा छात्रों को अध्येतावृत्ति, यात्रा अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययन वृत्ति, प्रतिमान तथा पुरस्कार संस्थित करना तथा प्रदान करना ;

(१७) ऑर्डेनेन्सो द्वारा समय-समय पर, विनियमित की जाए ऐसी फीसों या अन्य प्रभारों को नियत करना या माँग करने तथा प्राप्त या वसूल करना ;

(१८) फीस नियतन समिति गठित करना ;

(१९) विश्वविद्यालय, विद्यालयों, विभागों, केंद्रों तथा छात्रावासों के छात्रों के आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा विनियमन करना ;

(२०) औपचारिक से अनौपचारिक प्रवाह तथा दूसरी ओर राज्य, राज्य के बाहर तथा देश के अन्य विश्वविद्यालयों में से छात्रों की गतिशिलता के लिए उपबंध करना ;

(२१) विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए पुनरीक्षण या सेवा संबंधी के पाठ्यक्रमों के लिए सुविधाओं का उपबंध करना ;

(२२) अध्यापकों और अध्यापनेतर कर्मचारियों की गुणवत्ता सुधारने के लिये, दरजे के क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा अध्यापन के लिये गुणवत्ता वृद्धि पर व्यापक कार्यशालाएँ या अध्ययन अभ्यास और आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चिती के लिये भी यंत्रणा का उपबंध करना ;

(२३) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य विनियामक प्राधिकरण या, यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार, विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा अध्यापनेतर कर्मचारियों के कार्य कालिक निर्धारण के लिए उपबंध करना ;

(२४) अध्यापन के समय या अध्यापनेतर समय के दौरान, विश्वविद्यालय के परिसर में, यथा विहित अध्यापकों की उपस्थिति विनियमित करने तथा उपबंधित करना तथा निजी अध्यापन या निजी कोचिंग कक्षायें चलाने या लेने से अध्यापकों को रोकना ;

(२५) अध्यापकों तथा अध्यापनेतर कर्मचारियों के लिये परिनियमों में विहित, आचरण तथा अनुशासनिक नियमों को प्रवर्तित करना ;

(२६) छात्र सनद विहित करना और प्रवृत्त करना ;

(२७) जहाँ भी आवश्यक हो, निम्न की स्थापना, संपोषण तथा प्रबंध करना,—

(क) ज्ञान स्त्रोत केंद्र ;

(ख) विश्वविद्यालय विद्यालयों, विभागों, केंद्रों या कक्षों ;

(ग) सूचना ब्यूरो ;

(घ) प्रशिक्षण और स्थापना कक्ष और व्यवसाय मार्गदर्शन ब्यूरो ; तथा

(ङ) ऐसी अन्य गतिविधियाँ जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये, आवश्यक तथा संभव हो ;

(२८) निम्न में छात्रों के सहभागिता का उपबंध करना,—

(क) राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) ;

(ख) राष्ट्रीय छात्र सैनिक (एनसीसी);

(ग) गृह रक्षक तथा नागरी संरक्षण दल ;

(घ) राष्ट्रीय क्रीड़ा संगठन ;

(ङ) शारीरिक तथा सैनिक प्रशिक्षण ;

(च) बाहरी अध्यापन तथा अनुसंधान ;

(छ) आजीवन अध्ययन तथा विस्तार संबंधी कार्यक्रम ;

(ज) ऐसे अन्य कोई कार्यक्रम सेवाएँ या गतिविधियाँ जो सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति के लिए निर्देशित है, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक तथा संभव है ;

(२९) लोकसेवाओं, सार्वजनिक उपक्रमों में भर्ती करने के लिये तथा अन्य प्रतियोगिता नियोजन संबंधी अवसरों हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिये विशेष प्रशिक्षण या कोचिंग का उपबंध करना ;

(३०) अनुसंधान और सलाहकारी सेवाओं के लिये परिस्थिती की मांग के अनुसार, कतिपय पाठ्यक्रम चलाने के लिए अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, उद्योगों, प्राधिकरणों या संगठनों के साथ समुचित व्यवस्था करने और अनुसंधान तथा परामर्शी सेवोओं और उस प्रयोजन के लिये ऐसे अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, उद्योगों, प्राधिकरणों या संगठनों को सहकार्य और उनसे सहयोग देना ;

(३१) विश्वविद्यालय की ओर से कोई स्थावर सम्पत्ति का अंतरण करना या अंतरण प्राप्त करना ;

(३२) विश्वविद्यालय का राजस्व, वित्त, लेखा, निवेश, सम्पत्ति, कारोबार और अन्य प्रशासकीय कार्य का प्रबंधन, विनियम और प्रशासन करना और उस प्रयोजन के लिए जैसा कि वह उचित समझे ऐसे अभिकर्ता या अभिकर्ताओं की नियुक्ति करना ;

(३३) बौद्धिक संपदा अधिकारों, प्रौद्योगिकी अंतरण, नवसंशोधन केंद्रों का विकास, उद्यमीता केंद्रों और अनुसंधान क्षेत्र का प्रबंध करना ;

(३४) विश्वविद्यालय के किसी कारोबार की कोई सुसज्जता या कारोबार के निष्पादन करने के उद्देश्य से, जैसा कि वह उचित समझे ऐसी शक्तियों के साथ किसी व्यक्ति की, विश्वविद्यालय के ॲटर्नी के रूप में नियुक्ति करना ;

(३५) भारत और विदेश में के विश्वविद्यालयों अनुसंधान संस्थाओं लाभकारी और अलाभकारी संगठनों, उद्योग, व्यापार, वृत्ति के संघ, उद्योग संघ, अन्य संगठन या कोई अन्य अशासकीय संगठनो से विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए अनुसंधान तथा विकास, परामर्शी और परीक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे अन्वेषण या नवपरिवर्तक क्रियाकलापों द्वारा विश्वविद्यालय के स्त्रोतों की वृद्धि करने की खोज करना ;

(३६) शासी बोर्ड के पूर्वानुमोदन के साथ विदेशी विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के साथ विद्या-विषयक सहयोग कार्यक्रम, अनुसंधान तथा सलाहकारी सेवाएँ हाथ में लेना :

परंतु, यह राज्य सरकार की इस संबंध में की नीतियों का उल्लंघन नहीं होगा ;

(३७) उस संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नियमों तथा विनियमों के भीतर विदेशी एजसियों से सहयोग कार्यक्रमों के लिए निधि प्राप्त करना ;

(३८) विश्वविद्यालय अपने अध्यापन, अध्ययन प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा विकास परामर्श तथा परीक्षण और किन्ही अन्य विद्याविषयक और विस्तार और सहायक गतिविधियों के ज़रिए उत्पन्न कर सकें, संचय बनाना और उसे व्यावसायिक रीत्या में, निवेशित करना तथा उसके ज़रिए प्राप्त ब्याज का उत्पन्न, प्राप्त ब्याज का अकादमिक वृद्धि और विकास मानवी संसाधनों अनुसंधान तथा विकास, अकादमिक तथा भौतिक आधारभूत विकास तथा किन्ही आधारभूत सुविधा के लिए उपयोग करना ;

(३९) विश्वविद्यालय की राय में विश्वविद्यालय अध्यापकों के लिए अकादमिक मामलों में आवश्यक है ऐसे अनुदेश या निर्देश अधिकथित करना ;

(४०) फीस प्रभारित करते हूए, बाह्य एजेंसियों के लिए शिक्षा, अनुसंधान, परामर्श आधारित परियोजनाओं के लिए तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में विकास कार्यक्रम हाथ में लेना ताकी राजस्व और स्त्रोतो को सृजित किया जा सकें ;

(४१) कुल नामांकन अनुपात बढ़ाने के उद्देश्य से समुचित उपाय करना ;

(४२) राज्य सरकार की नीतियों के अनुपालन में स्वयं या अन्य विश्वविद्यालयों के सहयोग से मराठी का अध्ययन तथा शिक्षा के माध्यम के रूप में मराठी, उसका उपयोग, अध्ययन, अनुसंधान तथा परीक्षा को बढ़ावा देना ;

(४३) स्वयं या अन्य विश्वविद्यालय या संघटनों के सहयोग से, आमतौर पर भारतीय और विदेशी भाषाओं तथा विशेष तौर पर एशियाई भाषाओं के अध्ययन को बढ़ावा देना ;

(४४) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अवकाशेतर अकादमिक तथा शिक्षकेतर कर्मचारीवृन्द की जिम्मेवारी सुनिश्चित करने के लिए परिचालन योजना विकसित करना ;

(४५) ज्ञान का सृजन करना तथा उसका प्रसार करना और उच्चतम दरजा के अनुसंधान, जो समसामायिक, वैश्विक प्रतियोगी तथा स्थानीय के साथ-साथ प्रादेशिकतया तथा राष्ट्रीयतया सुसंगत है, को प्रोत्साहित करना ;

(४६) अध्येता-केंद्रित दृष्टिकोण रखना तथा ज्ञान सृजनकर्ता की भूमिका निभाना ;

(४७) उद्योग और समाज के लिए उत्पादन, सेवाएँ और प्रौद्योगिकी का विकास करना और विश्वविद्यालय के लिए राजस्व तथा अन्य स्त्रोतों का निर्माण करना ;

(४८) सूचना तथा संसूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग सें ‘ सहयोग द्वारा अध्ययन ’ और सहभागिता की शक्ति काम में लाने के लिए इ-अध्ययन तथा इ-प्रशासकीय सेवाएँ दोनों के लिए व्यापक डिजिटल विश्वविद्यालय ढाँचे का सृजन करना ;

(४९) जो बडे पैमाने पर राज्य, राष्ट्र और समाज के समक्ष के कुछ महत्त्वपूर्ण समस्याओं का निराकरण करे ऐसी अनेक शाखाओं से बहुविधसंकाय समूह समेत विश्वविद्यालय अनुसंधान को वाणिज्यिक क्षेत्र में बदलने के लिए अनुसंधान पार्क, प्रौद्योगिकी नवसंशोधक तथा अन्य को समन्वित करना, अभियोजन संस्था का सृजन करना ;

(५०) स्थानीय जरुरतें, उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाएँ, बढ़ती जरूरतें तथा नये रोजगार अवसरों को ध्यान में रखने के द्वारा कौशल्य, जो छात्रों ने अभिव्यक्त करना जरुरी है, की पहचान करना ;

(५१) देश की समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा में अभिव्यक्ति द्वारा युवाओं के संपूर्ण विकास के लिये वातावरण का उपबंध करना तथा प्रौद्योगिकी में कौशल्यों के विकास के लिये अवसरों का सृजन करना ;

(५२) प्रमुखतः शैक्षिक प्रवाह, प्रौद्योगिकी प्रवाह, वृत्तिक तथा सामाजिक प्रवाह और व्यक्तित्व तथा सांस्कृतिक विकास प्रवाह इन चार प्रवाहों से के साथ अन्तरणीय और विकल्पाधारित श्रेयांक देने की प्रणाली शुरू करने के लिए सुनिश्‍चित करना और विश्वविद्यालय का अध्ययनक्रम समृद्ध करना ;

(५३) जीवनक्षम वास्तविक जीवन उपयोग में ज्ञान के अंतरण को समर्थ बनाने के लिये, सामाजिक विकास में जुड़े उद्योगों, अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाएँ और गैर-सरकारी संघटनों जैसे संस्थाओं के सहयोगिता के लिये शिक्षकों की गतिशिलता सुसाध्य बनाना और विश्वविद्यालय का अध्ययनक्रम समृद्ध करना ;

(५४) विश्वविद्यालय की उपर्युक्त शक्तियों, कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के संदर्भ में, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, निर्गमित किन्ही निदेशों का पालन करना तथा कार्यान्वित करना ;

(५५) नियमित अंतराल पर विश्वविद्यालय विद्यालयों, विभागों, केंद्रो का अकादमिक और प्रशासकीय लेखा-परीक्षा संचालित करना ;

(५६) शासी बोर्ड, राज्य तथा केंद्र सरकार की संबंधित अनुमति से राज्य के बाहर और विदेशों में उप-परिसर और केंद्र स्थापित करना ;

(५७) अकादमिक परिषद की सिफारिशों से विनिर्दिष्ट समनुदेशन के लिए विश्वविख्यात विशेषज्ञों, प्रशिक्षकों और एजेंसियो की सेवाएँ किराए पर लेना ;

(५८) अल्पावधि आधार के लिए संविदा पर कर्मचारीवृंद (अध्यापन, अध्यापनेतर, तकनीकी विशेषज्ञ) किराए पर लेना ;

(५९) गृहव्यवस्था, बागवानी, सुरक्षा और शासी बोर्ड द्वारा यथा विनिश्‍चित अन्य ऐसी सेवाओं के लिए बाहरी ठेका सेवाएँ किराए पर लेना ;

(६०) सेवाबाह्य उपस्कर और उपयोगिता का निरस्तीकरण तथा नीलामी करना ;

(६१) निमंत्रित प्राध्यापकों, अवकाशप्राप्त प्राध्यापकों, परामर्शदाता और ऐसे अन्य व्यक्तियों जो विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों की वृद्धि में अंशदान कर सके, की संविदा या अन्यथा पर नियुक्ति करना ;

(६२) ऐसे सभी अन्य कार्यों तथा बातों को करना जो कि उसके सभी या किन्ही उद्‌देश्यों को प्राप्त करने के लिए, आनुषांगिक या सहायक होने के लिए आवश्यक हो सके ।

लिंग, पन्थ, वर्ग वंश, धार्मिक स्थल, जन्म या मत के भिन्न होते हुए भी विश्वविद्यालय सब के लिए खुला होगा।

६. (१) भारत का कोई भी नागरिक सिर्फ लिंग, पन्थ, वर्ग, वंश, जन्म-स्थान, धार्मिक मान्यता या व्यवसाय या राजनीतिक या अन्य मत के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी पद, या उसके किसी प्राधिकरणों, निकायों या समितियों के सदस्यत्व या किसी पद पर की नियुक्ति या किसी उपाधि, डिप्लोमा प्रमाणपत्र या अन्य अकादमिक विशेष योग्यता या अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए विर्वजित नहीं किया जायेगा ।

(२) विश्वविद्यालय में शिक्षकों तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों के विभिन्न पदों पर की नियुक्ति तथा छात्रों के प्रवेश प्रयोजनार्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, निरधिसूचित जनजातियों (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के आरक्षण के संबंध में सरकारी नीति तथा समय-समय पर निर्गमित आदेशों को अंगीकृत करेगा ।

(३) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित, समाज के कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यकों, महिला और विकलांग व्यक्तियों के विभिन्न संवर्गों के कल्याण के संबंध में राज्य सरकार की साधारण नीति को अंगीकृत करेगा ।

राज्य सरकार का विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण।

७. (१) राज्य सरकार के पूर्वानुमति के सिवाय, विश्वविद्यालय :—

(क) अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के नवीन पद सृजित नहीं करेगा, जिसका राज्य सरकारी राज्यकोष पर अतिरिक्त वित्तीय दायित्व अधिरोपित हो ;

(ख) अपने अध्यापकों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के जो राज्य सरकार के मंजूर पदों पर नियुक्त किए हैं, को वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्ति के पश्चात् के लाभों या अन्य लाभों को पुनरीक्षित नहीं करेगा ;

(ग) राज्य सरकार के निधि से राज्य सरकार के मंजूर पदों पर नियुक्त अपने किन्हीं अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्ता या अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक, किसी भी अभिवर्णन का, जिसमें वित्तीय आशय के अनुग्रहपूर्वक अदायगी या अन्य लाभ समाविष्ट है, अदा नहीं करेगा ;

(घ) राज्य सरकार से किसी प्रयोजन के लिये किसी निश्चित निधियों को, उसके प्राप्त करने के प्रयोजन से अन्य प्रयोजन के लिये नहीं लगाया जायेगा ;

(ड़) राज्य सरकार से प्राप्त प्रयोजनों जिसके लिये निधि प्राप्त किया है, से अन्य प्रयोजनों के लिये निधियों से किसी विकास कार्य पर व्यय उपगत नहीं करेगा ;

(च) बिक्री या पट्टे द्वारा अचल संपत्ति का अंतरण ;

(२) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के समय-समय पर जारी किये गये नीतियों तथा निदेशों के सामंजस्य में निम्न प्राप्त निधियों से व्यय उपगत करने के लिये सक्षम होगा,—

(क) राज्य सरकार से कोई शेयर या अंशदान प्राप्त किये बिना, विभिन्न निधिकरण एजंसियों से ;

(ख) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये व्यक्तियों, उद्योगों, संस्थाओं, संगठनों या किसी प्रकार के व्यक्ति से प्राप्त अंशदान से ;

(ग) अनुदानित या स्वयं सहाय्यित अकादमिक कार्यक्रमों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा अकादमिक या अन्य सेवाओं के लियें प्रदत्त अंशदान या फीस से ;

(घ) प्रायोजक अनुसंधान और परामर्शी तथा परीक्षण से प्राप्त प्रभार ;

(ड़) विश्वविद्यालय द्वारा, निम्न प्रयोजनों के लिये स्थापित की गई विकास निधि या किसी अन्य निधि से,—

(एक) विभिन्न संवर्गों में पदों के सृजन करने ;

(दो) अपनी निधियों के ज़रिए सृजित पदों पर वेतन, भत्ते तथा अन्य लाभ देने ;

(तीन) आत्मनिर्भरता आधार पर कोई अकादमिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए ;

(चार) उनके कर्मचारियों को, उनके नियमित कर्तव्यों तथा जिम्मेवारियों के अलावा उन्हे समनुदेशित किये गये किन्हीं कार्यों को करने के लिये पारिश्रमिक या प्रोत्साहन देना ;

(पाँच) किसी विकास कार्य या अपने छात्रों या कर्मचारियों के कल्याण गतिविधियों पर व्यय उपगत करना :

परंतु, राज्य सरकार पर कोई भी वित्तीय दायित्व, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तत्काल या भविष्य में का नहीं होगा ।

(३) राज्य सरकार, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालयों में एक जैसा मानक हासिल करने और बनाए रखने के प्रयोजन के लिए **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों और अध्यापकों के वर्गीकरण, चयन, नियुक्ति की रीति और पद्धति, नियुक्ति, अधिष्ठापना और अग्रिम प्रशिक्षण, क्षेत्र अनुभव प्रति/नियुक्ति और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, निरधिसूचित जनजातियाँ (विमुक्त जाति), खानाबदोश, जनजातियाँ और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के पक्ष में पदों का आरक्षण, इनके कर्तव्य, कार्य का बोझ, वेतन, भत्ता, सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ, अन्य लाभ, आचरण और अनुशासनिक विषय तथा अन्य सेवा की शर्तों का उपबंध करते हुए, मानक संहिता विहित कर सकेगी। जब ऐसी संहिता विहित की जाए तो, संहिता में बनाए गए उपबंध लागू होंगे और संहिता में सम्मिलित विषयों के लिए, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियम, आर्डिनेन्स और विनियम में किए गए उपबंध, जहाँ तक वे संहिता के उपबंधों से असंगत है, अविधिमान्य होंगे।

(४) (क) विश्वविद्यालयों, में अध्यापक कर्मचारियों की नियुक्ति के प्रयोजन के लिये अर्हता और अनुभव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, या, यथास्थिति, किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मानदंडों के अनुसार होंगे।

(ख) विश्वविद्यालय में के शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए, अर्हताए और अनुभव, राज्य सरकार द्वारा अधिकथित मानदण्डो के अनुसरण में, परिनियमों में जैसा कि विहित किया जाए ऐसे होंगे।

(५) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, यदि आवश्यक परिस्थितियाँ हो तथा राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती हो तो, वह एक समय पर एक वर्ष से अनधिक और कुल मिलाकर तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिये, रजिस्ट्रार, वित्त तथा लेखा अधिकारियों और परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड के निदेशक के कर्तव्यों का पालन करने के लिए, आवश्यक अर्हताएँ धारण करनेवाले उचित व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर सकेगी।

(६) राज्य सरकार, उच्च शिक्षा संयुक्त सचिव या तकनीकी शिक्षा का संयुक्त सचिव से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी के जरिये, उस विश्वविद्यालय का जाँच या निरीक्षण करने के अधिकार देगी।

(७) धारा ५ में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का अनुपालन करने में विश्वविद्यालय के विफल होने की दशा में या जहाँ विश्वविद्यालय ने, पर्याप्ततः ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का अनुपालन नहीं किया है या राज्य सरकार द्वारा जारी किसी आदेश का अनुपालन करने में विफल हुआ है, या राज्य सरकार आवश्यक समझे ऐसे किन्ही अन्य परिस्थितिओं के अधीन है तो राज्य सरकार उसकी जाँच करेगी और राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर, ऐसी जाँच करने पर जिसे वह आवश्यक समझती है, ऐसी शक्ति का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन या आदेश का अनुपालन करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश जारी किया जा सकेगा ; तथा ऐसे निदेशों का अनुपालन करना विश्वविद्यालय का कर्तव्य होगा । विश्वविद्यालय, निदेशनों का अनुपालन करने में विफल होने के मामले में, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुदेशों का अनुपालन न करने से संबंधित कारणों को लिखित में देने के लिए बुलाएगी। यदि विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कारणों को देने में विफल होती है या राज्य सरकार स्पष्टीकरण से समाधानी नही हैं, तो मामला कुलाधिपती को धारा ८ की उप-धारा (३) के अधीन आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सौंपा जा सकेगा।

(८) राज्य सरकार जैसा कि वह उचित समझे ऐसे नियमित अंतराल पर विश्वविद्यालय को लेखाओं की, लेखा परीक्षण या पूर्ण लेखा-परीक्षा का कार्यान्वयन करेगा ।

अध्याय तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

कुलाधिपति तथा उसकी शक्तियाँ।

८. (१) महाराष्ट्र के राज्यपाल, प्रत्येक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे तथा कुलाधिपति, अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा।

(२) कुलाधिपति, जब उपस्थित हों, विश्वविद्यालय के दीक्षान्त-समारोह की अध्यक्षता करेगा तथा जब कभी, आवश्यक हो, किसी विशिष्ट प्रयोजनों के लिए, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की बैठक बुलाने का कुलपति, को, निदेश जारी कर सकेगा, तथा कुलपति, ऐसी बैठक का कार्यवृत्त कुलाधिपति को, उसके परिशीलन और आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करेगा।

(३) कुलाधिपति,—

(क) धारा (७) की उप-धारा (६) के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार से निर्देशन प्राप्त होने पर ऐसे मामले में ; या

(ख) किसी मामले में **स्व-प्रेरणा** से या अन्यथा कुलाधिपति द्वारा जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी अवधि के भीतर विश्वविद्यालय के ऐसे मामले या किसी मामले या कार्यों से संबंधित कोई रिपोर्ट या स्पष्टीकरण या ऐसी जानकारी और अभिलेख के लिए मँगा सकेगा और ऐसी रिपोर्ट या स्पष्टीकरण, या जानकारी या अभिलेख का विचार करने के पश्चात् उनके अनुपालन के लिए शास्ति के अधिरोपन समेत ऐसा आदेश जारी करेगा। उस पर विश्वविद्यालय या छात्रों के हित में या व्यापक लोक हित में जैसा कि उचित समझें ऐसे आदेश जारी कर सकेगा और उसके आदेश अंतिम होंगे तथा बाध्यकारी होंगे और विश्वविद्यालय द्वारा अविलंब उनका अनुपालन किया जाएगा।

(४) कुलाधिपति, कुलपति से लिखित रिपोर्ट लेने के पश्चात् किसी प्राधिकरण, निकाय, समिति या अधिकारी का कोई संकल्प, आदेश या कार्यवाहियाँ, निलंबित या उपांतरित कर सकेगा, जों उनकी राय में, इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित परिनियमों, आर्डिनेंसों या विनियमों के अनुरूप नहीं है या विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तथा विश्वविद्यालय प्राधिकरण, निकाय, समिति तथा अधिकारी उनका अनुपालन करेंगे :

परन्तु, ऐसा कोई आदेश बनाने से पूर्व, कुलाधिपति, विश्वविद्यालय, प्राधिकरण, निकाय, समिति या, यथास्थिति, अधिकारी को कारण दर्शाने के लिए कहेगा कि ऐसा आदेश क्यों न बनाया जाये, तथा यदि कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर, कोई कारण दर्शाया जाये तो वह उस पर विचार करेगा तथा जहाँ कहीं वह आवश्यक समझता है, राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् इस विषय में की जानेवाली कार्यवाही का निर्णय लेगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।

(५) जहाँ, कुलाधिपति की राय में, किसी नामित या नियुक्त सदस्य का आचरण, किसी विश्वविद्यालय या किसी प्राधिकरण या निकाय या समिति के सुचारु कार्य के लिये अहितकर है, तो वह ऐसे सदस्य को लिखित में अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान करने के बाद तथा ऐसे स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद, यदि कोई हो, तथा अपना समाधान होने के बाद कि, ऐसा करना आवश्यक है तो ऐसा सदस्य, ऐसी अवधि के लिये निरर्ह होगा या जैसा वह उचित समझे उसे निलंबित किया जायेगा।

(६) कुलाधिपति, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जो कि इस अधिनियम द्वारा या के अधीन उसे प्रदत्त या उसमें निहित किया जाए।

शासी बोर्ड के अध्यक्ष, उसकी नियुक्ति और शक्तियाँ तथा कर्तव्य।

९. (१) शासी बोर्ड का अध्यक्ष, राज्य सरकार द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्देशित किया जायेगा और एक अधिक अवधि की पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

(२) शासी बोर्ड का अध्यक्ष, अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित विख्यात परिषद सदस्य, या वैज्ञानिक या आंतर्राष्ट्रिय ख्याति के इंजीनियर, भारत या विदेश में कम से कम दो अकादमिक या वृत्तीक संघटनों में अध्येतावृत्ति प्राप्त करनेवाला, समुचित अकादमिक या वृत्तिक या औद्योगिक दर्जा और मापदण्ड के संबंध में नपातुला शोध छात्र या अनुसंधानकर्ता के रूप में उत्कृष्ट ख्याति प्राप्तकर्ता होनेवाला या वह अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित राष्ट्रीय या आंतर्राष्ट्रिय ख्याति का कम से कम २५ वर्ष का अनुभव रखनेवाला सफल उद्योजक या उद्यमिति या निगमित उद्योग का ५०० करोड से अनिम्न के आवर्तन का वरिष्ठ स्तर पर कार्य करनेवाला निगमित प्रमुख होगा ।

(३) अध्यक्ष का पद सम्मानार्थ स्वरूप का है और वह अवैतनिक होगा ।

(४) अध्यक्ष, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, किसी दीक्षान्त समारोह पर उपाधि प्रदान करने के लिए, अध्यक्षता करेगा और वह शासी बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और शासी बोर्ड द्वारा लिए गए विनिर्णयों का कार्यान्वयन करना और की गई कार्यवाही का रिपोर्ट शासक बोर्ड की आगामी बैठक के समक्ष रखना कुलपति की जिम्मेदारी होगी ।

(५) अध्यक्ष, राज्य सरकार द्वारा या कुलाधिपति द्वारा, समय-समय पर, उसे समनुदेशित किए जा सके ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा ।

(६) अध्यक्ष, कुलाधिपति को संबोधित उसके हस्ताक्षर में लिखित द्वारा एक महीने की सूचना देकर उसके पद से त्यागपत्र दे सकेगा और कुलाधिपति द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकृत किये जाने तक या उक्त सूचना अवधि के निरसन की दिनांक से उसके धारण किये हुये पद से परिविरत होगा, जो भी पहले हो।

(७) अध्यक्ष को, कुलाधिपति द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पदधारी,—

(क) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, उसे इस प्रकार घोषित ठहराया गया है ; या

(ख) नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है ; या

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(घ) शारीरिक रूप से अनुपयुक्त है और दीर्घकालिन बीमारी या शारीरिक विकलांगता के कारण कार्य या पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ है ; या

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में जानबूझकर छोड देता है या अस्वीकार करता है या उप-धारा (५) के अधीन उस पर प्रदत्त कर्तव्यों का अनुपालन करने में और शक्तियों का प्रयोग करने में विफल होते है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या अध्यक्ष को पद पर बनाए रखने से विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है ; या

(च) सदस्य या से अन्यथा सहयोग से किसी राजनैतिक पक्ष, किसी संगठन का होकर राजनैतिकता में हिस्सा लेता है या ले रहा है या किसी राजनैतिक आंदोलन या गतिविधि में सहायता का अंशदान देता है।

स्पष्टीकरण.—इस उप-खंड के प्रयोजन के लिए चाहे कोई पक्ष राजनैतिक पक्ष है या चाहे कोई संगठन राजनैतिकता में हिस्सा लेता हैं या चाहे कोई आंदोलन या गतिविधि इस उपखंड के दायरे में आती है तो, उसपर कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा :

परन्तु, अध्यक्ष को, उक्त पद से हटाने के लिए, खंड (घ) और (ङ) के अधीन कार्यवाही का सहारा लेने के पूर्व कुलाधिपति, द्वारा कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

(८) जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तब, कुलपति नवीन कुलपति नियुक्त होते तक शासन बोर्ड के रूप में कार्य करेगा या यदि बोर्ड नियुक्त नहीं होता है तब कुलपति अध्यक्षता करेगा।

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी ।

१०. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(१) कुलपति ;

(२) रजिस्ट्रार ;

(३) विद्यालयों के संकायाध्यक्ष ;

(४) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड के निदेशक ;

(५) अनुसंधान, अभिनव, उद्‌भवन तथा अनुबंध बोर्ड निदेशक ;

(६) छात्र-विकास बोर्ड के निदेशक ;

(७) ज्ञान स्रोत केंद्र के निदेशक ;

(८) वित्त तथा लेखा अधिकारी ;

(९) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ।

कुलपति और उनकी नियुक्ति ।

११. (१) विश्वविद्यालय का एक कुलपति होगा जो कि अकादमिक प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकारी होगा और अकादमिक परिषद, परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड, अनुसंधान, नवोपक्रम, नवअनुसंधान और साहचर्य बोर्ड, छात्र विकास बोर्ड, वित्त तथा लेखा समिति का पदेन अध्यक्ष होगा तथा वह कुलाधिपति शासी बोर्ड के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाधियाँ प्रदान करने हेतु दीक्षांत-समारोह में बैठक की अध्यक्षता करेगा यदि (कुलाधिपति और अध्यक्ष दोनों अनुपस्थित है तो, कुलपति अध्यक्षता करेगा, ।

(२) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कुलपति के वेतन और भत्ते, सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसे होंगे, जैसा कि राज्य सरकार, समय-समय पर, अवधारित करें।

(३) कुलपति, कुलाधिपति द्वारा निम्न रीत्या में नियुक्त किया जाएगा,—

(क) कुलपति की नियुक्ति के लिए, कुलाधिपति को यथोचित नाम की सिफारिश करने हेतु, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर एक अनुसंधान एवं चयन समिति होगी, अर्थात् :—

(एक) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित सदस्य, ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होगा ;

(दो) उच्च तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित सरकार के प्रधान सचिव की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी ;

(तीन) संयुक्त रूप से, शासी बोर्ड और अकादमिक परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट, संसद के अधिनियम द्वारा नामनिर्देशित राष्ट्रीय ख्याति की अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिक स्थापना में संस्था या संगठन के निदेशक या प्रमुख ;

(चार) **राजपत्र** में प्रकाशित आदेशद्वारा राज्य सरकार द्वारा विनिदिष्ट रीत्या में, विश्वविद्यालय के निधि आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य ;

(ख) खंड (क) के उप-खंड (एक) के अधीन कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित सदस्य समिति का अध्यक्ष होगा ।

(ग) समिति पर नामनिर्देशित किये गये सदस्य व्यक्ति ऐसे होंगे जो किसी प्रकार से विश्वविद्यालय से संबंधित या किसी महाविद्यालय या किसी विश्वविद्यालय की मान्यताप्राप्त संस्था से जुडे नहीं होंगे ;";

(घ) जब तक समिति के सभी तीन सदस्य उपस्थित नहीं रहते हैं, तब तक समिति की कोई बैठक नहीं ली जाएगी।

(घ) समिति पर नामनिर्देशित सदस्य, ऐसे व्यक्ति होंगे, जो कि विश्वविद्यालय से संबंधित न हो।

(ङ) समिति, कुलाधिपति के विचारार्थ, कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पाँच यथोचित व्यक्तियों के पैनल की सिफारिश करेगी। इस प्रकार सिफारिश किए गए व्यक्तियों के नाम वर्णानुक्रम में, बिना किसी वरियता के सूचित किए जाएँगे। रिपोर्ट के साथ पैनल में समाविष्ट किए गए प्रत्येक व्यक्ति की उपयुक्तता पर ब्योरेवार, विवरण संलग्न किया जाएगा।

(च) कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्ति को,—

(एक) सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक और संस्थात्मक वचनबद्धता के उच्च स्तर धारक होगा;

(दो) विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में न्युनतम दस वर्ष के अनुभव या विख्यात अनुसंधान में दस वर्ष के अनुभव के साथ अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई विख्यात परिषद सदस्य और विद्याविषयक नेतृत्व क्षमता होने के सबूत के साथ अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विद्याविषयक प्रशासकीय संगठन के क्षेत्र में दस वर्षों का अनुभव होनेवाला विख्यात विद्याविषयक तज्ञ होगा ;

(तीन) अपने स्वयं के उदाहरण से नेतृत्त्व करने के लिए समर्थ होना चाहिए ;

(चार) दूरदर्शिता देने में समर्थ हो और छात्रों तथा समाज के हित में वास्तव में उसे परिवर्तित करने की क्षमता हो ;

(पाँच) कुलाधिपति के परामर्श से, राज्य सरकार द्वारा, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसी शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव धारण करनेवाला हो :

परंतु शैक्षणिक पात्रतायें और अनुभव, विश्वविद्यालय निधि आयोग या, यथास्थिति, किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा विहित किये गये मानदण्डों से सुसंगत होगा।

(छ) कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता, शर्तो और नाम की सिफारिश की प्रक्रिया को अधिक उपयुक्त उम्मीदवारों की सिफारिश सुनिश्चित करने हेतु व्यापक प्रसिद्धी दी जायेगी ।

(४) कुलाधिपति को समिति द्वारा सिफारिश किए गए पैनल में समाविष्ट व्यक्तियों में से कुलपति के रूप में एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा :

परंतु, यह कि, यदि कुलाधिपति, इस प्रकार सिफारिश किए गए किसी भी व्यक्ति को अनुमोदन नहीं देता है तो उसी समिति से इस प्रयोजन के लिए या तो नयी समिति के गठन के पश्चात्, ऐसी नई समिति से एक नया पैनल मांग सकेगा।

परंतु आगे यह कि यदि कुलाधिपति, इस प्रकार सिफारिश किये गये किसि भी व्यक्तियों को अनुमोदित नहीं करता है तो वह या तो उक्त समिति से नविन पॅनल आमंत्रित कर सकेगा या ऐसी नविन समिति से इस प्रयोजन के लिए एक नविन समिति का उसके पश्चात् गठन करेगा।

(५) कुलपति की रिक्ति होने के संभाव्य दिनांक से कम से कम छह महीनों के पूर्व कुलपति के रूप में नियुक्त होने के लिए यथोचित व्यक्तियों का पैनल तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी और कुलपति की रिक्ति होने के संभाव्य दिनांक से कम से कम एक महीने के पूर्व, कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

(६) रजिस्ट्रार, कुलाधिपति के कार्यालय से परामर्श करके शासी बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ प्रक्रिया प्रारंभ करेगा।

(७) कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति, सेवा संविदा के निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन, जिस दिनांक से वह अपना पद ग्रहण करता है उस दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि के लिए या वह पैंसठ वर्षों की आयु होने तक, जो कोई भी पूर्व का है, पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा ;

(८) कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति, यदि कोई हो, अपनी नियुक्ति के पूर्व अधिष्ठायी पद पर, धारणाधिकार रखेगा।

(९) निम्न किन्हीं परिस्थितियों में, जिसकी विद्यमानता केवल कुलाधिपति द्वारा न्यायोचित ठहराई जायेगी, अर्थात् :—

(एक) जहाँ उप-धारा (३) के खंड (क) के अधीन नियुक्त कोई समिति, कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर, कोई नाम की सिफारिश देने में असमर्थ है ;

(दो) जहाँ कुलपति के पद की रिक्ति उसकी मृत्यू, त्यागपत्र या अन्यथा के कारण होती है तथा जिसे उप-धाराएँ (३) और (४) के उपबंधों के अनुसार, उसे सुविधापूर्वक तथा शीघ्रता से नही भरा जा सकता है ;

(तीन) जहाँ कुलपति के पद की रिक्ति, उसकी छुट्टी, बीमारी या अन्य कारणों से अस्थायी तौर पर होती है ; या

(चार) जहाँ कोई अन्य आपतकालीन स्थिति हो, कुलाधिपति प्राध्यापक से अनिम्न श्रेणी के किसी यथोचित व्यक्ति को अपने आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए ऐसी कुल मिलाकर छह महीनों से अनधिक अवधि के लिये, कुलपति के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा :

परंतु, इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति, उस दिनांक को ऐसा पद धारण करने से परिविरत होगा, जिस दिनांक को उप-धाराएँ (३) और (४) के उपबंधों के अनुसार, कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपना पद ग्रहण करता है या कुलपति पुनः पद ग्रहण करता है ।

(१०) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा तथा राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित वेतन तथा भत्ता और अन्य सुविधाएँ प्राप्त करेगा। इसके अलावा, वह निःशुल्क सुसज्जित आवास, अपने इस्तेमाल के लिए निःशुल्क चालक की सेवा सहित मोटारकार जिसमें उसका रखरखाव, मरम्मत तथा उसके लिए आवश्यक इंधन का समावेश है, का हकदार होगा।

(११) यदि राज्य की समेकित निधि से मानदेय प्राप्त कोई व्यक्ति या विश्वविद्यालय के किसी आचार्य को, कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाता है तो, उसके कुलपति के रूप में उसकी पदावधि के दौरान, उसकी सेवा के निबंधनों तथा शर्तों को उसके अनुकूल बदला नहीं जायेगा।

(१२) पूर्वगामी उप-धाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा (७) में निर्दिष्ट व्यक्ति अपने मूल पद की सेवा के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार सेवानिवृत्त होगा।

(१३) कुलपति, अपने हस्ताक्षर से लिखित में कुलाधिपति के नाम पत्र लिखकर एक महीने का नोटीस देकर अपना पद त्याग सकेगा तथा कुलाधिपति द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकृत होने पर या उक्त नोटीस की अवधि के अवसान के दिनांक से, जो भी पूर्व का दिनांक हो, वह अपना पद धारण करने से परिविरत होगा।

(१४) कुलपति को अपने पद से हटाया जा सकेगा यदि, कुलाधिपति का समाधान हो जाता है कि पदधारी,—

(क) उन्मत हो गया है और ऐसा सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(ख) नैतिक अधमता में अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए न्यायालय में दोषसिद्ध ठहराया गया है ; या

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है और ऐसा सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ;

(घ) शारीरिक दृष्ट्या अस्वस्थ्य है तथा लंबी बीमारी या शारीरिक अशक्तता के कारण कृत्यों के निर्वहन में असमर्थ है ; या

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए जान बूझकर छोड़ दिया है या इंकार किया है या उप-धारा (२) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित की गई सेवा के किसी निबंधनों और शर्तों या किसी अन्य शर्तों का भंग किया है, या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग किया है या विश्वविद्यालय के हित में यदि कुलपति का पद बना रहना अहितकर है ; या

(च) किसी राजनीतिक दल या ऐसी किसी संगठन, जो राजनीतिक में हिस्सा लेता है का सदस्य है या अन्यथा उसमें जुड़ा है या किसी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि की सहायता करने के लिए अंशदान देता है या किसी अन्य प्रकार से सहायता करता है ;

स्पष्टीकरण.— इस उप-खण्ड के प्रयोजनों के लिए, कोई दल चाहे राजनीतिक दल है या कोई संगठन राजनीति में हिस्सा लेता है या कोई आंदोलन या गतिविधि, इस उप-खण्ड की परिधि के भीतर आती है या नहीं इस पर कुलाधिपति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा :

परंतु, कुलाधिपति, उप-खण्ड (घ), (ङ) और (च) के अधीन कुलपति को हटाने का मार्ग अपनाने के पूर्व, उसे कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

कुलपति की शक्तियाँ और कर्तव्य।

१२. (१) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख विद्याविषयक तथा कार्यकारी अधिकारी होगा जो विश्वविद्यालय के विद्याविषयक कार्यक्रमों के विकास के लिये जिम्मेदार होगा । विश्वविद्यालय की कार्य कुशलता तथा बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये वह विश्वविद्यालय के विद्याविषयक कार्यक्रमों तथा सामान्य प्रशासन का निरीक्षण तथा नियंत्रण रखेगा।

(२) वह, विश्वविद्यालय के अन्य कोई प्राधिकरण या निकाय या समिति की किसी बैठक में उपस्थित रहने तथा बोलने का हकदार होगा, किन्तु, वहाँ वह मत देने का हकदार नहीं होगा, बशर्ते वह उस प्राधिकरण या निकाय का अध्यक्ष या सदस्य है।

(३) कुलपति को, जैसा और जब भी ऐसा करना आवश्यक समझें किन्ही प्राधिकरणों, निकायों या समितियों की बैठके बुलाने की शक्ति प्राप्त होगी।

(४) कुलपति, यह सुनिश्चित करेगा कि कुलाधिपति और राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निदेशों का सर्वथा अनुपालन किया जा रहा है, या, यथास्थिति, कार्यान्वित किया जा रहा है।

(५) चूंकि विश्वविद्यालय एक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, कुलपति, मास्टर्स और पी.एच.डी. छात्रों और औद्योगिक परियोजना के मार्गदर्शन समेत बोर्ड के अनुमोदन के साथ अनुसंधान, नवीकरण और परामर्शी का संयोजन करने की अनुमति देगा।

(६) कुलपति का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि शास्ती बोर्ड के निर्देश, यदि कोई हो, और इस अधिनियम, परिनियमों, ऑर्डिनेंस या विनियमों के उपबंधों का सर्वथा अनुपालन हो रहा है तथा प्राधिकरणों, निकायों तथा समितियों का निर्णय, जो कि इस अधिनियम, परिनियमों, आर्डिनेसों या विनियमों से असंगत नहीं है, उनका उचित ढंग से कार्यान्वयन हो रहा है।

(७) कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण, निकाय या समिति द्वारा लिये गये निर्णय या पारित किसी प्रस्ताव के कार्यान्वयन को आस्थगित कर सकेगा यदि उसकी यह राय है कि वे शासी बोर्ड के निर्देशों या इस अधिनियम, परिनियमों, ऑर्डिनेंस या विनियमों के उपबधों से संगत नहीं है या ऐसा निर्णय या प्रस्ताव विश्वविद्यालय के हित में नही हैं तथा संबंधित प्राधिकरण, निकाय या समिति को अभिलिखित कारणों सहित पुनर्विचारार्थ उसकी अगली बैठक में उसे सर्वप्रथम अवसर फिर भेज सकेगा यदि, असमानता बनीं रहती है तो वह सप्ताह के भीतर, कारण बताकर निर्णय के लिये उसे कुलाधिपति प्रस्तुत करेगा और शीघ्र ही संबंधित प्राधिकरण निकाय या समिति के सदस्यों को ऐसा किये जाने की सूचना देगा। कुलाधिपति का निर्णय प्राप्त होने के पश्चात् कुलपति, कुलाधिपति द्वारा यथानिर्देशित कार्यवाही करेगा और तद्नुसार, संबंधित प्राधिकरण, निकाय या समिति को सूचित करेगा।

(८) यदि कुलपति के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति है जिसमें सद्य कार्यवाही करना आवश्यक है या विश्वविद्यालय के हित में यदि कोई कार्यवाही करना आवश्यक हो तो, वह जैसा कि आवश्यक समझें, वह ऐसी कार्यवाही कर सकेगा, और शीघ्र ही अपने विश्वास का आधार कि आपातकालीन स्थिति थी, और उसके द्वारा की गई कार्यवाही को लिखित रूप में ऐसे प्राधिकरण या निकाय को सूचित करेगा जो सामान्यतः इस मामले में कार्यवाही कर सकते थे। कुलपति और प्राधिकरण या निकाय के बीच ऐसा कोई मतभेद होने पर कि क्या वास्तव में ऐसी आपातकालीन स्थिति थी या की गई कार्यवाही पर या जहाँ ऐसी कार्यवाही विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत किसी व्यक्ति पर प्रभाव नहीं

डालती है कोई मतभेद हैं, या दोनों पर मतभेद है, तो यह मामला, कुलाधिपति को निर्देशित किया जाएगा और उसका निर्णय, अंतिम होगा :

परंतु, जहाँ कुलपति द्वारा की गई ऐसी कोई कार्यवाही विश्वविद्यालय में सेवारत किसी व्यक्ति पर प्रभाव डालती है, तो वह व्यक्ति, जिस दिनांक को ऐसी कार्यवाही की सूचना प्राप्त करता है, उस दिनांक से, तीस दिनों के भीतर शासी बोर्ड को अपील करने के लिए हकदार होगा।

स्पष्टीकरण.— इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही, विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होगी।

(९) जहाँ किसी मामले को परिनियम, आर्डिनेंस या विनियम द्वारा विनियमित करने की आवश्यकता है लेकिन उस निमित्त कोई परिनियम, आर्डिनेंस या विनियम नहीं बनाया गया है या जहाँ कहीं परिनियमों, आर्डिनेंसो या विनियमों का संशोधन करना अत्यावश्यक है तो कुलपति, तत्समय के लिए ऐसा निदेश जारी करके, जैसा कि वह आवश्यक समझे, उस मामले को विनियमित कर सकेगा और तदुपरांत, शीघ्र ही वह अनुमोदनार्थ शासी बोर्ड या संबंधित अन्य प्राधिकरण या निकाय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। वह उसी वक्त उसे निमित्त बनाने के लिए आवश्यक परिनियम, आर्डिनेंस या, यथास्थिति, विनियम का प्रारूप उस प्राधिकरण या निकाय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह कि, ऐसा निदेशन, परिनियम, आर्डिनेन्स या, यथास्थिति, विनियमन में सम्परिवर्तित होने के लिए ऐसे निदेशन का निर्गमन छह महीने के भीतर होगा, जिसमें ऐसा निदेशन है, वह न होने पर अपने आप ही व्यपगत होगें।

(१०) कुलपति, विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति करनेवाला और अनुशासनिक प्राधिकारी होगा।

(११) कुलपति, विश्वविद्यालय के सहायक रजिस्ट्रार श्रेणी के या उसके समकक्ष और ऊँचे श्रेणी के पदाधिकारियों की उपर्युक्त में वित्त तथा लेखा अधिकारी पदों को छोडकर, नियुक्ति करनेवाला और अनुशासनिक प्राधिकारी होगा।

(१२) विश्वविद्यालय के शासी बोर्ड को छोडकर प्राधिकरणों या निकायों या समितियों के अध्यक्ष के नाते, किसी सदस्य को, किसी प्राधिकरण, निकाय या समिति की बैठक की कार्यवाहियों में लगातर बाधा डालने या रोकने या ऐसा व्यवहार करने जो कि सदस्य के लिये अशोभनीय है, निलंबित करने की शक्ति कुलपति को प्रदान की गई हैं तथा तद्नुसार, वह कुलाधिपति को मामले की सूचना देगा।

(१३) कुलपति, आर्डिनेन्सों के अधीन यथा उपबंधित आवधिक काल पर विश्वविद्यालय के कार्य का रिपोर्ट, शासी बोर्ड और राज्य सरकार के समक्ष रखेगा ।

(१४) कुलपति को, स्नातकोत्तर, डॉक्टर की उपाधि तथा उच्चतर उपाधियाँ प्रदान करने के लिए शोध-प्रबंध या शोध-निबंध के लिए सिफारिश किये गये निर्णायक पैनल को अनुमोदित करने की शक्ति होगी।

(१५) कुलपति को विश्वविद्यालय के ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की या व्यक्ति निकायों द्वारा जैसा कि वह निदेश दे, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं तथा उपस्करों की तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जानेवाली या मान्यता प्राप्त सभा-भवन या छात्रावास विश्वविद्यालय द्वारा या की ओर से ली जानेवाली परीक्षाएँ अध्यापन और अन्य कार्य, और विश्वविद्यालय के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी मामलों की उसी रीत्या की जानेवाली जाँच करने का अधिकार होगा ।

(१६) कुलपति, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन उस पर प्रदत्त की जाए ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

१३. (१) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का पूर्ण-कालिक अधिकारी होगा और शासी बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जायेगा । रजिस्ट्रार और उनकी शक्तियाँ तथा कर्तव्य।

(२) उप-धारा (१) के अधीन नियुक्ति के लिये रजिस्ट्रार के चयन के प्रयोजनों के लिए अर्हता और अनुभव ऐसा होगा जो समय-समय से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिकथित और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए । रजिस्ट्रार परिनियमों द्वारा यथा विहित प्रयोजनों के लिये गठित चयन समिति की सिफारश पर शासी बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

(३) रजिस्ट्रार, कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा।

(४) रजिस्ट्रार की नियुक्ति, पाँच वर्ष की पदावधि के लिए या अधिवर्षिता की आयु पुरी होने तक, जो भी पहले हो, होगी और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(५) जब रजिस्ट्रार का पद रिक्त होता है या रजिस्ट्रार बीमारी या अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से तीन महीनों से अनधिक अवधि के लिए अपने पद के कर्तव्यों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो, कुलपति जब तक नया रजिस्ट्रार कर्तव्यों को नहीं सँभालता है या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं सँभालता है तब तक रजिस्ट्रार के रूप में स्थानापन्न करने के लिए उचित व्यक्ति को नियुक्त करेगा ।

(६) रजिस्ट्रार,—

(क) शासी बोर्ड, अकादमिक परिषद और ऐसे अन्य प्राधिकरणों, निकायों और समितियों के जैसा कि इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विहित किया जाए सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेगा ;

(ख) अध्यापक, अवकाशेतर अकादमिक कर्मचारियों और सहायक रजिस्ट्रार की श्रेणी के अधिकारियों और उससे समान पद धारण करनेवाले अन्य अधिकारियों से अन्य विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करनेवाला तथा अनुशासन प्राधिकारी होगा । रजिस्ट्रार के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे निर्णय की संसूचना के दिनांक से तीस दिनों के भीतर कुलपति के पास अपील कर सकेगा ;

(ग) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा तथा ऐसी अन्य संपत्ति का अभिरक्षक होगा जिसे शासी बोर्ड उसका प्रभार सुपुर्द करेगी ;

(घ) प्राधिकरणों, निकायों या समितियों द्वारा, समय-समय पर अनुमोदित परिनियमों और विनियमनों की पुस्तिका तैयार करेगा और अद्यतन बनाए रखेगा तथा उन्हें विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सभी सदस्य और अधिकारियों को उपलब्ध करवाएगा ;

(ङ) प्रशासन में सुधार संबंधी शिकायतें और सुझाव प्राप्त करेगा तथा समुचित कार्यवाही के लिए उन पर विचार करेगा ;

(च) विश्वविद्यालय, उसके भवनों, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, ज्ञान साधन केंद्र, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और साधन कुलपति द्वारा यथा निर्देशित ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों या व्यक्तियों के निकाय द्वारा बनाए गए हैं, उनके निरीक्षण के लिए आवश्यक सहायता करेगा ;

(छ) विश्वविद्यालय में अध्यापनेतर कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा दिशानिर्देशन कार्यक्रम का आयोजन करना ;

(ज) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के विनिश्चय के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के निमित्त करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी ;

(झ) विश्वविद्यालय के विकास क्रियाकलापों की रिपोर्ट प्रत्येक छह महीने पर शासी बोर्ड के समक्ष रखेगा ;

(ञ) राज्य सरकार तथा अन्य बाहरी अभिकरणों को प्रस्तुत करने के लिए संकायाध्यक्ष, वित्त तथा लेखा अधिकारी और विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी से विश्वविद्यालय के किसी मामले के संबंध में जानकारी माँगने की शक्ति होगी ;

(ट) इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन यथा विहित या कुलपति द्वारा समय-समय पर उसे समनुदेशित ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा ।

(ठ) रजिस्ट्रार, धारा २३ में दिये अनुसार शासन बोर्ड की बैठकों का सदस्य-सचिव होगा।

विद्यालय के संकायाध्यक्ष।

१४. (१) विश्वविद्यालय, परिनियमों द्वारा समय-समय पर, जैसा कि विहित किया जाए ऐसे विद्यालयों की संख्या गठित करेगा और प्रत्येक ऐसा विद्यालय अकादमिक परिषद के नियंत्रण के अध्यधीन होगा, अध्ययन के समन्वयन के लिए ओर उसके अधीन आनेवाली अध्ययन शाखाओं में अनुसंधान के लिए जिम्मेवार होगा।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, प्रत्येक विद्यालय का संकायाध्यक्ष, परिनियमों द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा ।

(३) प्रत्येक विद्यालय के लिए एक संकायाध्यक्ष होगा जो कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा।

(४) केवल एक पूर्णकालिक प्राध्यापक ही संकायाध्यक्ष के रुप में नियुक्त किया जायेगा क्योंकि वह संकाय में नियुक्ति में सम्मिलित है।

(५) प्रत्येक विद्यालय का संकायाध्यक्ष संकाय के अनुसंधान क्रियाकलापों के मार्गदर्शनार्थ में परिनियमों, विनियमों, आर्डिनेन्सों और नियमों के यथा अनुपालन के लिए जिम्मेवार होगा।

(६) विद्यालय के संकायाध्यक्ष, तीन वर्षों की एक अवधि के लिए पद धारण करेगा।

परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड का निर्देशक और उनकी शक्तियाँ तथा कर्तव्य।

१५. (१) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड का निदेशक, पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह सीधे कुलपति के निर्देशनों तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा । वह परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन अपने कृत्यों का अनुपालन करेगा और वह परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड द्वारा दी गई नीतियों तथा निदेशों के अनुपालन से संबंधित होगा।

(२) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड का निदेशक, परिनियमों में यथा विहित प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य में से कुलपति द्वारा नियुक्ति किया जाएगा।

(३) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड निदेशक की नियुक्ति, पाँच वर्षों कि पदावधि या अधिवर्षिता की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो के लिए होगी :

परंतु आगे यह कि, मृत्यू, त्यागपत्र या अन्यथा के कारण रिक्ति पाई जाने के मामले में कुलपति नए संकायाध्यक्ष की नियुक्ति होने तक सरकारी तौर पर स्थानापन्न निदेशक की नियुक्ति करेगा ।

(४) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड का निदेशक,—

(क) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, परीक्षणों तथा मूल्यांकन के संचालन और उनके परीक्षाफल घोषित करने के लिए मुख्य प्रभारी-अधिकारी होगा ;

(ख) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड का सदस्य-सचिव होगा ;

(ग) परीक्षाओं, परीक्षणों तथा मूल्यांकन करने के लिए और समय पर उनके परिणामों की घोषणा करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(घ) परीक्षा तथा मूल्यांकन कक्ष के परामर्श से परीक्षाओं तथा मूल्यांकन के उचित तथा निर्बाध संचालन के लिए प्रक्रियाएँ प्रस्तुत और कार्यान्वित करेगा ;

(ड.) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड का अनुमोदन लेने के पश्चात्, परीक्षाओं के कार्यक्रम पहले से ही तैयार और घोषित करेगा ;

(च) ऑफलाईन तथा ऑनलाईन दोनों परीक्षाओं के लिए बुद्धिमत्ता (एआय) तकनीक के उपयोग द्वारा वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित प्रश्न बँक से स्वयंनिर्मित प्रश्नपत्र के लिए व्यवस्था करना ;

(छ) कुप्रथाओं की स्थिति में, या परिस्थिति की ऐसी माँग हो तो, परीक्षाएँ भागतः या पूर्णतः स्थगित करना या रद्द करना तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही करना या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध जिसके संबंध में कुप्रथाएँ करने का आरोप है तो, कुलपति के अनुमोदन से कोई सिविल या आपराधिक कार्यवाहियाँ शुरू करेगा ;

(ज) जहाँ आवश्यक हो परीक्षार्थियों, पेपर सेटरों, परीक्षकों, अनुसीमकों या परीक्षा तथा मूल्यांकन से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध और परीक्षाओं तथा मूल्यांकन के संबंध में कुप्रथाओं का दोषी पाए गए किसी व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा ;

(झ) समय-समय पर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं तथा मूल्यांकन के परिणामों का पुनरीक्षण करेगा और उस मूल्यांकन पर परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड को रिपोर्ट भेजेगा ;

(ञ) उस विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए मूल्यांकन के अंतिम दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रत्येक मूल्यांकन के परिणाम घोषित करने और धारा ५३ में यथा उपबंधित परिणाम घोषित करने के मामले में और विलंब के मामले में कारणों की विस्तृत रुप रेखा रिपोर्ट तैयार करेगा ;

(ट) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड द्वारा लिए गए सभी अकादमिक और प्रशासनिक निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए सभी कदम उठाएगा ;

(ठ) परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न विश्वविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करेगा ;

(ड) स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर और अन्य अध्यापन कार्यक्रमों में रुचि आधारित आकलन प्रणाली के संदर्भ में सभी नीति और प्रवर्तनशील निर्णयों का कार्यान्वयन करेगा ;

(ढ) परीक्षाओं, परीक्षणों तथा मूल्यांकन के पेपर सेटींग और संचालन में अध्यापकों के लिए निर्धारण प्रक्रियाओं में नई प्रवृत्तियों से उन्हें परिचित कराने की दिशा में, जैसे कि, संज्ञानात्मक और संकलनात्मक निर्धारण, प्रश्नों को रखने की रचना एवं उपयोग, प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित ऐसे विषयों में कार्यशालाओं का आयोजन करेगा ;

(ण) परीक्षा तथा मूल्यांकन के संचालन की संपूर्ण प्रक्रिया में सूचना तथा संसूचना प्रौद्योगिकी का अभिनव तथा कारगर उपयोग सुनिश्चित करेगा ;

(त) परीक्षाओं तथा परिणामों की प्रक्रिया में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के उचित निर्धारण के लिए व्यवस्था करेगा ;

(थ) यह सुनिश्चित करेगा कि आर्डिनेन्सो में यथा विहित एक यंत्रणा और प्रणाली के ज़रिए सभी स्नातक परीक्षाओं के लिए उत्तर-पुस्तिकाएँ निर्धारित की गई हैं ;

(द) यह सुनिश्चित करेगा कि, विश्वविद्यालय में प्रत्येक अध्यापक तथा अध्यापनेतर कर्मचारी, आवश्यक सहायता करता है और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं तथा मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में कार्य करता है ;

(ध) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड द्वारा उसे समुनदेशित सभी अन्य कर्तव्यों और कृत्यों को कार्यान्वित करेगा ;

(न) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए, विश्वविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा उसे समुनदेशित किसी अन्य कार्य का जिम्मा लेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि, विश्वविद्यालय के उद्देश्य पूरे किए गए हैं ;

(प) इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन यथा विहित या कुलपति द्वारा समय-समय पर, उसे समुनदेशित ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

अनुसंधान, नवपरिवर्तन, उद्भवन और अनुबंध का निदेशक और उसकी शक्तियाँ और कर्तव्य।

१६. (१) अनुसंधान, नवपरिवर्तन, उद्भवन और अनुबंध का निदेशक नवपरिवर्तन की संकल्पना का प्रचार करने के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण और संवर्धन के लिए, उद्भवन की प्रक्रिया के जरिए कार्य करने के प्रतिमानों में नवपरिवर्तनकारी विचारों को परिवर्तित करने के लिए जो उद्यम के सृजन और प्रमुख राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के साथ विश्वविद्यालय के अनुबंध के संवर्धन, स्थापन, पोषण और बल देने के लिए अंतिमतः मार्गदर्शन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(२) अनुसंधान, नवपरिवर्तन, उद्भवन तथा अनुबंध का निदेशक, पूर्ण समय वैतनिक अधिकारी होगा और कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा। परिनियमों में यथा विहित प्रयोजनों के लिये गठित चयन समिति की सिफारिश पर विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों में से कुलपति द्वारा उसे नियुक्ति किया जायेगा ।

(३) अनुसंधान, नवपरिवर्तन, उद्‌भवन तथा अनुबंध के निदेशक की पदावधि पाँच वर्षों की अवधि या अधिवर्षिता की आयु पूर्ण होने के पूर्व, जो भी पूर्व का हो, होगी ।

(४) अनुसंधान, अभिनव, उद्‌भवन और अनुबंध का निदेशक,—

(क) मुख्य अधिकारी होगा जो अपनी गतिशीलता और उत्साह के साथ परिवर्तन, उद्‌भवन और उद्यम केंद्र को अपना नेतृत्व और दूरदर्शिता मुहैया करना ;

(ख) बौद्धिक संपदा अधिकारों और उसके साथ सहयुक्त पहलुओं पर शिक्षा प्रदान करने के लिए जानकारी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अग्रक्रम देना ;

(ग) उद्यमकर्ता के महत्त्व पर जानकारी सृजित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना ;

(घ) जिसके परिणामस्वरूप, छोटे, मध्यम और बडे उद्योग की स्थापना में प्रमाणयोग्य पद्धति के अच्छी कल्पनाओं का उद्‌भवन और संवर्धन के लिए आधार प्रणाली आयोजित करना और सृजित करना ;

(ङ) छात्रों में उद्यमता कौशल्य का सृजन और विकास करने में सम्मिलित राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय निकायों और अभिकरणों के साथ संपर्क सृजन के जरिए काम करना ;

(च) ज्ञान के आधार और उद्योगों के अन्य प्रकार के साथ अनुबन्ध स्थापित करने के लिए सभी कदम उठाना ;

(छ) परिचालन पहलुओं, विधि पहलुओं, बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेंटेंट संबंधित विषय, कारोबार मॉडल सृजन और वित्तिय पहलुओं में युवा उद्यमकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना ;

(ज) राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के प्रमुखों के साथ आंतरराष्ट्रीय अनुबंन्धों को बढावा देने के लिए बोर्ड द्वारा यथा परिकल्पित नीतियों और योजनाओं का कार्यान्वयन करना ;

(झ) विश्वविद्यालय के विभागों से अध्यापकों और छात्रों की राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों या संस्थाओं की भेंट कराने के लिए आवेदन की प्रक्रिया करना और उन्हे ऐसी भेंट के लिए संभार तंत्र आधार पर सहायता देना ;

(ञ) विदेशी छात्रों के लिए विश्वविद्यालय सहायक कक्ष जिसमें विदेशी छात्रों को एकल खिडकी परिचालन की सुविधा दे दी है, उसके प्रशासन का निरीक्षण और मॉनीटर करना ;

(ट) भारत के अन्य भागों में उनकी भेट देने के लिए विश्वविद्यालय के विदेशी छात्रों से प्राप्त आवेदन की प्रक्रिया करना ;

(ठ) देश के अन्य भागों से आनेवाले छात्रों के लिए एकल खिडकी परिचालन को उपबंधित करने के लिए स्थापित प्रवासी भारतीय छात्र विश्वविद्यालय कक्ष के कार्यों का पर्यवेक्षण करना ;

(ड) बोर्ड द्वारा उसे समनुदेशित किया जा सकेगा ऐसा कोई अन्य कार्य हाथ में लेना ;

(ढ) इस अधिनियम द्वारा या के अधीन यथा विहित कुलपति द्वारा समय-समय पर, उसे समनुदेशित ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना।

छात्र विकास बोर्ड के निदेशक और उसकी शक्तियाँ तथा कर्तव्य।

१७. (१) छात्र विकास बोर्ड निदेशक, प्रत्यक्षतः कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण में काम करेगा ।

(२) छात्र विकास बोर्ड के निदेशक, पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा, वह परिनियमों में यथा विहित प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर, अध्यापन में कम से कम दस वर्षो का अनुभव होनेवाले तथा पाठ्यक्रमेतर क्षेत्र में और विस्तारित क्रियाकलापों के क्षेत्र में प्रदर्शन करना चाहनेवाले अध्यापकों में से, कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

(३) छात्र विकास बोर्ड के निदेशक की अवधि पाँच वर्ष की या अधिवर्षिता की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, की होगी ।

(४) छात्र विकास बोर्ड का निदेशक,–

(क) विश्वविद्यालयों के छात्रों के संस्कृति उन्नयन, मनोरंजन और कल्याण क्रियाकलापों के जरिए कार्य करना ;

(ख) छात्रों के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना ;

(ग) विश्वविद्यालय में युवा छात्रों के लिए वहाँ परामर्शदाता और समुपदेशन कक्ष होने की सुनिश्चिति करना ;

(घ) विश्वविद्यालय में रॅगिंग प्रतिबंधित समितियाँ और दस्तों का आयोजन करना और रॅगिंग की रोकथाम करने के सभी आवश्यक उपाय किए गए है की सुनिश्चिति करना ;

(ड.) छात्रों की शिकायतों और सामान्य कल्याण की तरफ ध्यान देना ;

(च) छात्रों का सर्वगुणसंपन्न व्यक्तिमत्व बनाने के लिए मदद करना और भावी नेतागण और आत्मविश्वासी प्रौढ बनने के लिए उन्हें शिक्षा देना ;

(छ) प्रादेशिक और राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ संयुक्त रूप से सांस्कृतिक और मनोरंजन क्रियाकलापों का आयोजन करना ;

(ज) ललित करतब दिखानेवाली कलाएँ, विशुद्ध कलाएँ और साहित्यिक कौशलों का अधिमूल्यांकन करने के लिए नवयुवकों की दिलचस्पी बढ़ाना और उनके कौशल विकास करना ;

(झ) छात्रों के लिए विभिन्न कार्य क्षेत्रों में विश्वविद्यालय राज्य, राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ, कौशल्य विकास कार्यशालाएँ और पारस्परिक क्रिया कार्यक्रमों का आयोजन करना ;

(ञ) राज्य, राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिताओं के लिए, विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाकलापों में छात्रों को प्रशिक्षित करना ;

(ट) विश्वविद्यालय छात्र परिषद के निर्वाचनों का संचालन करना ;

(ठ) शासी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये छात्र विकास बोर्ड की रिपोर्ट तैयार करना ;

(ड) छात्र विकास बोर्ड के उद्‌देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए, विश्वविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा उसे समनुदेशित कर सके ऐसा कोई अन्य कार्य हाथ में लेना ;

(ढ) राष्ट्रीय सेवा योजना के अधीन विभिन्न गतिविधियों के समर्थन, समन्वयन और संचालन के लिये कार्य करेगा ;

(ण) विश्वविद्यालय, राज्य, राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाएँ, परिसंवाद, शिबिर, राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों के लिये प्रतियोगिताएँ आयोजित करेगा ;

(त) छात्रों को राष्ट्रीय सेवा योजना क्रियाकलापों से संबंधित राज्य, राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिये प्रशिक्षण देगा ;

(थ) राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्‌देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य राष्ट्रीय सेवा योजना समन्वयक द्वारा उसे समनुदेशित किये गये किन्हीं अन्य कार्य हाथ में लेगा ;

(द) विभिन्न, क्रीड़ाओं में प्रादेशिक, राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए छात्रों को प्रशिक्षण देना ;

(ध) इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन यथा विहित या कुलपति द्वारा समय-समय से समनुदेशित की गई ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

ज्ञान स्रोत केंद्र निदेशक और उसकी शक्तियाँ और कर्तव्य।

१८. (१) ज्ञान स्रोत केंद्र निदेशक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा और वह विश्वविद्यालय में ज्ञान स्त्रोत केंद्र का प्रभारी होगा । वह प्रत्यक्षतः कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा ।

(२) ज्ञान स्रोत केंद्र निदेशक की सेवा के लिए अर्हताएँ, अनुभव और सेवा के निबंधन, तथा शर्ते पुस्तकालयाध्यक्ष के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा सिफारिश की गई होगी तथा राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत की जायेगी।

(३) ज्ञान स्रोत केंद्र निदेशक की नियुक्ति, कुलपति द्वारा परिनियमों में यथा विहित प्रयोजन हेतु गठित चयन समिति की सिफारिश पर होगी ।

(४) ज्ञान स्रोत केंद्र निदेशक,–

(क) वह ज्ञान स्रोत केंद्र समिति का सदस्य-सचिव होगा और ज्ञान स्रोत केंद्र समिति द्वारा लिये गए निर्णयों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा ;

(ख) वह सभी पुस्तकों, पत्रिकाओं, हस्तलिखितों, हस्तलिपियों, मुद्रित में पत्रिका, श्राव्य पुस्तक और डिजिटल प्ररुप का और ज्ञान स्रोत केंद्र में उपकरणों का अभिरक्षक होगा ;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुस्तके, नियत कालिक, पत्रिका, हस्तलिपियों, जर्नल, और ज्ञान स्रोत केंद्र में उपकरणों की हानियाँ या नुकसान न हो और ज्ञान स्रोत केंद्र में अनियमितता न होने की ऐसी प्रक्रिया और कार्यप्रणाली विकसित करना और कार्यान्वित करना ;

(घ) नियतकालिक पत्रिकाओं के स्टाक का सत्यापन करना, समुचित रिपोर्ट तैयार करना कि जिसमें हानियों का भी समावेश हो, और उसे ज्ञान स्रोत केंद्र समिति के समक्ष रखना ;

(ङ) विश्वविद्यालय ज्ञान स्रोत केंद्र का विकास, आधुनिकीकरण, अनुरक्षण करने और प्रबंधन करने के लिए जिम्मेवार होगा ;

(च) विश्वविद्यालय के ज्ञान स्रोत केंद्र पर संबंधित अधिकारी को सहायता और मार्गदर्शन कर देना ;

(छ) राज्य में अन्य अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों के कौशल्य और ज्ञान को अद्यतन करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन करना ;

(ज) सूचना साक्षरता कार्यक्रमों के जरिए स्रोतों की उपलब्धियाँ, सूचना, तलाशी तकनीकें और डेटाबेस से संबंधित विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के छात्रों के बीच में जानकारी सृजित करना ;

(झ) ज्ञान स्त्रोत केंन्द्र के उद्देश्यों को पूरा करने की सुनिश्चित के लिये विश्वविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा उसे समनुदेशित किसी अन्य कार्य उपक्रमित करना ;

(ञ) इस अधिनियम द्वारा या के अधीन यथा विहित या कुलपति द्वारा समय-समय से, उसे समनुदेशित ऐसी अन्य शक्तीयों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा ;

वित्त तथा लेखाधिकारी और उसकी शक्तियाँ तथा कर्तव्य।

१९. (१) वित्त तथा लेखा अधिकारी, विश्वविद्यालय का मुख्य वित्त, लेखा तथा लेखा परीक्षा अधिकारी होगा । वह पूर्ण कालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा और कुलपति के प्रत्यक्ष के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण में कार्य करेगा ।

(२) वित्त तथा लेखा अधिकारी, धारा ६६ की उप-धारा (२) में यथा उल्लिखित प्रयोजन, के लिए गठित चयन समिति के सिफारिश पर, जो पाँच से अनिम्न वर्षो के व्यावसायिक अनुभव के साथ चार्टर्ड अकाउटंट या लागत अकाउंटंट होगा, या महाराष्ट्र वित्त तथा लेखा सेवामें से उपनिदेशक से अनिम्न श्रेणी का निदेशक प्रतिनियुक्ति पर शासी बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(३) वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति पाँच वर्ष या अधिवर्षिता की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, होगी।

(४) वित्त तथा लेखा अधिकारी,—

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करना तथा विश्वविद्यालय के वित्त संबंधी, कुलपति को सलाह देना ;

(ख) विश्वविद्यालय के अधिकतर उद्देश्यों के लिए कुलपति के अनुमोदन से निधियाँ, संपत्ति तथा विनिधानों जिसमें न्यास तथा विन्यासित संपत्ति सम्मिलित है, धारित करेगा तथा उसका प्रबंध करेगा ;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि किसी वर्ष में विश्वविद्यालय की आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय के लिए निश्चित की गई सीमाओं से अधिक नहीं है तथा समस्त आबंटन जिन प्रयोजनों के लिए अनुदत्त या आबंटित किया गया है उन्ही प्रयोजनों के लिए व्ययित होता है ;

(घ) नकद या बैंक बकायों तथा विनिधानों की स्थिति पर नजर रखना ;

(ङ) राजस्व के संग्रहण की प्रक्रिया तथा प्रगति पर निगरानी द्वारा, प्रभावी राजस्व प्रबंधन को सुनिश्चित करना और इस संबंध में नियोजित की जानेवाली पद्धतियों पर कुलपति को सलाह देना ;

(च) महाराष्ट्र लेखा संहिता के अनुसार खंड (क) से (ङ) के अधीन के कर्तव्यों का पालन करेगा ;

(छ) विश्वविद्यालय के लेखों की नियमित रुप से लेखा संपरीक्षा करना ;

(ज) यह सुनिश्चित करना कि भवनों, भूमियों, उपस्करों, मशीनरी और अन्य अस्तियों के रजिस्टर अद्यतन बनाये रखे जाते है तथा विश्वविद्यालय के सभी कार्यालयों, कार्यशालाओं तथा भण्डारों में के इन अस्तियों तथा अन्य उपभोज्य सामग्री का भौतिक सत्यापन और मेल मिलाप नियमित रूप से संचालित किया जाता है ;

(झ) कुलपति को यह प्रस्ताव करना कि किसी विश्वविद्यालय अध्यापक या दीर्घावकाशेतर अकादमिक कर्मचारीवृंद या विश्वविद्यालयीन सहायक रजिस्ट्रार या उससे समतुल्य या उससे उपर की श्रेणी के किसी अधिकारी से अप्राधिकृत व्यय या अन्य वित्तिय अनियमितताओं के लिए स्पष्टीकरण माँगना ;

(त्र) रजिस्ट्रार को प्रस्तावित करना कि विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारीवृंद, अध्यापकों से अन्य, दीर्घावकाशेतर अकादमिक कर्मचारी और विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी जो सहायक रजिस्ट्रार या उससे समतुल्य या उससे निम्न की श्रेणी का है, उनसे किसी विशेष मामले में अप्राधिकृत व्यय या अनियमितताओं के लिए स्पष्टीकरण माँगना तथा चूक करनेवाले व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश करना ;

(ट) विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय, केंद्र, प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय का विभाग या विश्वविद्यालय संस्था से कोई जानकारी और विवरणियाँ माँगना जिसे कि वह अपने वित्तिय दायित्वों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझता है ;

(ठ) वित्त तथा लेखा समिति की बैठकों का ब्यौरा बनाए रखना ;

(ड) वित्त और लेखा समिति और शासी बोर्ड को वार्षिक वित्तिय प्राक्कलन (बजट), लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के प्रोद्भवन के आधार पर, द्वितीय प्रविष्टि लेखा प्रणाली के द्वारा लेखाओं की तैयारी और बनाए रखने के लिये जिम्मेवार होना ;

(ढ) विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों या निकायों द्वारा राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और ऐसे कोई निकाय जो विश्वविद्यालय को निधि मुहैया करते है, यथा आवश्यक वित्तीय रिपोर्ट तैयार करना ;

(ण) इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन यथा विहित कुलपति द्वारा, समय समय से, उसे समनुदेशित ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

प्राधिकरण, समितियाँ, निकायों के अधिकारी, सदस्य और विश्वविद्यालय के कर्मचारी लोकसेवक होंगे।

२०. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, समितियाँ या निकायों के सभी वैतनीक अधिकारी, सदस्य, अध्यापक और अन्य कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा २१ के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझे जायेगें । (सन् १८६० का ४५।)

आवधिक पद पर नियुक्ति किये गये अन्य अधिकारी का धारणाधिकार एवं उसकी सेवानिवृत्ति।

२१. आवधिक पद पर नियुक्त की गई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व उसने धारण किये हुये स्थायी पद पर का धारणाधिकार कोई हो तो, वह धारित करेगा और ऐसी व्यक्ति, उस पद की सेवा के निबंधन और शर्तों के अध्यधीन उसके मूल पद पर से सेवानिवृत्त होगा ।

स्पष्टिकरण :—इस धारा के प्रयोजन के लिये " आवधिक पद " का तात्पर्य, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन यथा विनिर्दिष्ट जो पद सीमा की अवधि से अधिक कालावधि के लिये धारण नहीं किया जा सकता है ऐसे पद से है ।

अध्याय चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।

२२. विश्वविद्यालय के निम्न, प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :—

(१) शासी निकाय ;

(२) अकादमीक परिषद ;

(३) विद्यालय परिषद ;

(४) परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड ;

(५) अनुसंधान, नवप्रवर्तन, नवसंशोधन और साहचर्य बोर्ड ;

(६) छात्रविकास बोर्ड ;

(७) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के रूप में परिनियमों द्वारा पदाभिहित किये गये विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य निकाय।

शासी निकाय।

२३. (१) शासी निकाय, विश्वविद्यालय की प्रमुख नीति तैयार करनेवाला और कार्यकारी प्राधिकरण होगा और विश्वविद्यालय के प्रशासकीय कार्यकलापों और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये जिम्मेदार होगा, जो किसी अन्य प्राधिकरण कों विशेष रूप से समनुदेशीत नहीं किया गया है।

(२) वर्ष में शासी बोर्ड की कम से कम चार से कम न हो बैठके होंगी।

(३) अपनायी जानेवाली कारोबार करने की प्रक्रिया बैठक में बैठक की गणपूर्ति समेत और बैठक के संबंधी ऐसे अन्य मामले, ऐसे होंगे जैसा कि आवश्यक हो, जिसे परिनियमों द्वारा विहित किया जाये।

(४) शासी बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष—महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामनिर्देशित शासन बोर्ड ;

(ख) कुलपति ;

(ग) निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरींग अनुसंधान संस्था नागपुर या राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला, पुणे या भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिक संस्थान मुंबई के कुलपति चक्रानुक्रम द्वारा हर दो वर्षो के लिये ;

(घ) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग का संयुक्त सचिव या उप सचिव, महाराष्ट्र सरकार ;

(ङ) लक्ष्मीनारायण प्रौद्योगिकी संस्थान नागपूर के दो ख्यातिप्राप्त भूतपूर्व छात्र जिनमें से एक महिला होगी ;

(च) कुलधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया जानेवाला मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य तकनीकी अधिकारी या मुख्य प्रचालन अधिकारी से अनिम्न श्रेणी का एक उद्योग प्रतिनिधि जो मुख्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से होगा ;

(छ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआयसीटीइ) या के अध्यक्ष या तत्स्थानी विनियामक प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशित प्राध्यापक से अनिम्न श्रेणी का एक सदस्य ;

(ज) लक्ष्मीनारायण प्रौद्योगिकी संस्थान नागपूर एलुमिनी संघ का अध्यक्ष ;

(झ) चक्रानुक्रम द्वारा दो वर्षों की अवधि के लिये एक संकायाध्यक्ष ;

(ञ) रजिस्ट्रार-सदस्य सचिव ;

(५) खंड (ड़) और (च) में उल्लिखित सदस्यों का पदावधि नियुक्ति के दिनांक से पाँच वर्षे का होगा और वह पुनर्नामनिर्देशन के लिये पात्र नहीं होगा।

शासी बोर्ड की शक्तियाँ और कर्तव्य।

२४. शासी बोर्ड की निम्न शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात,—

(१) राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर हो रहे अकादमिक, अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप, वित्तीय प्रबंधन और शासन इनमें के लघु और दिर्घकालीन सुधारों को विश्वविद्यालय में सम्मिलित करने के दृष्टि से उनकी समीक्षा करना और उसपर विचार विमर्श करना ;

(२) विश्वविद्यालय के सभी क्षेत्रों मे सुधार करने के लिए प्रचलित यंत्रणाओं का अध्ययन करना और उस संबंध में निर्णय लेना।

(३) जिससे विश्वविद्यालय को विशेषिकृत अध्ययन एवं पाठ्यक्रम हाथ में लेना संभव होगा ऐसे उपबंध करना और जहाँ आवश्यक हो या इष्टकर हो उस संबंध में अध्यापन हेतु और अनुसंधान हेतु आम प्रयोगशालायें, ग्रंथालयें, संग्रहालयें एवं साधनसामग्री का प्रावधान करना और उस संबंध में उपबंध करना ;

(४) अकादमिक परिषद की सिफारिश पर अनुसंधान तथा विशेषीकृत अध्ययन के लिये विद्यालय, विभाग, केंद्र और कक्ष स्थापन करना ;

सन् २०१३ का १८।

(५) संकाय और छात्रों द्वारा अनुसंधान और नवाचार को बढावा देने के लिये कंपनी अधिनियम, २०१३ (सन् २०१३ का १८) की धारा ८ के अधीन कंपनी के निर्माण के लिये आवेदन को मंजुरी देने, और विश्वविद्यालय के नवाचार और उष्मायन केन्द्र या पार्क में स्थापित स्टार्ट-अप द्वारा उन्नीत कंपनीयों में इक्विटी के माध्यम से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को बढ़ावा देना ;

(६) परिनियमों का प्रारूप या संशोधन या परिनियमों का निरसन करने को अनुमोदन और कुलपति के मार्फत कुलाधिपति को उनकी अनुमति हेतु प्रस्तुत करना ;

(७) आर्डिनेन्सो और विनियमों को तैयार करना, उसमें संशोधन करना और उसका निरसन करना ;

(८) विश्वविद्यालय के अस्तियाँ और सम्पतियों का नियंत्रन करना और उसके प्रशासन की व्यवस्था करना ;

(९) वित्त एवं लेखा समिति से प्राप्त उपांतरणो के साथ चर्चा करना और अनुमोदन करना यदि कोई हो, वार्षिक वित्तीय प्राकलन या बजेट अर्थात् राज्य सरकार से प्राप्त हुआ, विश्वविद्यालय निधि और निधि अभिकरणों से स्वतंत्र रूप से प्राप्त हुआ निधि ;

(१०) विश्वविद्यालय की ओर से करार करना, उसमें संशोधन करने, कार्यान्वयन करने और उसे रद्द करने के प्रस्तावों पर विचार करना ;

(११) विश्वविद्यालय के आम मुद्रा का प्ररूप अवधारित करना और उसके उपयोग का उपबंध करना ;

(१२) कोई भी विश्वविद्यालय की ओर से किसी न्यास, वसियत, दान का अंतरण करना और विश्वविद्यालय की किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति का और बौद्धिक संपत्ति का अंतरन स्वीकारना ;

(१३) उसके परिसर और उप-परिसर के लिए आरक्षित निधिओं में से भूमि, भवन और अन्य मुलभूत सुविधाओं के स्वरूप में स्थावर संपत्ति का सृजन करना ;

(१४) वित्त एवं लेखा समिति द्वारा की गयी सिफारश के अनुसार विश्वविद्यालय की ओर से ऋण लेना, ऋण देना या निवेश करना ;

(१५) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय के निपटान में निधियों का उपयोग करने के लिये नीति अधिकथित करना ;

(१६) विश्वविद्यालय के कार्य का संचालन करने के लिये आवश्यक भवन, परिसर, फर्निचर उपकरण और अन्य स्त्रोंतो का उपबंध करना ;

(१७) अकादमिक परिषद द्वारा सिफारिश किये गये मानक उपाधियाँ और अकादमिक विशिष्टता प्रदान करने के लिये अनुमोदन देना ;

(१८) अकादमिक परिषद द्वारा सिफारिश कि गयी ऐसी उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र और अन्य अकादमिक विशेषताओं को संस्थित और प्रदान करना और ऑर्डिनेन्सो द्वारा यथा उपबंधित अनुसार उसे प्रदान करने के लिये दीक्षांत समारोह की व्यवस्था करना ;

(१९) फेलोशिप, यात्रा फेलोशिप, छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, प्रदर्शनियाँ, बक्षीस, पदक और उपहार संस्थित करना और उसे प्रदान करने के लिये विनियम विहित करना ;

(२०) अकादमिक परिषद द्वारा सिफारिश किये गये पारस्परिक लाभप्रद अकादमिक कार्यक्रमों के लिये अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और संघटनो के साथ सहयोग करने के लिये विनियम बनाना ;

(२१) जब आवश्यकता होगी तद्नुसार, विश्वविद्यालय निधियों में से और निधि आपूर्ति करनेवाले अन्य अभिकरणों से (राज्य सरकार को छोडकर) विश्वविद्यालय अध्यापकों की और दिर्घकालीन छुट्टी न होनेवाले अकादमिक कर्मचारियों के पदों को या निर्माण करना और उनकी अर्हताए अनुभव तथा वेतन श्रेणीयाँ विहित करना और परिनियमों द्वारा विहित की गयी चयन प्रक्रिया मार्फत विश्वविद्यालय ने किये हुये चयन और नियुक्तिओं को अनुमोदन देना ;

(२२) जब आवश्यक होगा तब तद्नुसार, विश्वविद्यालय निधियों में से और निधि आपूर्ति करनेवाले अन्य निधि अभिकरणों से (राज्य सरकार को छोडकर) अधिकारी, अध्यापनेतर कौशल्य, प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय कर्मचारी और अन्य पदों का निर्माण करना और उनकी अर्हताए, अनुभव तथा वेतन श्रेणीयाँ विहित करना और परिनियमों द्वारा विहित की गयी चयन प्रक्रिया के ज़रिए विश्वविद्यालय ने किये हुये चयन और नियुक्तिओं को अनुमोदन देना ;

(२३) पेपर सेटर्स और अन्य परीक्षा कर्मचारी वर्ग, निरीक्षक इनके लिये मानदेय पारिश्रमिक, फीस और यात्रा तथा अन्य भत्ते या विश्वविद्यालय को दि जानेवाली अन्य किसी सेवाओं के लिये फीस और प्रभार विहित करना ;

(२४) रजिस्टार से हर छह महीने के बाद प्राप्त हुये विश्वविद्यालय विकास क्रियाकलापों की रिपोर्ट स्वीकारना और उसपर विचार करना ;

(२५) अकादमिक परिषद से प्राप्त अकादमिक कार्यक्रमों के लिये प्रस्तावों का निर्धारण करना और अनुमोदन देना ;

(२६) राज्य सरकार के निधि, विश्वविद्यालय निधि और अन्य अभिकरणों से स्वतंत्र रुप से प्राप्त निधि के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और अनुमोदन देना ;

(२७) परिनियम और ऑर्डिनेन्सो को निकालने, संशोधन करने या निरसन करने को छोडकर, अपनी किन्ही शक्तियों को कुलपति या विश्वविद्यालय के ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को या उसके द्वारा नियुक्त की गयी समिति को जैसा की वह उचित समझे प्रत्यायोजित करना ;

(२८) विश्वविद्यालयीन निधि और निधि आपूर्ति करनेवाले अन्य अभिकरणों से प्राप्त निधि में से सृजित किये गये पदों के संबंध में विश्वविद्यालय के अध्यापनेतर कर्मचारियों के कार्य, कर्तव्य, शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ सुनिश्चित करना ;

(२९) फीस नियतन समिति द्वारा सिफारिश की गयी विभिन्न फीसों को अनुमोदन देना ;

(३०) भूतपूर्व छात्र, लोकहितेशी, उद्योग और अन्य हितसंबंधितों से दान, उपहार और अन्य प्ररुप में वित्तीय समर्थन स्वीकार करना और ऐसे दान, उपहार आदि को स्वीकृत करने के लिये विश्वविद्यालयों द्वारा अनुपालन की जानेवाली प्रक्रिया विहित करना ;

(३१) छात्रों का चार्टर विकसित करना और स्वीकृत करना ;

(३२) विश्वविद्यालय की वार्षिक लेखापरीक्षा के लिये संविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति करना ।

(३३) सरकारी बोर्ड द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक विभाग या केंद्र की द्विवार्षिक बाहरी सहकर्मी समीक्षा करना। बोर्ड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुमोदित अभिकरण में श्रेणी के परिणामों की भी समीक्षा करेगा और सुधारात्मक कार्यवाही का सुझाव देगा।

२५. (१) अकादमिक परिषद, विश्वविद्यालय की प्रमुख अकादमिक प्राधिकरण होगी तथा विश्वविद्यालय में अध्यापन, अनुसंधान और मूल्यांकन का स्तर विनियमित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेवार होगी। वह अध्यापन, अनुसंधान, विस्तार, अकादमिक मामलों में सहयोगी कार्यक्रमों के स्तर को बनाए रखने तथा उनमें सुधार लाने से संबंधित अकादमिक नीतियाँ अधिकथित करने और अध्यापकों के काम के बोझ का मूल्यांकन करने के लिए भी उत्तरदायी होगी। अकादमिक परिषद।

(२) अकादमिक परिषद की वर्ष में कम से कम चार बैठकें होगी।

(३) अकादमिक परिषद, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) कुलपति-अध्यक्ष ;

(ख) सभी विद्यालयों के संकायाध्यक्ष ;

(ग) सभी विश्वविद्यालय विभागों और विश्वविद्यालय केंद्रों के प्रमुख ;

(घ) कुलपति, कुलाधिपति के अनुमोदन से छह अध्यापकों को नामनिर्दिष्ट करेगा जिनमें से दो प्राध्यापक, दो सहयोगी प्राध्यापक और दो सहायक प्राध्यापक जो विद्यालय परिषद के सदस्य नहीं होगे :

परंतु, नामनिर्देशित किये जानेवाल छह शिक्षकों में से एक चक्रानुक्रम द्वारा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या निरधिसूचित जनजाति (*विमुक्त जाति*) या खानाबदोश जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्ति होगा ;

(ङ) राष्ट्रीय ख्याति की संस्थाओं या संगठनों से जैसे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (आयआयटी) भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, (आयआयएसईआर) भारतीय प्रबंधन संस्थान, (आयआयएम) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, (आयएसआरओ) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान, भारतीय कंपनी सेक्रेटरीज संस्थान, भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद, औद्योगिक संघ, वृत्तिक संस्था, भारतीय ओलिम्पिक संघ और संबद्ध क्षेत्रों और यथाशीघ्र संभव शासी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट सभी संकायों और उद्योंगों का प्रतिनिधित्व करनेवाले से विख्यात छह विशेषज्ञ ;

(च) तकनीकी शिक्षा निदेशक या उसका नामनिर्देशिति, तकनीकी शिक्षा के संयुक्त निदेशक की श्रेणी से निम्न का न हो ;

(छ) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड का निदेशक ;

(ज) अनुसंधान, अभिनव, उद्‌भवन और साहचर्य निदेशक ;

(झ) रजिस्ट्रार-सदस्य-सचिव ।

अकादमिक परिषद की शक्तियाँ और कर्तव्य।

२६. (१) अकादमिक परिषद की निम्न शक्तियाँ तथा कर्तव्य होगें, अर्थात् :—

(क) यह सुनिश्चित करना कि, विश्वविद्यालय यह अनुसंधान और विकास, उद्योगों के साथ पारस्पारिक क्रिया तथा साहचर्य रखनेवाला बौद्धिक संपदा अधिकारों का संवर्धन और ज्ञान से जुड़े उद्योगों के नवसंशोधन करनेवाला मध्यवर्ती केंद्र होगा ;

(ख) विद्यालय परिषद द्वारा यदि कोई हो, उसके निर्दिष्ट मामलें के ज़रिए विचार करना और उपांतरणों से अनुमोदन देना ;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि, सभी प्रमाणपत्रों, डिप्लोमा, उपाधियों, स्नातकोत्तर कार्यक्रमों और अन्य अकादमिक उपाधियों के लिए श्रेयांक आधारित चयन प्रणाली हो ;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि, सभी विद्यालयों और विश्वविद्यालय विभागों में अनुसंधान करने तथा उद्यमकर्ता की रूची बढ़ाना हो ;

(ङ) फीस नियतन समिति के जरिए विद्यालयों के संकायाध्यक्ष द्वारा यथा सिफारिश पर फीसों, अन्य फीसों तथा प्रभारों की शासी बोर्ड को सिफारिश करना ;

(च) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों तथा अन्य अकादमिक उपाधियों को संस्थित करने की शासी बोर्ड को सिफारिश करना ;

(छ) शासी बोर्ड को अकादमिक मामलों से संबंधित ऑर्डिनेन्सों के प्ररुप का प्रस्ताव देना ;

(ज) अकादमिक मामलों से संबंधित ऑर्डिनेन्सों और विनियमों को बनाना, उसमें संशोधन करना, या निरसित करना ;

(झ) संकायों को विषयों का आबंटन करना ;

(ञ) परीक्षा और मूल्यांकन के संचालन से संबंधित पेपर-सेटरों, परीक्षकों, अनुसीमकों और अन्य की नियुक्ति के लिए अर्हताएँ और मानक विहित करना ;

(ट) विश्वविद्यालय की निधियों में से और अन्य निधि अभिकरणों (राज्य सरकार को छोडकर) से प्राप्त निधि से विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक विश्वविद्यालय अध्यापकों और गैर-अवकाश अकादमिक कर्मचारिवृन्द के पदों के सृजन के लिए विचार करना तथा शासी बोर्ड को सिफारिश करना और उनकी अर्हताएँ अनुभव और वेतनमानों को विहित करना ;

(ठ) प्रत्येक विद्यालय के लिए अनुसंधान और मान्यता समिति की नियुक्ति करना ;

(ड) अकादमिक परिषद द्वारा यथा तैयार बहुपाठ्यक्रम परिप्रेक्ष्य योजना की शासी बोर्ड को सिफारिश करना ;

(ढ) उसके द्वारा निर्दिष्ट नये पाठ्क्रमों, आंतर शाखीय पाठ्यक्रमों और लघु-सत्र प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनुमोदन देना ;

(ण) संबंधित विद्यालय द्वारा सिफारिश किए गय पाठ्यक्रम, पाठ्य विवरण, पेपर सेटरों, परीक्षकों और अनुसीमकों तथा विभिन्न पाठ्यक्रम की मूल्यांकन योजना को अनुमोदन देना ;

(त) मुख्य और (बहुविकल्पी) लघु उपाधि कार्यक्रमों को अनुमोदन देना।

(थ) विश्वविद्यालय को सभी अकादमिक मामलों पर सलाह देना, अकादमिक कार्यक्रमों पर साध्यता रिपोर्ट शासी बोर्ड को प्रस्तुत करना ;

(द) सभी अकादमिक कार्यक्रमों के लिए, पसंद आधारित चयन श्रेयांक देनेवाली प्रणाली के लिए नीति, प्रक्रिया तथा पद्धति का सृजन करना ;

(ध) देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों में गतिशीलता लाने के लिए नीति निर्माण करना और देश में विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभागों, विद्यालयों, केंद्रों से अलग-अलग पाठ्यक्रम मापदंडों को चुनने तथा शिक्षा में लचीलापन देने के लिए भी नीति अधिकथित करना ;

(न) शिक्षा का अधिक सुगम्य पहुँच मार्ग और उपाधि पूरी होने का न्युनतम और अधिकतम अवधि तथा अन्य अकादमिक कार्यक्रमों के साथ 'अध्ययन की ग्रहणीय, का परिचय कराने की प्रक्रिया, नीति तथा पद्धतियों का हल निकालना ;

(प) यह सुनिश्चित करना कि, स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए अनुसंधान परियोजना पसंद आधारित मापदण्डों का एक अनिवार्य हिस्सा हो ;

(फ) चालू अकादमिक वर्ष के अवसान के तीन महीने पूर्व विनियामक प्राधिकरणों के मार्गदर्शन के अनुसार, पश्चातवर्ती अकादमिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय का अकादमिक कॅलेंडर तैयार करना ;

(ब) विद्यालयों, केंद्रो, अनुसंधान और विशेषीकृत अध्ययनों की स्थापना करने के लिए शासी बोर्ड को सिफारिश करना ;

(भ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम, परिनियम, आर्डिनेन्स तथा विनियमों द्वारा या के अधीन उसे प्रदत्त की जायेगी या उसपर अधिरोपित की जायेगी।

(२) अकादमिक परिषद, वित्तीय विवक्षाओं समेत सभी मामले या निर्णय वित्त और लेखा समिति के ज़रिए शासी बोर्ड को अनुमोदन के लिए निर्देशित करेगी।

२७. (१) प्रत्येक विद्यालय के लिए यथा विहित विद्यालय परिषद होगी। विद्यालय परिषद, विश्वविद्यालय का प्राथमिक अकादमिक निकाय होगा । विद्यालय परिषदें।

(२) विद्यालय परिषद, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) विद्यालय के संकायाध्यक्ष-अध्यक्ष ;

(ख) विद्यालय के विभाग प्रमुख और विभागों में से केंद्रो ;

(ग) जिसे अध्यापन और अनुसंधान में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हे, चक्रानुक्रम द्वारा, विभाग, केंद्र के प्रमुख द्वारा नामनिर्देशित विद्यालय के प्रत्येक विभाग और केंद्र से एक अध्यापक ;

(घ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विद्यालय के सुसंगत विषयो में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आयआयटी) या भारतीय विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्था (आयआयएसईआर) या राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान (एनआयटी) या भारतीय संसूचना प्रौद्योगिकी संस्था (आयआयआरटी) या टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्था (टीआयएफआर) या लोक विश्वविद्यालय से एक प्राध्यापक ;

(ङ) संबंधित विद्यालय के संकायाध्यक्ष से परामर्श में, कुलपति द्वारा नामनिर्देशित पाँच विशेषज्ञ, यथा निम्न है :—

(एक) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में कार्यरत, सहयोगी प्राध्यापक से अनिम्न श्रेणी के, अनुसंधान और विकास (आरॲन्डडी) से एक अनुसंधान वैज्ञानिक ;

(दो) विषय में एक विख्यात शोध छात्र जो वृत्तिक निकाय या संघ का सदस्य है ;

(तीन) उद्योग से संबंधित विषयों में से एक विख्यात व्यक्ति ;

(चार) विषय से संबंधित क्षेत्र में कार्य या स्वामित्व या सलाह या परामर्श में कम से कम दस वर्षो का अनुभव होनेवाली एक व्यक्ति ;

(पाँच) एक असाधारण भूतपूर्व छात्र ;

(च) विद्यालय के सभी विभागों में से, तत्काल पूर्ववर्ती अंतिम वर्ष की उपाधि परीक्षा के स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का सर्वोत्कृष्ट छात्र पश्चात्‌वर्ती एक वर्ष के लिए उस विषय या विषयों के समूह के पाठ्यक्रम तयार करने या पुनरीक्षण पर विचारविमर्श के लिए निमंत्रिति सदस्य ।

विद्यालय परिषद के कृत्य और कर्तव्य।

२८. विद्यालय परिषद की निम्न शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे, अर्थात् :–

(१) अकादमिक परिषद के ज़रिए शासी निकाय को डिप्लोमा, उपाधि, अनुसंधान आदि नए अकादमिक कार्यक्रमों के प्रस्तावना की सिफारिश करना ;

(२) संकाय और छात्रों द्वारा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिये कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा ८ के अधीन कंपनीयों के निर्माण के लिये आवेदन को मंजुरी देने के लिये शासी बोर्ड को सिफारिश करने और विश्वविद्यालय के नवाचार और उष्मायान, केन्द्र या पार्क में उद्‌भवन कंपनियो से समानता और उचित मुआवजा दे देना।

(३) डिप्लोमा, उपाधि या अन्य अकादमिक कार्यक्रमों, जो असंगत हो गए है, समाप्त करने की अकादमिक परिषद के ज़रिए शासी बोर्ड को सिफारिश करना ;

(४) विभिन्न पाठ्यक्रमों के पाठ्क्रम अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम संरचना और मूल्यांकन योजनाओं से संबंधित अकादमिक परिषद को सिफारिश करना ;

(५) पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए उपयोगी संदर्भ किताबे या पूरक पढाई किताबें और ऐसी अन्य सामग्री की सिफारिश करना ;

(६) पाठ्यक्रम की वृद्धि, या निरसन या अद्यतन के संबंध में उपांतरण की अकादमिक परिषद को सिफारिश करना ;

(७) अकादमिक परिषद द्वारा अधिकथित मानदण्डों के आधार पर विश्वविद्यालय परीक्षाएँ और मूल्यांकन के लिए पेपर सेटर, परीक्षक, और परीक्षा नियंत्रक का पैनल तैयार करना और उनकी परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड को सिफारिश करना ;

(८) गर्मी और सर्दी की छुट्टीयों में, विषय में अनुकूलन संघठन और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का संबंधित विद्यालय के संकायाध्यक्ष को सुझाव देना ;

(९) पुस्तकालय, प्रयोगशालायों से संबंधित पाठ्यक्रमों के संबंध में उपस्कर से संबंधित आवश्यकताओं को तैयार करना ;

(१०) पाठ्यक्रम प्रस्तावना के संबंध में विस्तारित कार्यक्रमों का सुझाव देना ;

(११) उद्योग या निगम या संस्था की आवश्यकताओं को समझना और समय की आवश्यकता से संबंधित अध्यापन-अध्ययन बनाने के लिए उनको अभ्यासक्रम में निगमित करना ;

(१२) सूचना और संचारण प्रौद्योगिकी साधनों के उपयोग द्वारा सहयोग और सहभागिता के द्वारा अध्ययन को बढ़ावा देना ;

(१३) प्रत्येक शाखा के लिए पाठ्यचर्या, आरेखन करना,– व्यावसायिक विषय जोड़ना, कौशल विकास कार्यक्रम और अपेक्षित निपुणता के स्तर अनुकरण करने का न्युनतम अवधि विहित करना ;

(१४) अकादमिक परिषद को गुणवत्ता नियंत्रण मानदण्ड के रिपोर्ट देना।

परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड।

२९. (१) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड, परीक्षाओं तथा मूल्यांकन से संबंधित सभी मामलों का निपटान करेगा । परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड, विश्वविद्यालय विभागों में परीक्षाओं के संचालन का भी निरीक्षण करेगा ।

(२) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड, प्रत्येक अकादमिक वर्ष में कम-से-कम दो बार या जैसे और जहाँ आवश्यक है बैठक बुलाएगा, बैठक की गणपूर्ति छह सदस्यों से होगी।

(३) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति – अध्यक्ष ;

(ख) सभी विद्यालयों के संकायाध्यक्ष ;

(ग) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय विभागों और या केंद्रों के दो प्रमुख ;

(घ) शासी बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित किया जानेवाला अन्य विश्वविद्यालय से या विख्यात उच्चतर अध्ययन की अन्य संस्था के संकाय अकादमिक संकायाध्यक्ष में से एक परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड का निदेशक ;

(ड़) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जानेवाला, विद्यालय के संकायाध्यक्ष या विभाग प्रमुख से अन्य प्रत्येक विद्यालय का एक अध्यापक ;

(च) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक मूल्यांकन विशेषज्ञ ;

(छ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित रसायन प्रौद्योगिकी संस्था, मुंबई के एक विशेषज्ञ ;

(ज) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड के निदेशक-सदस्य सचिव।

परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड के कृत्य तथा कर्तव्य।

३०. (१) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड की शक्तियाँ तथा कर्तव्य निम्न होंगे ; अर्थात् —

(क) प्रभावी तथा समयबद्ध रीति में छात्रों के निष्पादन के निर्धारण से संबंधित कार्य करने के लिये नीति, प्रक्रिया तथा क्रियात्मक योजना का आविष्कार करना ;

(ख) परिसीमन, तालिकाकरण, मूल्यांकन तथा समय में परिणामों की घोषणा समेत, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं तथा संपरीक्षाओं के पर्याप्त संगठन को सुनिश्चित करना ;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय अनुमान (बजट) के निर्वहन के लिये परीक्षाओं तथा मूल्यांकन से संबंधित वित्तीय अनुमान तैयार करना और वह वित्त तथा लेखा समिति को प्रस्तुत करना ;

(घ) परीक्षाओं के संचालन के दौरान कडी निगरानी रखने, जिससे छात्रों, अध्यापकों, निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों आदि द्वारा अनुचित उपयोग को रोका जा सके, के लिये प्रबन्ध करना ;

(ड़) अध्यापकों द्वारा मॉड्यूलर संरचना में आकलन निर्धारण के लिये तथा प्रश्न बँक के भण्डार का सृजन तथा प्रभावी उपयोग समेत निर्धारण और मूल्यांकन की संपूर्ण प्रक्रिया के लिये कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिये, प्रक्रिया स्थापित करना तथा क्रियात्मक प्रक्रिया का अविष्कार करना ;

(च) यह सुनिश्चित करना कि उत्तर पुस्तिकाओं का निर्धारण, गोपनीयता के उद्देश्य की सुनिश्चित के लिये, उत्तर पुस्तिकाओं के प्रच्छादन तथा अप्रच्छादन के अनुसरण द्वारा केन्द्रीय निर्धारण प्रणाली के ज़रिए केन्द्रीयतः या किन्ही अन्य विकल्पी प्रणाली द्वारा किये जायेंगे ;

(छ) परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रणाली अधिक कार्यक्षम और पारदर्शि बनाने के क्रम में परीक्षा तथा मूल्यांकन सुधार हाथ में लेना ;

(ज) संबंधित विद्यालय परिषद द्वारा तैयार किये गये पॅनेल में समाविष्ट व्यक्तियों में से पेपर सेटर्स, परीक्षकों तथा परिसीमकों को नियुक्त करना तथा जहाँ आवश्यक हो, उप-धारा (६) के खण्ड (ख) के अधीन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उन्हें हटाना या प्रवर्जित करना ;

(झ) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड के निर्देशक द्वारा बनाये गये परीक्षा तथा मूल्यांकन के विस्तृत कार्यक्रम अनुमोदित करना ;

(ञ) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड के निदेशक द्वारा भेजे गये विश्वविद्यालय परिक्षाओं के परिणाम के पुनरीक्षण की रिपोर्ट ध्यान में लेना ;

(ट) परीक्षा तथा मूल्यांकन के संचालन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई तथा विनिश्चय करना ;

(ठ) इस अधिनियम द्वारा या के अधीन समनुदेशित किये जा सके ऐसी परीक्षा तथा मूल्यांकन के संबंध में ऐसी अन्य शक्तियाँ प्रदत्त करना ;

(२) किसी आपत्ति मामले में जिसमें सद्य कार्यवाही अपेक्षित है, बोर्ड के परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड के निदेशक या उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी या व्यक्ति, ऐसी कार्यवाही करेगा जिसे वह उचित तथा आवश्यक समझता है तथा अपने द्वारा ली गई कार्यवाही के बारे में शासी बोर्ड की अगली बैठक में रिपोर्ट देगा।

(३) (क) पेपर-सेटर्स, परीक्षकों तथा परिसीमकों की नियुक्ति करने के लिये, परीक्षा बोर्ड प्रत्येक संकाय के लिये समितियों का गठन करेंगी, जो निम्न से मिलकर बनेगी —

(एक) संबंधित विद्यालय का संकायाध्यक्ष-अध्यक्ष ;

(दो) विभागों के प्रमुख ;

(तीन) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड का निदेशक, ऐसी समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा ।

(ख) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड या इस धारा के अधीन गठित समिति का कोई भी सदस्य, पेपर-सेटर, परीक्षक, अनुसीमक या रेफरी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा :

परंतु, पाठ्यक्रम अध्यापक अकादमिक अवधि में उसके द्वारा निर्देशित पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्र तैयार करेगा :

परंतु आगे यह कि, कुलपति को, परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड या इस धारा के अधीन गठित समिति के सदस्य को, पेपर-सेटर, परीक्षक, परीसीमक या रेफरी के रूप में, जहाँ कोई अध्यापक जो परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड या समिति का सदस्य न हो, या उपलब्ध न हो तो, नियुक्त करने की शक्ति होगी ।

(४) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं तथा छात्रों के मूल्यांकन से संबंधित परिनियमों द्वारा यथा विहित आवश्यक सहायता और सेवाएँ प्रस्तुत करना, विश्वविद्यालय, के प्रत्येक अध्यापक और अध्यापनेतर कर्मचारियों पर बाध्यकारी होगा । इस संबंध में, यदि कोई अध्यापक या अध्यापनेतर कर्मचारी विश्वविद्यालय के आदेश का अनुपालन करने में विफल हो तो, इसे अवचार माना जायेगा और कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये दायी होगा । इस संबंध में विश्वविद्यालय के आदेश का अनुपालन करने में, किन्ही संबद्ध महाविद्यालयों के अध्यापक तथा अध्यापनेतर कर्मचारी के कर्तव्य पर विफल होने के मामले में, कुलपति को, उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की शक्ति होगी, जिसमें परिनियमों द्वारा विहित कि जाये ऐसी शास्तियों का अधिरोपण तथा अध्यापक की नियुक्ति के अनुमोदन का निलंबन का समावेश हो सकेगा।

(५) (क) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके ओर की परीक्षाओं या छात्रों के मूल्यांकन या औपचारिक अभ्यास के संबंध में सहायता या सेवा देने के लिये, विश्वविद्यालय के आदेश का अनुपालन करने में विफल होने के लिये और परीक्षा-पूर्व स्तर और परीक्षोत्तर स्तर या अन्य स्तर, चाहे जो कोई भी हो, के समेत, परीक्षाओं के संचालन से संबंधित उम्मीदवारों, पेपर-सेटर्स, परीक्षकों, अनुसीमकों, रेफरी, अध्यापकों या किन्हीं अन्य व्यक्तियों की ओर से हुई गलतियों की जाँच करने और अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये, परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड, पाँच व्यक्तियों से अधिक न हो, एक समिति गठित करेगा जिसमें से एक सभापति होगा;

(ख) ऐसी समिति, अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें कुलपति को प्रस्तुत करेगी, जो, परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड के निदेशक को, कदाचार में अंतर्ग्रस्त, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को प्रस्तावित करेगी और निदेशक, परीक्षा या मूल्यांकन बोर्ड के निदेशक कुलपति के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये अग्रसर होगा।

३१. (१) नवपरिवर्तन की संकल्पना के प्रचार के लिए तथा उद्‌भवन की प्रक्रिया के ज़रिए जो अंतिमतः उद्यम के निर्माण के लिए नेतृत्त्व करेंगे ऐसे नवपरिवर्तनात्मक विचारों को आदर्श कार्य में बदलने के लिए अनुकूल वातावरण के सृजन और संवर्धन के लिए एक अनुसंधान, नवपरिवर्तन, उद्‌भवन और अनुबंध बोर्ड होगा। अनुसंधान, नवपरिवर्तन उद्‌भवन और अनुबंध बोर्ड ।

(२) विश्वविद्यालय, अनुसंधान, नवपरिवर्तन, उद्‌भवन और अनुबंध बोर्ड के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए अनुसंधान, नवपरिवर्तन, उद्‌भवन और अनुबंध के लिए एक स्वतंत्र केंद्र स्थापित करेगी। केंद्र, समय-समय पर, विश्वविद्यालय द्वारा जैसा कि समनुदेशित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

(३) अनुसंधान, नवपरिवर्तन, उद्‌भवन और अनुबंध बोर्ड, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्,—

(क) कुलपति-अध्यक्ष ;

(ख) सभी विद्यालयों के संकायाध्यक्ष ;

(ग) विनिर्माण, संसूचना तथा संप्रेषण प्रोद्योगिकी, जैव-वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संबंधी विज्ञान, कृषि-उद्योग, प्रबंधन, सेवा उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क, अनुसंधान पार्क, और उद्यम केंद्रों और अन्यों से प्रबंधन बोर्ड द्वारा नामनिर्देशत पाँच से अनधिक विख्यात उद्योगपति, वरिष्ठ उद्योग कार्मिक ;

(घ) प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जानेवाले उद्योग, कार्पोरेट या बँक से एक मुख्य वित्त अधिकारी या उसके समतुल्य अधिकारी ;

(ङ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किए जानेवाले, विश्वविद्यालय विभागों केंद्रों से दो अध्यापक जो अनुसंधान और विकास तथा नवपरिवर्तन में सक्रीय है ;

(च) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किए जानेवाले, अनुसंधान और विकास संघठन में से दो व्यक्ति ;

(छ) शासी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जानेवाले दो प्रख्यात भूतपूर्व छात्र जो सफल उद्यमी है ;

(ज) महाराष्ट्र सरकार के कौशल्य विकास और उद्यमिता विभाग के कौशल्य विकास निदेशालय के आयुक्त या उसके नामिति ;

(झ) अनुसंधान, नवपरिवर्तन, उद्‌भवन और अनुबंध बोर्ड के निदेशक-सदस्य सचिव।

(४) बोर्ड, वर्ष में, चार से अनिम्न बैठकें आयोजित करेगा।

३२. अनुसंधान, नवपरिवर्तन उद्‌भवन और अनुबंध बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य और कर्तव्य होंगे, अर्थात् :— अनुसंधान, नवपरिवर्तन उद्‌भवन और अनुबंध बोर्ड के कृत्य और कर्तव्य।

(क) विश्वविद्यालय में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दिर्घावधि नीति तथा योजना पर कार्य करना ;

(ख) आगामी क्षेत्रों में, व्यक्तिगत और समूह स्तर पर अनुसंधान शुरू करने के लिए अध्यापकों को सलाह देना तथा बढ़ावा देना ;

(ग) अध्यापकों के बीच समन्वयीकरण के द्वारा आंतर-आनुशासनिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और अनुसंधान तथा विकास मूलभूत संरचना के अंश विभाजन के लिए सुस्पष्ट नीति बनाना ;

(घ) अनुसंधानकर्ता छात्रों के लिए सभी शिक्षा शाखाओं में अनुसंधान सेमिनार आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय विभागो, केंद्रो को प्रोत्साहित करना ;

(ङ) विभिन्न शिक्षा शाखाओं के लिए अनुसंधान पत्रिका, प्रबंध प्रकाशित करना ;

(च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य विनियामक निकायों के मानदण्डो के परामर्श से पी.एच.डी उपाधि के लिए अनुसंधान दर्जा बनाए रखने के लिए नीतियों पर निर्णय लेना ;

(छ) एक स्वचलित प्रणाली या समूह क्रियाकलाप के रूप में या उद्योग और अन्य अनुसंधान ओर विकास प्रयोगशालाओं के सहयोग में विश्वविद्यालय विभागों/विद्यालयों में कृत कार्य के लिए अनुसंधान और विकास डाटाबेस के सृजन पर कार्य करना ;

(ज) छात्रों को अध्ययन और अनुकूलन पर आमनेसामने शिक्षा और इ-अध्ययन, इ-अध्ययन का प्रभाव और आभासी कक्षा खुला दूरस्थ/ऑनलाईन अध्ययन और पारम्पारिक शिक्षा के परिदान में अनुसंधान योजना बनाना तथा प्रारंभ करना ;

(झ) अनुसंधान क्रियाकलापों के लिए निधि में वृद्धि करने के लिए प्रयास करना तथा विश्वविद्यालय विद्यालयों, विभागों और केंद्रो के अध्यापकों को सहायता करना ;

(ञ) विश्वविद्यालय के अनुसंधान क्रियाकलापों के लिए बजट तैयार करना ;

(ट) अनुसंधान क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग से रुपए तैयार रखना ;

(ठ) विश्वविद्यालय के अधिकारिता क्षेत्र के भीतर संबंधित समस्या और विवादास्पद विषय की पहचान करना और सुव्यवस्थित अनुसंधान के ज़रिए ऐसे विवादास्पद विषय से वाकिफ करने के लिए विशेष प्रारम्भ करना ;

(ङ) अनुसंधानकर्ताओं और उद्योगों के बीच सहक्रिया सृजित करने के लिए दिर्घावधि नीति और योजना पर कार्य करना जिसके परिणाम स्वरुप अनुसंधान की जानकारी और प्रौद्योगिकी का अंतरण तथा उत्पादक परिवर्तन को बढ़ावा देना ;

(ढ) मूलभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान परियोजना में सहायता करने, अंगीकार करने तथा सहभागिता के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करना ;

(ण) राष्ट्रीय तथा आंतराष्ट्रीय उद्योंगों की सहभागिता के मदद से केंद्रीय अनुसंधान, प्रयोगशालाओं की स्थापना करना ;

(त) विश्वविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा जैसा कि समनुदेशित किया जाए, कोई अन्य कार्य हाथ में लेना ताकि, बोर्ड के उद्देश्य कार्यान्वित हो जाए ;

(थ) विश्वविद्यालय या उसके उप-परिसरों मे उद्योग से सहायता प्राप्त नवसंशोधन केंद्र अनुसंधान पार्क के साथ संपर्क करना और उसे स्थापित करना ;

(द) अच्छे विचारों के उद्भवन जैसे कि निर्माण, प्रक्रिया, सेवा तथा नवपरिवर्तन के लिए क्रियात्मक नीति प्रक्रिया और समर्थन प्रणाली के ज़रिए मापदण्ड पद्धति में सहक्रिया का सृजन करना, ताकि लघु, मध्यम और बड़े उद्योग स्थापित किए जा सके ;

(ध) राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर बौध्दिक संपत्ति के संरक्षण का समर्थन करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना ;

(न) एक प्रणाली स्थापित करना ताकि, परिचालन, विधिक, व्यापार मॉडल निर्माण और वित्तीय समर्थन में युवा उद्यमियों को मार्गदर्शन तथा सहायता की जा सके ;

(प) नवपरिवर्तन, उद्‌भवन और उद्यम केंद्र द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली क्रियाकलापों की परियोजना और योजना बनाना ;

(फ) नवपरिवर्तन, उद्‌भवन और उद्यम केंद्र की क्रियाकलापों के वार्षिक कार्यक्रम तैयार करना और नियत काल पर उनका पुनर्विलोकन करना ;

(ब) अनुसंधान नवपरिवर्तन, उद्‌भवन और उद्यम केंद्र का वार्षिक बजट तैयार करना ;

(भ) नवपरिवर्तन, उद्‌भवन और उद्यम केंद्र की क्रियाकलापों का निरीक्षण करना और मानिटर करना ;

(म) नवपरिवर्तन, उद्‌भवन और उद्यम केंद्र के कार्य की वार्षिक रिपोर्ट शासी बोर्ड को प्रस्तुत करना ;

(य) नवपरिवर्तन, उद्‌भवन और उद्यम बोर्ड के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए, विश्वविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा जैसा कि समनुदेशित किया जाए ऐसे कोई अन्य कार्य हाथ में लेना ;

(यक) अनुसंधान और विकास परीक्षण और परामर्शी मानदंड के अनुमोदन के लिए उसे शासी बोर्ड को प्रस्तुत करना।

छात्र विकास बोर्ड।

३३. (१) विश्वविद्यालय विभागों में छात्रों के विभिन्न सांस्कृतिक तथा कल्याण के क्रियाकलाप की योजना करने और निरीक्षण करने के लिए, एक छात्र विकास बोर्ड होगा। छात्र विकास बोर्ड के क्रियाकलाप, छात्र विकास निदेशक के द्वारा कार्यान्वित किये जाएंगे।

(२) छात्र विकास बोर्ड, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति-अध्यक्ष ;

(ख) कला प्रदर्शन, कला और ललित कला, क्रीड़ा और एनएसएस क्षेत्र में कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट, एक व्यावसायिक ;

(ग) सांस्कृतिक, कल्याण, क्रीड़ा और राष्ट्रीय सेवा योजन (एनएसएस) गतिविधियों में अंतर्ग्रस्त कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट, प्रत्येकी एक अध्यापक जिसमें से दो महिला होगी ;

(घ) छात्र विकास बोर्ड के निदेशक द्वारा नामनिर्देशित किए जानेवाले विश्वविद्यालय छात्र परिषद के दो से अनधिक पदाधिकारी ;

(ङ) विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) का निदेशक ;

(च) निदेशक, छात्र विकास बोर्ड, सदस्य-सचिव।

छात्र विकास बोर्ड की शक्तियाँ तथा कर्तव्य।

३४. (१) छात्र विकास बोर्ड की, निम्नलिखित शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय विभागों में संस्कृति, क्रीड़ा के संवर्धन और छात्र विकास गतिविधियों के लिए आवश्यक कदम उठाना ;

(ख) विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय निकायों के साथ अनुबंध स्थापित करना और उनके साथ संयुक्त रूप से विभिन्न क्रियाकलापों को बढ़ावा देना ;

(ग) प्रदर्शन कला, विशुद्ध कला और चित्रकला कौशल, क्रीड़ा और अन्य विस्तारित क्रियाकलापों के क्षेत्र में मूल्यांकन के लिए रुचि तथा कौशल को बढ़ावा देने कि लिए विश्वविद्यालय में क्रियाकलाप लेना ;

(घ) विश्वविद्यालय को समाज के करीब लाने के क्रम में, विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिताएँ, कौशल विकास कार्यशालाएँ, पारस्परिक क्रियाकलाप रखना ;

(ङ) समूहों, (राजनीती दलों को छोडकर) संस्थाओं और अन्य व्यावसायिक निकायों के साथ संपर्क स्थापित करना, ताकि छात्र विकास बोर्ड की गतिविधियों में उन्हें शामिल कर सकें ;

(च) अर्जन और अध्ययन योजना, शिक्षा ऋण, निदेशक सहाय्यता निधि, विन्यास योजना, छात्र आदान-प्रदान योजना आदि समेत छात्र विकास के प्रवर्तन योजना आविष्कार द्वारा देना, विकास करना तथा कार्यान्वयन करना ;

(छ) छात्र शिकायत प्रतितोष यंत्रणा तथा छात्र के लैगिंक उत्पीडन तथा रॅगिंग के निवारण की यंत्रणा आविष्कार द्वारा देना तथा बोर्ड छात्र विकास, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और क्रीड़ा से संबंधित के वार्षिक-रिपोर्ट तैयार करना तथा अनुमोदन के लिए शासी बोर्ड को प्रस्तुत करना ;

(ज) विभिन्न प्रादेशिक, राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ तथा सांस्कृतिक, आमोद-प्रमोदात्मक, क्रीड़ा और अन्य क्रियाकलापों में सुप्रशिक्षित दलों के सहभाग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करना ;

(झ) व्यवसाय समुपदेशन, मानसिक रूप से समुपदेशन एवं पुनर्वास हेतु उन्नयन के लिए योजना तैयार करना, विकसित करना और कार्यान्वित करना ;

(ञ) विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और राष्ट्रीय कॅडेट क्रॉप्स (एनसीसी) समन्वित करना ;

(ट) आर्डिनेन्सों द्वारा यथा विहित परिक्षाओं के सुसंगत समय सारणी के दौरान, अंतर-विश्वविद्यालयीन या राष्ट्रीय या आंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा, सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं या राष्ट्रीय छात्र सेना दल (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) कार्यक्रमों मे भाग लेनेवाले छात्रों के लिए परीक्षाओं से संबंधित आनुकाल्पिक व्यवस्था करने के लिए सक्षम प्राधिकरण को सिफारिश करना ;

(ठ) विश्वविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा जैसा कि समनुदेशित किया जाए ऐसे अन्य कार्य हाथ में लेना, ताकि छात्र विकास बोर्ड और छात्र विकास इकाई के उद्देश्यों को कार्यान्वित किया जा सके ;

(ड) विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार विभिन्न क्रीड़ाओ में रुचि और कौशल को भी बढ़ावा देने और क्रीड़ा के क्षेत्र में राष्ट्रीय नीति को भी बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय में क्रियाकलाप लेना ;

(ढ) छात्रों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न पहलूओं में और उनके अकादमिक क्षेत्र में, व्यक्तिमत्व विकास और स्वास्थ्य कॅम्प जीवन से संबंधित अन्य पहलूओं में विवादस्पद विषय और कठिनाई पर छात्रों को सहायता करना ;

(ण) ऑर्डिनन्सों द्वारा यथा विहित परिक्षाओं के सुसंगत सारणी के दौरान अंतर-विश्वविद्यालयीन या राष्ट्रीय या आंतराष्ट्रीय क्रीड़ा, टुर्नामेन्ट सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में छात्रों की परीक्षाओं से संबंधित वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिये सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश करना ;

(त) छात्रों के उनके दिन-ब-दिन जिंदगी और उनके शैक्षणिक विश्व, व्यक्तिमत्व विकास और स्वास्थ्य जीवन से संबंधित अन्य पहलुओं से संबंधित विभिन्न तत्थ्यों में मुश्किलों और कठिनाईयों पर छात्रों को सहायता करना ;

(थ) छात्रों के शिकायतों पर हल निकालने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को सलाह देने तथा ऐसी शिकायतों को कम करने तथा रोकथाम करने के लिए विभिन्न मार्ग एवं साधनों का उपयोग करने, उच्चतम प्राधिकरणों का सुझाव देने के लिए छात्र शिकायत प्रतितोष कक्ष की सलाह देना ;

(द) विश्वविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा जिसे कि समनुदेशित किया जाए कोई अन्य कार्य हाथ में लेना ताकि बोर्ड के उद्देश्यों को कार्यान्वित किया जाए।

प्राधिकरणों की शक्ति, कृत्य तथा कर्तव्य ।

३५. इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों में अधिकथित न किये गये, विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ, कृत्य तथा कर्तव्य इस प्रकार होंगे जिन्हें परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि।

३६. (१) इस अधिनियम में उपबंधित अन्यथा के सिवाय इस अधिनियम के अधीन गठित पदेन सदस्य से अन्यथा प्रत्येक प्राधिकरण का सदस्य अवधि, उक्त दिनांक से पाँच वर्षो की होगी जिस दिनांक पर वह सदस्य अपने पद पर प्रविष्ठ हुआ है ।

(२) नामनिर्देशन की प्रक्रिया, प्राधिकरण के पदेन सदस्यों से अन्य सदस्यों की अवधि के अवसान से कम से कम छह महीने पूर्व प्रारंभ करनी होगी।

सदस्यता की समाप्ति।

३७. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के रूप में नामित, या, यथास्थिति, नियुक्त कोई व्यक्ति या विश्वविद्यालय के किन्हीं प्राधिकरणों या निकायों का सदस्य, ऐसे पद, प्राधिकरण या निकाय संबंधी इस अधिनियम के संगत उपबंधों द्वारा या के अधीन, विनिर्दिष्ट पदाधिकारियों या सदस्यों के किन्हीं संवर्ग के अधीन, ऐसा पदाधिकारी या सदस्य के रूप में इस प्रकार नामित, नियुक्त होने का पात्र होता है, तो वह विश्वविद्यालय के ऐसे पदाधिकारी या ऐसे प्राधिकरण का या निकाय का सदस्य बने रहने से परिविरत होगा जब, वह ऐसा संवर्ग धारण करने से परिविरत होता हैं तथा उसने ऐसे पदाधिकारी या सदस्य के रूप में अपना पद रिक्त किया है ऐसा समझा जायेगा।

३८. कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण, निकाय तथा समिति का सदस्य होने से तथा प्राधिकरणों, निकायों तथा समिति को मतदान करने के लिए अनर्ह होगा यदि वह,— प्राधिकरी की सदस्य बनने की अनर्हता।

(क) विकृत चित्त का हैं और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया हैं ; या

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया हैं और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(ग) नैतिक पतन अन्तर्ग्रस्त वाले किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हैं ; या

(घ) प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट कोचिंग क्लास चलाता हैं या स्वयं को उसमें कार्यरत रखता हैं ; या

(ङ) कहीं से भी किसी परीक्षा तथा मूल्यांकन के संचालन में अनुचित व्यवहार करने या बढावा देने के लिए दंडित किया गया है ; या

(च) इस अधिनियम, परिनियमों या आर्डिनेंसों या विनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने में जानबूझकर चूक करता है या इंकार करता है, या विश्वविद्यालय के हित को किसी रीति में हानि पहुँचाने का कार्य करता है ; या

(छ) अवचार करने के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा किसी भी रीत्या में दण्डित किया गया है ; या

(ज) परीक्षा और मूल्यांकन के संबंध में, कोई गोपनीय मामला, चाहे जिस किसी भी रीति में हो, उसकी पदीय स्थिति के कारण, वह जानकारी जो उसके अधिकार में आने वाली है, जनता में प्रकट करता है या प्रकट करवाने का कारण बनता है :

परंतु, खण्ड (ड़) तथा (छ) के संबंध में व्यक्ति का मत देने का अधिकार उक्त खण्डों के अधीन दण्डावधि के दौरान निलंबन शेष रहेगा।

३९. इस अधिनियम द्वारा या के अधीन यथा उपबंधित से अन्यथा, विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्राधिकरण को इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या के अधीन उसे समनुदेशित कार्य करते समय और शक्तियों का प्रयोग करते समय या कृत्यों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करते समय इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या के अधीन उसे समनुदेशित मामलों पर कार्य करने तथा विनिश्चय करने तथा उसे समनुदेशित कृत्यों या कर्तव्यों का निर्वहन करने की संपूर्ण अधिकारिता होगी, वह उसे समनुदेशित मामलों का निपटान और विनिश्चय करेगा। प्राधिकरण का विनिश्चय निश्चायक होगा।

४०. (१) **पदेन** सदस्य से अन्य सदस्य, अपने हस्ताक्षर से लिखकर त्यागपत्र दे सकेगा । कुलाधिपति का नामनिर्देशिती, कुलाधिपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकेगा और अन्य सदस्य शासी बोर्ड के अध्यक्ष या कुलपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकेगें । कुलाधिपति या, यथास्थिति, शासी बोर्ड के अध्यक्ष या कुलपति द्वारा स्वीकृत करने पर या त्यागपत्र के दिनांक से तीस दिनों की समाप्ति पर, जो कोई पहले हो, वह व्यक्ति सदस्य बने रहने से परिविरत हो जाएगा । सदस्यता का पदत्याग।

(२) यदि, किसी प्राधिकरण या निकाय का नामनिर्दिष्ट या नियुक्त कोई व्यक्ति, प्राधिकरण या निकाय की पूर्वानुमति के बिना, लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसने अपनी सदस्यता छोडी है यह समझा जाएगा तथा वह ऐसी तीसरी बैठक के दिनांक से, जिसमें वह अनुपस्थित रहा है, सदस्य होने से परिविरत होगा।

४१. (१) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय द्वारा गठित प्राधिकरणों, निकायों या समितियों, यदि कोई हों, बैठक बुलाने संबंधी सभी मामले ऐसे होंगे, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए। प्राधिकरणों की बैठक।

(२) प्राधिकरण या निकाय की बैठक उसके सचिव द्वारा जारी नोटीस द्वारा, अध्यक्ष द्वारा अवधारित दिनांक को ली जाएगी।

(३) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, बैठक की गणपूर्ति, साधारणतया आसीन सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई होगी । यदि गणपूर्ति नहीं होती है तो सभापति द्वारा, उसी दिन के विनिर्दिष्ट समय तक या पश्चात्वर्ती दिनांक के विनिर्दिष्ट समय तक सभा स्थगित की जाएगी और ऐसी बैठक स्थगित करने के लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी । अगले दिन की बैठक जारी रखने के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

(४) जहाँ इस परिनियम द्वारा या के अधीन, सभापति को, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय की बैठक में पीठासीन होने के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है या इस प्रकार उसकी अनुपस्थिति में उपबंध किया गया सभापति जब अनुपस्थित रहता है तथा किसी अन्य व्यक्ति को पीठासीन होने का उपबंध नहीं किया गया है तब उपस्थित सदस्य, बैठक में पीठासीन होने के लिए अपने में से एक व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे ।

(५) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कार्यसूची के समस्त मदों, प्रश्नों, मामलों या प्रस्तावों पर उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्णय किया जाएगा। सभापति भी मत देगा । मतों की समानता होने के मामले में, सभापति का निर्णायक मत होगा । सचिव यदि, सदस्य नहीं है तो विचार-विमर्श में हिस्सा लेने का उसे अधिकार होगा परंतु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

रिक्तियों को भरना।

४२. जब पदेन सदस्य से अन्यथा एक सदस्य के पद में रिक्ति पाई जाती है तो तीन महीने की अवधि के भीतर उसी संवर्ग में से रिक्ति भरी जायेगी।

अध्याय पाँच

परिनियम, ऑर्डिनेन्स तथा विनियम

परिनियमों और उनके विषय वस्तु ।

४३. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, परिनियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं बातों का उपबंध कर सकेगा, अर्थात् : —

(१) सम्मानिक उपाधियाँ और अकादमिक विशेष उपाधियाँ प्रदान करना ;

(२) उप-परिसर विश्वविद्यालय विभागों, विद्यालयों तथा छात्रावासों की स्थापना तथा संपोषण ;

(३) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन अधिकथित नहीं किये गये हैं, विश्वविद्यालय प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ, कर्तव्य तथा कृत्य;

(४) विश्वविद्यालय विद्यालयों, विभागों या केंद्रो का उत्सादन ;

(५) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की बैठकों में कार्य के संचालन के लिए प्रक्रिया के नियम;

(६) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए विश्वविद्यालय की निधियों का विनियोग;

(७) व्यक्तियों या संगठनों से न्यास, वसीयत, दान, विन्यास तथा अनुदानों को प्राप्त करना और प्रबंध करना ;

(८) विश्वविद्यालय के व्यतिक्रम करनेवाले अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही ;

(९) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास, आचरण और अनुशासन की शर्तें और अनुशासन भंग करने के कदाचार के लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, जिसमें निम्न का समावेश होगा : —

(क) परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग करना या उसका दुष्प्रेरण ;

(ख) किसी मूल्यांकन तथा परीक्षा के प्रभारी अधिकारी द्वारा या विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किसी प्राधिकृत जाँच में उपसंजात होने या साक्ष्य देने में इंकार करना ; या

(ग) चाहे विश्वविद्यालय के भीतर या बाहर, विच्छृंखल या अन्यथा आक्षेपणीय आचरण ;

(१०) छात्रों की शिकायतों का प्रतितोष करने के लिए रचना तंत्र और प्रक्रिया ;

(११) विश्वविद्यालय में छात्र परिषद के कृत्य और कर्तव्य ;

(१२) इस अधिनियम के अधीन कुलपति द्वारा प्राधिकरणों, बोर्डो और समितियों पर सदस्यों का नामांकन करते समय अपनाये जानेवाले मानक और प्रक्रिया ;

(१३) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियाँ तथा अन्य कर्मचारियाँ की अर्हताएँ, भर्ती, आचार संहिता, पद की शर्तें, सेवा की शर्तें तथा कर्तव्यों समेत कालिक प्रशिक्षण, अग्रसर प्रशिक्षण, मैदानी प्रदर्शन, प्रतिनियुक्ति, निर्धारण भर्ती के लाभ तथा शासी बोर्ड द्वारा यथा उपबंधित उनकी सेवाओं के सेवानिवृत्ती लाभ और सेवा समाप्ति की रीति जो राज्य सरकार की नीतियों के उल्लंघन में नहीं होगी ;

(१४) धारा ६० की उप-धारा (६) के अधीन क्रय के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया ;

(१५) कोई मामला जो परिनियमों द्वारा विहित किए जानेवाला है या जो इस अधिनियम के उपबंधो को प्रभावी करने के लिए आवश्यक है।

परिनियम बनाए जाना।

४४. (१) शासी बोर्ड, समय समय पर, इसमें आगे उपबंधित रीत्या में, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या संशोधित या निरसित कर सकेगा :

परंतु, नियत दिनांक से एक वर्ष के भीतर प्रथम परिनियम बनाया जायेगा ।

(२) परिनियम समिति, शासी बोर्ड द्वारा यथा अधीन गठित होगी ।

(क) कुलपति अध्यक्ष ;

(ख) विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यालय के संकायाध्यक्ष ;

(ग) विश्वविद्यालय का एक प्राध्यापक ;

(घ) सदस्य सचिव के रुप में, विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार ;

(ड) शासी बोर्ड द्वारा नियुक्त एक विधि अधिकारी या सलाहकार ;

(च) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किन्ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) या किन्ही भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था (आईआईआईटी) या भारतीय विज्ञान तथा अनुसंधान संस्था (आईआईएसईआर) या किन्ही भारतीय प्रबंधक संस्था (आईआईएम) को रजिस्ट्रार ;

(३) ऐसी परिनियम समिति, प्रस्तावित प्रारुप परिनियम संबंधित मामले, अंतिम पूर्ववर्ति अनुभाग में निर्दिष्ट करने के लिए तैयार करेगी तथा शासी बोर्ड का प्रस्तुत करेगी ।

(४) शासी बोर्ड द्वारा पारित प्रत्येक परिनियम कुलाधिपति को पेश किया जाएगा जो कि उसे अपनी सहमति दे सकेगा या रोक सकेगा या उसे पुनर्विचार हेतु शासी बोर्ड के पास वापस भेज सकेगा । कुलाधिपति, ऐसे परिनियमों के कार्यान्वयन के लिए, राज्य सरकार की तरफ से यदि कोई विवक्षाएँ हो, वित्तीय या अन्यथा, उसके विचार के लिए राज्य सरकार को परिनियम प्रारुप भेज सकेगा ।

(५) शासी बोर्ड द्वारा पारित कोई भी परिनियम, जब तक कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, विधि मान्य नहीं होगा या प्रवृत्त नहीं होगा ।

(६) पूर्वागामी उप-धाराओं में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपति या तो **स्व-प्रेरणा** से या राज्य सरकार की सलाह पर उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में विश्वविद्यालय को परिनियम में उपबंध करने का निदेश दे सकेगा और यदि शासी बोर्ड वह प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर ऐसा निदेश लागू करने में विफल रहता हे, तो कुलाधिपति, शासी बोर्ड द्वारा उस निदेश का पालन करने में बताई गई अपनी असमर्थता के कारणों, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद परिनियमों को युक्तियुक्त बना सकेगा या उसमें संशोधन कर सकेगा।

(७) शासी बोर्ड या तो स्वयं या शासी बोर्ड के प्रस्ताव से, परिनियमों के प्रारुप पर विचार करेगी। परिनियम समिति द्वारा प्रस्तावित न किये गये प्रारूप संबंध में, शासी बोर्ड उस पर विचार करने से पूर्व, परिनियम समिति की राय प्राप्त करेगी :

परन्तु, यदि, परिनियम समिति प्रारूप प्राप्त होने के दिनांक से तीन महिने के भीतर अपनी राय प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, शासी बोर्ड प्रारूप पर विचार करने की कार्यवाही शुरू करेगी।

(८) शासी बोर्ड यदि उचित समझें तो, उसके सामने विचारार्थ किसी प्रारुप परिनियम को संबंधित विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी की, प्राधिकरण की या निकाय की भी राय लेगी :

परंतु, यदि ऐसा कोई भी प्रारूप परिनियमों से संबंधित अकादमिक विषयों का है तो, शासी बोर्ड उस पर विचार करने से पूर्व, अकादमिक परिषद की राय मांगेगी ।

(९) शासी बोर्ड, परिनियम पारित करेगी और कुलाधिपति को उसके हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करेगी ।

ऑर्डिनेंस और उसके विषय वस्तु।

४५. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, ऑर्डिनेंस निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(१) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य अकादमिक विशेष योग्यता के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा ;

(२) इस अधिनियम के अधीन फीस नियतन समिति द्वारा पाठ्यक्रमों एवं कार्यक्रमों को स्वीकृत करने का प्रभार और फीस, अन्य फीस सुनिश्चित करने के मानक एवं प्रक्रिया ;

(३) परीक्षकों की नियुक्ति और कर्तव्यों की शासी शर्तें ;

(४) परीक्षाओं, अन्य परीक्षणों और मूल्यांकन का आयोजन, तथा उनकी रीति जिसमें छात्र परीक्षकों के द्वारा निर्धारित या परीक्षित किए जा सकें ;

(५) विकलांग व्यक्ति (के), अधिकार के अधिनियम, २०१६ के उपबंधों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समय-समय से जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धातों तथा निदेशों के अनुसरण में एक कक्ष की स्थापना करने के उपबंधों समेत समान अवसर कक्ष का गठन, शक्तियाँ, कर्तव्य तथा कृत्य ; सन् २०१६ का १९।

(६) विश्वविद्यालय के छात्रों के रॅगिंग की रोकथाम के लिए यंत्रणा ;

(७) विश्वविद्यालय में के अध्यापक, कर्मचारी, छात्र के लैंगिक रॅगिंग की रोकथाम की यंत्रणा ; तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीडन (रोकथाम प्रतिषेध तथा प्रतितोष) अधिनियम, २०१३ के उपबंधों के अनुसरण में लैंगिक उत्पीडन की घटनाओं से संबंधित शिकायतों का प्रतितोष तथा जो लैंगिक उत्पीडन करने के लिए आसक्त रहते है उनके लिए शास्ति की यंत्रणा ; सन् २०१३ का १४।

(८) कोई अकादमिक मामला जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या के अधीन ऑर्डिनेन्स द्वारा विहित किया जाए या जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है ।

ऑर्डिनेंस और उनको बनाना।

४६. (१) शासी बोर्ड समय समय पर, इसके पश्चात् उपबंधित रीत्या में नए या अतिरिक्त ऑर्डिनेन्स बना सकेगी या, संशोधित कर सकेगी या निरसित कर सकेगी।

(२) ऑर्डिनेंस से संबंधित अकादमिक मामले प्रबंध परिषद द्वारा बनाए गए संशोधित किए या निरसित नहीं किए जायेंगे जब तक उसका प्रारुप अकादमिक परिषद द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया है।

(३) शासी बोर्ड द्वारा बनायें गए समस्त ऑर्डिनेंस बैठक के दिनांक से या ऐसे दिनांक से प्रभावी होंगे जैसा कि वह निदेश दे, किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक ऑर्डिनेंस शासी बोर्ड की बैठक के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जाएगा । ऑर्डिनेंस प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर कुलाधिपति शासी बोर्ड को यह निदेश देने की शक्ति प्राप्त होगी की वह उसका प्रवर्तन रोक दें, और वह यथाशक्य शीघ्र शासी बोर्ड को अपनी आपत्ति से अवगत कराएगा । वह शासी बोर्ड की टिप्पणी प्राप्त होने के बाद या तो ऑर्डिनेंस निलंबित करनेवाला आदेश वापस ले सकेगा या ऑर्डिनेंस को अस्वीकृत कर सकेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

४७. (१) इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन विहित उपबंधों के अध्यधीन, शासी बोर्ड निम्नलिखित के लिए इस अधिनियम, परिनियमों और ऑर्डिनेंसों से सुसंगत विनियम बना सकेगी ,– विनियम।

(क) अध्येतावृत्ति, यात्रा अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक और पुरस्कार संस्थित करना तथा उनको प्रदान करना ;

(ख) अकादमिक कार्यक्रमों के लिए पारस्परिक फायदे के लिए, अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और संगठनों के साथ सहयोग करना ;

(ग) विश्वविद्यालय के अभिलेख का परीरक्षण करना ;

(घ) सभी या किन्ही मामलों जिसे, इस अधिनियम, परिनियम या ऑर्डिनेन्स द्वारा या के अधीन विनियमों द्वारा उपबंध किये जानेवाले है या उपबंध किया जा सकेगा, के लिए उपबंध करना ;

(ङ) सभी गैर-अकादमिक मामलें जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या ऑर्डिनेंसों के प्रयोजनों के लिए शासी बोर्ड की राय में उपबंध आवश्यक है ।

(२) इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विहित उपबंधों के अध्यधीन, अकादमिक परिषद इस अधिनियम, परिनियमों और ऑर्डिनेंसों से सुसंगत, अकादमिक मामलों से संबंधित विनियमों को बना सकेगी ।

(३) विद्यालयों के संकायाध्यक्ष, शासी बोर्ड या, यथास्थिति, अकादमिक परिषद के अनुमोदन के लिए, उप-धाराएँ (१) और (२) में निर्दिष्ट मामलों के लिए और सभी या किन्हीं मामलें जो इस अधिनियम, परिनियमों या आर्डिनेंसों के द्वारा या के अधीन विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने वाले हैं या किए जा सकेंगे, विनियम प्रारुप बनाएगी और रखेगी।

अध्याय छह

अध्यापकों, कर्मचारियों और छात्रों की शिकायतें

४८. (१) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के, उनके अलावा जो, विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय अधिकरण अधिकारिता के भीतर न हो, राज्य सरकार के विरुद्ध की शिकायतों को छोडकर, सभी प्रकार की शिकायतों का निपटान करने के लिये, प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक शिकायत निवारण समिति होगी । शिकायत निवारण समिति।

(२) विश्वविद्यालय, शिकायत समिति को प्रशासनिक सहायता मुहैय्या करने के लिये सहायक रजिस्ट्रार से अनिम्न श्रेणी के विश्वविद्यालय के अधिकारी द्वारा प्रमुखता का एक शिकायत निवारण कक्ष स्थापित करेगा ।

(३) शिकायत समिति, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) कुलपति द्वारा नामित, जिला न्यायाधीश के अनिम्न श्रेणी का निवृत्त न्यायाधीश-अध्यक्ष ;

(ख) कुलपति द्वारा नामित, विद्यालय के एक संकायाध्यक्ष ;

(ग) शासी बोर्ड का उसके अध्यक्ष द्वारा नामित एक सदस्य ;

(घ) रजिस्ट्रार ; सदस्य-सचिव ;

(ङ) शासी बोर्ड द्वारा में से नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) या खानाबदोश जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों से विश्वविद्यालय के एक अध्यापक तथा एक अध्यापनेतर कर्मचारी ;

(च) शासी बोर्ड द्वारा नियुक्त एक विधि अधिकारी या सलाहकार :

परंतु, इनमें एक महिला सदस्य होगी।

(४) शिकायत समिति के अध्यक्ष के रुप में निवृत्त न्यायाधीश और सदस्य के रुप में संकायाध्यक्ष का नामनिर्देशन, प्रत्येक मामले में, जैसा कि कुलपति, समय-समय से विनिश्चित कर सकें, ऐसी अवधि के लिये होगा, किंतु वह कुल मिलाकर तीन वर्षों से अधिक नहीं हो सकेगी।

(५) शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष के रुप में नामनिर्देशित निवृत्त न्यायाधीश, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये जा सके, ऐसे पारिश्रामिक और परिवहन प्रभारों के लिए हकदार होगा।

(६) शिकायत निवारण समिति, शिकायतों को सुनने विधि के अनुसार जहाँ तक व्यवहार्य हो, शिकायत दर्ज करने के दिनांक से तीन माह के भीतर सुनेगी, निपटायेगी तथा विनिश्चित करेगी।

(७) कर्मचारियों की सेवा, जो दोनों पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात, न्यायाधिकरण की अधिकारिता के भीतर न हो, से संबंधित शिकायतें या तक्रार का निपटान और विनिश्चिति करना शिकायत निवारण समिति के लिये, विधिपूर्ण होगा।

(८) छात्रों की शिकायते दूर करने तथा ऐसी शिकायतों को कम करने तथा उन्हे रोकने के विभिन्न मार्ग उच्चतर प्राधिकरणों को सुझावित करने के लिए विश्वविद्यालय में छात्र शिकायत निवारण कक्ष होगा। छात्र निवार कक्ष की कृत्यकारी यंत्रणा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निवारण) विनियमन, २०१२ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विनियमों के उपबंधों के अनुसार तैयार किए गए परिनियमों द्वारा यथा विहित ऐसी होगी।

विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय अधिकरण।

४९. (१) महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ की धारा ८१ की उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट मामलों से संबंधित, विश्वविद्यालय कर्मचारी और विश्वविद्याल के बीच विवादों के निर्णय देने के लिए राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर, विश्वविद्यालय, नागपुर के लिए अधिकरण, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए स्थापित किया जाएगा। सन् २०१७ का महा. ६।

(२) अन्य जानकारी और महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ की धारा ८०, ८१ ८२, ८३, ८४, और ८५ में उपबंधित प्रक्रिया विश्वविद्यालय को **यथावश्यक परिवर्तन समेत** लागू होंगी। सन् २०१७ का महा. ६।

अध्याय सात

प्रवेश, परीक्षा, मूल्यांकन और छात्रों से संबंधित अन्य मामलें।

५०. शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए राज्य सरकार की सभी आरक्षण नीतियों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय विद्यालयों, विभागों, केंद्रों, उप परिसरों में समस्त पाठ्यक्रमों मे प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना, आदेश या नियमों के अनुसार प्रतियोगिता के गुणागुण के आधार पर दिया जाएगा और शैक्षिक सत्र के प्रारंभ के पूर्व, विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किये जाएंगे :

परन्तु आगे यह कि, अनुशासन को बनाये रखने के उद्देश से, संबंधित प्राधिकरण को, किसी अकादमिक कार्यक्रम के प्रवेश के समय को छोडकर छात्रों को प्रवेश देने से इंकार करने की शक्ति होगी।

प्रवेश संबंधि विवाद।

५१. विश्वविद्यालय विद्यालयों, विभागों, और उप-परिसरों समेत केंद्रों में प्रवेश संबंधित सभी विवाद धारा ४८ की उप-धारा (८) के उप-खंड (ख) के अनुसार विश्वविद्यालय छात्र शिकायत प्रतितोष कक्ष द्वारा न्यायनिर्णित होंगे।

परीक्षाएँ तथा मूल्यांकन।

५२. प्रत्येक अकादमिक वर्ष की समाप्ति के पूर्व परीक्षा तथा मुल्यांकन बोर्ड अगले अकादमिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जानेवाली परीक्षा के लिए समय सूची और प्रत्येक पाठ्यक्रम की परीक्षा तथा मूल्यांकन की श्रेय देनेवाली विकल्प आधारित प्रणाली की सारणी तैयार करेगा और उसे प्रकाशित करेगा और सारणी का कड़ाई से पालन करेगा। विश्वविद्यालय का संबंधित प्राधिकरण या अधिकारी विफल हो तो, तीस दिनों के भीतर शासी बोर्ड को तर्कसंगत रिपोर्ट देनी होगी तथा शासी बोर्ड के निदेशन या विनिश्चय इस संबंध में अंतिम तथा बाध्यकारी होंगे :

परंतु यह कि, विश्वविद्यालय उसके नियंत्रण से परे कारणों और परिस्थितियों के कारण, इस सारणी का अनुपालन करने में अक्षम है तो, वह यथाशीघ्र व्यवहार्य, कुलाधिपति और राज्य सरकार को, प्रकाशित कार्यक्रम का विचलन करने के विस्तृत कारणों की जानकारी देते हुए, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण.— " परीक्षाओं का कार्यक्रम " का तात्पर्य परीक्षा कार्यक्रम के एक भाग के रूप में प्रत्येक प्रश्नपत्र के आरंभ का दिनांक, समय और दिन के बारे में विस्तृत जानकारी देनेवाली सारणी से है तथा इसमें प्रायोगिक परीक्षाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी का समावेश होगा :

५३. विश्वविद्यालय उस विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा के अंतिम दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर और किसी भी मामले में अधिकाधिक उसके तीस दिनों के भीतर, ली गई प्रत्येक परीक्षा का परिणाम घोषित करने की कोशिश करेगा : परिणामों की घोषणा।

परंतु यह कि, उपर्युक्त तीस दिनों की अवधि के भीतर चाहे किसी भी कारणों के लिये, किसी परीक्षा या मुल्यांकन का परिणाम अंतिमतः घोषित करने में विश्वविद्यालय असमर्थ है, तब परीक्षा तथा मुल्यांकन बोर्ड का निदेशक ऐसे विलम्ब के कारणों की विस्तृत जानकारी की रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे कुलपति के जरिए कुलाधिपति और शासी बोर्ड को प्रस्तुत करेगा तथा इस संबंध में कुलाधिपति के निदेशन अंतिम तथा बाध्यकारी होंगे।

५४. कोई परीक्षा या मूल्यांकन, या परीक्षा या मुल्यांकन के परिणाम केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं किये जायेंगे, कि विश्वविद्यालय ने धारा ५२ या, यथास्थिति, ५३ मे, यथा अनुबद्ध कार्यक्रम का अनुसरण नही किया है। सारणी का अनुपालन न करनें के कारण परीक्षाएँ, तथा मूल्यांकन अविधिमान्य नही होंगे।

५५. विश्वविद्यालय का प्राधिकरण समुचित परिनियम, ऑर्डिनेंस और विनियम बनाने के लिये, यह सुनिश्चित करेगा कि उनके वर्गों, या, यथास्थिति, विश्वविद्यालयों के क्रीड़ा, संस्कृति और समस्त अन्य क्रियाकलापों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गये छात्र, केवल खुली गुणागुण प्रतियोगिता के जरिए संपूर्ण गुणागुण के आधार पर ही चुने गए हैं और किसी अन्य आधार पर नहीं है। क्रीड़ा तथा पाठ्येतर क्रियाकलाप।

अध्याय आठ

परिषदें तथा समितियाँ

५६. (१) इस अधिनियम के अधीन निम्न परिषदें तथा समितियाँ गठित होंगी, अर्थात ;— परिषदें तथा समितियाँ।

(एक) छात्र परिषद ;

(दो) वित्त तथा लेखा समिति ;

(तीन) भवन तथा कार्य समिति ;

(चार) क्रय और विक्रय समिति ;

(पाँच) ज्ञान स्त्रोत समिति ;

(छह) फीस नियतन समिति ;

(सात) चयन तथा नियुक्ति समिति ;

(आठ) आंतरिक दर्जा आश्वासन समिति।

५७. (१) छात्रों के कल्याण की देखभाल करने तथा बेहतर सामूहिक जीवन के लिए, विविध छात्र संघ की अध्यापनेतर क्रियाकलापों को बढावा देने तथा समन्वय करने के लिये, छात्र परिषद होगी। छात्र परिषद, राजनीतिक क्रियाकलापों में नही जुडेगी। छात्र परिषद।

(२) छात्र परिषद निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) छात्र विकास बोर्ड के निदेशक-अध्यक्ष ;

(ख) छात्र परिषद के सदस्यों में से उनके द्वारा यथा विहित निर्वाचित महा सचिव-सदस्य सचिव ;

(ग) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित जिमखाना सचिव ;

(घ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशत एक महिला प्रतिनिधि ;

(ड़) छात्र विकास बोर्ड, राष्ट्रीय सेवा योजना (एन सी सी) और क्रीड़ा के निदेशक यथा विहित की गई सिफारिश पर कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम द्वारा नामनिर्देशित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या निरधिसूचित जाति (विमुक्त जाति) या खानाबदोश जनजाति या अन्य पिछडे वर्गो या विशेष पिछडे प्रवर्गों में से एक प्रतिनिधि ;

(च) छात्रों जो विहित निकषों के आधार पर क्रमशः राष्ट्रीय सेवा योजना, (एनएसएस), राष्ट्रीय कॅडेट कोर, (एन सी सी) क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों में जुडे है, से छात्र विकास बोर्ड के निदेशक द्वारा नामनिर्देशित (एक) राष्ट्रीय सेवा योजना (एन एस एस) या राष्ट्रीय कॅडेट कोर (दो) क्रीड़ा तथा (तीन) सांस्कृतिक क्रियाकलापों से, प्रत्येक एक छात्र।

(३) विश्वविद्यालय छात्र परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जायेगी और वह जैसा उचित समझे ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा उपस्थित होगा।

(४) कोई छात्र, किसी छात्र परिषद का सदस्य होने या निरंतर बने रहने के लिये पात्र होगा, केवल, यदि, वह पूर्ण कालिक छात्र के रूप में नामांकित हो।

(५) छात्र परिषद कि प्राक्कलन तथा बैठकों की बारंबारता ऐसी होंगी जैसा कि वह परिनियमों द्वारा विहित की जायगी।

(६) छात्र परिषद के छात्र सदस्यों का नामनिर्देशन या, यथास्थिति, निर्वाचन, प्रत्येक वर्ष के लिए, अकादमिक वर्ष के प्रारम्भण के पश्चात, यथासंभव शीघ्र जैसा कि विहित किया जाए ऐसी दिनांक पर होगा। निर्वाचित छात्र सदस्यों की पदावधि, नामनिर्देशन या निर्वाचन के दिनांक से प्रभावि होगी तथा अकादमिक वर्ष के अंतिम दिनांक तक विस्तारित की जायेगी, जब तक इस अधिनियम के अधीन या के द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अनर्हता है, अभ्यंतर काल में उपगत नहीं होती है तब तक तथा बाद में वह अवसित होगी।

(७) छात्र परिषद के एक तिहाई सदस्यों से मिलकर बैठक की गणपूर्ति होगी। कारोबार बैठक के संचालन की प्रक्रिया तथा ऐसे अन्य मामले, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसे होंगे । परिषद की बैठक, प्रत्येकी कम से कम तीन महिने में एक बार होगी।

(८) नामनिर्देशन या निर्वाचन प्रक्रिया, शक्तियाँ तथा कर्तव्य, निर्वाचन करानेवाले प्राधिकरण, ऐसे निर्वाचन लेनेवाली यंत्रणा उम्मीदवारों तथा निर्वाचन प्रबंधक के लिए आचरण की संहिता तथा ऐसे निर्वाचन के संबंध में शिकायत प्रतितोष यंत्रणा ऐसी होगी, जैसा शासी बोर्ड में आदेशों द्वारा, विनिर्दिष्ट करें।

(९) इस धारा के उपबंध, ऐसे दिनांक से प्रभावी होगे जिसे उप-धारा ८ के अधीन आदेश जारी करने के पश्चात ऐसे आदेश में शासी बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट करे ऐसे दिनांक से प्रभावी होगा।

वित्त तथा लेखा समिति। **५८.** (१) वित्त तथा लेखा समिति, विश्वविद्यालय के वित्तीय परिचालनों की योजना, सहयोजन तथा निरीक्षण करेगी। वह लेखाओं का व्यय का विकास तथा उपलब्ध उपबंधो को ध्यान में रखते हुए अभिनव व्यय में शामिल सभी प्रस्तावों की परीक्षा लेगी।

(२) वित्त तथा लेखा समिति, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) कुलपति-अध्यक्ष ;

(ख) लेखा तथा कोषागार का निदेशक या, लेखा तथा कोषागार के संयुक्त निदेशक से अनिम्न श्रेणी का उसका प्रतिनिधि ;

(ग) शासी बोर्ड से कुलाधिपति का नामिति ;

(घ) अकादमिक परिषद में से, कुलपति द्वारा नामित एक सदस्य ;

(ड़) शासी बोर्ड द्वारा नामित दो विशेषज्ञ, जिनमें से एक लेखा तथा संपरीक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा तथा अन्य एक वित्त के क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा ;

(च) लक्ष्मीनारायण प्रौद्योगिकी संस्था के भूतपूर्व सहयोजन अध्यक्ष ;

(छ) रजिस्ट्रार ;

(ज) वित्त तथा लेखा अधिकारी - सदस्य-सचिव ;

(३) समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति पाँच से होगी ।

(४) समिति के **पदेन** सदस्यों को छोडकर सभी सदस्य, पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे तथा द्वितीय लगातार सत्र के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(५) समिति की बैठक, वर्ष में कम से कम चार बार बुलाई जायेगी ।

(६) वित्त तथा लेखा समिति :—

(क) लेखों का वार्षिक विवरण, संपरीक्षित वित्त तथा अंतिम लेखों का विवरण, संपरीक्षा रिपोर्ट तथा उसकी अनुपालन रिपोर्ट की परीक्षा तथा विचार करेगी तथा लेखा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किए जानेवाला तथा उसकी समान रूप से शासी बोर्ड को उनके अनुमोदन के लिए सिफारिश करेंगी;

(ख) व्यय की प्रगति का तथा उपलब्ध उपबंधों को ध्यान में रखते हुए अभिनव व्यय में शामिल सभी प्रस्तावों का परीक्षण करेगी ;

(ग) उत्पादनकारी कार्य के लिए निकाले गए ऋण मे शामिल, विश्वविद्यालय के आय तथा साधनों पर आधारित वर्ष के लिए कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमितता के लिए शासी बोर्ड को सिफारिश करना ;

(घ) विश्वविद्यालय की परिसम्पत्ति तथा साधनों के उत्पादित निवेश तथा प्रबंधन की शासी बोर्ड को सिफारिश करना ;

(ड़) विश्वविद्यालय के विकास के लिए साधनों को आगे बढ़ाने की संभाव्यत की गवेषणा करना ;

(च) शासी बोर्ड द्वारा नियुक्त किये गये लेखापरीक्षक द्वारा विश्वविद्यालय लेखाओं की संपरीक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाना ;

(छ) विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निधि के प्रशासन से संबंधित मामलों पर शासी बोर्ड को सलाह देना ;

(ज) राज्य सरकार से प्राप्त निधि, परिसंपत्ति तथा अन्य स्त्रोतों से संबंधित, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय से जारी किये गये आदेशों के उचित कार्यान्वयन की सुनिश्चिति करना ;

(झ) विश्वविद्यालय के शासी बोर्ड, अकादमिक परिषद या किन्हीं अन्य प्राधिकरण, निकाय या समिति या किन्ही अधिकारी द्वारा, उसे निर्दिष्ट किये गये वित्तिय मामलों पर सलाह देना ;

(ञ) कुलपति को वित्तिय मामलों मे किन्हीं चूक या अनियमितता, जो उसके ध्यान में आये, की रिपोर्ट करना, जिससे वह, मामले की गंभीरता निर्धारण करने के पश्चात्, उचित तत्काल कार्यवाही कर सके या शासी बोर्ड को इसे निर्दिष्ट करे ;

(ट) शासी बोर्ड द्वारा नियुक्त किये लेखापरीक्षक तथा राज्य सरकार के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा, लेखापरीक्षा के लिये, विश्वविद्यालय, के वार्षिक लेखा खुले है, की सुनिश्चिति करना ;

(ठ) लेखाओं के अनुरक्षण तथा लेखापरीक्षा की प्रक्रियाओं में कार्यक्षमता को बढाने के लिये वित्तीय स्त्रोतों के प्रबंधन, लेखाओं का अनुरक्षण तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिये सुझाये गये विभिन्न सुधारों का अध्ययन करना ;

(ड) विश्वविद्यालय प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किये जा सके ऐसे किन्हीं अन्य कृत्यों तथा कार्यों को पूरा करना ।

भवन तथा कार्य समिति।

५९. (१) भवन तथा कार्य समिति, विश्वविद्यालय के अनेक गौण तथा प्रधान मुलभूत सुविधा विकास क्रियाकलापों का कार्यान्वयन, समयबद्ध रीत्या में तथा कार्य कुशलता से करेगी।

(२) भवन तथा कार्य समिति, निम्न सदस्यों से मिलकर गठित होगी, अर्थात् :—

(क) कुलपति—अध्यक्ष ;

(ख) शासी बोर्ड पर का कुलाधिपति का नामनिर्देशिति ;

(ग) लोक कार्य विभाग का, जिसमें विश्वविद्यालय स्थित है, या क्षेत्र का प्रभारी मुख्य इंजीनियर या उस क्षेत्र से कार्यकारी इंजीनियर से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिति ;

(घ) कुलपति द्वारा, निजी क्षेत्र से नामनिर्देशित एक विख्यात इंजीनियर ;

(ड़) कुलपति द्वारा, निजी क्षेत्र से नामनिर्देशित एक विख्यात वास्तुकार ;

(च) नागपुर नगर निगम से एक वरिष्ठ सिविल इंजीनियर, अधिमान्यता शहर इंजीनियर ;

(छ) सहनिर्माण, नवीनीकरण पुन:निर्माण की हरित भवनों और आधुनिक प्रौद्योगिकी के ज्ञान के साथ एक पर्यावरण सिविल इंजीनियर ;

(ज) योजना और वास्तू संरचना विभाग के प्रमुख, यदि कोई हो तो ;

(झ) रजिस्ट्रार ;

(ञ) वित्त तथा लेखा अधिकारी ;

(ट) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित रसायनशास्त्र सिविल इंजीनियरींग विभाग के प्रमुख या सिविल इंजीनियरींग विभाग प्रमुख की अनुपस्थिति में सिविल इंजीनियरींग के नागपुर के साथ किसी अन्य महाविद्यालय संकाय सदस्य सदस्य-सचिव।

(३) पदेन सदस्यों के अलावा, समिति के अन्य सभी सदस्य, तीन वर्षों की अवधि के लिए, पद धारण करेंगे तथा पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(४) यदि, सदस्य के पद में से कोई रिक्ति पाई जाती है तो, वह कुलाधिपति या, यथास्थिति, कुलपति द्वारा, एक महीने के भीतर, भरी जायेगी।

(५) भवन तथा कार्य समिति,—

(क) शासी बोर्ड के निदेशन तथा सम्पूर्ण अधीक्षण के अधीन, निजी अभिकरणों या संविदाकार या लोक निर्माण कार्य विभाग के जरिए, निष्पादित होनेवाले प्रमुख कार्यों के सम्मिलित सभी प्रकार के कार्यों के निष्पादन के लिए जिम्मेवार होगी ;

(ख) रखरखाव कार्य के लिए, बजट में निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन, प्रशासनिक अनुमोदन तथा वित्तीय मंजूरी के अनुरुप होगा ;

(ग) सभी लघु तथा मुख्य कार्यों के संबंध में, शासी बोर्ड से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करना तथा व्यय मंजूर करने की सिफारिश करना ;

(घ) अनुवर्ती वर्ष में होनेवाले, अलग से, विशेष रूप से उल्लिखित रखरखाव कार्यों, लघु कार्यो तथा प्रमुख कार्यों के ' कार्यों के कार्यक्रम ' की वित्त तथा लेखा समिति के ज़रिए, शासी बोर्ड को सिफारिश करना ;

(ङ) विश्वविद्यालयीन कार्यों के लिए तीन वास्तुकारों तथा अन्य अनुभव तथा गुणवत्ता से परिसिद्ध विशेष परामर्श दाताओं का पॅनल तैयार करना तथा शासी बोर्ड द्वारा उसे अनुमोदन प्राप्त कराना।

(च) शासी बोर्ड के लघु तथा मुख्य कार्यों के प्रशासकीय अनुमोदन लेने तथा व्यय की मंजुरी लेने के लिए विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियरींग विभाग के प्रमुख या इस परियोजना के लिए चयनित वास्तुकार से, विश्वविद्यालय के अनुमोदित वास्तुकारों के पॅनल द्वारा धारित ऐसे कार्य की योजना तथा अनुमान बनाना ;

(छ) अनुरक्षण कार्यों तथा लघु कार्यों के निष्पादन के लिए, उनके प्रौद्योगिक अनुभव तथा वित्तीय क्षमताओं के आधार पर अनुमोदित संविदाकारों की सूची बनाए रखना ;

(ज) उनके द्वारा जैसा कि आवश्यक विचारार्थ रखा जाए, प्रौद्योगिक संवीक्षा करने के लिए जिम्मेवार होगा ;

(झ) अनुरक्षण कार्यों तथा लघु कार्यों के लिए, निविदाओं की प्राप्ति के लिये सावधानी से संवीक्षा करने के पश्चात्, स्वीकृति के लिए जिम्मेवार होगा ;

(ञ) विश्वविद्यालय के तकनीकी कर्मचारिवृंद के कार्य पर सामान्य पर्यवेक्षण का प्रयोग करना तथा विशिष्टतया में, आवश्यक अभिलेखों तथा डाटा अद्यतन करने का सुनिश्चय करना तथा उचित अवधि के लिए प्रतिधारित अस्वीकृत निविदाओं को सुनिश्चित करना ;

(ट) यह सुनिश्चित करना कि, अनुरक्षण कार्यों तथा लघु कार्यों के संबंध में, यदि नियुक्त किए गए है, वास्तुकार द्वारा अनुमोदित अंतिम अभिकल्पना के अनुसार कार्य की समाप्ति का विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियरींग विभाग के प्रमुख या उनकी अनुपस्थिति में सिविल इंजीनियरींग के संकाय सदस्य से प्रमाणित करना ;

(ठ) जैसा और जब भी आवश्यक हो, परामर्शी वास्तुकारों से सहयुक्त रहना तथा विमर्शित करना ;

(ड़) अनुमोदित मुख्य कार्यों, लघुकार्यों तथा अनुरक्षण कार्यो के संबंध में, निविदाकारों से परिनिर्धारित दावें तथा वादों, निविदा द्वारा आवृत्त नहीं होंगे :

परंतु, यदि, किसी ऐसे दावे या वादों के संबंध में निर्णय, कार्य के लागत अनुमानित अनुमोदन के उपर अतिरिक्त कारणों के हेतूक, संभाव्य ऐसी अतिरिक्त रकम की प्राप्ति के लिए शासी बोर्ड की पूर्व मंजुरी से प्राप्त की जायेगी ;

(ढ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना जैसा परिनियमों द्वारा उसे, उस पर प्रदत्त किया जाए ।

(६) समिति के अध्यक्ष को, मुख्य कार्यों, लघु कार्यों तथा अनुरक्षण कार्यों के संबंध में मासिक चालू लेखा बिलों की अदायगी की मंजुरी की शक्ति होगी ऐसे बिल के अध्यधीन, जहाँ नियुक्त किए है, वास्तुकार द्वारा परीक्षण किए जाने पर विश्वविद्यालय सिविल इंजीनियरींग विभाग के प्रमुख या उनकी अनुपस्थिति में सिविल इंजीनियरींग के संकाय सदस्य 'अदायगी के लिये उचित' रूप से प्रमाणित होगा। इस प्रकार अदा किया जानेवाला बिल, उनकी अगली बैठक में समिति के अनुमोदन के लिए रखा जायेगा।

(७) यदि, समिति के अध्यक्ष के लिए विश्वास रखने का युक्तियुक्त आधार यह है कि, यहाँ कोई आपात काल, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है, वह समिति की शक्तियों का प्रयोग करेगा। समिति की अगली बैठक में, अध्यक्ष द्वारा, ऐसे मामलों का प्रतिवेदन किया जायेगा।

(८) विश्वविद्यालय में सभी प्रकार के कार्यो के निष्पादन के लिए की प्रक्रिया तथा समिति के बैठक में कारोबार के संचालन के लिए की प्रक्रिया परिनियमों द्वारा यथा विहित ऐसी होगी।

६०. (१) विश्वविद्यालय के सभी क्रयों सें संबंधित सभी मामलों, ऐसी वस्तुओं के संबंध में जहाँ प्रत्येक वस्तु की अलग कीमत एक समय पर दस लाख रुपयों से अधिक है, व्यवहार करने के लिये एक क्रय समिति होगी । क्रय समिति।

(२) क्रय समिति, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष के रूप में कुलपति ;

(ख) शासी बोर्ड से कुलाधिपति का नामनिर्देशिति ;

(ग) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विद्यालयों के एक संकाय प्रमुख और विश्वविद्यालय विभागों के एक प्रमुख ;

(घ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित उद्योग से सामुग्री प्रबंधन के या रासायनिक प्रौद्योगिक संस्था (आयसीटी) क्षेत्र में से एक विशेषज्ञ ;

(ङ) रजिस्ट्रार ; और

(च) वित्त तथा लेखा अधिकारी—सदस्य सचिव ।

(३) वित्त तथा लेखा अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान, रजिस्ट्रार, क्रय समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा ।

(४) क्रय समिति विभाग के प्रमुख या केंद्र के प्रमुख, जिसके लिये क्रय किया जा रहा है, को आमंत्रित करेगी ।

(५) समिति के सभी सदस्य, **पदेन** सदस्यों के अलावा,तीन वर्षो की अवधि के लिये पद धारण करेंगे और उसी विश्वविद्यालय में द्वितीय क्रमिक सत्र के लिये पात्र नहीं होंगे ।

(६) विश्वविद्यालय के सभी क्रयों से संबंधित सभी मामलों ऐसी वस्तुओं के संबंध में जहाँ प्रत्येक वस्तु की अलग कीमत एक समय पर दस लाख रुपयों से अनधिक है, ऐसे सभी मद्दें परिनियमों द्वारा यथा विहित किए जायेंगे ।

(७) क्रय समिति की शक्तियाँ तथा कर्तव्य और उसकी बैठकों के लिये प्रक्रिया, परिनियमों द्वारा विहित की जायेगी ।

(८) यदि, एक सदस्य, के पद में रिक्ति उद्भूत हो जाती है तो, उसे कुलधिपति या यथास्थिति, कुलपति द्वारा एक महीने के भीतर भर दी जायेगी ।

६१. (१) विश्वविद्यालय के ज्ञान स्त्रोत केन्द्र, मुद्रण तथा विद्युत उपस्कर तथा संबंधित सेवाओं के प्रशासन, संगठन तथा पोषण करने के लिये एक ज्ञान स्त्रोत समिति होगी । ज्ञान स्त्रोत समिति।

(२) ज्ञान स्रोत समिति, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) कुलपति—अध्यक्ष ;

(ख) सभी संकायाध्यक्ष और निदेशक ;

(ग) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय विभाग का एक प्रमुख ;

(घ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित दो सदस्य, जिनमें से एक उद्योग से होगा और अन्य एक राष्ट्रीय स्तर संगठन का पुस्तकालयाध्यक्ष होगा ;

(ङ) रजिस्ट्रार ;

(च) वित्त तथा लेखा अधिकारी ;

(छ) सदस्य–सचिव के रूप में ज्ञान स्रोत केन्द्र के निदेशक ;

(३) ज्ञान स्रोत समिति के सभी नामनिर्देशित सदस्य, **पदेन** सदस्यों के अलावा, तीन वर्षों की अवधि के लिये पद धारण करेंगे और पुन : नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(४) ज्ञान स्रोत समिति, वर्ष में कम-से-कम तीन बार बैठक बुलायेगी ।

(५) ज्ञान स्रोत समिति :—

(क) ज्ञान स्रोत केन्द्र के कार्य, प्रलेखन सेवाओं तथा सदृश और डिजिटल प्ररुप में अभिलेखों के रखरखाव के लिये योग्य संगठन तथा सहायता का उपबंध करेगी ;

(ख) ज्ञान स्रोत केन्द्र के आधुनिकीकरण तथा सुधार और सादृश तथा डिजिटल दोनों ढाँचों मे अभिलेखों के रखरखाव के लिये पद्धति और क्रियात्मक योजना का उपबंध करना ;

(ग) छात्रों तथा अन्यों द्वारा ज्ञान स्रोत केन्द्र की सेवाओं तथा उपयोग के लिये, फीस और अन्य प्रभार, अकादमिक परिषद को सिफारिश करना ;

(घ) शासी बोर्ड के अनुमोदन के लिये, ज्ञान स्रोत केन्द्र के विकास के लिये वित्त तथा लेखा समिति के जरिए वार्षिक बजट तथा प्रस्ताव तैयार करना ;

(ङ) कुलपति के जरिए शासी बोर्ड को ज्ञान स्रोत केन्द्र के कार्यों पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;

(च) प्रादेशिक, राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय पुस्तकालयों तथा सूचना केंद्रों के साथ नेटवर्क स्थापित करना ;

(छ) सभी प्रशासनिक, अभिशासन, अकादमिक तथा अन्य दस्तावेजों से संबंधित विश्वविद्यालय विद्यालयों, विभागों या संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यालयों तथा विश्वविद्यालय के निर्धारण तथा प्रत्यायन से संबंधित सूचना तथा डाटा धारण करना ;

(ज) विश्वविद्यालय प्रधिकरण द्वारा समनुदेशित किये जा सके ऐसे अन्य कार्य हाथ में लेना, जिससे ज्ञान स्रोत केन्द्र के उद्देश्यों को कार्यान्वित किया जा सके ।

(६) यदि एक सदस्य के पद की रिक्ति पाई जाती है तो वह कुलपति द्वारा एक महीने के भीतर भरी जायेगी ।

फीस नियतन समिति।

६२. (१) यह फीस नियतन समिति, विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जानेवाले हर एक स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों के परिदान की वास्तविक लागत पर कार्य करेगी ।

(२) फीस नियतन समिति, अकादमिक परिषद द्वारा यथा सिफारिश से अध्यापन फीस, विकास फीस, अन्य फीस तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों के प्रभारों का विनिश्चय करेगी तथा अनुमोदन के लिए शासी बोर्ड को सिफारिश करेगी ।

(३) फीस नियतन समिति, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त कुलपति या शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक अनुभव होनेवाला कोई विख्यात शिक्षाविद् जो, विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं होगा ;

(ख) सभी विद्यालयों के संकायाध्यक्ष और निदेशक ;

(ग) शासी बोर्ड से कुलाधिपति का नामनिर्देशित ;

(घ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक बेहतर चार्टड अकाऊंट, जो विश्वविद्यालय से संबंधित न होनेवाला एक वित्तीय विशेषज्ञ हो या ;

(ड.) शासी बोर्डे द्वारा नियुक्त एक विधि सलाहकार विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं होगा ;

(च) सदस्य-सचिव के रूप में रजिस्ट्रार, ।

(४) समिति के बैठक की गणपूर्ति सात सदस्यों से होगी।

(५) पदेन सदस्यों से अन्य समिति के सभी सदस्य, पाँच वर्षों के लिए अपना पद धारण करेंगे तथा पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होंगे।

(६) फीस नियतन समिति द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों के लिए जैसे सिफारिश किए गए शिक्षा फीस, विकास फीस, अन्य फीस, तथा प्रभार होंगे और शासी बोर्ड द्वारा अंतिम अनुमोदन सामान्य रुप में लागू होंगे :

परंतु, यह की यह फीस इस संबंध में, राज्य सरकार के नीतियों के उल्लंघन में नही होगी ।

(७) अध्यादेश में यथा विहित मानकों के आधार पर समिति, फीस नियतन प्रस्तावों का परिक्षण करने तथा विचार करने के लिए, वर्ष में दो बार बैठक बुलायेगी तथा आवश्यकता होने पर अधिक बैठकें लेगी। समिति, अकादमिक वर्ष के प्रारम्भण से कम से कम छह महीने पूर्व अध्यापन फीस, विकास फीस, अन्य फीस तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों के प्रभार का विनिश्चय करेगी।

(८) यदि एक सदस्य के पद में रिक्ति उदभूत हो जाती है तो उसे कुलाधिपति, या, यथास्थिति, कुलपति द्वारा एक महीनें के भीतर भर दी जायेगी।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों का चयन तथा नियुक्तियाँ।

६३. (१) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबंधों के अध्यधीन, कुलपति गुणागुण के आधार पर तथा चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार विश्वविद्यालय अध्यापक और ज्ञान स्त्रोत केंद्र के निदेशक की नियुक्ति करेगा ।

(२) विश्वविद्यालय अध्यापकों और ज्ञानस्त्रोत केंद्र के निदेशक की नियुक्ति के लिए, सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों से चयन समिति का गठन होगा अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष के रूप में कुलपति ;

(ख) कुलधिपति द्वारा नामनिर्देशित प्राध्यापक की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का एक व्यक्ति ;

(ग) संबंधित विद्यालय के संकायाध्यक्ष सदस्य-सचिव के रुप में ;

(घ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित, संबंधित विश्वविद्यालय विभाग, केंद्र का प्रमुख ;

(ड.) विशेषज्ञों के छह नामों से अनुन पॅनल में से, शासी बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित, तीन से अनून विशेषज्ञ, अकादमिक परिषद द्वारा सिफारिश किये गये विश्वविद्यालय से संबंधित न हो, जिसे, जिसके लिये अध्यापक का चयन किया जा रहा है, उस विषय का विशेष ज्ञान है ;

(च) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) या खानाबदोश जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों से प्राध्यापक से अनिम्न श्रेणी का एक व्यक्ति ;

(छ) प्राध्यापक से अनिम्न श्रेणी का शासी बोर्ड का एक नामिति ;

(ज) तकनीकी शिक्षा के संयुक्त निदेशक से अनिम्म श्रेणी का सरकार का एक नामिति ;

(झ) निदेशक, तकनीकी शिक्षा या संयुक्त निदेशक से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिति :

परंतु, खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट प्रमुख, जो सहयोगी प्राध्यापक है, से निम्म श्रेणी का सहायक प्राध्यापक के चयन के लिये, चयन समिति का एक सदस्य होगा ।

परंतु आगे यह कि, चयन समिति के एक सदस्य के रूप में नामनिदेशित किए जाने वालों में एक व्यक्ति महिला होगी ।

(३) चयन द्वारा भरे जानेवाले विश्वविद्यालय अध्यापकों को प्रत्येक पद, कुलपति द्वारा, अनुमोदित प्रारूप के अनुसार सम्यक्तया तथा व्यापक रूप से, यथाविहित न्यूनतम तथा अतिरिक्त अर्हताएँ, पारिश्रमिक तथा भरे जाने वाले पदों की संख्या, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) या खानाबदोश जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये आरक्षित हैं, शासी बोर्ड के सिफारिश पर कुलपति द्वारा निर्धारित किया जाये, विज्ञापित किये जायेंगे, तथा ऐसा युक्तियुक्त समय, जिसमें आवेदन कर्ता, विज्ञापन की प्रतिक्रिया के भीतर में, उनके आवेदनों को प्रस्तुत करने की अनुमति होगी ।

(४) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भण पर निवृत्त होनेवाले व्यक्तियों की सूची, एक वर्ष के भीतर तैयार की जायेगी और संभावित रिक्ति की सूची, रिक्त पदों को भरने के लिए उनके अनुमोदन के लिए उसे राज्य सरकार को अग्रेषित करने के लिए शासी बोर्ड को प्रस्तुत की जायेगी।

(५) प्रत्येक चयन समिति की बैठक का दिनांक, इस प्रकार नियत किया जायेगा कि, प्रत्येक सदस्य को, ऐसी बैठक के कम-से-कम पंद्रह दिनों की सूचना की अनुमति हो ; तथा प्रत्येक उम्मीदवार का विवरण, चयन समिति के प्रत्येक सदस्य को भेजा जायेगा, जिससे वह बैठक के दिनांक से सात दिन पूर्व पहुँच सकें। :

(६) प्रत्येक चयन समिति के बैठक की गणपूर्ति, सात सदस्यों से मिलकर होगी जिसमें से कम से कम दो सदस्य उप-धारा (२) के खण्ड (ङ) के अधीन नामनिर्देशित किए गए व्यक्ति होंगे।

(७) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किसी व्यक्ति द्वारा की गई याचिका पर या कुलधिपति की **स्वप्रेरणा** से आवश्यक ऐसी जाँच पर या जाँच करने के पश्चात् या उन अध्यापकों की जिसकी नियुक्तियाँ प्रभावित होने की संभावना हैं ऐसे अध्यापकों से विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा किसी भी समय मे किये गये स्पष्टीकरण समेत प्राप्त या प्राप्त किये गये ऐसे स्पष्टीकरण की तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार नहीं थे तो कुलाधिपति आदेश द्वारा, ऐसे अध्यापकों के सेवा के निबंधनों से संबंधित संविदा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उनको एक महीने की सूचना देने या ऐसी सूचना के बदले एक महीने का वेतन देने के पश्चात्, उनकी नियुक्ति पर्यवसित करने के निदेश कुलपति को दे सकेगा और कुलपति तुरंत उसका अनुपालन करेगा तथा नए चयन के लिए कदम उठायेगा। वह व्यक्ति जिसकी नियुक्ति इस प्रकार पर्यवसित हो गई है वह उस पद के लिए फिर से आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

(८) अंतिम पूर्ववर्ति उप-धारा के अधीन कुलाधिपति द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा तथा उस आदेश की प्रतिलिपि, उसकी प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर कुलपति द्वारा संबंधित अध्यापक को तामील की जायेगी।

(९) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि किसी व्यक्ति को उसकी सेवा पर्यवसित होने के पश्चात् किसी अवधि के लिए विश्वविद्यालय के निधि में से, वेतन या भत्ते के रूप में कुछ भी अदायगी नहीं की गई है इसकी सुनिश्चिति करेगा और किसी प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कोई ऐसी अदायगी की गई है तो वह इसप्रकार अदायगी की गई रकम विश्वविद्यालय को वापस करने के लिए दायी होगा।

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन समिति।

६४. (१) विश्वविद्यालय की सभी अकादमिक और प्रशासकीय क्रियाकलापों में गुणवत्ता आश्वासक और गुणवत्ता वृद्धि की योजना, मार्गदर्शन और मानिटर करने के लिए एक आंतरिक गुणवत्ता आश्वासक समिति (आय क्यू ए सी होगी ।

(२) विश्वविद्यालय में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासक समिति परिनियमों द्वारा यथा विहित तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्यायित अभिकरण राज्य सरकार तथा कोई विनियामक प्राधिकरण के समय-समय पर मार्गदर्शक तत्त्वों के अनुसरण में गठित होगी तथा कार्य करेगी।

(३) वार्षिक गुणवत्ता आश्वासक रिपोर्ट आंतरिक गुणवत्ता आश्वासक समिति (आयक्यूएसी) द्वारा तैयार किया जायेगा और शासी बोर्ड के समक्ष उनके अनुमोदन के लिए और आगे की कार्यवाही के लिए तथा गुणवत्ता वृद्धि के लिए आवश्यक उपायों के लिए रखा जायेगा। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद या अन्य प्रत्यायन निकायों को नियमित रूप से वार्षिक गुणवत्ता आश्वासक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(४) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासक समिति, यदि कोई हो, राज्यस्तर गुणवत्ता आश्वासक निकायों के साथ निकट रूप से कार्य करेगा।

विश्वविद्यालय अध्यापकों की अस्थायी रिक्तियों को भरना।

६५. जहाँ ऐसी नियुक्ति, विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अस्थायी रिक्ति, पदत्याग, छुट्‌टी या चाहे कोई भी कारण पर हो, पर बनाई जानेवाली है तो यदि, रिक्ति एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये हो, तो, चयन समिति की सिफारिश पर धारा ६३ के उपबंधों के अनुसरण में की जायेगी । चयन समिति की गणपूर्ति सात सदस्यों से होगी ।

विश्वविद्याल के अधिकारी तथा कर्मचारियों के लिए चयन समितियाँ।

६६. (१) धारा १३ की उप-धारा (२) और धारा १९ की उप-धारा (२) के प्रयोजनों के लिए, रजिस्ट्रार और वित्त तथा लेखा अधिकारी के पदों की नियुक्ति करने के लिए यथोचित उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए एक चयन समिति होगी।

(२) चयन समिति, निम्न सदस्यों से मिलकर गठित होगी, अर्थात,—

(क) कुलपति - अध्यक्ष ;

(ख) शासी बोर्ड से कुलाधिपति का नामनिर्देशिति ;

(ग) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित, जो विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं है, भरे जानेवाले पद से संबंधित क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखनेवाले, दो विशेषज्ञ ;

(घ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) या खानाबदोश जनजाति या अन्य पिछडे वर्गों, में से, प्राचार्य या प्राध्यापक से अनिम्न श्रेणी का कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति ;

(ङ.) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित प्राध्यापक से अनिम्न श्रेणी की एक महिला प्रतिनिधि ;

(च) तकनीकी शिक्षा का निदेशक या तकनीकी शिक्षा के संयुक्त निदेशक से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिति ;

(छ) रजिस्ट्रार, सदस्य-सचिव ;

(३) उप-धारा (१) में उल्लिखित सभी पद, सम्यक्तया तथा व्यापक रूप से विज्ञापित किये जायेंगे ।

(४) प्रत्येक चयन समिति की बैठक का दिनांक, इस प्रकार नियत किया जायेगा कि, प्रत्येक सदस्य को, ऐसी बैठक के कम-से-कम पंद्रह दिनों की सूचना की अनुमति हो तथा प्रत्येक उम्मीदवार का विवरण, चयन समिति के प्रत्येक सदस्य को भेजा जायेगा जिससे वह बैठक के दिनांक से सात दिन के पूर्व पहुँच सके ।

(५) उप-धारा (१) में निर्दिष्ट पद की नियुक्ति के मामले में यदि प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित किसी व्यक्ति द्वारा की गई याचिका पर या कुलाधिपति की **स्वप्रेरणा** से आवश्यक ऐसी जाँच करने पर या जाँच के पश्चात् उन व्यक्तियों जिनकी नियुक्तियाँ प्रभावित होने की संभावना हैं, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा किसी भी समय में किये गये स्पष्टीकरण समेत प्राप्त या प्राप्त किये गये ऐसे स्पष्टीकरण तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार नहीं थे तो कुलाधिपति आदेश द्वारा ऐसे व्यक्तियों के सेवा के निबंधनों से संबंधित संविदा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उनको एक महीने की सूचना देने या ऐसी सूचना के बदले एक महीने का वेतन देने के पश्चात् उनकी नियुक्ति पर्यवसित करने के निदेश कुलपति को दे सकेगा और कुलपति तुरंत उसका अनुपालन करेगा तथा नए चयन के लिए कदम उठायेगा। वह व्यक्ति, जिसकी नियुक्ति इसप्रकार पर्यवसित हो गई है वह उस पद के लिए फिर से आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

(६) अंतिम पूर्ववर्ती उप-धारा के अधीन कुलधिपति द्वारा किया गया कोई आदेश, अंतिम होगा तथा उस आदेश की प्रतिलिपि उसकी प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर कुलपति द्वारा संबंधित व्यक्ति को तामील की जायेगी।

(७) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि, किसी व्यक्ति को, उसकी सेवा पर्यवसित होने के पश्चात् किसी अवधि के लिए विश्वविद्यालय के निधि में से, वेतन या भत्ते के रूप में कुछ भी अदायगी नहीं की गई है इसकी सुनिश्चिति करेगा और किसी प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कोई ऐसी अदायगी की गई है तो वह इस प्रकार अदायगी की गई रकम विश्वविद्यालय को वापस करने के लिए दायी होगा।

(८) चयन समिति और विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की पद्धति, परिनियमों में यथा विहित होगी।

६७. इस अधिनियम के अधीन गठित समितियों के अतिरिक्त में, विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, यथोचित शर्तों तथा किसी विशिष्ट कार्य के लिये के संदर्भ के साथ, समिति नियुक्त कर सकेगी, तथा ऐसी समिति में, ऐसी समिति के गठन करनेवाले उसी प्राधिकरण के सदस्यों तथा उस प्राधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किये जाए ऐसे अन्य व्यक्तियों का भी समावेश होगा। अन्य समितियाँ।

अध्याय नौ

नामांकन, उपाधियाँ और दीक्षान्त समारोह

अध्यापन तथा अनुसंधान ।

६८. समस्त अनुदेश, अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान, अनुसंधान सहयोग तथा सहभागिता साधारणतया विश्वविद्यालय, परिनियमों द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीत्या में, विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर संचलित किया जा सकेगा ।

छात्रों का नामांकन ।

६९. विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में नामांकित किया जानेवाला व्यक्ति, ऐसी अर्हतायें धारण करेगा तथा ऐसी शर्तों को पूरा करेगा जिसे कि अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाए ।

अनुशासनात्मक शक्तियाँ तथा छात्रों के बीच अनुशासन ।

७०. (१) विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में अनुशासन तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित समस्त शक्तियाँ कुलपति में निहित होगी ।

(२) कुलपति, किसी आदेश द्वारा उप-धारा (१) के अधीन अपनी समस्त या किन्ही शक्तियों को, जिसे वह उचित समझे, उस निमित्त वह नामित करें ऐसे अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(३) कुलपति, अपनी शक्तियों की प्रयुक्ति में, किसी आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि किसी छात्र या छात्रों को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निष्कासन या निष्कासित किया जाएगा या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, उसे या उन्हें विश्वविद्यालय में अध्यापन पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, या विश्वविद्यालय द्वारा परिनियमों द्वारा यथा विहित ऐसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, जो कि पांच वर्षों से अधिक नहीं होगी, के लिये विश्वविद्यालय द्वारा ली जानेवाली परीक्षा या मूल्यांकन करने से विवर्जित किया जायेगा या संबंधित छात्र या छात्रों की परीक्षा या मूल्यांकन जिसमें वह या वे बैठे थे, के परिणाम रद्द किये जाएँगे :

परन्तु, यदि निष्कासन एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए हो, तो कुलपति, सम्बन्धित विद्यार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

(४) कुलपति की शक्तियों पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना, विश्वविद्यालय विभागों केंद्रो के प्रमुख उचित अनुशासन बनाये रखने के लिए, उनके नियंत्रणाधीन छात्रों पर ऐसी समस्त शक्तियाँ, जिसे वह आवश्यक समझे, प्रयुक्त करेगा ।

(५) विश्वविद्यालय छात्रों के लिए, अनुशासन तथा उचित आचरण तथा अनुशासन के उल्लंघन या अवचार के लिये उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही के संबंध में उपबंध परिनियमों द्वारा विहित किये जाये, ऐसे होंगे जो कि विश्वविद्यालय के छात्रों को लागू होंगे ।

(६) छात्रों के अनुशासन तथा उचित आचरण, तथा अनुशासन का उल्लंघन या अवचार के लिये, उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही से संबंधित परिनियमों को, विश्वविद्यालय, विवरणीका में और विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर भी प्रकाशित किये जायेंगे और प्रत्येक छात्र को तद्नुसार संसूचित किया जायेगा।

(७) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र, उस प्रभाव के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करेगा कि विश्वविद्यालय के कुलपति तथा अन्य अधिकारियों तथा प्राधिकरणों या निकायों की अनुशासनात्मक अधिकारिता तक, स्वयं को सुपूर्द करता है तथा तन्निमित्त परिनियमों द्वारा पालन तथा अनुपालन करेगा।

उपाधियाँ, डिप्लोमा प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताएँ।

७१. (१) शासी बोर्ड ऐसी उपाधियाँ, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताएँ संस्थित तथा प्रदान करे सकेगी, जैसा कि अकादमिक परिषद द्वारा सिफारिश किया जाए।

(२) शासी बोर्ड, अनुसंधान में स्नातकोत्तर डॉक्टर संबंधित उपाधियाँ विज्ञान डॉक्टर (जैसि की डी एससी) तथा साहित्य डॉक्टर (डी.लिट) संस्थित तथा प्रदान कर सकेगी जैसा कि अकादमिक परिषद द्वारा सिफारिश किया जाए।

(३) कुलाधिपति को, नैतिक अधमत्ता जैसे किसी अपराध के लिये विधि के न्यायालय द्वारा यदि कोई व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराया गया है या कपटपूर्ण प्रकार से ऐसी उपाधि या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश की मांग की है या कपटपूर्ण प्रकार से ऐसी उपाधि या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या अन्य अकादमिक विशिष्टता प्राप्त की है तो शासी बोर्ड और अकादमिक परिषद की सिफारिश पर, जो कि उसकी बैठक में उपस्थित ऐसे प्रत्येक प्राधिकरण के दो-तिहाई से अनून सदस्यों से बहुमत समर्थित होंगे और ऐसे प्रत्येक प्राधिकरण के आधे सदस्यों से वह कम नही होगें, उपाधि या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या कोई अन्य अकादमिक विशिष्टता स्थाई रूप से या कुलाधिपति उचित समझे ऐसी अवधि के लिये प्रत्याहत की जायेगी। इस धारा के अधीन जब तक संबधित व्यक्ति को स्वयं के बचाव का अवसर नहीं दिया जाता है तब तक ऐसी कार्यवाही नहीं की जायेगी।

७२. अकादमिक परिषद, किसी व्यक्ति को, किसी परीक्षण या परीक्षा मूल्यांकन की अपेक्षा किये बिना, मानद उपाधि या अन्य अकादमिक विशेषताएँ प्रदान करने के लिये विचार कर सकेगा और शासी परिषद से सिफारिश इस आधार पर कर सकेगा कि वह, अपने विशिष्ट पद प्राप्तियों और लोकसेवा के कारण ऐसी उपाधि या अन्य अकादमिक विशेषताएँ प्राप्त करने के लिए उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है और ऐसी सिफारिश यदि शासी बोर्ड की बैठक में उपस्थित दो-तिहाई से अनून, लेकिन जो कुल सदस्यों के आधे से कम नही हों के, बहुमत द्वारा समर्थन प्राप्त हो जाने पर सम्यक्‌तया पारित समझी जायेगी : मानद उपाधि ।

परन्तु, ऐसी उपाधि या अन्य अकादमिक विशेषताएँ, कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना, प्रदत्त नहीं की जायेगी ।

७३. उपाधियाँ, स्नातकोत्तर डिप्लोमा स्नातकोत्तर उपाधि डिप्लोमा प्रदान करने के लिए या किसी अन्य दीक्षांत समारोह प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह शैक्षणिक वर्ष के दौरान, कम से कम एक बार परिनियमों द्वारा विहित रीत्या किया जा सकेगा । वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन।

अध्याय दस

विश्वविद्यालय के निधि, लेखे और लेखा-परीक्षा

७४. (१) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, विश्वविद्यालय का वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (बजट) वित्तीय वर्ष के प्रारम्भण से कम-से-कम दो माह पूर्व, वित्त तथा लेखा समिति के निदेश के अधीन वित्त तथा लेखा अधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा । वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन।

(२) वित्त तथा लेखा अधिकारी, तत्पश्चात, उसके अनुमोदन के लिए शासी बोर्ड को वार्षिक वित्तीय प्राक्कलनों (बजट) की प्रतियाँ अग्रेषित करेगा और कुलाधिपति तथा राज्य सरकार को भेजेगा ।

(३) विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष भी वही होगा जो कि राज्य सरकार का है ।

७५. (१) विश्वविद्यालय निम्न निधियाँ स्थापित करेगा, अर्थात् — विश्वविद्यालय निधियाँ।

(क) सामान्य निधि ;

(ख) वेतन निधि ;

(एक) राज्य सरकार द्वारा सृजित और अनुमोदित सभी अध्यापन और अध्यापनेतर पदों के लिये ;

(दो) विश्वविद्यालय द्वारा अलग से सृजित सभी अध्यापन और अध्यापनेतर पदों के लिए वेतन निधि ;

(ग) न्यास निधि ;

(घ) विकास तथा कार्यक्रम निधि ;

(ङ) आकस्मिक निधि ;

(च) अन्य कोई निधि, जो विश्वविद्यालय की राय में स्थापित करने के लिये आवश्यक समझी गयी है ।

(२) निम्न, राशियाँ सामान्य निधि का हिस्सा होंगी या उसमें से अदा की जायेंगी,—

(क) राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कोई अन्य केन्द्रीय या राज्य प्राधिकरण या केन्द्र/राज्य निकाय से प्राप्त वेतन-इतर अंशदान या अनुदान ;

(ख) विश्वविद्यालय की समस्त आय, चाहे किसी भी साधन से हो, जिसमें फीस, अन्य फीस तथा प्रभारों से हुई आय का समावेश है ;

(ग) शासी बोर्ड की अनुज्ञा से बैंको या अन्य अभिकरणों से उधार ली गई कोई राशि ;

(घ) अन्य किसी स्त्रोत या अभिकरणों से प्राप्त राशि ।

(३) वेतन तथा भत्ते की संपूर्णतः या अंशतः अदायगी के प्रति अध्यापन और अध्यापनेतर दोनो कर्मचारिवृंद उसके सभी मंजूर पदो के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजीसी) किसी अन्य केंद्रीय या राज्य प्राधिकरण या केंद्र/राज्य निकाय से प्राप्त सभी रकमों से मिलकर वेतन निधि बनेगी। उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (एक) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए केवल इस निधि से किसी रकम का इस्तेमाल किया जायेगा।

(४) उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (दो) में उल्लिखित वेतन निधि विश्वविद्यालय द्वारा अलग से सृजित सभी अध्यापन और अध्यापनेतर पदों के लिये वेतन और भतों की संपूर्णतः या अंशतः उसके खुद के स्त्रोत से विश्वविद्यालय द्वारा समुचित सभी रकमों से मिलकर होगी। उप-धारा (१) के खंड (ख) के उप-खण्ड (दो) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिये केवल इस निधि से रकम का इस्तेमाल किया जायेगा।

(५) न्यासों, संस्थाओं, वसीयतों, दानों, सी एस आर, विन्यासों, अभिदानों से प्राप्त समस्त अंशदान आय तथा राशियाँ तथा उसी प्रकार के अनुदान, न्यास निधि का हिस्सा होंगी ।

(६) (क) विश्वविद्यालय के विकास तथा कार्यक्रम निधि, राज्य सरकार से प्राप्त समस्त मुलभूत विकास, अनुदान विकास तथा अनुसंधान के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किये गये समस्त अंशदान केंद्र सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसके सम्बद्धक को निधिकरण एजेंसियाँ, अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेसियाँ, उद्योग, बँक तथा वित्तीय संस्थाएँ या किसी व्यक्ति से प्राप्त अनुदान से मिलकर बनेगी ;

(ख) इस निधि से कोई रकम, विश्वविद्यालय की अन्य किसी निधि में विनियोजित या अन्य किसी प्रयोजन के लिये खर्च नहीं की जायेगी ;

(ग) विकास तथा कार्यक्रम निधि, कार्यक्रमों के उद्देश्यों से संगत रीत्या इस्तेमाल की जायेगी जिसके लिये शासी बोर्ड द्वारा मंजूर तथा अनुमोदित की जानेवाली, व्यय तथा लेखा-संपरीक्षा पर, निधिकरण एजेंसी के मार्गदर्शक सिद्धान्तों का समावेश करने के लिये, एक समुचित संहिता अंगीकृत की जाएगी ।

(७) विश्वविद्यालय को अलग लेखा शीर्ष के अधीन विश्वविद्यालय की आकस्मिक निधि होगी तथा उसे बनाया रखा जायेगा, जिसका उपयोग केवल किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिये किया जायेगा ।

(८) इन निधियों में जमा अतिरिक्त रकम, उचित सामग्री समेत जिसे सद्य या किसी पूर्व दिनांक को, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये उपयोग नहीं किया जा सकेगा, राष्ट्रीयकृत बैंक में समय-समय पर जमा की जायेंगी या राज्य सरकार की वित्तीय सहभागिता रखनेवाले निगम द्वारा जारी किये गये किसी अन्य शेअर या प्रतिभूतियों में निवेशित की जायेगी ।

वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा।

७६. (१) विश्वविद्यालय के लेखाओं को दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली के आधार और सिद्धांतों पर बनाए रखा जाएगा, और अपनायी जानेवाली लेखा की पद्धति राज्य सरकार द्वारा यथा विहित महाराष्ट्र विश्वविद्यालय लेखा संहिता को अपनाते हुए व्यापारिक प्रणाली होगी ।

(२) विश्वविद्यालय के लेखाओं का प्रत्येक वर्ष कम-से-कम एक बार और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संघ जो भागीदारों विश्वविद्यालय किन्हीं प्राधिकरणों या कार्यों में हित नही रखते है उनमें से शासी बोर्ड द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा वित्तीय वर्ष के समापन के चार महीनों के भीतर किसी मामले में लेखा परीक्षित किया जाएगा । विश्वविद्यालय ऐसे लेखा-रिपोर्ट की प्राप्ति के एक महीने के भीतर किसी मामले में लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में जैसा कि पाया जाए ऐसी टिप्पणियों और विसंगतियों का अनुपालन करेगा।

(३) लेखा-परीक्षित लेखों को विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाएगा और उसकी एक प्रतिलिपि लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट और अनुपालन रिपोर्ट की प्रतिलिपि के साथ जोड़कर कुलाधिपति को और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी और किसी मामले में वित्तीय वर्ष के समापन से छह महीनो के भीतर शासी बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी ।

(४) राज्य सरकार, उसे प्राप्त विश्वविद्यालय के लेखापरिक्षित वार्षिक लेखा राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष अधिकथित करेगी।

सन् १९३० का २५। (५) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय लेखों की सांकेतिक लेखा-परीक्षा या सम्पूर्ण लेखा-परीक्षा, नियमित अंतराल पर, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा करा सकेगी । जो महाराष्ट्र स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार होगी और उसमें सुकरता लाने के लिए विश्वविद्यालय बाध्य होगा उसकी असफलता पर अधिनियम की धारा ७ के उपबंध लागू होंगे।

७७. (१) अकादमिक परिषद प्रत्येक अकादमिक वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट जिसमें विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक, अकादमिक, अनुसंधान तथा विकास और अन्य क्रियाकलापों का समावेश है, संकायाध्यक्ष की मदद से तैयार करेगा तथा उसके अनुमोदन के लिए शासी बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। शासी बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ऐसा रिपोर्ट कुलाधिपति तथा राज्य सरकार को, अकादमिक वर्ष के समापन से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करेगी। वार्षिक रिपोर्ट।

(२) राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट उसके द्वारा प्राप्त होने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी ।

अध्याय ग्यारह

विविध

७८. (१) विश्वविद्यालय उसके कर्मचारियों समेत प्रत्येक प्राधिकरण या निकाय तथा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि विश्वविद्यालय के हितों का सम्य्कतया संरक्षण किया जा रहा है । नुकसान के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी तथा अधिकारी।

(२) यदि ऐसा पाया गया है कि विश्वविद्यालय उसके कर्मचारियों समेत किसी प्राधिकरण या निकाय या अधिकारी की ओर से किये गये ऐसे किसी कार्य द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों, परिनियमों, आर्डिनेन्सो या विनियमों के अनुकूल नहीं था, इस बात को छोड़कर जब वह कार्य सद्भावनापूर्वक किया गया हो, या उसके अनुकूल कार्य करने पर किसी असमर्थता के कारण या उनकी या उसकी ओर से जानबूझकर उपेक्षा या व्यतिक्रम बरते जाने पर, विश्वविद्यालय को कोई क्षति या नुकसान पहुँचा है, तो ऐसी क्षति या नुकसान परिनियमों द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकरण या निकाय या उसके संबंधित सदस्य से, संयुक्त रूप से या पृथकतः या, यथास्थिति, संबंधित अधिकारी से वसूलीय होगा।

७९. (१) विश्वविद्यालय के अध्यापक, या अध्यापनेतर कर्मचारी केवल इस आधार पर, ऐसा अध्यापक या अध्यापनेतर कर्मचारी बने रहने से अनर्ह नहीं होगा कि वह राज्य विधानसभा या विधान परिषद या संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामित हुआ है। विश्वविद्यालय के अध्यापक या अध्यापनेतर कर्मचारी अर्ह नही होंगे।

(२) राज्य विधानसभा या विधान परिषद या संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामनिर्देशित विश्वविद्यालय के अध्यापक या अध्यापनेतर कर्मचारी अपनी विधानसभा या विधान परिषद या संसद की सदस्यता की अवधि को वेतन और भत्ते के बिना छुट्टी मानने का हकदार होगा।

(३) उप-धारा (२) में निर्दिष्ट अध्यापक या अध्यापनेतर कर्मचारी, पेन्शन, वरिष्ठता और वेतन-वृद्धि के प्रयोजनों के लिए विधानसभा या विधान परिषद या संसद की अपनी सदस्यता की अवधि को भी गिनने का हकदार होगा।

८०. इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के निर्वाचन या किसी परिनियमों, आर्डिनेंन्स, या विनियम या नियम या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य के रूप में सम्य्कता निर्वाचित या नियुक्त या नामनिर्देशित या सहयोजित व्यक्ति या के लिये हकदार व्यक्ति संबंधी यदि कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो ऐसा मामला कुलपति, **स्वप्रेरणा से** या प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्ति या निकाय की याचिका पर, कुलाधिपति के पास निर्दिष्ट करेगा जो, ऐसी सलाह, जिसे कि वह उचित समझे, लेने के बाद, प्रश्न का निर्णय करेगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा। विश्वविद्यालय प्राधिकरण या निकाय आदि के गठन के बारे में निर्वाचन तथा विवाद संबंधी प्रश्न।

परन्तु, ऐसा निर्देश, शासी बोर्ड के एक चतुर्थ सदस्यों से कम न हो अध्यपेक्षा के हस्ताक्षर पर कुलपति द्वारा दिया जायेगा।

कृत्यों तथा आदेशों का संरक्षण।

८१. विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारियों, प्राधिकरणों या निकायों द्वारा सद्भावनापूर्वक कृत तथा किये गये समस्त कार्य तथा पारित आदेश इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अंतिम होंगे ; तथा तद्नुसार, सद्भावनापूर्वक तथा इस अधिनियम के उपबंधों तथा परिनियमों, ऑर्डिनेन्सो, तथा विनियमों के अनुसरण में कृत, या पारित किसी बात या करने के लिए आशयित किसी बात के लिए, विश्वविद्यालय या उसके अधिकारियों, प्राधिकरणों या निकायों के विरूद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी या जारी रखी नहीं जायेगी या किन्ही नुकसान का दावा नहीं किया जायेगा ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

८२. इस अधिनियम के उपबंधों तथा परिनियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी या प्राधिकरण, आदेश द्वारा, परिनियम, ऑर्डिनेन्स तथा विनियम बनाने में अन्य, उसकी या अपनी शक्तियाँ, उसके नियंत्रणाधीन किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण को, तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन प्रत्यायोजित कर सकेगा कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों की प्रयुक्ति के लिए, अंतिम जिम्मेदारी, उन्हें प्रत्यायोजित करनेवाले अधिकारी या प्राधिकरण में सदैव निहित होंगी।

केवल गठन में त्रुटि, रिक्तियाँ या प्रक्रिया, आदि में अनियमितता के आधार पर कृत्य तथा कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होंगी ।

८३. कुलपति की नियुक्ति के लिए कुलाधिपति द्वारा नियुक्त समिति समेत विश्वविद्यालय के शासी बोर्ड या अकादमिक परिषद या किसी अन्य प्राधिकरण या किसी निकाय या समिति का कोई भी कृत्य या कार्यवाही, किसी भी समय केवल इस आधार पर विधिमान्य नहीं समझे जायेंगे, कि—

(क) ऐसे किसी प्राधिकरण, निकाय या समिति का कोई सदस्य निर्वाचित, नियुक्त या नामनिर्देशित नहीं है या ऐसे किसी अन्य कारणवश गठन के समय पद धारण करते या उसकी किसी बैठक में उपस्थित रहने के लिए उपलब्ध नहीं है या कोई व्यक्ति जो एक से अधिक हैसियत का सदस्य है या उसके गठन में कोई अन्य त्रुटि है या उसके सदस्यों के पद में एक या अधिक रिक्तियाँ है ;

(ख) ऐसे किसी प्राधिकरण, निकाय या समिति की प्रक्रिया में कोई अनियमितता है जो विचारार्थ रखी हुई बात के गुणों पर प्रभाव नहीं डालती है, तथा ऐसी कृत्य या कार्यवाही की विधिमान्यता को ऐसे किसी आधार पर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण या अधिकारी के समक्ष प्रश्नास्पद नहीं बनाया जाएगा ।

विश्वविद्यालय से संबंधित कतिपय मामलों के संबंध में किसी जाँच के कारण आयोग की नियुक्ति करने की राज्य सरकार की शक्ति।

८४. (१) सरकार किसी भी समय, इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से पाँच वर्षों के अवसान पर और उसके पश्चात् प्रत्येक पाँच वर्षों के अवसान के पश्चात् **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, आयोग का गठन करेगी, जिसमें अध्यक्ष और सरकार नियुक्त कर सके ऐसे पाँच से अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी, और ऐसा आदेश आयोग द्वारा अपनायी जानेवाली प्रक्रिया भी विनिर्दिष्ट करेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधिन गठित आयोग,—

(क) अध्ययन और शिक्षा पाठ्यक्रमों का दर्जा और सुसंगत विशेष संदर्भ के साथ विश्वविद्यालय का कामकाज ;

(ख) विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति ;

(ग) विश्वविद्यालय के कामकाज में सुधार लाने की दृष्टि से इस अधिनियम या परिनियमों, विनियमों आदेशों और नियमों के उपबंधों की अनुरुपता ; और

(घ) ऐसे अन्य मामले जिसे राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए ऐसा रिपोर्ट बनाना और जैसा कि उचित समझे ऐसी सिफारिशें सरकार को करना।

(३) उप-धारा (२) के अधीन आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों की प्राप्ति पर सरकार, ऐसी रिपोर्ट और सिफारिशों विचारार्थ और उसका रिपोर्ट प्रस्तृत करने के लिए तत्काल शासी बोर्ड को भेजेगा।

(४) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय की ऐसी जाँच के परिणाम को संदर्भ के साथ उनके विचारों को संसूचित करेगी और उसपर विश्वविद्यालय के राय अभिनिश्चित करने के पश्चात् उसपर कार्यवाही करने की सलाह विश्वविद्यालय को दे सकेगी तथा ऐसी कार्यवाही के लिए समयसीमा नियत करेगी ।

(५) विश्वविद्यालय, इसप्रकार नियत समय सीमा के भीतर राज्य सरकार को उसके द्वारा दिए गए सलाह पर की गई, या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही का रिपोर्ट करेगा ।

(६) यदि उप-धारा (४) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विश्वविद्यालय कोई कार्यवाही नही करता है या यदि विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही सरकार के मतानुसार समाधानकारक नही है तो सरकार, विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, जिसे वह ठिक समझे ऐसे निदेशन जारी करेगा और विश्वविद्यालय उसका अनुपालन करेगा ।

अध्याय बारह

अस्थायी उपबंध

लक्ष्मीनारायण प्रोद्योगिकी संस्था, नागपुर और राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर में विद्यमान कर्मचारियों के लिए उपबंध ।

८५. (१) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन यदि कोई ऐसा अध्यापक, विद्यमान संस्था में कर्मचारी के रुप में सेवा करने के लिए चयनित होता है, तो वह विश्वविद्यालय का कर्मचारी होगा और वह उसी पारिश्रमिक और उसी अधिकारों और विशेषाधिकारों और अन्य मामले जिसे वह विश्वविद्यालय में नियुक्ति के दिनांक के पूर्व मिल जाते थे, पर उसी अवधि द्वारा पद धारण करेगा या उसमें सेवारत रहेगा और विश्वविद्यालय के अधीन उसकी सेवा समाप्त नहीं की जाती है या ऐसा अवधि, पारिश्रमिक और शर्ते तथा निबंधन परिनियमों द्वारा सम्यक् परिवर्तित नहीं होती है तब तक अपने पद पर बना रहेगा ।

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति को हानिकर न हो इस प्रकार उसकी पदावधि, पारिश्रमिक सेवा के निबन्धन और शर्तों में परिवर्तन नहीं होगा :

(२) इस अधिनियम के अन्य उपबधों के अध्यधीन नियत दिनांक के सद्य पूर्व दिनांक पर विद्यमान संस्था में सेवा देने के लिये उसे लागू विधि के अनुसरण में, यथोचित रीत्या, चुने गये और नियुक्त किये गये प्रत्येक कर्मचारी उस विश्वविद्यालय का कर्मचारी होगा और यह अधिनियम यदि अधिनियमित नहीं हुआ था तो जिस पदावधि तक, पारिश्रमिक पर और सेवानिवृत्ति लाभ या अन्य मामलों संबंधी उसी अधिकारों या सेवा के अन्य निबन्धनों और शर्तों तक पद धारण किया होता उस पदावधि तक उस पदावधि, उस सेवानिवृत्ति लाभ या अन्य मामलों संबंधी उस अधिकारों सहित इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों के अनुसरण में, सम्यक् परिवर्तन होने तक अपना पर धारण करेगा :

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति को हानिकर न हो इस प्रकार उसकी पदावधि, पारिश्रमिक और सेवा के निबंन्धन और शर्तों में परिवर्तन नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि, इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर और विद्यमान संस्था में सरकारी मंजूरी प्राप्त पदों पर सरकार द्वारा नियुक्त और ऐसे पद पर नियुक्त दिनांक के सद्य पूर्व सेवा कर रहे अध्यापनेतर कर्मचारी जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी न होने का अपना आशय नियत दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर सरकार को लिखित सूचना देकर संसूचित किया है तो किसी ऐसे अध्यापन को लागू नहीं होगी ; और जो विद्यमान संस्था में सेवारत है ऐसे अध्यापकों को की सेवा विकल्प का उपयोग करने के लिये अनुमत अवधि के अवसान तक किसी प्रतिनियुक्ति के बिना प्रतिनियुक्ति पर माना जायेगा :

परन्तु यह भी कि, यदि किसी ऐसे अध्यापनेतर कर्मचारी की यदि विश्वविद्यालय के अधीन सेवा करने की इच्छा नहीं है तो वह किसी अन्य सरकारी महाविद्यालय या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर, विश्वविद्यालय, नागपुर में समकक्ष पद पर अन्तरित किया जा सकेगा और उसकी सेवा अन्यत्र तैनाती होने तक सूचना अवधि के अवसान से प्रतिनियुक्त पर माना जायेगा ।

(३) विद्यमान संस्था के अध्यापन और अध्यापनेतर कर्मचारियों के स्थानांतरण संबंधी उपबंध, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर और लक्ष्मीनारायण प्रोद्योगिकी संस्था नागपुर के बीच पारस्पारिक सहमति पत्र (एमओयु) के अनुसार होंगे।

अधिकारियों और प्राधिकरणों के गठन के निरंतरता से संबंधित उपबंध।

८६. (१) इस अधिनियम द्वारा या के अधीन, यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति की एक वर्ष की अवधि, के लिए या कुलाधिपति द्वारा, नियमित कुलपति की नियुक्ति करने तक, जो भी पहले हो, उसके लिए आवश्यक अर्हता और अनुभव धारण करनेवाले व्यक्तियों में से राज्य सरकार द्वारा, नियुक्ति की जायेगी ।

(२) यदि, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक पर कोई प्राधिकरण या निकाय इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में, गठित नहीं हो सका है तो कुलपति, कुलाधिपति के अनुमोदक के पश्चात् ऐसे प्राधिकरण या निकाय के अंतरिम गठन के लिए ऐसे उपाय कर सकेगा ।

(३) उप-धारा (२) के अधीन गठित ऐसे प्राधिकरण या निकाय का अवधि, उसके गठन से एक वर्ष के लिए या इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकरण या निकाय के सम्य्क गठित होने तक के अवधि तक, जो भी पहले हो, रहेगा ।

(४) संदेह के निराकरण के लिए, एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, ऐसे प्राधिकरण या निकाय के अंतरिम गठन के एक वर्ष की अवधि के अवसिक होने पर, ऐसा प्राधिकरण या निकाय कार्य करना बंद करेगा ।

व्यावृत्तियाँ।

८७. (१) किसी विश्वविद्यालय की समस्त जंगम या स्थावर संपत्ति तथा समस्त अधिकार, हित, चाहे वह, किसी भी प्रकार के हो, शक्तियाँ तथा विशेषाधिकार, नियत दिनांक पर विश्वविद्यालय को अंतरित हो जायेंगे तथा अगले हस्तांतरणपत्र के बिना, उसमें निहित होंगे तथा उस उद्देश्यों तथा प्रयोजनों को लागू होंगे, जिनके लिए विश्वविद्यालय का गठन किया गया है ;

(२) नियत दिनांक पर मूल विश्वविद्यालय की शिकायत समिति के समक्ष लंबित विद्यमान महाविद्यालय के छात्रों से संबंधित सभी कार्यवाहियाँ निपटान के लिये इस अधिनियम के अधिन शिकायत समिति को अन्तरित की जायेंगी ;

(३) विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भण के सद्यःपूर्व, स्वीकृत या ग्रहण तथा धारित समस्त उपकृति इस अधिनियम के अधीन उस विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत या ग्रहण या धारित समझी जायेगी तथा ऐसी सभी शर्तें जिनके अनुसार ऐसी उपकृति स्वीकृत या ग्रहण की गई या धारण की गई थी इस बात के होते हुये भी, ऐसी शर्ते इस अधिनियम के किन्ही उपबंधों से असंगत हो सकती है, इस अधिनियम के अधीन विधिमान्य समझी जायेंगी ;

(४) इस अधिनियम के प्रारम्भण से पूर्व उपगत तथा विश्वविद्यालय के विरुद्ध विधिपूर्वक अस्तित्व में रहे समस्त ऋणों, दायित्वों तथा बाध्यताओं कों विश्वविद्यालय द्वारा निर्वहन किया जायेगा तथा चुकाया जायेगा ;

(५) इस अधिनियम के प्रारम्भण के पूर्व बनायी गयी कोई वसीयत, विलेख या अन्य दस्तावेज जिसमें विश्वविद्यालय के पक्ष में कोई वसीयत, शर्त या न्यास अंतर्विष्ट है इस अधिनियम के अधीन, तथा इस प्रयोजन के लिए उस विश्वविद्यालय के पक्ष में बनाई गई समझी जायेगी ;

(६) विश्वविद्यालय को किसी अधिनियमिति में या किसी अधिनियमिति के अधीन जारी किये गये अन्य लिखितों में किए गए सभी निर्देश इस अधिनियम के प्रारम्भण के पूर्व विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश इस अधिनियम के अधीन और प्रयोजनों के लिए समझे जायेंगे ;

(७) महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६, के अधीन किसी प्राधिकरण द्वारा बनाई गयी या जारी सभी सूचनाएँ तथा आदेश जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, जब तक उन्हें इस अधिनियम के अधीन अतिष्ठित या उपांतरित नहीं किया जाता है, तब तक प्रवर्तमान रहेंगे तथा उस प्राधिकरण द्वारा या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए या निर्गमित किए गए समझे जायेंगे ; सन् २०१७ का महा. ६।

सन् २०१७ का महा. ६। (८) विद्यमान महाविद्यालय के मूल विश्वविद्यालय के संबंध में महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ के अधीन बनाए गए सभी परिनियम तथा ऑर्डिनेन्स जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है जब तक इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों द्वारा वे अतिष्ठित या उपांतरित नहीं होते तब तक प्रवर्तमान बने रहेंगे तथा उस विश्वविद्यालय के परिनियमों या, यथास्थिति, ऑर्डिनेन्स द्वारा विश्वविद्यालय के बारे में इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समझे जायेंगे ;

सन् २०१७ का महा. ६। (९) विद्यमान महाविद्यालय के मूल विश्वविद्यालय के संबंध में महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ के अधीन विहित कोई मानक संहिता, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन विहित की गई है समझी जायेगी और जैसा अन्यथा उपबंधित है इसके सिवाय या इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में, जब तक वह अतिष्ठित नहीं है तब तक प्रवर्तमान में जारी रहेंगे ;

(१०) किसी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष लम्बित वाद और विधिक कार्यवाहियाँ जिसमें नियत दिनांक पर महाविद्यालय पक्षकार थी, विद्यमान महाविद्यालय के उत्तरवर्ती विश्वविद्यालय को रखा गया समझा जायेगा ;

८८. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है, तो राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्‌भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, कोई कार्य कर सकेगी जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो : कठिनाईयों का निराकरण।

परंतु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान पश्चात्, ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XLII OF 2023.

THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIEITIES (THIRD (AMENDMENT) ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २३ अगस्त २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XLII OF 2023.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIEITIES ACT, 1960.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४२ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २४ अगस्त २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और इसलिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२३, १० जुलाई २०२३ को प्रख्यापित हुआ था ;

सन् १९६१ का महा. २४।

सन् २०२३ का महा. ५।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :—

१. (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०२३ कहलाए। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण ।

(२) यह १० जुलाई २०२३ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९६१ का महा. २४। **२.** महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ७३ की, उप-धारा (१क) के, खण्ड (क) में " उसके रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से तीन महीने " शब्दों के स्थान में, " उसके रजिस्ट्रीकरण या, यथास्थिति, पुनर्निर्माण के दिनांक से तीन महीने " शब्द रखे जायेंगे। सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७३ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा १०१ की, उप-धारा (१) में, " व्यक्तिगत " शब्द अपमर्जित किया जायेगा। सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १०१ में संशोधन।

सन् २०२३ का महा. अध्या. क्र. ५। **४.** (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२३ एतदद्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०२३ का महा. अध्यादेश क्रमांक ५ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधो के अधीन कृत, की गई, या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XLIII OF 2023

THE MAHARASHTRA (URBAN AREAS) PROTECTION AND PRESERVATION OF TREES (AMENDMENT) ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २४ अगस्त २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XLIII OF 2023.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA (URBAN AREAS) PROTECTION AND PRESERVATION OF TREES ACT, 1975.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **“ महाराष्ट्र राजपत्र ”** में दिनांक २५ अगस्त २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र (नगरीय क्षेत्रों) वृक्षों का संरक्षण तथा परिरक्षण अधिनियम, १९७५ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र (नगरीय क्षेत्रों) वृक्षों का संरक्षण तथा परिरक्षण अधिनियम, १९७५ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :— सन् १९७५ का महा. ४४।

संक्षिप्त नाम। **१.** (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र (नगरीय क्षेत्रों) वृक्षों का संरक्षण और परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम, २०२३ कहलाए।

२. महाराष्ट्र (नगरीय क्षेत्रों) वृक्षों का संरक्षण और परिरक्षण अधिनियम, १९७५ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की, धारा ६क के, खण्ड (तीन) और (चार), अपमार्जित किए जायेंगे। सन् १९७५ का महा. ४४ की धारा ६ क में संशोधन।।

३. मूल अधिनियम की धारा ८ की,— सन् १९७५ का महा. ४४ की धारा ८ में. संशोधन।

(१) उप-धारा (३), के खण्ड (क-१) के, प्रथम, द्वितीय और तृतीय परंतुक, अपमार्जित किए जायेंगे ;

(२) उप-धारा (५ख), अपमार्जित की जायेगी ।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XLIV OF 2023

THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATION OF THE CITY OF PUNE TAXATION (ENACTMENT AND AMENDMENT OF TAXATION RULES WITH RETROSPECTIVE EFFECT AND VALIDATION) ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २५ अगस्त २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XLIV OF 2023.

AN ACT TO ENACT AND AMEND THE MUNICIPAL CORPORATION OF THE CITY OF PUNE TAXATION RULES FRAMED UNDER THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATION ACT, WITH RETROSPECTIVE EFFECT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४४ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २५ अगस्त २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के अधीन पुणे शहर नगर निगम कराधान नियमों का भूतलक्षी प्रभाव से अधिनियमितिकरण तथा संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के अधीन पुणे शहर के नगर निगम कराधान नियमों को भूतलक्षी प्रभाव से अधिनियमितिकरण तथा संशोधिन करने तथा उसके कतिपय उपबंधों का विधिमान्यकरण करना इष्टकर हैं ; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :— सन् १९४९ का ५९।

संक्षिप्त नाम। **१.** यह अधिनियम महाराष्ट्र पुणे शहर के नगर निगम कराधान (भूतलक्षी प्रभाव से नियमों का अधिनियमितिकरण, संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०२३ कहलाए।

२. १ अप्रैल १९७० से प्रारम्भ होनेवाली तथा ३१ मार्च २०२३ पर समाप्त होनेवाले अवधि के दौरान, पुणे शहर के नगर निगम के क्षेत्र में के भवन या भूमि के आनुपातिक मूल्य का अवधारण करने के लिए उपबंध करने, के लिए कराधात नियमों के अधिनियमित करने तथा संशोधित करने के लिए निम्न नियम बनाए जायेंगे और १ अप्रैल १९७० को महाराष्ट्र नगर निगम की धारा ४५४ के अधीन पुणे शहर नगर निगम द्वारा किये गए ऐसा समझा जायेगा, अर्थात् :— आनुपातिक मूल्य अवधारित करने के लिए १ अप्रैल १९७० से नियमों को प्रभावी अधिनियमितिकरण। सन् १९४९ का ५९।

सन् १९४९ का ५९। "१. **संक्षिप्त नाम,**—यह नियम पुणे शहर नगर निगम कराधान (संशोधन) नियम, १९७० कहलाए।

२. यथा प्रयुक्त पुणे शहर नगर निगम महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की संलग्न अनुसूची घ, के अध्याय आठ, के नियम ७, के उप-नियम (१) के स्थान में, निम्न उप-नियम रखे जायेंगे और १ अप्रैल १९७० से रखे गए समझे जायेंगे, अर्थात् :—

"(१) सम्पत्ति कर को निर्धारणीय किसी भवन या भूमि का आनुपातिक मूल्य नियत करने के उद्देश्य से, वार्षिक किराए, जिसके लिए ऐसी भूमि या भवन समुचित हो सके ऐसे उक्त वार्षिक किराए के पंद्रह प्रतिशत की समान राशि वर्षानुवर्ष कटौती की जायेगी और उक्त कटौती मरम्मत के लिए सभी भत्तों के बदले में या चाहे किन्ही अन्य लेखे पर होगी :

परंतु, किसी भवन या भवन का हिस्सा स्वामी द्वारा अनन्य रूप से निवासीय प्रयोजन के लिए अधिभोगित किया है, के मामले में वार्षिक किराए की रकम से वार्षिक किराए के चालीस प्रतिशत की समान राशि की कटौती की जायेगी :

परंतु आगे यह कि, यदि स्वामि ने, केवल उसके निवासी प्रयोजनों के लिये एक से अधिक भवन या भवन का हिस्सा अधिभोगित किया है ऐसे मामलों में, किसी एक भवन या भवन का हिस्सा ऐसी कटौती के लिये पात्र होगा।"।

सन् १९४९ का ५९। **३.** पुणे शहर नगर निगम के क्षेत्र में भवन या भूमि को अनुपातिक मूल्य का अवधारण करने के लिए उपबंध करनें है, के लिये कराधान नियम अधिनियमत करने और संशोधन करने के लिये निम्न नियम,किया जायेगा और महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा ४५४ के अधीन १ अप्रैल २०२३ से किया गया समझा जायेगा, अर्थात् :— आनुपातिक मूल्य अवधारित करने के लिए १ अप्रैल २०२३ से नियमों का अधिनियमितिकरण।

"१. **संक्षिप्त नाम,** यह नियम पुणे शहर नगर निगम कराधान (संशोधन) नियम, २०२३ कहलाए।

सन् १९४९ का ५९। २. पुणे शहर नगर निगम में यथा प्रयुक्त महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम से संलग्न अनुसूची घ की के अध्याय आठ के नियम ७ के उप-नियम (१) में, निम्न उप-नियम, रखे जायेंगे और १ अप्रैल २०२३ से रखे गए समझे जायेंगे, अर्थात् :—

"(१) सम्पत्ति कर को निर्धारणीय किसी भवन या भूमि का आनुपातिक मूल्य नियत करने के उद्देश्य से वर्षिक किराए, जिसके लिए ऐसी भूमि या भवन समुचित हो सके से उक्त वार्षिक किराए के दस प्रतिशत की समान राशि की वर्षानुवर्ष कटौती की जायेगी और उक्त कटौती मरम्मत के लिए सभी भत्तों के बदले या चाहे किसी अन्य लेखे के बदले में होगी :

परंतु, निवासीय प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से स्वामि द्वारा अधिभोगित किसी भवन या भवन के हिस्से के मामले में, वार्षिक किराए की रकम से चालीस प्रतिशत की समान राशि की कटौती की जायेगी :

परंतु आगे यह कि, यदि स्वामि ने, केवल उसके निवासी प्रयोजनों के लिये एक से अधिक भवन या भवन का हिस्सा अधिभोगित किया है के ऐसे मामलों में, किसी एक भवन या भवन का हिस्सा ऐसी कटौती के लिये पात्र होगा।"।

सन् १९४९ का ५९। **४.** (१) महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (जिसे इसमें आगे, इस धारा में "मूल अधिनियम" कहा गया है) या किसी न्यायालय के किसी न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिनियम की अनुसूची घ के अध्याय आठ के नियम ७ में विनिर्दिष्ट वार्षिक किराए से अनुज्ञात कटौती की कोई रकम, पुणे शहर नगर निगम द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची घ के अध्याय आठ के नियम ७ के उपबंधों के उप- आनुपातिक मूल्य के अवधारण के लिए वार्षिक किराए से दी गयी कटौती की रकम का विधिमान्यकरण तथा व्यावृत्ति।

नियम (१) के अनुसरण में १ अप्रैल १९७० से प्रारम्भ होनेवाली तथा ३१ मार्च २०२३ को समाप्त होनेवाली अवधि के दौरान किसी भूमि या भवन के आनुपातिक मुल्य के नियतन के अनुसरण में कृत या करने की आशयित कोई कार्यवाही समेत उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्य करने के लिए कार्यरत या तात्पर्यित समझी जायेगी और हमेशा की गयी समझी जायेगी जो विधि के अनुसरण में सम्यक्तया और विधिमान्यतः के रूप में कटौती की गई समझी जायेगी मानों कि, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधन उक्त नियमों के उपबंध १ अप्रैल १९७० से निरंतर प्रभावी हुए थे और तद्नुसार,—

(क) सम्पत्ति कर के किसी निर्धारण, उद्ग्रहण, माँग, संग्रहण या पुनरीक्षण या वार्षिक किराए की रकम से दी गई कोई कटौती के संबंध में उक्त निगम द्वारा, या उसके किसी अधिकारियों या किन्ही अन्य प्राधिकरणों द्वारा किए गए सभी कृत्य कार्यवाहियाँ कार्य उक्त अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में, कृत या की गई समझी जायेगी ;

(ख) इस प्रकार उद्ग्रहीत और संग्रहीत सम्पत्ति कर या वार्षिक किराए की किसी रकम के कारण की गई कटौती की किसी रकम के प्रतिदाय के लिए उक्त निगम या उसके किसी अधिकारियों या किन्ही अन्य प्राधिकरणों के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद अपील या अन्य कार्यवाहियाँ संस्थित या जारी नहीं रखेगी ;

(ग) कोई न्यायालय या अन्य कोई प्राधिकरण, इस प्रकार उद्ग्रहीत और संग्रहीत सम्पत्ति कर की कोई रकम के प्रतिदाय का निदेश देनेवाली कोई डिक्री या आदेश प्रवृत्त नहीं करेगा।

(घ) किन्ही वार्षिक किराए के कारण अधिक में उद्ग्रहीत और संग्रहीत सम्पत्ति कर की कोई रकम का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा और वह उक्त अधिनियम के अधीन, देय सम्पत्ति कर की रकम के रूप में समायोजित किया जायेगा।

(२) संदेह के निराकरण के लिए, एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है की, उप-धारा (१) में की कोई बात,—

(क) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उप-धारा (१) में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर के किसी निर्धारण, उद्ग्रहण, माँग, संग्रहण या पुनरीक्षण या कोई कटौती अधिनियम, मूल अधिनियम की के उपबंधों या तद्धीन विरचित नियमों के अनुसरण में प्रश्नगत करने से प्रतिबंधित व्यक्ति के रूप में अर्थ नहीं लगाया जायेगा ;

(ख) मूल अधिनियम के अधीन सम्पत्ति कर के जरिए से उससे देय रकम के अधिक में उसके द्वारा भुगतान किए गए सम्पत्ति कर के प्रतिदाय करने के दावे से प्रतिबंधित किया है ऐसा अर्थ नही ही लगाया जायेगा।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।

५. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों :

परंतु, ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, नही बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XLV OF 2023

THE MAHARASHTRA NATIONAL LAW UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २९ सितम्बर २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XLV OF 2023.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA NATIONAL LAW UNIVERSITY ACT, 2014.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४५ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ३ अक्तूबर २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

सन् २०१४ का महा. ६। **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२३ कहलाए । संक्षिप्त नाम।

सन् २०१४ का महा. ६ की धारा ३५ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ३५ की, उप-धारा (३) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् २०१४ का महा. ६।

" (३) लेखे, जब संपरीक्षित किए जाते है तब कार्यकारी परिषद द्वारा प्रकाशित किए जायेंगे और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा की एक प्रतिलिपि महा परिषद के समक्ष रखी जायेगी तथा एक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष के भीतर राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेगी। राज्य सरकार, उसके द्वारा प्राप्त विश्वविद्यालय के संपरीक्षित वार्षिक लेखे राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखेगी। "।

सन् २०१४ का महा. ६ की धारा ३७ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ३७ की, उप-धारा (२) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

" (२) विश्वविद्यालय अकादमिक वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर राज्य सरकार को उसपर साधारण परिषद के संकल्प के साथ वार्षिक रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगी । राज्य सरकार, उसे उनके अगले सर्वप्रथम सत्र में राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखेगी। "।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XLVI OF 2023

THE BOMBAY CITY CIVIL COURT (AMENDMENT) ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ९ नवम्बर २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान),
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XLVI OF 2023.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE BOMBAY CITY CIVIL COURT ACT, 1948.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४६ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २० नवम्बर २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

मुंबई शहर सिविल न्यायालय अधिनियम, १९४८ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

सन् १९४८ का मुंबई ४०। **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, मुंबई शहर सिविल न्यायालय अधिनियम, १९४८ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; **इसलिए,** भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

१. (१) यह अधिनियम मुंबई शहर सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, २०२३ कहलाए। संक्षिप्त नाम।

(२) यह ऐसे दिनांक को प्रर्वृत्त होगा जिसे राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

सन् १९४८ का मुंबई ४० की धारा ३ में संशोधन।

२. मुंबई शहर सिविल न्यायालय अधिनियम, १९४८ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ३ में,– सन् १९४८ का मुंबई ४०।

(एक) " एक करोड रुपयों से अधिक न हो, ऐसे मूल्य में " शब्दो के स्थान में " दस करोड़ रुपयों से अधिक न हो, ऐसे मूल्य में " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) " परन्तुक, अपमार्जित किया जायेगा ।

सन् १९४८ का मुंबई ४० की धारा ४क में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ४क की, उप-धारा (१) में, " मुंबई शहर सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, २०१२ की धारा ४ " शब्दों, अंको और कोष्टकों के स्थान में, " मुंबई शहर सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, २०२३ " शब्द, अंक और कोष्टक रखे जायेंगे । सन् २०१२ का महा. २५। सन् २०२३ का महा. ४६।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।

४. इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मुंबई शहर सिविल न्यायालय अधिनियम, १९४८ के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्‌भूत होती हो, तो राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्‌भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मुंबई शहर सिविल न्यायलय अधिनियम, १९४८ के उपबंधों से अनअसंगत ऐसे उपबंध करेगी जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परंन्तु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि अवसित होने के पश्चात्, ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा ।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XLVII OF 2023

THE MAHARASHTRA (THIRD SUPPLEMENTARY) APPROPRIATION ACT, 2023.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १७ दिसम्बर २०२३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान)
विधि व न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XLVII OF 2023.

AN ACT TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN FUTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES AND PURPOSES OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH 2024.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४७ सन् २०२३।

(जो कि माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक १८ दिसम्बर २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

अधिनियम जिसके द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२४ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए कतिपय अधिकतर रकमों की अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है।

क्योंकि भारत के संविधान के उसमें के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ के अनुसार, राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२४ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए, कतिपय रकमों के विनियोग के लिये यह आवश्यक है कि विनियोग अधिनियम पारित करने तथा उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ, उपबंध किया जाये ; इसलिए, भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र (तृतीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०२३ कहलाए। संक्षिप्त नाम।

राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ के लिये, ५ खरब, ५५ अरब, २० करोड़, ७६ लाख, ८५ हजार रुपये निकालना।

२. राज्य की संचित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नहीं होंगी और जो कुल मिलाकर पाँच खरब, पचपन अरब, बीस करोड़, छिहत्तर लाख, पचासीं हजार रुपयों की रकम के बराबर होगी, अनुसूची के स्तंभ (२) में बताये हुए कार्यों तथा उद्देश्यों के सम्बन्ध में, सन् २०२४ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में, होनेवाले व्ययों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जायेंगी।

विनियोग।

३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिये प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०२४ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए, कार्यों तथा उद्देश्यों के लिये विनियोग किया जायेगा।

अनुसूची

(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक	कार्य तथा उद्देश्य	लेखा शीर्षक	रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी — विनियोजन: विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित	कुल
(१)	(२)	(३)		(४)	
			रुपये	रुपये	रुपये
		क—राजस्व लेखे पर व्यय			
		सामान्य प्रशासन विभाग			
ए-१	राज्यपाल और मंत्री परिषद।	२०१२, राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघराज्य क्षेत्रों के प्रशासक। २०१३, मंत्री परिषद।	....	१,९४,७७,०००	१,९४,७७,०००
ए-२	निर्वाचन।	२०१५, निर्वाचन।	८२,७५,००,०००	....	८२,७५,००,०००
ए-४	सचिवालय और विविध सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय सामान्य सेवाएँ। २०५९, लोकनिर्माण कार्य। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	४५,०९,३९,०००	....	४५,०९,३९,०००
		कुल–सामान्य प्रशासन विभाग	१,२७,८४,३९,०००	१,९४,७७,०००	१,२९,७९,१६,०००
		गृह विभाग			
बी-१	पुलिस प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन। २०५५, पुलिस। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवा।	२,४६,९३,३७,०००	..	२,४६,९३,३७,०००
बी-२	राज्य उत्पादन शुल्क।	२०३९, राज्य उत्पादन शुल्क।	९,९५,२५,०००	..	९,९५,२५,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
बी-३	परिवहन प्रशासन।	२०४१, वाहनों पर कर। ..	१०,०८,०४,२१,०००	१,००,००,००,०००	११,०८,०४,२१,०००
		३०५५, सड़क परिवहन।			
		३०५६, आंतर्राज्यीय जल परिवहन।			
बी-४	सचिवालय और अन्य सामान्य सेवाएँ।	२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क। ..	२,१२,६०,०००	....	२,१२,६०,०००
		२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ।			
		२०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।			
बी-५	जेल। ..	२०५६, जेल। ..	९९,०९,५५,०००	..	९९,०९,५५,०००
बी-८	बाढ़ नियंत्रण और जल निकास।	२७११, बाढ़ नियंत्रण और जल निकास।	२८,००,००,०००	..	२८,००,००,०००
		कुल—गृह विभाग। ..	१३,९४,१४,९८,०००	१,००,००,००,०००	१४,९४,१४,९८,०००
		राजस्व तथा वन विभाग			
सी-१	राजस्व तथा जिला प्रशासन ।	२०२९, भू-राजस्व। ..	६,३०,२८,६५,०००	..	६,३०,२८,६५,०००
		२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क।			
		२०५३, जिला प्रशासन।			
		२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।			
		२८५३, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग।			
सी-४	सचिवालय तथा अन्य सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय सामान्य सेवाएँ। ..	१,३८,७३,०००	..	१,३८,७३,०००
		२०५९, लोक निर्माण कार्य।			
		२०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।			
सी-६	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	२२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत। ..	१,००,००,००,०००	..	१,००,००,००,०००
सी-७	वन।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन। ..	४२,६१,००,०००	..	४२,६१,००,०००
		२४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।			
		२५५१, पहाड़ी क्षेत्र।			
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग। ..	७,७४,२८,३८,०००	....	७,७४,२८,३८,०००

कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग

डी-३	कृषि सेवाएँ।	२४०१, कृषि कर्म।	५२,३२,०८,९४,०००	५२,३२,०८,९४,०००
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण।		
		२४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।		
डी-४	पशुपालन।	२४०३, पशुपालन।	८१,९९,४९,०००	८१,९९,४९,०००
डी-६	मत्स्य उद्योग।	२४०५, मत्स्य उद्योग।	३७,५८,०१,०००	३७,५८,०१,०००
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	५३,५१,६६,४४,०००	५३,५१,६६,४४,०००

विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग

इ-२	सामान्य शिक्षा।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	२९,३७,४६,४०,०००	२९,३७,४६,४०,०००
इ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।	५,३९,३०,६४,०००	५,३९,३०,६४,०००
		२२०५, कला तथा संस्कृति।		
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।		
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
		२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।		
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।	३४,७६,७७,०४,०००	३४,७६,७७,०४,०००

नगरविकास विभाग

एफ-२	नगरविकास तथा अन्य अग्रिम सेवाएँ।	२०५३, जिला प्रशासन।	११,२६,५४,४०,०००	११,२६,५४,४०,०००
		२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।		
		२२१७, नगरविकास ।		
		३०५४, सड़क तथा पुल।		
एफ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।	२२,५०,०००	२२,५०,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
		२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।		
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
		३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	..	..

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
एफ-४	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थांओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	२,३८,३५,००,०००		२,३८,३५,००,०००
		कुल—नगरविकास विभाग।	१३,६५,११,९०,०००		१३,६५,११,९०,०००
		वित्त विभाग			
जी-१	विक्रय कर प्रशासन।	२०२०, आय तथा व्यय पर संग्रहण । २०४०, विक्रय, कर। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	४७,७७,०००		४७,७७,०००
जी-५	कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	२०५४, कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	१५,६७,०४,०००		१५,६७,०४,०००
		कुल—वित्त विभाग।	१६,१४,८१,०००		१६,१४,८१,०००
		लोकनिर्माण कार्य विभाग			
एच-३	आवास।	२२१६,आवास।	६४,९५,७०,०००		६४,९५,७०,०००
एच-४	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५३, सिविल विमानन। ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	२,६१,१३,०००		२,६१,१३,०००
एच-५	सड़क तथा पुल।	३०५४, सड़क तथा पुल।	२,१४,००,००,०००		२,१४,००,००,०००
एच-६	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगरविकास। २२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग ।	१,२८,७८,७४,०००		१,२८,७८,७४,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग ।	४,१०,३५,५७,०००		४,१०,३५,५७,०००

	जलस्त्रोत विभाग					
आय-३	सिंचाई, विद्युत तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण।	. .	१८,२४,४७,०००	. .	१८,२४,४७,०००
		२७००, बड़ी सिंचाई।				
		२७०१, मध्यम सिंचाई।				
		२७०२, लघु सिंचाई।				
		२७०५, कमान क्षेत्र विकास।				
		२७११, बाढ़ नियंत्रण और निकास।				
		२८०१, विद्युत।				
		३४०२, अन्तरिक्ष अनुसंधान				
		कुल—जलस्त्रोत विभाग।	. .	१८,२४,४७,०००	. .	१८,२४,४७,०००
	विधि तथा न्याय विभाग					
जे-१	न्याय प्रशासन। . .	२०१४, न्याय प्रशासन।	. .	८१,१२,१०,०००	२,९५,६२,२२,०००	३,७६,७४,३२,०००
जे-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ।	. .	१६,६७,०००	. .	१६,६७,०००
		२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ।				
		३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।				
		कुल—विधि तथा न्याय विभाग।	. .	८१,२८,७७,०००	२,९५,६२,२२,०००	३,७६,९०,९९,०००
	उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम और खनन विभाग					
के-३	लेखनसामग्री तथा मुद्रण।	२०५७, पूर्ति और निपटान ।	. .	७,२४,४३,०००	. .	७,२४,४३,०००
		२०५८, लेखनसामग्री तथा मुद्रण।				
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
के-४	श्रम, नियोजन कौशल तथा विकास।	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।	. .	१५,४०,६०,०००	. .	१५,४०,६०,०००
के-६	ऊर्जा।	२८०१, विद्युत।	. .	१८,०१,८०,००,०००	. .	१८,०१,८०,००,०००
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
के-७	उद्योग ।	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।	. .	३०,०५,००,००,०००	. .	३०,०५,००,००,०००
		२८५२, उद्योग।				
		२८५३, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग।	. .			
के-८	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	. .	४,९७,००,०००	. .	४,९७,००,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम और खनन विभाग।	. .	४८,३४,४२,०३,०००	. .	४८,३४,४२,०३,०००
	ग्रामविकास विभाग					
एल-२	जिला प्रशासन। . .	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	५,००,६०,००,०००	. .	५,००,६०,००,०००
एल-३	ग्रामविकास कार्यक्रम।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य।	. .	३१,२९,०९,०४,०००	. .	३१,२९,०९,०४,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।				
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।				
		२५०५, ग्राम नियोजन।				
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।				
		३०५४, सड़क तथा पुल।				
एल-४	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ ।	३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ ।	. .	३४,५१,०००	. .	३४,५१,०००
एल-५	स्थानिक निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानिक निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	. .	२,०५,००,००,०००	२,०५,००,००,०००
		कुल—ग्रामविकास विभाग।	. .	३६,३०,०३,५५,०००	२,०५,००,००,०००	३८,३५,०३,५५,०००

खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग

एम-२	खाद्य, भंडारकरण और गोदाम। . .	२४०८, खाद्य, भांडारकरण तथा गोदाम। . .	९,९७,०५,५८,०००	. . ९,९७,०५,५८,०००
एम-३	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। . .	२,६६,७६,०००	. . २,६६,७६,०००
		३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।		
		कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग। . .	९,९९,७२,३४,०००	. . ९,९९,७२,३४,०००

सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग

एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	२०५३, जिला प्रशासन। . .	३४,९५,३७,०७,०००	. . ३४,९५,३७,०७,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।		
		२२०५, कला तथा संस्कृति।		
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थय।		
		२२११, परिवार कल्याण।		
		२२१५, जल आपुर्ति तथा स्वच्छता।		
		२२१६, आवास।		
		२२१७, नगर विकास।		
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।		
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।		
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
		२४०१, कृषि कर्म।		
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण		
		२४०३, पशुपालन।		
		२४०५, मत्स्योद्योग।		
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।		
		२५०५, ग्राम नियोजन।		
		२८०१, विद्युत।		
		२८१०, नवीन तथा नविकरणीय उर्जा।		
		२८५१, ग्राम तथा लघु उद्योग।		
		२८५२, उद्योग।		
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग। . .	३४,९५,३७,०७,०००	. . ३४,९५,३७,०७,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		योजना विभाग				
ओ-१	जिला प्रशासन।	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	२,००,००,००,०००	. .	२,००,००,००,०००
ओ-३	ग्राम नियोजन।	२५०५, ग्राम नियोजन ।	. .	२,००,००,०२,०००	१,०००	२,००,००,०३,०००
ओ-७	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ ।	. .	४०,००,०१,०००	. .	४०,००,०१,०००
ओ-१४	जिला योजना–मुंबई शहर।	२०४१, वाहनोंपर कर।	. .	१,०००	. .	१,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।				
		२२०२, सामान्य शिक्षा।				
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
		२२०५, कला तथा संस्कृति।				
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
		२२१६, आवास।				
		२२१७, नगरविकास।				
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास ।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२३६, पोषण।				
		२४०५, मत्स्य उद्योग।				
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।				
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।				
		३४५२, पर्यटन				
ओ-१६	जिल्हा योजना–मुंबई उपनगर।	२०४१, वाहनों पर कर।	. .	१,०००	. .	१,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।				
		२२०२, सामान्य शिक्षा।				

		२२०३,	तकनीकी शिक्षा।			
		२२०४,	क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५,	कला तथा संस्कृति।			
		२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१६,	आवास।			
		२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
		२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास ।			
		२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६,	पोषण।			
		२४०५,	मत्स्य उद्योग।			
		२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।			
		२८०१,	विद्युत।			
		२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
		२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
		३०५६,	अन्तर्राज्यीय जल परिवहन।			
		३४३५,	पारिस्थितीकी तथा पर्यावरण।			
		३४५१,	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२,	पर्यटन			
ओ-१८	जिला योजना–ठाणे।	२०४१,	वाहनोंपर कर।	. .	१,०००	. .	१,०००
		२०५३,	जिला प्रशासन।			
		२२०२,	सामान्य शिक्षा।			
		२२०३,	तकनीकी शिक्षा।			
		२२०४,	क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५,	कला तथा संस्कृति।			
		२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७,	नगर विकास।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
		२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास ।			
		२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६,	पोषण।			
		२४०३,	पशुपालन।			
		२४०५,	मत्स्य उद्योग।			
		२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५,	सहकारिता।			
		२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२,	लघु सिंचाई।			
		२८०१,	विद्युत।			
		२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
		२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
		३०५१,	पत्तन तथा दीपगृह।			
		३०५४,	सड़क तथा पुल।			
		३४५१,	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२,	पर्यटन			
		३६०४,	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।			
ओ-२०	जिल्हा योजना–रायगड।	२०४१,	वाहनों पर कर। . .	१,०००	. .	१,०००
		२०५३,	जिला प्रशासन।			
		२२०२,	सामान्य शिक्षा।			
		२२०३,	तकनीकी शिक्षा।			
		२२०४,	क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			

		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७, नगर विकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास ।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५, सहकारिता।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
		३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।			
		३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन।			
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२, पर्यटन			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।			
ओ-२२	जिला योजना–रत्नागिरी।	२०४१, वाहनों पर कर।	. .	१,०००	. .	१,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।			
		२२०२, सामान्य शिक्षा।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७, नगर विकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास ।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
		३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।			
		३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन।			
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२, पर्यटन			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।			

ओ-२४	जिला योजना–सिंधुगुर्ग।	२०४१, वाहनों पर कर।	. .	१,०००	. .	१,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।				
		२२०२, सामान्य शिक्षा।				
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
		२२०५, कला तथा संस्कृति।				
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
		२२१७, नगर विकास।				
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२३६, पोषण।				
		२४०३, पशुपालन।				
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।				
		२४०५, मत्स्य उद्योग।				
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
		२४२५, सहकारिता।				
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
		२७०२, लघु सिंचाई।				
		२८०१, विद्युत।				
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				
		३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।				
		३०५४, सड़क तथा पुल।				
		३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन				
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।				
		३४५२, पर्यटन				
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)			
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२६	जिला योजना–पुणे।	२०४१, वाहनों पर कर।	. .	१,०००	. .	१,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।				
		२२०२, सामान्य शिक्षा।				
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
		२२०५, कला तथा संस्कृति।				
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
		२२१७, नगर विकास।				
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२३६, पोषण।				
		२४०३, पशुपालन।				
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।				
		२४०५, मत्स्य उद्योग।				
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
		२४२५, सहकारिता।				
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
		२७०२, लघु सिंचाई।				
		२८०१, विद्युत।				
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				
		३०५४, सड़क तथा पुल।				
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।				

		३४५२, पर्यटन				
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।				
ओ-२८	जिला योजना–सातारा।	२०४१, वाहनों पर कर।	. .	१,०००	. .	१,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।				
		२२०२, सामान्य शिक्षा।				
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
		२२०५, कला तथा संस्कृति।				
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
		२२१७, नगर विकास।				
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२३६, पोषण।				
		२४०३, पशुपालन।				
		२४०५, मत्स्य उद्योग।				
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
		२४२५, सहकारिता।				
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम				
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
		२७०२, लघु सिंचाई।				
		२८०१, विद्युत।				
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				
		३०५४, सड़क तथा पुल।				
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		३४५२,	पर्यटन			
		३६०४,	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।			
ओ-३०	जिला योजना–सांगली।	२०४१,	वाहनों पर कर। . .	१,०००	. .	१,०००
		२०५३,	जिला प्रशासन।			
		२२०२,	सामान्य शिक्षा।			
		२२०४,	क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५,	कला तथा संस्कृति।			
		२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७,	नगर विकास।			
		२२२०,	सूचना तथा प्रचार।			
		२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
		२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६,	पोषण।			
		२४०३,	पशुपालन।			
		२४०५,	मत्स्य उद्योग।			
		२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५,	सहकारिता।			
		२५०१,	ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
		२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२,	लघु सिंचाई।			
		२८०१,	विद्युत।			
		२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
		२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
		३०५४,	सड़क तथा पुल।			

		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।				
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।				
ओ-३२	जिला योजना–सोलापुर।	२०४१, वाहनों पर कर।	. .	१,०००	. .	१,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।				
		२२०२, सामान्य शिक्षा।				
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
		२२०५, कला तथा संस्कृति।				
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
		२२१७, नगर विकास।				
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२३६, पोषण।				
		२४०३, पशुपालन।				
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।				
		२४०५, मत्स्य उद्योग।				
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
		२४२५, सहकारिता।				
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
		२७०२, लघु सिंचाई।				
		२८०१, विद्युत।				
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				
		३०५४, सड़क तथा पुल।				
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)			
					रुपये	रुपये	रुपये
		३४५२,	पर्यटन।				
		३६०४,	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।				
ओ-३४	जिला योजना–कोल्हापूर।	२०४१,	वाहनों पर कर।	. .	१,०००	. .	१,०००
		२०५३,	जिला प्रशासन।				
		२२०२,	सामान्य शिक्षा।				
		२२०३,	तकनीकी शिक्षा।				
		२२०४,	क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
		२२०५,	कला तथा संस्कृति।				
		२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
		२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
		२२१७,	नगर विकास।				
		२२२०,	सूचना तथा प्रचार।				
		२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
		२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास				
		२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२३६,	पोषण।				
		२४०३,	पशुपालन।				
		२४०५,	मत्स्य उद्योग।				
		२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।				
		२४२५,	सहकारिता।				
		२५०१,	ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।				
		२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
		२७०२,	लघु सिंचाई।				
		२८०१,	विद्युत।				

		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				
		३०५४, सड़क तथा पुल।				
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।				
		३४५२, पर्यटन।				
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।				
ओ-३६	जिला योजना–नासिक।	२०४१, वाहनों पर कर।	. .	१,०००	. .	१,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।				
		२२०२, सामान्य शिक्षा।				
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
		२२०५, कला तथा संस्कृति।				
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
		२२१७, नगर विकास।				
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२३६, पोषण।				
		२४०३, पशुपालन।				
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।				
		२४०५, मत्स्य उद्योग।				
		२४०६, वन तथा अन्य जीवन।				
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
		२७०२, लघु सिंचाई।				
		२८०१, विद्युत।				
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		३०५४, सड़क तथा पुल।				
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।				
		३४५२, पर्यटन।				
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।				
ओ-३८	जिल्हा योजना–धुलिया।	२०४१, वाहनों पर कर।	. .	१,०००	. .	१,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।				
		२२०२, सामान्य शिक्षा।				
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
		२२०५, कला तथा संस्कृति।				
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
		२२१७, नगर विकास।				
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२३६, पोषण।				
		२४०३, पशुपालन।				
		२४०५, मस्त्य उद्योग।				
		२४०६, वन तथा अन्य जीवन।				
		२४२५, सहकरिता।				
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।				
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
		२७०२, लघु सिंचाई।				
		२८०१, विद्युत।				

		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।			
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२, पर्यटन।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।			
ओ-४०	जिला योजना–जलगाँव।	२०४१, वाहनों पर कर।	. .	१,०००	. .	१,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।			
		२२०२, सामान्य शिक्षा।			
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७, नगर विकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०६, वन तथा अन्य जीवन।			
		२४२५, सहकरिता।			
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)			
				रुपये	रुपये	रुपये
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।				
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।				
ओ-४२	जिला योजना–अहमदनगर।	२०४१, वाहनों पर कर।	. .	१,०००	. .	१,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।				
		२२०२, सामान्य शिक्षा।				
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
		२२०५, कला तथा संस्कृति।				
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
		२२१७, नगर विकास।				
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२३६, पोषण।				
		२४०३, पशुपालन।				
		२४०४. दुग्ध उद्योग विकास।				
		२४०५, मत्स्य उद्योग				
		२४०६, वन तथा अन्य जीवन।				
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
		२७०२, लघु सिंचाई।				
		२८०१, विद्युत।				
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				

	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				
	३०५४, सड़क तथा पुल।				
	३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।				
	३४५२, पर्यटन।				
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।				
ओ-४४ जिला योजना–नंदुरबार।	२०४१, वाहनों पर कर।	. .	१,०००	. .	१,०००
	२०५३, जिला प्रशासन।				
	२२०२, सामान्य शिक्षा।				
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
	२२०५, कला तथा संस्कृति।				
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
	२२१७, नगर विकास।				
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।				
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
	२२३६, पोषण।				
	२४०३, पशुपालन।				
	२४०५, मत्स्य उद्योग				
	२४२५, सहकारिता।				
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
	२७०२, लघु सिंचाई।				
	२८०१, विद्युत।				
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				
	३०५४, सड़क तथा पुल।				
	३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।				
	३४५२, पर्यटन।				
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-४६	जिला योजना–छत्रपति संभाजी नगर।	२०४१, वाहनों पर कर।	. .	१,०००	. .	१,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।				
		२२०२, सामान्य शिक्षा।				
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
		२२०५, कला तथा संस्कृति।				
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
		२२१७, नगर विकास।				
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२३६, पोषण।				
		२४०३, पशुपालन।				
		२४०५, मत्स्य उद्योग				
		२४०६, वन तथा अन्य जीवन।				
		२४२५, सहकारिता।				
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम				
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
		२७०२, लघु सिंचाई।				
		२८०१, विद्युत।				
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				

	३०५४, सड़क तथा पुल।				
	३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।				
	३४५२, पर्यटन।				
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।				
ओ-४८ जिला योजना–जालना।	२०४१, वाहनों पर कर।	. .	१,०००	. .	१,०००
	२०५३, जिला प्रशासन।				
	२२०२, सामान्य शिक्षा।				
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
	२२०५, कला तथा संस्कृति।				
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
	२२१७, नगर विकास।				
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।				
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
	२२३६, पोषण।				
	२४०३, पशुपालन।				
	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।				
	२४०५, मत्स्य उद्योग				
	२४०६, वन तथा अन्य जीवन।				
	२४२५, सहकारिता।				
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
	२७०२, लघु सिंचाई।				
	२८०१, विद्युत।				
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।			
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२, पर्यटन।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।			
ओ-५०	जिला योजना–परभणी।	२०४१, वाहनों पर कर। . .	१,०००	. .	१,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।			
		२२०२, सामान्य शिक्षा।			
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७, नगर विकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५, सहकारिता।			
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			

		२७०२,	लघु सिंचाई।				
		२८०१,	विद्युत।				
		२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
		२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				
		३०५४,	सड़क तथा पुल।				
		३४५१,	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।				
		३४५२,	पर्यटन।				
		३६०४,	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।				
ओ-५२	जिला योजना–नांदेड।	२०४१,	वाहनों पर कर।	. .	१,०००	. .	१,०००
		२०५३,	जिला प्रशासन।				
		२२०२,	सामान्य शिक्षा।				
		२२०३,	तकनीकी शिक्षा।				
		२२०४,	क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
		२२०५,	कला तथा संस्कृति।				
		२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
		२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
		२२१७,	नगर विकास।				
		२२२०,	सूचना तथा प्रचार।				
		२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
		२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।				
		२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२३६,	पोषण।				
		२४०३,	पशुपालन।				
		२४०५,	मत्स्य उद्योग				
		२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।				
		२४२५,	सहकारिता।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)			
				रुपये	रुपये	रुपये
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम				
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
		२७०२, लघु सिंचाई।				
		२८०१, विद्युत।				
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				
		३०५४, सड़क तथा पुल।				
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।				
		३४५२, पर्यटन।				
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।				
ओ-५४	जिला योजना–बीड।	२०४१, वाहनों पर कर।	. .	१,०००	. .	१,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।				
		२२०२, सामान्य शिक्षा।				
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
		२२०५, कला तथा संस्कृति।				
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
		२२१७, नगर विकास।				
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२३६, पोषण।				
		२४०३, पशुपालन।				
		२४०५, मत्स्य उद्योग				
		२४०६, वन तथा अन्य जीवन।				

	२४२५, सहकारिता।			
	२७०२, लघु सिंचाई।			
	२८०१, विद्युत।			
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
	३०५४, सड़क तथा पुल।			
	३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
	३४५२, पर्यटन।			
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।			
ओ-५६ जिला योजना–लातुर।	२०४१, वाहनों पर कर।	१,०००	. .	१,०००
	२०५३, जिला प्रशासन।			
	२२०२, सामान्य शिक्षा।			
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
	२२०५, कला तथा संस्कृति।			
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
	२२१७, नगर विकास।			
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
	२४०३, पशुपालन।			
	२४०५, मत्स्य उद्योग			
	२४०६, वन तथा अन्य जीवन।			
	२४२५, सहकारिता।			
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।			
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२, पर्यटन।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।			
ओ-५८	जिला योजना–धाराशिव।	२०४१, वाहनों पर कर।	१,०००	..	१,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।			
		२२०२, सामान्य शिक्षा।			
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७, नगर विकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग			
		२४०६, वन तथा अन्य जीवन।			
		२४२५, सहकारिता।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			

		२८०१,	विद्युत।				
		२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
		२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				
		३०५४,	सड़क तथा पुल।				
		३४५१,	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।				
		३४५२,	पर्यटन।				
		३६०४,	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।				
ओ-६०	जिला योजना–हिंगोली।	२०४१,	वाहनों पर कर।	. .	१,०००	. .	१,०००
		२०५३,	जिला प्रशासन।				
		२२०२,	सामान्य शिक्षा।				
		२२०३,	तकनीकी शिक्षा।				
		२२०४,	क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
		२२०५,	कला तथा संस्कृति।				
		२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
		२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
		२२१७,	नगर विकास।				
		२२२०,	सूचना तथा प्रचार।				
		२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
		२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।				
		२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२३६,	पोषण।				
		२४०३,	पशुपालन।				
		२४०४,	दुग्ध उद्योग विकास।				
		२४०५,	मत्स्य उद्योग				
		२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।				
		२४२५,	सहकारिता।				
		२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
		२७०२,	लघु सिंचाई।				
		२८०१,	विद्युत।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।			
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२, पर्यटन।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।			
ओ-६२	जिला योजना–नागपुर।	२०४१, वाहनों पर कर।	१,०००	. .	१,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।			
		२२०२, सामान्य शिक्षा।			
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७, नगर विकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग			

	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
	२४२५, सहकारिता।			
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
	२७०२, लघु सिंचाई।			
	२८०१, विद्युत।			
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
	३०५४, सड़क तथा पूल।			
	३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
	३४५२, पर्यटन।			
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।			
ओ-६४ जिला योजना–वर्धा।	२०४१, वाहनों पर कर।	१,०००	. .	१,०००
	२०५३, जिला प्रशासन।			
	२२०२, सामान्य शिक्षा।			
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
	२२०५, कला तथा संस्कृति।			
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
	२२१७, नगर विकास।			
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
	२२३६, पोषण।			
	२४०३, पशुपालन।			
	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		२४०५,	मत्स्य उद्योग			
		२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५,	सहकारिता।			
		२५०१,	ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
		२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२,	लघु सिंचाई।			
		२८०१,	विद्युत।			
		२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
		२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
		३०५४,	सड़क तथा पूल।			
		३४५१,	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२,	पर्यटन।			
		३६०४,	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।			
ओ-६६	जिला योजना–भंडारा।	२०४१,	वाहनों पर कर।	१,०००	. .	१,०००
		२०५३,	जिला प्रशासन।			
		२२०२,	सामान्य शिक्षा।			
		२२०३,	तकनीकी शिक्षा।			
		२२०४,	क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५,	कला तथा संस्कृति।			
		२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७,	नगर विकास।			
		२२२०,	सूचना तथा प्रचार।			

	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
	२२३६, पोषण।			
	२४०३, पशुपालन।			
	२४०५, मत्स्य उद्योग			
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
	२४२५, सहकारिता।			
	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
	२७०२, लघु सिंचाई।			
	२८०१, विद्युत।			
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
	३०५४, सड़क तथा पूल।			
	३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
	३४५२, पर्यटन।			
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।			
ओ-६८ जिला योजना–चंद्रपुर।	२०४१, वाहनों पर कर।	१,०००	. .	१,०००
	२०५३, जिला प्रशासन।			
	२२०२, सामान्य शिक्षा।			
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७, नगर विकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५, सहकारिता।			
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
		३०५४, सड़क तथा पूल।			
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२, पर्यटन।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।			

ओ-७०	जिला योजना–गढ़चिरोली।	२०४१, वाहनों पर कर।	१,०००	. .	१,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।			
		२२०२, सामान्य शिक्षा।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७, नगर विकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५, सहकारिता।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
		३०५४, सड़क तथा पूल।			
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२, पर्यटन।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-७२	जिला योजना–गोंदिया।	२०४१, वाहनों पर कर।	१,०००	. .	१,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।			
		२२०२, सामान्य शिक्षा।			
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७, नगरविकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५, सहकारिता।			
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			

	३०५४, सड़क तथा पूल।				
	३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।				
	३४५२, पर्यटन।				
ओ-७४ जिला योजना–अमरावती।	२०४१, वाहनों पर कर।	. .	१,०००	. .	१,०००
	२०५३, जिला प्रशासन।				
	२२०२, सामान्य शिक्षा।				
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
	२२०५, कला तथा संस्कृति।				
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
	२२१७, नगरविकास।				
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।				
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
	२२३६, पोषण।				
	२४०३, पशुपालन।				
	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।				
	२४०५, मत्स्य उद्योग				
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
	२४२५, सहकारिता।				
	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।				
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
	२७०२, लघु सिंचाई।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		२८०१,	विद्युत।			
		२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
		२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
		३०५४,	सड़क तथा पूल।			
		३४५१,	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२,	पर्यटन।			
		३६०४,	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।			
ओ-७६	जिला योजना–अकोला।	२०४१,	वाहनों पर कर। ..	१,०००	..	१,०००
		२०५३,	जिला प्रशासन।			
		२२०२,	सामान्य शिक्षा।			
		२२०३,	तकनीकी शिक्षा।			
		२२०४,	क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५,	कला तथा संस्कृति।			
		२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१७,	नगर विकास।			
		२२२०,	सूचना तथा प्रचार।			
		२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
		२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
		२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६,	पोषण।			

		२४०३, पशुपालन।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५, सहकारिता।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
		३०५४, सड़क तथा पूल।			
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२, पर्यटन।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।			
ओ-७८	जिला योजना–यवतमाल।	२०४१, वाहनों पर कर।	. .	१,०००	. .	१,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।			
		२२०२, सामान्य शिक्षा।			
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७, नगर विकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)			
					रुपये	रुपये	रुपये
		२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।				
		२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२३६,	पोषण।				
		२४०३,	पशुपालन।				
		२४०५,	मत्स्य उद्योग।				
		२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।				
		२४२५,	सहकारिता।				
		२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
		२७०२,	लघु सिंचाई।				
		२८०१,	विद्युत।				
		२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
		२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				
		३०५४,	सड़क तथा पूल।				
		३४५१,	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।				
		३४५२,	पर्यटन।				
		३६०४,	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।				
ओ-८०	जिला योजना–बुलढ़ाणा।	२०४१,	वाहनों पर कर।	. .	१,०००	. .	१,०००
		२०५३,	जिला प्रशासन।				
		२२०२,	सामान्य शिक्षा।				
		२२०३,	तकनीकी शिक्षा।				
		२२०४,	क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
		२२०५,	कला तथा संस्कृति।				
		२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				

		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
		२२१७, नगर विकास।				
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२३६, पोषण।				
		२४०३, पशुपालन।				
		२४०५, मत्स्य उद्योग				
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
		२४२५, सहकारिता।				
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
		२७०२, लघु सिंचाई।				
		२८०१, विद्युत।				
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				
		३०५४, सड़क तथा पूल।				
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।				
		३४५२, पर्यटन।				
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।				
ओ-८२	जिला योजना–वाशिम।	२०४१, वाहनों पर कर।	. .	१,०००	. .	१,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।				
		२२०२, सामान्य शिक्षा।				
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७, नगर विकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५, सहकारिता।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
		३०५४, सड़क तथा पूल।			
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२, पर्यटन।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।			

ओ-८४	जिला योजना–पालघर।	२०४१, वाहनों पर कर।	. .	१,०००	. .	१,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।				
		२२०२, सामान्य शिक्षा।				
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
		२२०५, कला तथा संस्कृति।				
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
		२२१७, नगर विकास।				
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२३६, पोषण।				
		२४०१, कृषी कर्म।				
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण।				
		२४०३, पशुपालन।				
		२४०५, मत्स्य उद्योग।				
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
		२७०२, लघु सिंचाई।				
		२८०१, विद्युत।				
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				
		३०५१, पतन तथा दीपगृह।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		३०५४, सड़क तथा पूल।				
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।				
		३४५२, पर्यटन।				
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।				
		कुल—योजना विभाग ।	. .	४,४०,००,४०,०००	१,०००	४,४०,००,४१,०००
		आवास विभाग				
क्यू-३	आवास। . .	२२१६, आवास।	. .	९८,९२,००,०००	. . . .	९८,९२,००,०००
		२२१७, नगरविकास।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
		कुल–आवास विभाग।	. .	९८,९२,००,०००	. . . .	९८,९२,००,०००
		लोकस्वास्थ्य विभाग				
आर-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	१०,०१,२४,५९,०००	. . . .	१०,०१,२४,५९,०००
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
	. .	२२११, परिवार कल्याण।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		कुल–लोकस्वास्थ्य विभाग।	. .	१०,०१,२४,५९,०००	. . . .	१०,०१,२४,५९,०००
आर-२	सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ।	२२५१, सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ।	. .	७५,००,०००	. . . .	७५,००,०००
		कुल–लोकस्वास्थ्य विभाग।	. .	७५,००,०००	. . . .	७५,००,०००

चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग

एस-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	..	२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	..	६,०८,०३,५२,०००	....	६,०८,०३,५२,०००
				कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग।	..	६,०८,०३,५२,०००	....	६,०८,०३,५२,०००

जनजाति विकास विभाग

टी-५	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय।	२०५३,	जिला प्रशासन।	..	१३,०१,७४,४५,०००	...	१३,०१,७४,४५,०००
		२०५९,	लोक निर्माण कार्य।				
		२२०२,	सामान्य शिक्षा।				
		२२०४,	क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।				
		२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
		२२११,	परिवार कल्याण।				
		२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
		२२१६,	आवास ।				
		२२१७,	नगर विकास।				
		२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
		२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।				
		२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२३६,	पोषण।				
		२४०१,	कृषि कर्म।				
		२४०२,	मृदा तथा जलसंरक्षण।				
		२४०३,	पशुपालन।				
		२४०५,	मत्स्योद्योग।				
		२४०६,	वन तथा वन्यजीवन ।				
		२४२५,	सहकारिता ।				
		२४३५,	अन्य कृषि कार्यक्रम।				
		२५०१,	ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।				
		२५०५,	ग्राम नियोजन ।				
		२७०२,	लघु सिंचाई ।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		२८०१, विद्युत ।				
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।				
		२८५१, ग्रामोद्योग और लघुउद्योग।				
		२८५२, उद्योग ।				
		३०५४, सड़क तथा पुल ।				
		३०५५, सड़क परिवहन।				
		कुल—जनजाति विकास विभाग।	..	१३,०१,७४,४५,०००	....	१३,०१,७४,४५,०००
		सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग				
वी-२	सहकारिता।	२०७०, अन्य प्रशासकिय सेवाएँ ।	..	११,७६,९६,४२,०००	....	११,७६,९६,४२,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण				
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
		२४२५, सहकारिता।				
	..	२४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम।				
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				
		२८५२, उद्योग।				
		३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।				
		३४५६, सिविल आपूर्ति।				
		कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।	..	११,७६,९६,४२,०००	....	११,७६,९६,४२,०००
		उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग				
डब्ल्यू-२	सामान्य शिक्षा। ..	२२०२, सामान्य शिक्षा।	..	२,१०,६६,२०,०००	....	२,१०,६६,२०,०००
डब्ल्यू-३	तकनीकी शिक्षा। ..	२२०३, तकनीकी शिक्षा।	..	१५,००,००,०००	....	१५,००,००,०००
डब्ल्यू-४	कला तथा संस्कृति । ..	२२०५, कला तथा संस्कृति।	..	२१,८४,१०,०००	....	२१,८४,१०,०००
		कुल— उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग	..	२,४७,५०,३०,०००	....	२,४७,५०,३०,०००

महिला तथा बाल विकास विभाग					
एक्स-१ सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	३,७४,२८,७५,०००	...	३,७४,२८,७५,०००
	२२३६, पोषण।				
एक्स-२ सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।	..	१,००,००,०००	...	१,००,००,०००
	कुल— महिला तथा बाल विकास विभाग।	..	३,७५,२८,७५,०००	...	३,७५,२८,७५,०००
जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग					
वाय-२ जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। ..	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	..	३५,५५,१६,००,०००	....	३५,५५,१६,००,०००
	कुल— जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग।	..	३५,५५,१६,००,०००	....	३५,५५,१६,००,०००
कौशल्य, रोजगार, उद्यमिता तथा नवपरिवर्तन विभाग					
जेड-क-१ ब्याज अदागियाँ। ..	२२४९, ब्याज अदागियाँ।	..	....	६८,०८,६७,०००	६८,०८,६७,०००
जेड-क-२ सचिवालय तथा अन्य ..	२२०३, तकनीकी शिक्षा।	..	९,११,९९,०००	....	९,११,९९,०००
सामाजिक सेवाएँ। ..	२२३०, श्रम, तथा नियोजन।				
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
	२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।				
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन				
	कुल— कौशल्य, रोजगार, उद्यमिता तथा नवपरिवर्तन विभाग।	..	९,११,९९,०००	६८,०८,६७,०००	७७,२०,६६,०००
महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय					
जेड ग-१ संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।	२०११, संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।		७१,१५,००,०००	....	७१,१५,००,०००
	कुल— महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय।	..	७१,१५,००,०००	....	७१,१५,००,०००
पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग					
जेड घ-२ कला तथा संस्कृति।	२२०५, कला तथा संस्कृति।	..	८४,२१,६५,,०००	...	८४,२१,६५,,०००
जेड घ-३ सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..			
जेड घ-४ पर्यटन।	३४५२, पर्यटन।	..			
	कुल— पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग।	..	८४,२१,६५,,०००	...	८४,२१,६५,,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		अल्पसंख्यक विकास विभाग				
जेड ङ-१	अल्पसंख्यक विकास।	२०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ। २०५३, जिला प्रशासन। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	. .	५,१०,००,००,०००	. . .	५,१०,००,००,०००
		कुल— अल्पसंख्यक विकास विभाग।	. .	५,१०,००,००,०००	. . .	५,१०,००,००,०००
		अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग।				
जेड छ-३	विमुक्त जाति, खानाबदोश जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५ सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	३३,५७,६१,७६,०००	. . .	३३,५७,६१,७६,०००
		कुल— अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग।	. .	३३,५७,६१,७६,०००	. . .	३३,५७,६१,७६,०००
		मृदा तथा जल संरक्षण विभाग।				
जेड ज-३	सिंचाई, ऊर्जा और अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०६, वन तथा वन्य जीव २७०२, लघु सिंचाई।	. .	८,४५,८६,०००	. . .	८,४५,८६,०००
		कुल— मृदा तथा जल संरक्षण विभाग।	. .	८,४५,८६,०००	. . .	८,४५,८६,०००
		कुल— क-राजस्व लेखे पर व्यय।	. .	३,८८,२१,५९,४३,०००	६,७०,६५,६७,०००	३,९४,९२,२५,१०,०००

ख–पूंजीगत लेखेपर व्यय।

			गृह विभाग।				
बी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५५,	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१४,५८,३९,२६,०००	. . .	१४,५८,३९,२६,०००
		४०७०,	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .			
		५००२,	भारतीय रेल-वाणिज्य तरतूद पर पूंजीगत परिव्यय।	. .			
		५०५५,	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय।				
			कुल— गृह विभाग।	. .	१४,५८,३९,२६,०००	. . .	१४,५८,३९,२६,०००
			राजस्व तथा वन विभाग।				
सी-९	अन्य प्रशासनिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	. . .	१२,८४,०१,०००	१२,८४,०१,०००
		४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
		६२४५,	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के लिए कर्ज।				
			कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	. .	. . .	१२,८४,०१,०००	१२,८४,०१,०००
			नगरविकास विभाग।				
एफ-५	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१७,	नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	३६,५०,००,००,०००	. . .	३६,५०,००,००,०००
		५४७५,	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।				
			कुल—नगर विकास विभाग ।	. .	३६,५०,००,००,०००	. . .	३६,५०,००,००,०००
			वित्त विभाग।				
जी-८	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०७०,	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	२,५०,००,००,०००	. . . .	२,५०,००,००,०००
		५४७५,	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
जी-१०	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज।	. .	५०,००,००,०००	. . . .	५०,००,००,०००
			कुल—वित्त विभाग।	. .	३,००,००,००,०००	. . . .	३,००,००,००,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)			(४)		
					रुपये	रुपये	रुपये
			लोक निर्माण कार्य विभाग।				
एच-७	सामाजिक सेवाओं तथा अन्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१६,	आवास पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	४३,५६,००,०५,०००	. . . .	४३,५६,००,०५,०००
		४७११,	बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
		५०५४,	सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।				
एच-८	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	७,२६,०२,१४,०००	१,०००	७,२६,०२,१५,०००
		४२०२,	शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२१७,	नगरविकास पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यको के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२०२,	शिक्षा क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।				
एच-९	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए पूंजीगत परिव्यय।	४२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१,०००	१,०००	१,०००
		४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
			कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।	. .	५०,८२,०२,२०,०००	१,०००	५०,८२,०२,२१,०००
			जलस्रोत विभाग।				
आय-५	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। . .	४४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	७,३३,४५,५०,०००	. . . .	७,३३,४५,५०,०००
		४७००,	बड़ी सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४७०१,	बरी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४७०२,	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				

		४७०५, कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		कुल—जलस्रोत विभाग। ..	७,३३,४५,५०,०००	....	७,३३,४५,५०,०००
		विधि तथा न्याय विभाग।			
जे-४	लोकनिर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय। ..	३१,५५,७४,०००	...	३१,५५,७४,०००
		कुल—विधि तथा न्याय विभाग। ..	३१,५५,७४,०००	...	३१,५५,७४,०००
		उद्योग, ऊर्जा, श्रम तथा खनन विभाग।			
के-९	आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५८, लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय। ..	२०,००,००,०००	...	२०,००,००,०००
		४८५१, ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
के-१०	उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	४८७५, अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ..	५,००,००,०००	...	५,००,००,०००
के-११	ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय।	६८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ..	१९,२५,१४,०००	...	१९,२५,१४,०००
		६८७५, अन्य उद्योगो के लिए कर्ज ।			
		कुल—उद्योग, ऊर्जा, श्रम तथा खनन विभाग । ..	४४,२५,१४,०००	...	४४,२५,१४,०००
		ग्रामविकास विभाग।			
एल-७	ग्रामविकास पर पूंजीगत परिव्यय।	४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ..	१,८४,१४,८३,०००	...	१,८४,१४,८३,०००
		५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२१६, आवास के लिए कर्ज।			
		कुल—ग्रामविकास विभाग। ..	१,८४,१४,८३,०००	...	१,८४,१४,८३,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
		सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग			
एन-४	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय। ..	३,०००	...	३,०००
		४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों अल्पसंख्यंको के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२२५, अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों के कल्याण के लिये कर्ज।			
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग। ..	३,०००	...	३,०००
		योजना विभाग			
ओ-१०	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ..	१,६०,००,००,०००	...	१,६०,००,००,०००
		४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५४५२, पर्यटन व पूंजीगत परिव्यय।			
		कुल—योजना विभाग। ..	१,६०,००,००,०००	...	१,६०,००,००,०००
		लोकस्वास्थ्य विभाग			
आर-३	अन्य ग्रामविकास पर पूंजीगत व्यय।	४२१०, लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय।	३,६४,९९,५५,०००	...	३,६४,९९,५५,०००
		६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।			
		कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग।	३,६४,९९,५५,०००	...	३,६४,९९,५५,०००

			चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग			
एस-४	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	२४,७३,२५,०३,०००	. . .	२४,७३,२५,०३,०००
			कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग।	२४,७३,२५,०३,०००	. . .	२४,७३,२५,०३,०००
			जनजाति विकास विभाग			
टी-६	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९,	लोकनिर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	७,५६,४१,४५,०००	. . .	७,५६,४१,४५,०००
		४२०२,	शिक्षा, क्रिडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२२५,	अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२,	मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६,	वन तथा वन्यजिवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४२५,	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७०१,	बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७०२,	लघू सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४,	सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
			कुल—जनजाति विकास विभाग।	७,५६,४१,४५,०००	. . .	७,५६,४१,४५,०००
			उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग			
डब्ल्यू-८	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२०२,	शिक्षा, क्रिडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	४,६९,३८,००,०००	. . .	४,६९,३८,००,०००
डब्ल्यू-९	सरकारी कर्मचारीयों को ऋण आदि।	७६१०,	सरकारी कर्मचारीयों को ऋण आदि।	२०,००,००,०००	. . .	२०,००,००,०००
			कुल—उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग।	४,८९,३८,००,०००	. . .	४,८९,३८,००,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)		(३)	(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
			महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय			
जेड ग-३	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१६,	आवास पर पूंजीगत परिव्यय।	१,००,००,०००	. . .	१,००,००,०००
		७६१०,	सरकारी कर्मचारीयों को ऋण आदि।	. . .	. . .	. . .
			कुल—महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय।	१,००,००,०००	. . .	१,००,००,०००
			अल्पसंख्यक विकास विभाग			
जेड ङ-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	४२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। पर पूंजीगत परिव्यय।	१,१६,८१,००,०००	. . .	१,१६,८१,००,०००
			कुल—अल्पसंख्यक विकास विभाग।	१,१६,८१,००,०००	. . .	१,१६,८१,००,०००
			अन्य पिछड़े बहूजन कल्याण विभाग			
जेड छ-४	अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	४२२५,	अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	२०,००,००,०००	. . .	२०,००,००,०००
			कुल—अन्य पिछड़े बहूजन कल्याण विभाग।	२०,००,००,०००	. . .	२०,००,००,०००
			मृदा और जल संरक्षण विभाग			
जेड ज-५	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०२,	मृदा और जल संरक्षण पर पूंजीगत व्यय।	१,५०,००,००,०००	. . .	१,५०,००,००,०००
		४७०२,	लघू सिंचाई पर पूंजीगत व्यय।			
			कुल—मृदा और जल संरक्षण विभाग।	१,५०,००,००,०००	. . .	१,५०,००,००,०००
			कुल—ख-पूंजीगत लेखे पर परिव्यय।	१,६०,१५,६७,७३,०००	१२,८४,०२,०००	१,६०,२८,५१,७५,०००
			कुल योग।	५,४८,३७,२७,१६,०००	६,८३,४९,६९,०००	५,५५,२०,७६,८५,०००

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.